

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21  
ANNUAL REPORT 2020-21



डिजिटल बैंकिंग समाधान  
सुरक्षित व त्वरित परिणाम

Digital Banking Solutions  
Provides Security and Speed

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking





# आपके सपनों का घर अब होगा आपके और करीब



## यूनियन होम

- अधिकतम राशि पर कोई सीमा नहीं
- 30 वर्षों तक चुकौती
- 5 दिनों में मंजूरी
- 75 वर्ष की आयु तक ऋण
- आवास ऋण (हाउसिंग लोन) के साथ ही साथ संपत्ति के पेटे ऋण लेने की भी सुविधा
- आवश्यक मार्जिन से अधिक पहले ही खर्च की गई लागत की प्रतिपूर्ति की अनुमति है
- महिला उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में छूट।

**यूनियन बैंक** ऑफ इंडिया **Union Bank** of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking



हेल्पलाइन नं. : 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)

[f @unionbankofindia](https://www.facebook.com/unionbankofindia) [t @UnionBankTweets](https://twitter.com/UnionBankTweets) [i UnionBankInsta](https://www.instagram.com/UnionBankInsta) [y YouTube UnionBankofIndiaUtube](https://www.youtube.com/UnionBankofIndiaUtube) [in @unionbankofindia](https://www.linkedin.com/company/unionbankofindia)

## विषय सूची

## CONTENTS

निदेशक मंडल.....	05	Board of Directors .....	05
मुख्य महाप्रबंधकों की सूची.....	13	List of Chief General Managers .....	13
महाप्रबंधकों की सूची.....	14	List of General Managers .....	14
संगठनात्मक संरचना .....	15	Organisation Structure.....	16
2020-21 की मुख्य बातें.....	17	Highlights of 2020-21 .....	18
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक .....	19	Key Financial Indicators .....	22
सूचना.....	25	Notice .....	214
निदेशकों की रिपोर्ट.....	40	Directors' Report .....	232
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण.....	50	Management Discussion and Analysis .....	243
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट.....	73	Corporate Governance Report.....	268
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंड अलोन).....	114	Independent Auditors' Report (Standalone) .....	309
स्टैंड अलोन तुलन पत्र.....	124	Standalone Balance Sheet .....	321
स्टैंड अलोन लाभ एवं हानि लेखा.....	125	Standalone Profit & Loss Account .....	322
स्टैंड अलोन अनुसूचियां 1 से 18.....	126	Standalone Schedules 1 to 18 .....	323
स्टैंड अलोन नकदी प्रवाह विवरण .....	174	Standalone Cash Flow Statement .....	373
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित).....	176	Independent Auditors' Report (Consolidated) .....	375
समेकित तुलन पत्र.....	183	Consolidated Balance Sheet .....	383
समेकित लाभ एवं हानि लेखा.....	184	Consolidated Profit & Loss Account .....	384
समेकित अनुसूचियां 1 से 18.....	185	Consolidated Schedules 1 to 18 .....	385
समेकित नकदी प्रवाह विवरण.....	210	Consolidated Cash Flow Statement .....	411
पूँजी विनियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन.....	212	Disclosures under Basel III Capital Regulations ....	413
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट.....	213	Business Responsibility Report .....	414
लांभाश अधिदेश फार्म.....	415	Dividend Mandate Form .....	416
हरित पहल -शेयरधारकों से अपील.....	417	Green Initiative - Appeal to Shareholders .....	417
नामांकन पत्र.....	419	Nomination Form.....	420
घोषणा पत्र.....	421	Declaration Form.....	422
पीडीयू पत्र.....	423	PDU Form.....	428

## प्रधान कार्यालय

यूनियन बँक भवन  
239, विधान भवन मार्ग,  
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

## केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बँक भवन  
239, विधान भवन मार्ग,  
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

## निवेशक सेवाएं प्रभाग

यूनियन बँक भवन  
239, विधान भवन मार्ग,  
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

## रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.  
यूनिट : यूनियन बँक ऑफ इंडिया,  
प्लॉट क्रं बी-5, पार्ट बी, कॉस लेन, एम.आई. डी.सी.मरोल,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093,

## डिबेन्चर ट्रस्टीस

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड  
एशियन बिल्डिंग ग्राउंड प्लोर,  
17, आर कमानी मार्ग, बेलाई एस्टेट,  
मुंबई - 400 001.

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड  
एक्सिस हाउस, दूसरी मंजिल, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर,  
पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली,  
मुंबई 400 025

## Head Office

Union Bank Bhavan,  
239, Vidhan Bhavan Marg,  
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

## Central Office

Union Bank Bhavan,  
239, Vidhan Bhavan Marg,  
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

## Investor Services Division

Union Bank Bhavan,  
239, Vidhan Bhavan Marg,  
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

## Registrar & Share Transfer Agent

Datamatics Business Solutions Ltd.  
Unit: Union Bank of India  
Plot No. B-5, Part B,  
Cross Lane, MIDC, Marol,  
Andheri (E), Mumbai - 400 093

## Debenture Trustees

IDBI Trusteeship Services Limited  
Asian Building, Ground Floor,  
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate,  
Mumbai - 400 001

Axis Trustee Services Limited  
Axis House, Second Floor,  
Wadia International Centre,  
Pandurang Budhkar Marg, Worli  
Mumbai - 400 025

## सेक्रेटेरियल ऑडिटर

बी दुर्गाप्रसाद राय  
पेशेवर कंपनी सचिव

## Secretarial Auditor

B. Durgaprasad Rai  
Company Secretary in Practice

## लेखा परीक्षक/AUDITORS

बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार

**B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants

सी आर सागदेव एंड कं  
सनदी लेखाकार

**C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants

आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार

**R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants

पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

**P V A R & Associates**  
Chartered Accountants

सारडा एंड पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार

**SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants

गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार

**Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants

यूनियन बँक  Union Bank  
of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



# निदेशक मंडल

## BOARD OF DIRECTORS

श्री राजकिरण रै जी. 01 जुलाई, 2017 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं. 19 मई, 1962 को जन्में, श्री राजकिरण रै जी. को बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है एवं आप औद्योगिक वित्त शाखा, क्षेत्र एवं अंचल कार्यालयों के प्रमुख रहे हैं. आपने अपने करियर की शुरुआत 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में की और देश के विभिन्न भागों में अनेक शाखाओं के प्रमुख के रूप में 17 वर्षों से अधिक कार्य करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त है. महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर उन्हें मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यभार सौंपा गया. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पूर्व आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई अंचल के क्षेत्र महाप्रबंधक थे.



**श्री राजकिरण रै जी.**

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**Shri Rajkiran Rai G.**  
Managing Director &  
Chief Executive Officer

आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू.के.) लि., यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड और यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड के अध्यक्ष और एक्सिम बैंक तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड पर निदेशक हैं.

श्री रै वर्तमान में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष हैं. आप आईबीए अध्यक्ष होने के साथ-साथ विभिन्न संगठनों के बोर्ड/काउंसिल में हैं तथा आईबीए की विभिन्न समितियों की अध्यक्षता भी कर रहे हैं.

उपर्युक्त के अलावा, वर्तमान में श्री रै निम्नलिखित पद पर हैं :

- नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि के लिए परामर्श बोर्ड के सदस्य
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्मिक प्रबंधन के लिए समुचित प्रशिक्षण एवं समुचित कार्यक्रमों को तैयार करने के संबंध में बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की परामर्श समिति के प्रमुख.
- भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईएएफ) के सदस्य
- ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान (बर्ड) के शासी निकाय के सदस्य
- भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के अध्यक्ष
- आंध्र प्रदेश राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के अध्यक्ष
- बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (बीआईआरडी), हैदराबाद के अध्यक्ष
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के शासी बोर्ड के अध्यक्ष
- राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) की वित्त समिति (एफसी) के शासी बोर्ड के सदस्य,
- वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली बैंकिंग कठिनाइयों के समाधान हेतु गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष

आपने कृषि विज्ञान में स्नातक किया है और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं. बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है. आप में सीखने की जिज्ञासा है एवं देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में विभिन्न कार्यपालक संवर्धन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं.

Shri Rajkiran Rai G. is Managing Director & CEO of Union Bank of India since July 1, 2017. Born on 19<sup>th</sup> May 1962, Shri Rai has more than three decades of rich banking experience which includes heading Industrial Finance Branch, Regions and Zonal Offices. Starting his career in 1986 as an Agricultural Finance Officer in Central Bank of India, Shri Rai rose through ranks while heading various branches at different parts of the country for more than 17 years. On his elevation as General Manager, he was given the responsibility of heading Human Resource Development Department. He was the Field General Manager of Mumbai Zone of Central Bank of India, when he was elevated to the post of Executive Director of Oriental Bank of Commerce.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

He is also the Chairman of Union Bank of India (U.K.) Limited, Union Asset Management Company, Pvt. Ltd. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited and UBI Services Limited and Director on the Board of EXIM Bank and United India Insurance Company Limited.

Shri Rai is presently Chairman of Indian Banks' Association (IBA). By virtue of being the IBA Chairman, he is also on Board / Council of various Organizations and is also chairing different committees of IBA.

Apart from the above, Shri Rai, presently holding the following positions:

- Member, Advisory Board for Financial Inclusion Fund of NABARD.
- Head, Committee to advise the Banker's Board Bureau (BBB) on evolving suitable training and development program for management personnel in Public Sector Banks.
- Member, Depositor Education & Awareness Fund of Reserve Bank of India.
- Member, Governing Council of Bankers Institute of Rural Development (BIRD).
- Chairman, Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).
- Chairman, State Level Bankers' Committee (SLBC), State of Andhra Pradesh.
- President, Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Development (BIRED), Hyderabad.
- Chairman, Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS).
- Member, Governing Board and Member, Finance Committee (FC) of National Institute of Bank Management (NIBM).
- Chairperson, Task Force for addressing banking difficulties faced by Senior Citizens constituted by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Govt. of India.

Shri Rai is an agricultural science graduate and also a certified member of Indian Institute of Bankers. He has also been conferred Honorary Fellowship by Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) in recognition of his invaluable contribution in the field of banking and finance. A vivid learner, he has benefitted of several executive development programmes at prestigious institutions of the country.



श्री गोपाल सिंह गुसाई  
कार्यपालक निदेशक

**Shri Gopal Singh Gusain**  
Executive Director

श्री गोपाल सिंह गुसाई ने दिनांक 20.09.2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। आप होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और ऋण अनुसंधान एवं नीति जैसे प्रमुख विभागों की देखरेख कर रहे हैं।

59 वर्षीय श्री गुसाई गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट सदस्य हैं। आप ट्रेजरी, इनवेस्टमेंट एवं जोखिम प्रबंधन में भी डिप्लोमा धारक हैं।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कैरियर प्रारम्भ करते हुए श्री गुसाई के पास 24 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों (फ्रील्ड) में तथा प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव है। आपको ऋण एवं जोखिम प्रबंधन में कार्य करने का गहन अनुभव है। आपने हांगकाँग परिचालनों के मुख्य कार्यपालक, ग्रुप मुख्य रिस्क ऑफिसर, ग्रुप अनुपालन अधिकारी एवं महाप्रबंधक वसूली और महाप्रबंधक कॉर्पोरेट क्रेडिट जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आप पीएनबी की उस टीम के कोर सदस्य थे, जिसने रिस्क मॉडेल्स एवं सिस्टम्स विकसित किया तथा लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट स्ट्रक्चर विचारधारा (संकल्पना) विकसित की। आप केंद्रीयकृत ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली के विकास से जुड़े रहे तथा आपने पीएनबी में ऋण संबंधी कार्रवाइयों के लिए ईएएसई (ईज) कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण किया। आपको ट्रेकिंग में गहन रुचि है।

Shri Gopal Singh Gusain assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 20.09.2018. He is overseeing key portfolios of Wholesale Banking, Treasury & International Banking and Credit Research & Policies.



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

Shri Gusain, aged 59 years, is a Science graduate from Garhwal University and is an Associate Member of Institute of Cost & Management Accountants of India and Indian Institute of Bankers. He also holds diploma in Treasury, Investment and Risk Management.

As a career banker with the Punjab National Bank (PNB), Shri Gusain has exposure of 24 years of working in field as well as administrative offices. He has worked in credit and risk management function extensively. He has held various positions such as Chief Executive of Hong Kong Operations, Group Chief Risk Officer, Group Compliance Officer, General Manager Recovery and General Manager Corporate Credit.

He was core member of team which developed risk models & systems of PNB and also developed concept of large corporate credit structure. He was involved in developing Centralized Loan Processing System and was over looking EASE implementation in PNB for credit related actions.

He has active interest in trekking.



श्री दिनेश कुमार गर्ग  
कार्यपालक निदेशक  
**Shri Dinesh Kumar Garg**  
Executive Director

श्री दिनेश कुमार गर्ग ने दिनांक 02.11.2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

59 वर्षीय, श्री गर्ग, इंदौर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में (प्रथम श्रेणी से) स्नातकोत्तर हैं, और आपने बी. कॉम ऑनर्स में विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में 5<sup>th</sup> स्थान प्राप्त किया है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं।

इस पदोन्नति से पूर्व, आप बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग तथा सिस्टम एवं मैनेजमेंट विभाग में महाप्रबंधक थे, जहां आपके नेतृत्व में विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार एवं ढांचागत परिवर्तन हुए एवं आपने ग्राहकों हेतु कई नए उत्पादों की शुरुआत की।

श्री गर्ग को तीन दशक से अधिक के बैंकिंग कैरियर में, शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों दोनों में गहन कार्य का अनुभव प्राप्त है। देश के कई भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न आकार की शाखाओं के प्रमुख होने के अलावा, आपने बिहार के मुजफ्फरपुर अंचल और मुंबई के दक्षिण अंचल (बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अंचल) के अंचल प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है।

महाप्रबंधक के रूप में, आपने वर्ष 2015-2017 के दौरान नई दिल्ली में स्थित (उत्तर भारत के 7 राज्यों को कवर करने वाले) सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैंक समूह (क्षेत्र महाप्रबंधक) उत्तर-1, महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। उत्तर-1, महाप्रबंधक के रूप में कार्यकाल के दौरान, आप कौशल विकास(भारत सरकार) की क्रेडिट फंड योजना की प्रबंधन समिति के सदस्य भी थे।

श्री गर्ग तीन वर्ष से अधिक समय तक विदेश के जापान केंद्र (टोकियो एवं ओसाका) में पदस्थ थे। आपने बैंक ऑफ इंडिया की सिंगापुर शाखा का निरीक्षण और लेखापरीक्षा का संचालन किया है।

Shri Dinesh Kumar Garg assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 02.11.2018.

Shri Garg, aged 59 years, is a post graduate in Commerce (First Class) from Indore University and held 5<sup>th</sup> Rank in Merit List of the University in B. Com. Honours. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Prior to his elevation, he was General Manager at Bank of India (BOI), heading Business Process Re-engineering and Systems & Management Department of the Bank where he was spearheading improvement in various processes, structural changes and developed various new products and customer offerings.

Shri Garg in his Banking Career of over three decades has worked extensively both in the field and administrative offices. Apart from heading various branches of all sizes in various geographic areas of the country, he also worked as Zonal Manager

of Muzaffarpur Zone, Bihar and Mumbai South Zone (largest zone of BOI).

As General Manager, he headed one of the largest and important National Banking Group (Field General Manager) North-1, headquartered at New Delhi (spread over 7 states of North India) during 2015-2017. During his tenure as General Manager, North-1, he was also designated as a member of Management Committee on Credit Fund Scheme for Skill Development (Govt. of India).

Shri Garg also had a stint Abroad at Japan Centre (Tokyo and Osaka) for more than three years. He had also conducted Inspection & Audit of Singapore Branch of Bank of India.



श्री मानस रंजन बिस्वाल  
कार्यपालक निदेशक

**Shri Manas Ranjan Biswal**  
Executive Director

श्री मानस रंजन बिस्वाल ने 01.03.2019 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है।

58 वर्षीय श्री बिस्वाल विज्ञान में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टीफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। आपने 1985 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण किया था तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व आप पीएनबी के कॉर्पोरेट कार्यालय में रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख थे।

श्री बिस्वाल एक अनुभवी बैंकर हैं, आपको विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने का 35 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। आपने पीएनबी, दुबई शाखा एवं मिडल ईस्ट ऑपरेशन में सीईओ के रूप में 3 वर्ष से अधिक तक तथा पीएनबी पूर्वांचल के अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। आप कॉर्पोरेट स्तर पर पीएनबी के ऋण अनुश्रवण एवं समीक्षा प्रभाग, वसूली प्रभाग, रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख रह चुके हैं।

Shri Manas Ranjan Biswal assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 01.03.2019.

Shri Biswal, aged 58 years is a Graduate in science and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He joined Punjab National Bank (PNB) in 1985 as a Management Trainee and prior to his elevation as Executive Director of Union Bank of India, He was General Manager at the Corporate Office of the PNB heading the Resolution and NCLT Division.

Shri Biswal is a seasoned banker with over 35 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices, Zonal Offices and Corporate Office Level. He has also worked for more than 3 years as CEO of PNB's Dubai Branch and Middle East operations and as Zonal Head of PNB's Eastern Zone. At Corporate level, he has headed the Credit Monitoring and Review Division, Recovery Division, Resolution and NCLT Division of PNB.



श्री नितेश रंजन  
कार्यपालक निदेशक  
**Shri Nitesh Ranjan**  
Executive Director

श्री नितेश रंजन ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार संभाला है। इस पद पर उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गयी है।

श्री रंजन सन् 2008 से बैंक से जुड़े हुए हैं। आप मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और संपूर्ण डिजिटलीकरण के रणनीतिक एजेंडा सहित बैंक के विजन तथा लक्ष्यों को दिशा प्रदान करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले, आप ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख रहे हैं। आपने बैंक में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, तुलन-पत्र प्रबंधन समूह के प्रमुख, मुख्य अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र प्रमुख जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। आपने अपने करियर की शुरुआत भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की और उसके बाद आपने आंध्रा बैंक में कार्य किया।

आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। आप पहले एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड और एफआईएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स संघ) के बोर्ड में थे। आप भारतीय विदेशी मुद्रा समिति (आईएफएक्ससी) के संस्थापक सदस्य भी थे।

यूनियन बैंक  
एन सी एन  
Union Bank  
of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



44 वर्षीय श्री नितेश रंजन अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आपने आईबीए एवं एगोन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श पर बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित आईआईएम बेंगलुरु का नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किया है। आपने टेक इंडिया पहल के तहत वंचित वर्ग के युवाओं के लिए 100 दिनों का 'स्पोकेन इंग्लिश प्रोग्राम' संचालित किया।

Shri Nitesh Ranjan is the Executive Director of Union Bank of India since March 10, 2021. He was appointed to this position by the Central Government.

Shri Ranjan has been with the Bank since 2008. He was Chief General Manager, responsible for steering Bank's vision and goals including strategic agenda of end-to-end digitization. Prior to this, he was the head of Treasury operations. He also occupied several important positions in the Bank, namely, Chief Investor Relations Officer, Head of Balance-Sheet Management Group, Chief Economist, and Regional Head. He started his career with Food Corporation of India as management trainee, and then moved to Andhra Bank.

He is a member of the Board of Directors of National Payments Corporation of India (NPCI). He was earlier on the board of SBI Global Factors Ltd. and FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). He was also a founding member of India Forex Committee (IFXC).

Shri Nitesh Ranjan, 44, is a post graduate in Economics. He has also completed Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. He dedicated 100 days for imparting 'Spoken English Programme' to underprivileged youth, under TechIndia initiative.

डॉ. मदनेश मिश्रा 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं, वर्तमान में, आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं।



**डॉ. मदनेश मिश्रा**

सरकार द्वारा नामित निदेशक

**Dr. Madnesh Mishra**

Government Nominee Director

आपको दिनांक 22.07.2016 से बैंक के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से संगठनात्मक व्यवहार में पीएचडी और उत्पादन इंजीनियरिंग में बी. टेक किया है। आपने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। आप भारत के राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लैब के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मॉट्रीयल में विश्व - डोपिंग विरोधी एजेंसी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक सदस्य थे।

वर्तमान में, आप भारतीय पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संस्था ट्रस्ट के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं तथा प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव के गवर्नर बोर्ड में सदस्य भी हैं।

डॉ. मिश्रा आईएसओ 9001 और आईएसओ 17025 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणित प्रमुख लेखा परीक्षक थे। आपने योग, समत्व और संगठनात्मक रचनात्मकता से संबंधित विषयों पर संगोष्ठियों में 9 लेख भी प्रस्तुत किए हैं। आपने अपनी पीएचडी थीसिस के दौरान व्यक्ति में समत्व को मापने के लिए साइकोमेट्रिक स्केल विकसित किया है।

Dr. Madnesh Mishra is an officer of Indian Revenue Service (IRS) belonging to 1990 batch. At present, he is a Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

He has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 22.07.2016. He has done Ph.D. in Organisational Behaviour from XLRI, Jamshedpur and B.Tech in Production Engineering. He has worked in various



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

capacities in Income Tax Department and on deputation in Ministry of Youth affairs and Sports as Executive Director of Sports Authority of India under Central Staffing Scheme. He was the first Chief Executive Officer of National Dope Testing Lab of Sports Authority of India and founding member of World Anti-Doping Agency representing India at Montreal.

At present, he is also Government nominee Director on the Boards of Pension Fund Regulatory & Development Authority, India, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Employee Provident Fund Organisation Trust and member in the Board of Governors of Management Development institute, Gurgaon.

Dr. Mishra was certified lead auditor of ISO 9001 and ISO 17025 Quality Management System. He has presented 9 papers in Seminars on topics related to Yoga, Samatva, Organisational Creativity and Sense Making in Organisation. He has developed psychometric scale to measure Samatva in a Person as his Ph.D. thesis.



**श्री अरुण कुमार सिंह**  
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक  
**Shri Arun Kumar Singh**  
RBI Nominee Director

वर्तमान में श्री अरुण कुमार सिंह अप्रैल 2019 से, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर हैं तथा राजस्थान राज्य में मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग / गैर बैंकिंग विकास, सरकारी बैंकिंग आदि के क्षेत्र में केंद्रीय बैंकिंग का निर्वहन कर रहे हैं.

आपने 30 वर्ष पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य करने से पूर्व वाणिज्यिक बैंक में कार्य किया है तथा आपको भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, गैर-बैंकिंग एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है. आप गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य से लंबी अवधि से जुड़े रहे तथा आपने उत्तर क्षेत्र की ऐसी कई कंपनियों में प्रधान निरीक्षक अधिकारी के रूप में सेवाएँ प्रदान की हैं. आपने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों हेतु प्रधान निरीक्षक अधिकारी / वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है तथा आप प्रक्रिया एवं विकास से संबंधित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के साथ-साथ बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा से जुड़े रहे. आप बैंकों की नियामक नीति तैयार करने में शामिल रहे हैं तथा आपने मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया के तहत नियामक एवं विकास मामलों में सहायता प्रदान की. इसके अतिरिक्त, आपने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नामित निदेशक के रूप भी सेवाएँ प्रदान की हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान तकनीकी विकास, खासतौर से ई - कुबेर प्लेटफॉर्म पर मुद्रा प्रबंधन व सरकारी बैंकिंग, उद्यम पहुँच प्रबंधन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, बोर्ड मीटिंग सोल्यूशन, अन्य आंतरिक ऐप आदि के क्षेत्र में आपकी अग्रणी भूमिका रही है.

श्री अरुण कुमार सिंह ने अर्थशास्त्र में स्नातक तथा वित्त एवं मानव संसाधन में एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है. आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टीफाइड एसोसिएट (सीआईआईबी) भी हैं.

Shri Arun Kumar Singh is currently Regional Director, Reserve Bank of India at Jaipur since April 2019 and is fulfilling his Central Banking responsibilities in the area of currency management, financial inclusion, financial literacy, banking / non-banking development, Government banking, etc. in the state of Rajasthan.

He had worked in commercial bank before he joined Reserve Bank of India 30 years back and has had a wide & rich experience of working in RBI in various capacities in the areas of Government Banking, Financial Inclusion, Non-Banking and Banking Supervision, Banking Regulation, Monetary Policy, Information Technology, etc. He was actively engaged in regulation and supervision of non-banking financial companies for long period and also served as Principal Inspecting Officer for a number of such companies in the northern region. He has acted as Principal Inspecting Officer / Senior Supervisory Manager for various commercial banks and was associated with Asset Quality Review of banks as well as Risk based Supervision (RBS) related processes and development. He was involved in framing regulatory policies for banks as well and assisted in regulatory and development issues under monetary policy formulation process. Besides, he also served as a nominee director on one Regional Rural Bank. During the last one year of his stint in Central Office at Mumbai, he was at the forefront of technology development in Reserve Bank of India, particularly in the area of currency management & Government banking on e-Kuber platform, Enterprise Access Management System, Electronic Document Management System, Board Meeting Solution, other Internal Apps, etc.

Shri Singh has done his Graduation in Economics and MBA in Finance and HR. He is also a Certified Associate of the India Institute of Banking (CAIIB).

**यूनियन बैंक**  **Union Bank**  
of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



डॉ. उत्तम कुमार सरकार  
शेयरधारक निदेशक

**Dr. Uttam Kumar Sarkar**  
Shareholder Director

डॉ. उत्तम कुमार सरकार को दिनांक 28.06.2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः चयनित किया गया है। आपने कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में पीएच.डी. और एम.टेक की उपाधि प्राप्त की है। आपको शिक्षण क्षेत्र में 28 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, आप भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता में प्रबंधन सूचना प्रणाली समूह के प्रोफेसर हैं।

डॉ. सरकार जून, 2015 से जून, 2018 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड के निदेशक और अप्रैल, 2015 से अप्रैल, 2018 तक आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क के निदेशक मंडल के सदस्य थे। आप फ्लॉरिडा विश्वविद्यालय, यूएसए में अतिथि प्रोफेसर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली में सहायक प्रोफेसर थे। आपके अनुसंधान प्रकाशन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं और आप शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं स्वचालन के क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए परामर्शी कार्यों से जुड़े थे।

Dr. Uttam Kumar Sarkar has been re-elected as a Shareholder Director of Union Bank of India w.e.f. 28.06.2018 for a period of three years. He is Ph.D. & M.Tech in Computer Science & Engineering. He has more than 28 years of teaching experience. Presently, he is Professor of Management Information System Group at Indian Institute of Management (IIM), Calcutta.

Dr. Sarkar was a Director on the Board of the Union Bank of India from June, 2015 to June, 2018 and a Member of the Board of Directors of IIM Calcutta Innovation Park from April, 2015 to April, 2018. He was a Visiting Professor at University of Florida, USA and Assistant Professor at Indian Institute of Technology (IIT), Delhi. His research publications appeared in major international journals and he carried consulting assignments for the Government of India in areas including education, food processing, agriculture and automation.



श्री के. कदिरेसन  
शेयरधारक निदेशक

**Shri K. Kadiresan**  
Shareholder Director

श्री के. कदिरेसन बैंक में दिनांक 28 जून, 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयर धारक निदेशक नियुक्त हुए हैं। उन्होंने विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर एवं कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आप भारतीय जीवन बीमा के दक्षिण अंचल के अंचल प्रमुख हैं जिसमें तमिलनाडु और केरल राज्य के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी एवं माहे भी शामिल है। इससे पूर्व, आप भारतीय जीवन बीमा निगम (पेंशन एवं समूह योजना) के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री कदिरेसन को जीवन बीमा उद्योग के महत्वपूर्ण विभागों जैसे विपणन, कॉर्पोरेट संप्रेषण, वित्त व लेखा, मानव संसाधन एवं निवेश परिचालन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। इससे पूर्व आप भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्णतः स्वामित्व वाली ओवरसीज सहायक कंपनी एलआईसी सिंगापुर प्रा. लि. के प्रथम सीईओ रहे हैं।

Shri K. Kadiresan has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 28.06.2018 for a period of three years. He is a Master of Marketing Management and Master of Arts. He is the Zonal Manager of Southern Zone of Life Insurance Corporation of India, comprising of the States of Tamil Nadu and Kerala as well as the Union Territories viz. Pondicherry and Mahe. Prior to this, he was the Executive Director (Pension & Group Schemes) of Life Insurance Corporation of India.

Shri Kadiresan has over 3 decades of experience in the Life Insurance Industry, in pivotal departments such as Marketing, Corporate Communication, Finance & Accounts, Human Resources & also Investment Operations. He has served as the first CEO of the LIC's wholly owned overseas subsidiary LIC Singapore Pte. Ltd.





डॉ. जयदेव मद्गुला  
शेयरधारक निदेशक

**Dr. Jayadev Madugula**  
Shareholder Director

डॉ. जयदेव मद्गुला को दिनांक 28 जून 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने कॉमर्स में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी किया है। वर्तमान में, आप आईआईएम बेंगलोर में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं।

डॉ. जयदेव को न केवल भारत की प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है। आपने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने शोध संबंधी लेखों का प्रकाशन किया है तथा आपने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार एवं प्रशंसा अर्जित की है। आप 28 जून, 2018 से 27 जून, 2021 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। आप स्पिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एवं यगनम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

Dr. Jayadev Madugula has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 28.06.2021 for a period of three years. He is Post Graduate in Commerce and Ph.D. in Business Management. Presently, he is Professor of Finance & Accounting at IIM, Bangalore.

Dr. Jayadev has rich experience of teaching not only in premier institutions in India but also as a Visiting Professor in various universities abroad. He has published various books and research articles in national and international journals and has won various awards and accolades in the field of education. He was the Shareholder Director of the Bank from June 28, 2018 to June 27, 2021. He is a member of Board of Directors of Spin Technologies Pvt. Ltd. and Yagnam Ventures Pvt.Ltd.

## मुख्य सतर्कता अधिकारी/

श्री उमेश कुमार सिंह

## CHIEF VIGILANCE OFFICER

यथा/As on 31.03.2021

Shri Umesh Kumar Singh

## मुख्य महाप्रबंधक / CHIEF GENERAL MANAGERS

1	श्री एस. नारायणन	Shri S. Narayanan
2	श्री एस. के. मोहापात्रा	Shri S.K. Mohapatra
3	श्री सुंदरा प्रसाद एस.वी. एस.	Shri Sundara Prasad S.V.S.
4	श्री अशोक चन्द्र	Shri Ashok Chandra
5	श्री के. भास्कर राव	Shri K. Bhaskara Rao
6	श्री एम. वी. बालासुब्रमण्यम	Shri M. V. Balasubramanyam
7	श्री आशीष पाण्डेय	Shri Asheesh Pandey
8	श्री ए. के. विनोद	Shri A. K. Vinod
9	श्री कल्याण कुमार	Shri Kalyan Kumar
10	श्री पी. सत्यनारायण	Shri P. Satyanarayana
11	श्री वी. वेंकटेश्वर राव	Shri V. Venkateswara Rao
12	श्री लाल सिंह	Shri Lal Singh
13	श्री डि. शिव कुमार शर्मा	Shri D. Shiva Kumar Sharma


## महा प्रबंधक / GENERAL MANAGER

यथा/As on 31.03.2021


1 श्री एस. एन. कौशिक	Shri S. N. Kaushik	31 श्री एन. आर. सामल	Shri N. R. Samal
2 डॉ. के.एल.राजु	Dr. K. L. Raju	32 श्री प्रमोद कुमार सोनी	Shri Pramod Kumar Soni
3 श्री वि. मुथुकृष्णन	Shri V. Muthukrishnan	33 श्री सी. एम. मिनोचा	Shri C.M.Minocha
4 श्री एम. वेंकटेश	Shri M. Venkatesh	34 श्री अरुण कुमार	Shri Arun Kumar
5 श्री लक्ष्मीनारायण रथ	Shri Laxminarayan Rath	35 श्री सुदर्शन भट	Shri Sudarshana Bhat
6 श्री बी. श्रीनिवास राव	Shri B. Sreenivasa Rao	36 श्री राजीव मिश्रा	Shri Rajiv Mishra
7 श्री के. टी. वेणुमाधव	Shri K.T. Venumadhav	37 श्री प्रफुल्ल कुमार सामल	Shri Prafulla Kumar Samal
8 श्री के.एस.डी.एस.वी. प्रसाद	Shri K.S.D.S.V. Prasad	38 श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	Shri Pramod Kumar Gupta
9 श्री योगेन्द्र सिंह	Shri Yogendra Singh	39 श्री पवन कुमार दास	Shri Pawan Kumar Das
10 श्री अतुल कुमार	Shri Atul Kumar	40 श्री ए. आर. राघवेन्द्र	Shri A. R. Raghavendra
11 श्री बी उमा शंकर	Shri B. Uma Sankar	41 श्री पी. रामा कृष्ण चौधरी	Shri P. Rama Krishna Chowdary
12 श्री जगमोहन सिंह	Shri Jagmohan Singh	42 श्रीमती एस. अन्नपूर्णा	Smt. S. Annapurna
13 श्री प्रवीण शर्मा	Shri Pravin Sharma	43 श्री एम. एच. पद्मनाभम	Shri M. H. Padmanabham
14 श्री वी. वी. टेम्भुर्णे	Shri V. V. Tembhurne	44 श्रीमती बीना वाहिद	Smt. Beena Vaheed
15 श्री जी.एम. बेल्लद	Shri G.M. Bellad	45 श्री बी. श्रीनिवास शेटी	Shri B. Srinivasa Setty
16 श्री एन. मल्लावधानुलु	Shri N. Mallavadhanulu	46 श्री आर. रतीष	Shri R. Ratheesh
17 श्री डी. चन्द्र मोहन रेड्डी	Shri D. Chandra Mohan Reddy	47 श्री अमरेन्द्र कुमार	Shri Amarendra Kumar
18 श्री बी. एस. वेंकटेश	Shri B. S. Venkatesha	48 श्री एम. वेंकटेश्वर स्वामी	Shri M. Venkateswara Swamy
19 श्री एस. वी. बीजू	Shri S. V. Biju	49 श्री बिनोद कुमार पटनायक	Shri Binod Kumar Pattanaik
20 श्री अभिजीत बसाक	Shri Abhijit Basak	50 श्री ज्ञान रंजन सारंगी	Shri Gyana Ranjan Sarangi
21 श्री सी. वी. रघुनाथ	Shri C.V. Raghunath	51 श्री राम कुमार जगलान	Shri Ram Kumar Jaglan
22 श्री वी. बी. रेड्डी	Shri V. B. Reddy	52 श्री आर.पी. शिवाराम	Shri R. P. Sivaram
23 श्री सीएच. श्रीनिवास शास्त्री	Shri CH. Srinivasa Sastry	53 श्री एस.के.दाश	Shri S. K. Dash
24 श्री टाटा वेंकट वेणुगोपाल	Shri Tata Venkat Venugopal	54 श्री आर. एल. पट्टनायक	Shri R. L. Pattanayak
25 श्री आर. प्रधान	Shri R. Pradhan	55 श्री नवीन जैन	Shri Naveen Jain
26 श्री डी. सुंदर	Shri D. Sunder	56 श्री एम.बाबू रवींद्र	Shri M. Babu Ravindra
27 श्री डी. बी. धनुम्जय राव	Shri D. B. Dhanumjaya Rao	57 श्री सुमित श्रीवास्तव	Shri Sumit Srivastava
28 श्री एस. सी. तेली	Shri S. C. Teli	58 श्री भालचंद्र रमन राव अकोलकर	Shri Bhalchandra Raman Rao Akolkar
29 श्री शैलेश कुमार सिंह	Shri Shailesh Kumar Singh,		
30 श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril		



# संगठनात्मक संरचना



# Organisation Structure



## वित्त वर्ष 2020-21 की मुख्य बातें

- बैंक का वैश्विक कारोबार रु. 1577490.00 करोड़ रहा. समामेलन अवधि के पूर्व यूबीआई का वैश्विक कारोबार रु. 797589 करोड़ था.
- कुल वैश्विक जमाराशियाँ रु. 923805 करोड़ रही.
- सकल वैश्विक कारोबार रु.653684 करोड़ रहा.
- कासा जमाराशियाँ 31.03.2021 को रु. 335592 करोड़ रही.
- शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2021 में बढ़कर रु.24820 करोड़ हो गयी.
- वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.47%रहा जबकि घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.51% रहा.
- अन्य आय 31.03.2021 को रु.11337 करोड़ रही.
- परिचालन लाभ यूबीआई के समामेलन के पूर्व वित्तीय वर्ष 2020 के रु. 9181 करोड़ की तुलना में रु.19259 करोड़ रहा.
- अग्रिमों पर आय वित्तीय वर्ष 2020 (यूबीआई के समामेलन के पूर्व) के 7.81% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021 में 7.21% रही.
- आय लागत अनुपात 46.54% रहा.
- सकल एनपीए अनुपात 31.03.2021 को 13.74 % हो गया.
- शुद्ध एनपीए अनुपात 31.03.2021 को 4.62 % रहा.
- प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2021 को 81.27 % रहा.
- बासल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 31.03.2021 को 10.875% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 12.56% रहा. टियर-I और कॉमन इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात 31.03.2021 को क्रमशः 10.35% और 9.07% रहा.



## Highlights for FY 2020-21

- Global Business stood at Rs 1577490.00 Cr. The Global business was Rs 797589 Cr for UBI preamalgamation period.
- Total Global Deposits stood at Rs 923805 Cr
- Global Gross Advances stood at Rs 653684 Cr
- CASA Deposit stood at Rs 335592 Cr as on 31.03.2021.
- Net Interest income for the FY 21 improved to Rs 24820 Cr
- Global NIM stood at 2.47%, while domestic Net Interest margin stood at 2.51 %.
- Other income stood at Rs 11337 Cr as on 31.03.2021.
- Operating Profit stood at Rs 19259 Crore as compared to Rs 9181 Cr for the preamalgamated UBI for FY 20.
- Yield on advances stood at 7.21 % for FY 21 as against 7.81% in FY 20 (UBI preamalgamated)
- Cost to income ratio stayed at 46.54%
- GNPA ratio came at 13.74 % as on 31.03.2021.
- The Net NPA ratio stood at 4.62 % as on 31.03.2021.
- Provision Coverage Ratio stood at 81.27 % as on 31.03.2021.
- CRAR under Basel III stood at 12.56 % as on 31.03.2021 against the minimum regulatory requirement of 10.875%. Tier 1 and CET 1 capital stood at 10.35% and 9.07% respectively as on 31.03.2021.

## महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र.सं.	विवरण % (प्रतिशत में)	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
1	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां (एडबल्यूएफ)	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.6	6.71	6.85	6.82	6.34
2	ब्याज व्यय/एडबल्यूएफ	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53	4.8	4.79	4.72	4.06
3	ब्याज स्प्रेड/एडबल्यूएफ	3.14	3.02	2.76	2.4	2.34	2.16	2.07	1.91	2.05	2.09	2.28
4	गैर-ब्याज आय/एडबल्यूएफ	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16	1.02	0.9	0.96	1.05
5	परिचालन व्यय/एडबल्यूएफ	2	1.77	1.65	1.67	1.7	1.62	1.5	1.38	1.44	1.38	1.55
6	लागत आय अनुपात	47.85	43.15	44.7	51.24	51.34	52.1	46.42	47.26	48.8	45.02	46.54
7	सकल (परिचालन) लाभ/एडबल्यूएफ	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73	1.54	1.51	1.68	1.78
8	नेट वर्ध पर प्रतिलाभ	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86	(27.99)	(15.57)	(12.52)	6.68
9	अंतिम आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12	(1.08)	(0.60)	(0.53)	0.27
10	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13	(1.07)	(0.59)	(0.53)	0.27
11	अग्रिमों पर प्रतिफल	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72	7.67	7.71	7.81	7.21
12	जमाराशियों की लागत	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7	6.28	5.66	5.57	5.56	4.66
13	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	-	-	-	-	0
14	ऋण जमा अनुपात	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45	78.18	79.27	78	71.06
15	ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)- जमा अनुपात	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82	83.77	86.96	88.35	81.30
16	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III)	-	-	-	10.8	10.22	10.56	11.79	11.5	11.78	12.81	12.56
	टियर I	-	-	-	7.54	7.5	8.14	9.02	9.07	9.48	10.75	10.35
	टियर II				3.26	2.72	2.42	2.77	2.43	2.3	2.06	2.21

## महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र.सं.	विवरण	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
1	कर्मचारी (संख्या)	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877	37587	37262	37318	78202
2	शाखाएँ (संख्या)	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282	4301	4292	4284	9315
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)*	10.43	10.7	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43	17.83	18.79	20.06	19.23
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	15.52	17.04	17.56	15.44	16.4	16.13	20.15	20.06	20.18	24.6	24.63
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	7.5	5.8	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51	(13.96)	(7.91)	(7.77)	3.72
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	95.93	103.11	110.05	120.16	125.8	130.96	141.5	155.8	163.16	174.76	161.41
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74	1.78	1.75	2.14	2.07
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13	(1.22)	(0.69)	(0.68)	0.31
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08	(69.45)	(25.08)	(12.49)	4.54
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76	157.4	107.36	67.64	67.91

नोट : \* औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल गैर-ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
परिचालन व्यय	: कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटाएँ
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	: परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
आय लागत अनुपात	: परिचालन व्यय/ गैर-ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ/एडब्ल्यूएफ	: सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर)

**यूनियन बैंक**  **Union Bank**  
of India

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



आस्तियों पर प्रतिफल	: शुद्ध लाभ/कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
अग्रिमों पर आय	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज/औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें.
लाभांश भुगतान अनुपात	: कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश/शुद्ध लाभ (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम/ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां-अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधित तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमाराशि अनुपात	: कुल अग्रिम + गैर एसएलआर निवेश-अनुषंगी इकाइयों में निवेश/ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें.
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें
प्रति शेयर बही मूल्य	: नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें

## Key Financial Indicators

S.No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.6	6.71	6.85	6.82	6.34
2	Interest Expenses/AWF	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53	4.8	4.79	4.72	4.06
3	Interest Spread/AWF	3.14	3.02	2.76	2.4	2.34	2.16	2.07	1.91	2.05	2.09	2.28
4	Non-Interest Income/AWF	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16	1.02	0.9	0.96	1.05
5	Operating Expenses/AWF	2	1.77	1.65	1.67	1.7	1.62	1.5	1.38	1.44	1.38	1.55
6	Cost Income Ratio	47.85	43.15	44.7	51.24	51.34	52.1	46.42	47.26	48.8	45.02	46.54
7	Gross (Operating) Profit/AWF	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73	1.54	1.51	1.68	1.78
8	Return on Net Worth	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86	(27.99)	(15.57)	(12.52)	6.68
9	Return on Terminal Assets	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12	(1.08)	(0.60)	(0.53)	0.27
10	Return on Average Assets	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13	(1.07)	(0.59)	(0.53)	0.27
11	Yield on Advances	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72	7.67	7.71	7.81	7.21
12	Cost of Deposits	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7	6.28	5.66	5.57	5.56	4.66
13	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	-	-	-	-	0
14	Credit - Deposit Ratio	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45	78.18	79.27	78	71.06
15	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82	83.77	86.96	88.35	81.30
16	Capital Adequacy Ratio (Basel III)	-	-	-	10.8	10.22	10.56	11.79	11.5	11.78	12.81	12.56
	Tier I	-	-	-	7.54	7.5	8.14	9.02	9.07	9.48	10.75	10.35
	Tier II				3.26	2.72	2.42	2.77	2.43	2.3	2.06	2.21

S .No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
1	Employees (Number)	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877	37587	37262	37318	78202
2	Branches (Number)	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282	4301	4292	4284	9315
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	10.43	10.7	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43	17.83	18.79	20.06	19.23
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	15.52	17.04	17.56	15.44	16.4	16.13	20.15	20.06	20.18	24.6	24.63
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	7.5	5.8	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51	(13.96)	(7.91)	(7.77)	3.72
6	Business per branch (Rs in Crore) *	95.93	103.11	110.05	120.16	125.8	130.96	141.5	155.8	163.16	174.76	161.41
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74	1.78	1.75	2.14	2.07
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13	(1.22)	(0.69)	(0.68)	0.31
9	Earnings per Share (in Rupees)	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08	(69.45)	(25.08)	(12.49)	4.54
10	Book Value per Share (in Rupees)	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76	157.4	107.36	67.64	67.91

Note : \* Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	: Fornightly average of total assets
Average Deposits	: Fornightly average of total deposits
Average Advances	: Fornightly average of total advances
Average Business	: Total average deposits and average advances
Average Investments	: Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	: Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	: Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	: Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	: Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	: Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	: Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	: Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	: Operating profit divided by AWF
Return on Net Worth	: Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	: Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	: Net Profit / AWF
Yield on Advances	: Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	: Interest paid on deposits divided by average deposits

Dividend Payout Ratio	: Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	: Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	: Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	: Average Deposits (excluding Bank Deposits ) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	: Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	: Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	: Average Deposits (excluding Bank Deposits ) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	: Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	: Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	: Net Profit divided by equity share capital
Book Value per share	: Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital



## 19वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 की विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की 19वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक को अभिप्रेत स्थान) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

### सामान्य कारोबार:

#### मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2021 के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

### विशेष कारोबार:

#### मद क्र. 2

#### पूँजी की उगाही

विचारोपरान्त उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

**"संकल्प किया** कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम") की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("योजना") के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 ("विनियमन") एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्वधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूँजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियमन], सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्वधीन बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की

जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाए एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर ऐसे इक्विटी शेयर और/ अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो, रु. 3,500 करोड़ (रुपये तीन हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) के इक्विटी शेयर जो रु. 6834.74 करोड़ (रुपये छः हजार आठ सौ चौतीस एवं चौहतर करोड़ मात्र), के विद्यमान पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी सहित बैंक के कुल रु. 10000 करोड़ के प्राधिकृत पूँजी के अधीन होंगे, जो इस धारा की 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार कि किसी भी स्थिति में भारत के केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूँजी के 51%से कम न हो; एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, उद्यम पूँजी निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं, को पूँजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/ या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए".

**"पुनः संकल्प किया** कि इक्विटी/अधिमान शेयर प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईबी); फॉलोऑन पब्लिक निर्गम, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह शेयरधारकों के साथ या उसके बिना, उनकी पात्रता को त्यागते हुए, आम शेयरधारकों की अधिकार निर्गम, डिपॉजिटरी रसीद/ एडीआर/ जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट, एम्लॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम या बैंक के एम्लॉयी स्टॉक पर्वेस स्कीम या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, इक्विटी / अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थापन या आबंटन, अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

**"पुनः संकल्प किया** कि उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम

न हों, तो लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/ या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी अन्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, और/ या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

“पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजार के साथ किए गए लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैटक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में “सम्यक प्राधिकारी” कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत के केंद्र सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो।”

“पुनः संकल्प किया कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

- प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा। ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
- आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है।
- प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार होगा।”

“पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/एफआईआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन द्वारा किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियमकों, यथालागू द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अधधीन होगा।”

“पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैटक) विनियमन, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अधधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे।”

“पुनः संकल्प किया कि निर्गमित इक्विटी शेयरों को, स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर्स, अभिगोपक(कों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) तथा अन्य ऐसी एजेन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य

संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है।”

“पुनः संकल्प किया कि ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है।”

### मद क्र. 3:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) के भाग 9 (3) (i), जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद “बीआर अधिनियम” के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद “योजना” के रूप में संदर्भित) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैटर्क) विनियमन, 1998 (इसके बाद “विनियमन” के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाए एवं पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए “उपयुक्त एवं यथोचित” मानदंड पर अधिसूचना क्रमांक डीबीआर.एटीटीपी.नं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 को जारी “आरबीआई के मास्टर निर्देश” जो (इसके बाद “आरबीआई के मास्टर निर्देश” के रूप में संदर्भित और इसके बाद यदि कोई संशोधन हो तो) जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशकों हेतु विचार करने के लिये भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2015 और दिनांक 8 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों (इसके बाद “भारत सरकार के दिशानिर्देश” के रूप में संदर्भित एवं इसके अतिरिक्त संशोधन, यदि कोई हो,) के साथ पढ़ा जाए, के नियमों के अनुसार प्राप्त वैध नामांकनों में से केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव करने के लिए और विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि अधिनियम 1970, के खंड 9(3)(i) के अनुसार, जिसे इसके आधार पर बनी संबंधित योजना, विनियमन एवं अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित एक

निदेशक, को बैंक के निदेशक के रूप में एतद्वारा निर्वाचित किया गया जो चयनित तारीख/ चयनित माने हुए तारीख से कार्यग्रहण करेंगे और कार्यग्रहण की तिथि से 3 साल पूरा होने तक इस पद पर रहेंगे”.

निदेशक मण्डल के आदेश से  
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

*Mangesh Mandrekar*

स्थान: मुंबई

दिनांक : 05.07.2021

नोट्स

(मंगेश मांद्रेकर)  
कंपनी सचिव

### 1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

### 2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन

ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (“एमसीए परिपत्र”) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 एवं 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020 एवं 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी परिपत्र”) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (“सूचीबद्धता विनियमन”), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक महासभा (एजीएम) बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. कारोबार मद क्र. 2 एवं 3 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 19वीं एजीएम में वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं.

यूनियन बैंक Union Bank of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है।

- सी) केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- डी) एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- ई) चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।
- एफ) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात् 10.45 (आईएसटी) पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित में वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है। वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 14(vii) में वर्णित विवरणों के साथ <https://emeetings.kfintech.com> में कृपया जुड़ें। बैठक के दौरान या उससे पहले तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है।
- जी) सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी। बड़े शेयरधारकों (अर्थात् ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं। संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम

सुविधा के माध्यम से 19वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी।
- आई) चूंकि एजीएम, वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जाती है। अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और एमसीए परिपत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा कोई प्रोक्सी स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- जे) वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम **रविवार, 8 अगस्त, 2021 को शाम 5 बजे** तक किया जा सकता है। स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें। बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 12 में प्रदत्त, अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलीओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रूप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं।
- के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंग: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं।
- एल) भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात् **बुधवार, 4 अगस्त, 2021** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रेस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयर धारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे



पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे.

### 3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तदनुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इस कारण, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

### 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय, निगम, जो बैंक का शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 5 अगस्त, 2021** को कार्य-समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाता है.

### 5. बुक क्लोजर

एजीएम के उद्देश्य के लिए बैंक का शेयरधारक रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक **बुधवार, 04 अगस्त, 2021 से मंगलवार, 10 अगस्त, 2021** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे.

### 6. अदावाकृत / अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें ``अदत्त लाभांश खाते`` में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त ``अदत्त लाभांश खाते`` में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 (अन्तरिम) तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वर्ष 2013-14 (अंतिम) से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/ CustomerList.aspx> का अवलोकन कर सकते हैं. अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है.

### 7. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैनडेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (``डीपी``) के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैनडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. ऐसे परिवर्तनों से शेयरधारक के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अवगत कराया जाए.

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें:

**डाटा मैटिक्स बिजनेस सोल्यूशंस लि.,**

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट बी, एमआईडीसी,

क्रॉस लेन, मरोल,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.

दूरभाष संख्या: 022-66712001-6.

सी) बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला प्रारूप बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है.

डी) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

ई) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें .



## 8. स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डेटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशंस लि. को तत्काल सूचित करें:

- स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.
- भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

## 9. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कोविड-19 महामारी और लॉक डाउन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 की भौतिक प्रतियां नहीं दी जाएंगी और यह केवल उन शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी बैंक या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है. बैंक की वेबसाइट एवं स्टॉक एक्सचेंज पर वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी. ई-मेल आईडी अद्यतन के लिए शेयरधारक भौतिक शेयरों के मामले में रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को या शेयर डिमेट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को संपर्क करें.

## 10. कट ऑफ तिथि

**चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु:**

कार्यकाल अवधि अर्थात् **12 जुलाई, 2021** की समाप्ति तक एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त शेयरधारकों के रजिस्ट्रार में जिन शेयरधारकों के नाम हितधारक स्वामित्व के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं वे चुनाव में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात् सूचना के कारोबार मद क्र. 3 में वर्णित के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से ही निदेशक के लिए चुनाव में नामित होने एवं चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे.

### ई-वोटिंग के लिए:

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1, 2 एवं 3 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **बुधवार 4 अगस्त, 2021** को मान्यता दी जाएगी.

## 11. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.**

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो **कट ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, 4 अगस्त, 2021** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्ट्रार में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

## 12. लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं के संबंध में जानकारी

जो शेयरधारक लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे, अनुरोध है कि वे बैंक को [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) पर मेल करें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व बैंक को **8 अगस्त, 2021 को शाम 5 बजे तक** प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे. कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब किए जाएंगे जो कट-ऑफ तारीख यथा **4 अगस्त, 2021** को शेयरधारक हैं.

साथ ही, जिन शेयरधारकों के पास कट-ऑफ तारीख को शेयर उपलब्ध हैं वे <https://emeetings.kfintech.com> वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और **“post your queries here”** पर क्लिक करके प्रश्न/शंकाओं को पोस्ट कर सकते हैं. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, विंडो सक्रिय हो जाएगा और **8 अगस्त, 2021 को शाम 5 बजे** बंद हो जाएगा.

## 13. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक भागीदार को स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं बैंक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है. सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखते हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपने पैन का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें. भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को अपने पैन का विवरण प्रस्तुत करें. सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से केवल अमूर्तीकृत रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है. भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि अपने रखे हुए भौतिक शेयरों से संबंध सभी जोखिमों को दूर करने के लिए अमूर्तीकरण रूप में बदलने पर विचार किया जाए और पोर्टफोलियों प्रबंधन की सुविधा के लिए वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें, जहां वे डीमेट खाते को संचालित करते हैं.

## 14. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

- कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (“आईसीएसआई”) द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने



## महत्वपूर्ण नोट:

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए / पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें।

**डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क.**

एनएसडीएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए	सीडीएसएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए
लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेज कर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।	लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क <a href="mailto:evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 या 022-23058542- 43 पर संपर्क कर सकते हैं।

**(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों – डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए लॉगिन.**

आप ई-वोटिंग सविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।

**भौतिक स्वरूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति**

- ई-मेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है।
- इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में <https://evoting.kfintech.com> यूआरएल टाइप करें।
- आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लिक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा। तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- आप पासवर्ड चेंज मैनुअल में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा। नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@, #, \$ आदि) होने चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

एफ. आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा।

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको **EVENT** अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा।

एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।

आई. 'SUBMIT' बटन पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। पुष्टि हेतु 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' को क्लिक करें। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग अवधि के दौरान जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं।

जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/ डीमैट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।

के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो [info@jmja.in](mailto:info@jmja.in) ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVEN No.....' के प्रारूप में रखें।

viii. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, <https://evoting.Kfintech.com> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें।

ix. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर ई-मेल भेजें या 1800309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात **बुधवार, 4 अगस्त, 2021** को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।

- xi. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.
- xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.
- xiii. मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी ढंग से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें.
- xiv. वार्षिक महासभा बैठक शुरु होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

#### 15. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) तथा केफिनटेक की वेबसाइट: <https://evoting.kfintech.com> उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

#### 16. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे.

#### 17. बैठक का परिणाम

बैंक के प्रधान कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्यक्षीय संकल्प (पों) को पारित माना जाएगा.

#### 18. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओपीएम के माध्यम से हुई वार्षिक महासभा की कार्यवाही को बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) के निवेशक संबंध अनुभाग के अधीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

#### 19. शेयरधारक निदेशक हेतु उम्मीदवार के लिए योग्यता

उम्मीदवार अधिनियम की धारा 9(3ए) में निर्दिष्ट पात्रता का अनुपालन करेंगे एवं योजना के खंड 10 में विनिर्दिष्ट अपात्रता से प्रभावित नहीं होंगे तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 में वर्णित शर्तों को पूरा करेंगे, जो निम्नलिखित हैं:

- (ए) अधिनियम के धारा 9(3ए) के संदर्भ में, उम्मीदवार जो बैंक के शेयरधारक होने के नाते और अधिनियम की धारा 9(3)(1) के तहत बैंक के निदेशक के रूप चुने जाने की इच्छा रखता है तो
  - (ए) निम्नलिखित एक या एक से अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए अर्थात:
    - कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
    - बैंकिंग
    - सहकारिता
    - अर्थशास्त्र
    - वित्त
    - विधि
    - लघु उद्योग
  - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना, भारतीय रिजर्व बैंक के राय में बैंक के लिए काफी उपयोगी है.
- बी) जमाकर्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करना ; या
- सी) किसानों, कर्मियों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना

- बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, बैंक के शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक चुने जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को उपयुक्त एवं उचित स्थिति में होना चाहिए.
- सी) इसके साथ ही, चयनित निदेशक को प्रसंविदा के विलेख को निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.

#### 20. बैंक के निदेशक रूप में चयनित न किए जाने की अयोग्यता:

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार, उम्मीदवार को बैंक के निदेशक के रूप में चयनित करने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा यदि :
  - ए) यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान निलंबित किया गया हो या ऋणदाताओं के साथ समझौता किया हो ; या
  - बी) यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए और सक्षम अदालत द्वारा इसकी घोषणा की गई हो ; या
  - सी) यदि उसे नैतिक अधमता जैसे अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो; या
  - डी) यदि उसने भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) या या भारतीय स्टेट बैंक (सहायकी बैंकों) अधिनियम,

1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के लाभ का पद ग्रहण किया हो, लेकिन पूर्णकालिक निदेशक के लाभ के पद ग्रहण, जिसमें अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक के लाभ के पद शामिल को छोड़कर जिसमें बैंक के कर्मचारी हैं.

और

यदि उन्हें, भारतीय रिज़र्व बैंक- की अधिसूचना डीबीओडी संख्या बी.सी. क्रमांक 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007 और क्रमांक डीबीओडी.बीसी.नं.95 / 29.39.001 / 2010-11 दिनांक 23 मई 2011, पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए "उपयुक्त एवं यथोचित" मानदंड पर आरबीआई के मास्टर निदेश जिनका उल्लेख अधिसूचना क्रमांक डीबीआर.एपीपीटी.नं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 में है जिन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 (बाद में "आरबीआई अधिसूचना" और यदि कोई संशोधन हो तो के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ पढ़ा जाए और भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक ए. फ.नं.16/83/2013-बीओ.ई दिनांक 3 सितंबर 2013, ए. फ.नं.16/51/2012- बीओ.ई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में विचार करने के लिये 25 मार्च 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित किये गए मानदंड (बाद में "भारत सरकार के दिशानिर्देश" और आगे यदि कोई संशोधन हो के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति पाया गया.

## 21. चुनाव में भागीदारी

केंद्र सरकार के शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा शेयरधारक/हिताधिकारी स्वामी के रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर में 12 जुलाई, 2021 को दर्ज हैं, वे निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने अर्थात् मनोनीत होने एवं चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे.

केंद्र सरकार के शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा शेयरधारक/हिताधिकारी स्वामी के रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर में 04 अगस्त, 2021 को दर्ज हैं, वे निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने अर्थात् मनोनीत होने एवं वोट डालने के लिए पात्र होंगे.

## 22. शेयरधारकों की सूची

12 जुलाई, 2021 तक बैंक के शेयरधारकों की सूची 19 जुलाई, 2021 से 27 जुलाई, 2021 तक नामांकन के प्रस्तुतिकरण के लिये निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 27 जुलाई, 2021 को या उससे पूर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई- 400021, महाराष्ट्र के नाम पर अनुरोध के साथ ₹ 50,000 / - [रुपए पचास हजार मात्र] के भुगतान पर, बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसका भुगतान यूनियन बैंक ऑफ

इंडिया, नरीमन पॉइंट, एमएमओ शाखा को ऑनलाइन अंतरण बैंक के खाता क्र. 378901010036984 आईएफएससी UBIN0537896 में या "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकेगा. तथापि इच्छुक उम्मीदवार अपनी लागत पर सदस्यों के रजिस्टर की जांच भी कर सकते हैं और उसका सार भी प्राप्त कर सकते हैं. यह नोट किया जाए कि नामांकन प्रस्तुतिकरण की अंतिम तारीख **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 शाम 5.00 बजे** तक है.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए, जिसके लिये अंतिम तिथि 4 अगस्त, 2021 तय की गई है, वे सभी शेयरधारक जिन्होंने अपेक्षित राशि का भुगतान करके 27 जुलाई, 2021 तक बैंक के शेयरधारकों की सूची ले ली है 4 अगस्त, 2021 तक अद्यतन शेयरधारकों की सूची बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं.

मुंबई स्थित बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में 21 जुलाई, 2021 से 26 जुलाई, 2021 तक सभी कार्यदिवसों में अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक सदस्यों का रजिस्टर शेयर धारकों द्वारा निरीक्षण के लिये खुला रहेगा. सभी कार्यदिवसों में प्रतियोगियों को सदस्यों के रजिस्टर के किसी भी भाग का सार लेने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से या प्रासंगिक हिस्से का कंप्यूटर प्रिंट लेने के लिये वे बैंक से अनुरोध कर सकेंगे, जिसका भुगतान करने के लिये प्रति 1000 शब्द ₹ 5 / - के अनुसार गणना की जाएगी.

## 23. नामांकन

### i) नामांकन की वैधता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैटक) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या - डीबीओडी. संख्या बीसी संख्या 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007, संख्या डीबीओडी संख्या बीसी संख्या 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 एवं अधिसूचना संख्या डीबीआर एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए 'उचित एवं उपयुक्त' मानदंड पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवार का निदेशक के रूप में चयन हेतु नामांकन निम्नानुसार मान्य होगा:

ए) दिनांक 12 जुलाई, 2021 को उसके पास भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक / अमूर्तकृत (डिजिटैरियाइज्ड) रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यूनतम 100 शेयरों की धारिता हो एवं यदि उसका चयन किया गया है, तो दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक एवं उसके बाद उसका/उसके कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 शेयरों की धारिता बनी रहे.

बी) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैटक) विनियमन 1998 एवं अधिसूचना संख्या डीबीओडी संख्या बीसी संख्या 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007, संख्या डीबीओडी बीसी संख्या 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई,



2011 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीआर एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड के निदेशक के चयन के लिए 'योग्य एवं उचित' मानदंड पर आरबीआई के मास्टर निर्देश एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हो।

- (सी) उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बकाया का कोई निर्देश नहीं है।
- (डी) अधिनियम के तहत या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा निर्वाचित निदेशक के लिए कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा नामांकन लिखित रूप में हस्ताक्षरित है, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा एक नामांकन जो एक कंपनी है, के संकल्प द्वारा बना है बनाया जाए, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति होने संबंधी प्रमाणित पारित संकल्प, कंपनी सचिव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन में भेजा जाएगा। मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य, और ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- (ई) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा के साथ होता है, इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के निर्दिष्ट रूपों के अनुसार, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एशुरेंस का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया जाता है कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए तैयार है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम 1998 के तहत वह निदेशक होने के नाते अयोग्य नहीं है और ये नमूना प्रारूपों एवं इस सूचना में नामांकित और घोषणा के अनुसार हैं।
- (एफ) नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र निर्धारित विनियमों और संलग्न प्रोफॉर्म के अनुसार है (प्रोफॉर्म बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है। ई-मेल आईडी [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) है।

## ii) नामांकन फार्म जमा करना

निदेशकों के लिए चुनाव लड़ने और उपरोक्त शर्तों के अनुसार योग्य होने पर इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना है

- (ए) विनियमों के तहत निर्धारित और घोषित (डी) (ई) (एफ) के अनुसार उम्मीदवार की ओर से न्यूनतम 100 शेयरधारकों का नामांकन एक साथ, संबंधित दस्तावेजों के साथ, सम्पूर्ण रूप से पूर्ण, कार्यदिवस पर बैठक की तारीख के कम से कम 14 दिन पहले, अर्थात् **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले** कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य में एक अलग सीलबंद लिफाफे में दिया जाए।
- (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोफॉर्म के अनुसार उपयुक्त एवं उचित स्थिति जानने के लिए एक व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म), बैंक के केंद्रीय कार्यालय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई -

400021, महाराष्ट्र राज्य में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग को संबोधित एक अलग सीलबंद लिफाफे में, संबंधित दस्तावेजों को एक साथ, सम्पूर्ण रूप से पूर्ण, कार्यदिवस पर बैठक की तारीख के कम से कम 14 दिन पहले, अर्थात् **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले** अर्थात् नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पर्याप्त पहले भेजा जाए ताकि बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति/ निदेशक मंडल सक्षम रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार एवं सूचना में उल्लिखित विवरण भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त एवं उचित स्थिति का पता लगा सके।

## iii) उम्मीदवारी वापस लेना.

यदि कोई प्रतिभागी अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्यावधि अर्थात् **मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त, 2021 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व** कभी भी बैंक के कंपनी सचिव, निदेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 के पते पर पत्र प्रेषित कर [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) पर हस्ताक्षरित व स्कैन किए हुए पत्र को भेजकर ऐसा कर सकता है।

## 24. निदेशकों की जांच एवं चुनाव

- ए) बैंक द्वारा प्रथम कार्यदिवस अर्थात् **बुधवार, 28 जुलाई, 2021** को नामांकन की जांच की जाएगी तथा अंतिम दिन नामांकन की प्राप्ति के लिए तय की जाएगी और यदि कोई नामांकन अवैध पाया जाता है तो उसके अवैध होने के कारणों को रिकॉर्ड कर नामांकन निरस्त किया जाएगा।
- बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में वैध नामांकनों की जांच बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशकों के बोर्ड, जैसा भी मामला हो के अधीन होगा। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंध एक समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक इन दोनों में से अभ्यर्थी के योग्य एवं उचित स्थिति को देखते हुये इन दोनों में कड़े कदम का निर्धारण कर सकती है।
- सी) बैंक नामांकन की समीक्षा के समय या एनआरसी/निदेशक मण्डल की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से गठन/दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
- डी) व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म), बोर्ड/निदेशक मंडल की नामांकन समिति की 'योग्य एवं उचित' दिशानिर्देशों दिनांक 1 नवंबर, 2007, 23 मई, 2011 एवं 24 नवंबर, 2016 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पीएसबी के निदेशक मंडलों के निदेशक चुनने संबंधी 'योग्य एवं उचित' दृष्टिकोण जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक एवं संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा अधिसूचना क्र. डीबीआर. एपीपीटी.नं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 द्वारा जारी किया गया है, के द्वारा की जानेवाली समुचित सावधानी जांच के अधीन होगा।
- ई) यदि चुनाव में भाग लेने के लिए रिक्तियों में केवल एक नामांकन वैध है, तो उम्मीदवारों के नाम और पता समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे एवं चुनाव आयोजित किए जाएंगे और उम्मीदवार बहुमत



प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा।

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध और इच्छुक माना जाएगा।

### मद क्रमांक 3: एक निदेशक का निर्वाचन

पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के तहत जारी करने पर दिनांक 21.05.2021 को बैंक

तदनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित करने हेतु एजीएम के नोटिस में कार्यसूची की एक मद शामिल की गई है।

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) विभिन्न एवं प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना / आरबीआई के मास्टर अनुदेशों में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार, जिसके संबंधित भागों को यहाँ इंगित किया गया है, अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं। एक निदेशक का चयन या तो नामांकन की संवीक्षा के उपरांत किया जाएगा (यदि वैध नामांकन रिक्त पदों के बराबर हों) या फिर दिनांक 10 अगस्त, 2021 के चुनाव में, यदि अधिक प्रतियोगियों को बोर्ड की नामांकन समिति/बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा, जैसा भी मामला हो, सक्षम और उचित पाया जाता है तो उसका चयन किया जाएगा और वह पद ग्रहण करेगा। इस चुनाव के उपरांत उच्चतम मत प्राप्ति के आधार पर दिनांक 11 अगस्त, 2021 को वे कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक पदासीन रहेंगे।

### 1. कानूनी प्रावधान

अधिनियम/योजना/विनियमन/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
पूजी पर्याप्ता अनुपात - बासल III (र. करोंड में)	धारा 5 (एनई)	● सारभूत हित
	धारा 16 (1)	● सामान्य निदेशकों को निषेध
	धारा 20	● किसी निदेशक को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध
	धारा 51	● नए समनुरूपी बैंक के अधिनियम की कुछ धाराओं की प्रयोज्यता.
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	● मतदान अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	● शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) तक, धारा 9(3एए)	● कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ● कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिये उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडों पर खरा (योग्य एवं उपयुक्त) नहीं उतरता.
	धारा 9 (3बी)	● धारा 9 (3ए) व धारा 9 (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले चुने गए निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार.
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	धारा 13(2)	● गोपनीयता व निष्ठा का दायित्व
	खंड 9(4)	● चुने गये निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	● बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं
	खंड 11	● कार्यालय का निदेशक पद खाली होना
	खंड 11ए	● चुने गये निदेशक को हटाया जाना
	खंड 11बी	● चुने गये निदेशक का रिक्त पद भरा जाना
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998	खंड 12(8)	● अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों के अपने हितों का प्रकटन.
	विनियमन 10	● सयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
	विनियमन 61	● आम बैठक में वोट डालना
	विनियमन 61ए	● मतदान पर संवीक्षक
	विनियमन 61बी	● मतदान और उसके परिणाम के तरीके
	विनियमन 63	● आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियमन 64	● शेयरधारकों की सूची
	विनियमन 65	● चुनाव के लिये उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियमन 66	● नामांकन की जांच
	विनियमन 67	● चुनावी विवाद
	विनियमन 68	● वोट देने के अधिकारों का निर्धारण
	विनियमन 69	● विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
	विनियमन 70	● परोक्षी

द्वारा शेयरों के आबंटन को पूरा करने एक पश्चात वर्तमान में भारत सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा बैंक का 16.51% शेयर कैपिटल धारित किया गया है. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड में बैंक के निदेशक के रूप में बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम दो निदेशकों (केंद्र सरकार के अलावा) के लिए पात्र हैं.

वर्तमान में, बैंक के बोर्ड में केवल एक शेयरधारक निदेशक हैं एवं उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए शेयरधारकों द्वारा केंद्र सरकार के निदेशक के अलावा एक और निदेशक का चयन किए जाने की आवश्यकता है.

<p>आरबीआई अधिसूचना क्रमांक: डीबीओडी नं. बीसी नं. 46/29.39001/2007-08, दिनांक 01 नवंबर 2007 एवं नं. डीबीओडी नं. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई 2011 एवं नं. डीबीआर.एपीपीटी. बीसी. नं. 39/29.39.001/2016-17, दिनांक 24 नवंबर 2016 एवं आरबीआई मास्टर अनुदेश पीएसबी के बोर्ड में निदेशकों के चयन हेतु "फिट एवं उचित" मानदंडों को अधिसूचना क्रमांक डीबीआर. एपीपीटी. नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 के माध्यम से जारी किया गया है.</p>	<p>बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3ए) और धारा 9 (3ए बी) के अनुसार.</p>	<p>राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड हेतु चुने गये निदेशकों के लिये योग्य एवं उपयुक्त का मानदंड</p>
<p>वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में नामित सरकारी निदेशक के माध्यम से जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ क्रमांक एफ.नं. 16/83/2013-बीओआई, दिनांक 03 सितंबर 2013 एवं संदर्भ क्रमांक एफ.नं. 16/51/2012-बीओआई, दिनांक 28 अप्रैल 2015 एवं दिनांक 20 जुलाई 2016 के माध्यम से पब्लिक सैक्टर बैंकों में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंडों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों को 25 मार्च 2015 को जारी किया गया है (इसके बाद भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है और यदि कोई संशोधन किया जाता है)</p>		<p>बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का वृहत पारदर्शिता के साथ एवं सार्वजनिक हित में निर्वहन करने हेतु शेरधारक निदेशक के चयन के लिए. इस संदर्भ में अंशकालिक, गैर आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में 1 जून 2011 के दिशानिर्देशों एवं उसके बाद के वर्णित संशोधनों को उम्मीदवारों के उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्धारण में ध्यान रखा जाना चाहिए.</p>
<p>भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015.</p>		<p>निदेशकों के संबंधियों को ऋण व अग्रिम देना</p>
<p>सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015</p>		<p>स्वतंत्र निदेशक से संबन्धित प्रावधान</p>

## 2. भारत सरकार की दिनांक 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना

भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 में विशेष प्रावधान (खंड 14ए) को शामिल कर संशोधित किया है, जो कहता है: चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंक को जहां किसी कार्य या कार्रवाई को करने हेतु किसी कानून की आवश्यकता होती है तथा ऐसा करने के लिए प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान, या कोई नियुक्ति, बैंक के निदेशक मण्डल की किसी समिति के अनुमोदन या समीक्षा की आवश्यकता है साथ ही बैंक संतुष्ट हो कि किसी रिक्ति के रहने की वजह से या सदस्य की पुनरावृत्ति होने से कोरम पूरा न होने की स्थिति न हो, तो निदेशक मण्डल ऐसा कार्य या कार्रवाई कर सकता है.

उपरोक्त के संदर्भ में, राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को कोई भी कार्य या कार्रवाई करने के लिए, या सुरक्षा धारकों की शिकायतों के समाधान हेतु, या किसी भी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में, ऐसा करने के लिए बोर्ड की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिसे इसे कानून द्वारा करने की आवश्यकता है बशर्ते बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि किसी रिक्ति के रहने की वजह से या सदस्य की पुनरावृत्ति होने से कोरम पूरा न होने की स्थिति न हो.

## 3. दिनांक 25 मार्च, 2015 और 8 जुलाई, 2016 को जारी भारत सरकार के दिशानिर्देश

जैसा कि भारत सरकार के 3 सितंबर, 2013 के पत्र के दिशा-निर्देशानुसार सरकार द्वारा सलाह दी गई है, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड शेरधारक निदेशक की उपयुक्त और उचित स्थिति निर्धारित करते समय, गैर सरकारी निदेशकों (एनओडी) की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और 20 जुलाई, 2016 को दिए गए उनके पत्रों के द्वारा 25 मार्च, 2015 एवं 8 जुलाई, 2016 को यथासंशोधित, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

### ए) सामान्य

- संबन्धित अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा.

- औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रेकॉर्ड, विश्वसनीयता आदि के संबंध नामितियों की उपयुक्तता का आकलन किया जा सकता है. विश्वसनीयता और उपयुक्तता तक पहुँचने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण की विश्वसनीयता के लिए सिविल कार्रवाई, पेशेवर निकायों से प्रवेश निषेध या निष्कासन, नियामकों और इस तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछली संदिग्ध व्यवसाय प्रथाओं आदि के आधार पर किया जाएगा.

### बी) अनुभव

- कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा. एक वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों (एक प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाया) में स्थापित विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाएगी.
- संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव और कुल 20 वर्षों का अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी. सेवानिवृत्ति के एक साल बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सेवानिवृत्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक. पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक को उस पीएसबी के निदेशक मण्डल में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवारत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- प्रीमियर मैनेजमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट के "शिक्षाविद" निदेशक और 20 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर.
- 20 साल के अनुभव वाले सनदी लेखाकार (ऑडिट के अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी.
- हालांकि, योग्यता के आधार पर वार्षिक मामलों में वित्त मंत्री की मंजूरी से अनुभव मानदंड में ढील दी जा सकती है.

vi. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है.

### सी) शिक्षा

एक एनओडी को व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में विशेषज्ञता के साथ किसी भी स्ट्रीम में कम से कम स्नातक होना चाहिए.

### डी) उम्र

सर्व समिति द्वारा अनुशंसा की तारीख तक निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

### ई) कार्यानुभव

पेशेवरों/ शिक्षाविदों को समान्यतः अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल का कार्यानुभव होना चाहिए.

### एफ) अयोग्यता

- किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी पर पहले से ही कार्यरत एक निदेशक का किसी भी श्रेणी के तहत अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी में एनओडी के नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा.
- किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों, एमपी, एमएलए, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर से जुड़े व्यक्तियों को बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेश करने वालों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं.
- किसी भी व्यक्ति को उस बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में फिर से नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उसने किसी भी श्रेणी के तहत पूर्व में निदेशक के रूप में दो कार्यकाल या 6 साल, जो भी अधिक हो, के लिए सेवा की हो.
- यदि कोई सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही है, तो उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.
- यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वर्तमान में एक सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्य कर रही है, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार उसी बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

### जी) कार्यकाल

एनओडी का बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में 6 वर्षों से अधिक के लिए एनओडी शेरधारक निदेशक हो, चाहे वह लगातार या विभिन्न अंतराल पर हो.

### एच) पेशेवर प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना, 1970 की धारा 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभकारी के पद के सापेक्ष व्यावसायिक प्रतिबंधों के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है.

### आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड पर देश के सभी 6 अंचलों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए.

### अधिनियम/योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ का सार

शेयरधारकों की सुविधा के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम 1970, (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके बाद से "योजना" के रूप में संदर्भित) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद से "विनियमन" के रूप में संदर्भित) के साथ ही अधिसूचना क्र. डीबीआर.एपीपीटी.नं:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019, अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.नं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007, क्र.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 एवं क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर 2016 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड पर निदेशकों के चुनाव के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड पर भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर दिशानिर्देश एवं भारत सरकार की कार्यालय ज्ञापन संदर्भ क्र. एफ.नं.16/83/2013-बीओआई दिनांक 3 सितम्बर 2013 के साथ पढ़े जाने वाले 25 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर आधिकारिक निदेशक पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देश एवं इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी बैंक के वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर पोस्ट किए गए दिशानिर्देश हैं.

ऐसे संक्षिप्त को बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएँ विभाग, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 महाराष्ट्र राज्य को या [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) पर ई-मेल के द्वारा भी संबोधित निवेदन की प्राप्ति पर इच्छुक अभ्यर्थियों को नामांकन फॉर्म को जमा करने की निर्धारित की गई अंतिम तिथि यथा **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021** को या उससे पहले प्राप्त होने पर मेल भी किया जाएगा.

### निदेशकों की रुचि

बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उनके शेयरहोल्डिंग और उनके योग्य मौजूदा शेयरधारकों के निदेशकों को छोड़कर कारोबार के उपरोक्त मद में हितबद्ध या उससे संबंधित नहीं माना जाएगा.

निदेशक मण्डल के आदेश से  
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

*Mangesh Mandekar*

(मंगेश मांदेशकर)  
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 05.07.2021



## निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2020-21 का 'लेखापरीक्षित तुलनपत्र', 'लाभ एवं हानि खाता', 'नकदी-प्रवाह विवरण', और 'प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण' पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 102 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है. 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' एवं 'कारोबारी दायित्व रिपोर्ट' भी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 का एक भाग है.

### 1. प्रमुख बार्ते:

1.1 वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी से प्रभावित रहा जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई और वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ. लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मानदंडों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पहले ही स्थिर कर रखा था. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की नवीनतम वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन में 3.3 % के संकुचन का अनुमान लगाया गया है.

1.2 सरकारों एवं केन्द्रीय बैंकों ने पूरे विश्व में अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए जैसे प्रमुख दरों में कमी करना, आसान गुणात्मक उपाय, ऋण गारंटी, नकदी अंतरण एवं राजस्व बढ़ाने के उपाय. 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6 % की वृद्धि एवं 2022 में 4.4 % की कमी का अनुमान है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, संयुक्त राष्ट्र की इस वर्ष कोविड-पूर्व स्थिति से आगे आने का अनुमान है जबकि बहुत से दूसरे समूह 2022 में ही कोविड-पूर्व जीडीपी के स्तर को, प्राप्त कर सकेंगे. उभरते हुए और विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं में चीन 2020 में पहले ही कोविड-पूर्व जीडीपी स्तर को प्राप्त कर चुका है जबकि कई दूसरों का 2023 तक भी पहुँचने का अनुमान नहीं है.

1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, वर्ष 2020-21 महामारी के कारण आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों के व्यवधानों के कारण चुनौतीपूर्ण था. भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में तकनीकी मंदी में प्रवेश किया, जिसमें पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 24.4% दूसरी तिमाही में 7.4% गिर गया. भारत ने महामारी के विघटनकारी प्रभाव को पहचाना और अपनी विशाल आबादी, उच्च जनसंख्या घनत्व और अत्यधिक दबावग्रस्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के बीच अपना अनूठा मार्ग बनाया. महामारी की शुरुआत में लागू किए गए गहन लॉकडाउन ने कई मायनों में भारत की अनूठी प्रतिक्रिया की विशेषता बताई. सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से अपने वित्तीय व्यय में वृद्धि की है और एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने अर्थव्यवस्था के लिए सहयोग किया है.

1.4 केंद्रीय बजट 2021-22 ने मांग और समग्र विकास को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में बुनियादी ढांचे के निवेश पर स्पष्ट जोर देने के साथ पूंजीगत व्यय की गति को और मजबूती प्रदान की है.

बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रिंसिपल विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में वित्तीय ढांचागत एवं विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (एनएबीएफआईडी) की स्थापना की और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया. यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू

करने के लिए पूंजी बढ़ाने के सरकार के चल रहे प्रयासों के समान होगा. इसके अलावा, डूबे हुए ऋणों को समाप्त करने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एआरसी और एएमसी) की स्थापना, दो पीएसयू बैंकों का निजीकरण और बीमा में एफडीआई की मौजूदा 49% सीमा को बढ़ाकर 74% करना आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपाय के रूप में सरकार ने बजट में सुधार उपायों की घोषणा की है.

1.5 वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई ने व्यवस्था में अत्यधिक मात्रा में तरलता लाने तथा विभिन्न क्षेत्रों, संस्थाओं एवं वित्तीय लिखतों में लक्षित तरलता लाने के लिए, कई पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपाय किए. आरबीआई ने मौद्रिक नीति को खोल कर परिवर्तन करते हुए अस्थायी ऋण आस्थगन अवधि के द्वारा ऋणियों को तत्काल राहत प्रदान की. इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के कारण कंपनियों एवं लोगों को वित्तीय दबाव से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए नियामकों ने एक मुश्त पुनर्गठन योजना को अनुमति प्रदान की.

1.6 टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति के साथ 2021-22 के लिए संभावनाएं मजबूत हुई हैं. उच्च आवृत्ति संकेतक, विशेष रूप से वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में विकास की गति की मजबूती को इंगित करते हैं. जीडीपी ने पूर्ववर्ती तिमाहियों में संकुचन को दूर कर दिया और वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में विस्तार को दर्शाता है. हालाँकि, संक्रमणों में हालिया उछाल ने इस दृष्टिकोण को अनिश्चितता प्रदान की है, विशेष रूप से स्थानीय और क्षेत्रीय लॉकडाउन मांग स्थिति में सुधार को कम कर सकते हैं और सामान्य स्थिति की वापसी में देरी हो सकती है.

### 2. बैंक का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1919 में स्थापित, 31 मार्च, 2021 तक आपके बैंक की, 29 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 9312 शाखाएँ, 3 विदेशी शाखाएँ, 12,957 एटीएम और 78202 कर्मचारी हैं.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ :


- वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध ब्याज आय रुपये 24,688 करोड़ रही .
- वित्त वर्ष 2020-21 में परिचालन लाभ में रुपये 19,259 करोड़ रहा.
- 31 मार्च, 2021 को पीसीआर 81.27% रहा.
- 31 मार्च, 2021 को शुद्ध एनपीए अनुपात 4.62% रहा.

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आपके बैंक में निम्नानुसार कई परिवर्तन / नई प्रक्रियाओं को अपनाया गया है.

#### 2.1 समामेलन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मेगा समामेलन के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने 04 मार्च, 2020 को गजट के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एकर बैंक) में समामेलन के लिए अनुमोदन किया एवं यह समामेलन 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ.

समामेलन के परिणामस्वरूप देश भर में यूनियन बैंक की भौगोलिक स्थिति में सुधार हुआ है। समामेलन के साथ, यूनियन बैंक व्यापक नेटवर्क के साथ कारोबार की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है।



बैंक ने समामेलन को परिवर्तन प्रबंधन में एक प्रक्रिया के रूप में पहचान दी है और इस तरह के परिवर्तन के अवसर के रूप में इसका लाभ उठाया है। तदनुसार, न्यूनतम ग्राहक परेशानी और कर्मचारी शिकायतों के साथ समामेलन प्रभावी तिथि (ईईडी) को सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत एकीकरण योजना तैयार की गई थी।

समामेलन प्रबंधन कार्यालय (एमओ) के नाम पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन कार्यालय विभिन्न कार्यक्षेत्रों के साथ बेहतर समन्वय और समामेलन प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए स्थापित किया गया। जिस परियोजना के तहत बैंक में समामेलन संबंधी संपूर्ण कार्य किया गया, उसे "परियोजना समर्थ" नाम दिया गया है।

कार्यक्रम प्रबंधन सलाहकार, मेसर्स बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (बीसीजी) को योजना, डिजाइन, मार्गदर्शन और समामेलन के सफल समापन के लिए सभी आवश्यक पहलुओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया। एमओ ने बीसीजी, कॉर्पोरेट वर्टिकल और फील्ड पदाधिकारियों के साथ गहन समन्वय में निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों के साथ समामेलन प्रक्रिया शुरू की :



समामेलन प्रक्रिया की शुरुआत करते समय, मुख्य रूप से कई आपसी जटिलताओं वाली कई समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया गया है।



पहचान के बाद, समामेलन के लिए योजना और रोड मैप को परिभाषित और रणनीतिक किया गया। कार्यों की गंभीरता के आधार पर, समामेलन प्रक्रिया को पूर्व समामेलन प्रभावी तिथि (पूर्व-ईईडी), ईईडी और पोस्ट ईईडी चरणों में विभाजित किया गया।

गतिविधियों के सामंजस्य, मुद्दों को सुलझाने और अनसुलझे मुद्दों को आगे बढ़ाने के बुनियादी काम को संभालने के लिए सभी कार्यक्षेत्रों के कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 31 कार्यात्मक समितियाँ बनाई गईं। प्रत्येक समिति का प्रतिनिधित्व सभी 3 बैंकों के सदस्यों द्वारा किया गया जो एक विस्तृत मास्टर समामेलन योजना (एमएपी) पर पहुंचने के लिए नियमित समय अंतराल पर मिलते थे।

3 banks collaborated through functional committees to create detailed amalgamation plan



यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलन प्रक्रिया में शाखाओं का पर्याप्त रूप से समर्थन किया जाता है, एक सहकर्मी आधारित कार्यक्रम-बड़ी ब्रांच प्रोग्राम- पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक और तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक की शाखाओं को संचालित करने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शाखाओं में समन्वय बनाना, प्रश्नों का त्वरित समाधान और लोगों का एकीकरण करना था।

परिवर्तन के बारे में ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को समामेलन के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना बैंक के लिए आशंकाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके लिए कई चैनलों के साथ एक मजबूत संचार योजना सक्रिय की गई। हितधारकों को 3 श्रेणियों में अर्थात् ग्राहक, कर्मचारी और अन्य हितधारक के रूप में वर्गीकृत किया गया।




समामेलित इकाई के लिए प्रशिक्षण वास्तुकला को परिभाषित किया गया और विभिन्न बड़े पैमाने पर कार्यात्मक प्रशिक्षण सत्र, सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण सत्र और नेतृत्व कार्यशालाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए व्यवस्थित किया गया. ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से प्रमुख कार्यात्मक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी. उपरोक्त तैयारियों के साथ, बैंक ने योजना के अनुसार ग्राहकों को बिना किसी व्यवधान के आसानी से एईडी परिवर्तन कर लिया. कारोबार हमेशा की तरह चलता रहा.

कॉर्पोरेट स्तर पर उपरोक्त तैयारियों के साथ, एईडी की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं को संभालने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक दृष्टिकोणों पर भी रणनीति बनायी गई. सभी सामामेलन अद्यतनों के लिए संचार के एकल स्रोत को सुनिश्चित करने के लिए शाखा हैंडबुक, माइक्रोसाइट आदि जैसे संचार चैनल स्थापित किए गए. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और शाखा स्तर पर क्या करें और क्या न करें क्षेत्र के अनुभव के आधार पर बनाए गए और प्रसारित किए गए.

एक टीम के रूप में कर्मचारियों को एक दूसरे को जानने के लिए, एक बैंक की साझा समझ और आगे बढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नेतृत्व शिखर सम्मेलन "त्रिवेणी संगम", लोगों के सर्वेक्षण, मूल्य सर्वेक्षण, सांस्कृतिक एकीकरण शिखर सम्मेलन जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला सभी उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और शाखा प्रबंधक, संस्कृति एकीकरण और परिवर्तन प्रबंधन के लिए आयोजित किए गए. मानसिक और भावनात्मक पहलू पर गहराई से कार्यबल को बदलने के लिए अतिथि वक्ताओं के सत्रों की व्यवस्था की गई.

अतिथि वक्ता सत्र



### AED critical items

- Equity listing**: De-listing of shares of transferee banks completed on 1<sup>st</sup> April
- Product harmonization**:
  - 163 products are harmonized in Amalgamated Entity
  - Harmonized liability products launched from 1<sup>st</sup> April
  - Launch of harmonized asset products was taken up on 1<sup>st</sup> May
- Inter-operability**: Basic services were available for all branches and customers from 1<sup>st</sup> April
- ATM network** harmonized to the effect that transactions across the network are treated as bank's internal transactions
- Branding**:
  - Rollout of logos of amalgamated entity initiated from 1<sup>st</sup> April
  - Logos on signages and digital avenues (ATM screen, website, internal banking etc.) were available from 1<sup>st</sup> April
- Customer service**: Call centers were inter-linked to ensure adequate handholding from AED

हालाँकि, कुछ पहलू थे जिन्हें कोविड- 19 महामारी को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 30.06.2020 तक सभी स्थगित गतिविधियों को शुरू कर दिया गया.


एईडी के बाद, बैंक ने प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए 4 स्तरीय संगठन संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया है. केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार संगठन संरचना को उच्च जवाबदेही सुनिश्चित करने और बैंक के लिए रणनीतिक अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.





अखिल भारतीय उपस्थिति को मजबूत करने के लिए 18 क्षेपप्रका (क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय) और 125 क्षेका (क्षेत्रीय कार्यालय) के रूप में क्षेत्र संगठन संरचना की रूपरेखा बनाई गई। क्षेत्र में क्षेका- क्षेपप्रका का गठन केंद्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में किया जाता है। क्षेका- क्षेपप्रका के स्थानों का मूल्यांकन कई आयामों जैसे कि बिजनेस फुटप्रिंट, शाखा विस्तार, कारोबारी संभावनाओं, भौगोलिक संरचना, कनेक्टिविटी, सेवाओं से निकटता, क्रेडिट सेंटर और स्थापना की लागत सहित सामरिक महत्व के आधार पर किया जाता है।


क्षेत्रीय संगठन संरचना के रोल आउट के साथ, चिन्हित क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए विशिष्ट संरचना भी तैयार की गई है।



एकीकरण प्रक्रिया के बाद, एईडी से पहले एक स्पष्ट आईटी एकीकरण रोड मैप बनाया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्डिंग विक्रेताओं, निर्भरता, संसाधनों की उपलब्धता, सिस्टम की अनुकूलता आदि पर विभिन्न हार्डवेयर आवश्यकताओं के प्रावधान शामिल थे। इस उन्नत योजना ने बैंक को बैंकिंग इतिहास में सबसे तेज आईटी विलय में एकीकरण को पूरा करने में सहायता की।

सभी सीबीएस और गैर-सीबीएस सोल्यूशंस के साथ, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) को अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम व्यवधान के लिए एक संरचित और परिभाषित तरीके से एकीकृत किया गया। बैंक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रत्येक खंड में बैंक की डिजिटल पेशकशों को बेहतर बनाया और बेहतर ग्राहक अनुभव सुनिश्चित कराया जो विकास की नींव रखने के लिए उपयोगी है।

आपसी तालमेल होना बैंकों के समामेलन के प्रमुख तथ्यों में एक है। राजस्व विस्तार, लागत में कमी, व्यापार युक्तिकरण के संदर्भ में विभिन्न तालमेल के अवसरों की योजना बनाई गई। योजना में अगले 3 वर्षों के लिए अनुमानित संचयी मौद्रिक मूल्य वाले कार्यों में आवर्ती और एकमुश्त दोनों की पहचान की है।



बड़े पैमाने पर निम्नलिखित उपशीर्षकों में लगभग 70+ वर्टिकल की पहचान की गई:

- नेटवर्क के अनुकूल भौतिक वितरण के माध्यम से लागत तालमेल और शाखा तथा एटीएम नेटवर्क युक्तिकरण, कर्मचारी समरूपता, अचल संपत्ति का मुद्रीकरण, विक्रेता युक्तिकरण और आईटी सिस्टम के एकीकरण जैसे संसाधनों की प्राप्ति।
- क्रॉस बिक्री और बिक्री में तेजी, शुल्क आधारित आय में सुधार और सेवा और दंड शुल्क के सामंजस्य के माध्यम से राजस्व तालमेल। इस प्रकार, समामेलन ने "फ्यूचर रेडी बैंक" के विजन को पूरा करने के लिए बैंक की नींव रखी है।

**2.2 ईज़ (उन्नत पहुंच और सेवा में उत्कृष्टता):** प्रत्येक डोमेन में पीएसबी की दक्षता बढ़ाने और तिमाही आधार पर एक सामान्य सूचकांक पर प्रदर्शन को मापने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (ईएएसई) लॉन्च किया गया था। ईज़ 3.0, ईज़ 1.0 और ईज़ 2.0 का एक संवर्धित संस्करण है जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5 थीम और 27 एक्शन पॉइंट के साथ कार्यान्वयन रोडमैप निर्धारित करता है। आपके बैंक ने प्रदर्शन में निरंतर सुधार के साथ, दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए समग्र रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया था, जबकि मार्च 2020 को समाप्त बेसलाइन तिमाही में आपका बैंक 8वें स्थान पर रहा। आपका बैंक 5 में से 4 विषयों में शीर्ष 3 बैंकों में शामिल रहा।

बैंक ने ईज़ एजेंडा के तहत दक्षता में सुधार के लिए कई पहल की हैं और विभिन्न उपायों को लागू किया है जिनमें शामिल हैं:

- 6 उत्पादों (व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई ऋण और शिशु मुद्रा) के लिए 5 चैनलों (एसएमएस, मिस्ड कॉल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कॉल सेंटर) के माध्यम से लीड जनरेशन के लिए डिजिटल यात्रा लागू की।
- प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन टेकओवर, हाउसिंग लोन टॉप-अप, और एमएसएमई के लिए पूरी तरह से डिजिटलीकरण के साथ कार्यशील पूंजी वृद्धि के लिए प्रस्ताव उत्पन्न करने के लिए विश्लेषणात्मक नियम आधारित इंजन लागू किया।
- प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन, शिशु मुद्रा लोन और एमएसएमई ऋण के नवीनीकरण के लिए सीधे प्रोसेसिंग के माध्यम से सभी स्थानों पर प्रारम्भ किया गया।
- केसीसी ऋण के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से लीड पंजीकरण लागू किया।
- डिजिटल और आईटी उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली को फिर से डिजाइन किया गया है जिसमें प्रतिभा प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन और पुरस्कार और पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ईज़ 4.0 सुधार एजेंडा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 6 थीम और 26 एक्शन पॉइंट के साथ प्रौद्योगिकी-सक्षम सहयोगात्मक और सरलीकृत बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यान्वयन रोडमैप निर्धारित करता है। आपका बैंक अपने बड़े ग्राहक आधार को लाभ पहुंचाने के लिए तेजी

से तकनीकी प्रगति को अपना रहा है। आपका बैंक वित्तीय समावेशन से लेकर बुनियादी ढांचे को उधार देने तक की प्रक्रिया और उत्पादों में सुधार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रहा है। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में ईज 3.0 मापदंडों के तहत अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है और आने वाले दिनों में भी अपनी प्रगति को जारी रखने का प्रयास करेगा।

**2.3 यूनियन म्यूचुअल फंड योजनाओं का ऑनलाइन विक्रय-** डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, बैंक अपने संबंधित चैनल भागीदारों के साथ सिस्टम की क्षमताएं बढ़ाने के लिए गहनता से कार्य करता रहा है, ताकि ग्राहक बैंक के तकनीकी इंटरफेस का प्रयोग कर तृतीय पक्ष उत्पाद जैसे बीमा एवं म्यूचुअल फंड ऑनलाइन खरीद सकें। बैंक की वेबसाइट और यू- मोबाइल एप के माध्यम से यूनियन म्यूचुअल फंड योजनाएं खरीदने की सुविधा शुरू हो चुकी है।

**2.4 नये यू-मोबाइल एप आधारित सेवायें :**

- यूमोबाइल एप के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई बीमा सुरक्षा कवर प्राप्त करने की सुविधा प्रारम्भ की गई।
- अनिवासी भारतियों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवायें प्रारम्भ होना।
- मूल्य संवर्धित सेवाओं के अंतर्गत नई विशेषताएं जैसे स्थायी अनुदेशों एवं वैयक्तिक लेनदेन सीमा प्रारम्भ होना।
- भुगतान एवं पिन सेट करने की सुविधा के साथ क्रेडिट कार्ड का नया मॉड्यूल .

**2.5 कोषागार की शुरुआत-** एफएक्स रिटेल, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म जो बैंक के रिटेल ग्राहकों द्वारा विदेशी विनिमय की खरीद/ विक्रय की सुविधा देता है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक इसके अंतर्गत 88 नये ग्राहक जोड़े हैं।

**2.6 निगरानी एवं वसूली में विशिष्टीकरण:**

ऋणों की निगरानी के लिए आपके बैंक ने कई पहलें की हैं जैसे;

- रुपये 100.00 करोड़ से रुपये 250.00 करोड़ तथा इससे अधिक के खातों की निगरानी के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के नेतृत्व में विशिष्टीकृत कक्ष।
- समय पर सुधारात्मक कदम उठाने की सुविधा के लिए उधार खातों में तनाव/ चेतावनी के संकेतों को सक्रिय रूप से पहचानने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) की पहचान करने की एक प्रणाली स्थापित की गई है।
- बैंक के अग्रिमों के गैर-एसएमए और गैर-एनपीए पोर्टफोलियो को कवर करने वाले प्रारंभिक तनाव संकेतों का अनुमान लगाने के

लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ताकि ऋण पुस्तिका के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय शुरू करने में सुविधा हो सके।

**2.7 आईटी सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए** आपका बैंक आंतरिक कारोबारी प्रक्रियाओं के केंद्रीकरण/ स्वचालन/ एकीकरण को अपना रहा है। सर्वश्रेष्ठ आईटी सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क अपनाकर बैंक की आईटी आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं।

**2.8 ग्राहकों हेतु बैंकिंग सेवा को व्यवस्थित करने के लिए** आपका बैंक अत्याधुनिक तकनीक अपना रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा जीवन प्रमाण सुविधा, कार्पोरेट ग्राहकों के लिए सरकारी ई-मार्केट, व्यक्तियों एवं कार्पोरेट ग्राहकों के लिए फास्टैग सुविधा, पॉजिटिव पे सुविधा, पीएमएसवीएनिधि पोर्टल के साथ रियल टाइम सुविधा जोड़ना, बैंक के सभी ग्राहकों को सभी एटीएम टर्मिनल पर ग्रीन पिन की सुविधा, रुपये 5 करोड़ तक के विभिन्न ऋण उत्पादों पर एनएसईएल, डायल-ए- लोन सुविधा के माध्यम से आटोमेटेड ई/स्टॉपिंग एवं ई-हस्ताक्षर, खुदरा एवं एमएसएमई ऋणों की ऑनलाइन माध्यम से सीधे प्रोसेसिंग, रुपये 50,000 तक के शिशु मुद्रा ऋण का पूरी तरह डिजिटिकरण किया जाना, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय(एमसीए) पोर्टल से चालू खाते खोलना, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अनिवासी भारतियों को पीएमजेजेबीवाई आवेदन करने की सुविधा, बिना कांटेक्ट वाले रुपये डेबिट कार्ड स्वीकार करने के लिए पीओएस मशीन में एनसीएमसी तकनीक, परिपक्वता पर जमाराशि की गणना के लिए जमाराशि संगणक, मोबाइल पर विद्यमान ओटीपी की सुविधा के अतिरिक्त अलग मोबाइल एप के माध्यम से यूटोकन सुविधा, क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल सहित वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सेवाओं के लिए डोर स्टेप बैंकिंग जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान डिजिटल लेनदेन समग्र रूप से मार्च, 20 के 74.43% की तुलना में मार्च, 21 में 79.11% रहे तथा वर्ष के दौरान लगभग 5% की वृद्धि दर्ज की गई।


**2.9 कारोबार प्रक्रिया प्रवर्तन के एक भाग के रूप में,** अपने स्टाफ को बाधा रहित सेवा देने के लिए एंज़ॉयड एवं आईओएस प्लैटफॉर्म पर एचआरएमएस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ करके अपने मूल्यवान कर्मचारियों के अनुलाभ व भत्तों के तत्काल अनुमोदन एवं संवितरण के लिए आपके बैंक ने तकनीकी नवाचार अपनाया है। यह एप्लीकेशन ने ओटीपी सुरक्षित लॉ गिन ओथेंटिकेशन मेकेनिज्म पर आधारित है और कार्मिकों को रोजमर्रा के एचआर से संबंधित कार्यकलाप दिन-रात (24\*7) और फटाफट कर सकने में सक्षम बना दिया है। बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पेंशन विवरण और चिकित्सा बीमा योजना के लिए इस मोबाइल एप का प्रयोग कर सकते हैं।

**2.10 साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र(सीएसओसी):** बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा परिचालन फ्रेमवर्क लागू किया गया है तथा साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र आरंभ किया गया है। सीएसओसी के प्रबंधन के लिए एक कुशल समर्पित


टीम तैनात की गयी है. सीएसओसी साइबर खतरों की पहचान करने, उनका पता लगाने, सुरक्षा करने तथा उन्हें रोकने में मदद करता है.

### 3. कारोबार की मुख्य बातें:


3.1 बैंक का कुल वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2021 को रु. 15,77,490 करोड़ रहा.



3.2 कुल जमाराशियाँ 31 मार्च, 2021 को बढ़कर रु.9,23,805 करोड़ हो गईं. इसमें से कासा(चालू खाता एवं बचत खाता) का अंश 31 मार्च, 2021 को 36.33 प्रतिशत रहा.



3.3 सकल अग्रिम 31 मार्च, 2021 को रु.6,53,684 करोड़ रहा. रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्र 31 मार्च, 2020 के रु.3,39,318 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2021 को रु.3,67,825 करोड़ रहा. रैम क्षेत्र समग्र रूप में 8.40% की वार्षिक दर से बढ़ा.



3.4 बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2020 के रु.24,345 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2021 को रु.18,191 करोड़ रहा. आपके बैंक की हांगकांग, डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (आस्ट्रेलिया) में तीन विदेशी शाखाएं हैं. बैंक अपनी पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में भी कारोबार करता है.


### 4. आय एवं व्यय:

क्र.	मानदंड	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20*
1	अर्जित ब्याज	68767	37231
2	अन्य आय	11337	5261
3	कुल आय (1+2)	80104	42492
4	व्यय किया गया ब्याज	44079	25794
5	निवल ब्याज आय(1-4)	24688	11437
6	परिचालन व्यय	16766	7516
	जिसमें से स्थापना व्यय	9025	3359
7	कुल व्यय	60845	33311
8	परिचालन लाभ (3-7)	19259	9181
9	प्रावधान	16353	12079
10	निवल लाभ / हानि	2906	-2898
11	प्रति शेयर आय (रु.में)	4.54	-12.49

\* आंकड़े समामेलन से पूर्व अवधि के लिए स्टैंडअलोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबन्धित हैं. अतः समामेलन के पश्चात 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों से तुलनीय नहीं हैं.

### 5. लाभप्रदता और दक्षता:

- 5.1 आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रु.9,181 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2020-21 में रु.19,259 करोड़ दर्ज किया गया.
- 5.2 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का निवल लाभ रु.2,906 करोड़ रहा.
- 5.3 आपके बैंक का लागत आय अनुपात वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 46.54% रहा.





- 5.4 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.27% रहा, जबकि ईक्विटी पर प्रतिलाभ 6.68% रहा।

तालिका 2: दक्षता अनुपात		
मानदंड (%)	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20*
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.27	(-) 0.53
ईक्विटी पर प्रतिलाभ	6.68	(-) 12.52

- 5.5 वित्त वर्ष 2020-21 हेतु बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं :


तालिका 3: उत्पादकता अनुपात		
मानदंड	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20*
प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ में)	20.17	21.37
प्रति शाखा कारोबार (रु. करोड़ में)	169.35	186.18
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में)	24.63	24.60

#### 5.6 लाभांश:

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

#### 6. शेरधारकों को प्रतिलाभ:


- 6.1 बैंक की शुद्ध संपत्ति 31 मार्च, 2021\* को ₹43,507 करोड़ थी।




\*आंकड़े समामेलन के बाद की अवधि के केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी समामेलन से पूर्व 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

#### 7. आस्ति गुणवत्ता:

- 7.1 बैंक की 31 मार्च, 2021 को सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) रु.89,788 करोड़ रहीं. सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का प्रतिशत 31 मार्च, 2021 को 13.74 प्रतिशत हो गया।



- 7.2 बैंक का शुद्ध एनपीए 31 मार्च, 2021 को रु.27,281 करोड़ रहा तथा 31 मार्च, 2021 को शुद्ध एनपीए अनुपात 4.62 प्रतिशत रहा।



#### 8. पूंजी पर्याप्तता:

- 8.1 बासल III मानदंडों के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2021 को 12.56% रहा. बैंक की कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी I) पूंजी मार्च, 2021 में 9.07% रही।

तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III		(₹ करोड़ में)	
मानदंड	भा.रि.बैं. के न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां	लागू नहीं	5,51,521	2,94,984
कुल पूंजीगत निधि		69,262	37,790
सीईटी 1 पूंजी		50,001	27,714
टियर 1 पूंजी		57,090	31,714
सीआरएआर (%)	10.875	12.56	12.81
सीईटी 1 (%)	7.375	9.07	9.40
टियर 1 (%)	8.875	10.35	10.75
टियर 2 (%)	लागू नहीं	2.21	2.06

नोट : भा.रि.बैं. के न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी I एवं टियर I के अनुपात में 1.875 प्रतिशत का सीसीबी (पूँजी संरक्षण बफर) सम्मिलित है. टियर II अनुपात हेतु कोई न्यूनतम निर्धारण नहीं है

## 8.2 बैंक द्वारा जुटाई गई पूँजी:

बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बासल III के अनुरूप रु.1705 करोड़ के टियर I बांड और रु.2000 करोड़ के टियर II बांड जारी और आवंटित किये हैं.

## 9. नेटवर्क:

31 मार्च, 2021 तक 9312 शाखाओं के साथ आपके बैंक का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है. बैंक की तीन पूर्णतः विदेशी शाखाएँ भी हैं. इनमें से 56 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों में स्थित हैं. 31 मार्च, 2021 तक बैंक के पास 12957 एटीएम का नेटवर्क है.

## 10. पुरस्कार एवं उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आपके बैंक को डिजिटाइजेशन, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि के क्षेत्र में की गई नई पहलों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

सम्मान देने वाली संस्था	पुरस्कार संवर्ग	वर्ष
नेशनल फेदर अवार्ड	एमडी एंव सीईओ के लिए हॉल ऑफ फेम पुरस्कार	30-अप्रैल-21
	उन्नत दक्षता प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ	
	प्रशिक्षण एवं संगठनात्मक विकास में सर्वश्रेष्ठ	
	वर्ष का सीएचआरओ	
गोल्डन पीकॉक	गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2020	अप्रैल -21
एपेक्स इंडिया एचआर एक्सीलेंस अवार्ड एवं बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड	एचआर में एपेक्स इंडिया बेस्ट स्ट्रेटेजी 2020	अप्रैल -21
	एपेक्स इंडिया एचआर उम्मुख सीईओ अवार्ड 2020	
ग्रीनटेक एचआर अवार्ड	टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस	फरवरी-2021
	वर्ष का अग्रणी सीईओ	
वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड	एचआर में सर्वश्रेष्ठ सेवाप्रदाता	फरवरी -2021
	ज्ञानार्जन एवं विकास में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार	
	वर्ष का सीएचआरओ	
वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस	वर्ष का सीईओ	फरवरी -2021
	कोविड 19 के समय सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण सॉल्युशन	
द फ्यूचर ऑफ टेक कांग्रेस एंड अवार्ड्स प्रजेन्ट्स 'द इंटरनेट इंटरप्रेन्योर अवार्ड	कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल रूपांतरण	अक्तूबर-2020
गोल्डन पीकॉक	गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2020	जुलाई-2020

## 11. सोशल मीडिया:

11.1 आपके बैंक ने यूनियन कनेक्ट प्रोजेक्ट के अधीन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन और यूट्यूब जैसी सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी पहुँच का विस्तार किया है। आपके बैंक के आधिकारिक पेज बहुत ही संवेदनशील हैं और मिनटों में जवाब देते हैं।

11.2 डिजिटल मार्केटिंग के एक भाग के रूप में, आपका बैंक बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स व्यापार टाई-अप कर रहा है। बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से अधिक पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और लिंकडइन के माध्यम से अभियान चलाता है। मार्च, 2021 तक आपके बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर फलोवर्स की कुल की संख्या 19.51 लाख थी।

## 12. बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों का परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

- श्री नितेश रंजन को 10 मार्च, 2021 को बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री बिरुपाक्ष मिश्रा को 1 अप्रैल, 2020 को बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 31 जनवरी, 2021 को अधिवापिता पर अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार श्रेणी के बैंक निदेशक संवर्ग ने 5 फरवरी, 2021 को कार्यालय में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- डॉ. मधुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक एवं गैर सरकारी निदेशक ने 26 दिसंबर, 2020 को कार्यालय में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री केवल हांडा, गैर कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक एवं गैर सरकारी निदेशक ने 05 जुलाई, 2020 को कार्यालय में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

## 13. निदेशकों का उत्तरदायित्व वर्णन

निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाए जाने के संबंध में निम्न बातों की पुष्टि की गयी है:

- सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं उन्हें सतत लागू किया गया

है और निर्णय लिया गया है तथा अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के मामलों की स्थिति और उस अवधि की बैंक के लाभ-हानि के बारे में सही और निष्पक्ष स्वरूप दिया जा सके।

- बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त खाता रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है।
- वार्षिक खाते एक निरंतर मामलों के आधार पर तैयार किए गए।
- बैंक द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए एवं इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। स्पष्टीकरण:- इस क्लॉज़ के उद्देश्य के लिए, "आंतरिक वित्तीय विवरणियाँ" शब्द का अर्थ बैंक द्वारा अपनायीं गई नीतियाँ और प्रक्रिया है जो अपने कारोबार के मानकों को नियमित एवं कुशलता से चलाने के लिए हैं जिसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं गलतियों की रोकथाम और उन्हे पता करना, लेखाबहियों के रिकॉर्ड की शुद्धता एवं पूर्णतः और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय से तैयार करना शामिल है।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित प्रणाली मौजूद थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

## 14. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट दी गयी है। वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है।

## 15. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

15.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अग्रणी रहा है। इसी प्रयास में, बैंक ने सीएसआर में अपने योगदान को अधिकतम बनाने के लिए वर्ष 2006 में 'यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट' (यूबीएसएफटी) की स्थापना की है। बैंक की प्रमुख सीएसआर गतिविधियां अब यूएसएफटी के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इसके बोर्ड की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यकारी निदेशक उपाध्यक्ष ट्रस्टी होते हैं। अन्य ट्रस्टियों में बैंक के महाप्रबंधक और एक स्वतंत्र ट्रस्टी शामिल होते हैं। यूएसएफटी बोर्ड बैंक के लक्षित क्षेत्रों के अनुसार दिशानिर्देश प्रदान करता है और प्रत्येक तिमाही इसकी समीक्षा करता है। बोर्ड के निर्देश यूबीएसटी के

मुख्य कार्यकारी द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं. यूबीएसएफटी का पंजीकृत कार्यालय, बेंगलूरु में है तथा प्रशासनिक कार्यालय मुंबई में स्थित है.

बैंक ने सीएसआर गतिविधि की तिमाही आधार पर निगरानी और मार्गदर्शन के लिए बैंक के निदेशकों की सीएसआर समिति भी बनाई है. समिति का नेतृत्व एमडी एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के 9(3) (एच) के तहत नामित एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 9(3)(आई) के तहत चुने गए एक शेरधारक निदेशक द्वारा किया जाता है.

सामाजिक उत्थान और वंचित वर्गों के जीवन में सुधार की दिशा में की जाने वाली पहल का समर्थन करने की उद्देश्य से यूबीएसएफटी की स्थापना की गयी.

## 15.2 बैंक द्वारा 2020-21 के दौरान कार्यान्वित सीएसआर गतिविधियां

यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) ने 2020-21 के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक विकास, स्वच्छता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के तहत रु.78.09 लाख रुपये की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

- नारायण हृदयालय, बेंगलूरु कर्नाटक को कोविड 19 मरीजों के इलाज के लिए रु.11.20 लाख मूल्य के दो वेंटिलेटर खरीदने में उनकी मदद की.
- मुल्कि सुंदर राम शेड्डी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, मुल्कि कर्नाटक के कन्वेंशन सेंटर के लिए रु.14.75 लाख मूल्य के एक जेनरेटर सेट खरीदने में मदद की.
- पालघर जिले के 3 सरकारी स्कूलों में सौचालय ब्लॉक के निर्माण के लिए 20.32 लाख रुपये की सहायता की. यह परियोजना बॉम्बे क्वीन सिटी फाउंडेशन के रोटी क्लब के माध्यम से लागू की गयी.
- नगरनिगम मछलीपट्टनम द्वारा आरसीसी बस सेल्टर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये की सहायता की.
- भविता स्पेशल स्कूल, मछलीपट्टनम को लोहे के अहाते की दीवार के निर्माण और फिजियो थेरेपी उपकरणों की खरीद के लिए 3.82 लाख रुपये की मदद की.
- एनएबी वर्ली सेंटर में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 25.50 लाख रुपये लागत की मिनी साइंस लाइब्रेरी की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया.

## 16. आभार:

- 16.1 निदेशक मंडल शेरधारकों, सम्मानित ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेर अंतरण एजेंटों, भारत तथा विदेश स्थित संपर्की बैंकों से प्राप्त सद्भावना, संरक्षण और समर्थन.
- 16.2 निदेशक मंडल भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, बीएसई, एनएसई, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त उनके मूल्यवान एवं सामयिक परामर्श, मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है.
- 16.3 निदेशक मंडल वर्ष के दौरान बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन में स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवा तथा उनके मूल्यवान योगदान की सराहना करता है तथा आगे भी बैंक के कार्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में इसी प्रकार उनके सतत सहयोग की आशा करता है.
- 16.4 निदेशक मंडल कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी कीमती जान गंवाने वाले स्टाफ के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना एवं आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के सुरक्षित, खुशहाल एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 05.07.2021

## प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

### 1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

- 1.1 वर्ष 2020 में विश्व के सामने नोवल कोविड-19 वायरस के कारण पैदा हुई अव्यवस्था के कारण गतिशीलता, सुरक्षा और सामान्य जीवन जैसी बातें जो कि पहले आसानी से सुलभ थीं वह बहुत दुष्कर हो गयीं. इस वजह से भारत एवं विश्व के समक्ष सदी की एक विकट आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो गई. बचाव अथवा वैकसीन के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति इस व्यापक समस्या से निपटने में सर्वप्रमुख हो गई.
- 1.2 वैश्विक वृद्धि में 2020 के मध्य से मंदी की स्थिति से धीरे-धीरे सुधार हुआ लेकिन फिर भी यह पूरे देश में असमान रही और इस गति को जारी टीकाकरण अभियान से बल मिला, साथ ही उदार मौद्रिक नीतियों और पर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहनों से इसको सहायता मिली.
- 1.3 2021 की प्रथम तिमाही (जनवरी-मार्च), में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2020 की तीसरी तिमाही से प्राप्त सुधार से धीरे-धीरे गति प्राप्त की, इस गति को चौथी तिमाही में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा (2021 की प्रथम तिमाही के समान), क्योंकि बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाएं (ईई) और कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को संक्रमण की दूसरी/तीसरी लहर के कारण वायरस के नए और अधिक संक्रामक स्ट्रेन में बढ़ोत्तरी होने से पुनः प्रतिबंध लगाना पड़ा है.
- 1.4 वित्त वर्ष 2020-21 में वित्तीय बाजार अच्छी उदार मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों तथा वैकसीन के काण्ड उत्पन्न सुधार आशावाद के कारण सुखद स्थिति में रहे. कुछ क्षेत्रों में स्टॉक मार्केट ने रिकार्ड उच्चतम स्तर की प्राप्ति की. उत्पादन, महामारी से पहले के स्तर से काफी कम रहा है जिससे बाजार एवं वास्तविक अर्थव्यवस्था में कोई संबंध न होने एवं साथ ही भविष्य की आर्थिक अनिश्चितता संबंधी चिंता उत्पन्न हुई. विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में अमेरिकी इक्विटी बाजारों ने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रत्येक माह नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया. अमेरिका एवं अन्य ईई के समान ईएमई के स्टॉक बाजार 2020 की चौथी तिमाही से 2021 की प्रथम तिमाही तक पुनः आगे बढ़े जिन्हें विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह से सहायता मिली. फरवरी के उत्तरार्द्ध से पूंजी के बहिर्वाह के पुनः प्रारंभ होने से ईएमई स्टॉक सूचकांकों ने वृद्धि दर्शाई.
- 1.5 इस वर्ष फरवरी के मध्य से वैश्विक वित्तीय बाजार तेजी से अस्थिर हो गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ मजबूत विकास की उम्मीदों से उपजी मुद्रास्फीति चिंताओं पर सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि से प्रेरित है. बांड बाजार में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती से उभरते बाजारों में गिरावट आई.
- 1.6 आर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनामिक को-ओपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने अनुमान लगाया है कि विश्व उत्पादन 2021 के मध्य तक महामारी के पूर्व के स्तर तक पहुँचेगा, यद्यपि यह मुख्य रूप से वैकसीन के वितरण एवं वाइरस के उभरते वेरिएंट के प्रति इनकी प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा.

- 1.7 आईएमएफ के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था के 2021 में 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, 2022 में यह कम होकर 4.4 प्रतिशत रहेगी. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह उम्मीद है कि संयुक्त राज्य (यूएस) इस वर्ष कोविड से पहले के जीडीपी स्तर से आगे निकल जाएगा, जबकि समूह में शामिल बहुत से अन्य कोविड पूर्व स्तर को 2022 में ही प्राप्त कर पाएंगे. उभरती एवं विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं में चीन पहले ही 2020 में कोविड पूर्व जीडीपी को प्राप्त कर चुका है जबकि यह संभावना है कि अन्य बहुत से देश इस स्तर को 2023 तक भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे. पूरे विश्व में सरकार एवं केन्द्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सहायता देने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत दरों को कम करना, परिमाणात्मक आसान उपाय, ऋण गारंटी, नकद अंतरण एवं राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय जैसे बहुत से कदम उठाए.

### 2. घरेलू अर्थव्यवस्था

- 2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकिक कार्यालय (एनएसओ) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2020-21 में कम होकर -7.3 प्रतिशत रहा. वित्त वर्ष 2021 के लिए स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वास्तविक जीडीपी वर्ष 2019-20 के रु.145.69 लाख करोड़ के सापेक्ष रु.135.13 लाख करोड़ अनुमानित है. वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी के वर्ष, 2019-20 के रु.203.51 लाख करोड़ के सापेक्ष रु.197.46 लाख करोड़ रहने का अनुमान है. वित्त वर्ष 21 के पूर्वार्द्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी में आ गई, वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में जीडीपी 24.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी वहीं वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी. इस तेज गिरावट का कारण सरकार द्वारा अप्रैल-मई 2020 में कोरोना वायरस के फैलाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किया जाना था, जिससे पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में रुकावट आई और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र गतिविधियों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ा औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र ने 2020-21 में क्रमशः -7.0 प्रतिशत और -8.4 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया. कृषि क्षेत्र में प्रगति उन्नतशील रही जिसे सामान्य मानसून, अच्छी खरीफ बोवाई, पर्याप्त जल स्तरों से सहायता मिली. कृषि क्षेत्र के 2020-21 में 3.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है.
- 2.2 पूर्ववर्ती तिमाहियों के संकुचन से जीडीपी में कमी आई एवं 2020-21 की तीसरी तिमाही में वृद्धि प्राप्ति की गई (वर्ष दर वर्ष + 0.5 प्रतिशत) और इसे 2020-21 की चौथी तिमाही में और मजबूती मिली (वर्ष दर वर्ष + 1.6 प्रतिशत). वृद्धि के उच्च सूचकांक आवर्ती बिन्दुओं की गति को चौथी तिमाही में और मजबूती मिली यद्यपि मार्च 2021 में कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण की वृद्धि से आंकलन में अनिश्चितता आई.
- 2.3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2021-22 के लिए भारत में 12.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है. 2022-23 के लिए आईएमएफ



ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2021-22 के लिए 9.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है जिसमें प्रथम तिमाही की 18.5 प्रतिशत वृद्धि, दूसरी तिमाही की 7.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही की 7.2 प्रतिशत एवं चौथी तिमाही की 6.6 प्रतिशत शामिल हैं।

- 2.4 आगे देखें तो दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान, कृषि एवं कृषि अर्थव्यवस्था का लचीलापन, व्यापार के कोविड समर्थित परिचालन मॉडल और वैश्विक वसूली को प्राप्त गति घरेलू अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवएगी। इसके अतिरिक्त आने वाले महीनों में टीकाकरण प्रक्रिया के गति पकड़ने की आशा है जिससे आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रूप में लाने में सहायता मिलेगी। अनुकूल मौद्रिक नीति अपनाने, आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत राजकोषीय प्रोत्साहन और केंद्रीय बजट 2021-22 में वर्धित पूँजी परिव्यय एवं निवेश वृद्धि करने वाले प्रस्तावों से सार्वजनिक निवेश में बढ़ोत्तरी होगी और अधिक संख्या में निजी निवेश भी प्राप्त होगा।

### 3 मूल्य परिदृश्य

- 3.1 वित्त वर्ष 21 में प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति (सीपीआई) कम एवं लक्ष्य से नीचे रही जबकि चीन, थाइलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश समय सीपीआई मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी हुई, यहाँ तक कि कुछ देशों में लक्ष्यों से भी अधिक रही।
- 3.2 घरेलू अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा आंकी जाने वाली मुख्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्य एवं मुख्य श्रेणी की कीमत प्रवाह में वृद्धि से लगातार आठ महीनों तक लक्ष्य से ऊपर रही एवं अक्टूबर 2020 में 7.6 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुँची। यद्यपि मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर 2020 में कम होकर टालरेंस बैंड में पहुँची एवं मार्च 2021 में 5.52% रही। रियायतों द्वारा अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने से, आपूर्ति श्रृंखलाओं की पुनर्बहाली तथा गतिविधियों के सामान्य होने से उच्च मुद्रास्फीति देखी गई। व्यापक आधारित कीमत दबावों को दर्शाते हुए सीपीआई समूह/उप समूह मुद्रास्फीति 2020-21 में 4.9 प्रतिशत पर केंद्रित रही।
- 3.3 मूल मुद्रास्फीति अवरुद्ध रही तथा आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से होने एवं मांग में वृद्धि होने से वित्त वर्ष के दौरान इसे मजबूती मिली। मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन के अतिरिक्त मुद्रास्फीति) में दृढ़ता बनी रही और मार्च 2021 में यह 5.96 प्रतिशत रही। यह वृद्धि औद्योगिक कच्चे माल की अधिक कीमतों, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के उच्चतम स्तर तथा लॉकडाउन के बाद की अवधि में व्यापार करने की उच्चतर लागत की वजह से हुई।

### 4. स्टॉक मार्केट का निष्पादन

- 4.1 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वैश्विक वित्तीय बाज़ार में अधिकतर तेजी रही जो टीकाकरण से उत्पन्न आशावाद से प्रेरित रहा। प्रमुख देशों में

बड़े पैमाने पर राजकोषीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ-साथ वैश्विक ईक्विटी बाज़ार में सुदृढ़ रैलियों तथा भारत में किए गए उपायों ने घरेलू बाज़ार संवेदनाओं को बढ़ावा दिया।

- 4.2 घरेलू ईक्विटी बाज़ार में, 23 मार्च 2020 को 25981 के निचले स्तर पर पहुँचने के बाद बीएसई सेनसेक्स में 2020-21 के प्रथम अर्ध-वर्ष (एच1:2020-21) के दौरान 46.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिकॉर्ड एफपीआई आगमन से, आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार, सुदृढ़ धन अर्जन, कोविड-19 टीका का शुभारंभ तथा संवृद्धि उन्मुख यूनियन बजट-2021-22 की घोषणा से, सकारात्मक वैश्विक संकेतों पर घरेलू ईक्विटी 2020-21 के दूसरे अर्ध-वर्ष के दौरान सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचा। दूसरे अर्ध-वर्ष (एच2:2020-21) में बीएसई सेसेक्स 30.1 प्रतिशत बढ़कर 49,509 पर बंद हुआ।

### 5 आय प्रवाह :

- 5.1 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आय प्रवाह अस्थिर रहा। आरबीआई द्वारा घोषित तरलता बढ़ाने के उपायों से वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में आय में कमी आना, अप्रैल और मई के दूसरे भाग में कम हो गया था। 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के बाज़ार उधार में 7.8 लाख करोड़ रुपये से 12.0 लाख करोड़ रुपये तक, लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के साथ - हालांकि, 11 मई, 2020 को बेंचमार्क प्रतिफल में 20 बीपीएस की वृद्धि हुई। जून में, कई कारक जैसे दिनांकित प्रतिभूतियों की कम मांग; सीमा तनाव; फिच रेटिंग्स द्वारा रेटिंग डाउनग्रेड; और टी-बिल और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) जारी करने में वृद्धि से आपूर्ति की कमी ने प्रतिफल को स्थिर रखा। इसके बाद, हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार में नरमी, कच्चे तेल के वायदा में गिरावट और आरबीआई द्वारा विशेष खुले बाज़ार संचालन (ओएमओ) या "ऑपरेशन ट्विस्ट" की घोषणा ने जून के अंत तक प्रतिफल पर दबाव कम कर दिया। रिज़र्व बैंक ने जुलाई-सितंबर के दौरान पांच ऑपरेशन ट्विस्ट नीलामियों का आयोजन किया और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत रखी गई एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में एनडीटीएल के 2.5 प्रतिशत की वृद्धि-19.5 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक- के साथ उनका समर्थन किया। कुल मिलाकर, 2020-21 की पहली तिमाही में 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल में 15 बीपीएस की कमी आई। वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में, आय ने जून और जुलाई के लिए ईंधन की कीमतों में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति प्रिंट पर एक सख्त पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया। कुल मिलाकर, 10-वर्षीय प्रतिफल (5.79 प्रतिशत जीएस 2030) दूसरी तिमाही में 12 बीपीएस तक कम हो गया, जो मुख्य रूप से अगस्त में 24 बीपीएस की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान, आय 15 बीपीएस घटकर 6.04 प्रतिशत से 5.89 प्रतिशत हो गई। चौथी तिमाही के दौरान, 1 फरवरी, 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रस्तुति तक आय ऊर्ध्वगामी पूर्वाग्रह के साथ सीमित रही। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए औसत जी-सेक आय 5.99% थी। कॉरपोरेट बॉन्ड आय में भी कमी आई, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव पर नजर रखी गई। इसके अलावा, जारीकर्ता श्रेणियों और रेटिंग स्पेक्ट्रम में संबंधित जी-सेक पर कॉरपोरेट बॉन्ड का प्रसार कम हुआ।

## 6 बाहरी क्षेत्र

- 6.1 भारत का व्यापारिक निर्यात वित्त वर्ष 20 के दौरान \$ 313.2 बिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 21 के दौरान यह \$ 290.6 बिलियन था। वित्त वर्ष 21 में 7.3% की डी-ग्रोथ वित्त वर्ष 20 में 5.2% डी-ग्रोथ से अधिक रही है। पिछले वर्ष के \$474.2 बिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 21 में पण्य आयात घटकर \$389.2 अरब रह गया। इसके परिणामस्वरूप, संकुचन वित्त वर्ष 20 में 7.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 18% हो गया है। चूंकि आयात में डी-ग्रोथ अधिक रही है, वित्त वर्ष 21 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष के \$161 बिलियन की तुलना में कम होकर \$98.6 बिलियन हो गया है।
- 6.2 भारत की विकास संभावनाओं के बारे में बढ़ते आशावाद पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) द्वारा समर्थित 2020-21 में शुद्ध पूंजी प्रवाह मजबूत रहा। वित्त वर्ष 21 के दूसरे भाग के दौरान इक्विटी सेगमेंट में पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा शुद्ध खरीद में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान \$ 5.2 बिलियन अमेरिकी के बहिर्वाह की तुलना में वर्ष 2020-21 (30 मार्च तक) के दौरान \$ 37.1 बिलियन अमेरिकी का शुद्ध एफपीआई प्रवाह हुआ। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह 2020-21 में 10% बढ़कर रिकॉर्ड \$ 81.72 बिलियन हो गया, जिसमें एफडीआई इक्विटी प्रवाह 19% बढ़कर लगभग \$ 60 बिलियन हो गया।
- 6.3 विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपये ने दो-तरफा चलन का प्रदर्शन किया है, जो कोविड -19 के प्रसार और नियंत्रण पर उत्तेजक विचारों से प्रेरित वैश्विक जोखिम-ऑन जोखिम-ऑफ भावनाओं को दर्शाता है। भारतीय रुपया शुरू में महामारी के फैलने से दबाव में आया था, लेकिन बाद में ईएमई परिसंपत्तियों के लिए निवेशकों की रुचि में वापसी के साथ अमेरिकी डॉलर की तुलना में इसकी मूल्यवृद्धि हुई है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रुपया 73.20 प्रति डॉलर रहा, जबकि पिछले संगत वर्ष की इसी अवधि में यह 75.66 प्रति डॉलर था।
- 6.4 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन लागू होने के बाद गिर गईं, जिससे 21 अप्रैल, 2020 को कच्चे तेल की इंडियन बास्केट की कीमत लगभग यूएस \$ 16 प्रति बैरल हो गई। इसके बाद, अगस्त 2020 के अंत तक कच्चे तेल की इंडियन बास्केट की कीमत बढ़कर यूएस \$ 44 प्रति बैरल हो गई। वर्ष 2020-21 के दूसरे अर्ध-वर्ष में, कच्चे तेल की कीमतें (इंडियन बास्केट) सितंबर 2020 में लगभग यूएस \$ 41 प्रति बैरल से फरवरी 2021 में यूएस \$ 61 प्रति बैरल तक लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गईं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के विविध कच्चे तेल (सीओबी) का औसत वार्षिक मूल्य \$ 42.72 प्रति बैरल था।
- 6.5 मार्च 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा रिज़र्व \$ 579.28 बिलियन तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रिज़र्व में \$101.5 बिलियन की वृद्धि हुई, जो अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा किटी में सबसे अधिक वृद्धि है।

## 7 चलनिधि शर्तें :

- 7.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उदार मौद्रिक नीति रुझान के अनुरूप अधिशेष चलनिधि की स्थिति थी। अप्रैल 2020 में कोविड से संबंधित अव्यवस्थाओं के कारण निलंबित सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन, रिज़र्व बैंक के सिस्टम में पर्याप्त तरलता की उपलब्धता को दोहराए जाने के साथ जनवरी 2021 में फिर से शुरू किया गया था।
- 7.2 ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) - खरीद और बिक्री दोनों - मौद्रिक नीति के रुझान के साथ बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि को समायोजित करने के लिए एक प्रमुख साधन हैं। वित्त वर्ष 21 के दौरान, आरबीआई ने ₹ 5.04 लाख करोड़ रुपये की जी-सेक की ओएमओ खरीद और राशि ₹30,000 करोड़ की एसडीएल की ओएमओ खरीद की। वित्त वर्ष 21 के दौरान कुल ओएमओ बिक्री (विशेष ओएमओ सहित) 1.84 लाख करोड़ रुपये थी।
- 7.3 कुल मिलाकर, रिज़र्व बैंक द्वारा 6 फरवरी, 2020 से (31 मार्च, 2021 तक) घोषित कुल चलनिधि सहायता ₹13.6 लाख करोड़, 2020-21 नॉमिनल जीडीपी का 6.9 प्रतिशत है।
- ### 8 आरबीआई के नीतिगत फैसले
- 8.1 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आरबीआई ने 22 मई, 2020 को प्रमुख नीतिगत दर में 40 बीपीएस की कमी की है और शेष वित्तीय वर्ष के दौरान नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। तदनुसार, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर लगभग दो दशक के निचले स्तर क्रमशः 4.00 प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत पर है। एमएसएफ दर और बैंक दर को क्रमशः 4.65 प्रतिशत से घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने वाले लक्ष्य के भीतर बनी रहे, समायोजन के रुझान को जारी रखने का निर्णय लिया है जब तक विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है।
- 8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 के मद्देनजर कई पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपाय किए। नीतिगत दर में कमी के पारंपरिक उपायों के अलावा, आरबीआई ने क्षेत्रीय ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और तनाव को कम करने के उद्देश्य से प्रणाली के साथ-साथ क्षेत्र-विशिष्ट तरलता को बढ़ाने के लिए लंबी अवधि के रेपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) को प्रारंभ किया। चुनांदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं, जबकि मोचन दबाव को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए एक विशेष तरलता सुविधा आरंभ की गई थी। वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा, सहकारी परिणामों को साकार करने के लिए आरबीआई की संचार रणनीति में आगे के मार्गदर्शन को प्रमुखता मिली। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए, सिस्टम में पर्याप्त तरलता के प्रावधान के माध्यम से वसूली प्रक्रिया का समर्थन प्रदान करना सुनिश्चित किया।

8.3 परिणामस्वरूप पूरे स्पेक्ट्रम में ब्याज दरों में ढील दी गई, स्प्रेड संकुचित हो गए और अनुकूल वित्तीय स्थितियां बनी रहीं। इसने वित्तीय बाजारों और संस्थानों की सामान्य कार्य प्रणाली, उधार की 17 साल की कम भारित औसत लागत पर संवर्धित सरकारी उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पूरा करने और कॉर्पोरेट बॉन्ड की रिकॉर्ड मात्रा में जारीकरण को सक्षम किया।

8.4 जैसे ही सामान्य स्थिति वापस आई, बैंकों को एलटीआरओ / टीएलटीआरओ के तहत पहले ली गई धनराशि को समय से पहले वापस करके सौम्य ब्याज दर के माहौल का लाभ उठाने में सक्षम बनाया गया। इसके अतिरिक्त, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 बीपीएस (4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत) कर दिया गया था। इसके अलावा, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत बैंकों के लिए उनके सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को कम करके उधार लेने की सीमा को पहले के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर एनडीटीएल का 3 प्रतिशत कर दिया गया था। कोविड-19 से प्रभावित व्यवहार्य खातों के समाधान के लिए एक व्यापक समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के साथ ऋण चुकोती पर स्थगन के रूप में उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्री-एम्पटिव विनियामक उपायों की घोषणा की गई।

## 9 बैंकिंग परिदृश्य :

9.1 बैंकिंग क्षेत्र अर्थ व्यवस्था में कोविड महामारी के कारण हुई मंदी के कारण खराब आस्ति गुणवत्ता, ऋण मांग में कमी संबंधी चुनौतियों का सामना करता रहा।

9.2 2020 -21 के दौरान ऋण ऑफ-टेक, गैर-खाद्य ऋण वृद्धि 27 मार्च 2020 की 6.17 प्रतिशत की तुलना में 26 मार्च 2021 को 5.59 प्रतिशत के रूप में कम हुई। 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी ) में ऋण वृद्धि, कृषि क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख क्षेत्रों में कम रही। मुख्यतः बड़े उद्योगों को ऋण देने के कारण ऋण वृद्धि 0.4% (एक वर्ष पहले 0.7%) के रूप में कम हुई और मार्च 2021 (एक वर्ष पहले की 0.6% की वृद्धि की तुलना में) में यह 0.8% के रूप में संकुचित हो गई। यह प्राथमिक रूप से बड़े उद्योगों द्वारा गैर बैंक साधनों से वित्तीय साधन प्राप्त करने के कारण हुई है जब कि मध्यम उद्योगों ने मार्च 2021 (एक वर्ष पहले के 0.7% की संकुचन की तुलना में) में 28.8% की सुदृढ़ वृद्धि दर्शाई है। वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि में मंदी जारी है, जैसे कि एक वर्ष पहले के 15.0 प्रतिशत से मार्च 2021 में 10.2 प्रतिशत के रूप में मंदी हुई। तथापि, माह के दौरान वाहन ऋण और गोल्ड ज्वेलरी पर ऋण का निष्पादन अच्छा रहा, और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई।

9.3 ब्याज दरों में पर्याप्त कमी, जमाकर्ताओं का जोखिम से बचनेवाले व्यवहार और लाभप्रद वैकल्पिक निवेश के अभाव के बावजूद वित्त वर्ष 21 के दौरान एससीबी की समग्र जमाओं ने सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की है। जमाओं ने, समवर्ती पिछले वर्ष (अर्थात् 26 मार्च, 2020) की 7.90 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 26 मार्च, 2021 को 11.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है।

9.4 वित्त वर्ष 21 के दौरान बैंकों की जमा और ऋण दरों के मौद्रिक प्रेषण में काफी वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान पॉलिसी रेपो दर में 115 बीपीएस की कटौती की प्रतिक्रिया में मार्च 2020 से मार्च 2021 तक नए रुपये ऋणों पर भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यूएएलआर) में 123 बीपीएस की गिरावट हुई। उसी समय बकाया रूपए ऋण पर डब्ल्यूएएलआर 90 बीपीएस हुई। इस अवधि के दौरान भारित औसत देशी मियादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीआर) में 107 बीपीएस गिरावट हुई। इसी अवधि में निधि आधारित ऋण दर (एमसीएलआर ) के 1 वर्षीय मध्यम सीमांत लागत में संघी रूप से 95 बीपीएस गिरावट हुई।

## 10 संसाधन प्रबंधन :

10.1 संरचनात्मक और प्रणालीगत परिवर्तनों से निपटने के साथ, आपके बैंक ने अपने व्यवसाय में सकारात्मक विकास किया है। आपके बैंक का कुल कारोबार, 31 मार्च, 2021 को रु.1577490 करोड़ तक बढ़ गया है। 31 मार्च, 2021 तक आपके बैंक की कुल जमा राशि रु.923805 करोड़ रुपये हो गई। चालू और बचत जमा (कासा) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल जमा का 36.33% है। आपके बैंक का कुल अग्रिम 31 मार्च, 2021 को रु.6,53,684 करोड़ हो गया है।

सारणी 1: जमा की संरचना		
(रु. करोड़ में)		
विवरण	31.03.21	31.03.20*
कुल जमा	923805	450668
कासा जमा	335592	160373
बचत जमा	271968	133958
चालू जमा	63624	26415

\*आंकड़े समामेलन अवधि के पूर्व केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय परिणामों से संबंधित है, इसलिए मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु समामेलन उपरांत वित्तीय परिणामों की तुलना नहीं की जानी है।

## 10.2 वर्ष के दौरान किए गए नए उद्यम :

✓ ग्राहक प्रतिधारण कार्यनीति के हिस्से के रूप में एक विश्लेषण किया गया। बचत बैंक खाते के शेष में कमी आने वाले 5 लाख एचएनआई ग्राहकों की पहचान की गई। इन ग्राहकों को प्रेरित करने हेतु 11.07.2020 से 25.07.2020 तक "यूनियन एचएनआई कनेक्ट" के नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का लक्ष्य, इन ग्राहकों तक पहुंचना है। ग्राहक शिकायतों के सक्रिय निवारण, किसी भी सेवा संबंधित अनुरोध को निपटाना, नई निधि जमा करने और लेन देनों में वृद्धि करने हेतु ग्राहकों को मनाना आदि है। अभियान के कारण इन खातों में रु.3850 करोड़ की वृद्धि हुई है।

✓ वेतन और पेंशन खातों को प्राप्त करने हेतु 03.08.2020 से 30.09.2020 तक एक अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के दौरान 15626 वेतन खाते और 1590 पेंशन खाते खोले गए।

- ✓ "My Bank My CASA" के नाम से नए बचत एवं चालू खातों को खोलने हेतु एक विशेष अभियान 01.10.2020 से 24.12.2020 तक चलाया गया. इस अभियान के दौरान कुल 1727397 बचत खाते और 80688 चालू खाते खोले गए और अभियान अवधि के दौरान क्रमशः रु. 1968.60 करोड़ और रु. 708.21 करोड़ की नई निधि जोड़ी गई.
- ✓ प्रति ग्राहक कारोबार/ उत्पाद में वृद्धि को लक्ष्य करते हुए "यूनियन वैभव" के नाम से 01.01.2021 से 31.01.2021 तक एक अभियान शुरु किया गया. शाखाओं को शीर्ष 100 बचत बैंक खाता धारकों को बुलाने और उनसे सभी वित्तीय लेन-देनों हमारे बैंक के ज़रिए करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का लक्ष्य दिया गया, जिससे हमारा बैंक खाता उनके लिए प्राथमिक खाता बन जाए.

### 10.3 वर्ष के दौरान शुरु किए गए नए उत्पाद :

- ✓ रूपे के सहयोग से एचपीसीएल के साथ एक नया सह-ब्रैंड क्रेडिट कार्ड "UNI CARBON" शुरु किया गया. कार्ड का उपयोग करते हुए ग्राहक विभिन्न निःशुल्क, रिवाईड / नकद वापसी आदि का आनंद उठा सकते हैं.

## 11 क्रेडिट प्रबंधन

### 11.1 रिटेल :

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपके बैंक का रिटेल ऋण संविभाग वित्तीय वर्ष में 10.49% बढ़ गया. रिटेल ऋण संविभाग में 31 मार्च, 2020 में रु. 1,13,521 करोड़ से 31 मार्च, 2021 तक रु.1,25,427 करोड़ की वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में रिटेल के व्यक्तिगत ऋण में 58.69% की वृद्धि के साथ अच्छी वृद्धि हुई है. रिटेल क्षेत्र में अधिकतम हिस्सेदारी वाले आवास ऋण में 6.06% की वृद्धि हुई है. वर्ष के दौरान वाहन ऋण में 27.49 %की वृद्धि हुई है जबकि बंधक ऋण में 1.12% की वृद्धि हुई है. नए कारोबार को आकर्षित करने हेतु बैंक ने नवोन्मेषी उपाय किए हैं. तदनुसार, बैंक ने psbloanin59minutes पोर्टल पर रिटेल ऋण उत्पाद जैसे आवास, वाहन एवं शिक्षा ऋण शुरु किए हैं. इसके साथ ही, कारोबार संग्रहण को अधिक सशक्त बनाने के लिए, आपके बैंक ने बिल्डर टाइ-अप विस्तार के साथ उत्पाद विशिष्ट अभियान का आयोजन किया है. आपका बैंक संभावित लीड्स से नए कारोबार को प्राप्त करने के लिए डाटा एनालिटिक्स का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहा है और रु.192 करोड़ तक का कारोबार प्राप्त कर लिया गया है. खुदरा उत्पादों के डिजिटलीकरण के रूप में बैंक ने डिजिटलीकृत वैयक्तिक ऋण (पीएपीएल) की शुरुआत की है. बैंक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर (यूएलपी) के ज़रिए प्रोसेसिंग दक्षता को बढ़ाने हेतु और वित्त वर्ष 2022 तक सभी खुदरा उत्पादों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करने हेतु प्रयासरत है.

सारणी 2: रिटेल ऋण के तहत वर्ष दर वर्ष उत्पादवार वृद्धि:				
(रु. करोड़ में)				
योजना	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
यूनियन होम	66228	62442	3786	6.06
यूनियन माइल्स	9456	7417	2039	27.49
यूनियन एजुकेशन	7159	7271	-112	-1.53
यूनियन मोर्टगेज	11887	11756	131	1.11
यूनियन पर्सनल	5465	3444	2021	58.69
अन्य	25230	21192	4038	19.06
<b>कुल रिटेल</b>	<b>125427</b>	<b>113521</b>	<b>11906</b>	<b>10.49</b>

### 11.2 कृषि :

11.2.1 आपके बैंक के लिए कृषि अग्रिम सदैव ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है. यथा 31.03.2021 को बैंक का कृषि अग्रिम, बैंक के कुल अग्रिम की 19 प्रतिशत है. 31 मार्च, 2021 को कृषि प्राथमिकता के अंतर्गत 18% के सांविधिक लक्ष्य की तुलना में बैंक का निष्पादन 18.69 % रहा और बैंक, भारिबैं के ई-कुबेर पोर्टल के अंतर्गत कृषि में रु.3500 करोड़ के आधिक्य की बिक्री करने में भी समर्थ हुआ. बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि हेतु 31.03.2021 तक रु.120124 करोड़ की बकाया राशि के साथ 11.89% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की है.

यथा 31 मार्च, 2021 लघु एवं सीमांत किसानों को बकाया ऋण रु.76070 करोड़ था जो कि एनबीसी के 8 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष एनबीसी का 11.74 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 2.51 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं.

### 11.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) :

11.3.1 बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने में ध्यान केंद्रित किया है. एमएसएमई को ऋण 3.24% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2021 को रु.1,22,274 करोड़ रहा. एमएसएमई के अधीन, 31 मार्च, 2021 को एमएसई ऋण रु.94,484 करोड़ रहा एवं इसमें 3.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. एमएसएमई संविभाग के विश्लेषण नीचे दिया गया है :

सारणी 3: एमएसएमई पोर्टफोलियो का विश्लेषण				
(रु.करोड़ में)				
विवरण	31.03.2021	31.03.2020	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
सूक्ष्म	45347	41523	3824	9.21
लघु	49137	49949	(812)	(1.63)
एमएसई	<b>94483</b>	<b>91472</b>	<b>3011</b>	<b>3.29</b>
मध्यम	27790	26968	822	3.05
एमएसएमई	<b>122274</b>	<b>118440</b>	<b>3834</b>	<b>3.24</b>

**11.3.2** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत रु. 8423.76 करोड़ संग्रहीत करते हुए 870141 नए ऋण की मंजूरी की गई. 31.03.2021 को पीएमएमवाई के अंतर्गत बकाया स्थिति 22.06 लाख खाते के साथ रु.18832.18 करोड़ की हैं.

**11.3.3** सरल (केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र) प्रोसेसिंग के साथ ही एक अधिग्रहण केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहा है. मार्च 2021 तक, सरल और सरल लाइट्स की संख्या 94 रही. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 46 नए सरल और सरल लाइट्स खोले गए.

**11.3.4** बैंक ने प्राथमिकता आधार पर लीड जनरेट करने के लिए एवं इसे फलदायी कारोबार में परिवर्तित करने के लिए सरल में रिलेशनशिप मैनेजर को पदस्थ किया है. सरल के केंद्रीकरण और संविभागीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

**11.3.5** [www.psbloansin59minutes.com](http://www.psbloansin59minutes.com) पोर्टल के तहत उपलब्धियां: हमारा बैंक psbloansin59minutes.com पोर्टल पर सबसे अच्छा कार्यनिष्पादन करने वाले बैंकों में से एक है. 31.03.2021 तक, इस पोर्टल के जरिए 33167 एमएसएमई को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है. जिसमें से रु.5380.65 करोड़ राशि के 18081 प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दे दी गई है. हमने सर्वप्रथम एमएसएमई के लिए 5 करोड़ तक का वित्त प्रदान किया है.

**एमएसएमई अग्रिमों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल :**

**11.3.6** कोविड इमर्जेंसी लाईन ऑफ क्रेडिट (सीईएलसी) योजना:

बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में कोविड महामारी द्वारा बाधित कारोबार को समर्थन देने हेतु एक प्रतिबद्ध योजना, कोविड इमर्जेंसी लाईन ऑफ क्रेडिट (सीईएलसी) योजना की शुरुआत की गई है. योजना का लक्ष्य, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट का निवारण करने हेतु सांविधिक देयों के भुगतान, वेतन/ बिजली बिल / भाड़ा आदि जैसे अस्थाई चलनिधि बेमेल की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है. सीईएलसी के अंतर्गत 113880 उधारकर्ताओं को रु.3651.56 करोड़ के ऋण मंजूर किए गए हैं.

**11.3.7** यूनियन गारंटीड इमर्जेंसी क्रेडिट लाईन (यूजीईसीएल)- योजना की शुरुआत इमर्जेंसी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना के अनुसार हुई है. ईसीएलजीएस (ऋण उत्पाद: गारंटीड इमर्जेंसी क्रेडिट लाईन) की घोषणा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने की है. बैंक द्वारा यूजीईसीएल 1.0 योजना मई 2020 में और यूजीईसीएल 2.0 योजना, नवंबर 2020 में प्रारंभ की गई थी. यूजीईसीएल 1.0 एवं 2.0 के अंतर्गत 372660 उधारकर्ताओं को रु.9681.20 करोड़ की मंजूरी दी गई.

**11.3.8** एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च श्रेणी की आबंटित संपत्ति खरीदने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना (पीसीजीएस) :

वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च श्रेणी की आबंटित संपत्तियों की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक ऋण

गारंटी योजना पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक द्वारा एक समयबद्ध योजना शुरू की गई है. यह योजना वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च श्रेणी की आबंटित संपत्ति खरीदने के लिए 24 महीने की आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करती है. इस योजना में, सरकार पहले डिफॉल्ट के 10% तक की हानि की गारंटी प्रदान करेगी.

**11.3.9** पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):

कोविड महामारी के कारण बुरी तरह से पीड़ित स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने हेतु एक विशेष लघु ऋण सुविधा (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से). यह विशेष आर्थिक पैकेजों में से एक है जिसमें स्ट्रीट वेंडरों हेतु ऋण प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया की सुविधा है. हमारे बैंक ने भी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक समर्पित एवं सुसंगत उत्पाद तैयार किया है. पीएम स्वनिधि के तहत 259652 उधारकर्ताओं को 259.45 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए.

**11.3.10** यूनियन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेंटरी सपोर्ट (यूआरआरईआईएस) योजना:

रियल एस्टेट सेगमेंट में लगे व्यावसायिक उद्यम परस्पर संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से गुजर रहे हैं, जिसमें उनके कर्मचारियों की देखरेख, नकदी और तरलता को बढ़ाने, संचालन को पुनः प्रस्तुत करना आदि शामिल हैं. बैंक द्वारा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेगमेंट को ऋण देने के लिए एक विशेष उत्पाद: यूआरआरईआईएस योजना शुरू की गई है.

**11.3.11** स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटापी) के माध्यम से एमएसएमई को डिजिटल लेंडिंग: एसटापी एक प्रमुख तकनीक है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऋण प्रस्तावों को डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिए किया जाता है। बैंक द्वारा एसटापी मॉडल के तहत शुरू किए गए उत्पाद निम्नानुसार हैं:

- शिशु मुद्रा लोन की प्रारंभ से अंत तक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटापी) : इस मॉडल को वित्त वर्ष 2020-2021 की तीसरी तिमाही में प्रारंभ किया गया था. इस मॉडल के तहत, बैंक के मौजूदा ग्राहक को 7-8 मिनट की औसत अवधि के भीतर डिजिटल माध्यम से शिशु मुद्रा ऋण (रु. 50,000/- तक) की स्वीकृति और वितरण प्राप्त होता है. हमारा बैंक साथ के पीएसबी के बीच एकमात्र बैंक है जिसके पास संवितरण चरण तक संपूर्ण शिशु मुद्रा ऋण मॉडल उपलब्ध है. ये ऋण उचित दस्तावेजीकरण (एनईएसएल के माध्यम से) और बाद में सीजीटीएमएसई कवरेज के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

- 5 करोड़ रुपये तक का एमएसएमई एसटापी (सैद्धांतिक अनुमोदन): 5 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋण निर्बाध रूप से सैद्धांतिक और तत्काल ऋण अनुमोदन प्रदान कर दिए जाते हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र पीएसबी है जिसके पास सैद्धांतिक अनुमोदन चरण तक मैनुअल हस्तक्षेप के बिना ऋण प्रस्ताव को डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिए आंतरिक प्रणाली युक्त एप्लिकेशन है. नए एवं वर्तमान उधारकर्ता रु. 5 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और



30 मिनट की औसत समय अवधि के भीतर सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस रूल एंजिन विभिन्न एकीकरणों के माध्यम से डेटा को पढ़ने और विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत एल्गोरिथम का उपयोग करता है। ऋण आवेदन 24\*7 कहीं से भी और कभी भी जमा किया जा सकता है।

**11.3.12 कॉर्पोरेट ऋण :** दिनांक 31.03.2021 को कॉर्पोरेट ऋण रु.2,85,859 करोड़ रुपये रहा। देश भर में सात औद्योगिक वित्तीय शाखाएँ (आईएफबी) और सैंतीस मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट की निवेश ग्रेड परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण संवितरण किया है, इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अवसरों में और उसके वैश्विक संबंधों में योगदान दिया है।

#### 11.4 प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम :

**11.4.1 आपका बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।** प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम के तहत, आपके बैंक ने 5.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 31 मार्च, 2021 को रु. 279576 करोड़ रहा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के तहत 40% के सांविधिक लक्ष्य की तुलना में आपके बैंक ने मार्च-2021 को समाप्त तिमाही के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 42.00 प्रतिशत की वृद्धि तथा आरआईडीएफ/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी में निवेश सहित तथा पीएसएलसी बिक्री को छोड़कर 2.42% की वृद्धि दर्ज की।

सारणी 4: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम					
(रु. करोड़ में)					
विवरण (आरआईडीएफ सहित)	31.03.21	31.03.20	वर्ष- दर- वर्ष (%)	एएनबीसी का (%)	बैंचमार्क वि. व. 2021 (एएनबीसी का %)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (रु. 18500 करोड़ की पीएसएलसी को घटाने के पश्चात्)	272203	265769	2.42	42.00	40%
कृषि क्षेत्र (रु. 3500 करोड़ की पीएसएलसी को घटाने के पश्चात्)	121142	106726	13.51	18.69	18%
लघु एवं सीमांत कृषक (रु. 3500 करोड़ की पीएसएलसी को घटाने के पश्चात्)	76070	62834	21.07	11.74	8%
कमजोर वर्ग को ऋण (रु. 3500 करोड़ की पीएसएलसी को घटाने के पश्चात्)	88170	82372	7.04	13.60	10%
महिला लाभार्थियों को ऋण	73307	62939	16.47	11.31	5%

#### सामाजिक उत्थान हेतु विशेष ऋण

**11.4.2 आपका बैंक समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक विकास एवं समान अवसर उपलब्ध करने हेतु दृढसंकल्प है।** तदनुसार, बैंक ने विभिन्न कमजोर एवं खासतौर से महिला समाज, अल्पसंख्यक समुदाय एवं स्वयं-सहायता समूहों के अनारक्षित वर्ग को ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं।

**11.4.3 महिला लाभार्थी:** महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाने को ध्यान में रखकर, आपका बैंक महिला उद्यमियों हेतु ऋण को प्रोत्साहित करता है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, महिला लाभार्थियों के बकाया ऋण में 16.47% की वृद्धि हुई है जोकि मार्च 2020 के रु.62939 करोड़ से बढ़कर मार्च 2021 में रु.73307 दर्ज हुआ। यह बैंचमार्क 5.0% की तुलना में एएनबीसी का 11.31% है।

**11.4.4 अल्पसंख्यक समुदाय:** आपका बैंक भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सिक्खों, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, बौद्धों एवं जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु वित्त प्रदान कर रहा है। दिनांक 31 मार्च 2021 को अल्पसंख्यक समुदाय की बकाया राशि रु. 24342 करोड़ रही, जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 8.66 प्रतिशत है।

**11.4.5 कमजोर वर्ग:** आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग को वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को पीएसएलसी-एसएफएमएफ बिक्री को घटाकर कमजोर वर्ग को वित्त 7.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 82372 करोड़ रुपये से बढ़कर 88170 करोड़ हो गया है। 10 प्रतिशत के बैंचमार्क के मुकाबले बकाया क्रेडिट एएनबीसी का 13.60 प्रतिशत रहा।

**11.4.6 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** ग्रामीण युवाओं की रोजगार संबंधी समस्या को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने उन जिलों में 14 आरसेटी की स्थापना की है जिन जिलों में बैंक "अग्रणी (लीड) बैंक की जिम्मेदारी" में है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक हमारे आरसेटी में प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 239263 है, जिसमें से 175358 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है।

**11.4.7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** आपका बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी), गुंटूर, आंध्र प्रदेश राज्य का प्रायोजक है। इसकी 222 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क है, जो आंध्र प्रदेश के 3 जिलों अर्थात् पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और गुंटूर में फैली हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 23.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीजीजीबी का कारोबार बढ़कर 12817.00 करोड़ रुपये हो गया है। कुल जमा 6539.67 करोड़ रुपये और अग्रिम 6877.33 करोड़ रुपये रहा, जिसमें निवल लाभ 101.09 करोड़ रुपये रहा। दिनांक 31.03.2021 को सकल एनपीए 1.09% और निवल एनपीए 0% है।

#### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सुदृढ बनाने हेतु प्रमुख पहल :

**11.4.8यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके) :** यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके) एक विशेषीकृत प्रसंस्करण हब है जिसे बैंक द्वारा ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की शाखाओं द्वारा भेजे गए आरएएम प्रस्तावों के प्रसंस्करण एवं

स्वीकृति के लिए प्रारंभ किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आरएएम पोर्टफोलियो को मजबूत करना है तथा गुणवत्ता, मूल्यांकन और ऋण प्रस्ताव की निर्धारित अवधि में सुधार लाना है. यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नासिक एवं करनाल क्षेत्र की चुनी गई शाखाओं में नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था. पायलट कार्यान्वयन का समग्र परिणाम उत्साहवर्धक था, विभाग ने चरणबद्ध तौर पर यूएसके की संख्याओं में वृद्धि की. वर्तमान में 52 क्षेत्रों और 16 क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों की 1175 शाखाओं को कवर करते हुए 62 यूएसके हैं. ये शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के 21.68% को कवर कर रही हैं. विभाग द्वारा अप्रयुक्त क्षेत्रों में और अधिक संख्या में यूएसके स्थापित कर स्तर को 40% तक ले जाना प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान वैश्विक महामारी के दौरान दौरान यूएसके ने रु.4025 करोड़ के लगभग एक लाख प्रस्तावों की मंजूरी दी.

**11.4.9 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** आपका बैंक उन किसानों के लाभ हेतु पीएमएफबीवाई लागू कर रहा है जिन्हें अक्सर मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पीएमएफबीवाई के अंतर्गत आने वाले बटाईदार एवं काश्तकार सहित सभी किसान अधिसूचित फसलों को उगा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 652462 ऋणी और गैर ऋणी किसानों को शामिल किया गया. बैंक ने कृषि के तहत ऋण में वृद्धि हेतु संबंधित क्षेत्र में किसानों को लाभ के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर 32 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएँ बनाई हैं.

#### वर्ष के दौरान की गई नई पहल

- ✓ बैंक ने पूरे भारत में अप्रयुक्त क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 38 नए यूएसके खोलना प्रस्तावित किया है.
- ✓ बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 5 नए यूनियन सम्पूर्ण को स्थापित करने की पहल की है.
- ✓ एफपीओ के वित्तपोषण के लिए एसएफएसी (लघु कृषक कृषि व्यापार समूह) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया.
- ✓ ई एनडब्ल्यूआरएस (नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स) के विरुद्ध वित्तपोषण करने के लिए एनईआरएल और सीसीआरएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया.
- ✓ यूनियन स्वर्ण ऋण केंद्रों की स्थापना: दिनांक 31.03.2021 को 20 यूजीएलपी की स्थापना की गई.
- ✓ कृषि क्षेत्र में ऋण में सुधार लाने के लिए कृषि केंद्रित शाखाओं पर अधिक ध्यान दिया गया और ऐसी शाखाओं की संख्या 765 से 1500 तक बढ़ाई गई.
- ✓ कृषि ऋण एवं स्वर्ण ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन यू-मोबाइल ऐप द्वारा सक्षम किया गया.
- ✓ पीएम एफएमई योजना के तहत नोडल बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एमओएफपीआई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया.

#### वर्ष के दौरान शुभारंभ किए गए उत्पाद :

- स्वर्ण आभूषणों के विरुद्ध एसओडी (जमानती ओवर ड्राफ्ट).
- सोवर्न गोल्ड बांड के विरुद्ध ऋण.
- रु.1.60 लाख से अधिक की सीमाओं के लिए स्वर्ण की प्रतिभूति के विरुद्ध किसान क्रेडिट कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत योजना के उत्पादों के अंतर्गत कृषि आधारभूत निधि योजना, पशुपालन आधारभूत विकास योजना, पीएम-फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज प्रारंभ किए गए.

#### वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार :

एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित कृषि ऋण एवं इंश्योरेंस अवार्ड 2021 में बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार मिले थे.

- ✓ श्री राजकिरण रै जी. द्वारा भारत में कृषि वित्त के विकास और विकास की दिशा में अनुकरणीय योगदान के लिए कृषि ऋण और बीमा पुरस्कार 2021 के तहत लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया.
- ✓ भारत में कृषि वित्त के विकास और विकास की दिशा में अनुकरणीय योगदान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष का उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पुरस्कार.
- ✓ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कृषि वित्त श्रेणी में उत्कृष्ट नवाचार.

#### 11.5 वित्तीय समावेशन :

##### 11.5.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निष्पादन का सारांश.

(रु. लाख में)

सारणी 5 : वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रगति			
विवरण	मार्च 2020	मार्च 2021	मार्च 2020 की तुलना में वृद्धि दर %
कुल पीएमडीवाई खाते	173.99	216.73	24.56
पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि (करोड़ में)	5049	6465	28.04
रुपे कार्ड जारी खाते	117.82	115.51	-
परिचालन खातों में रुपे कार्ड	75.67	79.08	4.51
आधार से जुड़े खाते	138.24	175.04	26.62
शून्य शेष खाते	34.44	36.39	5.66
ओवरड्राफ्ट स्वीकृत	3.61	6.22	72.30
एपीवाई ( संचयी)	18.03	20.30	12.59

- ✓ वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 42 लाख से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोले गए और पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि बढ़कर रु.1416 करोड़ हुई.
- ✓ वर्ष के दौरान एपीवाई के तहत संचयी नामांकन में 2.27 लाख की वृद्धि हुई.
- ✓ सभी पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत करके

- ✓ पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट में वर्ष के दौरान 72.3% की वृद्धि दर्ज की।
- ✓ पूरे भारत में 3595 नए बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट स्थानों (एसएसए और गैर-एसएसए) को आबंटित किया गया था।
- ✓ सभी बीसी आउटलेट्स पर बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट द्वारा ग्राहकों को 27 सेवाएं प्रदान की जाती हैं..
- ✓ अछूते ग्रामीण केंद्रों और आकांक्षी जिलों के इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए 37 गांवों को बीसी आउटलेट प्रदान किए गए हैं.

### 11.5.2 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान की गई नई पहल

- ✓ हमने उन सभी बीसी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है, जिन्होंने हमारे देश में पिछले साल कोविड-19 के प्रकोप के बाद और लॉक डाउन अवधि के दौरान अप्रैल 20, मई 20 और जून 20 के दौरान सक्रिय रूप से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं.
- ✓ वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार बैंक ने "पीएम स्वनिधि" योजना के तहत लाभार्थियों / उधारकर्ताओं को क्यूआर कोड के वितरण के लिए अपने व्यापार संवाददाताओं के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सहयोग दिया है और शिक्षित किया है.
- ✓ हमने इन जिलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए आकांक्षी जिलों में विशेष अभियान का आयोजन किया है.
- ✓ हमने अपने बीसी चैनलों के माध्यम से "जीवन प्रमाण" -जीवन प्रमाण पत्र पंजीकरण कार्यान्वित किया है.
- ✓ हमने पीएफआरडीए द्वारा आयोजित अभियानों के अनुरूप वर्ष के दौरान एपीवाई अभियान का आयोजन किया है और सितंबर 2020 और नवंबर 2020 के महीनों के लिए पुरस्कार जीते हैं.
- ✓ हमने वर्ष के दौरान अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा कार्यान्वित की है.
- ✓ बीसी बिंदुओं का निरीक्षण करने और डिजिटल रूप से रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से बीसी निगरानी ऐप परीक्षण के अंतिम चरण में है.
- ✓ हम सामंजस्यपूर्ण इकाई में बीसी के प्रवास के बाद बीसी के ऑन-बोर्डिंग के लिए **फिस्टैक पोर्टल** को चालू करने की प्रक्रिया में हैं.
- ✓ हम बीसी चैनलों के माध्यम से पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) और एसएसवाई (सुकन्या समृद्धि योजना) योजनाओं को खोलने की प्रक्रिया में हैं.
- ✓ रु. 2000/- तक के पीएमजेडीवाई ओडी की मंजूरी का विकल्प केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर 31 मार्च 2021 से स्वीकृत किया गया था 31 मार्च 2021 तक लगभग 8000 खातों में पीएमजेडीवाई ओडी खातों में रु.2000/- स्वीकृत किया गया है.

### 11.5.3 पुरस्कार और मान्यता :

- ✓ **एपीवाई** : बैंक को पीएफआरडीए द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में पीएफआरडीए से पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

- ✓ "पावर टू परसिस्ट" : बैंक ने सितंबर 2020 के महीने हेतु पुरस्कार के लिए पात्रता प्राप्त की.
- ✓ "वारियर्स ऑफ विनिंग वेन्सडे" - मासिक: बैंक ने नवंबर 2020 के महीने के लिए पुरस्कार की पात्रता प्राप्त की.

### 11.5.4 व्यापार वृद्धि के लिए रणनीतियाँ :

- ✓ **अगले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अतिरिक्त 15000 बीसी पॉइंट (गैर एसएसए) की तैनाती**
  - क्षमप्रका/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखाओं को लक्ष्यों का आवंटन
  - व्यवसाय की संभावनाओं के साथ व्यवहार्य स्थानों के स्रोत के लिए सभी हितधारकों को शामिल करना और प्रेरित करना.
- ✓ **बोर्डिंग पर बीसी की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण**
  - वर्तमान में सीबीसी, अधिदेश के लिए भौतिक आवेदनों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर रहे हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसे आवेदनों के लम्बित होने की निगरानी और निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं है जो ऑन-बोर्डिंग के लिए टीएटी को प्रभावित करता है. इसलिए, हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूदा सीबीसी और एफआई टीम के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल करके ऑन-बोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की योजना बना रहे हैं, जो सीबीसी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन अपलोड करने, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीओ को प्रसंस्करण और सिफारिश करने से लेकर पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर देगा. बीसी डेटा का एकीकरण और एफआई गेटवे और सीबीएस प्लेटफॉर्म पर इसकी सक्रियता को दिखाएगा.
  - **संबंधों को गहरा बनाना** - बैंक पीएमजेडीवाई ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और हमारे बैंक के विभिन्न उपयुक्त उत्पादों को पेश करेगा. हम पहले से ही अपने बीसी चैनलों के माध्यम से 27 सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई) के तहत पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन शामिल है. हम बीसी स्थानों पर पीपीएफ और एसएसएस (सुकन्या समृद्धि योजना) के तहत नामांकन को लागू करने का भी प्रस्ताव करते हैं.
- ✓ **एपीवाई:** बैंक पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए सभी अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रस्ताव करते हैं और नए नामांकन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं को प्रेरित करने के लिए वर्ष के दौरान प्रोत्साहन अभियान शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं.
- ✓ बैंक सभी पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को बढ़ाने और ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं को जागरूक करने का प्रस्ताव करते हैं.

### 11.5.5 कोविड - 19 महामारी पर बैंक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम :

- ✓ उधारकर्ताओं के बीच राहत उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई गई, ग्राहकों और स्टाफ सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक सख्त कोविड -19 प्रोटोकॉल लागू किया गया और ग्राहकों को हमारे डिजिटल उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
- ✓ सभी पात्र उधारकर्ताओं को औपचारिक अनुरोध या आवेदन के बिना ऋण चुकौती पर स्थगन की अनुमति दी गई थी और एमएसएमई यानी यूनियन कोविड व्यक्तिगत ऋण योजना के लिए क्रेडिट की एक लाइन सहित ग्राहकों को विस्तारित आवश्यकता आधारित आपातकालीन क्रेडिट लाइन की अनुमति दी गई.
- ✓ रिमोट ऑडिट पूरे संगठन में लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ-साथ बैंक के लिए महत्वपूर्ण रूप से लागत की बचत हुई.
- ✓ बैंक ने 01.04.2020 से 30.06.2020 की अवधि के लिए टर्म लोन और एसआईपी म्यूचुअल फंड की किस्त के लिए स्थायी निर्देश / ऑटो डेबिट न हो पाने की स्थिति में सेवा शुल्क और न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर लगाने वाली दण्ड राशि को माफ कर दिया है.
- ✓ यदि किसी बचत/ चालू खाता की शेष राशि 10,000/- रुपये से कम हो जाती है तो ऐसे मामले में 30.06.2020 तक ग्रहणाधिकार चिह्नित सेवा शुल्क की वसूली निलंबित/स्थगित की गई.
- ✓ बैंक ने ग्राहकों के लिए पुनः-केवाईसी के अनुपालन में छूट बढ़ा दी है, जिससे पुनः-केवाईसी के लंबित होने के कारण 31 दिसंबर, 2021 तक पीएमजेडीवाई/लघु/बीएसबीडीए खातों सहित सभी खातों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- ✓ बैंक ने सितंबर 2020 से देश भर में 100 स्थानों पर डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं.

संकट के इस समय में स्टाफ सदस्यों की सहायता हेतु बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- ए) संक्रमित/क्वारंटीन किए गए कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है.
- बी) विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में आने से छूट दी गई है.
- सी) कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कोविड टीकाकरण की लागत की प्रतिपूर्ति.
- डी) अवार्ड स्टाफ को फर्नीचर ऋण और अधिकारियों को फर्नीचर योजना के तहत अनुमत मदों में ऑक्सीजन कन्सट्रैटर की मद जोड़ना।
- ई) सभी स्टाफ सदस्यों को एक महीने के सकल वेतन के रूप में, 24 महीने में चुकाने योग्य ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में कोविड विशेष अग्रिम.

- एफ) कोविड -19 संक्रमण के कारण किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में 20 लाख रुपये की एकमुश्त राशि के भुगतान की योजना.
- जी) कर्मचारी ऋण खातों के लिए समूह बीमा योजना के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा देय ऋण को सुरक्षित करना.
- एच) कर्मचारियों के बीच कोविड मामलों की निगरानी और त्वरित रिपोर्टिंग और प्रभावित स्टाफ सदस्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्र महाप्रबंधक/ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कोविड एक्शन टीमों (सीएटी) का गठन किया गया है. कर्मचारी किसी भी एसओएस/ सहायता/ सहयोग के लिए सीएटी से संपर्क कर सकते हैं.
- आई) हमारा बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण कराने के महत्व पर जोर देता है. क्षेत्र महाप्रबंधक/ क्षेत्रीय कार्यालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने और कर्मचारियों के लिए सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है.
- जे) दैनिक आधार पर सभी कोविड मामलों की रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने एक कोविड रिपोर्टिंग पोर्टल तैयार किया है. बैंक ने दैनिक आधार पर टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों के विवरण प्राप्त करने के लिए एक कोविड टीकाकरण ट्रेकिंग पोर्टल भी विकसित किया है.
- के) क्षेत्र महाप्रबंधक/ क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे स्टाफ सदस्यों/ आश्रितों के लिए क्वारंटीन सेंटर के रूप में हॉलिडे होम्स और स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स के उपयोग का पता लगाएं, जिन्हें एहतियात के तौर पर आइसोलेट करने की जरूरत है और इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव नियंत्रण कार्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें.
- एल) शाखाओं/ कार्यालयों को कर्मचारियों और ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए कोरोना वायरस के लक्षणों और निवारक उपायों को उजागर करने वाले पोस्टर/ बैनर लगाने की सलाह दी गई. ग्राहकों को उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक वितरण चैनलों का उपयोग करने की सलाह दी गई.

### 11.5.6 भारतीय रिजर्व बैंक/नियामक/वित्तीय सेवाएं विभाग का निदेश :

बैंक ने समय-समय पर अपने नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त निर्देशों को पालन करने हेतु नोट किया है.

## 12 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

- 12.1 बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च 2021 को रु. 24,345.00 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को रु.18,190.00 करोड़ रहा. आपके बैंक की हांगकांग, डीआईएफसी दुबई और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में तीन विदेशी शाखाएं हैं. आपका बैंक यूनाइटेड किंगडम में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से भी काम करता है. आपका बैंक कुआलालंपुर (मलेशिया) में भी अपने संयुक्त उद्यम - इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद के माध्यम से संचालित है, जो एक संयुक्त उद्यम है. जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (40% शेयर होल्डिंग) और इंडियन ओवरसीज बैंक (35% शेयर होल्डिंग) है. आपके बैंक की हिस्सेदारी 25 % फीसदी है.

12.2 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी शाखाओं के कुल कारोबार में 18.30% की कमी आई है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान परिचालन लाभ में 9.60% की बढ़ोतरी हुई है।

सारणी 6 : विदेशी परिचालन				
(रु. करोड़ में)				
विवरण	31.03.21	31.03.20	वार्षिक वृद्धि	
			पूर्ण	(%)
विदेशी जमाएं	2178	3649	-1471	-40.31
विदेशी अग्रिम	16012	20696	-4684	-22.63
कुल विदेशी कारोबार	18190	24345	-6155	-25.28

### 13 ट्रेजरी परिचालन :

13.1 बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप आपका बैंक विवेकपूर्ण तरलता प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। आपके बैंक का ट्रेजरी विभाग, नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत ऋण, बाजार एवं तरलता जोखिम के प्रबंधन द्वारा सर्वोत्कृष्ट लाभ के अर्जन पर जोर देता है। आपका बैंक विभिन्न अल्पावधि मुद्रा बाजार विलेख एवं फ़ारेक्स बाजार के द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन का लक्ष्य रखता है। बैंक यथोचित अवधि के साथ समुचित एसएलआर एवं गैर-एसएलआर निवेश बही को बनाए रखने पर जोर देता है, जोकि लाभदायकता को बढ़ाने में सहायक होगा।

13.2 उच्च पूंजी गहन लिखतों को कम करके बैंक की पूंजी का संरक्षण करें और कम पूंजी गहन लिखतों का लाभ उठाकर एनआईएम और आरओसीई में वृद्धि करें।

13.3 01 अप्रैल, 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ई-कार्पोरेशन बैंक और ई-आंध्रा बैंक के विलय के बाद से, बैंकों के ट्रेजरी पोर्टफोलियो और मानव संख्या में सराहनीय तरीके से वृद्धि हुई है। तालमेल के कारण, जिसे बैंक के नेतृत्व द्वारा रणनीतिक और कुशलता से प्रबंधित किया गया है, पहले वर्ष के समामेलित परिचालन से ट्रेजरी बेहतर लाभप्रदता प्राप्त करने में सक्षम था।

13.4 कोविड की कठिन स्थिति के दौरान, बैंक टीएलटीआरओ के तहत महत्वपूर्ण मात्रा में निधि प्राप्त करके और उन्हें गुणवत्ता जारीकर्ताओं को वितरित करके सबसे आगे रहने में सक्षम था।

### 13.5 2020-21 के दौरान निष्पादन का सारांश

• वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख मापदंडों पर ट्रेजरी निष्पादन लक्ष्य बनाम उपलब्धि निम्नानुसार है

सारणी 7 :ट्रेजरी निष्पादन		
विवरण	2020-21 के लिए लक्ष्य (रुपये करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक (रुपये करोड़ में)
ब्याज आय	22,000.00	22,584.54
निवेश की बिक्री पर लाभ	2650.00	3648.64
विनिमय लाभ (विदेशी मुद्रा)	650.00	481.73
कुल ट्रेजरी आय	25,300.00	26,714.91

### 13.6 वर्ष के दौरान की गई नई पहल :-

✓ **क्षमता निर्माण:** हमारा ध्यान क्षमता निर्माण के लिए निरंतर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करके जनशक्ति को मजबूत करना है। आज हमारे सभी विदेशी मुद्रा डीलरों ने एसीआई वित्तीय बाजार संघ, पेरिस द्वारा प्रस्तुत "एफएक्स-ग्लोबल आचार संहिता" कोर्स पूरा कर लिया है। हम पूरे ट्रेजरी स्टाफ के लिए विभिन्न नीतियों, वित्तीय बाजार विषयों आदि पर नियमित रूप से प्रश्नोत्तरी आयोजित करते हैं।

✓ **ट्रेजरी रिसर्च ग्रुप:** एक नवगठित ट्रेजरी रिसर्च ग्रुप बाजार की गतिविधियों को सारांशित करने और उस पर एक दृष्टिकोण देने के लिए साप्ताहिक बाजार अपडेट, मासिक बाजार अपडेट और सामयिक घटना आधारित रिपोर्ट के अलावा दैनिक फ्री और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट प्रदान कर रहा है। यह समूह कोविड के समय में अपने परिचालन को बढ़ाने में सक्षम था और ज्ञान साझा करने वाला मंच विकसित कर रहा है। टीम ने दैनिक आधार पर डीलरों के साथ फ्री-मार्केट ओपन सेशन आयोजित करना भी शुरू किया, जिसमें विभिन्न बाजारों पर और घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण दिया गया।

✓ **ट्रेजरी बिक्री:** ट्रेजरी उत्पादों की बिक्री और ट्रेजरी उत्पादों के संबंध में ग्राहकों के एंड-टू-एंड समाधान खोजने के लिए सक्रिय अधिकारियों की एक टीम स्थापित की गई है।

✓ **समर्पित अनुपालन डेस्क:** अनुपालन डेस्क को और अधिक मजबूत कर ट्रेजरी संचालन में प्रक्रियाओं को अधिक फूल पूरा बनाया गया है जो कि ट्रेजरी पोर्टफोलियो के विशाल आकार को देखते हुए एक सराहनीय कदम है।

### 13.7 ट्रेजरी रणनीति

• उपयुक्त/ अनुकूल ब्याज दर अवधि के दौरान बड़ी निवेश बुक बनाएं और अनुमोदित नीति के अनुसार एम ल्यूरेशन बनाए रखें। यह ट्रेजरी लाभ का एक स्रोत होगा।

• वित्तीय बाजार में उपलब्ध आर्बिट्रेंज अवसरों का अन्वेषण करें जैसे कि विदेशी मुद्रा बनाम मुद्रा बाजार, दिनांकित प्रतिभूतियों बनाम ब्याज दर भविष्य (आईआरएफ), दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप (ओआईएस), लंबी अवधि की ट्रेजरी देयताएं बनाम संरचित डेरिवेटिव आदि।

• विभिन्न आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति को मजबूत करना

### 13.8 वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गयी नई पहल

✓ **ऋण सिंडीकेशन:** समायोजन के बाद बड़े पीएसयू बैंक होने के कारण बैंक को कई बड़े संस्थागत/ कार्पोरेट ग्राहकों तक व्यापक पहुंच मिल पा रही है। इसके अलावा टीएलटीआरओ विंडो की माध्यम से बॉन्ड मार्केट में ट्रेजरी की सक्रिय भागीदारी ने हमें अधिक कार्पोरेट/ वित्तीय संस्थाओं से मिलने हेतु सक्षम बनाया है। तदनुसार बॉन्ड/सीपी/सीडी बाजारों में भागीदारी विशेष कर बॉन्ड सिंडीकेशन शुरू करने के लिए ट्रेजरी गैर-एसएलआर डेस्क को मजबूत करेगा। टीम एक पूर्ण संरचित ऋण उत्पाद मिश्रण पेश करने के लिए बड़े कार्पोरेट वर्टिकल के तहत प्रस्तावित बैंक के ऋण सिंडीकेशन का सक्रिय रूप से समर्थन करेगी। बैंक आईपीए के रूप में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा, इस तरह अतिरिक्त राजस्व स्रोत



के साथ बैंक की ब्रांडिंग में भी सहायता करेगा.

- ✓ **स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स डेस्क सेटअप** : बैंक ने एक समर्पित स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव डेस्क बनाने की योजना बनाई है जो ग्राहकों को अपने जोखिम को अधिक कुशलता से एवं वास्तविक समय के आधार पर कम करने में सहायता करेगी. स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड ऋण उत्पादों द्वारा हमारे ऋण वर्टिकल को ग्राहकों की उधार लागत को कम करने में सहायता मिलेगी.
- ✓ **प्राइमरी डीलरशिप (पीडी) व्यवसाय का विस्तार** : विलय के बाद हमें ई-कार्पोरेशन बैंक से विभागीय प्राइमरी डीलरशिप (पीडी) व्यवसाय प्राप्त हुआ है. प्राइमरी डीलरशिप (पीडी) व्यवसाय हमें अंडरराइटिंग एवं ट्रेडिंग आय के रूप में आय का अतिरिक्त स्रोत देगा. वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पीडी व्यवसाय से ट्रेडिंग आय रु. 4.82 करोड़ एवं अंडरराइटिंग कमीशन के रूप में आय रु. 28.65 करोड़ थी.
- ✓ सेल्स टीम के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इसे और अधिक सक्षम बनाना एवं डिजिटल साधनों का प्रयोग करके नए ग्राहकों को जोड़ना तथा बैंक के नए और पुराने ग्राहकों को सहज अनुभव प्रदान करना. सेल्स टीम के माध्यम से पीडी व्यवसाय को बढ़ाने के नई संभावनाओं को तलाश करना.
- ✓ रिसर्च डेस्क को मजबूत करना एवं रिसर्च सेगमेंट को ऋण रिसर्च तक विस्तारित करना, यह हमारे गैर - एसएलआर डेस्क को और मजबूत करेगा.
- ✓ आरईटीएडी की माध्यम से व्हाइट लेबल ट्रेडिंग टर्मिनल का ग्राहकों तक विस्तार और ट्रेड फ्राईनेन्स सल्यूशन प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के बाद जिसे डीएफबी विभाग द्वारा लाया जा रहा है, जो बैंक के फोरेक्स ग्राहकों को सहज अनुभव देने में मदद करेगा.

#### 14 आस्ति की गुणवत्ता :

- 14.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने रु. 2674 करोड़ तक के खातों के अपग्रेडेशन के साथ साथ रु. 5191 करोड़ की नकद वसूली की. एनपीए प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयासों एवं अच्छी तरह से बनाई गई रणनीति के माध्यम से खाता के गिरावट के ऊपर नियंत्रण एवं बेहतर कमी संभव थी. वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु एनपीए का संचलन इस प्रकार है :

सारणी 8: एनपीए का संचलन		
(रु. करोड़ में)		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20*
सकल एनपीए (शुरुआत)	97193	48729
परिवर्धन	17443	14911
कमी : कटौती	24849	14555
(I) उन्नयन	2674	1871
(II) वसूली	5191	4267
(III) बड़े खाते	16984	8417
सकल एनपीए (अंतिम)	89788	49085
निवल एनपीए	27281	17303

#### वसूली में सुधार के उपाय :

- ✓ 25 करोड़ रुपये से अधिक एक्सपोजर वाले बड़े ऋण खाते एवं एनसीएलटी में प्रस्तुत किए गए सभी खातों (एक्सपोजर की परवाह किए बिना) को संभालने के लिए प्रमुख चिन्हित केन्द्रों (मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, बैंगलोर) में स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट वर्टिकल बनाया गया है.
- ✓ बड़े उधारकर्ताओं के लिए अधिक प्रभावी तरीके से समाधान एवं वसूली की कार्यवाही का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर (केंद्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में) स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट वर्टिकल (सैम वी) नामक एक समर्पित टीम का गठन किया गया है जो ऐसे उधार खातों को संभालने के लिए ऋण एवं वसूली प्रबंधन की क्षमता रखने वाले कर्मचारियों से लैस है.
- ✓ आईबीसी, डीआरटी, सरफेसी आदि से संबंधित विधि मुद्दे/मामलों को संभालने हेतु उप महाप्रबंधक विधि के नेतृत्व में कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समर्पित टीम का गठन किया गया है.
- ✓ सरफेसी के तहत मासिक अंतराल पर मेगा ई-नीलामी की योजना बनाई जा रही है.
- ✓ "ईज" कार्यसूची प्रक्रिया के एक भाग के रूप में वर्टिकल को पूरी तरह से डिजिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. यह वर्टिकल की सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से (एंड टू एंड तक) शामिल करेगा.
- ✓ वसूली में तेजी लाने हेतु क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है. यह योजना गैर-भेदभावपूर्ण एवं गैर विवेकाधीन प्रकृति की थी और इसके तहत पात्र एनपीए खातों के त्वरित निपटान के लिए फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन दिया गया था.

#### 14.2 सक्रिय निगरानी :

- 14.3 केंद्रीयकृत कॉल सेंटर : बैंक ने 3.00 लाख से 5.00 करोड़ तक के खुदरा एवं एमएसएमई क्षेत्र के तहत एसएमए उधारकर्ताओं की निगरानी के लिए केंद्रीयकृत कॉल सेंटर स्थापित किया है. क्रेडिट कार्ड संविभाग की भी निगरानी केंद्रीयकृत कॉल सेंटर द्वारा की जाएगी.

#### 14.4 निगरानी एवं वसूली में विशेषज्ञता : आपके बैंक ने ऋण की निगरानी के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे;

- ✓ रु. 100 करोड़ से रु. 250 करोड़ तक एवं उससे ऊपर के खातों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में विशेष सेल बनाया गया है.
- ✓ पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था की गई है ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उधार खातों में स्ट्रेस/चेतावनी की पहचान सक्रिय रूप से की जाये.
- ✓ बैंक के अग्रिमों के गैर एसएमए एवं गैर एनपीए संविभाग में पूर्व चेतावनी संकेतों को कवर करने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपायों का उपयोग किया जा रहा है ताकि बैंक की ऋण बुक को ठीक रखने हेतु आवश्यक उपाय शुरू किये जा सकें.

## 15 रिलेशनशिप बैंकिंग

15.1 आपके बैंक ने वर्ष के दौरान तृतीय पार्टी उत्पाद के वितरण से रु. 240.57 करोड़ अर्जित किए हैं

सारणी 9: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान थर्ड पार्टी व्यवसाय से प्राप्त			
(रु. करोड़ में)			
व्यवसाय मापदंड	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	% वृद्धि
जीवन बीमा	142.13	89.95	58.01
गैर जीवन बीमा	48.72	14.43	237.63
स्वास्थ्य बीमा	32.38	11.79	174.64
म्यूचुअल फंड	17.34	12.63	37.29
<b>कुल</b>	<b>240.57</b>	<b>128.80</b>	<b>86.78</b>

15.2 वर्ष के दौरान पहल:

निम्नलिखित नए समूह बीमा उत्पाद बैंक नेटवर्क में लॉन्च किए गए :

- ✓ बैंक के ग्राहकों के लिए कोविड लाभ उत्पाद :  
चोला एमएस जीआई के सहयोग से बीमा कवर लांच किया गया जिसके तहत कोविड-19 संक्रमण का पता चलने पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा
- ✓ बैंक कर्मचारियों के लिए कोविड क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य कवर :  
केयर हेल्थ बीमा के सहयोग से विशेष रूप से बैंक के कर्मचारियों हेतु कोविड-19 के इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप योजना शुरू की गई है.
- ✓ बैंक ग्राहकों के लिए कोविड क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य कवर :  
केयर हेल्थ बीमा के सहयोग से विशेष रूप से बैंक ग्राहकों हेतु कोविड-19 के इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप योजना शुरू की गई है.
- ✓ नया सम्पूर्ण ऋण सुरक्षा उत्पाद :  
सुड जीवन बीमा के सहयोग से ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ग्रुप टर्म जीवन बीमा योजना शुरू की गई है.
- ✓ बैंक के ग्राहकों के लिए सुपर टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा योजना :  
मणिपाल सिगना हेल्थ बीमा के सहयोग से विशेष रूप से बैंक ग्राहकों हेतु स्वास्थ्य सुपर बीमा टॉप-अप योजना शुरू की गई है.

### 15.3 डिजिटल पहल

- ✓ बैंक ने यू-मोबाईल से पीएमजेबीवाई बीमा कवर लेने की सुविधा शुरू की है. इन्टरनेट बैंकिंग में यह सुविधा पहले से उपलब्ध है. पीएमजेबीवाई के लिए आईबी/ एमबी के माध्यम से नामांकन की सुविधा पहले से मौजूद है.
- ✓ बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सुड लाईफ के एपीआई का एकीकरण करके वास्तविक समय के आधार पर डेटा के आदान-प्रदान करने की पहल शुरू की है जिसने ग्राहक के अनुभव को अच्छा बनाया है एवं टीएटी को भी सुधारा है.
- ✓ बैंक, शाखा में भौतिक आवेदन फॉर्म जमा किए बिना पात्र ग्राहकों

से ऑनलाईन म्यूचुअल फंड आवेदन लेने के लिए एक नया फिनेकल मेनू (यूनियन एएमसी के साथ एपीआई एकीकरण) शुरू करने की प्रक्रिया में है.

- ✓ बैंक ने डिजिटल क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है क्योंकि ग्राहक अब बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट और यू मोबाईल एप के माध्यम से सामान्य बीमा उत्पाद (ऑनलाईन) खरीद सकते हैं.

### 15.4 सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ :

(आंकड़े लाख में)

नए नामांकन (01.04.2020 से 31.03.2021)				संचयी नामांकन	
लक्ष्य मार्च, 2021		मार्च, 2021 तक कुल		मार्च, 2021 तक	
पीएमएसबीवाई	पीएमजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेबीवाई
40	12	16.79	9.78	147.57	41.19

### 16 सरकारी कारोबार:

16.1 सरकारी कारोबार के माध्यम से संसाधनों का संग्रहण

31 मार्च, 2021 को रु.2,58,732 करोड़ रहा, जो गत वर्ष 2,03,171 करोड़ था. सरकारी कारोबार के तहत बैंक ने विभिन्न पहलों से राष्ट्रीय पेंशन योजना के 19022 नए खाते खोले हैं, जो पिछले वर्ष से 51.96% अधिक हैं. इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान बड़ी मात्र में छोटी बचत योजनाओं में खाते खोले हैं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 27.46% की वृद्धि हुई है.

### 16.2 सरकारी कारोबार को बढ़ाने के लिए की गई नयी पहल:

- पीएम केयर्स संग्रह खाता
- क्रेडिट गारंटी योजना और एफपीओएस के वित्तपोषण हेतु लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है.
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मोबिलाइज किया -ईआरएमएस जनजातीय मामलों के मंत्रालय- जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) खाते और उन्हें पीएफएमएस में शामिल किया गया.
- एनसीटी दिल्ली सरकार के अंतर्गत समग्र शिक्षा हेतु राज्य, जिला और स्कूल स्तर पर 250 खाते खोले गए.
- उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को खनन शुल्क वसूली हेतु पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान की गई.
- नेशनल जियोलोजिकल पार्क, दिल्ली को ऑनलाइन टिकट संग्रह सुविधा प्रदान की गई .
- एफपीओ के संग्रह और संवितरण हेतु एनएफएडी का खाता खोला.
- 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 7594 पंचायतों के खाते खोले गए और उन्हें पीएफएमएस में शामिल भी किया गया.
- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीआरसी) को ऑनलाइन दंड शुल्क संग्रह हेतु पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान की गई .
- विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) संग्रह हेतु 392 स्कूल खाते खोले गए.

- श्रीनगर व गांधीनगर निफ्ट को ऑनलाइन शुल्क संग्रह की सुविधा प्रदान की गई.
- अजा व अपिव स्वयं सेवी संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु नई ब्याज सबवेंशन स्कीम "विश्वास योजना" के लिए एनएसएफडीसी व एनबीसीएफडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.

**16.3 मानव संसाधन प्रबंधन :** आपका बैंक अपनी मानव संसाधन पूंजी में निवेश द्वारा और अपने लोगों की प्रक्रियाओं को अनवरत सुदृढ़ कर कतिपय उपायों द्वारा सर्वोत्तम श्रेणी की सेवायोजन अनुभूति प्रदान करने का प्रयास करता रहा है. आपका बैंक अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के साथ-साथ कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने में अग्रणी रहा है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मांस नवाचार, नेतृत्व व प्रशिक्षण के लिए उद्योग ने अनेकों पुरस्कार के माध्यम से आपके बैंक के प्रयासों को मान्यता प्रदान की है और उनकी सराहना भी की है.

**16.4 जन बल:**

मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करना है. बैंक का विकास उसके मानव संसाधनों की दक्षता और प्रभावशीलता पर ही निर्भर होती है. आपके बैंक का सदैव यह प्रयास रहा है कि बैंक के सभी क्षेत्रों और कार्यात्मक आउटलेट्स पर हर समय पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध रहे.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को हमारे बैंक का कुल जनबल 78202 था.

**सारणी 10: कर्मचारियों की श्रेणी**

वर्ष	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ स्टाफ		कुल		कुल स्टाफ संख्या
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
2019-20	17398	5671	8050	3045	2668	486	28116	9202	37318
2020-21	31629	11505	17763	8225	6585	2495	55977	22225	78202

आपका बैंक प्रति वर्ष विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की आवश्यक संख्या की समीक्षा करता है और विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों का व्यवसाय की वृद्धि, भावी शाखा विस्तार / समीकरण, संघर्षण के कारण इस्तीफा, अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत्ति/वीआरएस इत्यादि के आधार पर विश्लेषण भी किया जाता है.

आपके बैंक में निर्दिष्ट श्रेणियों हेतु रोजगार में आरक्षण हेतु सरकार की आरक्षण नीति के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है. तदनुसार, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), मुंबई को मांगपत्र भेजा जाता है. कर्मचारियों की कुल संख्या में समस्त आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :

विवरण	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ स्टाफ		कुल	
कुल स्टाफ	43134		25988		9080		78202	
जिनमें से	कुल	%	कुल	%	कुल	%	कुल	%
अनुसूचित जाति (अजा)	7429	17.22	5095	19.61	3208	35.33	15732	20.12
अनुसूचित जन जाति (अजजा)	3466	8.04	2007	7.72	751	8.27	6224	7.96
अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)	12061	27.96	7903	30.41	2867	31.57	22831	29.19
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस)	148	0.34	294	1.13	0	0	442	0.56
विकलांग (पीडबल्यूडी)	860	1.99	458	1.76	90	0.99	1408	1.80
भूतपूर्व सैनिक	843	1.95	3156	12.14	824	9.07	4823	6.17

**16.5 उत्तराधिकार योजना:** आपके बैंक द्वारा समस्त महत्वपूर्ण भूमिकाओं हेतु उत्तराधिकार योजना प्रक्रिया आरंभ की गयी है. आपके बैंक द्वारा विशेष योग्य समूह की पहचान के लिए "प्रतिभा प्रबंधन समिति" तथा संभावित उत्तराधिकारियों की पहचान करने हेतु "वरिष्ठ प्रबंधन समिति" का गठन किया है. उच्च सामर्थ्य वाले स्टाफ सदस्यों हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित विकास पथ का निर्माण उनके व्यक्तिगत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किया गया है ताकि अब से कुछ वर्षों के उपरांत वे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकें.

**16.6 निष्पादन प्रबंधन - प्रोजेक्ट प्रेरणा:** आपका बैंक प्रोजेक्ट प्रेरणा के अंतर्गत डिजिटल व सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा तकनीकी वास्तुकला की मदद से मूल मंत्रों व प्रतिभा प्रबंधन, निष्पादन विश्लेषण, सिस्टम संचालित स्थानांतरण और पुरस्कार व अभिज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को पुनः डिजाइन कर रहा है. नवीन पी.एम.एस. समस्त हितधारकों को कॉर्पोरेट लक्ष्यों को संप्रेषित करने के लिए कॉर्पोरेट रणनीति की प्रभावशीलता को मापेगा और समग्र दृष्टि को साकार करने व निष्पादन संस्कृति को विकसित करने के लिए उन्हें समर्थ बनाएगा. संशोधित प्रणाली कर्मचारी के निष्पादन को अधिक निष्पक्ष रूप से मापने में सक्षम होगी जिससे समय पर पाठ्यक्रम में सुधार के उपाय किए जा सकेंगे. उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जा सकेगा तथा उनकी तैनाती का निर्णय उनकी क्षमता और सामर्थ्य पर आधारित हो सकेगा.

**16.7 ज्ञानार्जन व विकास:** समामेलन व कोविड -19 महामारी की चुनौतियों के मध्य वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली ने ज्ञानार्जन साल्यूशन को अन्वेषित व पुनर्परिभाषित किया तथा योग्यता अंतराल को भरने के लिए वेबिनार, अल्प / दीर्घ अवधि के कार्यक्रमों द्वारा अपने कार्यबल की लर्निंग यात्रा को अनवरत जारी रखा. क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं हेतु लर्निंग को आसान बनाने के लिए बैंकिंग के विभिन्न प्रयोजनमूलक पहलुओं पर ई-लर्निंग मॉड्यूल को समृद्ध किया गया है. समामेलित कार्यबल के लिए आवश्यकतानुसार वर्चुअल क्लास रूम कार्यक्रम आयोजित किए गए.

मुख्य रूप से आईटी और मासं समेकन हेतु आपके बैंक ने कार्यपालकों व शाखा प्रबंधकों हेतु "वी आर यूनियन" नामक सांस्कृतिक एकीकरण कार्यक्रम श्रृंखला और पूर्व आंध्रा और पूर्व कार्पोरेशन बैंक के 20,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए फिनेकल-10 पर संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1345 ऑनलाइन क्लासरूम कार्यक्रम (दीर्घ अवधि) भी आयोजित किए गए जिनमें 58,602 कर्मचारियों ने भाग लिया. इसके अतिरिक्त 590 कर्मचारियों को उद्योग में विकसित नवीनतम क्रम-विकास सीखने हेतु बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया.

### 16.8 आपके बैंक की नई पहल/डिजिटल पहल:

- **ऑनलाइन स्थानांतरण व तैनाती टूल:** स्थानांतरण अनुरोधों को रिकॉर्ड करने और संसाधित करने हेतु एक ऐसा टूल विकसित किया गया है, जिसकी मदद से आपका बैंक तैनाती प्रक्रिया, स्थानांतरण और रोटेशन गतिविधियों को शुरू से अंत तक डिजिटल रूप से करने में सक्षम बना.
- **सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु शिकायत पोर्टल:** सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के सेवांत लाभ / चिकित्सा बीमा / अन्य क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने हेतु एक वेब आधारित पोर्टल को विकसित किया गया है. इस पोर्टल को खास तौर पर सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके द्वारा वे अपने विशिष्ट सवालों / मामलों को बैंक तक पहुंचा सकें और एक बार में ही उनकी शिकायतों का निवारण हो सकें.
- **चिकित्सा बीमा ऐप:** चिकित्सा बीमा प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक प्रबंधन हेतु "यूनियन बैंक हेल्थकेयर" नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है. इस ऐप का उद्देश्य स्टाफ सदस्यों के सम्पूर्ण दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है और जरूरत के समय उन्हें सहूलियत प्रदान करना है.
- **कर्तव्य स्पष्टता टूल:** इस टूल को शाखा के समस्त अधिकारियों हेतु डि. जाइन किया गया है ताकि वे संबंधित शाखा के अधिकारियों को भूमिकाएँ सौंप सकें और उन्हें के.आर.ए. (प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र) संप्रेषित कर सकें. इस टूल का उद्देश्य समस्त अधिकारियों की संवृद्धि व सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है. इस टूल के माध्यम से, शाखा के लक्ष्यों को प्राप्त करने और व्यक्तिगत निष्पादन को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए शाखा की समस्त भूमिकाओं को बजटीय / परिमेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है. रणनीतिक प्रबंधन दृष्टिकोण के अनुसार के.आर.ए. को 5 पहलुओं यथा कारोबार निष्पादन, परिचालन उत्कृष्टता, समेकित ग्राहक अनुभव, नौकरी की संतुष्टि और व्यक्तिगत विकास को समाविष्ट करने हेतु पुनः परिभाषित किया गया है जो समस्त हितधारकों को बहू आयामी लाभान्वित करेगा. अधिकारी का निष्पादन स्कोर शाखा के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.
- **ईआर पैकेज:** चालू व लंबित अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित अतिरिक्त विवरणों को समायोजित करने के लिए मौजूदा ईआर (कर्मचारी संबंध) पैकेज को संशोधित किया जा रहा है. अंचल वार / क्षेत्र वार

लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी ईआर डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया गया है जिससे टीएटी को ट्रैक करने और मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी.

**16.9 राजभाषा:** आपके बैंक को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार और 4 प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया:

- सर्वश्रेष्ठ बैंक - प्रथम
- सर्वश्रेष्ठ पत्रिका - द्वितीय
- सर्वश्रेष्ठ नराकास - द्वितीय
- सर्वश्रेष्ठ पत्रिका - द्वितीय

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आपके बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न नराकासो (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) से 51 पुरस्कार प्राप्त हुए. सभी ग्राहकों के लिए अब 13 भाषाओं में एस.एम.एस. सुविधा उपलब्ध है. 11 भाषाओं में कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध है. यू-मोबाइल एप्लिकेशन 13 भाषाओं में उपलब्ध है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने "आरटीआई- मेरा अधिकार मेरी ताकत" पर एक कार्टून पुस्तिका भी प्रकाशित की है.

आपके बैंक की तिमाही द्विभाषी कॉर्पोरेट संस्थानिक पत्रिका "यूनियन धारा" ने एबीसीआई (एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया) से 9 पुरस्कार प्राप्त किए और साथ ही "चैंपियन ऑफ चैंपियंस" पुरस्कार भी प्राप्त किया. बैंक की तिमाही हिंदी कॉर्पोरेट संस्थानिक पत्रिका "यूनियन सृजन" को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ. इस दौरान यूनियन धारा के "कोविड-19" व "आत्मनिर्भर भारत" विशेष अंक भी प्रकाशित किए गए.

### 16.10 पुरस्कार एवं सम्मान (वित्त वर्ष 2020-21)

क्र.	पुरस्कृत करने वाली संस्था	श्रेणी
1	नेशनल फीदर अवार्ड	एमडी व सीईओ को हाल ऑफ फेम पुरस्कार
		बेस्ट एडवांस इन कम्पेंसी मैनेजमेंट
		बेस्ट इन ट्रेनिंग एंड आर्गनाइजेशनल डेवलपमेंट
		सीएचआरओ ऑफ दी ईयर
2	गोल्डेन पीकॉक	गोल्डेन पीकॉक एचआर एक्सिलेंस अवार्ड-2020
3	अपेक्स इंडिया एचआर एक्सिलेंस अवार्ड अंड बिजनेस एक्सिलेंस अवार्ड	अपेक्स इंडिया बेस्ट स्ट्रैटेजी इन एचआर 2020
		अपेक्स इंडिया एचआर ओरिएंटेड सीईओ अवार्ड 2020

4	ग्रीनटेक एचआर अवार्ड	टेक्नोलोजी एक्सलेंस लीडिंग सीईओ ऑफ डी ईयर
5	वर्ड एचआरडी कॉंग्रेस द्वारा ग्लोबल एचआर एक्सलेंस अवार्ड	बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन एचआर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट सीएचआरओ ऑफ दी ईयर
6	वर्ड सीएसआर कॉंग्रेस	सीईओ ऑफ दी ईयर बेस्ट ट्रेनिंग साल्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स
7	डी फ्यूचर ऑफ टेक कॉंग्रेस एंड अवार्ड प्रजेक्ट्स 'दि इंटरनेट इंटरप्रेनेयूर अवार्ड'	दि बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रिस्पांस तो कोविड 19
8	गोल्डेन पीकाँक	गोल्डेन पीकाँक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड-2020

### 16.11 कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों की सहायता :

कोविड की स्थिति और सेवाओं की निरंतरता पर इसके प्रभाव की समीक्षा हेतु नियमित अंतराल पर कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) की बैठकें आयोजित की गईं. आपके बैंक ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए अनेकों कदम उठाएँ और इसके लिए परामर्श, दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया. आपके बैंक ने विकलांग कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता देते हुए महामारी के दौरान "वर्क फ्रॉम होम" प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया. आपके बैंक ने शीघ्र टीकाकरण को प्रोत्साहित करने हेतु अपने कर्मचारियों को टीके की लागत की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की. कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार हेतु रुपये 20 लाख की अनुग्रह राशि का प्रावधान किया. महामारी के बारे में कर्मचारियों के मध्य जागरूकता फैलाने की व्यवस्था की गई तथा परिपत्र व अन्य माध्यमों से वायरस रोकने हेतु विभिन्न एहतियाती उपायों और सामाजिक प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया. कर्मचारियों के बीच कोविड मामलों की निगरानी व त्वरित रिपोर्टिंग तथा प्रभावित स्टाफ सदस्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अंचल और क्षेत्रीय स्तर पर कोविड एक्शन टीमों (सीएटी) का गठन किया गया .

### 17 शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2021 तक आपके बैंक की शाखा नेटवर्क 9312 शाखाओं तथा 3 विदेशी शाखाओं के साथ सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है. इनमें से 56 % शाखाएँ ग्रामीण व अर्ध-शहरी केंद्रों पर स्थित हैं.

सारणी 11 : शाखा नेटवर्क यथा 31.03.2021


	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	मेट्रो	विदेशी	कुल
कुल शाखाएँ	2557	2724	1966	2065	3	9315
शाखा (%)	27	29	21	22	--	--

### 18 डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के उपाय

**18.1 बैंक ने अपनी प्रगतिशील अवधारणा "डिजीबात" के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय व अंचलीय कार्यालयों में पदस्थ डिजिटल राजदूतों के माध्यम से डिजिटल उत्पादों पर वर्चुअल शिक्षा प्रदान करने की पहल की.** पिछले वर्ष के दौरान, छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को 2 लाख से अधिक यूपीआई क्यूआर कोड वितरित कर संपर्क रहित भुगतान को प्रोत्साहित किया. बैंक ने वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) द्वारा आरंभ किए गए डिजिटल अपनाये अभियान (15.08.2020-31.12.2020) में सक्रियता से भाग लिया और 39 लाख से अधिक खातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा. वर्ष के दौरान बैंक ने घर के आराम के साथ बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित किया और वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान मोबाइल बैंकिंग पर ग्राहकों को जोड़ने के लिए अभियान आरंभ किया.

**18.2 मोबाइल बैंकिंग:** महामारी के मध्य "घर से बैंकिंग" पर ध्यान केंद्रित करने और यूमोबाइल पर ग्राहकों को शामिल करने हेतु केंद्रित अभियान के परिणामस्वरूप यूमोबाइल ने उपयोगकर्ताओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई.

**18.3 ईज 3.0 (एन्हांस, एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस):** नए ईज 3.0 दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ग्राहकों की सुविधा हेतु वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों पर सेवाओं को जोड़ा गया. ईज के तहत बैंक के प्रयासों को मान्यता भी प्रदान की गई और दिसंबर, 20 तिमाही हेतु "टेक इनोबलड ईज ऑफ बैंकिंग" थीम के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन हेतु सभी बैंकों के बीच इसे द्वितीय स्थान प्रदान किया गया.



**18.4 डेबिट कार्ड्स :** बैंक ने एनसीएमसी पर आधारित संपर्क रहित रुपे डेबिट कार्ड पर ध्यान देते हुए इस वर्ष के दौरान डेबिट कार्ड जारी किए हैं. सभी डेबिट कार्ड तत्काल ही सक्रिय हो गए हैं.



## 18.5 नई पहल:

- **पॉइंट ऑफ सेल: (पौस):** संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने सफलतापूर्वक एनसीएमसी तकनीक को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंत तक 46,846 पौस पर शुरू कर दिया है. जिससे अभी के एवं नए पौस मर्चेन्ट ने संपर्क रहित रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है.

डिजिटल चैनल में उन्नति (लाखों में)				
चैनल	31.03.2020	31.03.2021	वार्षिक संवृद्धि	
			पूर्ण	(%)
मोबाइल बैंकिंग (लाखों में)	82.27	121.92	39.65	48.19
इंटरनेट बैंकिंग (लाखों में)	63.14	68.30	5.16	8.17
डेबिट कार्ड्स	423	446	23	5.43

- **मोबाइल बैंकिंग:** संपर्क रहित बैंकिंग पर जोर देने के साथ एवं सभी बैंकिंग सुविधाओं के स्टॉप सोल्युशन प्रदान करने के साथ, यूमोबाइल में बहुत सारी नयी विशेषताएँ जारी हुई हैं:
- गैर आवासीय भारतीयों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ
- फ्लाइट टिकटों की बुकिंग
- मोबाइल एप पर रियल टाइम गूगल समाचार
- मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न तरह के भुगतानों के लिए लेन- देन की सीमा तय करना.
- भुगतान करने, पिन सेट करने एवं ईएमआई में बदलने की सुविधा प्रदान करने वाले क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल

## 18.6 इंटरनेट बैंकिंग:

- कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा हेतु आवेदन के माँगपत्र को स्वचालित कर दिया गया था ताकि आवेदनों के प्रसंस्करण की दक्षता को बढ़ाया जा सके.
- इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिंग करने एवं लेनदेन पूरे करने के लिए तथा वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) उत्पन्न करने की सुविधा के लिए न्यू मोबाइल एप, यू टोकन को लांच किया गया.

**18.7 यूपीआई क्यूआर कोड :** बैंक ने ग्राहकों से कम मूल्य वाले भुगतानों को स्वीकार करने के लिए छोटे वेंडरों को 2 लाख से अधिक यूपीआई क्यूआर कोड वितरित किए हैं जिसके चलते डिजिटल पैठ को पिरामिड के निचले स्तर तक ले जाया जा सके.

## 18.8 सोशल मीडिया के अंतर्गत प्रगति:

- यूनिन कनेक्ट परियोजना के अंतर्गत 2016 में बैंक के फेसबुक, टिविटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एवं लिंकेडिन के आधिकारिक पेज जारी किए गए हैं.
- संदेशों, टिप्पणियों और गतिविधियों के निरंतर मॉडरेशन और निगरानी के साथ, आपके बैंक के आधिकारिक पेज मिनटों के भीतर बहुत ही

प्रतिक्रियाशील उत्तर देते हैं, आपका बैंक फेसबुक पेज रेटिंग को "94% अनुक्रियता" और "मिनटों के भीतर" के प्रतिक्रिया समय के साथ एवं सभी आधिकारिक हैंडल 24x7 आधार पर अनुक्रिय हैं.

- पिछले वर्ष की तुलना में फालोवर्स की स्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सोशल मीडिया हैंडल का नाम	फालोवर्स (लाख में)		साल दर साल आधार पर फोलोवर में %वृद्धि
		मार्च 2020	मार्च 2021	
1.	फेसबुक	14.76	15.53	5.22%
2.	टिविटर	1.45	2.05	41.38%
3.	इंस्टाग्राम	0.63	1.09	73.02%
4.	यूट्यूब	0.16	0.32	100.00%
5.	लिंकेडिन	0.32	0.52	62.50%

- डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, आपका बैंक, बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट पर इसे प्रचारित करने के लिए ई-कॉमर्स बिजनेस टाई-अप में भी लगा हुआ है. बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट वेबसाइट पर अधिक पहुंच प्राप्त करने के लिए गूगल एड, यूट्यूब और लिंकेडिन के माध्यम से अभियानों को चलाता है. आपका बैंक समग्र प्रचार लागत में डिजिटल मार्केटिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.

## 19 जोखिम प्रबंधन – जोखिम की पहचान करने और उसे कम करने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण :

**19.1** आपके बैंक का जोखिम प्रबंधन के प्रति अग्रसक्रिय दृष्टिकोण है. इसके जोखिम दर्शन में जोखिम उठाने की क्षमता और नियामक ढांचे के भीतर एक स्वस्थ पोर्टफोलियो का विकास और रखरखाव शामिल है. आपका बैंक लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि शेरधारक मूल्य बढ़ाने और उपलब्ध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य के साथ व्यावसायिक कार्य भागीदार हों.

**19.2** बैंक में जोखिम प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है जिसमें विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष अधिकारियों की परिचालन स्तर की समितियों द्वारा समर्थित शीर्ष स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है. बैंक का निदेशक मंडल बैंक के लिए जोखिम उठाने की क्षमता और जोखिम नीतियों को मंजूरी देता है. आरएमसी जोखिम रणनीति और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जोखिम के स्तर और दिशा, विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा, पोर्टफोलियो विविधीकरण की समीक्षा करता है और जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करता है. जोखिम रणनीति और नीतियां बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित की जाती हैं.

**19.3** आपका बैंक उपयुक्त नीतियों, संगठन संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, पर्याप्त प्रणालियों, प्रक्रियाओं, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम को संबोधित करता है. यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित जोखिम

ऐच्छिक निपटान और स्वतंत्र जोखिम कार्य है कि बैंक अपनी जोखिम क्षमता के भीतर काम करता है।

#### ऋण जोखिम प्रबंधन :

**19.4 ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी):** सीआरएमसी बैंक में ऋण जोखिम कार्य की देखरेख करता है। अपने परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्य के अनुरूप, बैंक अनुशासित ऋण जोखिम प्रबंधन के माध्यम से एक मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करता है। पहचान, परिमाण और निगरानी के लिए बैंक के पास अच्छी तरह से परिभाषित ऋण मूल्यांकन तंत्र और जोखिम मूल्यांकन पद्धतियाँ हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के पास विभिन्न साधन हैं, जिनमें ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, ऋण अनुमोदन समिति, विवेकपूर्ण जोखिम समीक्षा, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण और पोर्टफोलियो प्रबंधन शामिल हैं।

**19.5 आपके बैंक के पास खुदरा और कॉर्पोरेट ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित और व्यापक आंतरिक रेटिंग / स्कोरिंग मॉडल हैं।** रेटिंग गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक ने केंद्रीय कार्यालय में एक केंद्रीकृत रेटिंग पूल स्थापित किया है, रेटिंग मॉडल के बेहतर प्रशासन के लिए एक मजबूत रेटिंग डेटा बेस तैयार किया गया है। जोखिम मूल्यांकन के बेहतर प्रबंधन के लिए, केंद्रीकृत रेटिंग पूल को कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग को अंतिम रूप देने की अंतिम जिम्मेदारी दी जाती है, जिनकी रेटिंग प्रक्रिया शाखा स्तर पर शुरू की गई थी। आंतरिक क्रेडिट रेटिंग मॉडल के अलावा, बैंक ने बड़े मूल्य के खातों के लिए ऋण जोखिम समीक्षा ढांचा पेश किया है जिसके तहत मंजूरी देने वाले अधिकारियों को प्रस्ताव विशिष्ट जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है।

**19.6 बैंक के पास सभी अग्रिमों के लिए एक मानकीकृत सुपरिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है।** यह ऋण स्वीकृतियों के लिए एक समिति दृष्टिकोण अपनाता है और विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अनुमोदन समितियाँ हैं।

**19.7 आरडब्ल्यूए गणना पद्धतियाँ :** ऋण और अग्रिमों के लिए क्रेडिट आरडब्ल्यूए की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत की जाती है।

#### बाजार जोखिम प्रबंधन :

**19.8 आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति और बाजार जोखिम नीति बैंकिंग और ट्रेडिंग बुक्स में बाजार जोखिम के प्रबंधन और शमन में सहायता करती है।** बाजार जोखिम के प्रबंधन की संपूर्ण जिम्मेदारी एसेट लायबिलिटी कमेटी (एल्को) की होती है। मूल फोकस कमाई के नजरिए से और आर्थिक मूल्य के नजरिए से मूल्य वर्धन है। एएलएम डेस्क और मिड ऑफिस ऑफ ट्रेजरी क्रमशः बैंकिंग और ट्रेडिंग पुस्तकों में बाजार जोखिम का प्रबंधन करते हैं।

**19.9 विभिन्न आस्तियों और देयताओं के आकार, मिश्रण, अवधि और संरचना की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए आस्ति देयता समिति नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है।** यह मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और प्रबंधन करता है। आस्ति

और देयता उत्पादों का मूल्य निर्धारण भी एल्को द्वारा तय किया जाता है।

**19.10 आपका बैंक अग्रसक्रिय चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित करता है, स्ट्रेस परिदृश्य विकसित करता है और एक आकस्मिक चलनिधि योजना भी रखता है।** बैंक ने चलनिधि मानकों पर बासेल III ढांचे के अनुसार आरबीआई द्वारा जारी चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों को अपनाया है। इनमें इंद्राडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट और लिक्विडिटी कवरेज दर (एलसीआर) शामिल हैं। चलनिधि की निगरानी स्टॉक दृष्टिकोण और प्रवाह दृष्टिकोण दोनों के माध्यम से सक्रिय रूप से की जाती है।

**19.11 बैंक का ट्रेजरी में एक स्वतंत्र मिड कार्यालय है जो जोखिम प्रबंधन को रिपोर्ट करता है।** यह जोखिम विश्लेषण, लिमिट निगरानी और जोखिम संवेदनशील मापदंडों की गणना जैसे जोखिम पर मूल्य, पीवी01 अवधि, अनुबंध रद्द करने की अवधि आदि के संदर्भ में अनुपालन सुनिश्चित करता है। बाजार जोखिम पूंजी की गणना मानकीकृत मापन विधि (एसएमएम) के तहत की जाती है।

#### परिचालन जोखिम प्रबंधन :

**19.12 व्यापक प्रणालियों और प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए प्राथमिक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है।** बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। बैंक द्वारा शुरू किए गए सभी नए उत्पाद परिचालन जोखिम के मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए उत्पाद मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरते हैं। मौजूदा उत्पादों में भिन्नता के साथ-साथ बाहरी (आउटसोर्सिंग) गतिविधियों में जोखिमों की भी समीक्षा की जाती है। बैंक ने पिछले तेरह वर्षों के दौरान हुए परिचालन घाटे से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया है और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है ताकि इन हानियों की पुनरावृत्ति न हो। बैंक के विभिन्न उत्पादों की प्रक्रियाओं में अवशिष्ट जोखिमों का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) का संचालन करने के लिए भी प्रक्रिया लागू की गई है। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों की पहचान की गई है और समयसीमा निर्धारित की गई है।

**19.13 आपका बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के तहत पूंजी गणना के लिए बेसिक इंडिकेटर (बीआईए) का पालन कर रहा है।**

**19.12 एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस उपाय के रूप में, बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रकटीकरण नीति तैयार की है।** व्यापार व्यवधान और प्रणाली की विफलता के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) के महत्व को समझते हुए, बैंक ने एक बीसीपी नीति भी लागू की है जो बैंक के कर्मचारियों, ग्राहकों और परिसंपत्तियों के हितों की रक्षा के लिए विघटनकारी पर्यावरण के तहत प्रतिक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का ब्यौरा देने वाला खाका प्रदान करती है।

## समूह जोखिम प्रबंधन

19.15 आपके बैंक ने बैंकिंग, प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार, बीमा और खुदरा परिसंपत्ति व्यवसायों जैसी विविध वित्तीय सेवाओं में भाग लिया है. बैंक ने सामान्य और तनावग्रस्त परिस्थितियों में अपनी समूह संस्थाओं में जोखिमों के आकलन, आंतरिक नियंत्रण और शमन उपायों और पूंजी मूल्यांकन के लिए एक ढांचा/नीति लागू की है. बैंक ने अपनी समूह जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए एक समूह-व्यापी दृष्टिकोण प्राप्त करना है कि जोखिम के प्रमुख पहलुओं पर व्यापार के संचालन में समूह-व्यापी प्रभाव माना जाए.

## धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

19.16 आपके बैंक में एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति है. बैंक में धोखाधड़ी की समीक्षा परिषद, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, क्रेडिट- प्रबंधन कमेटी, बोर्ड की ऑडिट समिति और धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति है ताकि धोखाधड़ी/प्रयास धोखाधड़ी के मामलों की जांच की जा सके और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं लागू की जा सकें. 1.00 लाख रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की सूचना बोर्ड को देने के अलावा, बैंक धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति को 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्ट भी करता है.

19.17 आपके बैंक ने विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेनदेन में सक्रिय धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एंटरप्राइज-वाइड फ्रॉड रिस्क प्रबंधन सॉल्यूशन (ईएफआरएम) लागू किया है.

## 20 अनुपालन

20.1 आपके बैंक ने एक अच्छी तरह से प्रलेखित अनुपालन नीति के साथ एक मजबूत अनुपालन प्रणाली लागू की है. अनुपालन समारोह का ध्यान नियामक अनुपालन, सांविधिक अनुपालन, निष्पक्ष अभ्यास कोड और अन्य निर्धारित कोड, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों और धन शोधन की रोकथाम और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण का पालन है.

आपका बैंक भारतीय सभी क्षेत्रों में आयोजित बी श्रेणी शाखा और क्रेडिट प्रोसेसऑडिट सहित ग्राहक सेवा, केवाईसी-एमएलचेक पर नियमित अनुपालन परीक्षण जांच करता है.

20.2 आपके बैंक के पास नियामकों/मंत्रालय/आईबीए/बीबीबी से प्राप्त संचार की निगरानी, नियंत्रण और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक आंतरिक अनुपालन पैकेज है. अनिवार्य दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवधिक अनुपालन परीक्षण जांच की गई. अनुपालन कार्य की भूमिका और उत्तरदायित्व को बैंक में हर स्तर के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. आपके बैंक के पास स्वनिर्णीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियामक और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली है; अनुपालन प्रमाण पत्र शाखाओं द्वारा संबंधित आरओ/आरओ को एफजीएमओ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. एफजीएमओ और सीओ वॉर्टिकल अनुपालन विभाग को अनुपालन प्रमाण पत्र हर तिमाही प्रस्तुत करते हैं.

## 21 आंतरिक लेखा प्रणाली

एक प्रभावी और कुशल आंतरिक लेखा परीक्षा समारोह बैंक के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है.

21.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने 6734 शाखाओं और 1370 अन्य इकाइयों के ऑडिट किए हैं.

21.2 उपर्युक्त लेखा परीक्षा के अलावा, बैंक ने समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की है जिसमें कुल जमाओं का 61.77% और बैंक की कुल अग्रिमों का 78.59% शामिल है जो आरबीआई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और प्रबंधन लेखापरीक्षा, आईएस ऑडिट, ओटीएमएस अलर्ट, स्विफ्ट ऑडिट, प्रवेश लेखापरीक्षा का बिल, विदेशी शाखाओं लेखापरीक्षा, विदेशी मुद्रा शाखाओं के लेखापरीक्षा और प्रभावी अनुवर्ती और निगरानी के लिए व्यय लेखापरीक्षा भी आयोजित करता है.

## 22 साइबर सुरक्षा :

22.1 साइबर सुरक्षा : साइबर सुरक्षा कार्यों की देखरेख के लिए आपके बैंक का केंद्रीय कार्यालय में एक अलग वॉर्टिकल है. बैंक ने साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) लागू किया है और इसे प्रबंधित करने के लिए एक समर्पित कुशल टीम तैनात की है. सीएसओसी साइबर खतरों की पहचान करने, उनका पता लगाने, सुरक्षा करने और उन्हें रोकने में मदद करता है.

बैंक की साइबर सुरक्षा स्थिति की प्रगति पर नजर रखने के लिए बैंक ने कार्यपालक एवं बोर्ड स्तर पर नीतियों, प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों एवं समितियों को शामिल कर एक साइबर सुरक्षा गवर्नेंस संरचना को तैयार किया है.

## 22.2 व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) :

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) को विकसित किया है. साइबर सुरक्षा उपायों की जानकारी ग्राहकों को देने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है, जिनमें सामाजिक मीडिया, कार्पोरेट वैबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग लॉगइन पेज, एटीएम, एसएमएस, ईमेल, शाखाओं में प्रदर्शन आदि शामिल हैं. इनकी वजह से व्यापक रूप से साइबर की जानकारी बढ़ी है.

## 23 सूचना प्रौद्योगिकी :

ग्राहकों में बेहतर अनुभव प्रदान करने और सेवा बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक ने कई नई आई टी पहल की हैं

23.1 पूर्व-कार्पोरेशन बैंक और पूर्व-आंध्र बैंक का आई टी समामेलन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्रमशः 30 नवंबर 2020 और 25 जनवरी 2021 को पूरा कर लिया गया. कोविड 19 महामारी के बावजूद, दोनों बैंकों का आईटी समामेलन कार्य 11 माह के रिकॉर्ड समय में हो गया. समामेलन कार्य के दौरान, तीनों समामेलित बैंकों में अंतर-बैंक निधि

अंतरण को सुगम बनाने के लिए बैंक ने फिनेकलमोबी-टेलर एप्लिकेशन को लागू किया है। ग्राहकों को न्यूनतम असुविधा के साथ 9.23 करोड़ ग्राहकों के 9.33 करोड़ खातों का समामेलन हो गया। पूर्व-कार्पोरेशन बैंक की शाखाएँ/ कार्यालयों को चार भागों में और पूर्व-आंध्र बैंक की शाखाओं/ कार्यालयों को तीन भागों में समामेलित किया गया। समामेलित इकाइयों का मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), एटीएम स्विच, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एलएएस तथा लेखापरीक्षा एप्लिकेशन का समामेलन सफलतापूर्वक हो गया। अर्थात्, समामेलन से पहले पूर्व-कार्पोरेशन बैंक और पूर्व-आंध्र बैंक के एटीएम स्विच, डेबिट कार्ड, एनईएफटी/ आरटीजीएस गेटवे, आईएमपीएस गेटवे जैसे प्रमुख एप्लीकेशन का समामेलन पूरा हो गया। अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को न्यूनतम असुविधा के साथ, सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग (एफईबीए), मोबाइल बैंकिंग, वित्तीय समावेश, सीटीएस, सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम), नकदी प्रबंधन प्रणाली के इंटीग्रेशन का कार्य निर्बाध रूप से पूरा हो गया।

**23.2 निर्बाध और सुरक्षित समामेलन के लिए, बैंक ने तृतीय पक्ष के साथ मिलकर एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन प्रबंधन (एपीआईएम) की स्थापना की है। एपीआईएम के तहत विभिन्न परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:**

- राजस्थान राज्य बीवरेजेस कार्पोरेशन (आरएसबीएस)- वास्तविक समय पर चालान आधारित भुगतान के लिए बैंक और राजस्थान राज्य बीवरेजेस कार्पोरेशन के बीच एकीकरण को लागू किया। इसकी वजह से निधियों का अंतरण और प्रेषण आसान हुआ है।
- डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) मेसर्स इंटेग्रा और मेसर्स अत्यती द्वारा प्रदत्त एकीकरण की मदद से जीवन प्रमाण सहित वित्तीय और गैर-वित्तीय सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया है। वित्तीय सेवाओं में नकद निकासी शामिल है, जबकि गैर वित्तीय सुविधाओं में, चेक बुक सुपुर्दगी, पेंशनर का जीवन प्रमाणपत्र की स्वीकृति, खाता विवरण की सुपुर्दगी शामिल है।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) वास्तविक समय पर कार्पोरेट ग्राहकों के लिए, चालान तथा गैर-चालान आधारित भुगतान हेतु सप्लाइस और माल के महानिदेशालय द्वारा सरकारी ई-मार्केटप्लेस आरंभ किया गया है।
- फास्टेग इंटीग्रेशन ग्राहक बैंक की शाखाओं से फास्टेग की खरीद और रिचार्ज कारवा सकते हैं। वाहन पंजीकरण नंबर का सत्यापन ऑनलाइन किए जा सकता है और काउंटर से फास्टेग जारी किए जा सकते हैं। यह सुविधा व्यक्तिगत और कार्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
- हज फीस संग्रह एकीकरण बैंक शाखाओं के माध्यम से चालान आधारित भुगतानों के लिए, हज संग्रह सेवा उपलब्ध कारवाई गई है।
- वास्तविक समय में डेबिट कार्ड रेडीकित एक्टिवेट करना ग्राहकों को एक्टिवेशन के बाद तुरंत डेबिट कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए, वास्तविक समय में डेबिट कार्ड रेडीकित एक्टिवेशन लागू किया गया है।
- ई-मेल के माध्यम से स्वतः खाता विवरण बचत और चालू खातों के

मासिक खाता विवरण ई-मेल के माध्यम से स्वतः प्रेषण लागू कर दिया गया है।

- पोसिटिव पे लागू किया जाना ग्राहकों के चेकों के विवरण एनपीसीआई को देने के लिए पोसिटिव पे लागू किया गया है। जिसमें, ग्राहक चेक नंबर, तारीख, राशि और आदाता का नाम आदि विवरण ई-बैंकिंग और शाखा बैंकिंग के माध्यम से भेज सकते हैं।
  - शिशु मुद्रा के लिए एकीकरण - पात्र ग्राहकों के लिए, मुद्रा ऋण सुविधा में खाता खोलने से लेकर ऋण राशि के संवितरण तक 7 आसान चरणों की प्रक्रिया को लागू किया गया है। दस्तावेजों में हेराफेरी को रोकने और लागत कम करने के लिए एनएसईएल के माध्यम से दस्तावेजों का निष्पादन किया जा सकता है।
  - पीएमस्वनिधि बैंक शाखाओं में, वास्तविक समय पर, स्वतः खाता खोलने से लेकर संवितरण तक के लिए पीएमस्वनिधि को क्रियान्वित किया गया है।
  - कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल के माध्यम से चालू खाता खोलना - एमसीए और बैंक का एकीकरण हुआ है, जिसके माध्यम से वास्तविक समय पर पात्र ग्राहक खाता खोलना, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और भविष्य में संदर्भ के लिए उनका वॉल्टीकरण कर सकते हैं।
  - सुड लाइफ एकीकरण बैंक की शाखाओं से कोर बैंकिंग प्रणाली में, ग्राहकों को तुरंत प्रीमियम भुगतान को आसान करने के लिए स्टार यूनिन ड्राइवी जीवन बीमा उत्पादों को उपलब्ध करवाया गया है।
  - परस्पर निधि एकीकरण पीडीएफ प्रारूप में, म्यूचुअल फंड विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, यूनिन आस्ति प्रबंधन कंपनी का एकीकरण किया गया है।
  - तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) संग्रह चालान आधारित भुगताओं के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) और बैंक का एकीकरण किया गया है। इसकी मदद से ग्राहकों के लिए धोखाधाड़ी की संभावनाएं कम हुई हैं और बड़ी मात्र में नकदी प्रबंधन की समस्याओं से मुक्ति मिली है।
- 23.3 ग्रीन पिन सभी एटीएम टर्मिनलों में यूनिन बैंक के सभी ग्राहक के लिए यह सुविधा आरंभ की गई है, जिससे डेबिट कार्ड, एटीएम और पंजीकृत मोबाइल नंबर के द्वारा डेबिट कार्ड पिन को जनरेट किया जा सकता है।**
- 23.4 मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पात्र ग्राहकों को तुरंत ऋण सुविधा लेने के लिए, पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण सुविधा आरंभ की गई है।**
- 23.5 ग्राहकों के लिए, ऑनलाइन व्यक्तिगत व एमएसएमई ऋण खाते खोलने की सुविधा आरंभ की गई है, जिसमें वास्तविक समय में ग्राहक की पात्रता की गणना कर सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है, इससे ग्राहक का खाता खोलने में समय की बचत होती है।**

23.6 इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इन्श्युरेंस ग्राहक ई-बैंकिंग और शाखा बैंकिंग के माध्यम से इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इन्श्युरेंस के उत्पादों की सुविधा ले सकते हैं।

23.7 एनएसईएल के माध्यम से स्वतः ई-स्टैपिंग प्रणाली (ईईएस) तथा ई-हस्ताक्षर को क्रियान्वित किया गया है। इससे दस्तावेजों में छेड़खानी से बचा जा सकता है, तुरंत निष्पादित किए जा सकते हैं और दस्तावेजों की रखरखाव लागत में कमी आई है।

23.8 'डायल ए लोन' के लिए पोर्टल 'डायल ए लोन' सुविधा के द्वारा ग्राहक, जब बैंक के निर्दिष्ट नंबर को डायल करता है, तो उसे बैंक के अधिकारी से कॉल आता है, जिसके माध्यम से बैंक के विभिन्न ऋण उत्पादों जैसे- कारोबार ऋण (रु. 5 करोड़ तक), मुद्रा ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण तथा क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जा है।

## 24 परिचालन विभाग :

बैंक द्वारा विभिन्न पहल किए गए हैं और वर्ष 2020-21 के दौरान परिचालन संबंधी निम्न कार्रवाई की गई है:

24.1 शिकायत निवारण प्रणाली : समामेलित इकाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर, शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाया गया है। शिकायत निवारण प्रणाली के विभिन्न स्तरों के कार्य और जिम्मेदारियों को स्पष्ट पहचान और परिभाषित किया गया है। शिकायत निवारण की प्रक्रिया के सभी स्तरों में तेजी लाते हुए, शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है।

24.1.1 शिकायत निवारण नीति : ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए संशोधित नीति बनाई गई है, जिसका उद्देश्य ग्राहक शिकायतों में कमी लाना है और शिकायत की प्रकृति के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से पूर्व-निर्धारित समयावधि में एस्कलेशन मेट्रिक्स लागू करना है, ताकि ग्राहक शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण हो सके।

24.2 यूनियन केयर : बैंक ने 'यूनियन केयर' नाम से एक हेंडबुक जारी किया गया है, जिसमें शिकायतों का वर्गीकरण, शिकायतों के संभावित कारण और निवारण के उपाय, एस्कलेशन मेट्रिक्स तथा एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, पेंशन, मोबाइल बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग, एनईएफटी/ आरटीजीएस, एसबीए/ डीमेट आदि क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए नामित अधिकारी के संपर्क विवरणों को शामिल किया गया है। इस हेंडबुक से ग्राहक शिकायतों को बेहतर तरीके से शीघ्र निपटान करने में क्षेत्र कर्मियों को मदद मिल रही है।

24.2.1 बैंक के वैबसाइट में शिकायत निवारण अधिकारी के विवरणों को अद्यतन करना : शिकायतों के शीघ्र निपटान में ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ने अपनी वैबसाइट में एफजीआरओ तथा आरजीआरओ के संपर्क और अन्य विवरणों को अपलोड किया है। हमने किये जाने वाले और न किये जाने वाले कार्यों, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों में

शिकायतों के निपटान के लिए एफजीआरओ/ आरजीआरओ के दौरे/ अवकाश के समय वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी विवरण के संबंध में विस्तृत कार्य-योजना जारी किया है। अब हमारी वैबसाइट में, मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी से लेकर अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय से संबन्धित सुव्यवस्थित शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है।

24.2.2 ग्राहक शिकायतों का प्रबंधन : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	संख्या
01 अप्रैल, 2020 को लंबित शिकायत	1517
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायत	404909
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायत	396554
31 मार्च, 2021 को लंबित शिकायत	9872

24.3 पॉजिटिव-पे प्रणाली का क्रियान्वयन : भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन में, हमारे विभाग ने पॉजिटिव-पे पर हमारे व विभाग द्वारा एक नीति जारी की गई है, जिसमें बड़ी राशि के चेकों के प्रमुख विवरणों को सत्यापित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत, चेक जारीकर्ता द्वारा एसएमएस, मोबाइल एप्प, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि में से किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के कुछ न्यूनतम विवरण जैसे- तारीख, आदाता का नाम, राशि आदि अदाकर्ता बैंक को प्रेषित करेगा। इन विवरणों के साथ, सीटीएस के माध्यम से प्राप्त चेक के विवरणों की जांच प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा की जाएगी। किसी विसंगति की दशा में, अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक मिलकर समाधान करेंगे।

### 24.3.1 पॉजिटिव-पे प्रणाली के तहत सीमा :

- ए) ग्राहक इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बाध्य नहीं है।  
 बी) रु. 50,000/- तथा उससे अधिक राशि के चेक/ लिखतों के लिए पॉजिटिव-पे प्रणाली सभी ग्राहकों के लिए लागू की जाएगी। इसका प्रयोग करने या न करने के लिए ग्राहक स्वतंत्र है।  
 सी) रु. 5,00,000/- तथा उससे अधिक राशि के चेक/ लिखतों के लिए पॉजिटिव-पे प्रणाली सभी ग्राहकों के लिए, उनकी मर्जी से लागू की जाएगी। तथापि, पॉजिटिव-पे प्रणाली स्वीकारने के बाद, रु. 5,00,000/- से अधिक का चेक/ लिखत प्रस्तुत करने वाले ग्राहकों के लिए यह अनिवार्य होगा। पॉजिटिव-पे से संबन्धित सीमा निर्धारित करना अनिवार्य है, इसे क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।

24.4 डोर स्टेप बैंकिंग आरंभ करना : भारत सरकार, वित्तीय सेवाएँ विभाग की ईज़ (व्यापक पहुँच और उत्कृष्ट सेवा) की कार्यसूची में डोर स्टेप बैंकिंग प्रमुख है। वित्तीय सेवाएँ विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने दिनांक 09.09.2020 को गैर-वित्तीय और वित्तीय संव्यवहारों के लिए, 700 शाखाओं को कवर करते हुए, 100 केन्द्रों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवा आरंभ की है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	अब तक संचयी संख्या		
	30.09.2020	31.12.2020	31.03.2021
संव्यवहारों की कुल संख्या	303	12256	27459



भारतीय बैंक संघ की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्ण किए गए अनुरोधों में (17% अंश के साथ) भारतीय स्टेट बैंक के बाद बैंक का स्थान दूसरा है।

#### 24.5 प्रथम नीतियां :

**24.5.1 मृत्यु दावे पर प्रथम नीति:** बैंक में मृत्यु दावे से संबंधित विभिन्न दिशानिदेश, निदेश उपलब्ध हैं। परंतु कोई मानक नीति नहीं थी। अब मृत्यु दावे के निपटान पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति उपलब्ध है, जिसमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

**24.5.2 स्टाफ जमा और उनपर अतिरिक्त ब्याज के भुगतान पर प्रथम नीति:** समामेलन के बाद, देश की सभी शाखाओं के लिए सामान्य मानक दिशानिदेशों के साथ, अब एक मानक नीति बनाई गई है, जो पूरी पारदर्शी और समानता पर आधारित है।

**24.5.3 पॉजिटिव पे पर प्रथम नीति :** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पत्र क्र. आरबीआई:2020-21:41 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.क्र.309:04.07.005: 2020-21 दिनांक 25.09.2020 द्वारा दिये गए दिशानिदेशों के अनुपालन में, बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा, संभावित विवादों से बचाने, विवादों के निपटान में लगाने वाले समय को बचाने और अधिकारियों को पुनः सत्यापन प्रणाली की उपलब्धता के लिए इस नीति को जारी किया है, ताकि इस प्रणाली में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ग्राहक की ओर से निर्णय लिया जा सके।

**24.6 डिजिटल दस्तावेजों का निष्पादन:** व्यक्तिगत और वाहन ऋणों की दशा में, ऋण दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से रखने के लिए बैंक ने एनईएसएल के साथ टाइ-अप किया है। व्यक्तिगत ऋणों और यूनियन माइल्स ऋणों के ऋण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से रखने के लिए यह उत्पाद दिनांक 11.11.2020 को 7 राज्यों -राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड तथा पुदुचेरी में आरंभ किया है, ताकि ग्राहक को शाखा में आए बिना निष्पादन का लाभ दिया जा सके। अब तक 162 दस्तावेजों को निष्पादित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, शिशु मुद्रा ऋण के 3324 दस्तावेज भी निष्पादित किए जा चुके हैं।

बैंक के तकनीकी क्षेत्र में, इस उत्पाद की अपार संभावनाएं हैं और यह उत्पाद नए जमाने की बैंकिंग में अग्रणी की भूमिका निभाएगा।

**24.7 "मेरी डायरी" (एक बटन क्लिक करने पर सभी सूचनाएं) पोर्टल शाखाओं/कार्यालयों के लिए:** हमने शाखाओं के प्रयोग के लिए, "मेरी डायरी" नाम से इंटरनेट आधारित नए पोर्टल को विकसित किया है। यह पोर्टल क्लाउड में क्रियान्वित है, जिसमें शाखा से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी, जिसमें मुख्य निष्पादक सूचक के साथ-साथ परिचालन और देयता उत्पादों से संबंधित आंकड़े भी होंगे।

हम उत्पाद को सभी रिपोर्टिंग, अनुश्रवण और सूचना संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक पॉइंट के रूप में देखते हैं।

**24.8 चर्न मॉडल:** खातों को डोरमेंट/निष्क्रिय/बंद संवर्ग में स्लिप होने से रोकने के लिए चर्न मॉडल को विकसित कर सभी क्षेत्रों में आरंभ किया गया है। यह मॉडल चिन्हित 19 मानदंडों में निर्णय पर बनाया गया है। देयता उत्पादों के लिए, यह मॉडल पूर्व-चेतावनी संकेत देता है और तदनुसार शाखाओं को निवारक उपाय करने में मदद करता है।

**24.9 ई-मेल पर खाता विवरण:** जून 2020 से प्रति माह बचत खाते, चालू खाते, नकद-साख खाते, ओवरड्राफ्ट खातों के दो करोड़ खातों के विवरण ग्राहकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए हैं।

#### 25. सतर्कता:

**25.1** हमारे सतर्कता विंग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। इनकी सहयोगी टीम में केंद्रीय कार्यालय में सतर्कता अधिकारियों के अलावा क्रमशः एक उप महाप्रबंधक और चार सहायक महाप्रबंधकों के नेतृत्व आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में मे सतर्कता कक्ष हैं। बैंक में सतर्कता विभाग का प्रमुख कार्य निवारक, जांच और प्रतिभागी सतर्कता है न कि दंडात्मक कार्रवाई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के लिए, धोखाधड़ी/कुप्रथा को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा कई निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

**25.2** बैंक ने सचेतक नीति को अपनाया है, जिसमें धोखाधड़ी, कुप्रथा, या इसी प्रकार की अन्य गतिविधि जो बैंक के हित के विपरीत और समग्र रूप से समाज के हित के विरुद्ध हो, के विषय में बैंक कर्मचारी सचेत कर सके। सचेतक नीति के अनुसार इसके तहत सभी शिकायतों के लिए बैंक में मानव संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक नामित अधिकारी हैं। स्टाफ सदस्यों और नागरिकों को पिडपी/सचेतक प्रणाली के महत्व से संवेदनशील करने के उद्देश्य से बैंक ने एक छोटी फिल्म, 'पिडपी का प्रावधान: सतर्क जागरूक हिंदुस्तान' नाम से जारी किया है, जिसके द्वारा धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार की घटनाओं के बारे में सचेत करने के लिए शिक्षित किया जा सके।

तथापि बैंक को आंतरिक और बाहरी खतरों जैसे- धोखाधड़ी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, अधिकारों का दुरुपयोग, निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं का पालन न करना आदि से रोकने के लिए 'प्रतिभागी सतर्कता' के लिए हर स्तर पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। इस योजना को प्रचारित करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और शाखाओं के निवारक सतर्कता दौरों के समय जागरूक किया जा रहा है।

सतर्कता अधिकारियों द्वारा निवारक सतर्कता के दौरे औचक रूप से किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य बैंक द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के महत्व से स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील करना होता है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 3890 दौरे किए गए।

सतर्कता जागरूकता दौरों के अतिरिक्त, एक ऑफसाइट निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे असामान्य संव्यवहारों में अनियमितताओं का पता लगाने में मदद मिलती है और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। वर्ष के दौरान, ऑफसाइट निगरानी में 3367 सचेतक संकेत मिले, जिन्हें उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नियंत्रक कार्यालयों को भेजा गया था।

वर्ष के दौरान, बैंक में प्रक्रिया और प्रणाली को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग के सुझाव के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा 27 सुधार किए गए हैं। विभिन्न संवैधानिक और नियामक निकायों (सीवीसी, आरबीआई, एमओएफ, सीबीआई आदि) की मांग के अनुसार, उन्हें नियमित रूप से नियंत्रक विवरण भी भेजे गए हैं, ताकि वे सतर्कता मामलों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे कार्यों का अनुश्रवण और जांच कर सकें।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, बैंक प्रतिवर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करता है, जिसमें स्टाफ सदस्यों, स्कूल के बच्चों, ग्रामीणों और देश में समाज के सभी नागरिकों के लिए आंतरिक और बाहरी सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी, कोविड का प्रकोप होने के बावजूद, दिनांक 27 अक्टूबर 2020 से 02 नवंबर 2020 तक "सतर्क भारत, उन्नत भारत" विषय पर, सप्ताह के सफल आयोजन में कोई प्रयास छोड़ा नहीं गया।

ऑनलाइन माध्यम से वाद-विवाद, निबंध लेखन, वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तरी, स्वास्थ्य केम्पस आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्राहकों, कार्यपालकों, स्टाफ सदस्यों, बैंक मित्रों और जनता को संवेदनशील करने के लिए वेबिनर के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा बैंकिंग के विभिन्न विषयों, वित्तीय समावेशन, साइबर सुरक्षा, व्यावहारिक और नेतृत्व दक्षता आदि पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तिमाही समाचार पत्रिका 'यूनियन विजिल' का प्रकाशन और यूनियनधारा का सतर्कता विशेषांक जारी किया गया।

अब दंडात्मक भाग के संबंध में, 31 मार्च, 2021 को बैंक में स्टाफ सदस्यों की कुल संख्या 78,202 है, लंबित सतर्कता मामलों की संख्या 221 है अर्थात् 0.28%। वर्ष के दौरान 531 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से पूर्व वर्ष के 15 शिकायतों को मिलाकर 491 का निपटान हो चुका है। वर्ष के दौरान, 90 मामलों में जांच के आदेश दिये गए, जिनमें गत वर्ष के 7 रिपोर्टों को मिलकर 78 मामलों के जांच रिपोर्ट मिल गए हैं। 19 मामलों में जांच रिपोर्ट आने हैं, जो 3 माह से कम पुराने हैं। जांच कर उनकी रिपोर्ट बैंक के सतर्कता विभाग को प्रस्तुत करने में औसत समय 72 दिन लगा है जबकि अधिकतम अनुमत अवधि 90 दिनों की है।

## 26 अवसर

**26.1 पूरे भारत में उपस्थिति:** आंध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक के विलय के बाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक हो गया है, जिसका मिश्रित कारोबार रु. 15 लाख करोड़ से अधिक, 9300 से अधिक शाखाएँ, 12,900 से अधिक एटीएम, कर्मचारी आधार 78,000 से अधिक और ग्राहक आधार 120 मिलियन से अधिक है।

**26.2 उच्च बाजार अंश:** 15 से अधिक राज्यों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शाखा नेटवर्क में बैंक का बाजार अंश 5% से अधिक है। 22 राज्यों में समग्र कारोबार के क्षेत्र में बैंक का अंश 5% से अधिक है। बैंक का बाजार अंश अधिक होने की वजह से, इसकी दृश्यता बढ़ती है और दूसरों की अपेक्षा बड़े कारोबार अधिग्रहण करने में मदद मिलती है।

**26.3 युवा जनबल :** बैंक का जनबल सबसे कम आयु वाले कर्मचारियों के बैंक में से एक है, जिनकी औसत आयु 40 वर्ष से कम है। कम आयु वर्ग के कर्मचारी होने का लाभ बैंकिंग को डिजिटल बनाने में अधिक होता है। युवा कर्मचारी बैंक को अधिक महत्वाकांक्षी बनाएँगे और इसके साथ ही मजबूत नेतृत्व और मजबूत विकल्प की संभावनाएं होती हैं।

## 27 चुनौतियां

**27.1 कड़ी प्रतिस्पर्धा :** भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। बैंकों को नए बैंकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए

अपनी कार्यप्रणाली में सुधार की बहुत आवश्यकता है। बैंकिंग क्षेत्र में नए अन्वेषणों और प्रयोगों को बढ़ाकर वित्तीय तकनीकों को बढ़ाना होगा। इन नए बैंकों से प्रतिस्पर्धा के लिए पारंपरिक बैंकों को अब डिजिटल-पहले मॉडल को अपनाना होगा।

**27.2 अनिश्चित कारोबार परिवेश :** कारोबारी परिवेश में बहुत ही अधिक अनिश्चितता है। वर्तमान महामारी के झटके ने बैंकों को बहुत प्रभावित किया है। अग्रसक्रियता से बफर्स का निर्माण करना और पूंजी बढ़ाना जरूरी है, जिससे न केवल क्रेडिट फ्लो को सुनिश्चित किया जा सके, बल्कि वित्तीय प्रणाली को पुनः स्थापित किया जा सके। समग्र रूप से वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ प्रत्येक बैंक को पुनः अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा।

**27.3 साइबर सुरक्षा:** डिजिटल नवपरिवर्तनों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को भी बढ़ाना जरूरी है। बैंक जैसे-जैसे अपने परिचालन के घंटों में वृद्धि कर रहे हैं तथा पहुंच और परिचालनात्मकता को बढ़ा रहे हैं, बैंक की प्रणाली में साइबर आक्रमणों की आशंकाएँ भी बढ़ रही हैं। हमारा अनुभव दिखाता है कि अत्यधिक दक्ष और सुरक्षित प्रणाली में भी जोखिम विद्यमान है, जो हमारी हितधारकों को जोखिम में डाल सकता है।

## 28 दृष्टिकोण

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आने वाला समय संभावनाओं और अनिश्चितताओं से भरा है। कोविड-19 की चुनौती जारी रह सकती है। तथापि, देश में वेक्सिनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है, और आशा करते हैं कि वर्तमान दशा से शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे।

वसूली की प्रक्रिया में सुधार होने से, बैंकिंग क्षेत्र लाभान्वित होगा और नए अग्रिमों में वृद्धि कर कारोबार को बढ़ा सकेंगे। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भी कृषि, मध्यम उपक्रमों, खुदरा क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में समग्र अग्रिमों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। बाजार से पूंजी बढ़ाने और लाभ अर्जन से बैंकों ने अपनी वित्तीय स्थिति को भी सुधारा है। अतः, आर्थिक गतिविधियों के बढ़ाने से हम उम्मीद से अधिक तेज गति से वापसी करते हुए, बैंकिंग क्षेत्र का समग्र निष्पादन बेहतर हो सकता है।

कोविड-19 महामारी की वजह से भारत में डिजिटल रूप से भुगतानों में परिवर्तन हुआ है। लॉक डाउन के महीनों में डिजिटल संव्यवहार अपने निम्न स्तर से सुधारा है और इसका प्रभाव पूरे वर्ष भी जारी रहा और अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा टेलरड वित्तीय सेवाओं को अपनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में उम्मीद की जाती है कि बैंक अपने प्रयासों को जारी रखा जाएगा और इस क्षेत्र में नवोन्मेषी उपायों को अपनाया जाएगा।

इनके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के नीतिगत मदद से देश में बैंकिंग प्रणाली की प्रगति को महत्व दिया जाएगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 05.07.2021

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

## 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है।

1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि निदेशक मंडल एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभिशासन के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा।

1.4 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बदलते परिदृश्य में बैंक के सामने अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा हुई हैं और आपके बैंक ने मार्च 2020 से स्थिति का सामना करने में चरित्र, परिपक्वता और लचीलापन दिखाया है एवं भविष्य में भी इसको जारी रखेगा।

1.5 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है। यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है। इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियाँ सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियाँ
- अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग)

निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि।

1.6 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का इस प्रकार अनुपालन करता है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी बैंक पर लागू होने वाले निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो।

## 2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में बैंक के समग्र अनुश्रवण कार्य सहित नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं।

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियाँ बनाई हैं और निदेशक मंडल के समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं।

2.4 31 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) तथा चार कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त पाँच गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के पद रिक्त थे। केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पद यथा 31 मार्च, 2021 को रिक्त थे।

2.6 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2021 निम्नानुसार है:

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
1	श्री राजकिरण रे जी, प्रबंध निदेशक व सीईओ (कार्यपालक)	01.07.2017	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी डीपीपीसी ईडीसी एचआरएससी आईटीएससी एमसीबी आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी आरईएमसी आरएमसी एससीएमएफ एसटीसीबी	6725	1	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त 01.07.2017 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 30.06.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4/4/2017 बीओ.आई दिनांकित 30.06.2020 द्वारा केन्द्र सरकार ने कार्यकाल अवधि को 30.06.2020 से बढ़ाकर 31.05.2022 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
2	श्री गोपाल सिंह गुसाई कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	20-09-2018	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी आईटीएससी एमसीबी आरईएमसी आरएमसी एसआरसी	6725	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 19.09.2021 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : लागत लेखाकार, बैंकिंग एवं वित्त
3	श्री दिनेश कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	02-11-2018	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी आईटीएससी एमसीबी आरईएमसी आरएमसी एसआरसी	6725	2	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि या दि.30.09.2021 या अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शोयरो की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
4	श्री मानस रंजन बिस्वाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01-03-2019	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी आईटीएससी एमसीबी आरईएमसी आरएमसी एसआरसी एससीएमएफ	शून्य	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 28.02.2022 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
5	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	10-03-2021	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ एमसी एसीबी आरएमसी आरईएमसी सीएससीबी एचआरएससी एसआरसी आईटीएससी सीईएसडी सीएसआरसी एससीएमएफ	6725	2	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 10.03.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन
6	डॉ मदनेश कुमार मिश्रा सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर - कार्यपालक)	22-07-2016	एसीबी बीसीपीई सीएससीबी डीपीपीसी ईडीसी एचआरएससी आईटीएससी आरईएमसी एससीएमएफ	शून्य	1	0	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त
7	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	26-04-2019	एसीबी डीपीपीसी ईडीसी एमसीबी	शून्य	1	0	केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त



क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
8	डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	बीसीपीई एमसीबी आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी आरएमसी एसआरसी एसटीसीबी एचआरएससी सीएससीबी आईटीएससी सीईएसडी	100	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन. दि. 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी
9	श्री के कदिरसन, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	सीएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरएमसी सीएसआरसी एचआरएससी एसआरसी एससीएमएफ	200	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन, 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बीमा एवं प्रबंधन
13	डॉ. जयदेव एम, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी एमसीबी आरसीएनसाबी एवं डबल्यूडी एसटीसीबी सीईएसडी एसआरसी आरएमसी आईटीएससी एसीबी एससीएमएफ	200	2	2	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन. दि. 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन

#### § समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

- एसीबी - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
- बीसीपीई - बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति
- सीएसी - साख अनुमोदन समिति-
- सीडीआरसीएफ - पुंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति
- सीईएसडी - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों का चुनाव समिति
- सीएससीबी - बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
- सीएसआरसी - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- डीपीपीसी - अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति
- ईडीसी - निर्वाचन विवाद समिति
- एचआरएससी - बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
- आईटीएससी - बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
- एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
- एनआरसी - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- आरसीएनसीबी & डबल्यूडी - बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं एवं जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
- आरईएमसी - बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
- आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
- एससीएमएफ - रु. 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति
- एसआरसी - हितधारकों की संबंध समिति
- एसटीसीबी - बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

## 2.7 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन

नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
1.	श्री बिरुपाक्ष मिश्रा	59	01.04.2020	उनके कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि अर्थात् 31.01.2021 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	बैंकिंग एवं वित्त	श्री मिश्रा स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी हैं। आपका विभिन्न प्रशासनिक व कार्यनिष्पादन क्षमताओं में शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर 36 वर्षों से अधिक का उत्कृष्ट अनुभव है। आपने बैंकिंग के कई क्षेत्रों में कार्य किया है एवं ऋण, ऋण अनुश्रवण, सूचना प्रौद्योगिकी संविभाग आदि का नेतृत्व किया है।
2.	श्री नितेश रंजन	44	10.03.2021	दिनांक 09.03.2024 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन	श्री नितेश रंजन अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आप यूनिन बैंक से सन 2008 से जुड़े हुए हैं। आप कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति से पूर्व मुख्य महाप्रबंधक स्ट्रेटजी थे। आपने बैंक में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, मुख्य अर्थशास्त्री, तुलन-पत्र प्रबंधन समूह के प्रमुख, ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख तथा क्षेत्र प्रमुख जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।

कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्ण हुआ।

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1	श्री बिरुपाक्ष मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	31.01.2021	कार्यकाल पूर्ण होने पर
2	श्री राजीव कुमार सिंह	सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	05.02.2021	कार्यकाल अवधि के पूरा होने पर .
3	डॉ. मदुरा स्वामीनाथन	अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक	26.12.2020	कार्यकाल अवधि के पूरा होने पर .
4	श्री केवल हांडा	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक	05.07.2020	कार्यकाल अवधि के पूरा होने पर.

## 2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध :

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नहीं है।

## 2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता :

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभ सूचीबद्ध संस्थाओं/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है।

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2021 का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1.	श्री राजकिरण रै जी. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड	एसीबी	अध्यक्ष
2.	श्री गोपाल सिंह गुसाई कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
3.	श्री दिनेश कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
		2. यूबीआई सर्विसेस लि.	एसीबी	सदस्य
4.	श्री मानस रंजन बिस्वाल कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
5.	श्री नितेश रंजन कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
6.	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा सरकार नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
7.	श्री अरुण कुमार सिंह भारिबैं नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
8.	डॉ उत्तम कुमार सरकार शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
9.	श्री के. कदिरेशन शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
10.	डॉ. जयदेव एम. शेयरधारक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	अध्यक्ष
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	अध्यक्ष

### 2.10 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा :

निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

<http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx>

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में (बैंक के बोर्ड पर किसी भी निदेशक को) वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के पीछे प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है.

2.12 बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करता हैं एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र है.

### 3. वार्षिक सामान्य बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक **मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, 2020** को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	श्री गोपाल सिंह गुसाई	कार्यपालक निदेशक

3	श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक
4	श्री बिरुपाक्ष मिश्रा	कार्यपालक निदेशक
क्र	निदेशक का नाम	पदनाम
5	श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक
6	श्री अरुण कुमार सिंह	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
7	श्री राजीव कुमार सिंह	सनदी लेखाकार संवर्ग के निदेशक, एसीबी एवं एसआरसी के अध्यक्ष
8	डॉ. मदुरा स्वामीनाथन	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
9	डॉ. उत्तम कुमार सरकार	शेयरधारक निदेशक
10	डॉ. जयदेव एम.	शेयरधारक निदेशक

#### 4 निदेशक मंडल की बैठकें :

##### 4.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा:

क्र	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या
1	17-04-2020	13	13
2	18-05-2020	13	13
3	23-06-2020	13	12
4	26-06-2020	13	13
5	24-07-2020	12	12
6	29-07-2020	12	12
7	21-08-2020	12	12
8	28-08-2020	12	10
9	24-09-2020	12	12
10	22-10-2020	12	11
11	06-11-2020	12	12
12	18-11-2020	12	12
13	25-11-2020	12	11
14	23-12-2020	12	9
15	21-01-2021	11	10
16	29-01-2021	11	10
17	03-03-2021	9	7
18	25-03-2021	10	10

##### 4.2 निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	18	18
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	18	15
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	18	18

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	16	16
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	18	17
श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1	1
डॉ मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामिती निदेशक	18	17
श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं नामिती निदेशक	18	18
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	16	16
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	14	12
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	18	18
श्री के कदिरसन, शेयरधारक निदेशक	18	13
डॉ जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	18	18

#### 5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं। महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)
6. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
7. निदेशकों की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
8. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)
9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

10. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
11. अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)
12. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
13. बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं & जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी & डबल्यूडी)
14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)
15. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
16. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
17. बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)
18. चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)
19. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव का निर्णय लेने हेतु समिति (सीईएसडी)

आयोजित हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	25	25
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	25	24
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	25	25
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	25	23
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	20	19
श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	2	2
श्री अरुण कुमार सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	25	25
डॉ मंदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	16	12
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	25	25
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	20	13
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	6	6

## 5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

### 5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3)(सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3)(ई),(एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/ समीक्षा, ऋण समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूंजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

### 5.1.3 एमसीबी बैठकों की उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 25 बैठकों

## 5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

### 5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी
- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यतः सनदी लेखाकार निदेशक हो.

अन्य कार्यपालक निदेशक/कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो.

डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा.



## 5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
  - अंतर-शाखा समायोजन खाते
  - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
  - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
  - धोखाधड़ी
  - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.
6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची- II के भाग- सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है.

## 5.2.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 10 बैठकें हुईं. ये बैठकें दिनांक

11.06.2020, 23.06.2020, 29.07.2020, 21.08.2020, 16.09.2020, 06.11.2020, 23.11.2020, 19.01.2021, 29.01.2021 और 23.03.2021 को आयोजित हुई थी तथा उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	9	9
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	8	8
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	9	9
श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामिती निदेशक	10	9
श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं नामिती निदेशक	10	10
श्री केवल हांडा, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2

## 5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

### 5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा. कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (सीएसआर एलएम) पर निर्देशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) किया है.

समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं :

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक एवं
- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक.

राष्ट्रीकृत बैंक योजना 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के अनुबंध 12(6) की शर्तों के अनुसार श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ समिति के वर्तमान अध्यक्ष है.

### 5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के

लिए समिति गठित की है, यह समिति बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

### 5.3.3 एससीआर एवं एएलएम समिति की उपस्थिति

वर्ष 2020-21 में समिति की 6 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	6	6
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	6	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	6	6
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	6	6
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	5	5
डॉ मद्रुसा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री के. कदिरसन, शेयरधारक निदेशक	2	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	5	5

### 5.4 रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

#### 5.4.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप रु.1 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है। एसीबी से

यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे। यह विशेष समिति रु.1 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी।

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है।

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिजर्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

राष्ट्रीकृत बैंक योजना 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के अनुबंध 12(6) की शर्तों के अनुसार श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ समिति के वर्तमान अध्यक्ष है।

#### 5.4.2 कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु.1 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना।
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना।
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना।
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना।
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना।

#### 5.4.3 एससीएमएफ बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	3	3
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	4	2
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	1	1
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	3	1
डॉ जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	1	1

## 5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी) :

### 5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी है। यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

### 5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

### 5.5.3 आरईएमसी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	4	4

## 5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

### 5.6.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गयी है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- चार गैर-कार्यपालक निदेशक

इनके अतिरिक्त, इन बैठकों में आंतरिक लोकपाल तथा दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं।

### 5.6.2 कार्य:

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

- ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना।
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना।

### 5.6.3 सीएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई जिसमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	5	5
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	5	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	5	3
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	4	4
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	5	5
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	3	2
डॉ जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री एस. रवीन्द्रनाथ, विशेष आमंत्रित	5	3
श्री एस. जगन्नाथन, विशेष आमंत्रित	5	5

### 5.7 बोर्ड की एचआर उप-समिति (एचआरएससीबी)

#### 5.7.1 संघटन :

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.7.2 कार्य :

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन :

- एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
  - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
  - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
  - उत्तराधिकार की योजना
- बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
  - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
  - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
- बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
  - पुरस्कार व प्रोत्साहन
  - पदोन्नति
  - तैनाती
- प्रशिक्षण
  - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
  - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या
- एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

#### 5.7.3 एचआरएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	5	5
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	5	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	4	4

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	5	5
डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	4	3
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री टी. वी. राव, बाहरी विशेषज्ञ	5	4
श्री आर. आर. नायर, बाहरी विशेषज्ञ	5	4

## 5.8 हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)

### 5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है।

डॉ. जयदेव एम., सनदी लेखाकार निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

### 5.8.2 कार्य :

1. बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/ ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्रति, घोषित लाभांशों की अप्रति, नए/ डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान एवं अनुश्रवण करना।
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गयी सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
4. बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना।

### 5.8.3 एसआरसी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, ये बैठकें दिनांक 22.05.2020, 30.07.2020, 20.10.2020 और 04.02.2021 को आयोजित हुई थी तथा उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	2	2
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	3	3
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	2	1
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1

### 5.8.4 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री मंगेश मांद्रेकर को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

### 5.8.5 वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण :

31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	31.03.21 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.20 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	18	106



क्र.	विवरण	31.03.21 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.20 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
सी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	18	106
डी.	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0

## 5.9 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

### 5.9.1 संघटन

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- तीन गैर - कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, महाप्रबंधक)

डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

### 5.9.2 कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में

उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.

- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

### 5.9.3 आईटीएससी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुईं और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1	1
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	5	3

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	5	4
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	1	1
डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2
श्री के. कदिरसन, शेयरधारक निदेशक	2	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री इशरक अली खान, मुख्य महाप्रबंधक, डीआईटी	4	3
श्री जी. शिवकुमार, विशेष आमंत्रित	5	5

#### 5.10 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी। वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बोर्ड को अलग नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति के स्थान पर, कथित दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार बैंक के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है।

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशकों के बोर्ड ने 06.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है

#### 5.10.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र क्र. आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी) के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) के निर्देशों, 2019 को जारी किया है। कथित निर्देशों के परिच्छेद 4.1

के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को गठित करने की आवश्यकता है। समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- अधिनियम 9(3) (जी) की धारा के अधीन नामित गैर-कार्यकारी निदेशक
- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित तीन गैर-कार्यकारी निदेशक

दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को भी समिति में नामित किया जा सकता है परंतु वह समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

#### 5.10.2 कार्य :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में चयन हेतु "योग्य एवं उपयुक्त" निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करना।

चूंकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारक निदेशक का चुनाव नहीं होना था, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

#### 5.11 अनुशासनिक कार्यवाही और पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीपीसी-V) थीं।

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्राचार एफ. सं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों की निरंतरता की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की, उनके बोर्ड में समीक्षा करने की सलाह दी।

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 24.10.1990 और बुनियादी संरचना को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को 06.12.2019 से समामेलित करने का निर्णय लिया।

#### 5.11.1. संघटन :

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रूप में मंजूरी दी है -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए

साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ वर्तमान में समिति के अध्यक्ष है।

#### 5.11.2. कार्य :

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना
- टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमशः टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना.
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है.
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करना
- उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा अभ्यावेदन के आधार पर प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना
- महाप्रबंधकों को प्रमुख दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना.

#### 5.11.3. डीपीसी की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 8 बैठकें हुईं और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	8	8
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	8	8
श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबै नामिती निदेशक	8	8

#### 5.12 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

##### 5.12.1. संघटन :

समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यकारी निदेशक

- दो गैर कार्यकारी निदेशक

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री राजकिरण रै जी., एसटीसीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं

##### 5.12.2. कार्य :

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

##### 5.12.3. एसटीसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष के दौरान, एसटीसीबी की 4 बैठकें हुईं और डुप्लीकेट शेयरों के हस्तांतरण, प्रसारण, डीमैट और निर्गम आदि में भाग लिया.

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1

#### 5.13. गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थी अर्थात् गैर सरकारी उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के जानबूझकर चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सके.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों से संघटन के आधार पर उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया और गैर सहकारी उधारकर्ता की पहचान करने तथा गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के वर्गीकरण के लिए एकल समिति गठित करने का निर्णय किया जो 06.12.2019 से प्रभावी है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

वर्तमान में, श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं।

#### 5.13.1. कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा।
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है।
- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना।
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना।

#### 5.13.2. आरसीडबल्यूडीवी एवं डबल्यूडी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	2	2
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	2	2
डॉ. मधुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2

#### 5.14 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति (सीएसआरसी)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति का उद्देश्य बोर्ड तथा बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति को पूरा करने में सहायता करना है।

##### 5.14.1 संघटन :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित कोई एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत चुने गए एक शेयरधारक निदेशक।

श्री राजकिरण रै जी. बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं, जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं।

##### 5.14.2 कार्य :

- निदेशक मंडल को सीएसआर नीति तैयार कर अनुशंसित किया जाना एवं आगे की जाने वाली गतिविधियों का संकेत करना।
- परियोजनाओं का अनुमोदन सीएसआर नीति के तहत समिति द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या अन्य ऐसी इकाई/संस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- महाप्रबंधक/ कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के प्रयोग की समीक्षा तिमाही आधार पर करना। यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य निष्पादन का तिमाही आधार पर समीक्षा करना।

##### 5.14.3 सीएसआरसी बैठकों में उपस्थिति

2020-21 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	3	3
डॉ मधुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	1

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक,	1	1
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	3	1

## 5.15 ऋण अनुमोदन समिति-1 (सीएसी-1)

### 5.15.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण-अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. समिति रु. 800 करोड़ तक के किसी भी एकल ऋण प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते जिनकी वैध रेटिंग है) और अन्य खातों के लिए रु.600 करोड़ तक तथा समूह एक्सपोजर के लिए रु.800 करोड़ और यदि एक्सपोजर इन सीमाओं से अधिक होता है तो उस पर बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.15.2 कार्य :

अग्रिम से संबंधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-1 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

### 5.15.3 सीएसी -1 की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 26 बैठकें आयोजित की गईं और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक/अन्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	26	26
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	26	26
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	26	26
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	26	25
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	22	20
श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	2	2
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी ऋण	26	26
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी वित्त / सीएफओ	26	26
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन	26	26

## 5.16 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

### 5.16.1 संघटन :

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.16.2 कार्य:

समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार हैं. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू



नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

### 5.16.3 सीडीआरसीएफ बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	5	5
श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक	4	3

### 5.17 कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)

#### 5.17.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय ने पत्रांक एफ.नं. 9/5/2019-आईआर दिनांक 30.08.2019 द्वारा बैंक को सलाह दी कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण कार्य (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) एवं महाप्रबंधक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति का गठन किया जाए।

दिनांक 14.11.2019 को संप्रेषित उपर्युक्त वर्णित एमओएफ के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के अनुमोदन के साथ कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया जाए।

1. गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामित निदेशक, एवं
3. बोर्ड में सबसे लंबे समय तक सेवारत शेरधारक निदेशक.

कार्यालय में एनईसी का पद खाली होने की दशा में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, एनईसी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे.

#### 5.17.2 कार्य :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन, समीक्षा एवं स्वीकृति

#### 5.17.3 बीसीपीई बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की 2 बैठक सम्पन्न हुई जिसकी उपस्थिति निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेरधारक निदेशक	2	2
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक संवर्ग	1	1

### 5.18 चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)

#### 5.18.1 संघटन :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैंड) विनियमन, 1998 के अनुसार शेरधारक निदेशक के चयन में योग्यता या अयोग्यता अथवा चुने जाने की घोषणा या चुनाव की वैधता आदि के विषय में कोई संदेह या विवाद होने पर उसे निर्णय के लिए चुनाव विवाद समिति के पास भेजा जायेगा. समिति में शामिल होंगे :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप - धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.18.2 कार्य:

चुनाव विवाद समिति, आवश्यकता के अनुसार जांच करेगी और यदि यह पाती है कि वह चुनाव, वैध चुनाव था, तो वह घोषित चुनाव के परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे लगे कि चुनाव वैध नहीं था तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समिति जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर तदनुसार आदेश पारित करेगी, साथ नए सिरे से चुनाव कराने सहित इस प्रकार के आदेश जारी करेगी.

#### 5.18.3 ईडीसी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अतः वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

### 5.19 शेरधारक निदेशकों के चुनाव पर निर्णय के लिए बोर्ड की समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान (सीईएसडी)

### 5.19.1 संघटन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थानों सहित अन्य कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी शेयर धारण करते हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अन्य कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की एक समिति का गठन करना होता है। समिति में शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

### 6. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
असाधारण सामान्य बैठक	16 मार्च, 2018 प्रातः 11.00 बजे	वाई.बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय के विपरीत, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र -400021,.	₹134.62 के प्रीमियम सहित ₹144.62 की दर से ₹4,524 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 31,28,19,803 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.
सोलहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2018 प्रातः 11:00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020	ऑफर दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹6,850 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
पोस्टल बैलट	14 फरवरी, 2019	--	कर्मचारी शेयर खरीद योजना (यहाँ ``यूनियन बैंक-ईएसपीएस`` के रूप में संदर्भित है) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को एक या एक से अधिक भाग में ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रति अंकित मूल्य के 8,00,00,000 (आठ करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर सृजित करना, प्रदान करना, जारी तथा आबंटित करना, जो बैंक की मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ परी पसु रैंकिंग के अनुरूप हैं.
असाधारण सामान्य बैठक	26 मार्च, 2019 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020	₹ 68.84 के प्रीमियम सहित ₹ 78.84 की दर से ₹ 4,112 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 52,15,62,658 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.19.2 कार्य:

सभी बिन्दुओं अर्थात् विभिन्न उम्मीदवारों की शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर एक निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही, पीएसबी के शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा.

### 5.19.3 सीईएसडी बैठकों में उपस्थिति

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है। चूंकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अतः वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	28 जून, 2019 प्रातः 11:00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400 020	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹ 4,900 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
अठारवीं वार्षिक सामान्य बैठक	04 अगस्त, 2020 प्रातः 11.00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	समंजन की दिनांक को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष को 31 मार्च 2020 को बैंक की संचयी हानि ₹32758,49,47,263.10 (रुपए बत्तीस हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हजार दो सौ तिरेसठ वं दस पैसे मात्र) में समंजित करने हेतु तथा इसको वर्तमान वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान खाते में लेने के लिए
असाधारण सामान्य बैठक	30 दिसंबर, 2020 प्रातः 11:00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹ 6,800 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.

## 7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधान उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं, परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कॉर्पोरेट निकाय हैं, पर उस सीमा तक ही लागू होंगे कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

### 7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक

कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

### बैठक शुल्क (फीस) :

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (3) की शर्तों (ई), (एफ), (जी), (एच) वं (आई) के अनुसार नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ संख्या 15/1/2011-बीओ-आई दिनांक 30 अगस्त, 2019, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक योजना की शर्त 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क सहित प्रति निदेशक कुल अधिकतम सीमा रु.25 लाख के साथ नीचे दिए गए तरीके से बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे.

बोर्ड के निदेशकों ने 29 जुलाई, 2020 की अपनी बैठक द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु रु.55000 के बैठक शुल्क (1 अप्रैल, 2021 से रु.70000) एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु रु.35000 के भुगतान को अनुमति प्रदान की है. बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु रु. 20000 एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों हेतु रु. 10000 के अतिरिक्त शुल्क की स्वीकृति दी गई है.

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट में <http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx> लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है यात्रा एवं विराम भत्ता :

अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

## 7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/ फर्मों/ कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है.

## 7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :

बैंक के गैर कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

## 7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि द्वारा वर्ष 2020-21 में कोई इक्विटी जारी नहीं की गई.

**बॉन्ड्स:** वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने रु. 2000 करोड़ के बासेल III अनुपालित टियर 2 बांड जारी किए एवं रु. 1705 करोड़ के बासेल III अनुपालित एटी 1 बांड जारी किए.

## 7.5 दंड या आक्षेप :

गत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

## 7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा

करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

## 7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति :

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरूपित की है तथा इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है.

## 7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति :

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरूपित की गयी है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ.

## 7.9 लाभांश वितरण नीति :

बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

## 7.10 अधिग्रहण कूट:

बैंक ने समय-समय पर सेबी के यथा संशोधित 2011 प्रावधानों (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) का अनुपालन किया है.

## 7.11 सेबी विनियमन 2015 का अनुपालन (आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकना) :

विनियमों के अनुसार बैंक ने नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों को बैंक के शेयर में लेनदेन करने में आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक संहिता को तैयार किया है. इन विनियमों के लिए आवश्यक कई प्रपत्रों को तैयार किया गया है जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विवरणों के साथ बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग विंडो को बंद रखा गया है.

ट्रेडिंग विन्डो बंद होने कि तिथि	बंद होने का कारण
31 मार्च, 2020 से 25 जून, 2020	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
30 जून, 2020 से 23 अगस्त, 2020	30 जून, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
30 सितंबर, 2020 से 8 नवंबर, 2020	30 सितंबर, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
31 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.

#### 7.12 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

#### 7.13 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई एवं एनएसई को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया.

#### 7.14 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार :

बैंक ने सूचियन विनियम के उप विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर प्रदर्शित किया है.

#### 7.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का ब्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल रु. 79.69 करोड़ का भुगतान किया गया है.

#### 7.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

- ए. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या : 13 (तेरह)
- बी. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या : 5 (पाँच)
- सी. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 8 (आठ)

#### 7.17 शाखा नेटवर्क

- बैंक का सुव्यवस्थित विविध शाखा नेटवर्क है.
- सम्मेलन के बाद 01.04.2020 को बैंक की कुल 9587 शाखाएं थीं.
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 31.03.2021 तक कुल 277

शाखाओं का विलय हुआ.

- दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बैंक की 9312 देशी शाखाएं तथा सिडनी, हाँग-काँग और दुबई सहित 3 विदेशी शाखाएं एवं आबू धाबी में बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय है. भारत में शाखाओं की राज्यवार स्थिति मैप में दर्शायी गयी है.
- बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूके में भी परिचालन कर रहा है.
- करीब 59% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित हैं.
- दिनांक 31.03.2021 तक बैंक की अपनी नियमित बैंक शाखाओं के अलावा 27 विस्तारित काउंटर, 59 सैटेलाइट कार्यालय और 48 सेवा शाखा भी है.
- जम्मू काश्मीर प्रांत से नए केंद्रशासित प्रदेश लेह एवं लद्दाख बनाए गए इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेह शाखा को खोलने के लिए एक प्राधिकार दिया गया.





मूडी के दिनांक 09 सितंबर, 2020 की अद्यतन रेटिंग के अनुसार :

संवर्ग	रेटिंग
<b>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया</b>	
आउटलुक	Negative
काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग	Ba1/NP
बैंक जमा राशियां	Ba1/NP
बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन	b1
एड. बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन	b1
काउंटर पार्टी रिस्क मूल्यांकन	Ba1(cr)/NP (cr)
सीनियर अनसिक्योर्ड एमटीएन	(P)Ba1
सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)B1
जूनियर सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)B2
<b>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाँग काँग शाखा</b>	
आउटलुक	Negative
काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग	Ba1/NP
काउंटर पार्टी रिस्क मूल्यांकन	Ba1 (cr)/NP(cr)
वरिष्ठ अप्रतिभूत	(P)Ba1
सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)B1
जूनियर सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)B2

**स्टैंडर्ड & पूर - रेटिंग दिनांक 17 दिसंबर, 2020**

संवर्ग	रेटिंग
जारीकर्ता ऋण रेटिंग (दीर्घ अवधि/ अल्प अवधि)	BB+ /Stable/B
स्टैंडअलोन ऋण प्रोफाइल (एसएसीपी)	bb-
बैंक सीनियर असेक्युर्ड नोट्स(दीर्घ अवधि)	BB+
आउटलुक: स्टेबल	

**8. संप्रेषण के साधन**

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर भी दर्शाए गये हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित, संबंधित प्रस्तुतियां, शेरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं।

**9. शेरधारकों की सूचना**

**9.1 वित्त वर्ष - 1 अप्रैल से 31 मार्च**

9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता – बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है :-

बीएसई लिमिटेड (बीएसई), फिरोज़ जीजीभाय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/ 1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2021 से पहले दोनों शेयर बाज़ारों को प्रदत्त कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में अरक्षित गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं। 31 मार्च, 2021 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईएसआईएन नं.	शृंखला	मात्रा (रु. करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
1	आईएनई 692A09241	बॉण्ड सिरीज़ XVI-बी (लोअर टियर II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%
2	आईएनई 692A09266	बॉण्ड सिरीज़ XVII-ए (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%
3	आईएनई 692A08011	बॉण्ड सिरीज़ XIX (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
4	आईएनई 692A08029	बॉण्ड सिरीज़ XX (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	1000	15.09.2016	स्थायी	9.50% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
5	आईएनई 692A08037	बॉण्ड सिरीज़ XXI (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	1000	04.11.2016	स्थायी	9.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
6	आईएनई 692A08045	बॉण्ड सिरीज़ XXII (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	750	24.11.2016	24.11.2026	7.74%
7	आईएनई 692A08052	बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड 1 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	250	29.03.2017	स्थायी	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक

क्र. सं.	आईएसआईएन नं.	श्रृंखला	मात्रा (रु. करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
8	आईएनई 692A08060	बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड 2 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	750	30.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
9	आईएनई 692A08078	बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड -3 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	500	31.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
10	आईएनई 692A08086	बॉण्ड सिरीज़ XXIV (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	500	03.05.2017	स्थाई	9.08% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
11	आईएनई 692A08094	बॉण्ड सिरीज़ XXV (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1,000	16.09.2020	16.09.2030	7.42% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
12	आईएनई 692A08102	बॉण्ड सिरीज़ XXVI (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1,000	26.11.2020	26.11.2035	7.18% मांग विकल्प 10 वर्षों पश्चात
13	आईएनई 692A08110	बॉण्ड सिरीज़ XXVII (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I)	500	15.12.2020	स्थाई	8.73% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात
14	आईएनई 692A08128	बॉण्ड सिरीज़ XXVIII (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I)	1,000	11.01.2021	स्थाई	8.64% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात
15	आईएनई 692A08136	बॉण्ड सिरीज़ XXIX (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I)	205	29.01.2021	स्थाई	8.73% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात
16	*आईएनई 112A08044	बॉण्ड सिरीज़ I (बासल III अनुपालन टियर II)	500	14.11.2017	14.11.2027	8.02% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात
17	*आईएनई 112A08051	बॉण्ड सिरीज़ II (बासल III अनुपालन टियर II)	1,000	08.11.2019	08.11.2029	8.93%
18	@आईएनई 434A08067	एटी-1 सिरीज़ III (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I)	900	05.08.2016	स्थाई	10.99% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात

क्र. सं.	आईएसआईएन नं.	श्रृंखला	मात्रा (रु. करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
19	@आईएनई434A08083	एटी-1 सिरीज़ IV (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I)	500	31.10.2017	स्थायी	9.20% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात
20	@आईएनई434A08059	बॉण्ड सिरीज़ सी (बासल III अनुपालन टियर II)	1,000	27.06.2016	27.06.2026	8.65% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात
21	@आईएनई434A08075	बॉण्ड सिरीज़ डी (बासल III अनुपालन टियर II)	1,000	24.10.2017	24.10.2027	7.98% मांग विकल्प 5 वर्षों पश्चात
22	@आईएनई434A08018	इन्फ्रा बॉन्ड (बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध)	500.1	22.08.2014	22.08.2021	9.35%
<b>कुल</b>			<b>17655.1</b>			

इन्फ्रा बांड के अपवाद के अतिरिक्त अन्य सभी बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध हैं और बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क का स्टॉक एक्सचेंज को अग्रिम भुगतान किया है. इन्फ्रा बांड, जो कि बीएसई लि. में सूचीबद्ध हैं के लिए बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए बीएसई लि. को वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क का अग्रिम भुगतान किया है.

\* यह बांड पूर्व के कार्पोरेशन बैंक द्वारा जारी किए गए थे और 01.04.2020 से कार्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक में समामेलन के प्रभावी होने के पश्चात् यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्रहण किए गए.

@ यह बांड पूर्व के आंध्रा बैंक द्वारा जारी किए गए थे और 01.04.2020 से कार्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक में समामेलन के प्रभावी होने के पश्चात् यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्रहण किए गए.

### 9.3 लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया है जिससे अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने के लिए पूंजी का संरक्षण किया जा सके.

### 9.4 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण :

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	सोमवार, 07 जून, 2021
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य आडिओ विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) पर
ई-मेल के द्वारा वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण की प्रस्तावित तिथि	गुरुवार, 08 जुलाई, 2021 को या उससे पूर्व ईमेल द्वारा
बहियों के बंद रहने की तिथि	बुधवार, 04 अगस्त, 2021 से मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 (दोनों दिन शामिल)
ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि	शनिवार, 07 अगस्त, 2021 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से सोमवार, 09 अगस्त, 2021 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)

### 9.5 वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 अगस्त, 2021 तक
30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 नवम्बर, 2021 तक
31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 फरवरी, 2022 तक
31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	15 मई, 2022 तक



## 9.6 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी कि प्रेस विज्ञापित दिनांक 03.12.2018, ट्रस्टी दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयर धारिता को डीमैट खाता खोलकर डीमैट रूप में परिवर्तित करा लें।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा **डाटामैट्रिक्स बिज़नेस सोल्यूशन्स लिमिटेड** को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं।

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है। शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) मेसर्स डाटामैट्रिक्स बिज़नेस सोल्यूशन्स लिमिटेड यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 093 फोन : 022 - 66712001-6 ई-मेल : <a href="mailto:ubiinvestors@datamatics.bpm.com">ubiinvestors@datamatics.bpm.com</a></p>	<p>डिबेचर ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलाई एस्टेट, मुंबई - 400 001. फोन - (022) 40807001 ईमेल : <a href="mailto:adityakapil@idbitrustee.com">adityakapil@idbitrustee.com</a> <b>एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड</b> एक्सिस हाउस, दूसरी मंजिल, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई 400025 फोन (022) 24255215/216 ईमेल : <a href="mailto:debenturetrustee@axistrustee.com">debenturetrustee@axistrustee.com</a></p>	<p>कंपनी सचिव निवेशक सेवाएं प्रभाग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन -(022) 2289 6636 ई-मेल: <a href="mailto:investorservices@unionbankofindia.com">investorservices@unionbankofindia.com</a></p>
--	--	--

## 9.7 अन्य सूचनाएं :

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है।

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डीपी में पंजीकृत है।

## 9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है। बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आर्बिटि आइएसआईएन (ISIN) कोड, **आईएनई692A01016** है।

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है। इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा।

31.03.2021 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :


श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	85,557	1,63,18,158	0.25
डीमैट			
एनएसडीएल	2,96,347	51,68,81,573	8.07
सीडीएसएल	2,65,070	587,36,44,624	91.68
<b>कुल</b>	<b>6,46,974</b>	<b>640,68,44,355</b>	<b>100.00</b>

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है.

बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के आमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है. परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के दौरान 564 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 1,18,096 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है.

#### 9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा :


माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (रु)	न्यूनतम (रु)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु)	न्यूनतम (रु)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु)	न्यूनतम (रु)
अप्रैल, 2020	30.45	26.65	14524327	30.4	26.6	71677123	33887.25	27500.79
मई, 2020	27.25	22.6	15489073	26.75	22.65	63476356	32845.48	29968.45
जून, 2020	36.5	24.05	18678525	36.55	24.00	203244465	35706.55	32348.1
जुलाई, 2020	34	28.8	10508453	34.00	28.80	81023338	38617.03	34927.2
अगस्त, 2020	32.4	28.55	9036161	32.45	28.90	110614439	40010.17	36911.23
सितम्बर, 2020	30.6	23.65	8161617	30.40	23.65	68492814	39359.51	36495.98
अक्टूबर, 2020	25.65	23.1	5390500	25.65	23.10	50121827	41048.05	38410.2
नवम्बर, 2020	28.2	23.6	9409350	28.20	23.60	91701521	44825.37	39334.92
दिसम्बर, 2020	35.3	27.2	22406810	35.30	27.20	248259589	47896.97	44118.1
जनवरी, 2021	33.85	29.35	14822096	33.85	29.20	153964272	50184.01	46160.46
फरवरी, 2021	45.25	31.1	46316018	45.25	31.10	583721970	52516.76	46433.65
मार्च, 2021	41.45	33.35	18637243	41.45	33.35	183491198	51821.84	48236.35
<b>31.03.2021 को अन्तिम मूल्य</b>	34.05			34.05			-	
<b>बाजार पूंजीकरण</b>	रु. 21,815.30 करोड़			रु. 21,815.30 करोड़			-	



यूनियन बैंक Union Bank of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



\* स्रोत-बीएसई वेबसाइट ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com))

### 9.10 शेयरधारिता का वितरण :

बैंक में सरकार की शेयरधारिता रु.10 प्रति शेयर वाले 570.66 करोड़ इक्विटी शेयरों की है, जो रु.5706.66 करोड़ की कुल जारी पूंजी में रु. 6406.84 करोड़ है, दिनांक 31.03.2021 तथा 31.03.2020 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :

शेयरधारिता	यथा 31.03.2021				यथा 31.03.2020			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	5,28,933	81.76	6,75,45,606	1.05	2,43,784	79.72	3,49,49,201	1.02
501 से 1000	49,399	7.64	3,75,00,984	0.59	25,786	8.43	1,90,07,210	0.56
1001 से 2000	25,313	3.91	3,83,06,983	0.60	10,372	3.39	1,55,12,686	0.45
2001 से 3000	19,538	3.02	4,89,43,404	0.76	13,821	4.52	3,37,78,233	0.99
3001 से 4000	9,516	1.47	3,29,19,269	0.51	4,580	1.50	1,61,74,126	0.47
4001 से 5000	4,516	0.70	2,09,83,000	0.33	2,501	0.82	1,17,00,838	0.34
5001 से 10000	6,869	1.06	4,72,68,459	0.74	4,033	1.32	2,64,50,108	0.77
10001 से अधिक	2,890	0.45	6,113,376,650	95.42	924	0.30	3,26,52,46,450	95.40
<b>कुल</b>	<b>646974</b>	<b>100.00</b>	<b>6406844355</b>	<b>100.00</b>	<b>3,05,801</b>	<b>100.00</b>	<b>3,42,28,18,852</b>	<b>100.00</b>

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य रु.10/- है

### 9.11 शेयरधारिता का पैटर्न :

दिनांक 31.3.2021 तथा 31.03.2020 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31.03.2021		यथा 31.03.2020	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
<b>प्रमोटर</b>				
भारत सरकार	5,70,66,60,850	89.07	2,96,92,79,777	86.75
<b>पब्लिक</b>				
<b>निवेशक संस्था</b>				
म्यूचुअल फंड & यूटीआई	5,64,49,674	0.89	8,20,22,624	2.40
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/ राज्य सरकार संस्थान)	2234,23,845	3.49	1360,49,448	3.97
एफआईआई & विदेशी म्यूचुअल फंड	4,22,69,800	0.66	4,42,41,259	1.29
<b>अन्य</b>				
निजी कॉर्पोरेट निकाय	1,75,23,616	0.27	1,62,77,129	0.48
भारतीय जनता	35,55,71,135	5.55	17,31,41,991	5.06
एनआरआई/ ओसीबी/ योग्य विदेशी निवेशक	49,45,435	0.07	18,06,624	0.05
<b>कुल</b>	<b>6,40,68,44,355</b>	<b>100.00</b>	<b>3,42,28,18,852</b>	<b>100.00</b>

### 9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2021 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयर	पूंजी का %
1	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	5706660850	89.07
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	197923276	3.09
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- ए/ सी एचडीएफसी मिड कैप अपरच्युनिटीज फंड	38418436	0.60
4	आईसीआईसीआई प्रुडेनशियल बैलेन्सड एडवांटेज फंड	12767644	0.19
5	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	9436718	0.15
6	दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड	7912257	0.12
7	वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की शृंखला	7749795	0.12
8	जनरल इश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	7704495	0.12
9	पंजाब नेशनल बैंक	4365255	0.07
10	दिलजीत ब्रोकिंग& इन्फ्रा एलएलपी	3100000	0.05

### 9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है :

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का %	अंतरण की प्रस्तावित तिथि
अंतिम लाभांश 2013-14	13%	05-08-21
लाभांश 2014-15	60%	05-08-22
लाभांश 2015 -16	19.50%	08-08-23

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट ([www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)) पर भी उपलब्ध है.

## 9.14 अदावाकृत शेयर :

### ए) भौतिक रूप में :

सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2020 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2021 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते है.

### बी) डीमैट रूप में :

सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण (यूबीआई-एफपीओ)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2020 को शेष	216	26414
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	0	0
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	0	0
31.03.2021 को डीमैट उचंत खाते में शेष	216	26,414

ऊपर बताए गए 26,414 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

विवरण (पूर्व-आंध्रा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2020 को शेष	175	17,431
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	7	4342
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	7	4342
31.03.2021 को डीमैट उचंत खाते में शेष	168	13089

ऊपर बताए गए 13,089 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

10. सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्रमांक	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
1	<b>निदेशक मंडल</b> एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है.	गैर-कार्यपालक का पद 05.07.2020 से खाली है. इसे केंद्र सरकार द्वारा भरा जाना है.
2	<b>शेयरधारकों के अधिकार</b> विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अर्द्ध-वार्षिक सूचना सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है.
3	<b>लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत</b> कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही.
4	<b>आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग</b> आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 05.07.2021



## आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 30 जून, 2021

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(राजकिरण रे जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

## कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

### यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम'), समय - समय पर यथा संशोधित, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 15(2) के अनुसार, वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के लिए की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्गदर्शित अभिमत के अनुसार की गई है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित उपयुक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।

आगे हमारा अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के क्रियाकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

कृते मेसर्स बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

सीए अरिंधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं. 058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAABS9627

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAADN8383

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं. 023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAASJ3020

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C

सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं. 072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAABR2731

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं. 102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAS8443

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C

सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं. 076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAG8342

स्थान : मुंबई

दिनांक : 07 जून, 2021

फॉर्म न. एमआर-3  
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

[सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019  
के साथ पठित सेबी (लोडर) के विनियमनों के नियमन 24 ए के संबंध में.]

प्रति,  
सदस्य,  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जिसे बाद में “बैंक” कहा जाता है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि मुझे कॉर्पोरेट संहिता/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो।

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मेरे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की पूरी अवधि के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार मैंने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है :

- i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) की योजना, 1970;
- iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर संशोधित)
- iv. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945; और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश
- v. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियमन, 1998
- vi. विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम एवं उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन;
- vii. प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1956 (“एससीआरए”), और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- viii. डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;
- ix. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (“सेबी अधिनियम”) के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश):-
  - ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;
  - बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 ;
  - सी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018;
  - डी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;
  - ई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008;
  - एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं अंश हस्तांतरण एजेंट्स का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993 कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;
  - जी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयर का असूचीयन) विनियमन, 2009; एवं
  - एच. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबेक) विनियमन, 2018;

मैंने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 [“सूचीयन विनियम”] के लागू वाक्यों के अनुपालन होने की भी जांच की है। सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों एवं इसके अधीन जारी परिपत्रों/दशानिर्देशों का अनुपालन किया है, जो सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 16 जून, 2021 में मेरी टिप्पणियों के अधीन हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का लागू सीमा तक अनुपालन किया है:

### मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि -

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव में अधिनियम, नियम एवं विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई थी, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे और कार्यवृत्तों की समीक्षा करते समय कोई असंतोषजनक विचार नहीं देखा गया था।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित घटनाओं / कार्यों को निष्पादित किया है:

- i) बैंक के निदेशक मंडल ने 29 जुलाई, 2020 को आयोजित बैठक में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयरों के माध्यम से रु. 10300 करोड़ की पूंजीगत निधि, जिसमें रु. 6800 करोड़ से अनधिक राशि शामिल है एवं अतिरिक्त टियर I (एटी I) बॉण्ड और या टियर II बॉण्ड्स के माध्यम से रु. 9400 करोड़ से अनधिक राशि की उगाही के लिए पूंजी योजना का अनुमोदन किया है।
- ii) बैंक के शेयरधारकों ने दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में, सार्वजनिक निर्गम (सार्वजनिक निर्गम पर पालन) एवं/या अधिकार निर्गम तथा/या निजी स्थान नियोजन सहित अहर्ता प्राप्त संस्थान स्थान नियोजन के माध्यम से रु. 6800 करोड़ तक के इक्विटी शेयर पूंजी का अनुमोदन प्रदान किया है।
- iii) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने 15 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में बासल III के अधीन बेमीयादी ऋण लिखत के अनुपालन में डिबेंचरों के रूप में 5000 अपरिवर्तनीय कर योग्य गैर-जमानती, जारी और आबंटित किया है, जो कि निजी स्थान नियोजन आधार पर रु.500 करोड़ के शृंखला XXVII के अतिरिक्त टियर-I पूंजीगत बॉण्ड में शामिल होने के पात्र हैं।
- iv) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने 11 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में बासल III के अधीन बेमीयादी ऋण लिखत के अनुपालन में डिबेंचरों के रूप में 1000 अपरिवर्तनीय कर योग्य गैर-जमानती, जारी और आबंटित किया है, जो कि निजी स्थान नियोजन आधार पर रु.1000 करोड़ के शृंखला XXVIII अतिरिक्त टियर-I पूंजीगत बॉण्ड में शामिल होने के पात्र हैं।
- v) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने 11 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में बासल III अनुपालन के संबंध में 5 वर्ष पूरे होने पर निर्धारित देय तिथि को रु. 800 करोड़ के टियर-1 एवं रु. 1000 करोड़ के टियर-2 के अतिरिक्त बॉण्ड के लिए कॉल विकल्प को प्रयोग करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
- vi) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने 11 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में बासल III के अधीन 205 बेमीयादी ऋण लिखत के अनुपालन में डिबेंचरों के रूप में अपरिवर्तनीय कर योग्य गैर-जमानती, जारी और आबंटित किया है, जो कि निजी स्थान नियोजन आधार पर रु.205 करोड़ के शृंखला XXIX अतिरिक्त टियर-I पूंजीगत बॉण्ड में शामिल होने के पात्र हैं।

बी दुर्गाप्रसाद राय  
पेशेवर कंपनी सचिव

मुंबई  
16 जून, 2021

एफसीएस संख्या : 10060; सी पी संख्या . : 4390  
यूडीआईएन : A010060C000472918

इस रिपोर्ट को हमारे के पत्र के साथ यहाँ तक की तारीख तक पढ़ा जाए जो परिशिष्ट "ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

प्रति,

सदस्य,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त है.
2. मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है. परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करती है.
3. मैंने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है.
4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमनों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन बारे में मैंने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं दूसरे लागू विधि, नियमों एवं विनियमनों मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था.
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

मुंबई

16 जून, 2021

बी दुर्गाप्रसाद राय

पेशेवर कंपनी सचिव

एफसीएस संख्या : 10060; सी पी संख्या . : 4390

यूडीआईएन : A010060C000472918

## निवेशकों की गैर अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (आई) के अनुसरण में)

सेवा में,  
सदस्यगण,  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन,  
239, विधान भवन मार्ग,  
नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (आई) के अनुसार मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) जिसका केन्द्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 में अवस्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा मेरे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

मेरी राय और मेरी जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन (पोर्टल [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in), पर निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित), जहां कहीं भी लागू हो) और बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राजकिरण रै जी.	07427647	01 जुलाई, 2017
2.	श्री गोपाल सिंह गुसाई	03522170	20 सितंबर, 2018
3.	श्री दिनेश कुमार गर्ग	08925290	02 नवंबर, 2018
4.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	08162008	01 मार्च, 2019
5.	श्री नितेश रंजन	08101030	10 मार्च, 2021
6.	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा	07584386	22 जुलाई, 2016
7.	श्री अरुण कुमार सिंह	लागू नहीं	26 अप्रैल, 2019
8.	डॉ. उत्तम कुमार सरकार	07266221	28 जून, 2018
9.	श्री के. कदिरेशन	लागू नहीं	28 जून, 2018
10.	डॉ. जयदेव एम.	03574167	28 जून, 2018

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंकिंग कार्यकारी अधिनियम, 1949 के तहत शासित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं है। इस प्रकार, बैंक के बोर्ड के निदेशक के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करूँ। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 17 जून, 2021

बी दुर्गाप्रसाद राय  
पेशेवर कंपनी सचिव  
एसीएस: 10060; सीओपी: 4390  
यूडीआईएन: A010060C000478627



प्रति,  
निदेशक मंडल,  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,  
मुंबई.

सेबी के विनियमन 17(8) (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के तहत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार

(ए) हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- 1) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;
- 2) ये विवरण सूचीबद्ध इकाई के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनी एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.

(बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियाँ, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

(डी) हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है. -

- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;
- 2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और
- 3) उन्हें ज्ञात धोखाधड़ी के प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(प्रफुल कुमार सामल)  
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(राजकिरण रै जी.)  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 07 जून, 2021

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति /यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (“बैंक”) के साथ दिये जा रहे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें शामिल हैं, 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें साल के परिणाम शामिल हैं के सार सहित नकदी प्रवाह विवरण एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स

i) हमने 20 शाखाओं, एक ट्रेजरी शाखा और 18 एफजीएमओ कार्यालयों की लेखा परीक्षा की है

ii) 5650 शाखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों ने की है और

iii) 3 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षक शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है, लाभ खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण उन 4042 शाखाओं के रिटर्न हैं जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं, को भी तुलन पत्र में शामिल किया गया है। लेखा परीक्षा न की गई इन शाखाओं में अग्रिमों का 7.60 प्रतिशत, जमा का 19.67 प्रतिशत, ब्याज आय का 6.14 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 18.37 प्रतिशत हिस्सा है।

हमारे मत में एवं हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा बैंक के लिये अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं एवं प्रस्तुत है और:

ए. तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2021 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;

बी. लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा

सी. नकद प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

अभिमत का आधार:

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (“आईसीएआई”) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है। हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का प्रभाव

3. हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 1.1 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो 1 अप्रैल, 2020 से बैंक के साथ पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक एवं पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित होने वाले बैंक) के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिये समामेलन की सरकार से अनुमोदित योजना एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी “समामेलनों के लिये लेखांकन” में लेखांकन मानक- 14 के अंतर्गत निर्धारित “ब्याज की पूलिंग” पद्धति को अपनाकर इन वित्तीय विवरणों को बनाने के आधार का वर्णन करता है। इस साल के वित्तीय परिणामों की तुलना पिछले साल के परिणामों से नहीं की जा सकती।

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 1.1 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही/ वर्ष हेतु पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिये सीईटी। पूंजी के हिस्से के रूप में ₹ 1309.60 करोड़ के समामेलन रिजर्व पर विचार का वर्णन करता है।

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 1.1 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो ये वर्णन करते हैं कि दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को आरबीआई से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार बैंक ने प्रतिभूति प्रीमियम खाते के सामने ₹ 32,758.49 करोड़ (1 अप्रैल 2020 को) की संपूर्ण संचित हानि को समाप्त कर दिया है।

यूनियन बैंक  
एनएच ११  
Union Bank  
of India

अनुमोदित  
आंध्रा  
Corporation

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 1.4.5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो कोविड- 19 महामारी के फैलने से अनिश्चितता का वर्णन करते हैं. स्थिति लगातार अनिश्चित बनी हुई है और कारोबार परिचालन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन बैंक प्रबंधन कर रहा है.

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 13 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो वर्णन करते हैं कि 1 अप्रैल, 2020 से, 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों/ अनुमान में परिवर्तन है

ए) एलसी/ बीजी के कमीशन से प्राप्त आय को पहले अपनाई जाने वाले रसीद आधार के सामने उपचय आधार पर राजस्व माना गया है. लेखांकन नीति में परिवर्तन से प्रभाव के कारण अन्य आय एवं शुद्ध लाभ (कर के पूर्व) में ₹ 441.06 करोड़ की कमी आई है.

बी) पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक एवं पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन के क्रम में, अचल संपत्ति पर मूल्यहास की विधि अवलिखित मूल्य से सीधी कटौती प्रणाली में परिवर्तित हुई है और कुछ श्रेणियों की आस्तियों के संबंध में अनुमानित उपयोगी जीवन भी परिवर्तित हुआ है. उक्त बदलावों के प्रभाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की तिमाही के लिये शुद्ध लाभ (कर पूर्व) में मूल्यहास और ₹ 3.24 करोड़ की कमी आई है और समन्वयन के कारण, एकबारगी प्रभाव के रूप में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये ₹180.16 करोड़ का मूल्यहास हुआ है.

हमारा अभिमत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

### मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वो मामले हैं जो, चालू अवधि के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं. ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर हमारा अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते. हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	<b>पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक एवं पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के लिये लेखांकन</b>	
	<p>भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, ने राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 दिनांक 04 मार्च, 2020 के माध्यम से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित बैंक) के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन की योजना को मंजूरी दी जो दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुई.</p> <p>बैंक ने, बैंक के साथ 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी आंध्रा बैंक व कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित बैंक) के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 14 “समामेलन के लिए लेखांकन” के अंतर्गत निर्धारित “ब्याज की पूलिंग” पद्धति को अपनाया है.</p> <p>तदनुसार, समामेलित बैंकों की शुद्ध आस्ति और समामेलित बैंक के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की राशि के बीच 1309.60 करोड़ रुपये के अंतर को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के प्रारंभिक तुलन पत्र में समामेलन रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है.</p> <p>लेन-देन की जटिलता और गलत विवरण के संबंधित महत्वपूर्ण जोखिम के कारण शामिल हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आय की कुछ मदों के लेखांकन के संबंध में समामेलित होने वाले बैंकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों में विचलन के कारण अचल सम्पत्तियों का मूल्यहास हुआ है.</li> <li>कर कानूनों का लागू होना विशेष रूप से समामेलित होने वाली संस्थाओं की हानि को आगे बढ़ा देता है और समाप्त करता है.</li> <li>समामेलित होने वाले बैंकों की, अचल और चल आस्तियों के स्वामित्व व अधिकार, समामेलित होने</li> </ul>	<p>समामेलन के लेखांकन के परीक्षण के लिए हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण विशेष रूप से शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमने भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की गज़ट अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2020 सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 द्वारा स्वीकृत समामेलन योजना का मूल्यांकन किया है.</li> <li>हमने एसए 14 में निर्धारित प्रत्येक शर्त के अनुपालन में ब्याज की पूलिंग पद्धति के द्वारा बैंक के समामेलन लेखांकन के चयन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है.</li> <li>हमने 01.04.2020 को समामेलित इकाई के तुलन पत्र लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर विचार किया है.</li> </ul> <p>- समामेलन के लिए लेखांकन ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लागू मूल्य निर्धारण पद्धतियों और लागू प्रमुख मान्यताओं पर ध्यान देते हुए हमने अधिग्रहित आस्तियों के अवशिष्ट उपयोगी जीवन का मूल्यांकन किया है;</li> <li>हमने व्यापार और उद्योग के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर प्रमुख मान्यताओं की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया है;</li> <li>हमने प्रबंधन समामेलन द्वारा निर्धारित आधार पर समामेलन करने वाले बैंकों की शुद्ध संपत्ति के मूल्य और रिजर्व समामेलन बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखांकन के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की संख्या के बीच अंतर का मूल्यांकन किया है.</li> <li>हमने बैंक पर लागू कर कानूनों का मूल्यांकन और समामेलित होने वाले बैंकों की हानि को आगे ले जाने और समाप्त करने की पात्रता के संबंध में प्रबंधन के मूल्यांकन का सत्यापन किया है.</li> <li>भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिनांक 04.03.2020 की अधिसूचना जिसका नाम “आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन योजना 2020” है में उल्लिखित समामेलन की शर्तों का, समामेलित होने वाले बैंकों की</li> </ul>

	<p>वाले बैंकों द्वारा किये गए अग्रिमों के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत समामेलित होने वाले बैंकों की लीज़ पर संपत्तियां, आस्तियां, गारंटी एवं अन्य विश्वास कार्रवाई के कारण, सूट, डिक्रियां, वसूली प्रमाण पत्र, अपील एवं समामेलित होने वाले बैंक के बैंकिंग कारोबार की साधारण प्रक्रिया में उसके पक्ष में की गई अन्य कार्यवाहियां</p> <p>बैंको के समामेलन का लेखांकन लेखा परीक्षा का मुख्य मामला माना जाता है</p>	<p>अचल तथा चल सम्पत्तियों पर स्वामित्व तथा अधिकारों, पट्टेदारी, गारंटियों तथा अन्य आश्वासन जो कि बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किए गए, कार्रवाई का कारण, वाद, फरमान, वसूली प्रमाण पत्र, अपील और समामेलित होने वाले बैंकों के पक्ष में की गई कार्यवाहियां और अपने बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम में समामेलित होने वाले बैंकों द्वारा किए गए अन्य सभी कार्यों के संदर्भ में मूल्यांकन किया है।</p>
2	<p><b>विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण</b></p>	<p>हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था. हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएससी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं. इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली</li> <li>● गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण;</li> <li>● आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;</li> <li>● अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली</li> <li>● हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएससी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया.</li> <li>● हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मैनुअल हस्तक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.</li> <li>● हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है.</li> <li>● हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, के कार्यों की समीक्षा एसए 620 के अनुसार लेखापरीक्षक विशेषज्ञ की सेवाएं लेकर कराई हैं.</li> <li>● इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है.</li> <li>● हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.</li> <li>● अंक संबंधी सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है.</li> </ul>

3	<p><b>सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण</b></p> <p><b>ए. समामेलन के संबंध में</b></p> <p>इस वर्ष 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पूर्व आंध्रा बैंक एवं पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 1 में वर्णित है एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन तक बैंकिंग परिचालन तीन विभिन्न सॉफ्टवेयरों संबंधित ई-एबी शाखाओं, ई- सीबी शाखाओं एवं अन्य शाखाओं के द्वारा किए गए थे. कारोबारी प्रक्रियाओं के लिए कुछ विशिष्ट विभागों या विशेष सॉफ्टवेयर के संबंध में समामेलन प्रक्रिया जारी है एवं इस वर्ष के दौरान पूरी नहीं हुई है. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आईटी संबंधी माहौल जटिल हो गया है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में बैंक से परिचालन व्यापक हो गया है चूंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर था जिसमें ऑटोमेटेड एवं मानवीय कंट्रोल शामिल है एवं परिचालन की साइज़ एवं जटिलता की वजह से पूर्ण एवं सही इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध है. तीनों सॉफ्टवेयर का सिस्टम समेकन/माइग्रेशन लंबित है, डाटा के समेकन की प्रक्रिया जो रिपोर्ट की जानी है वो मानवीय है. गैर प्राधिकृत या व्यापक पहुँच, आईटी माहौल में बदलाव, परिचालन कंट्रोल, ड्यूटी में पृथक्त्व की कमी जो वित्तीय सूचनाओं के गलत वर्णन का जोखिम बनाती हैं एवं वित्तीय विवरणों की स्पष्टता एवं पूर्णता पर भौतिक प्रभाव हो सकता है. उच्च स्तरीय स्वचालन की वजह से, कई समन्वित/गैर समन्वित सिस्टम प्रयोग किए गए, तीनों वर्टिकल्स के समेकन में प्रयोग की गयी मानवीय प्रक्रियाएँ, हमारे लेखापरीक्षा के लिए एक मुख्य मुद्दे के तौर पर मानी गयी हैं.</p> <p><b>बी. सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर</b></p> <p>समामेलन के अलावा जोकि इस वर्ष का एक असाधारण कार्य है, कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखाअवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्युशन के प्रभावी कार्यनिष्पादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर उच्च स्तरीय रूप से निर्भर है. विस्तृत गहराई, लेनदेन की विविधता एवं जटिलता को प्रतिदिन प्रसंस्करित किया जाता है एवं एक जोखिम यह है कि ऑटोमेटेड लेखाअवधि प्रक्रियाएँ एवं संबंधित आंतरिक कंट्रोल या तो उपर्युक्त तौर पर डिजाइन नहीं है या प्रभावी तौर से परिचालन नहीं कर रहा. विशेष केंद्रण के क्षेत्र इस लॉजिक से संबंधित हैं कि डाटा की विश्वसनीयता एवं शुद्धता सिस्टम में फीड होती है, पहुँच का प्रबंधन एवं दायित्वों का पृथक्त्विकरण.</p>	<p>ये मुख्य संबंधित तीनों वर्टिकल्स के बारे में जानकारी ली है, एवं तदनुसार आईटी एप्लिकेशन, डाटाबेस एवं परिचालन सिस्टम की पहचान की है जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकती है. इस क्षेत्र से संबंधित तीनों वर्टिकल्स की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यूजर एवं एप्लिकेशन कंट्रोल, चेंज प्रबंधन कंट्रोल एवं डाटा बैकअप से संबंधित सामान्य आईटी कंट्रोल की जांच</li> <li>• प्राधिकृत व्यक्ति की इजाजत एवं जिम्मेदारियों की समीक्षा के द्वारा यह निर्धारित करना कि क्या कोर सिस्टम पर उपयुक्त पाबन्धियाँ लगाई गयी हैं या नहीं.</li> <li>• जहां हम अतिरिक्त प्रक्रियाओं के निष्पादन की जरूरत को पहचान लेते हैं हम मानवीय प्रतिपूरक कंट्रोल पर निर्भर करते हैं जैसे सिस्टमों के बीच समाधान एवं अन्य सूचना स्रोतों या अतिरिक्त टेस्टिंग निष्पादन, हमारे सेंपल साइज को बढ़ाना ताकि पर्याप्त एवं उपर्युक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें.</li> <li>• सभी वर्टिकल्स के डाटा के समेकन के मानवीय प्रक्रिया के संबंध में कंट्रोल की समीक्षा करना</li> </ul> <p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सिस्टम से टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर उत्पन्न अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं के सत्यापन द्वारा आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावकारिता की समीक्षा, जांच एवं सत्यापन शामिल है.</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यह सुनिश्चित करना कि टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर किए गए हमारे सत्यापन में पायी गयी कमियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन को सूचित कर दी गयी हैं.</li> <li>• वो क्षेत्र जहां कमियाँ पायी गयी थी, में स्वतंत्र वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ जैसे मूल जांच की जा सकती है.</li> <li>• विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ जैसे अनुपातीय विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण.</li> <li>• शाखा के लेखापरीक्षा के आधार पर सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया कार्य एवं पास की गयी सुधारात्मक प्रविष्टियों पर निर्भरता.</li> <li>• बाहरी वेंडर जांच रिपोर्टें जहां भी उपलब्ध हों का विश्वास करना.</li> <li>• आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.</li> </ul>
---	---	--

	<p>सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन एवं डाटा में बदलाव सही, प्राधिकृत, शुद्ध एवं जाँचे गए हैं ताकि सिस्टम सही एवं विश्वसनीय रिपोर्ट एवं अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाएँ जोकि वित्तीय विवरणों के प्रसारण के लिए प्रयोग होती है को उत्पन्न करती हैं.</p> <p>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस की एवं अन्य आईटी सिस्टम के सही निष्पादन पर भरोसा किया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण</li> <li>● अग्रिम पोर्टफोलियो का प्रावधानिकरण</li> <li>● अग्रिम एवं देयताओं संबंधी विभिन्न मदों एवं विभिन्न वर्गों में इसके अवधि पूर्ण होने के स्वरूप की पहचान</li> <li>● विभिन्न उच्च एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खातों, अंतर-शाखा शेष एवं अन्य इस तरह के खातों का समाधान</li> <li>● निवेश संबंधी लेनदेन को रिकॉर्ड करना</li> <li>● जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज खर्च</li> </ul>	
4	<b>आस्थगित कर की मान्यता और माप</b>	
	<p>बैंक ने 31 मार्च, 2021 को ₹ 15,67,24,947 ('000 में) की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है. वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा, आस्थगित कर संपत्ति की पहचान और माप उपलब्धता के संबंध में निर्णय और कई अनुमानों और भविष्य में मुनाफे की दृश्यता पर आधारित है. मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में हाल ही में हुई वृद्धि से समय की विस्तारित अवधि में उपलब्धता और लाभ की भविष्यवाणी का अनुमान लगाया जाता है जिससे अनिश्चितता और उक्त परिसंपत्ति की अनुचित मान्यता के अंतर्निहित जोखिम में वृद्धि होती है.</p>	<p>प्रचलित कर कानूनों और बैंक पर लागू प्रासंगिक नियमों की समझ हासिल करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन को शामिल किया गया है. अपनी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक कुंजी नियंत्रणों और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दोनों परीक्षण किए हैं. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;</li> <li>● प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए बजट और मध्यावधि अनुमानों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली पद्धति, मान्यताओं जैसे एकरूपता, प्रबंधन अभ्यावेदन, सामंजस्य और निरंतरता और अन्य मापदंडों का आकलन किया गया, जिसमें आय वृद्धि और लागू कर दरें शामिल हैं और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया है.</li> <li>● मुनाफे की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया गया जिसके सामने बैंक भविष्य में इस आस्थगित कर संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा.</li> <li>● 1 अप्रैल, 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन पर पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक (ईएबी) और पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक (ईसीबी) के संचित नुकसान पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता और माप का मूल्यांकन.</li> </ul>
5.	<b>कोविड-19 महामारी</b>	
	<p>कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर संशोधित लेखापरीक्षा की गयी. हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने तथा जहां भौतिक रूप में पहुँच संभव नहीं थी, बैंक की कुछ शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल के परिसर जाकर लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा सकती थी, वहाँ बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सुदूर लेखापरीक्षा आयोजित की गई. जैसा कि हम व्यक्तिगत/भौतिक रूप में/चर्चा के द्वारा लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य नहीं जुटा सकते थे, तथा शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय के</p>	<p>कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने से बैंक की संबंधित शाखाओं/क्षेत्रीय एवं अंचल कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल के परिसर में यात्रा करके, भौतिक रूप में पहुँचकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया संभव नहीं हो सकी. अवधि के दौरान केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, अतः हम शाखाओं/अंचलों/वर्टिकल कार्यालयों में जा नहीं सके और संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से लेखापरीक्षा नहीं कर सके.</p> <p>जहाँ भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ बैंक के द्वारा बैंक के निर्दिष्ट ऑडिट पोर्टल सहित डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं सीबीएस के सुदूर पहुँच तथा लेखाबंदी पैकेज से आवश्यक रिकॉर्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे.</p>







10. वित्त वर्ष 2019-20 से संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रिपोर्टिंग प्रतिबद्धताओं के संबंध में पत्र क्र.डीओएस. एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 तथा उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के अनुसार, उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
- ए) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बनाने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो.
- बी) ऐसे वित्तीय संयवहारों या मामले, जिनका विपरीत प्रभाव बैंक की कार्यप्रणाली पर पड़ता हो, के संबंध में हमारे मत में कोई टिप्पणी नहीं है.
- सी) चूँकि बैंक कंपनीज अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने का प्रतिबंध बैंक पर लागू नहीं है.
- डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबन्धित मामलों में, हमारी कोई विशेष या विपरीत टिप्पणी नहीं है.
- ई) इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और परिचालन प्रभावी हैं. 31 मार्च, 2021 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारे रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है.
11. इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- (ए) हमारे मत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां हम नहीं गए हैं.
- (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के खातों से मेल खाते हैं और संबन्धित विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां हम नहीं गए हैं.
- (सी) बैंककारी नियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबन्धित रिपोर्ट हमें भेजे गए हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर बनाया गया है.
- (डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

**कृते मेसर्स बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

**सीए अरिंधम राय**  
भागीदार  
सदस्य सं.058713

यूडीआईएन: 21058713AAAABQ2179

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

**सीए पी एम वीरामनी**  
भागीदार  
सदस्य सं.023933

यूडीआईएन: 21023933AAAAJQ1386

**कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

**सीए निरंजन जोशी**  
भागीदार  
सदस्य सं.102789

यूडीआईएन: 21102789AAAAAQ1134

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W

**सीए सचिन वी लूथरा**  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127

यूडीआईएन: 21109127AAAADL7290

**कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C

**सीए प्रदीप कुमार गुप्ता**  
भागीदार  
सदस्य सं.072933

यूडीआईएन: 21072933AAAABP4872

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C

**सीए विजय गर्ग**  
भागीदार  
सदस्य सं.076387

यूडीआईएन: 21076387AAAAAE3168

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई / वर्चुअल  
रिपोर्टिंग दिनांक : 07.06.2021

अनुलग्नक “ए” स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (नियत तारीख को हमारे रिपोर्ट के ‘अन्य संवैधानिक और नियामक अपेक्षाओं के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ए) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक शाखाओं की इस तारीख के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी लेखापरीक्षा शामिल है.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए, बैंक प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित कर उन्हें लागू करे. इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण मानदंड बनाना, लागू करना और उन्हें संचालित करना शामिल है, जिससे इसके कारोबार विधिवत और प्रभावी संचालित हो सके और बैंक की नीतियों का अनुपालन हो सके, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखा जा सके, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान की जा सके, लेखांकन रिकार्ड में सटीकता और पूर्णता हो और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ प्राप्त की जा सके, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और दिशानिदेशों में अपेक्षित हैं.

### लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपने लेखापरीक्षा में, बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर यथासंभव लागू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की है, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उचित अनुपालन में नैतिक अपेक्षाओं के लिए मानक दिशानिदेश नोट में इस बात का ध्यान रखना कि उनका अनुपालन हो रहा है और सभी प्रमुख मामलों में प्रभावी परिचालन हो रहा है या नहीं.

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंडस्टैंडिंग प्राप्त करना, यदि कोई कमी हो तो उसके जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच करना और प्रभावी परिचालन के लिए उपाय सुझाना शामिल है. इस प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होगा, इसमें वित्तीय विवरणों की विसंगतियों के जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल है, भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हों.

हमारा विश्वास है कि निम्न पैराग्राफ के अनुसार अन्य मामलों में, जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें मिले हैं तथा शाखा लेखापरीक्षकों को उनके रिपोर्ट में मिले हैं, वे बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है: (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकार्ड्स के रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्तियाँ और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहणों को समय रहते रोकना और पता लगाना, वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का प्रयोग प्रकार और उसका प्रयोग.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अपनी सीमाएं होती हैं, संभावना है कि नियंत्रण में मिलीभगत या विसंगत प्रबंधन, त्रुटिपूर्ण या धोखाधड़ी से मुख्य तथ्यों को गलत प्रस्तुत किया गया हो, जिनकी पहचान न हो सकी हो. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

### अभिमत

हमारे मत के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य मामलों के तहत निम्न पैराग्राफों में शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त रिपोर्टों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत सभी प्रमुख तत्वों में पर्याप्त परिचालन हो रहा है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिये गए मार्गदर्शी नोट के अनुदेशों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जा रहा है.

**अन्य मामले :**

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट का, जहां तक 5674 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी परिचालन प्रभावशीलता से संबंध है वह उन शाखाओं से संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है.

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

कृते मेसर्स बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

सीए अरिधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAABQ2179

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W  
सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAADL7290

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAAJQ1386

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C  
सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAABP4872

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं.102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAQ1134

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C  
सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAE3168

स्थान : मुंबई / वर्चुअल  
दिनांक : 07.06.2021

## 31 मार्च, 2021 का स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(रु. 000' में)

विवरण	अनुसूची क्र.	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>पूँजी एवं देयताएं</b>			
पूँजी	1	6,40,68,444	3,42,28,189
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	58,06,98,908	30,36,28,257
शेयर आवेदन राशि		0	0
जमाराशियाँ	3	9,23,80,53,402	4,50,66,84,524
उधार	4	51,83,71,092	52,48,62,533
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	31,58,66,602	13,74,29,182
<b>कुल</b>		<b>10,71,70,58,448</b>	<b>5,50,68,32,685</b>
<b>आस्तियां</b>			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	37,88,04,613	20,11,82,983
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	46,52,98,860	34,98,79,210
निवेश	8	3,31,51,17,896	1,52,41,38,968
अग्रिम	9	5,90,98,28,759	3,15,04,94,069
अचल आस्तियां	10	7,34,38,719	4,76,25,172
अन्य आस्तियां	11	57,45,69,601	23,35,12,283
<b>कुल</b>		<b>10,71,70,58,448</b>	<b>5,50,68,32,685</b>
आकस्मिक देयताएं	12	3,70,52,79,658	1,88,20,23,590
संग्रहण के लिए बिल		34,69,48,137	21,68,26,909
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(धीरेन्द्र जैन)  
उप महाप्रबंधक

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(नितेश रंजन)  
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)  
कार्यपालक निदेशक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(दिनेश कुमार गर्ग)  
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)  
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)  
प्रबंध निदेशक & सीईओ

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)  
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)  
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)  
निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)  
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स बी एम चतुर्थ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

सीए अरिंधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAABQ2179

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W  
सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAADL7290

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07 जून, 2021

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAQJQ1386

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C  
सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAABP4872

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं. 102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAQ1134

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C  
सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAE3168

**यूनियन बैंक**  **Union Bank**  
of India

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



# 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

(रु. 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>I. आय</b>			
अर्जित ब्याज	13	68,76,73,349	37,23,11,238
अन्य आय	14	11,33,68,535	5,26,07,868
<b>कुल</b>		<b>80,10,41,884</b>	<b>42,49,19,106</b>
<b>II. व्यय</b>			
व्यय किया गया ब्याज	15	44,07,89,085	25,79,43,716
परिचालन व्यय	16	16,76,59,928	7,51,64,147
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		16,35,33,220	12,07,89,008
<b>कुल</b>		<b>77,19,82,233</b>	<b>45,38,96,871</b>
<b>III. वर्ष का लाभ/(हानि)</b>		<b>2,90,59,651</b>	<b>(2,89,77,765)</b>
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		0	(8,40,02,080)
<b>कुल</b>		<b>2,90,59,651</b>	<b>(11,29,79,845)</b>
<b>IV. विनियोजन</b>			
सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		72,64,913	-
पूंजी आरक्षिति में अंतरण		90,01,837	37,46,900
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरित		1,27,92,901	-
लाभ एवं हानि लेखे में शेष		0	(11,67,26,745)
<b>कुल</b>		<b>2,90,59,651</b>	<b>(11,29,79,845)</b>
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य रु.10)	18	4.54	(12.49)
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(धीरेन्द्र जैन)

उप महाप्रबंधक

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(निवेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)

कार्यपालक निदेशक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(दिनेश कुमार गर्ग)

कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाई)

कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रे जी.)

प्रबंध निदेशक & सीईओ

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)

निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)

निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)

निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)

निदेशक

हमारी उक्त विधि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 301011E/E300025

सीए अरिंधम राय

भागीदार

सदस्य सं.058713

यूडीआईएन: 21058713AAAAABQ2179

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002785S

सीए पी एम वीरामनी

भागीदार

सदस्य सं.023933

यूडीआईएन: 21023933AAAAAJQ1386

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी

भागीदार

सदस्य सं.102789

यूडीआईएन: 21102789AAAAAQ1134

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा

भागीदार

सदस्य सं. 109127

यूडीआईएन: 21109127AAAAADL7290

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 005223C

सीए प्रदीप कुमार गुप्ता

भागीदार

सदस्य सं.072933

यूडीआईएन: 21072933AAAAABP4872

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002803C

सीए विजय गर्ग

भागीदार

सदस्य सं.076387

यूडीआईएन: 21076387AAAAAE3168

स्थान : मुंबई

दिनांक : 07 जून, 2021

यूनियन बैंक Union Bank of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

## 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>अनुसूची 1 - पूंजी :</b>		
<b>I. प्राधिकृत:</b>		
रु.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	<b>10,00,00,000</b>	10,00,00,000
<b>II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :</b>		
i. रु.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 296,92,79,777 इक्विटी शेयर)	<b>5,70,66,609</b>	2,96,92,798
ii. रु.10 प्रति शेयर की दर से 70,01,83,505 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 45,35,39,075 इक्विटी शेयर)	<b>70,01,835</b>	45,35,391
<b>कुल</b>	<b>6,40,68,444</b>	3,42,28,189
<b>अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :</b>		
<b>I. सांविधिक आरक्षित:</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>12,59,43,749</b>	6,67,06,110
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>72,64,913</b>	-
	<b>13,32,08,662</b>	6,67,06,110
<b>II. पूंजी आरक्षित:</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>3,77,10,327</b>	1,28,49,561
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>90,01,837</b>	37,46,900
	<b>4,67,12,164</b>	1,65,96,461
<b>III. निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित:</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>0,000</b>	0,000
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>1,27,92,901</b>	0,000
	<b>1,27,92,901</b>	0,000
<b>IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>4,99,77,701</b>	2,23,48,100
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>40,444</b>	1,04,48,077
वर्ष के दौरान कमी	<b>10,33,367</b>	10,54,713
	<b>4,89,84,778</b>	3,17,41,464
<b>V. शेयर प्रीमियम :</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>50,08,54,966</b>	15,12,99,685
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	10,10,81,975
वर्ष के दौरान कमी	<b>32,75,84,947</b>	1,19,871
	<b>17,32,70,019</b>	25,22,61,789
<b>VI. राजस्व आरक्षित :</b>		
<b>i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>8,25,61,562</b>	4,80,51,955
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>2,64,98,876</b>	22,88,911
वर्ष के दौरान कमी	<b>1,26,05,677</b>	2,64,05,552
<b>कुल</b>	<b>9,64,54,761</b>	2,39,35,314

## 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>5,50,78,789</b>		2,87,50,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
<b>कुल</b>	<b>5,50,78,789</b>		<b>2,87,50,000</b>	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>3,63,866</b>		12,36,580	
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>6,85,434</b>		4,941	
वर्ष के दौरान कमी	<b>6,930</b>		8,77,657	
<b>कुल</b>	<b>10,42,370</b>	<b>15,25,75,920</b>	<b>3,63,864</b>	5,30,49,178
VII एफएक्स स्वैप पर विशेष आरक्षिति लाभ		<b>58,485</b>		0,000
VIII समामेलन समायोजन आरक्षिति		<b>1,30,95,979</b>		0,000
VI लाभ हानि खाते में शेष		<b>(0)</b>		(11,67,26,745)
<b>कुल</b>		<b>58,06,98,908</b>		<b>30,36,28,257</b>

### अनुसूची 3 - जमाराशियां :

ए.)

#### I. मांग जमाराशियां

i) बैंकों से	<b>76,23,510</b>		40,29,165	
ii) अन्य से	<b>62,86,14,209</b>	<b>63,62,37,719</b>	26,01,20,865	26,41,50,030
II. बचत बैंक जमाराशियां		<b>2,71,96,80,826</b>		1,33,95,82,532
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	<b>3,16,45,103</b>		5,50,64,197	
ii) अन्य से	<b>5,85,04,89,754</b>	<b>5,88,21,34,857</b>	2,84,78,87,765	2,90,29,51,962
<b>कुल</b>		<b>9,23,80,53,402</b>		<b>4,50,66,84,524</b>

बी.)

i). भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		<b>9,21,62,71,426</b>		4,47,01,90,636
ii). भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		<b>2,17,81,976</b>		3,64,93,888
<b>कुल</b>		<b>9,23,80,53,402</b>		<b>4,50,66,84,524</b>

## 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

### अनुसूची 4 - उधार :

#### ए) उधार: पूंजी लिखत

i) शाश्वत बॉन्ड्स	7,10,50,000	4,00,00,000
ii) अपर टियर II पूंजी	0,000	50,00,000
iii) लोअर टियर II पूंजी	10,05,00,000	5,55,00,000
iv) 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्ड्स	50,01,000	
बी) बी) भारत में उधार		
i) भारत रिजर्व बैंक	14,20,90,000	0,000
ii) अन्य बैंक	1,40,00,565	2,01,26,890
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	2,74,54,914	18,35,45,479
सी) भारत से बाहर उधार	15,82,74,613	20,25,29,807
कुल	51,83,71,092	22,26,56,697
उपर्युक्त (बी) I में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	14,20,90,000	16,98,30,000

### अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :

i) देय बिल	2,30,30,334	90,91,800
ii) उपयुक्त ब्याज	3,13,98,586	1,85,18,721
iii) अन्य (प्रावधान सहित)	26,14,37,682	10,98,18,661
कुल	31,58,66,602	13,74,29,182

### अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:

I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	3,78,17,879	2,00,43,578
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में	34,09,86,734	18,11,39,405
कुल	37,88,04,613	20,11,82,983

# 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :

<b>I. भारत में स्थित बैंकों में जमा शेष</b>				
ए) चालू खातों में	52,33,575		17,58,362	
बी) अन्य जमा खातों में	7,02,13,074		8,09,64,725	
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
ए) बैंकों से	-		30,00,000	
बी) अन्य संस्थाओं से	29,55,40,000	37,09,86,649	20,00,00,000	28,57,23,087
<b>II. भारत के बाहर</b>				
i) चालू खातों में	22,66,568		27,89,811	
ii) अन्य जमा खातों में	9,20,45,643		6,13,66,312	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	9,43,12,211	-	6,41,56,123
<b>कुल</b>		<b>46,52,98,860</b>		<b>34,98,79,210</b>

अनुसूची 8 - निवेश:

<b>I. भारत में निवेश</b>				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में		2,40,25,37,531		1,05,63,08,142
ii) शेयरों में		2,01,62,150		1,11,28,494
iii) डिबेंचर एवं बांडों में		74,40,56,416		34,03,94,322
iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		53,76,479		26,73,168
v) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)		11,59,47,026		8,44,29,894
<b>कुल</b>		<b>3,28,80,79,602</b>		<b>1,49,49,34,020</b>
<b>II. भारत से बाहर निवेश</b>				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		1,48,25,814		1,65,79,156
ii) शेयरों में		9,450		4,032
iii) अन्य निवेश (बांडों में)		7,29,870		25,67,460
iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		1,14,73,160		1,00,54,300
<b>कुल</b>		<b>2,70,38,294</b>		<b>2,92,04,948</b>
<b>कुल</b>		<b>3,31,51,17,896</b>		<b>1,52,41,38,968</b>
<b>III. i) भारत में निवेश</b>				
सकल मूल्य		3,35,03,34,391		1,51,94,38,271
मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		6,22,54,789		2,45,04,251
निवल मूल्य		3,28,80,79,602		1,49,49,34,020
<b>ii) भारत से बाहर निवेश</b>				
सकल मूल्य		2,70,57,741		2,92,19,128
मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		19,447		14,180
निवल मूल्य		2,70,38,294		2,92,04,948
<b>कुल</b>		<b>3,31,51,17,896</b>		<b>1,52,41,38,968</b>

## 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

### अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)

ए.				
	i) खरीदे और भुनाए गए बिल	4,11,16,878		2,77,71,181
	ii) केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	2,66,12,08,397		1,42,93,65,230
	iii) मीयादी ऋण	3,20,75,03,484		1,69,33,57,658
	<b>कुल</b>	<b>5,90,98,28,759</b>		<b>3,15,04,94,069</b>
बी.				
	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	5,07,39,93,631		2,64,30,42,762
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	16,51,79,860		10,75,94,614
	iii) अप्रतिभूत	67,06,55,268		39,98,56,693
	<b>कुल</b>	<b>5,90,98,28,759</b>		<b>3,15,04,94,069</b>
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
I. भारत में अग्रिम:				
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,52,92,91,622		1,14,41,37,429
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	61,06,29,459		46,20,71,183
	iii) बैंक	3,07,310		3,11,101
	iv) अन्य	2,62,93,66,222		1,34,72,31,537
	<b>कुल</b>	<b>5,76,95,94,613</b>		<b>2,95,37,51,250</b>
II. भारत के बाहर अग्रिम:				
	i) बैंकों से प्राप्य	3,41,84,098		5,02,64,366
	ii) अन्य से प्राप्य			
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	0,000		30,46,970
	बी) सिंडीकेटेड ऋण	11,83,093		1,78,35,409
	सी) अन्य	10,48,66,955		12,55,96,074
	<b>कुल</b>	<b>14,02,34,146</b>		<b>19,67,42,819</b>
	<b>कुल</b>	<b>5,90,98,28,759</b>		<b>3,15,04,94,069</b>

### अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :

#### ए. मूर्त आस्तियां

I परिसर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	8,08,23,818		3,86,62,060
	वर्ष के दौरान वृद्धि	7,16,224		1,04,97,364
	वर्ष के दौरान कमी	3,310		54,782
		<b>8,15,36,732</b>		<b>4,91,04,642</b>
	घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,48,41,708	5,66,95,024	1,24,83,397
				3,66,21,245
II प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	5,79,704		4,35,688
	वर्ष के दौरान वृद्धि	1,57,093		1,33,300
	वर्ष के दौरान कमी	1,13,918	6,22,879	35,058
				5,33,930



## 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020
<b>III भूमि</b>			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	12,45,683		6,95,420
वर्ष के दौरान वृद्धि	0,000		72,931
वर्ष के दौरान कमी	0,000		26,092
	12,45,683		7,42,259
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	78,385	11,67,298	69,969
			6,72,290
<b>IV अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)</b>			
<b>ए) पट्टे पर दी गयीं आस्तियां</b>			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,65,352		2,65,352
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,65,352	-	2,65,352
			-
<b>बी) अन्य</b>			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	6,20,76,819		2,79,07,536
वर्ष के दौरान वृद्धि	34,97,487		28,66,289
वर्ष के दौरान कमी	9,71,296		4,02,191
	6,46,03,010		3,03,71,634
घटाएं: आज वढी तारीख तवढ अवमूलकान	5,25,98,644	1,20,04,366	2,12,21,816
			91,49,818
<b>वी. अमूर्त आस्तियां</b>			
कंप्यूटर साफ्टवेयार			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	85,50,124		25,73,008
वर्ष के दौरान वृद्धि	26,73,629		7,71,877
वर्ष के दौरान कमी	1,172		0,000
	1,12,22,581		33,44,885
घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधित	82,73,429	29,49,152	26,96,996
			6,47,889
<b>कुल</b>		7,34,38,719	4,76,25,172

### अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	7,34,01,772		1,51,98,653
II. उपचित ब्याज	6,00,37,714		2,54,32,328
III. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	15,67,24,947		7,35,68,800
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप	68,176		37,137
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	1238		390
VI. अन्य	20,61,34,433		10,42,25,545
VII. स्रोत पर प्रदत्त कर/ कर की कटौती(निवल प्रावधान)	6,62,28,752		1,50,49,430
VIII. एमएटी क्रेडिट पात्रता	1,19,72,569		0,000
<b>कुल</b>	57,45,69,601		23,35,12,283

## 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :</b>		
I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	<b>3,73,07,180</b>	3,27,49,359
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	<b>5,920</b>	5,920
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	<b>2,28,99,08,209</b>	1,06,54,22,734
IV. संघटकों की ओर दी गयी गारंटी		
ए) भारत में	<b>66,32,75,681</b>	40,28,26,884
बी) भारत से बाहर	<b>1,34,92,045</b>	84,97,644
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	<b>52,07,37,119</b>	31,99,80,156
VI. अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	<b>15,68,01,095</b>	3,91,43,693
VII. डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	<b>2,37,52,409</b>	1,33,97,200
<b>कुल</b>	<b>3,70,52,79,658</b>	1,88,20,23,590

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ हानि खाते के रूप में अनुसूचियाँ

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	यथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
<b>अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :</b>		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	45,76,58,380	25,07,86,979
II. निवेशों से आय	20,57,37,022	10,57,28,598
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,11,32,184	1,20,02,836
IV. अन्य	31,45,763	37,92,825
<b>कुल</b>	<b>68,76,73,349</b>	<b>37,23,11,238</b>
<b>अनुसूची 14 - अन्य आय :</b>		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	73,96,694	56,33,245
II. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल)	3,65,13,065	1,46,32,588
III. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल)	76,136	(39,448)
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ (निवल)	65,81,823	55,70,186
V. विविध आय	6,28,00,817	2,68,11,297
<b>कुल</b>	<b>11,33,68,535</b>	<b>5,26,07,868</b>
<b>अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :</b>		
I. जमाराशियों पर ब्याज	40,80,68,450	24,02,69,067
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	1,49,02,542	83,87,571
III. अन्य	1,78,18,093	92,87,078
<b>कुल</b>	<b>44,07,89,085</b>	<b>25,79,43,716</b>
<b>अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :</b>		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	9,02,48,999	3,35,86,186
II. किराया, कर और बिजली	1,36,10,728	61,87,457
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	9,22,049	5,05,737
IV. विज्ञापन और प्रचार	3,11,524	5,86,817
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	89,52,298	41,12,569
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	13,326	14,204
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक	14,463	11,410
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	10,55,638	3,98,656
IX. विधि प्रभार	12,47,733	6,05,738
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	23,31,123	15,60,186
XI. मरम्मत एवं रखरखाव	35,60,302	11,94,863
XII. बीमा	1,26,65,917	57,92,455
XIII. अन्य व्यय	3,27,25,828	2,06,07,869
<b>कुल</b>	<b>16,76,59,928</b>	<b>7,51,64,147</b>

## वर्ष 2020-2021 के लेखों की अनुसूचियां

### महत्वपूर्ण लेखा नीतियां : अनुसूची 17

1. **प्रस्तुति का आधार**

ये वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन एएस तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है।
2. **अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/आकलन लगाएँ। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है।
3. **राजस्व की पहचान**
  - 3.1 जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
  - 3.2 गैरनिष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है।
  - 3.3 विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
  - 3.4 “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:
    - 3.4.1 ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।
    - 3.4.2 शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
  - 3.5 जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।
  - 3.6 भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए
4. **नकदी प्रवाह विवरण:**

बिक्री को लेखांकित किया गया है।

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3 के अनुसार तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत है:

  - 4.1 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह - इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है।
  - 4.2 निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह - इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है।
  - 4.3 वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह - इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है।
5. **निवेश**
  - 5.1. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप ए की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :
    - i) सरकारी प्रतिभूतियां
    - ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
    - iii) शेयर
    - iv) ऋण पत्र एवं बांड
    - v) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
    - vi) अन्य निवेशबैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:
    - ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
    - बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
    - सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)
  - 5.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:
    - i) “एचटीएम” में धारित प्रतिभूतियां अधिग्रहण लागत पर.
      - 5.2.1.1. अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।
      - 5.2.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
      - 5.2.1.3. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
      - 5.2.1.4. सहायक/संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, जिन्हें एचटीएम में शामिल किया गया है, को प्रदान किया जाएगा।
    - ii) “एएफएस” तथा “एचएफटी” श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां
      - 5.2.2.1. बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित

श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्टवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्धहास, लाभ-हानि खाते में प्रभाषित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है।

5.2.2.2. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पंजी निधियाँ (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

5.3. अंतर बैंक/ भारिबैं रेपो तथा अंतर बैंक/ भारिबैं रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है।

5.4. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग

से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

i. विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के पर अथवा बाजार मूल्य पर; यदि कोई हास है, तो लगाया गया है।

ii. परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में,

5.4.2.1. यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर

5.4.2.2 यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर. इस प्रकार शिफ्ट की गई प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणाम रूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

iii. बही मूल्य पर विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत.

5.5. गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य हास/प्रावधान किया गया है।

5.6. किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है।

5.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है।

5.8. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है।

5.9. डेरीवेटिव संविदा

i. वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है।

ii. ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं यदि कोई लाभ हो जिसे अनदेखा किया गया हो।

iii. विकल्प संविदाओं के मामले में फेडआई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है. यदि कोई लाभ हो, तो अनदेखा कर दिया जाता है।

## 6. अग्रिम

6.1. भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- मानक
- अवमानक
- संदिग्ध तथा
- हानि आस्तियों

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी सं.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

6.2. भारिबै द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैरनिष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियां गैरनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

- मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।
- ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता अनियमित रहता है यथा यदि बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो अथवा यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों।
- खरीदे गए/रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहती है;
- अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किस्तें अतिदेय रहती हैं।
- लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किस्तें अतिदेय रहती हैं।
- एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और परिपत्र क्र. डीबीआर. सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में जारी परिपत्र क्र. डीओआर. सं.बीपी.बीसी.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मेंटेन करेगा। उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा।

6.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है:

- अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है।
- संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है।
- हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है।

6.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है:

अवमानक आस्तियां:	<ol style="list-style-type: none"> <li>कुल बकाया राशि का सामान्य 15%</li> <li>ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो। हालांकि</li> <li>आरंभ से, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर)</li> </ol>
संदिग्ध-सुरक्षित भाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>एक वर्ष तक -25%</li> <li>एक से तीन वर्ष -40%</li> <li>तीन वर्ष से अधिक -100%</li> </ol>
संदिग्ध-असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्ति	100%

- अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है।
- विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं।
- पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है।
- एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
- पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुकाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है।
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया



## 7. संपत्ति, प्लांट और उपकरण

7.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यहास का शुद्ध और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है। लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए एसेट को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है। उपयोग करने के लिए रखी गई सम्पत्तियों पर किए गए उप-व्यय पर केवल तभी पूंजी लगाई जाती है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है। जमीन और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है। “संपत्ति, प्लांट और उपकरण” पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन पर प्रशंसा का श्रेय रिवेल्डेशन रिजर्व को दिया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यहास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे रिवेल्डेशन रिजर्व में जमा कर दिया जाता है।

7.2. बैंक की व्यय नीति में समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्रस	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष(वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट: तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/ वातानुवृत्तित डक्टेबल)	10	10.00
6	स्लिट एवं विंडो वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईंधन सेल संचालित वाहन	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण	5	20.00

17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तर्गत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध आइटम	3	33.33
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	कम्प्यूटर के अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर एवं स्कैनर आदि	3	33.33

7.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यहास समिश्र लागत पर लगाया गया है।

7.4. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है।

## 8. आस्तियों में क्षति

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित अस्ति सहित) पर हास (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी “आस्ति की हास” पर एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है। आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर हास हानि मानी जाती है। हास हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बड़ा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। हास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई हास हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो हास न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती।

## 9. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

## 10. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी मुद्रा की स्थिति और दर्ज लाभ / हानि का पुनर्मूल्यांकन :

- 10.1 वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते से निर्धारित किया जाता है।
- 10.2 आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।
- 10.3 वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है।
- 10.4 गारंटी, स्वीतिकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं।
- 10.5 भारत के बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन इकाई के रूप में माना जाता है।

## 11. लेखांकन एवं गैर एकीकृत विदेशी परिचालन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार किया जाता है। लेखा मानक 11 के अनुसार है। बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन।

विदेशी शाखाओं को गैर एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

### 11.1 राजस्व की पहचान

संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है।

### 11.2 आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं।

### 11.3 अचल आस्ति और मूल्यहास

- i. अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है।
- ii. संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

11.4 आस्ति एवं देयताएं में (मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक के साथ अनुषंगी देयताएं) वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अधिसूचित की जाती है।

11.5 आय एवं व्यय संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर अनुदित की जाती है।

11.6. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व में संचित किया जाता है।

## 12. कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि रोजगार लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

ii. निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

## 13. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17-“खंडवार रिपोर्टिंग” के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। कारोबार को निम्नलिखित संवर्ग में वर्गीकृत किया गया है:

- 13.1. ट्रेजरी परिचालन,  
13.2 कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,  
13.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और  
13.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है

#### 14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये परिसंपत्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

#### 15. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारत संख्या से विभाजित करके की गई है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है। प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारत औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्यूटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है।

#### 16. कराधान :

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी “आय पर करों के लिए लेखांकन” पर एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक ‘उचित निश्चितता’ न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थगित कर का निर्धारण होगा। गैर-मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल “आभासी निश्चितता” होने पर मान्यता दी जाती है।

#### 17. प्रावधान आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं

के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है।

#### 18. शेयर निर्गम व्यय :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं।

#### 19. समेकन का आधार

बैंक की 5 सहायक कंपनियों, 4 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है। इनके विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
1	सहायक कंपनी	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
2	सहायक कंपनी	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
3	सहायक कंपनी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	100%
4	सहायक कंपनी	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	100%
5	सहायक कंपनी	यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	100%
6	संयुक्त उद्यम	स्टार यूनियन वार्ड-इची लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25.10%
7	संयुक्त उद्यम	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	26.02%
8	संयुक्त उद्यम	इंडियाफर्स्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30.00%
9	संयुक्त उद्यम	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद	25.00%
10	सहयोगी इकाई	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	35%

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

- 19.1 मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- 19.2 सहायक कंपनियों का समेकन : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयताओं के पंक्ति पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे।
- 19.3 एसोसिएट्स का समेकन : एसोसिएट में निवेश भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन के आधार पर लेखांकित किया गया है।
- 19.4 संयुक्त उपक्रम का समेकन: भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन- 27” के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन किया गया है।

## अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स

### 1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है

#### 1.1. पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। 31 मार्च, 2021 तक बासल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूंजी, कॉमन इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर-I से बनी है।

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2021 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 10.875% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी I के 7.375% (1.875% पूंजी संरक्षण बफर सहित) न्यूनतम टियर I सीआरएआर के 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. डीओआर.सीएपी.बीसी. नं. 15/21.06.201/2020-21 दिनांक 29 सितंबर, 2020 के माध्यम से पूंजी संरक्षण बफर के अंतिम भाग के आस्थगन को बढ़ाया है अर्थात् 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल, 2021 तक पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625% के अंतिम भाग के कार्यान्वयन का आस्थगन किया है। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र पत्र क्र. डीओआर.सीपीए.बीसी. नं.34/21.06.201/2020-21 दिनांक 5 फरवरी, 2021 के माध्यम से उपरोक्त वर्णित अनुपात की उपलब्धि को 1 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 दिनांक 4 मार्च, 2020 के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित बैंक) के समामेलन के योजना को अनुमोदित किया है, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है।

ए) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कार्यशील परिणामों में पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक एवं पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक के परिचालनों को शामिल किया गया है। अतः चालू वर्ष के परिणाम पिछले वर्ष के तदनुसूची अवधियों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

बी) बैंक के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "समामेलनों के लिए लेखांकन" पर लेखांकन स्टैंडर्ड-14 के अंतर्गत निर्दिष्ट "ब्याज का एकत्रीकरण" पद्धति को अपनाया है, जो 1 अप्रैल, 2020 के प्रभाव से बैंक में आंध्रा एवं कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिए है।

तदनुसार, समामेलित बैंकों के शुद्ध लाभ एवं समामेलित बैंकों के शेयरधारकों को जारी शेयरों के मूल्य के बीच रु.1309.60 करोड़ के अंतर को बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 को बैंक ने प्रारंभिक तुलन पत्र में समामेलन आरक्षण के रूप में माना है। बैंक ने सीआरएआर की गणना के उद्देश्य के लिए इस राशि को सीईटी I के अंतर्गत रखा है।

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है :

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात (सीईटी 1) (%) बासल III	9.07	9.40
ii)	टियर I पूंजी अनुपात (%) बासल III	10.35	10.75
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%) बासल III	2.21	2.06
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III	12.56	12.81
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	89.07	86.75

vi)	उगाही की गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	शून्य	11,767.99
vii)	उगाही की गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	1,705.00	शून्य
viii)	उगाही की गई टियर- II पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	2,000.00	शून्य
	इसमें से ऋण पूंजी लिखतें: (₹ करोड़ में)	2,000.00	शून्य

वर्ष के दौरान, बैंक ने बासल III के अनुपालन में रु. 1,705 करोड़ एवं रु. 2,000 करोड़ क्रमशः के एटी-1 एवं टियर-2 बॉन्ड जारी किए हैं। साथ ही, बैंक ने कॉल के विकल्प का उपयोग किया है तथा रु. 800 एवं रु. 3,050 करोड़ (जिसमें से बासल II अनुपालन के रु. 1,050 हैं) के एटी-1 एवं टियर-2 बॉन्ड को रिडीम किया है।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 दिनांक 23 मार्च, 2020 जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 में आशोधन प्रदान की गई है, में दिनांक 4 अगस्त, 2020 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन एवं साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 तक प्रीमियम खातों की प्रतिभूतियों के सापेक्ष रु. 32,758.49 करोड़ की संचित हानि को समंजित किया है।

#### 1.2 निवेश

बैंक के निवेश का विवरण एवं बैंक निवेश पर मूल्य हास, संचरण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
<b>1</b>	<b>निवेशों का मूल्य</b>		
i)	<b>निवेशों का सकल मूल्य</b>	3,37,739.21	1,54,865.74
	(ए) भारत में	3,35,033.44	1,51,943.83
	(बी) भारत के बाहर	2,705.77	2,921.91
ii)	<b>मूल्यहास का प्रावधान</b>	6,227.42	2,451.85
	(ए) भारत में	6,225.48	2,450.43
	(बी) भारत के बाहर	1.94	1.42
iii)	<b>निवेशों का निवल मूल्य</b>	3,31,511.79	1,52,413.89
	(ए) भारत में	3,28,807.96	1,49,493.40
	(बी) भारत के बाहर	2,703.83	2,920.49
<b>2</b>	<b>निवेशों पर मूल्यहास के पेटे किए गए प्रावधानों का संचरण</b>	-	
i)	आरंभिक शेष	6316.07	2,368.21
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	762.72	474.16
iii)	घटाया: वर्ष के दौरान राइट-आफ/ राइट-बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	851.37	390.52
iv)	<b>अंतिम शेष</b>	<b>6227.42</b>	<b>2,451.85</b>

1.2 (ए) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में संव्यवहार सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31.03.2021को बकाया
ए	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	13,874.50	33,559.73	23,798.91	14,209.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
बी	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	8,358.11	60,800.00	29,904.90	29,554.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

1.2 (बी) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

31 मार्च, 2021 तक सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियों की मात्रा	गैर- निर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	पीएसयू	35,611.24	1,135.01	-	3,392.83	22.83
ii)	वित्तीय संस्थाएं	5,283.23	214.36	-	-	-
iii)	बैंक	1,938.63	598.43	-	-	-
iv)	निजी कार्पोरेट	29,878.49	19,378.01	944.62	216.39	33.75
v)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	1,691.36	1,691.36	-	-	-
vi)	अन्य	51,899.18	47,277.50	-	-	-
vii)	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान	(6,182.71)		-	-	-
	<b>योग</b>	<b>90,119.42</b>	<b>70,294.67</b>	<b>944.62</b>	<b>3,609.22</b>	<b>56.58</b>

नोट: कॉलम 4,5,6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई उपरोक्त राशि का परस्पर एक दूसरे से संबंध नहीं है।

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
शेयर	2,016.22	1,112.85
डिबेंचर व बॉन्ड्स	74,822.59	34,039.43
सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	1,684.96	1,272.74
अन्य	11,595.65	9,024.64
<b>योग</b>	<b>90,119.42</b>	<b>45,449.66</b>

## ii. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में सकल गैर निष्पादक निवेशों में संचालन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
आरंभिक शेष	4,637.92	2,234.04
वर्ष के दौरान वृद्धि	932.60	425.62
वर्ष के दौरान कमी	759.46	432.60
अंतिम शेष	4,811.06	2,227.06
<b>कुल धारित प्रावधान</b>	<b>4,091.41</b>	<b>1,858.95</b>

### 1.2 (सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक के बही मूल्य के निवेश का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. एचटीएम श्रेणी में 31 मार्च, 2021 तक धारित निवेश का बाजार मूल्य ₹ 2,53,814.41 करोड़ (सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उपक्रम में निवेश के छोड़कर) था. बाजार मूल्य पर बही मूल्य (सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रम में निवेश को छोड़कर) जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था, वह शून्य था. उपर्युक्त से 5% प्रारंभिक सीमा अलग होगी :

ए) प्रतिभूतियों के एकबारगी हस्तांतरण को / एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है.

बी) पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री.

सी) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का पुनः क्रय.

### 1.3. डेरीवेटिव्स

#### 1.3.1 वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि प्रतिपक्षों	10,690.00	14,190.00
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि	239.17	352.76
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	20.04	8.56

#### नोट:

- I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई है.
- II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.
- III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.



### 1.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स:

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार) ए) वायदा ब्याज दर खरीद बिक्री	129.98 130.03	670.93 660.50
ii)	31 मार्च, 2021 तक बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावा" न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)*	शून्य	शून्य

\* आईआरएस डील के एमटीएम के साथ हेजिंग डील पर प्राप्त ब्याज.

### 1.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

#### ए) गुणात्मक प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहों में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है:

- काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार
- एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक करेंसी वायदा और वायदा ब्याज दर में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है. हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमों भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं.

ए) आवश्यक मूलभूत संरचना के क्रम में ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है.

- फ्रंट ऑफिस- (डीलिंग रूम) बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.
- मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- बैंक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है. मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है. आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए

ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है।

बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजिशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजिशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे।

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मर्दों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है।

डी) हेज्ड/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है। डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है।

## बी) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटन					
क्र.	विवरण	31-03-2021		31-03-2020	
		करंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स	करंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
(i)	<b>डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)</b>				
	(ए) हेजिंग के लिए	741.97	4,550.00	515.60	5450.00
	(बी) ट्रेडिंग के लिए	3,651.69	6,140.00	1063.28	8,740.00
(ii)	<b>मार्क टू मार्केट पोजिशन</b>				
	(ए) आस्तियां (+)	24.84	104.25	44.16	154.95
	(बी) देयताएं (-)	-14.90	-109.74	-37.60	-159.30
(iii)	<b>ऋण एक्सपोजर (*)</b>	162.16	325.92	145.87	473.81
(iv)	<b>ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) (लाख में)</b>				
	(ए) हेजिंग डेरीवेटिव पर	0.00	5,421.60	0.00	10,075.10
	(बी) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.00	385.98	0.00	297.00
(v)	<b>वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 (लाख में)</b>				
	<b>I. अधिकतम</b>				

मात्रात्मक प्रकटन					
क्र.	विवरण	31-03-2021		31-03-2020	
		करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स	करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
	(ए) हेजिंग पर	0.00	10,201.70	0.00	13,595.57
	(बी) ट्रेडिंग पर	0.00	581.71	10.56	1,124.30
	<b>II. न्यूनतम</b>				
	(ए) हेजिंग पर	0.00	5,409.62	0.00	10,011.88
	(बी) ट्रेडिंग पर	0.00	3.84	0.00	1.08

\* ब्याज दर डेरीवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग डील्स पर एक्सपोजर भी शामिल है.

#### 1.4 आस्ति गुणवत्ता:

##### 1.4.1 गैर-निष्पादित आस्तियां

सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए), शुद्ध एनपीए एवं प्रावधानों के संचलन का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	4.62	5.49
ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		
	(ए) आरंभिक शेष	97,192.54	48,729.15
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	16,948.97	14,021.70
	(सी) वर्तमान एनपीए के शेष में वृद्धि	493.71	889.74
	<b>उप - योग (ए)</b>	<b>1,14,635.22</b>	<b>63,640.59</b>
	(बी) घटाया :-		
	(i) अप-ग्रेडेशन	2,674.49	1,870.54
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	5,189.88	4,267.27
	(iii) तकनीकी/ विवेकाधीन राइट-ऑफ	14,746.88	7,019.94
	(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त राइट-ऑफ	2,235.77	1,397.55
<b>उप - योग (बी)</b>	<b>24,847.02</b>	<b>14,555.29</b>	
<b>अंतिम शेष (ए-बी)</b>	<b>89,788.20</b>	<b>49,085.30</b>	
iii)	एनपीए का संचलन (शुद्ध)		
	(ए) आरंभिक शेष	31,324.63	20,332.42
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि	14,406.62	3,097.26
	(सी) वर्ष के दौरान कमी	18,450.73	6,126.54
	<b>(डी) अंतिम शेष</b>	<b>27,280.52</b>	<b>17,303.14</b>
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचलन		
	(मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(ए) प्रारंभिक शेष	65,535.77	28,396.73
	(बी) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	13,912.19	11,814.18
	(सी) पुनर्संरचना खातों में बढ़ा हुआ प्रावधान	(-) 5.41	(-) 30.86
	(डी) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ/ राइट बैक	17,288.40	8,397.88
	<b>(ई) अंतिम शेष</b>	<b>62,154.15</b>	<b>31,782.17</b>

	परिसंपत्तियों का वर्गीकरण	सीडीआर प्रक्रिया के अन्तर्गत				एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अन्तर्गत					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रावधान	2	0	48	27	77	65303	7324	370	58	73055
	01.04.2020 तक पुनर्गठित खाते	314.50	0.00	4,690.67	3,350.03	8,355.20	3,203.88	218.67	767.72	383.63	4,573.90
2	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रावधान	3.69	0.00	0.08	0.00	3.77	39.80	7.77	7.49	0.05	55.12
	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नये पुनर्संरचना	0	0	0	0	0	88,507	4051	117	19	92,694
3	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.90	112.47	3.42	0.63	2,539.42
	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.38	0.00	0.00	8.95
4	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रावधान	0	-	-	-	0	270	-	-	-	270
	वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और /अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाया गया	0.00	-	-	-	0.00	59.43	-	-	-	59.43
		0.00	-	-	-	0.00	0.67	-	-	-	0.67
		0	-	-	-	0	3,279	-	-	-	3,279
		0.00	-	-	-	0.00	251.27	-	-	-	251.27
		0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
5	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रावधान	-	0	0	0	0	-	12,325	1057	14	13,396
	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	657.99	210.69	0.26	868.94
		-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.75	1.84	0.00	20.59
6	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि	0	0	5	6	11	0	0	0	1	1
	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ	0.00	0.00	559.76	2,693.52	3,253.28	0.00	0.00	0.00	51.09	51.09
7	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रावधान	1	0	28	28	57	1,25,725	16,410	8,225	103	1,50,463
	31.03.2021 तक पुनर्गठित खाते	40.33	0.00	3,711.84	2,674.82	6,426.99	4,535.78	773.31	1,153.31	334.32	6,796.72
		3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	64.25	19.21	12.78	0.00	96.24

	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण	अन्य						कुल					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग		
1	01.04.2020 तक पुनर्गठित खाते	487	338	2,984	368	4,177	65,792	7,662	3,402	453	77,309		
	बकाया राशि	1,516.38	418.09	11,668.55	3,125.67	16,728.69	5,034.76	636.76	17,126.94	6,859.33	29,657.79		
	उस पर प्रावधान	11.74	0.66	36.35	0.00	48.76	55.23	8.43	43.92	0.05	107.64		
2	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नये पुनर्संरचना	31,587	517	69	6	32,179	1,20,094	4,568	186	25	1,24,873		
	उधारकर्ताओं की संख्या	5,178.38	125.58	80.72	1.08	5,385.76	7,601.28	238.05	84.14	1.71	7,925.18		
	बकाया राशि	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70	59.27	0.38	0.00	0.00	59.65		
3	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	11	-	-	-	11	281	-	-	-	281		
	उधारकर्ताओं की संख्या	397.42	-	-	-	397.42	456.85	-	-	-	456.85		
	बकाया राशि	0.00	-	-	-	0.00	0.67	-	-	-	0.67		
4	वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भाषित, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इस लिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाया गया	76	-	-	-	76	3,355	-	-	-	3,355		
	उधारकर्ताओं की संख्या	727.38	-	-	-	727.38	978.65	-	-	-	978.65		
	बकाया राशि	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00		
5	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	-	57	12	0	69	-	12,382	1,069	14	13,465		
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	34.43	0.55	0.00	34.98	-	692.42	211.24	0.26	903.92		
	बकाया राशि	-	0.05	0.01	0.00	0.05	-	18.80	1.85	0.00	20.64		
	उस पर प्रावधान	0	0	14	13	27	0	0	19	20	39		
6	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ	0.00	0.00	860.46	1,125.68	1,986.14	0.00	0.00	1,420.22	3,870.29	5,290.51		
	उधारकर्ताओं की संख्या	31,365	575	2,849	361	35,150	1,57,091	16,985	11,102	492	1,85,670		
	बकाया राशि	6,585.87	160.25	8,339.18	3,517.15	18,602.45	11,161.98	933.56	13,204.33	6,526.29	31,826.16		
	उस पर प्रावधान	54.16	0.06	6.26	0.00	60.48	122.10	19.27	19.04	0.00	160.41		

1.4.3. भारतीय रिज़र्व के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2018-19/100 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसार, बैंक एवं एनबीएफसी एमएसएमई खातों से संबंधित पुनर्चना के लिए उचित प्रकटीकरण करेगा :

(₹ करोड़ में)

पुनर्गठित की गयी खातों की संख्या	राशि	धारित प्रावधान (@5%)
52,104	2,876.04	58.67

1.4.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2018-19/100 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11/02/2020 एवं डीओआर.नं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2020-21 दिनांक 06/08/2020 के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र अग्रिम को पुनर्गठित करने की एकबारगी नीति के संदर्भ में पुनर्गठित किए गए खातों की वास्तविक स्थिति:

(₹ करोड़ में)

पुनर्गठित की गयी खातों की संख्या	राशि	धारित प्रावधान (@5%)
98,019	2,810.18	93.17

1.4.5 कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने भारतीय अर्थव्यवस्था सहित दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। महामारी से निपटने के लिए, भारत सरकार ने मार्च 2020 से लॉक-डाउन के शृंखलाओं और साथ में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की भी घोषणा की है। हालांकि, कोविड-19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर ने, मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ, पूरे देश में क्षेत्रवार तरीके से लॉकडाउन को फिर से लागू किया है। तथापि स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है तथा बैंक लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और पूर्ण बैंकिंग परिचालन को जारी रखने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और इससे संबंधित धारणाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र आरबीआई/2018-19/100 डीओआर.नं.बीपी.बीसी.63 /21.04./048/ 2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 एवं 23 मई, 2020 के अनुसार कोविड-19 विनियामक पैकेज के अधीन प्रदान की गयी राहत निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

एसएमए / अतिदेय संवर्ग जहां अधिस्थगन / मोहलत प्रदान की गयी खातों में बकाया राशि	खातों की संख्या	ऐसे खाते जहां आस्ति वर्गीकरण पर लाभ प्रदान में बकाया राशि	वित्त वर्ष 19-20 की चौथी तिमाही में किए गए प्रावधान	वित्त वर्ष 20-21 की पहली तिमाही के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	30 जून, 2020 तक किया गया कुल प्रावधान	31 दिसंबर, 2020 तक किया गया कुल प्रावधान	कुल बकाया (सी) का अनिवार्य प्रावधान@10%	31.03.2021 तक रिवर्स किया गया प्रावधान
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई
47,762.59	4	177.11	339.42	339.42	682.78	587.94	17.71	570.23

1.4.6 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के संदर्भ में ₹ 749.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 386.97 करोड़) की राशि के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए पूडेंशियल फ्रेमवर्क हेतु अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिसमें 9 एनपीए खाते हैं।

1.4.7. आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए) बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	खातों की संख्या	3	4
ii)	एससी/ आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)		
	ए) एनपीए खाते	46.22	37.04
	बी) अपलिखित खाते	0.00	0.00
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य
iii)	कुल प्रतिफल		
	ए) एनपीए खाते	153.00	117.29
	बी) अपलिखित खाते	35.46	4.20
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य



क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल आय/ (हानि)		
	ए) एनपीए खाते	106.78	80.25
	बी) अपलिखित खाते	35.46	4.20
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य

#### 1.4.8 1- एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा समर्थित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		अंतर्निहित के रूप में एनपीए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		योग	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
पिछले 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	1,916.68	308.21	0.00	0.00	1,916.68	308.21
पिछले 5 वर्षों से अधिक लेकिन पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी प्रतिभूति रसीदें	238.91	242.77	0.00	0.00	238.91	242.77
8 वर्ष पूर्व जारी प्रतिभूति रसीदें	3.23	0	4.85	10.60	8.08	10.60
<b>योग</b>	<b>2,158.82</b>	<b>550.98</b>	<b>4.85</b>	<b>10.60</b>	<b>2,163.67</b>	<b>561.58</b>

#### 2 - प्रतिभूति रसीदों में एसएमए द्वारा समर्थित निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा समर्थित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		अंतर्निहित के रूप में एसएमए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		योग	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बहीमूल्य	154.78	155.56	0.00	शून्य	154.78	155.56

#### 1.4.9 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (एआरसी के अलावा)

(ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (एआरसी के अलावा)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	ए. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	बी. समग्र बकाया	शून्य	शून्य
2	ए. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	बी. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

(बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (एआरसी के अलावा)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

1.4.10 मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	5,119.13	1,943.69

1.4.11 महत्वपूर्ण ऋण पुनर्गठित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

वैसे खातों की संख्या जहां एसडीआर मांगी गई है	31.03.2021 तक बकाया राशि		खातों के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बकाया राशि तथा जिनके इक्विटी में परिवर्तन लंबित है.		खातों के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक उन खातों के बकाया राशि जिनके इक्विटी में परिवर्तन किया गया है	
	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.12 वर्तमान ऋण के लचीले संरचना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की भारत औसत अवधि का एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना (वर्ष) के आवेदन करने से पहले	लचीली संरचना (वर्ष) के आवेदन करने के पश्चात
2019-20	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य
2020-21	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य

1.4.13 बकाया एसडीआर योजना के अंतर्गत स्वामित्व परिवर्तन का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में प्रभावी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयर की गिरवी के कारण लंबित है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयर पर लागू गिरवी प्राप्त कर लिया गया है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां नए शेयर के निर्गम या प्रमोटर के इक्विटी के बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन परिकल्पित है	
	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.14 क्रियान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व के परिवर्तन का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

ऋण परियोजना खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में प्रभावी परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है	दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्गठन के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.15 दिनांक 31.03.2021 के दबावग्रस्त आस्तियों को बनाए रखे जाने योग्य संरचना (एस4ए) के लिए योजना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खाते जहां एस4ए लागू किए गए हैं		कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किया गया प्रवधान
आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या		पार्ट ए में	पार्ट बी में	
मानक खाते	1	59.37	56.16	77.99	31.20
एनपीए	0	0	0	0	0

1.4.16 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21 डीओआर.नं.बीपी.बीसी.03/21.04.048/2020-21 दिनांक 06/08/2020 के अनुसार, खुदरा का पुनर्संरचना एवं कॉर्पोरेट ऋण :

उधारकर्ता के प्रकार	(ए) खातों की संख्या, (उधारकर्तावार) जिसमें इस विंडो के तहत समाधान योजना को कार्यान्वित किया गया है	(बी) योजना के कार्यान्वयन से पूर्व (ए) में उल्लिखित खाते का एक्सपोजर #	(सी) (बी) से ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(डी) अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि
व्यक्तिगत ऋण	31,958	3,394.55	-	-	317.30
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	8	1,969.79	-	-	109.24
जिसमें से, एमएसएमई	5	206.50	-	-	19.71
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	31,966	5,364.34	-	-	426.54

\* यह दिवाला तथा शोधन अक्षमता अधिनियम, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है.

# निवेश और गैर-निधि आधारित सुविधाओं के तहत एक्सपोजर शामिल है.

1.4.17 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2020-21डीओआर.नं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 दिनांक 6/8/2020 के अनुसार एफआईटीएल खाते खोले गए हैं:

खातों की संख्या	31.03.2021 तक बकाया
5540	314.39

1.4.18 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर नं. बीपी.15199/21.04.048/2016-17 एवं डीबीआर नं. बीपी. 1906/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 एवं 28 अगस्त, 2017 क्रमशः के अनुसार, दिवालिया एवं आशोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के लिए, बैंक ने तुलन पत्र तिथि तक कुल रु.14724 (गत वर्ष रु. 6940 करोड़) करोड़ (कुल बकाया के 99.82% को कवर करते हुये) का प्रावधान किया है.

#### 1.5. कारोबार अनुपात

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	6.34	6.82
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	1.05	0.96
iii)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रूप में प्रतिशत	1.78	1.68
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.27	(0.53)
v)	प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹ करोड़ में)	19.23	20.06
vi)	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.04	(0.08)

#### 1.6. आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2021 तक जमाराशि, उधार, अग्रिम एवं निवेश की परिपक्वता का स्वरूप, निम्न पर आधारित है:

- एएलएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश
- आस्ति एवं देयताओं का व्यावहारिक अध्ययन, जिसमें निहित विकल्प के लिए कोई निश्चित परिपक्वता नहीं है.
- विदेशी मुद्रा में तुलन पत्र आस्ति एवं देयताओं

#### चालू वर्ष 2020-21

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का स्वरूप	जमाराशि	अग्रिम	निवेश/ प्रतिभूति	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
अगले दिन	11,694.42	7,173.12	100,670.43	802.64	3,540.66	2,193.50
2-7 दिन	18,607.02	11,484.58	11,906.20	636.06	1,084.56	748.75
8-14 दिन	13,760.66	6,734.08	1,008.94	-	560.53	85.33
15-30 दिन	23,523.19	16,592.79	2,560.90	1,146.47	2,674.13	1,707.52
31 दिन - 2 माह	37,021.49	6,417.73	1,178.82	1,932.10	2,100.73	2,406.03
2 माह से अधिक और 3 माह तक	31,306.22	18,817.87	3,305.04	868.80	1,704.15	1,013.28
3 माह से अधिक और 6 माह तक	68,591.32	26,682.54	18,365.60	10,393.24	2,690.29	10,709.85
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	107,186.17	48,794.25	18,003.07	1,283.94	9,436.09	5,877.58
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	108,382.66	277,422.49	36,339.39	18,242.36	9,264.62	3,320.28
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	73,551.34	68,391.66	26,551.54	2,176.49	5,197.94	3,688.13
5 वर्ष से अधिक	430,180.85	102,471.75	111,621.87	14,355.00	3,034.17	785.01
योग	923,805.34	590,982.88	331,511.79	51,837.11	41,287.87	32,535.26

परिपक्वता का स्वरूप	जमाराशि	अग्रिम	निवेश/ प्रतिभूति	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
अगले दिन	2,684.77	5,206.85	29,337.34	351.85	3,471.89	1,760.66
2-7 दिन	11,862.50	6,232.11	3,630.41	448.24	987.99	481.01
8-14 दिन	9,490.51	4,535.93	393.70	1,016.45	1,126.78	377.90
15-30 दिन	12,365.95	7,424.37	1,367.17	720.67	3,257.45	1,814.17
31 दिन - 2 माह	13,481.26	2,304.49	4,461.56	688.06	3,469.33	1,773.43
2 माह से अधिक और 3 माह तक	15,861.28	8,525.10	17,458.76	557.47	2,353.64	1,240.03
3 माह से अधिक और 6 माह तक	42,821.54	36,556.79	5,029.33	2,662.39	5,324.97	4,395.36
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	51,922.11	21,829.25	4,365.40	8,664.92	6,006.15	8,669.47
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	55,805.55	1,36,492.92	14,065.90	22,865.18	13,220.98	14,643.41
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	39,816.16	40,058.36	9,328.59	7,261.02	6,704.37	8,239.02
5 वर्ष से अधिक	1,94,556.81	45,883.26	62,975.74	7,250.00	2,826.81	259.78
<b>योग</b>	<b>4,50,668.45</b>	<b>3,15,049.41</b>	<b>1,52,413.90</b>	<b>52,486.25</b>	<b>48,750.36</b>	<b>43,654.24</b>

1.7 एक्सपोजर

1.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

क्र.	संवर्ग	31.03.2021	31.03.2020
ए)	प्रत्यक्ष निवेश	92,742.69	39,297.40
i	आवासीय बंधक- आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं. - उपर्युक्त के अंतर्गत ₹ 20 लाख तक व्यक्तिगत आवास ऋण.	78,513.68 38,020.20	29,441.16 12,589.00
ii	वाणिज्यिक रियल इस्टेट- वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं: (जिसमें से एलआरडी)	12,250.56 (2,109.33)	8,153.42 (1,817.94)
iii	सीआरई आरएच	1,978.45	1,702.83
iv	एलआरडी (पट्टा किराया छूट) जिसमें से सीआरई जिसमें से सीआरई के अलावा	3,227.29 (2,109.33) (1,117.96)	2,438.95 (1,817.94) (621.01)
v	बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर - ए. आवासीय बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.		शून्य शून्य
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	35,195.26	16,866.09
	<b>रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर</b>	<b>1,27,937.95</b>	<b>56,163.50</b>

### 1.7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	1,284.63	1,028.85
ii	शेयरों/ बॉन्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	6.45	2.90
iii	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	372.31	293.13
iv	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स /परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	0.95	0.55
v	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	452.23	594.73
vi	शेयरों/ बॉन्डों /डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण	1,288.69	310.98
vii	संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	-	शून्य
viii	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	-	शून्य
ix	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	-	शून्य
x	वेंचर पूँजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूँजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा.	1,102.54	840.23
	<b>पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>4,507.80</b>	<b>3,071.37</b>

### 1.7.3 जोखिम संवर्ग वार कंट्री एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2021	प्रावधान यथा 31.03.2021	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2020	प्रावधान यथा 31.03.2020
अपर्याप्त	16,661.26	शून्य	12,463.67	शून्य
अल्प	9,989.26	शून्य	7,570.31	शून्य
सामान्य	286.23	शून्य	220.16	शून्य
उच्च	0.65	शून्य	9.79	शून्य
अत्यधिक उच्च	0.00	शून्य	शून्य	शून्य
सीमित	0.00	शून्य	शून्य	शून्य
ऑफ-क्रेडिट	0.00	शून्य	1.05	शून्य
<b>योग</b>	<b>26,937.40</b>	<b>शून्य</b>	<b>20,264.98</b>	<b>शून्य</b>

कन्ट्री जोखिम नीति 2020-21 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है.

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है.



1.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को दी गई सीमा से अधिक का ब्यौरा (पूँजी निधि ₹ 55009.39 करोड़)

(₹ करोड़ में)

क्र.		उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोजर (₹)	पूँजी निधि का एक्सपोजर%	31.03.2021 की स्थिति	पूँजी निधि की % स्थिति
1.	एकल उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- ▶ व्यक्तिगत ऋण लेने की एक्सपोजर सीमा टीयर I कैपिटल फंड का 20% है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बोर्ड से अनुमोदन के बाद 5% अतिरिक्त एक्सपोजर लिया गया।
- ▶ एक अकेले उधारकर्ता अर्थात मेसर्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मार्च 2021 तक 20% की प्रारंभिक सीमा को पार किया परंतु बैंक ने कार्यसूची क्र ए-09 दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से निदेशक मण्डल से इसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया।
- ▶ समूह के लिए एक्सपोजर सीमा 25% है, तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2021 तक कोविड महामारी के प्रकोप के कारण 30% की अधिकतम सीमा के एक्सपोजर की अनुमति प्रदान की है।

1.7.5 बेजमानती अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्थिक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक ओडी.बीपी.बीसी.नं. 83/ 08.12.014/ 2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सड़क/ राजमार्ग परियोजनाएं और टोल संग्रह अधिकार से संबंधित अग्रिम, बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) के तहत वार्षिकी वृत्ति द्वारा समर्थित हैं।

1.8 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण :

नियामक का नाम	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
भारतीय रिजर्व बैंक	शून्य	शून्य	2	1.60
अन्य नियामक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण.

2.1 राजस्व पहचान (एएस 9)

आय के कुछ मदों को छोड़कर उपचय आधार पर आय एवं व्यय की गणना महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसूची 17 के लेखांकन नीति क्र. 3.3 के अनुसार वास्तविक आधार पर की गई, जो कि मूर्त नहीं मानी जाएगी।

2.2 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

(ए) अत्यावधि रोजगार लाभ:

अत्यावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अत्यावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं :

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएम) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी के तत्वाधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान एनपीएस में ₹ 297.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 120.24 करोड़ रुपये) का अंशदान किया है।

## ii. निर्धारित लाभ योजना :

ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप एकचुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एकचुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

### परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है। प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	<b>पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी :</b>				
	वर्ष के आरंभ में देयता	2,738.03	24,553.31	1,222.64	12,158.43
	ब्याज लागत	187.28	1,667.17	95.24	945.93
	चालू सेवा लागत	137.71	265.17	59.54	90.78
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि - शीघ्र परिवर्तन	(26.36)	(247.67)	86.88	(578.22)
वित्तीय धारणा पर बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	752.31	1,456.27	25.87	938.90	
<b>वर्ष के अंत में देयताएं</b>	<b>3,355.82</b>	<b>26,011.41</b>	<b>1,291.94</b>	<b>12,746.69</b>	
ii)	<b>योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:</b>				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,671.12	23,145.31	1,202.14	12,308.84
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	182.70*	1,571.57*	93.65*	957.63*
	अंशदान	291.35	3,605.19	114.25	74.59
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	लाभ भुगतान	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला	2,746.43*	26,720.88*	1,219.01*	12,607.16*
		725.95	1,208.60	112.75	360.68
	बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	691.54	1,126.95	105.55	285.45
<b>कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/(हानि)</b>					

	विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
iii)	<b>संक्रमणकालीन देयता की पहचान:</b>				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	<b>अंत में संक्रमणकालीन देयता</b>	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	<b>योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:</b>				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	182.70	1,571.57	93.65	957.63
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/ (हानि)	34.41	81.65	7.20	75.23
	<b>योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ</b>	217.11	1,653.22	100.85	1,032.86
v)	<b>आय विवरण में चिन्हित व्यय:</b>				
	वर्तमान सेवा लागत	137.71	265.17	59.54	90.78
	ब्याज लागत	4.58	95.60	1.59	(11.70)
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	691.54	1,126.95	105.55	285.45
	<b>लाभ हानि खाते में चिन्हित व्यय</b>	833.83	1,487.72	166.68	364.53
vi)	<b>तुलन पत्र समाधान:</b>				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	66.91	1,408.00	20.50	(150.41)
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	833.83	1,487.72	166.68	364.53
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(291.35)	(3,605.19)	(114.25)	(74.59)
	<b>तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/ देयता राशि</b>	609.39	(709.47)	72.93	139.53

	विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
vii)	<b>अन्य ब्यौरे:</b> पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्वधीन है. ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. वर्ष के दौरान बीमाकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है. वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. सदस्यों की संख्या	78,203	28,235	37,323	13,839
	वेतन प्रति माह	354.09	210.64	193.54	89.29
	<b>अगले वर्ष के लिए अंशदान</b>	354.09	-	144.39	213.65
	<b>आस्तियों का संवर्ग:</b> भारत सरकार की आस्तियां	64.56	601.59	64.14	198.34
	कॉर्पोरेट बॉन्ड/ एफ़डीआर	96.29	1029.07	88.78	1,004.11
viii)	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
	राज्य सरकार	125.89	1150.74	161.47	995.87
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	185.67	1,426.35	35.33	322.26
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2,252.98	22,235.49	869.29	10,086.58
	म्युच्युअल फंड	21.04	277.64	-	-
	<b>योग</b>	2,746.43	26,720.88	1,219.01	12,607.16

\* नोट: एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर रिटर्न 7.00% माना जाएगा तथापि कोविड-19 महामारी के कारण योजना आस्तियों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए, इसे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बीमा कंपनियों द्वारा घोषित किया जाएगा.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी :	ग्रेच्युटी योजना				
	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
<b>तुलन पत्र में चिन्हित राशि</b>					
वर्ष के अंत में देयताएं	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03
अंतर	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	ग्रेच्युटी योजना				
	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
अनुभव समायोजन	752.31	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	34.41	7.20	(13.03)	10.64	42.42

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन योजना				
	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि					
वर्ष के अंत में देयताएं	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89
अंतर	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई परिवर्तन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन योजना				
	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
अनुभव समायोजन					
योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)	793.17
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	81.65	75.23	7.18	(21.39)	526.25

मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2020-2021		2019-2020	
	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
पिछली छूट दर	6.84	6.79	7.79	7.78
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.84	6.79	7.79	7.78
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
चालू छूट दर	6.93	6.91	6.84	6.79
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.93	6.91	6.84	6.79
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

(सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2021	31.03.2020
1	पेंशन	1,487.72	364.53
2	अवकाश यात्रा रियायत	27.45	(3.44)
3	अवकाश नकदीकरण	102.29	116.76
4	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

2.3 क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंडअलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2021	31.03.2020
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेज़री परिचालन	27,382.29	14,211.07
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	24,817.48	11,272.88
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	26,541.51	16,629.02
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,371.55	688.87
5	गैर आबंटित	133.91	18.15
	<b>कुल क्षेत्रवार राजस्व</b>	<b>80,246.74</b>	<b>42,819.99</b>
	<b>घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व</b>	<b>(142.54)</b>	<b>(328.08)</b>
	<b>परिचालन से आय</b>	<b>80,104.20</b>	<b>42,491.91</b>
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम (अर्थात् लाभ / (हानि) कर से पूर्व)		
1	ट्रेज़री परिचालन	6,157.83	2,583.12
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,197.57	2,207.06
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग (विशिष्ट मदों से पूर्व)	(8,823.12)	(6,704.72)
4	विशिष्ट मदों को जोड़ना	-	(2,509.98)
	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग (विशिष्ट मदों के बाद)	(8,823.12)	(9,214.70)
5	अन्य बैंकिंग परिचालन	733.23	378.74
6	गैर आबंटित	133.91	18.15
	<b>कर पूर्व कुल लाभ</b>	<b>2,399.42</b>	<b>(4,027.63)</b>
(सी)	कर हेतु प्रावधान	(506.55)	(1,129.85)
(डी)	<b>कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)</b>	<b>2,905.97</b>	<b>(2,897.78)</b>
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां		
1	ट्रेज़री परिचालन	427,941.43	1,94,271.84
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	277,171.79	1,30,909.74
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	341,941.30	2,18,860.11
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	0.00
5	गैर आबंटित	24,651.32	6,641.58
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>1,071,705.84</b>	<b>5,50,683.27</b>
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेज़री परिचालन	419,807.14	1,89,114.93
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	253,344.66	1,20,337.54
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	310,531.92	2,01,355.86
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	0.00
5	गैर आबंटित	23,545.40	6,089.29
	<b>कुल देयताएं</b>	<b>1,007,229.12</b>	<b>5,16,897.62</b>



1	ट्रेज़री परिचालन	8,134.29	5,156.91
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	23,827.13	10,572.20
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	31,409.38	17,504.25
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	0.00
5	गैर आबंटित	1,105.92	552.29
	<b>कुल नियोजित पूंजी</b>	<b>64,476.72</b>	<b>33,785.65</b>

**नोट्स :**

- बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेज़री, रिटेल, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
- सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिये गये हैं.
- रिपोर्ट करने योग्य खंडों में विभिन्न मर्कों के आवंटन की कार्यप्रणाली में परिवर्तन हुआ है जिसके कारण पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहित/ पुनर्गठित किया गया है.

**2.4 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस - 18)**

**2.4.1 संबंधित पार्टियों की सूची**

**ए) समनुषंगी :**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैंक आफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.
- आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
- यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड

**बी) संयुक्त उद्यम:**

- स्टार यूनियन दार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद
- इंडिया फ्रस्ट लाइफ इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड

**सी) एसोसिएट :**

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

**डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

नाम	पदनाम	वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा ग्रहण करने/ सेवानिवृत्त होने वाले
श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	लागू नहीं
श्री गोपाल सिंह गुसाई	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2020 को कार्यग्रहण किया (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के पश्चात) एवं 31.01.2021 को सेवानिवृत्त हुए
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021 को कार्यग्रहण

## वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए

लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो “राज्य नियंत्रित उद्यम” हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस-18 के पैरा 6 के अनुसार, बैंकर ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, को प्रकटित नहीं किया गया है।

### 2.4.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.34	0.33
कार्यपालक निदेशकगण	1.11	0.81
योग	1.45	1.14

### 2.5 “लीज”- परिचालन लीज (एएस-19) पर लिया गया परिसर

नॉन कैसिलेबल परिचालन लीज पर लिए गए परिसर की देयताओं का डाटा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1 वर्ष तक	28.63	14.87
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष तक	234.44	84.59
5 वर्ष के बाद	241.70	127.20
योग	504.77	226.66

### 2.6 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोर्टेशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है।

प्रति शेयर अर्जन की गणना नीचे दी गयी है :

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	640,68,44,355	1,76,30,16,314
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य	1,65,98,02,538
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	640,68,44,355	3,42,28,18,852
प्रति शेयर मूल अर्जन आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	640,68,44,355	2,32,08,18,806
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	640,68,44,355	2,32,08,18,806
शुद्ध लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में	2905.98	(2,897.77)
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	4.54	(12.49)
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹)	4.54	(12.49)
प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹)	10.00	10.00

## 2.7 कर प्रावधान :

### 2.7.1 आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
	<b>आस्थगित कर आस्ति</b>		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	457.76	294.57
2	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	299.18	112.05
3	अन्य प्रावधानों के कारण	18,182.58	9,239.00
4	अनवशोषित हानि के कारण	0.00	0.00
	<b>योग</b>	<b>18,939.52</b>	<b>9,645.63</b>
	<b>आस्थगित कर देयताएं</b>		
1	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	1,104.51	806.32
2	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	1,924.67	1,004.64
3	निवेश पर मूल्यहास	237.86	477.79
	<b>योग</b>	<b>3267.04</b>	<b>2,288.75</b>
	<b>शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां</b>	<b>15,672.48</b>	<b>7,356.88</b>
	<b>शुद्ध आस्थगित कर देयताएं</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

### 2.7.2 प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(506.55)	(1129.85)

### 2.8 संयुक्त उपक्रम में निवेश: (एएस-27)

निवेश के अंतर्गत ₹ 435.72 करोड़ (गत वर्ष ₹ 65 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड, इंडिया फ्रस्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी, और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में बैंक की हित राशि है। यह कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई है।

### 2.9 आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

### 2.10 आकस्मिक देयताएँ (एएस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है।

## 3. अतिरिक्त प्रकटन

### 3.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	31.03.2021	31.03.2020
निवेश पर मूल्य हास हेतु प्रावधान/ (रिवर्सल)	435.08	372.37
एनपीए के लिए प्रावधान	13595.75	9304.20
हार्मोनाइजेशन हेतु प्रावधान (निम्न नोट देखें)	323.86	2509.98
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/ (रिवर्सल)	1245.63	505.74
आयकर (आईटी)/ सम्पत्ति कर/ आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिए शुद्ध प्रावधान	(506.55)	(1129.85)

लाभ एवं हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	31.03.2021	31.03.2020
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	124.14	4.16
- अग्रिमों का पुनर्गठन	81.87	(16.76)
- अन्य	1053.54	529.05
<b>योग</b>	<b>16,353.32</b>	<b>12,078.89</b>

नोट-भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जी.एस.आर.154 (ई) दिनांक मार्च 4, 2020 द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक का समामेलन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ है। तदनुसार, विवेकपूर्ण उपाय के तहत बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक की 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार आस्ति वर्गीकरण में विचलन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी बही खातों में मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया है। बैंक ने स्टैंडअलोन के आधार पर ₹ 2509.98 करोड़ की अतिरिक्त समानीकरण राशि का प्रावधान किया है और इसे कुल एनपीए प्रावधान में भी शामिल किया है। इसके अलावा बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 323.86 करोड़ के अतिरिक्त सुसंगत प्रावधान किया है।

### 3.2 काउंटर साइक्लीकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	प्रारंभिक शेष	306.20	293.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	शून्य	शून्य
iv)	<b>अंतिम शेष</b>	<b>306.20</b>	<b>293.20</b>

### 3.3 आरक्षिती से आहरण :

बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान अन्य आरक्षिती से ₹ 937.89 करोड़ एवं शेर प्रिमियम खाते से ₹ 21.37 करोड़ आहरित किया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :

- ₹ 937.89 करोड़ की धोखाधड़ी के अनधिकृत हिस्से को अन्य आरक्षिती पर डेबिट किया गया
- पूर्व आंध्रा एवं पूर्व कार्पोरेशन के शेरधारकों को शेर के आवंटन के लिए खर्च हेतु ₹ 21.37 करोड़ शेर प्रीमियम खाते से डेबिट किए गए थे।

### 3.4 शिकायतों का प्रकटन

(ए)

बैंकों को ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी				
बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
क्र.		विवरण	2020-21	2019-20
1.		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	2872	9713
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	415035	353549
3.		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	407127	360390
	3.1	जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए	1131	790
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	10780	2872
बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें				
5.		बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या	8544	3575
	5.1	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या	6446	3187
	5.2	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या	1182	388
	5.3	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें.	8	1
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा)	0	0
नोट:-				
1) रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती है। हालांकि, सीएमएस साइट से एकत्रित उपरोक्त डेटा में खंड 11 के अनुसार समझौते द्वारा निपटान किया गया है एवं साथ ही साथ लोकपाल योजना 2006 के खंड 13 के अनुसार अस्वीकृत शिकायतों को भी शामिल किया गया है, जो कि पत्र व्यवहार के अधीन है।				

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra Corporation

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

(बी) बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)

शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में कितनी शिकायतों 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है
1	2	3	4	5	6
<b>चालू वर्ष (2020-21)</b>					
	01.04.2020	2020-21		31.03.2021	
एटीएम/डेबिट कार्ड	1250	292035	3.30%	4583	2342
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	214	61087	44.16%	344	205
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक प्रभार/ फोक्लोर्जर प्रभारों के प्रभार लगाना	171	8406	37.51%	2389	1746
चेक/ड्राफ्ट/बिल	20	5331	129.48%	52	24
क्रेडिट कार्ड	16	3853	146.04%	27	8
अन्य	1201	44323	146.48%	3385	1847
कुल	2872	415035	17.39%	10780	6172

(सी) पिछला वर्ष (2019-20)

	01.04.2019	2019-20		31.03.2020	
एटीएम/डेबिट कार्ड	9160	282682	-20.91%	1250	868
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	17	42374	-24.80%	214	54
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक प्रभार/ फोक्लोर्जर प्रभारों के प्रभार लगाना	19	6113	566.63%	171	3
चेक/ड्राफ्ट/बिल	11	2323	97.36%	20	0
ऋण एवं अग्रिम	76	2075	35.50%	187	149
अन्य	430	17982	57.25%	1030	525
कुल	9713	353549	-22.17%	2872	1599

(डी.) तृतीय पक्ष उत्पाद/कारोबार से संबंधित शिकायतें

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2	2
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	45	29
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	36	29
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	11	2

### 3.5. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	0.00	0.00
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी	0.00	0.00
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत	0.00	0.00
<b>वर्ष के अन्त में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

भारिबै/2017-18/139 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र क्र. 20 दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुसार, भारत में आयात के लिए ट्रेड क्रेडिट के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एवं (एलओयू) लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करना बंद कर दिया गया है.

### 3.6 कवरेज अनुपात का प्रावधान (पीसीआर)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
<b>कवरेज अनुपात का प्रावधान (%)</b>	<b>81.27</b>	<b>73.64</b>

### 3.7 बैंकाश्योरेंस कारोबार का प्रकटन :

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

क्र	आय का स्वरूप	31.03.2021	31.03.2020
1	जीवन बीमा पॉलिसी	142.13	89.95
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	48.72	14.43
3	स्वास्थ्य बीमा	32.37	11.79

### 3.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

#### 3.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	73,698.36	45,012.97
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	7.98%	9.99%

#### 3.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	71,722.59	30,224.02
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत.	10.83%	9.26%

#### 3.8.3 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,11,126.87	56,458.23
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	13.09%	9.90%



### 3.8.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	7,864.59	6,522.21

### 3.9. क्षेत्र-वार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21)			विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20)		
		कुल बकाया अग्रिम	कुल बकाया अग्रिम	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
<b>ए</b>	<b>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	1,16,944.15	14,379.97	12.30	49,609.81	5,880.39	11.85
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण	42,785.42	10,124.17	23.66	20,480.16	4,429.81	21.63
3	सेवाएं	79,639.65	14,899.51	18.71	49,937.32	8,066.84	16.15
4	वैयक्तिक ऋण	40,258.40	2,389.44	5.94	16,848.64	723.53	4.29
	<b>उप-योग (ए)</b>	<b>2,79,627.62</b>	<b>41,793.09</b>	<b>14.95</b>	<b>1,36,875.93</b>	<b>19,100.57</b>	<b>13.95</b>
<b>बी</b>	<b>गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	3,193.75	126.81	3.97	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	1,26,763.50	26,357.31	20.79	58,979.67	15,904.60	26.97
3	सेवाएं	1,14,066.55	13,757.81	12.06	99,677.26	12,515.69	12.56
4	वैयक्तिक ऋण	1,30,032.91	7,753.18	5.96	51,388.33	1,564.44	3.04
	<b>उप-योग (बी)</b>	<b>3,74,056.71</b>	<b>47,995.11</b>	<b>12.83</b>	<b>2,10,045.26</b>	<b>29,984.73</b>	<b>14.28</b>
	<b>योग (ए+बी)</b>	<b>6,53,684.33</b>	<b>89,788.20</b>	<b>13.74</b>	<b>3,46,921.19</b>	<b>49,085.30</b>	<b>14.15</b>

नोट- जहां कहीं भी आवश्यक है, गत वर्ष के आंकड़े पुनः समेकित हैं।

### 3.10 टीआरडीडीएस (ट्रेड्स) एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021
डीबीआर.न.एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरडीडीएस एक्सपोजर	391.80

### 3.11 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	97,192.54	48,729.15
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये एनपीए)	16,948.97	14,021.70
वर्तमान एनपीए में वृद्धि	493.71	889.74
<b>उप-योग (ए)</b>	<b>1,14,635.22</b>	<b>63,640.59</b>
घटाएं:		
(i) अप-ग्रेडेशन	2,674.49	1,870.54
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	5,189.88	4,267.27
(iii) राइट-ऑफ	16,982.65	8,417.48
<b>उप योग (बी)</b>	<b>24,847.02</b>	<b>14,555.29</b>
<b>सकल एनपीए ( अंतिम शेष) (ए-बी)</b>	<b>89,788.20</b>	<b>49,085.30</b>

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh Corporation

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

3.12 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के क्रम में बैंक को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी कार्यक्रम के कारण जोखिम एवं पूंजी के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होता है, जहां निम्नांकित में से दोनों या कोई एक शर्त के पूरा होने पर:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकित किए गया एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण वरीयता अवधि के लिए प्रावधानों एवं आकस्मिकताएं से पहले रिपोर्ट किए गए से 10 प्रतिशत अधिक हैं.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए वरीयता अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15 प्रतिशत अधिक हैं.  
चूंकि विचलन निर्दिष्ट प्रारम्भिक सीमा के अंतर्गत हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षित है

### 3.13 स्टॉक का तकनीकी राइट-ऑफ

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारम्भिक शेष	46,139.52	11,496.15
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण राइट-ऑफ	14,746.88	6,760.22
iii)	उप-योग (ए)	60,886.40	18,256.37
iv)	घटाया: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से की गई वसूली (बी)	5008.52	1,705.93
v)	अन्तिम शेष (ए-बी)	55,877.88	16,550.44

3.14 कोविड-19 विनियामक पैकेज पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.न.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन समाधान समय सीमा की समीक्षा हेतु बैंक ने शून्य करोड़ के सकल जोखिम वाले शून्य खातों के संबंध में समाधान की अवधि बढ़ा दी है.

### 3.15 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
कुल आस्तियां	21,541.36	27,867.10
कुल एनपीए	2,545.74	2,221.59
कुल राजस्व	571.47	853.72

3.16 बैंक द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी ऑफ-बैलेंस शीट नहीं है.

### 3.17 अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य

### 3.18 सिक्युरिटाइजेशन संबंधी प्रकटन

31 मार्च, 2021 तक सिक्युरिटाइजेशन संव्यवहारों हेतु बैंक में कोई स्पेशल पर्पज विहिकल (एसपीवी) नहीं थी.

### 3.19 क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप:

वित्त वर्ष 20-21 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया.

### 3.20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
20 बड़े इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर में इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	शून्य	शून्य
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य	शून्य

### 3.21 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	1,914.71	1,146.21
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित की गयी राशि	490.35	224.70
घटाया : डीईएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	29.82	31.19
डीईएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष	<b>2,375.24</b>	<b>1,339.72</b>

### 3.22 अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

यूएफसीएफ के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए ग्राहक के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपो. जर पर एक नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोजर के लिए कुल प्रावधान ₹ 19.09 करोड़ किया गया.

### 3.23 एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए है.

## 4. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

4.1 एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्वाह है.

एचक्यूएलए

एलसीआर = -----

30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्वाह

जहां शुद्ध नकद बहिर्वाह अधिकतम (नकद बहिर्वाह-नकद अंतर्वाह), नकद बहिर्वाह का 25%

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2019 से 100% निर्धारित की गयी है. एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है.

#### एचक्यूएलए:

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालनात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं.

एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर-2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रूप से सीआरआर (आरक्षित नकदी निधि अनुपात)

का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) प्रतिभूति का आधिक्य, सीमांत स्टैंडिंग सुविधा (निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 3%) एवं एफएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताएं का का 15%) शामिल है। मौजूदा महामारी की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल 2020 को एलसीआर न्यूनतम आवश्यकता को 31 दिसंबर, 2020 तक 80% तक कर दिया है, जिसे 01 अक्टूबर, 2020 से 90% तथा 1 अप्रैल, 2021 से 100% किया जाना है। अन्य छूट निम्नानुसार है:

- ▶ 31 मार्च, 2021 तक एनडीटीएल के 2% से 3% तक की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएससी) में वृद्धि
- ▶ 1 वर्ष (26 मार्च, 2021 तक) के लिए सीआरआर की सीमा को 4% से घटाकर 3% किया गया है तथा 27 मार्च, 2021 से चरणबद्ध तरीके से 3.5% और 22 मई, 2021 से 4% तक बहाल किया गया है।

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की गई है। स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारत के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं। स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की गई है। स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्तर 2बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रूप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं

### शुद्ध नकदी प्रवाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है। नकद प्रवाह सुनिश्चित करनेके क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन ₹ 5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीय ग्राहकों (एनएफसी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है। कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, आपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्ति के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है।

### बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी

भारत सरकार के आदेश दिनांक 4 मार्च, 2020 के अनुसार आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। 1 अप्रैल, 2020 से, समामेलित इकाई (यूबीआई सहित, पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक, पूर्व आंध्रा बैंक, दुबई, हाँग-काँग एवं सिडनी स्थित विदेश की शाखा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड की सहायक संस्था) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की जाती है

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए ₹ 2,60,800 करोड़ को बनाए रखा है। बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं। इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 94% योगदान है। दिनांक 31 मार्च, 2021 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 53% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता (ए. फएलएलसीआर) की सुविधा उपलब्ध है, स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य / अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 6% है।

बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रूप में है। कुल निधियन स्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित सम्पूर्ण निधियन से बना है। रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमशः लगभग 23% और 5% है। कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 38% गैर वित्तीय कॉर्पोरेट से जमा है। बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी एवं साख पत्र शामिल है। कुल भारत नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 78% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है।

बैंक ने मार्च, 2021 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है। 69 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 181.01% है तथा मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 90% वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है।

### वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन:

तिमाही	जून-2020	सितंबर-2020	दिसंबर-2020	मार्च-21	वित्त वर्ष 2020-21
एलसीआर अनुपात:	163.84	178.69	183.99	181.01	176.70

4.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

वार्षिक एलसीआर प्रकटन - लेखापरीक्षित					
		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2019-20	
	विवरण	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
<b>उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां</b>					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	2,56,813.63	2,53,354.91	1,18,142.43	1,16,567.89
<b>नकदी बहिर्प्रवाह</b>					
2	खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	581,259.28	44,262.31	2,71,641.75	23,490.24
(i)	स्थिर जमा राशियां	2,77,272.39	13,863.62	73,478.75	3673.94
(ii)	घटाई गई स्थिर जमा राशियां	3,03,986.89	30,398.69	19,8163.00	19816.30
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	1,81,425.26	86,783.76	77,683.92	39,110.65
(i)	परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	1,81,425.26	86,783.76	77,683.92	39,110.65
(iii)	बेजमानती ऋण				
4	जमानती थोक निधियां	2,688.14	2.47	2,053.63	18.28
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	129,317.22	17,949.89	35,949.66	6,187.03
(i)	डेरीवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	44.26	44.26	0.07	0.07
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	129,272.96	17,905.63	35,949.59	6,186.96
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	2,763.28	2,763.28	2,302.24	2,302.24
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	72,934.32	2,234.88	36,172.42	1,085.32
8	<b>कुल नकदी बहिर्प्रवाह</b>	<b>9,70,387.59</b>	<b>1,53,996.68</b>	<b>4,25,803.61</b>	<b>72,193.76</b>
<b>नकदी अंतर्प्रवाह</b>					
9	जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	28,397.91	0.00	5,434.75	0.00
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	2,971.28	2,971.28	2,731.18	2,731.18
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	10,397.38	7,648.06	9,257.43	6,595.25
12	<b>कुल नकद अंतर्प्रवाह</b>	<b>41,766.57</b>	<b>10,619.34</b>	<b>17,423.36</b>	<b>9,326.43</b>
		<b>कुल समायोजित मूल्य</b>		<b>कुल समायोजित मूल्य</b>	
13	<b>कुल एचक्यूएलए</b>	<b>2,53,354.91</b>		<b>1,16,567.89</b>	
14	<b>कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह</b>	<b>1,43,377.33</b>		<b>62,867.33</b>	
15	<b>तरलता कवरेज अनुपात (%)</b>	<b>176.70%</b>		<b>185.42 %</b>	

5. अचल आस्तियां

बैंक द्वारा धारित ₹ 1.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.98 करोड़) की हासित मूल्य की 1 (पिछले वर्ष 2) अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है.

6. धोखाधड़ी का पता लगाये गये/ रिपोर्ट किये गये मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	पता लगाये गये धोखाधड़ी मामलों की संख्या	ऐसी धोखाधड़ी में अंतर्निहित राशि	31/03/2021 तक बकाया राशि	31/03/2021 तक किया गया प्रावधान	31/03/2021 तक अपरिशोधित प्रावधान
योग	579	12,791.43	10,768.67	9,830.78	937.89

7. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/ बैंक लेनदेनों का मिलान

- विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/ मिलान प्राप्त कर लिया गया है/ किया गया है.
- उचत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/ कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है.
- उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा.

8. भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्म प्रस्तुत किया है. दिनांक 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही का नवीनतम प्रो. फार्मा वित्तीयन 26 फरवरी 2021 भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था. तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र आरबीआई/2018-19/146. डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के आधार पर आईएनडी-एएस कार्यान्वयन को आगे की सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

9. कॉर्पोरेट कर निर्धारण :

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है. लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है. समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है. लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो. वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/ देयताओं की समीक्षा की जाती है.

10. निवेश

- “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी की प्रतिभूतियों से हुई बिक्री से अर्जित लाभ ₹ 1,844.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 575.95 करोड़) को प्रारम्भ में लाभ और हानि खाते में ले लिया गया.
- “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के संदर्भ में, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति क्रमांक 4 (ii)(ए)में कहा गया है, वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत की आधिक्य राशि ₹ 703.10 करोड़(पिछले वर्ष ₹ 291.33 करोड़) को परिशोधित किया गया है.
- शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों व इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयों/ उद्यम पूंजी कोष में किया गया कुल निवेश व शेयरों के सापेक्ष कुल अग्रिम ₹ 2,387.16 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 1,869.08 करोड़ था).

11. पर्यावरण नियंत्रण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की “सतत विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति” नामक नीति विद्यमान है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और पिछली बार 25.03.2021 को बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी. इस नीति के जरिए, बैंक पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी बहाली के प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक द्वारा विद्युत संरक्षण, पैकेज्ड पेयजल हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न करने आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं



12. चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है (एएस 5 के अनुसार) एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार).
13. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुसरण किए जा रहे लेखांकन नीति/ अनुमान (1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी) में 31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पालन किए गए की तुलना में अंतर है.
- ए) 1 अप्रैल, 2020 प्रभाव से, एलसी/ बीजी कमीशन खातों में हुए आय को पूर्ववर्ती अवधियों में पालन किए प्राप्ति के सापेक्ष उपचय आधार पर राजस्व माना जाएगा. लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव के कारण अन्य आय एवं शुद्ध लाभ (कर से पहले) में एक वर्ष में रु. 441.06 करोड़ की कमी हुई है.
- बी) यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक के सम्मेलन के पश्चात, अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास की पद्धति में मूल्यहासित मूल्य से सरल रेखी पद्धति की गई है इसके साथ आस्तियों की कुछ श्रेणियों के संबंध में अनुमानित उपयोगी अवधि में परिवर्तन किया गया है. उक्त परिवर्तनों के प्रभाव ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यहास में वृद्धि एवं शुद्ध लाभ (कर से पहले) में रु. 3.24 करोड़ की कमी की है. तथापि, एकीकरण के कारण, वर्ष के दौरान एक मूल्यहास में रु. 180.16 करोड़ का एकबारगी प्रभाव हुआ है.
14. अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के अन्य आय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्र की बिक्री से रु. 24.38 करोड़ का कमीशन आय शामिल है. पीएससीएल प्रमाणपत्र का व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

श्रेणी	व्यापारित मूल्य (रु. करोड़ में)
पीएसएलसी-सामान्य	15,000.00
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान	3,500.00

15. भारतीय रिजर्व बैंक के डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/ 21.04.048/ 2021-22 दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के निर्देशों के क्रम में, बैंक अधिस्थगन अवधि अर्थात 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान सभी उधारकर्ताओं को प्रभारित ब्याज पर ब्याज रिफंड/ समायोजन किया जाएगा. इन निर्देशों के क्रम में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अन्य उद्योग प्रतिभागी/ संस्थाओं से परामर्श कर रिफंड/ समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को अंतिम रूप प्रदान किया है, जो उधार देने वाली संस्थाओं के द्वारा अपनाई जाएगी. आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पद्धति की सूचना प्रदान की है. तदनुसार, बैंक ने रु.127.30 करोड़ की देयता एवं मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि में पाये गए प्रभार का आंकलन किया है.

16. विगत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनर्समेकित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

(धीरेन्द्र जैन)  
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(नितेश रंजन)  
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)  
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)  
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाई)  
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)  
प्रबंध निदेशक & सीईओ

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)  
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)  
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)  
निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)  
निदेशक

कृते मेसर्स बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए अरिधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAAABQ2179

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAAJQ1386

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं.102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAQ1134

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W  
सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAAADL7290

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C  
सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAAABP4872

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C  
सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAE3168

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07 जून, 2021

यूनियन बैंक Union Bank of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ए	<b>परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह</b>		
	कर से पहले निवल लाभ	2,39,941	(4,02,762)
	निम्न के लिए समायोजन		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	89,523	41,126
	निवेशों के लिए प्रावधान	55,922	37,653
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	13,91,961	11,81,418
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,37,517	48,499
	स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	86,605	90,261
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	13,983	5,805
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	(761)	394
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	1,59,660	58,220
	संयुक्त उपक्रम कंपनी से प्राप्त लाभांश	(2,016)	-81
	<b>उप योग</b>	<b>23,35,972</b>	<b>10,60,532</b>
	<b>निम्न के लिए समायोजन:</b>		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	55,17,273	34,75,318
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	4,81,492	73,449
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(51,75,058)	(26,38,769)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(5,07,273)	(29,91,467)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(7,04,838)	1,34,860
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	96,730	1,31,890
	आरक्षित से/में अंतरण	1,63,638	0
	<b>परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)</b>	<b>20,44,299</b>	<b>(7,54,186)</b>
बी	<b>निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :</b>		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(70,444)	(38,587)
	अचल आस्तियों की बिक्री के आगम	9,739	1,507
	सहायक कंपनी में निवेश में (वृद्धि) / कमी	421	(35,610)
	निवेशों से प्राप्त लाभांश	2,016	81
	<b>निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)</b>	<b>(58,268)</b>	<b>(72,609)</b>
सी	<b>वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:</b>		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	-	11,75,601
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	3,70,500	0
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(3,85,000)	(1,20,000)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(16,93,479)	10,82,243
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,59,660)	(1,05,025)
	<b>वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)</b>	<b>(18,67,639)</b>	<b>20,32,819</b>

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	समामेलन पर नकदी एवं नकदी समकक्ष (डी)	28,12,022	0
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	29,30,413	12,06,025
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	55,10,622	43,04,597
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,41,035	55,10,622
<b>डी</b>	नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक		
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	31.03.2020	31.03.2019
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	20,11,830	20,79,646
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	34,98,792	22,24,951
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	55,10,622	43,04,597
<b>ई</b>	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	31.03.2021	31.03.2020
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	37,88,046	20,11,830
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	46,52,989	34,98,792
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,41,035	55,10,622

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतिकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(धीरेन्द्र जैन)  
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(नितेश रंजन)  
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)  
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)  
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाई)  
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)  
प्रबंध निदेशक & सीईओ

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)  
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)  
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)  
निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)  
निदेशक

**लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :** हम, यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एस-3 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 07 जून 2021 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं।

कृते मेसर्स बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए अरिधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं. 058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAAABQ2179

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं. 023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAAJQ1386

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं. 102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAQ1134

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C

सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAAADL7290

सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं. 072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAAABP4872

सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं. 076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAE3168

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07 जून, 2021

**यूनिजन बैंक** **Union Bank**  
of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति/ यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने यूनिन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
  - बैंक का लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;
  - 4 देशी सहायक, 3 देशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक) एवं 1 विदेशी सहायक का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.
  - 1 सहायक एवं 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.  
बैंक के साथ उपरोक्त इकाइयों को "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है.
- हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्न समाहित है -
  - यथा 31 मार्च, 2021 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;
  - उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं
  - उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

अभिमत का आधार :

- हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

मामलों का प्रभाव

- हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 7.1.ए की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो 1 अप्रैल, 2020 से बैंक के साथ पूर्व आंध्रा बैंक एवं पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित होने वाले बैंक) के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिये समामेलन की सरकार से अनुमोदित योजना एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "समामेलनों के लिये लेखांकन" में लेखांकन मानक- 14 के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की पूर्णता पद्धति को अपनाकर इन वित्तीय विवरणों को बनाने के आधार का वर्णन करता है. इस तिमाही एवं साल के लिए वित्तीय परिणामों की तुलना पिछले साल के परिणामों से नहीं की जा सकती.

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 7.1.ए की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही/ वर्ष हेतु पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिये सीईटी। पूंजी के हिस्से के रूप में ₹ 1309.60 करोड़ के समामेलन रिज़र्व पर विचार का वर्णन करता है.

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 7.1.ए की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो ये वर्णन करते हैं कि दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को आरबीआई से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार बैंक ने तिमाही एवं वर्ष के दौरान प्रतिभूति प्रीमियम खाते के सापेक्ष ₹ 32,758.49 करोड़ (1 अप्रैल, 2020 को) की संपूर्ण संचित हानि को समाप्त कर दिया है.

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 15 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो कोविड- 19 महामारी के फैलने से अनिश्चितता का वर्णन करते हैं. स्थिति लगातार अनिश्चित बनी हुई है और कारोबार परिचालन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन बैंक प्रबंधन कर रहा है.

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 16 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो वर्णन करते हैं कि 1 अप्रैल, 2020 से, 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों/ अनुमान में परिवर्तन है.

- एलसी/ बीजी के कमीशन से प्राप्त आय को पहले अपनाई जाने वाले रसीद आधार के सामने उपचय आधार पर राजस्व माना गया है. लेखांकन नीति में परिवर्तन से प्रभाव के कारण अन्य आय एवं शुद्ध लाभ (कर के पूर्व) में ₹ 441.06 करोड़ की कमी आई है.

यूनिन बैंक  
जोड़ें शक्ति  
Union Bank  
of India

अभिमत  
Aundha  
अभिमत  
Corporation

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

बी) पूर्व आंध्रा बैंक एवं पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन के क्रम में, अचल संपत्ति पर मूल्यहास की विधि अवलिखित मूल्य से सीधी कटौती प्रणाली में परिवर्तित हुई है और कुछ श्रेणियों की आस्तियों के संबंध में अनुमानित उपयोगी जीवन भी परिवर्तित हुआ है. उक्त बदलावों के प्रभाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की तिमाही के लिये शुद्ध लाभ (कर पूर्व) में मूल्यहास और ₹ 3.24 करोड़ की कमी आई है और समन्वयन के कारण, एकबारगी प्रभाव के रूप में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये ₹180.16 करोड़ का मूल्यहास हुआ है.

हमारा अभिमत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

### मुख्य लेखा परीक्षा मामले :

5. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
	<b>बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामले</b>	
1	<b>पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक एवं पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के लिये लेखांकन</b>	
	<p>भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, ने राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई- 04032020-216535 दिनांक 04 मार्च, 2020 के माध्यम से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित बैंक) के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन की योजना को मंजूरी दी जो दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुई. बैंक ने, बैंक के साथ 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी आंध्रा बैंक व कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित बैंक) के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 14 समामेलन के लिए लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित "ब्याज की पूर्ण" पद्धति को अपनाया है.</p> <p>तदनुसार, समामेलित बैंकों की शुद्ध आस्ति और समामेलित बैंक के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की राशि के बीच 1309.60 करोड़ रुपये के अंतर को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के प्रारंभिक तुलन पत्र में समामेलन रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है. लेन-देन की जटिलता और गलत विवरण के संबंधित महत्वपूर्ण जोखिम के कारण शामिल हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आय की कुछ मदों के लेखांकन के संबंध में समामेलित होने वाले बैंकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों में विचलन के कारण अचल सम्पत्तियों का मूल्यहास हुआ है</li> <li>कर कानूनों का लागू होना विशेष रूप से समामेलित होने वाली संस्थाओं की हानि को आगे बढ़ा देता है और समाप्त करता है.</li> <li>समामेलित होने वाले बैंकों की, अचल और चल आस्तियों के स्वामित्व व अधिकार, समामेलित होने वाले बैंकों द्वारा किये गए अग्रिमों के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत समामेलित होने वाले बैंकों की लीज़ पर संपत्तियां, आस्तियां, गारंटी एवं अन्य विश्वास कार्रवाई के कारण, सूट, डिक्रियां, वसूली प्रमाण पत्र, अपील एवं अंतरणकर्ता बैंक के बैंकिंग कारोबार की साधारण प्रक्रिया में उसके पक्ष में की गई अन्य कार्यवाहियां बैंको के समामेलन का लेखांकन लेखा परीक्षा का मुख्य मामला माना जाता है</li> </ul>	<p>समामेलन के लेखांकन के परीक्षण के लिए हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण विशेष रूप से शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमने भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की गज़ट अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2020 सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 द्वारा स्वीकृत समामेलन योजना का मूल्यांकन किया है</li> <li>हमने एस 14 में निर्धारित प्रत्येक शर्त के अनुपालन के सापेक्ष ब्याज की पूर्ण पद्धति के द्वारा बैंक के समामेलन लेखांकन के चयन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है</li> </ul> <p>- समामेलन के लिए लेखांकन;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लागू मूल्य निर्धारण पद्धतियों और लागू प्रमुख मान्यताओं पर ध्यान देते हुए हमने अधिग्रहित आस्तियों के अवशिष्ट उपयोगी जीवन का मूल्यांकन किया है;</li> <li>हमने प्रबंधन समामेलन द्वारा निर्धारित आधार पर समामेलन करने वाले बैंकों की शुद्ध संपत्ति के मूल्य और रिजर्व समामेलन बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखांकन के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की संख्या के बीच अंतर का मूल्यांकन किया है.</li> <li>हमने बैंक पर लागू कर कानूनों का मूल्यांकन और समामेलित होने वाले बैंकों की हानि को आगे ले जाने और समाप्त करने की पात्रता के संबंध में प्रबंधन के मूल्यांकन का सत्यापन किया है.</li> <li>भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिनांक 04.03.2020 की अधिसूचना जिसका नाम आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन योजना 2020 है, में उल्लिखित समामेलन की शर्तों का, समामेलित होने वाले बैंकों की अचल तथा चल सम्पत्तियों पर स्वामित्व तथा अधिकारों, पट्टेदारी, गारंटियों तथा अन्य आश्वासन जो कि बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किए गए, कार्रवाई का कारण, वाद, फरमान, वसूली प्रमाण पत्र, अपील और समामेलित होने वाले बैंकों के पक्ष में की गई कार्यवाहियां और अपने बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम में समामेलित होने वाले बैंकों द्वारा किए गए अन्य सभी कार्यों के संदर्भ में मूल्यांकन किया है.</li> </ul>

2	<p><b>विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान</b></p> <p>यथा 31 मार्च, 2021 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो है वह आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है एवं कुल आस्तियों का 86.08% है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है. हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैनुअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है. बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है.</p>	<p>हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है. हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल है. इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली.</li> <li>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण;</li> <li>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;</li> <li>• अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली</li> <li>• हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया.</li> <li>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.</li> <li>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है.</li> <li>• हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं तथा जो एक लेखा परीक्षक का कार्य करते हुए एसए 620 के अनुसार बैंक को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की है.</li> <li>• इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है.</li> <li>• हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.</li> <li>• अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन.</li> </ul> <p>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है एवं हम अनुशंसा करते हैं कि सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए इस पर पुनः विचार किया जाए.</p>
---	---	--



3	<p><b>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण</b></p> <p><b>ए. समामेलन के संबंध में</b></p> <p>इस वर्ष 1 अप्रैल, 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक एवं पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि वित्तीय विवरणों की अधिसूचना 18 के नोट 1 में वर्णित है एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन तक बैंकिंग परिचालन तीन विभिन्न सोफ्टवेयरों संबन्धित पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक शाखाओं, पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक शाखाओं एवं अन्य शाखाओं के द्वारा किए गए थे. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आईटी संबंधी माहौल जटिल हो गया है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में बैंक से परिचालन व्यापक हो गया है चूंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर था जिसमें ऑटोमेटेड एवं मानवीय कंट्रोल शामिल है एवं परिचालन की साइज एवं जटिलता की वजह से पूर्ण एवं सही इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध है. तीनों सॉफ्टवेयर का सिस्टम समेकन/माइग्रेशन लंबित है, डाटा के समेकन की प्रक्रिया जो रिपोर्ट की जानी है वो मानवीय है. गैर प्राधिकृत या व्यापक पहुँच, आईटी माहौल में बदलाव, परिचालन कंट्रोल, ड्यूटी में पृथक्त्व की कमी जो वित्तीय सूचनाओं के गलत वर्णन का जोखिम बनाती हैं एवं वित्तीय विवरणों की स्पष्टता एवं पूर्णता पर भौतिक प्रभाव हो सकता है. उच्च स्तरीय स्वचालन की वजह से, कई समन्वित/गैर समन्वित सिस्टम प्रयोग किए गए, तीनों वर्टिकल्स के समेकन में प्रयोग की गयी मानवीय प्रक्रियाएँ, हमारे लेखापरीक्षा के लिए एक मुख्य मुद्दे के तौर पर मानी गयी हैं.</p>	<p>हमने बैंक के आईटी से संबन्धित तीनों वर्टिकल्स के बारे में जानकारी ली है, एवं तदनुसार आईटी एप्लिकेशन, डाटाबेस एवं परिचालन सिस्टम की पहचान की है जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकती है. इस क्षेत्र से संबन्धित तीनों वर्टिकल्स की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यूजर एवं एप्लिकेशन कंट्रोल, चेंज प्रबंधन कंट्रोल एवं डाटा बैकअप से संबन्धित सामान्य आईटी कंट्रोल की जांच</li> <li>• प्राधिकृत व्यक्ति की इजाजत एवं जिम्मेदारियों की समीक्षा के द्वारा यह निर्धारित करना कि क्या कोर सिस्टम पर उपयुक्त पाबन्धियाँ लगाई गयी हैं या नहीं.</li> <li>• जहाँ हम अतिरिक्त प्रक्रियाओं के निष्पादन की जरूरत को पहचान लेते हैं हम मानवीय प्रतिपूरक कंट्रोल पर निर्भर करते हैं जैसे सिस्टमों के बीच समाधान एवं अन्य सूचना स्रोतों या अतिरिक्त टेस्टिंग निष्पादन, हमारे सेंपल साइज को बढ़ाना ताकि पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें.</li> <li>• सभी वर्टिकल्स के डाटा के समेकन के मानवीय प्रक्रिया के संबंध में कंट्रोल की समीक्षा करना</li> </ul>
	<p><b>बी. सामान्य वित्तपोषण रिपोर्टिंग पर</b></p> <p>समामेलन के अलावा जोकि इस वर्ष का एक असाधारण कार्य है, कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखा अवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्यूशन के प्रभावी कार्यनिष्पादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर उच्च स्तरीय रूप से निर्भर है. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप में संसाधित किया जाता है तथा वहाँ एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएँ तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन एवं डाटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके.</p> <p>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण;</li> <li>• अग्रिम संविभाग पर प्रावधान;</li> </ul>	<p>हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है ;</li> <li>• क्षेत्रों में कर्मियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ;</li> <li>• अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया;</li> <li>• सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गई;</li> <li>• बाह्य विक्रेता जांच रिपोर्ट, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, पर अभिमत</li> <li>• आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप</li> <li>• उच्चत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान</li> <li>• निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग</li> <li>• जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय;</li> </ul>	
4	<b>आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना</b>	
	<p>बैंक ने 31 मार्च, 2021 को ₹15,67,24,947 (000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है। मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है। हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है। हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है। हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्य निष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आय पर “करों के लिए लेखांकन” एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन।</li> <li>• एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया।</li> <li>• लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा।</li> </ul>

#### अन्य सूचना:

6. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं।

हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्त्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्त्विक रूप से गलत बयान की गई है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है।

#### प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ एवं वे जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस द्वारा प्रभारित हैं

बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय परिणामों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह एवं अन्य वित्तीय जानकारी का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- “समेकित वित्तीय विवरणों”, लेखा मानक 23- “समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन” एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों (“आरबीआई दिशानिर्देश”) और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत हैं।

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई अधिनियम के प्रावधानों/बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमितताओं की पहचान एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से

कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह कार्यशील क्षमता के रूप में बने रहे एवं लागू अनुरूप प्रकटीकरण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेदार होंगे।

### समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानने एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो कि सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण।
- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित टोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की समर्थ्य पर संदेह बना सकती है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि टोस अनिश्चितता नजर आती है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है।
- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें।

वास्तविकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, संभावित बनाता है कि वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित किया जा सकता है। हम परिणामात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

अन्य मामलों के अलावा, हम लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेंस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं।

हम गवर्नेंस से प्रभावित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है।

गवर्नेंस से प्रभावित संपोषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो।

### अन्य मामले:

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट पाँच सहायक कंपनियां एवं चार संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई एवं एक सहयोगी, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2021 को कुल संपत्ति ₹12,31,13,800 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹3,20,21,369 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद शुद्ध हानि ₹ 4,25,663 (हज़ार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा

किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंध में हमारा मत यह है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहायक एवं एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय परिणामों/ वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2021 को कुल संपत्ति ₹ 1154776.91 (हजार में), समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 161101.89 (हजार में) समूह का हिस्सा एवं कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ ₹ 56731.85 (हजार में) समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है। ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय परिणामों/ वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/ अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय परिणाम/ वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/ वित्तीय परिणाम/ वित्तीय जानकारी समूह के महत्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, को अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो समूह के समय के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है।

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें एवं अशोधित नहीं है।

### अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन उपर्युक्त पैराग्राफ 7 और 8 में इंगित किया गया है और यह भी उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण सीमाओं के अधीन है, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :
  - ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
  - बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा
  - सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

**कृते मेसर्स बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 301011E/E300025

**सीए अरिंधम राय**  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAABR5499

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 002785S

**सीए पी एम वीरामनी**  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAAJR1873

**कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 109262W/W100673

**सीए निरंजन जोशी**  
भागीदार  
सदस्य सं.102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAR7423

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 108959W

**सीए सचिन वी लूथरा**  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAADM7127

**कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 005223C

**सीए प्रदीप कुमार गुप्ता**  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAABQ1754

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 002803C

**सीए विजय गर्ग**  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAF5420

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई / वर्चुअल  
रिपोर्टिंग दिनांक : 07.06.2021

## समेकित तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2021

(रु.000' में)

विवरण	अनुसूची क्र.	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>पूँजी एवं देयताएं</b>			
पूँजी	1	6,40,68,444	3,42,28,189
सहायक कंपनी द्वारा जारी किए गए अधिमानी शेयर पूँजी	1ए	10,40,035	10,40,035
शेयर आवेदन राशि	1बी	-	-
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	58,22,69,299	30,46,25,800
अल्पमत हित	2ए	-	-
जमाराशियाँ	3	9,25,65,39,262	4,52,43,61,458
उधार	4	51,92,22,312	52,71,40,581
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	40,06,34,595	16,36,94,456
<b>कुल</b>		<b>10,82,37,73,947</b>	<b>5,55,50,90,519</b>
<b>आस्तियां</b>			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	37,88,57,135	20,11,89,238
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	46,87,76,239	35,12,98,743
निवेश	8	3,39,05,85,059	1,54,25,14,860
अग्रिम	9	5,93,32,00,827	3,17,67,74,302
अचल आस्तियां	10	7,36,64,201	4,77,54,993
अन्य आस्तियां	11	57,86,90,486	23,55,58,383
<b>कुल</b>		<b>10,82,37,73,947</b>	<b>5,55,50,90,519</b>
आकस्मिक देयताएं	12	3,71,78,14,658	1,89,11,29,374
संग्रहण के लिए बिल		34,69,48,137	21,68,26,909
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(धीरेन्द्र जैन)  
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(नितेश रंजन)  
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)  
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)  
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)  
कार्यपालक निदेशक

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)  
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)  
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)  
निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)  
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए अरिधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAABR5499

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAAAJR1873

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं.102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAR7423

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C

सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAADM7127

सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAABQ1754

सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAF5420

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07 जून, 2021

**यूनियन बैंक** **Union Bank**  
of India

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

## समेकित लाभ एवं हानि खाता समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021

(रु.000' में)

विवरण	अनुसूची क्र.	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>I. आय</b>			
अर्जित ब्याज	13	69,31,14,562	37,47,92,188
अर्जित ब्याज	14	13,89,90,826	5,78,92,725
<b>कुल</b>		<b>83,21,05,388</b>	<b>43,26,84,913</b>
<b>II. व्यय</b>			
व्यय किया गया ब्याज	15	44,11,23,988	25,83,68,112
परिचालन व्यय	16	19,75,15,213	8,18,78,753
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		16,51,86,002	12,28,46,343
<b>कुल</b>		<b>80,38,25,203</b>	<b>46,30,93,208</b>
<b>III. सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ/(हानि)</b>		<b>2,82,80,185</b>	<b>(3,04,08,295)</b>
जोड़ें : सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) का अंश		3,53,803	(8,00,591)
पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से (घटाएँ):-अल्पमत हित		2,86,33,987	(3,12,08,886)
वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि)		2,86,33,987	(3,12,08,886)
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		35	(8,40,02,080)
<b>विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि</b>		<b>2,86,34,022</b>	<b>(11,52,10,966)</b>
<b>IV. विनियोजन</b>			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण		73,35,683	-
पूंजी आरक्षित में अंतरण		90,01,837	37,46,900
पूंजी (निवेश उत्तर चढ़ाव) आरक्षित में अंतरित		1,27,92,901	-
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		(4,96,433)	(22,22,996)
लाभांश कर		-	-
विशेष आरक्षित में अंतरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)		-	-
लाभ हानि लेखे में शेष		35	(11,67,34,870)
<b>कुल</b>		<b>2,86,34,022</b>	<b>(11,52,10,966)</b>
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य रु.10)	18	4.47	(13.45)
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(धीरेन्द्र जैन)  
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से  
(नितेश रंजन)  
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)  
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)  
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)  
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)  
प्रबंध निदेशक & सीईओ

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)  
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)  
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)  
निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)  
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए अरिधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAAABR5499

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAAAJR1873

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं.102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAAR7423

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C

सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAAADM7127

सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAAABQ1754

सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAF5420

स्थान : मुंबई

दिनांक : 07 जून, 2021

**यूनियन बैंक** **Union Bank**  
of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



## 31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु.000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>I. अनुसूची - पूंजी :</b>		
<b>1 प्राधिकृत:</b>		
i रु.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	<b>10,00,00,000</b>	10,00,00,000
<b>II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :</b>		
i रु.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित पिछले वर्ष 2,96,92,79,777	<b>5,70,66,609</b>	2,96,92,798
ii रु.10 प्रति शेयर की दर से 70,01,83,505 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 45,35,39,075 इक्विटी शेयर)	<b>70,01,835</b>	45,35,391
<b>कुल</b>	<b>6,40,68,444</b>	3,42,28,189
 अनुसूची 1ए - सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर पूंजी : 17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग इंक को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा जारी) के 10,40,03,544 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर - मोचनीय अधिमानित शेयर	<b>10,40,035</b>	10,40,035
<b>कुल</b>	<b>10,40,035</b>	10,40,035

### अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :

<b>I. सांविधिक आरक्षित :</b>				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>12,62,91,983</b>		6,67,06,110	
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>73,35,682</b>	<b>13,36,27,665</b>	-	6,67,06,110
<b>II. ए) पूंजी आरक्षित :</b>				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>3,77,18,727</b>		1,28,49,561	
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>90,01,837</b>	<b>4,67,20,564</b>	37,46,900	1,65,96,461
<b>II. बी) समेकन पर पूंजी आरक्षित</b>				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	-		-	
समेकन पर पूंजी आरक्षित				
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>6,63,498</b>	<b>6,63,498</b>		-
<b>II. सी) सामेलन आरक्षित</b>				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>1,30,95,979</b>		-	
वर्ष के दौरान कमी	-	<b>1,30,95,979</b>	-	-
<b>III. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:</b>				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	<b>4,99,77,701</b>		2,23,48,099	
वर्ष के दौरान वृद्धि	<b>40,444</b>		1,04,48,077	
वर्ष के दौरान कमी	<b>10,33,368</b>	<b>4,89,84,777</b>	10,54,713	3,17,41,463

## 31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु.000' में)

	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>IV. शेयर प्रीमियम :</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	50,13,70,025	15,18,14,744
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	10,10,81,975
वर्ष के दौरान कमी	32,75,84,947	1,19,871
	<b>17,37,85,078</b>	<b>25,27,76,848</b>
<b>V. राजस्व आरक्षिति :</b>		
<b>i.) राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,20,08,797	4,95,62,378
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,60,02,442	65,913
वर्ष के दौरान कमी	1,26,05,677	2,64,07,223
	<b>9,54,05,562</b>	<b>2,32,21,068</b>
<b>ii.) धारा 36(1)(VII.) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,50,78,789	2,87,50,000
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	<b>5,50,78,789</b>	<b>2,87,50,000</b>
<b>iii.) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	15,93,516	16,57,508
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,29,740	7,88,869
वर्ष के दौरान कमी	9,044	8,77,657
	<b>20,14,212</b>	<b>15,68,720</b>
<b>iv) विशेष लाभ आरक्षिति/ नकदी प्रवाह हेज आरक्षिति</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	58,485	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	454	-
	<b>58,939</b>	<b>-</b>
<b>v) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति:</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	41,300	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,27,92,901	-
वर्ष के दौरान कमी	-	-
	<b>1,28,34,201</b>	<b>-</b>
<b>VI. लाभ हानि खाते में शेष</b>		
लाभ हानि खाते में शेष	<b>35</b>	<b>(11,67,34,870)</b>
<b>कुल</b>	<b>58,22,69,299</b>	<b>30,46,25,800</b>
<b>अनुसूची 2 ए अल्पमत हिस्सेदारी</b>		
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़े/ (घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/ (घटाएँ)	-	-
कुल अल्पमत हिस्सेदारी	<b>-</b>	<b>-</b>

## 31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु.000' में)

	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>अनुसूची 3 - जमाराशियां :</b>		
ए)		
<b>I. मांग जमाराशियां</b>		
i) बैंकों से	76,23,510	40,29,164
ii) अन्य से	62,94,60,721	26,08,99,292
<b>II. बचत बैंक जमाराशियां</b>	2,71,99,65,042	1,33,97,54,268
<b>III. मीयादी जमाराशियां</b>		
i) बैंकों से	3,16,45,104	5,50,64,197
ii) अन्य से	5,86,78,44,885	2,86,46,14,537
<b>कुल</b>	9,25,65,39,262	4,52,43,61,458
बी)		
i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	9,21,47,62,722	4,46,98,15,910
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	4,17,76,540	5,45,45,548
<b>कुल</b>	9,25,65,39,262	4,52,43,61,458
<b>अनुसूची 4 - उधार :</b>		
ए) उधार: पूंजी लिखत		
i. शाश्वत बॉन्ड	7,10,50,000	4,00,00,000
ii. अपर टियर II बॉन्ड	-	50,00,000
iii. टियर II बॉन्ड	10,05,00,000	5,55,00,000
iv. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्ड्स	50,01,000	-
<b>बी. भारत में उधार</b>		
i. भारतीय रिजर्व बैंक	14,20,90,000	-
ii. अन्य बैंक	1,40,33,310	2,01,26,890
iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	2,78,19,964	20,25,29,807
<b>सी. भारत से बाहर उधार</b>	15,87,28,038	20,39,83,884
<b>कुल</b>	51,92,22,312	52,71,40,581
<b>उपर्युक्त बी (i) में सम्मिलित प्रतिभूति उधार</b>	14,20,90,000	16,98,30,000

31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु.000' में)

	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :</b>		
I. देय बिल	2,30,30,334	90,91,800
II. उपचित ब्याज	3,18,07,505	1,87,68,476
III. अन्य (प्रावधान सहित)	34,57,96,756	13,58,34,180
<b>कुल</b>	<b>40,06,34,595</b>	<b>16,36,94,456</b>
<b>अनुसूची 6 – नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:</b>		
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	3,78,64,974	2,00,49,833
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में	34,09,87,188	18,11,39,405
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष अन्य खाते में	4,973	0
<b>कुल</b>	<b>37,88,57,135</b>	<b>20,11,89,238</b>
<b>अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :</b>		
I. भारत में		
i) बैंकों में जमा शेष		
ए) चालू खातों में	58,71,512	18,05,138
बी) अन्य जमा खातों में	7,11,41,687	8,18,56,025
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
ए) बैंकों से	-	30,00,000
बी) अन्य संस्थाओं से	29,55,40,000	20,00,00,000
	<b>37,25,53,199</b>	<b>28,66,61,163</b>
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	27,17,626	32,71,268
ii) अन्य जमा खातों में	9,20,46,674	6,13,66,312
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	14,58,740	-
	<b>9,62,23,040</b>	<b>6,46,37,580</b>
<b>कुल</b>	<b>46,87,76,239</b>	<b>35,12,98,743</b>
<b>अनुसूची 8 – निवेश:</b>		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	2,42,56,14,461	1,06,39,73,894
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,60,14,875	33,24,311
iii) शेयरों में	3,27,94,407	1,50,40,400
iv) डिबेंचर एवं बॉन्डों में	75,85,84,336	34,96,85,608
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों/एसोसिएट में	21,20,760	13,33,044
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)	13,41,76,368	8,66,98,812
<b>कुल</b>	<b>3,36,93,05,207</b>	<b>1,52,00,56,069</b>

## 31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु.000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

<b>II. भारत से बाहर निवेश</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	1,87,83,099	1,97,96,374
ii) शेयरों में	9,450	4,032
iii) अन्य निवेश (बांडों में)	24,87,303	26,58,385
iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	-	-
<b>कुल</b>	<b>2,12,79,852</b>	<b>2,24,58,791</b>
<b>कुल</b>	<b>3,39,05,85,059</b>	<b>1,54,25,14,860</b>
<b>III. भारत में निवेश</b>		
सकल मूल्य	3,43,15,59,994	1,54,45,60,320
घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	6,22,54,788	2,45,04,251
भारत में निवेश का निवल मूल्य	3,36,93,05,206	1,52,00,56,069
<b>IV) भारत से बाहर निवेश</b>		
सकल मूल्य	2,12,99,300	2,24,72,971
घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	19,447	14,180
भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य	2,12,79,853	2,24,58,791
<b>कुल</b>	<b>3,39,05,85,059</b>	<b>1,54,25,14,860</b>
<b>अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)</b>		
<b>I</b>		
i) खरीदे और भुनाए गए बिल	4,11,53,857	2,77,71,181
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	2,66,27,05,495	1,43,15,38,030
iii) मीयादी ऋण	3,22,93,41,475	1,71,74,65,091
<b>कुल</b>	<b>5,93,32,00,827</b>	<b>3,17,67,74,302</b>
<b>II</b>		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	5,09,22,54,335	2,66,12,07,087
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	16,55,89,292	10,79,52,661
iii) अप्रतिभूत	67,53,57,201	40,76,14,554
<b>कुल</b>	<b>5,93,32,00,828</b>	<b>3,17,67,74,302</b>
<b>ए. भारत में अग्रिम:</b>		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,52,92,91,622	1,14,41,37,430
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	61,06,29,459	46,20,71,183
iii) बैंक	3,07,310	36,40,361
iv) अन्य	2,62,94,41,664	1,34,72,57,818
<b>कुल</b>	<b>5,76,96,70,055</b>	<b>2,95,71,06,792</b>
<b>बी. भारत के बाहर अग्रिम:</b>		
i) बैंकों से प्राप्य	3,47,68,977	5,02,64,366
ii) अन्य से प्राप्य		
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	36,979	30,46,970
बी) सिंडीकेटेड ऋण	11,83,093	1,78,35,410
सी) अन्य	12,75,41,723	14,85,20,764
<b>कुल</b>	<b>16,35,30,772</b>	<b>21,96,67,510</b>
<b>कुल</b>	<b>5,93,32,00,827</b>	<b>3,17,67,74,302</b>

31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु.000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां					
ए. मूर्त आस्तियां					
<b>I. परिसर</b>					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	8,09,95,477		3,87,33,046		
वर्ष के दौरान वृद्धि	7,17,393		1,05,09,663		
वर्ष के दौरान कमी	4,738		54,782		
	8,17,08,132		4,91,87,927		
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,49,42,252	5,67,65,880	1,25,38,799	3,66,49,128	
<b>II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य</b>					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	5,96,816		4,41,727		
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,18,977		1,73,445		
वर्ष के दौरान कमी	1,82,517	6,33,276	72,057	5,43,115	
<b>III. भूमि</b>					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	12,45,683		6,95,419		
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		72,931		
वर्ष के दौरान कमी	-		26,092		
	12,45,683		7,42,258		
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	78,385	11,67,298	69,969	6,72,289	
<b>IV. अन्य अचल आस्तियां</b>					
(फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)					
<b>ए) पट्टे पर दी गयीं आस्तियां</b>					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,68,478		2,65,352		
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-		
वर्ष के दौरान कमी	-		-		
	2,68,478		2,65,352		
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,68,478	-	2,65,352	-	
<b>बी) अन्य</b>					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	6,25,93,795		2,81,49,974		
वर्ष के दौरान वृद्धि	35,32,456		28,94,675		
वर्ष के दौरान कमी	9,93,375		4,12,490		
	6,51,32,876		3,06,32,159		
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	5,30,38,569	1,20,94,307	2,14,26,833	92,05,326	
<b>बी. अमूर्त आस्तियां</b>					
<b>i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर</b>					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	89,51,793		27,87,339		
वर्ष के दौरान वृद्धि	27,20,989		8,07,761		
वर्ष के दौरान कमी	9,256		5,312		
	1,16,63,526		35,89,789		
आज की तारीख तक परिशोधित	86,60,085	30,03,441	29,04,654	6,85,135	
<b>कुल</b>		<b>7,36,64,201</b>		<b>4,77,54,993</b>	



31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु.000' में)

यथा 31 मार्च, 2021

यथा 31 मार्च, 2020

**अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :**

I.	अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	7,34,01,772	1,51,98,653
II.	उपचित ब्याज	6,16,79,664	2,60,94,473
III.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	15,67,50,030	7,35,68,800
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टॉप	68,176	37,137
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	1,238	390
VI.	अन्य	20,84,20,372	10,54,20,089
VII.	स्रोत पर प्रदत्त कर/ कर की कटौती(निवल प्रावधान)	6,63,96,665	1,51,13,899
VIII.	समेकन के कारण गुड विल	-	1,24,942
IX.	एमएटी क्रेडिट	1,19,72,569	-
	<b>कुल</b>	<b>57,86,90,486</b>	<b>23,55,58,383</b>

**अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :**

I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,73,28,046	3,27,51,216
II.	अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	41,578	5,920
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	2,30,09,22,075	1,07,31,67,076
IV.	संघटकों की ओर दी गयी गारंटी		
	i.) भारत में	66,32,75,681	40,28,26,884
	ii.) भारत से बाहर	1,35,04,434	85,05,897
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	52,14,77,693	32,11,51,391
VI.	संभाव्य देयताओं की अन्य मदें	3,95,261	20,550
VII.	अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	15,71,17,481	3,93,03,240
VIII.	डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	2,37,52,409	1,33,97,200
	<b>कुल</b>	<b>3,71,78,14,658</b>	<b>1,89,11,29,374</b>

समेकित लाभ एवं हानि खातों के भाग के रूप में अनुसूचियां समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021

(रु.000' में)

	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
<b>अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :</b>		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	45,83,44,668	25,15,29,336
II. निवेशों से आय	21,03,54,155	10,73,57,712
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,11,89,777	1,20,56,370
IV. अन्य	32,25,962	38,48,770
<b>कुल</b>	<b>69,31,14,562</b>	<b>37,47,92,188</b>

**अनुसूची 14 - अन्य आय :**

I. कमीशन, विनिमय और दलाली	71,37,775	54,57,357
II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	4,32,96,427	1,42,00,368
III. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल)	2,05,851	(39,448)
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल)	65,86,479	55,70,186
V. विविध आय	8,17,64,294	3,27,04,262
<b>कुल</b>	<b>13,89,90,826</b>	<b>5,78,92,725</b>

**अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :**

I. जमाराशियों पर ब्याज	40,83,59,049	24,04,91,500
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	1,49,23,543	84,40,287
III. अन्य	1,78,41,396	94,36,325
<b>कुल</b>	<b>44,11,23,988</b>	<b>25,83,68,112</b>

**अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :**

I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	9,23,07,898	3,46,38,509
II. किराया, कर और बिजली	1,37,79,004	62,89,256
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	9,30,033	5,11,944
IV. विज्ञापन और प्रचार	7,18,677	6,68,012
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	90,81,502	41,71,977
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	59,706	46,646
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक	29,664	11,410
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	10,94,891	4,11,311
IX. विधि प्रभार	13,66,141	6,90,230
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	23,36,294	15,76,962
XI. मरम्मत एवं रखरखाव	36,62,617	12,68,087
XII. बीमा	1,20,98,687	56,09,563
XIII. अन्य व्यय	6,00,50,099	2,59,84,846
<b>कुल</b>	<b>19,75,15,213</b>	<b>8,18,78,753</b>

## वर्ष 2020-21 के लेखों की अनुसूचियां (समेकित)

### अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

#### 1 प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन एएस तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है। विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है।

#### 2 अनुमानों का उपयोग

जीएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से पहचाना जाता है।

### महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 4 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है। इसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
1	सहायक कंपनी	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
2	सहायक कंपनी	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
3	सहायक कंपनी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	100%
4	सहायक कंपनी	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	100%
5	सहायक कंपनी	यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	100%
6	संयुक्त उद्यम	स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25.10%
7	संयुक्त उद्यम	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	26.02%
8	संयुक्त उद्यम	इंडियाफ्रस्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30.00%
9	संयुक्त उद्यम	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद	25.00%
10	सहयोगी इकाई	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	35%

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

- 1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

- 2) सहायक कंपनियों का समेकन : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयताओं के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे।

- 3) एसोसिएट्स का समेकन: एसोसिएट में निवेश भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन के आधार पर लेखांकित किया गया है।

- 4) संयुक्त उपक्रम का समेकन: भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन-27" के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन किया गया है।

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुईं।

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो के रूप में पहचाना गया है।

डी) समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:

- i) सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि
- ii) मूल सहायक कंपनी का संबंध अस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी।
- iii) अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुकसानों की भरपाई सकता है।

#### 4 राजस्व निर्धारण

##### ए) बैंकिंग निकाय

- i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।

- ii) गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है।



लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।

- बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी हास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है।
- ई) “एफएस” व “एचएफटी” श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध हास, यदि हो तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है।

एफ) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्ति के आधार पर।
सी	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो, तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर रु. 1/- प्रति कंपनी के अनुसार।
डी	अधिमानी शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं।
ई	ऋण पत्र/बॉन्ड्स	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर।
एफ	म्युचुअल फंड (एम एफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों। अनकोटेड इकाइयों की दशा में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार। यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार।

जी	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

- iii.) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है।
- iv.) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :
- ए) विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, हास है, तो लगाया गया है।
- बी) परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में
- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर।
  - यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर।
- सी) विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर।
- डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया।
- v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास/प्रावधान किया गया है।
- vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है।
- vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है।
- viii) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा “निपटान तारीख” का पालन किया जाता है।

## 6 डेरीवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वेप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है स्वेप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वेप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है।

- ट्रेडिंग स्वेप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं।
- विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

## 7 अग्रिम

- भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे।
- अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है।
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को “अन्य देयताओं और प्रावधानों” में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है।

## 8. स्थायी आस्तियां एवं मूल्यहास एवं परिशोधन

- स्थायी आस्तियों को, मूल्यहास और क्षतियों की राशि यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है। खर्च में खरीदी की लागत और सभी व्यय जैसे साइट तैयारी करने तथा इन्स्टॉलेशन लागत और आस्ति के लिए तैयार होने से पूर्व व्यय किए गए पेशेवर शुल्क को शामिल किया गया है। इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है। पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है।

01.04.2017 से प्रभावी संशोधित लेखांकन मानक 10- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया गया है एवं लाभ व हानि खाते के माध्यम से नहीं।

- बैंक की व्यय नीति में समय - समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टबल)	10	10.00
6	स्प्लिट एवं विंडो वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईंधन सेल संचालित वाहन	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध आइटम	3	33.33
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	कम्प्यूटर के अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, प्रिंटर एवं स्कैनर आदि	3	33.33



- iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास सम्मिश्र लागत पर लगाया गया है।
- iv) पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है।
- v) देश के बाहर स्थित स्थायी आस्तियों एवं सहायक कंपनी/एसोसियेट्स की स्थायी सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यहास लगाया गया है।

#### 9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत की वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है। क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बड़ा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती।

#### 10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइक्लिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

#### 11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है। जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- ए) एकीकृत परिचालन एवं
- बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के

परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है।

#### ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

- i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।
- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।
- iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी जाती हैं।
- iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है।
- v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

#### बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

- i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।
- ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है।
- iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है।
- iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है।

#### 12. कर्मचारी लाभ

(ए). अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(बी). दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन



स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (डीसीपीएस) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

ii. निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

13. खंड-वार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- 13.1 ट्रेजरी परिचालन,
- 13.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
- 13.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और
- 13.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है। बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है।

15. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है।

16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी “आय पर करों के लिए लेखांकन” पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक ‘उचित निश्चितता’ न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थगित कर का निर्धारण होगा। गैर-मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल “आभासी निश्चितता” होने पर मान्यता दी जाती है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों। ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं।

## वर्ष 2020-21 के लिए लेखों की अनुसूचियां (समेकित)

### अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स

- 1 बैंक (पैरेंट) के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के विवरण वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2021 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%
आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.	भारत	100%
यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	भारत	100%

- 2 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

संयुक्त उपक्रम के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गेर-बैंकिंग)	भारत	25.10%
एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
इंडिया फ्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30.00%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद	भारत	25.00%

- 3 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

एसोसिएट का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%

31 मार्च, 2021 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹1684.96 करोड़ रहा, जिसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में माना गया है।

- 4 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका समेकन के लिये उपयोग किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात् 31 मार्च 2021, तक के हैं।

- 5 स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, इंडिया फ्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड और एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

- 6 निरंतर आधार पर उच्चतम खातों, विविध जमाराशि, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा / कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है।

उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है।

- 7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

#### 7.1 ए. पूंजी

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है। 31 मार्च, 2020 तक बासल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I से बनी है।

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2021 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 10.875% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 7.375% (1.875% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है।

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीओआर.बीपी.बीसी.संख्या 15/21.06.201/2020-21 दिनांक 29 सितंबर, 2020 के माध्यम से पूंजी संरक्षण बफर के अंतिम अंश के आस्थगन को बढ़ा दिया है, अर्थात् पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625% के अंतिम अंश के आस्थगन के कार्यान्वयन को 30 सितंबर, 2020 से 01 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीओआर.सीएपी.बीसी संख्या 34/21.06.201/2020-21 दिनांक 05 फरवरी, 2021 के माध्यम से उपरोक्त वर्णित अनुपातों की उपलब्धि के लिए 01 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने गजट अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 दिनांक 4 मार्च, 2020 के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक (समामेलित बैंक) के समामेलन योजना को अनुमोदित किया है।

ए) दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के कार्य परिणामों में पूर्ववर्ती-आंध्रा बैंक और पूर्ववर्ती-कॉर्पोरेशन बैंक के परिचालन शामिल हैं. अतः चालू वर्ष के परिणाम पिछले वर्ष के इसी अवधि के साथ तुलनीय नहीं हैं

बी) बैंक ने इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी "सामेलन हेतु लेखांकन" पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड-14 के तहत निर्धारित "पूजिंग ऑफ इंटररेस्ट" पद्धति को अपनाया है, ताकि 1 अप्रैल, 2020 से बैंक में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक (सामामेलित बैंक) के सामामेलन को रिकॉर्ड किया जा सके

तदनुसार, सामामेलित बैंकों की निवल आस्तियों और सामामेलित बैंकों के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की राशि के बीच ₹ 1309.60 करोड़ के अंतर को यथास्थिति 1 अप्रैल, 2020 को प्रारम्भिक तुलन पत्र में सामामेलन रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है. बैंक ने सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से सीईटी I के तहत इस राशि पर विचार किया है.

संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) (%) बासल III	9.04	9.33
ii)	टीयर I पूंजी अनुपात (%) बासल III	10.32	10.67
iii)	टीयर II पूंजी अनुपात (%) बासल III	2.20	2.04
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III	12.52	12.71
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	89.07	86.75
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी : (रु. करोड़ में)	शून्य	11767.99
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टीयर-I पूंजी की राशि : (रु. करोड़ में)	1705.00	शून्य
viii)	उगाही गई टीयर-II पूंजी की राशि : (रु. करोड़ में)	2000.00	शून्य
	इसमें से डेब्ट केपिटल इस्टीमेट : (रु. करोड़ में)	2000.00	शून्य

बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 1705 करोड़ एवं ₹ 2000 के क्रमशः बासल III के अनुपालन में एटी-1 और टियर-2 बांड जुटाए हैं। साथ ही, बैंक ने कॉल विकल्प दिया है और ₹ 800 करोड़ एवं ₹ 3050 करोड़ (जिनमें से ₹ 1050 बासेल II अनुपालन है) के एटी - 1 और टियर - 2 बांडों को भुनाया है.

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 दिनांक 23 मार्च, 2020 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में, दिनांक 04 अगस्त, 2020 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, आरबीआई के अनुमोदन के पश्चात, बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल, 2020 की प्रतिभूति प्रीमियम खाते के सापेक्ष ₹ 32,758.49 करोड़ की संचित हानि को समंजित (सेट ऑफ) किया है.

## 7.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप:	31.03.2021	31.03.2020
निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	432.09	372.37
एनपीए के लिए प्रावधान	13733.74	9462.39
सामंजस्य के लिए प्रावधान (नीचे नोट का संदर्भ लें)	323.86	2509.98
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	1246.34	508.09
आयकर - आस्थगित कर के लिये प्रावधान	(500.84)	(1110.39)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:	1283.40	542.19
<b>योग</b>	<b>16518.60</b>	<b>12284.63</b>

नोट : भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जी.एस.आर.154 (ई) दिनांक 4 मार्च, 2020 के अनुरूप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का सामामेलन 1 अप्रैल, 2020 से लागू हुआ था. तदनुसार, बैंक ने विवेकपूर्ण उपाय के रूप में मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक के बीच आस्ति वर्गीकरण में विचलन के प्रभाव के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक के लिए अपनी खाता बही को अनुरूप बनाने के लिए प्रावधानीकरण किया है. बैंक ने एक अतिरिक्त ₹ 2509.98 करोड़ की राशि का अनुकूलीकरण प्रावधान किया है तथा इसे कुल एनपीए प्रावधान में शामिल किया है.

## 7.3 काउंटर साइक्लिकल प्रावधान बफर / फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	प्रारंभिक शेष	306.20	293.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	शून्य	शून्य
iv)	<b>लेखाबंदी शेष</b>	<b>306.20</b>	<b>293.20</b>

## 8. कर्मचारी लाभ (एएस 15 – संशोधित) (मूल बैंक)

### (ए) अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी।

### (बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

#### i) निश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित कर रहा है, जो एक निश्चित अंशदान योजना है, उन नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए है जो मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करते हैं तथा बैंक भी अंशदान को इस योजना में शामिल करते हैं। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रियाओं के पूरी न होने तक समान रूप से अंशदान करता है। बैंक उस वर्ष में किए गए ऐसे वार्षिक अंशदान को मान्यता प्रदान करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) प्राप्त होने पर, समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बैंक में परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास के द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में 297.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 120.24 करोड़) का योगदान दिया है।

#### ii) निश्चित लाभ योजना:

उपादान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण निश्चित लाभ योजनाएं हैं। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक - 15 “कर्मचारी लाभ” के अनुसार एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर बनाए जाते हैं। बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुरूप कर्मचारी लाभ के लिए बैंक जिम्मेदार है।

	विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
i)	<b>परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाती तालिका:</b>				
	वर्ष के आरंभ में देयता	2,738.03	24,553.31	1,222.64	12,158.43
	ब्याज लागत	187.28	1,667.17	95.24	945.93
	चालू सेवा लागत	137.71	265.17	59.54	90.78
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि	(26.36)	(247.67)	86.88	(578.22)
	वित्तीय धारणा में यथोचित परिवर्तन				
बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि	752.31	1,456.27	25.87	938.90	
<b>वर्ष के अंत में देयताएं</b>	<b>3,355.82</b>	<b>26,011.41</b>	<b>1,291.94</b>	<b>12,746.69</b>	
ii)	<b>योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:</b>				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,671.12	23,145.31	1,202.14	12,308.84
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	182.70*	1,571.57*	93.65*	957.63*
	अंशदान	291.35	3,605.19	114.25	74.59
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,746.43*	26,720.88*	1,219.01*	12,607.16*
	अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	725.95	1,208.60	112.75	360.68
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
<b>अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/(हानि)</b>	<b>691.54</b>	<b>1,126.95</b>	<b>105.55</b>	<b>285.45</b>	
iii)	<b>संक्रमणकालीन देयता की पहचान:</b>				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>अंत में संक्रमणकालीन देयता</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	
iv)	<b>योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :</b>				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	182.70	1,571.57	93.65	957.63
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	34.41	81.65	7.20	75.23
	<b>योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ</b>	<b>217.11</b>	<b>1,653.22</b>	<b>100.85</b>	<b>1,032.86</b>

	विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
v)	<b>आय विवरण में चिन्हित व्यय :</b>				
	वर्तमान सेवा लागत	137.71	265.17	59.54	90.78
	ब्याज लागत	4.58	95.60	1.59	(11.70)
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (अर्जन) या हानि	691.54	1,126.95	105.55	285.45
	<b>लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय</b>	<b>833.83</b>	<b>1,487.72</b>	<b>166.68</b>	<b>364.53</b>
vi)	<b>तुलन पत्र समाधान:</b>				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	66.91	1,408.00	20.50	(150.41)
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	833.83	1,487.72	166.68	364.53
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(291.35)	(3,605.19)	(114.25)	(74.59)
	<b>तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिन्हित राशि</b>	<b>609.39</b>	<b>(709.47)</b>	<b>72.93</b>	<b>139.53</b>
vii)	<b>अन्य विवरण :</b>				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अधधीन है.				
	उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है. वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	78,203	28,235	37,323	13,839
वेतन प्रति माह	354.09	210.64	193.54	89.29	
	<b>आगामी वर्ष के लिये अंशदान</b>	<b>354.09</b>	<b>-</b>	<b>144.39</b>	<b>213.65</b>

	विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
viii)	<b>आस्तियों का संवर्ग:</b>				
	भारत सरकार की आस्तियां	64.56	601.59	64.14	198.34
	कॉर्पोरेट बांड/एफडीआर	96.29	1029.07	88.78	1,004.11
	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
	राज्य सरकार	125.89	1150.74	161.47	995.87
	सम्पत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	185.67	1,426.35	35.33	322.26
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2,252.98	22,235.49	869.29	10,086.58
	म्यूचुअल फंड	21.04	277.64	-	-
<b>योग</b>	<b>2,746.43</b>	<b>26,720.88</b>	<b>1,219.01</b>	<b>12,607.16</b>	

\* नोट : एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर रिटर्न को 7.00% माना जाएगा तथापि कोविड - 19 महामारी के कारण योजना आस्तियों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए, इसे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बीमा कंपनियों द्वारा घोषित किया जाएगा.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	उपदान योजना				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
वर्ष के अंत में देयता	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03
अंतर	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपदान योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	752.31	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	34.41	7.20	(13.03)	10.64	42.42

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन योजना				
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
वर्ष के अंत में देयताएं	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89
अंतर	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)
पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)



तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन योजना				
	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
अनुभव समायोजन					
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)	793.17
योजनागत आस्तियों (हानि) / लाभ	81.65	75.23	7.18	(21.39)	526.25

मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2020-21		2019-2020	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
पिछली छूट दर	6.84	6.79	7.79	7.78
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.84	6.79	7.79	7.78
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
वर्तमान छूट दर	6.93	6.91	6.84	6.79
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	6.93	6.91	6.84	6.79
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

(सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	31.03.2021	31.03.2020
1	पेंशन	1,487.72	364.53
2	अवकाश नकदीकरण	27.45	(3.44)
3	अवकाश किराया रियायत	102.29	116.76
4	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

9. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

कारोबार क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित) 31.03.2021	(लेखापरीक्षित) 31.03.2020
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेजरी परिचालन	27,382.29	14,211.07
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	24,817.48	11,272.88
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	26,541.51	16,629.02
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,371.54	688.87
5	गैर आबंटित	3,240.26	794.73
	<b>कुल क्षेत्रवार राजस्व</b>	<b>83,353.08</b>	<b>43,596.57</b>
	घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व परिचालन से आय	(142.54)	(328.08)
		<b>83,210.54</b>	<b>43,268.49</b>
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम (अर्थात कर पूर्व लाभ/(हानि))		
1	ट्रेजरी परिचालन	6,157.83	2,583.12
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,197.57	2,207.06
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग (विशिष्ट मद के पूर्व)	(8,823.12)	(6,704.72)
	जोड़ा: विशिष्ट मद	-	(2,509.98)
	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग (विशिष्ट मद के बाद)	(8,823.12)	(9,214.70)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	733.23	378.74

5	गैर आबंटित	61.67	(105.44)
	<b>कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)</b>	<b>2,327.18</b>	<b>(4,151.22)</b>
(सी)	कर हेतु प्रावधान	(500.84)	(1,110.39)
(डी)	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	<b>2,828.02</b>	<b>(3,040.83)</b>
	जोड़ा: एसोसिएट में लाभ का शेयर	35.38	(80.06)
	<b>समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)</b>	<b>2,863.40</b>	<b>(3,120.89)</b>
(ई)	<b>क्षेत्रवार आस्तियां</b>		
1	ट्रेजरी परिचालन	427,941.43	1,94,271.84
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	277,171.79	1,30,909.73
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	341,941.30	2,18,860.11
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित आस्तियां	35,322.87	11,467.37
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>1,082,377.39</b>	<b>5,55,509.05</b>
(एफ)	<b>क्षेत्रवार देयताएं</b>		
1	ट्रेजरी परिचालन	419,807.14	1,89,114.93
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	253,344.66	1,20,337.54
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	310,531.92	2,01,355.86
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित देयताएं	33,955.90	10,711.31
	<b>कुल देयताएं</b>	<b>1,017,639.62</b>	<b>5,21,519.64</b>
(जी)	<b>नियोजित पूंजी (क्षेत्रवार आस्तियां-क्षेत्रवार देयताएं)</b>		
1	ट्रेजरी परिचालन	8,134.29	5,156.91
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	23,827.13	10,572.19
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	31,409.38	17,504.25
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित देयताएं	1,366.97	756.06
	<b>कुल नियोजित पूंजी</b>	<b>64,737.77</b>	<b>33,989.41</b>

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है। उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस - 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है। बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है। इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं। अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है।
2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं।
3. रिपोर्ट करने योग्य खंडों के विभिन्न मदों में आबंटन की कार्यप्रणाली में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहित / पुनः दर्शाया गया है।

## 10. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18)

### 10.1 संबंधित पार्टियों की सूची

#### 11. सहायक कंपनियां

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.

- यूबीआई सर्विसेस लि

#### बी. संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दाई-इची इश्योरेंस कं. लि.
- एसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद
- इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इश्योरेंस कं. लि

#### सी. एसोसिएट

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

#### डी. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यग्रहण/सेवानिवृत्त
श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	लागू नहीं
श्री गोपाल सिंह गुसाई	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 01.04.2020 को कार्यग्रहण (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के पश्चात), दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत्त
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 10.03.2021 को कार्यग्रहण

#### पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो “राज्य नियंत्रित उद्यम” के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है।

#### 10.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - प्रदत्त पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.34	0.33
कार्यपालक निदेशक	1.11	0.81
योग	1.45	1.14

#### 11. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है।

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	640,68,44,355	1,76,30,16,314
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य	1,65,98,02,538
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	640,68,44,355	3,42,28,18,852
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	640,68,44,355	2,32,08,18,806

विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या	640,68,44,355	2,32,08,18,806
निवल लाभ/(हानि) रुपए करोड़ में	2863.40	(3120.88)
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	4.47	(13.45)
विघटित अर्जन प्रति शेयर (₹)	4.47	(13.45)
मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (₹)	10.00	10.00

## 12. करों के लिये प्रावधान:

### आस्थगित कर (एस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
	<b>आस्थगित कर आस्तियां</b>		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	457.76	294.57
2	स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	298.39	112.05
3	अन्य प्रावधानों के कारण	18,193.01	9,239.00
4	असमायोजित हानि एवं कर क्रेडिट के कारण	0.00	0.00
	<b>योग</b>	<b>1,8949.17</b>	<b>9,645.63</b>
	<b>आस्थगित कर देयताएं</b>		
1	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	1,104.51	806.32
2	36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां	1,924.67	1,004.64
3	निवेश पर मूल्यहास	237.86	477.79
	<b>योग</b>	<b>3,267.04</b>	<b>2,288.75</b>
	<b>शुद्ध आस्थगित कर आस्ति</b>	<b>15,682.13</b>	<b>7,356.88</b>
	<b>शुद्ध आस्थगित कर देयता</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

## 13. आस्तियों की हानि (एस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

14. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।
15. कोविड - 19 महामारी के प्रकोप ने भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विश्व भर की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। महामारी से निपटने के लिए, भारत सरकार ने मार्च 2020 से लॉकडाउन एवं बाद में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन समाप्ति की भी घोषणा की है। तथापि मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर से पूरे देश में पुनः लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि स्थिति अनिश्चित बनी हुई है एवं बैंक निरंतर स्थिति की निगरानी कर रहा है और पूर्ण बैंकिंग परिचालन जारी रखने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। प्रबंधन का विश्वास है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और संबंधित अनुमानों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. 31 मार्च, 2020 को समाप्त विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों/ अनुमानों (दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी) में परिवर्तन हुआ है।

ए) 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी पूर्ववर्ती अवधियों में प्राप्ति के सापेक्ष उपचय के आधार पर एलसी/ बीजी कमीशन की आय को राजस्व माना गया। लेखांकन में परिवर्तन के कारण अन्य आय और शुद्ध लाभ (कर पूर्व) में वर्ष में ₹ 441.06 करोड़ की कमी हुई है।

बी) यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के सामेलन के परिणामस्वरूप, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की विधि में मूल्यहासित पद्धति से सीधी रेखा विधि में परिवर्तन हुआ है एवं आस्तियों की कुछ श्रेणियों के संबंध में अनुमानित उपयोगी जीवन में परिवर्तन हुआ है। उक्त परिवर्तनों के प्रभाव के परिणामस्वरूप मूल्यहास में वृद्धि हुई है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ (कर पूर्व) में ₹ 3.24 करोड़ की कमी आई है। तथापि, सामंजस्य के कारण, वर्ष के दौरान ₹ 180.16 करोड़ मूल्यहास पर एकबारगी प्रभाव पड़ा।

17. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(धीरेन्द्र जैन)  
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(नितेश रंजन)  
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)  
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)  
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाई)  
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रे जी.)  
प्रबंध निदेशक & सीईओ

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)  
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)  
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)  
निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)  
निदेशक

कृते मेसर्स बी एम चतुर्थ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए अरिधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAABR5499

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAARJ1873

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं.102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAR7423

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W  
सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAADM7127

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C  
सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAABQ1754

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C  
सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAF5420

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07 जून, 2021

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
<b>ए</b>	<b>परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:</b>		
	कर से पहले निवल लाभ	2,32,676.72	(4,23,128)
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	90,815	41,720
	निवेशों के लिए प्रावधान	55,624	37,653
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	14,05,760	11,97,237
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,37,588	48,735
	स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	86,605	90,261
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	16,367	8,379
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	(2,059)	394
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	1,59,660	58,220
	एसोसिएट में लाभ का शेयर	3,538	8,006
	<b>उप योग</b>	<b>21,86,576</b>	<b>10,67,475</b>
	<b>निम्न के लिए समायोजन:</b>		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	55,20,773	34,93,134
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	6,26,592	97,640
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(53,44,849)	(26,23,681)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(4,89,586)	(30,69,474)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(5,84,957)	1,34,887
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(22,864)	1,31,890
	आरक्षित से/में अंतरण	1,61,050	0
	<b>परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)</b>	<b>20,52,734</b>	<b>(7,68,129)</b>
<b>बी</b>	<b>निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :</b>		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(71,898)	(39,384)
	अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन के आगम	11,789	1,663
	<b>निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)</b>	<b>(60,109)</b>	<b>(37,721)</b>
<b>सी</b>	<b>वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:</b>		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमानित शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	0	0
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम		11,75,601
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	3,70,500	0
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(3,85,000)	(1,19,962)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(17,11,906)	10,63,809
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,59,660)	(1,05,025)
	<b>वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)</b>	<b>(18,86,066)</b>	<b>20,14,423</b>

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	1,06,559	12,08,572
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	55,57,753	43,16,308
	समामेलन पर प्राप्त नकदी एवं नकदी समकक्ष	28,12,022	0
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	<u>84,76,334</u>	<u>55,24,880</u>
<b>डी</b>	नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक		
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	01.04.2020	01.04.2019
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	20,11,892	20,80,040
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	35,12,987	22,36,268
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	<u>55,24,880</u>	<u>43,16,308</u>
<b>ई</b>	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	31.03.2021	31.03.2020
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	37,88,571	20,11,892
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	46,87,762	35,12,987
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	<u>84,76,334</u>	<u>55,24,880</u>

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(धीरेन्द्र जैन)  
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(नितेश रंजन)  
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)  
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)  
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)  
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रे जी.)  
प्रबंध निदेशक & सीईओ

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)  
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)  
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)  
निदेशक

(डॉ. जयदेव एम.)  
निदेशक

### लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एस-3 "नकदी प्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 07 जून 2021 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के समेकित लाभ हानि खाते तथा समेकित तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं।

कृते मेसर्स बी एम चतुरथ एंड कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 301011E/E300025

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 109262W/W100673

सीए अरिधम राय  
भागीदार  
सदस्य सं.058713  
यूडीआईएन: 21058713AAAABR5499

सीए पी एम वीरामनी  
भागीदार  
सदस्य सं.023933  
यूडीआईएन: 21023933AAAAJR1873

सीए निरंजन जोशी  
भागीदार  
सदस्य सं.102789  
यूडीआईएन: 21102789AAAAAR7423

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 108959W

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन 002803C

सीए सचिन वी लूथरा  
भागीदार  
सदस्य सं. 109127  
यूडीआईएन: 21109127AAAADM7127

सीए प्रदीप कुमार गुप्ता  
भागीदार  
सदस्य सं.072933  
यूडीआईएन: 21072933AAAABQ1754

सीए विजय गर्ग  
भागीदार  
सदस्य सं.076387  
यूडीआईएन: 21076387AAAAAF5420

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07 जून, 2021

**यूनिजन बैंक** **Union Bank**  
of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021



## पूँजी नियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III, पूँजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बासल III, पूँजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है.

<https://www.unionbankofindia.co.in/Hindi/basel-disclosures-iiiHindi.aspx>

## कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

# NOTICE OF 19<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **19<sup>th</sup> (Nineteenth) Annual General Meeting (“AGM”)** of the Shareholders of Union Bank of India (“Bank”) will be held on **Tuesday, 10<sup>th</sup> August, 2021 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) **through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)** facility to transact the following business:

## **Ordinary Business:**

### **Item No. 1**

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at **31<sup>st</sup> March 2021**, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts.

## **Special Business:**

### **Item No. 2**

#### **Raising of Capital**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a Special Resolution:

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“Act”), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“Scheme”), the Union Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (“Regulations”) and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [the SEBI (ICDR) Regulations], The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [the SEBI (LODR) Regulations] as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India), Regulations, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI,

notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s)/ prospectus or such other document(s), in India or abroad such number of equity shares and / or Preference Shares (whether Cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms and conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) for an aggregate amount not exceeding ₹3,500 crore (Rupees Three Thousand Five Hundred crore only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹6834.74 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred Thirty Four Crore and Seventy Four lakhs only) will be within the total authorized capital of ₹10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore Only) of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Limited Liability Partnerships (LLPs), Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Alternate Investment Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations,

Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, as may be deemed appropriate by the Bank".

**"RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment of equity/preference shares/securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Follow on Public Issue, Rights Issue to public shareholders with our without Promoter/ Promoter group shareholders forgoing their entitlement to equity shares, Depository Receipts/ADR/GDR/Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures, Employees Stock Option Scheme or Employee Stock Purchase Scheme of the Bank or such other mode of issue or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment of equity/preference shares/securities be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

**"RESOLVED FURTHER THAT** in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

**"RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department for Promotion of Industry and Internal Trade-Ministry of Commerce and Industry (DPIIT),

Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Government of India at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be made to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution."
- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the ICDR Regulations.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange

Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/

securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/ conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

### Item No. 3:

**To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank**, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as **“the Act”**) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as **“B R Act”**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as **“the Scheme”**) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as **“the Regulations”**) and RBI Master Directions on ‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on



the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR. Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 (hereinafter referred to as “RBI Master Directions” and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 8th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors in Public Sector Banks (hereinafter referred to as “GOI Guidelines” and further amendments thereto, if any) and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT One Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from the date following that on which he/she is elected / deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.”

By order of the Board of Directors  
For UNION BANK OF INDIA

*Mangesh Mandrekar*

Place : Mumbai  
Date: 05.07.2021

(MANGESH MANDREKAR)  
COMPANY SECRETARY

## NOTES

### 1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

### 2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

a. In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020, 28th September 2020, 31st December 2020 and 13th January 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/

CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI Circular”) and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10th July 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the business Item Nos. 2 & 3 being unavoidable, be transacted at the 19<sup>th</sup> AGM of the Bank through VC/OAVM.

- b. The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. KFin Technologies Private Limited (KFinTech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.
- d. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in), on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com>.
- e. As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- f. Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/ OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join

the VC/OAVM please visit <https://emeetings.kfintech.com> with the credentials as mentioned in the notice para no. 14 (vii). The helpline toll free no. 1800 309 4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.

- g. Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, scrutinizer etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come-first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the 19<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM Facility.
- h. Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- i. Since the AGM is being held through VC/OAVM the physical attendance of members is dispensed with and no proxies would be accepted by the Bank pursuant to MCA Circulars.
- j. Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by **5 PM on Sunday, 8<sup>th</sup> August, 2021**. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com> by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 12 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) . Such questions by the

Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.

- k. The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink:<https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>
- l. Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s Datamatics Business Solutions Limited before the cut-off date i.e. **Wednesday, 4<sup>th</sup> August, 2021**, in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding shares shall update their records at the earliest to enable us to send the Notice of AGM to their registered email id.

### 3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

### 4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com), not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Thursday, 5<sup>th</sup> August, 2021**.



## 5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, 4<sup>th</sup> August, 2021 to Tuesday, 10<sup>th</sup> August, 2021** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

## 6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/ unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2013-14(Interim) to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2013-14(Final), the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx> Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link

## 7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

(a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant ("DP") so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request

received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.

(b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at the following address:

### **Datamatics Business Solutions Ltd.,**

Unit: Union Bank of India,  
Plot No. B-5, Part B, MIDC,  
Crosslane, Marol,  
Andheri (East), Mumbai - 400 093.  
Tel. No.: 022 – 66712001-6.

(c) The format for providing Bank account details is available on the website of the Bank [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in).

(d) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

(e) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

## 8. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

- The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

## 9. COPIES OF ANNUAL REPORT

Considering COVID-19 pandemic and lock down restrictions, copies of the Annual Report 2020-21 in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The

Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

#### 10. CUT OFF DATE

##### FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ as Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as at the close of business hours i.e. of **12<sup>th</sup> July, 2021** shall be entitled to participate in the election i.e. nominate and contest in the election of one director from amongst Shareholders other than Central Government as mentioned in business Item No.3 of the Notice.

##### FOR E-VOTING:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of business Item nos. 1, 2 & 3 shall be reckoned as on **Wednesday, 4<sup>th</sup> August, 2021**.

#### 11. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Wednesday, 4<sup>th</sup> August, 2021** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible vote.

#### 12. INFORMATION ON ACCOUNTS AND OTHER RELATED QUERIES

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested

to write to the Bank by email at [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com), which should reach the Bank before the date of the AGM latest **by 5 PM on 8<sup>th</sup> August, 2021** so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the AGM. Please note that members' questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. **4<sup>th</sup> August, 2021**.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit <https://emeetings.kfintech.com> and click on "**post your queries here**" to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by **5 pm on 8<sup>th</sup> August, 2021**

#### 13. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI has mandated submission of permanent account number (PAN) and bank details by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN details to their Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Bank's RTA. Securities of listed entities would be transferred in dematerialised form only, effective from 1st April, 2019. In view of the same members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

#### 14. BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS:

- i. Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.
- ii. The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast

their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.

- iii. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system (“remote e-voting”) during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.
- v. The remote e-voting period commences on **Saturday, 7<sup>th</sup> August, 2021 (9:00 am IST)** and ends on **Monday, 9<sup>th</sup> August, 2021 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Wednesday, 4<sup>th</sup> August, 2021** may cast their vote by remote e-voting for business Item nos. 1, 2 & 3. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- vi. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. **Wednesday, 4<sup>th</sup> August, 2021**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on 9<sup>th</sup> August, 2021**.
- vii. The process and the manner for remote e-voting and e-voting during AGM is as under:  
As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in **Demat mode** are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

### Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through Depositories.

NSDL	CDSL
<p><b>1. User already registered for IDeAS facility:</b></p> <p>I. URL: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></p> <p>II. Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section.</p> <p>III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting”</p> <p>IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</p>	<p><b>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</b></p> <p>I. URL: <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> or URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></p> <p>II. Click on New System Myeasi</p> <p>III. Login with user id and password.</p> <p>IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.</p> <p>V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote</p>
<p><b>2. User not registered for IDeAS e- Services</b></p> <p>I. To register click on link : <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></p> <p>II. Select “Register Online for IDeAS”</p> <p>III. Proceed with completing the required fields.</p> <p><b>3. User not registered for NIDeAS e-Services</b></p> <p>I. To register click on link : <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p> <p><b>4. By visiting the e-Voting website of NSDL</b></p> <p>I. URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a></p> <p>II. Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section.</p> <p>III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</p> <p>V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.</p>	<p><b>2. User not registered for Easi/ Easiest</b></p> <p>I. Option to register is available at <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a></p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p> <p><b>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</b></p> <p>I. URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></p> <p>II. Provide demat Account Number and PAN No.</p> <p>III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the demat Account.</p> <p>IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP (E-voting Service Provider) where the e-Voting is in progress.</p>

#### Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password

option available at above mentioned websites.

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL**

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43.

**Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through their Depository Participants.**

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

**Login method for Non-Individual Shareholders and Shareholders holding securities in Physical Form**

- a. Initial Password is provided in the body of the email.
- b. Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No. /DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFinTech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new

password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- i. Click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- j. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at [info@jmja.in](mailto:info@jmja.in) and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVEN No.....'





- viii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at <https://evoting.kfintech.com> under help section or call on 1800 309 4001 (toll free).
- ix. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFintech or send an email to [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or call 1800 309 4001 (Toll Free).
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Wednesday, 4<sup>th</sup> August, 2021** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
- xi. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFintech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- xii. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- xiii. M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- xiv. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- xv. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within two working days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer’s report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him in writing.

## 15. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM along with the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) and on the website of KFintech i.e. <https://evoting.kfintech.com>. The voting results and consolidated scrutinizer’s report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

## 16. SCRUTINISERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the business Items. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

## 17. OUTCOME OF MEETING

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolution(s).

## 18. RECORDED TRANSCRIPT

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) under Investor Relations section as soon as possible.

## 19. QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE FOR SHAREHOLDER DIRECTOR

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, and detailed herein below:

- (A) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall
  - (a) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:
    - agriculture and rural economy
    - banking
    - co-operation

- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

- (b) represents the interests of depositors; or
- (c) represents the interest of farmers, workers and artisans
- (B) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status'.
- (C) Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

## 20. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of subsection (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/2007-

08 dated 01st November 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011, RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 read with No.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification" and further amendment thereto if any) and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September 2013, F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector Banks on 25th March 2015 (hereinafter referred to as "the GOI Guidelines" and further amendment thereto if any)

## 21. PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as on **12<sup>th</sup> July, 2021** shall be entitled to participate i.e. nominate and contest in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as on **4<sup>th</sup> August, 2021** shall be entitled to vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

## 22. LIST OF SHAREHOLDERS

A list of shareholders of the Bank as on 12<sup>th</sup> July, 2021 will be available for sale on and from 19<sup>th</sup> July, 2021 till 27<sup>th</sup> July, 2021 on payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by making online transfer to the bank account No. 378901010036984, IFSC UBIN0537896 of Union Bank of India, Nariman Point MMO Branch or by means of a demand draft in favour of "UNION BANK OF INDIA" payable at Mumbai, along with a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's Central Office at 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 27<sup>th</sup> July, 2021. However, the intending candidates may also inspect the Register of Members and take extracts there from at their own cost. It may be noted that the last date

for submission of nominations is **Tuesday, 27<sup>th</sup> July, 2021 by 5.00 P.M.**

As per SEBI (LODR) Regulations, 2015, for providing Remote E-Voting facility to the shareholders of the Bank for which cut-off date i.e., 4<sup>th</sup> August, 2021 has been fixed, all those shareholders who has taken list of shareholders of the Bank by 27<sup>th</sup> July, 2021 by paying requisite amount, may obtain updated list of shareholders as on 4<sup>th</sup> August, 2021 without paying any additional fee.

The Register of Members will be open for inspection by the shareholders, at the Investor Services Department of the Bank at Mumbai, on all working days commencing from 21<sup>st</sup> July 2021 till 26<sup>th</sup> July 2021 between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on all working days for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Members or request the Bank for computer – prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or part thereof.

## 23. NOMINATIONS

### i) Validity of nominations

In terms of Regulation 65 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, and in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007, No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 and GOI Guidelines and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and guidelines, Nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding, as on 12<sup>th</sup> July, 2021, a minimum of 100 shares in Union Bank of India either in physical mode or in electronic/dematerialised mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till 10<sup>th</sup> August, 2021 and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she was elected.
- (b) as on the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified from being a director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 dated 1st November 2007, No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines from being a director.

- (c) There are no calls in arrears in respect of the shares held by him.
- (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Company Secretary, Union Bank of India, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State, and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (e) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and



Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998 and they are as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice.

- (f) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Performa annexed (the Performa is also available on the Bank's Website: [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)). The e-mail id is [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com)

## ii) Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors and being qualified as per the conditions mentioned above may please submit –

- (a) The nominations from minimum of 100 shareholders together with a declaration from the candidate as prescribed under the Regulations and as mentioned in (d) (e) (f) above are delivered in a separate sealed envelope to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., **on or before Tuesday, 27<sup>th</sup> July, 2021 by 5.00 P.M.**
- (b) A Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Performa provided by the Reserve Bank of India to consider fit and proper status, in a separate sealed envelope addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's Central Office 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., **on or before Tuesday, 27<sup>th</sup> July, 2021 by 5.00 P.M.** i.e. sufficiently before the last date of receipt of nomination to enable the Nomination Committee of the Board/ Board of Directors of the Bank to find out fit and proper status as per the Reserve Bank of India Notification and GOI Guidelines as per detail mentioned in this Notice.

## iii) Withdrawal of Candidature.

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 5.00 p.m. on Tuesday, 3<sup>rd</sup> August, 2021** by sending a letter addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 or scanned and signed letter over e-mail at [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com).

## 24. SCRUTINY AND ELECTION OF DIRECTORS

- (a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Wednesday, 28<sup>th</sup> July, 2021** i.e. the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.
- (b) Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) / Board of Directors as the case may be in terms of RBI Directions and Govt. of India Guidelines. As restrictions imposed by RBI Directions and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- (c) The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/ Board of Directors seek further information/ documents from the Candidates.
- (d) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) shall be subjected to a Due Diligence Check by the Nomination Committee of the Board / Board of Directors in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 1st November, 2007, 23rd May 2011 and 24th November 2016 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 issued by the Reserve Bank of India and relevant GOI Guidelines.
- (e) If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected and his / her name and address shall

be published in newspapers as so elected. In such an event item No.3 of the Annual General Meeting shall not take place in the meeting.

- (f) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than one, the candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his / her name and address will be published in newspapers.

## 24.A TENURE OF OFFICE OF DIRECTORS

Director elected to fill in an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from 29<sup>th</sup> July, 2021 (if only one valid candidate is found on scrutiny). If the nominations of more than one candidate are found valid after scrutiny, then the vacancy for one Director will be filled up on the date of the meeting and the new director will assume office from 11<sup>th</sup> August, 2021.

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme and RBI Master Directions, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election, provided, that no such Director shall hold office continuously or intermittently for a period exceeding six years under any relevant category.

## 24.B REMOVAL OF A DIRECTOR

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) and Section 9(3AA) of the said Act.

## 24.C ELECTION DISPUTES

Disputes, if any, in this regard, will be settled as per Regulation 67 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

## EXPLANATORY STATEMENT

### ITEM NO.2:

#### Raising of Capital:

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹10,000 crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31st March 2021 was ₹6,406.84 crore. After QIP issuance, the Paid up capital of the Bank has been increased to ₹6,834.74 crore on 21.05.2021.

Post QIP, shareholding of Government of India in the Bank is 83.49% of the total paid-up capital of the Bank. The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2021 was as under:

## Capital Adequacy Ratios - Basel III

(Rs. in crore)

Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2020 (Pre Amalgamation)
Total Risk Weighted Assets	NA	5,51,521	2,94,984
Total Capital Funds		69,262	37,790
CET 1 Capital		50,001	27,714
Tier 1 Capital		57,090	31,714
CRAR (%)	10.875	12.56	12.81
CET 1 (%)	7.375	9.07	9.40
Tier 1 (%)	8.875	10.35	10.75
Tier 2 (%)	NA	2.21	2.06

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 1.875 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

In order to maintain the Capital and Leverage Ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital up to **₹3,500 crore (Rupees Three Thousand Five Hundred crore Only)**.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and/or Preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms. This proposed resolution once passed it will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Extraordinary General Meeting held on 30th December, 2020.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

### **ITEM NO. 3: ELECTION OF ONE DIRECTOR**

Presently, Shareholders other than Government of India hold 16.51% of the share capital of the Bank after completion of allotment of shares by the Bank on 21.05.2021 upon issuance under Qualified Institutions Placement. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Union Bank of India is entitled to have a maximum of two directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) on the Board of the Bank.

At present the Bank is having the only one Shareholder Director on the Board of the Bank and as per the aforesaid Act, one more director is required to be elected by the shareholders other than Central Government, to fill up the aforesaid vacancy.

Accordingly an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of one director representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/ Scheme/ Regulations/Notification/RBI Master Directions, the relevant portions of which are indicated hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nomination is equal to the number of vacancy) subjected to being found fit and proper by the Nomination Committee of the Board /

Board of Directors of the Bank, than he/she deemed to be elected and assume office, the date following the date on which he/she is deemed to be elected, or in subsequent election on 10<sup>th</sup> August 2021, if there are more contestants subjected to being found fit and proper by the Nomination Committee of the Board / Board of Directors of the Bank as the case may be. After such election on the basis of being getting highest vote, he/she will assume office from 11<sup>th</sup> August 2021 and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

## 1. LEGAL PROVISIONS

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Capital Adequacy Ratios - Basel III (Rs. in crore)	Section 5(ne)	• Substantial Interest
	Section 16 (1)	• Prohibition of common Directors
	Section 20	• Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
	Section 51	• Applicability of certain sections of Act to a corresponding new bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	• Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	• No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A) (A) to (C), Section 9(3AA)	• Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	• Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	• Term of office of elected directors
	Clause 10	• Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	• Vacation of office of Director
	Clause 11A	• Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	• Filling of vacancy in the office of elected Director
	Clause 12(8)	• Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10	• Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	• Voting at General Meetings
	Regulation 61A	• Scrutineers at Poll
	Regulation 61B	• Manner of taking poll and result thereof
	Regulation 63	• Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	• List of Shareholders
	Regulation 65	• Nomination of candidates for election
	Regulation 66	• Scrutiny of nominations
	Regulation 67	• Election disputes
	Regulation 68	• Determination of voting rights
	Regulation 69	• Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	• Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 /29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and No.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019.	Pursuant to Section 9(3AA)&Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks
Office Memorandum ref. No. F.No.16/83/2013-BOI dated 03rd September 2013 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and Government of India as an Advice through its Government Nominee Directors in the Board of the Bank. And guidelines vide reference no.F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector Banks on 25th March 2015 (hereinafter referred to as "the GOI Guidelines" and further amendment thereto if any )		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, in this direction the guidelines dated 01st June 2011 regarding appointment of part-time non-official directors also be kept in mind while carrying out determination of 'fit and proper' status of the Candidates and subsequent related amendment thereto as mentioned herein.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors.
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions related to Independent Director

## 2. GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION DATED 25TH JANUARY 2021

The Govt. of India vide Notification dated 25th January 2021 amended the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by inserting a Special Provision (Clause 14A) which states: Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

In terms of the above the Board of Directors of a Nationalised Bank are empowered to exercise the powers of a Committee of the Board to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

## 3. GOVERNMENT OF INDIA GUIDELINES DATED 25TH MARCH 2015 AND 08TH JULY 2016

As advised by Govt. of India vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of Board shall keep in mind the Guidelines issued by GOI for Appointment of Non Official Directors (NOD), while determining-Fit and Proper Status of the Shareholder Director. The GOI has forwarded revised Guidelines dated 25th March 2015 and amendments dated 8th July 2016 to Public Sector Banks vide its letters dated 28th April 2015 and 20th July, 2016, the gist of which is as under:

### a) General

- i. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- ii. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and

similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

### b) Experience

- i. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- ii. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/ EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
- iii. Academicians, Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- iv. Chartered Accountants with 20 years 'experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- v. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits.
- vi. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

### c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

### d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

### e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.



## f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/ RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- iv. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as NOD in any Nationalised Bank/PSB.
- v. If Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as NOD in the same bank.

## g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD /Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

## h) Professional restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

## i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

## EXTRACT OF ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (hereinafter referred to as “the Act”) the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “the Scheme”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) as well as **RBI Master Directions** on ‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019, Notification No.DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007, No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and No.DBR.Appt BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and Office Memorandum ref. No. F.No.16/83/2013-BOI dated 03rd September 2013 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector banks on 25th March 2015 and subsequent guidelines issued by Government of India posted in the Bank’s website [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in).

Such extracts will also be mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank’s Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 Maharashtra State or by way of an email at [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **Tuesday, 27<sup>th</sup> July, 2021**.

## INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors, KMPs and their relatives of the Bank is interested or concerned in the aforementioned items of business except to the extent of their shareholding.

**By order of the Board of Directors**

For UNION BANK OF INDIA

*Mangesh Mandrekar*

**(MANGESH MANDREKAR)**  
COMPANY SECRETARY

**Place :** Mumbai  
**Date:** 05.07.2021



# DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors are pleased to present the 102<sup>nd</sup> Annual Report of the Bank for the Financial Year 2020-21 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2020-21.

## 1. Highlights:

- 1.1 The year 2020-21 was dominated by the COVID-19 pandemic and the resultant global economic downturn, the most severe one since the Global Financial Crisis. The lockdowns and social distancing norms brought the already slowing global economy to a standstill. As per the latest World Economic Outlook of International Monetary Fund (IMF), the Global economic output contracted by 3.3% in 2020.
- 1.2 Governments and central banks across the world deployed a range of policy tools to support their economies, such as, lowering key policy rates, quantitative easing measures, loan guarantees, cash transfers and fiscal stimulus measures. The global economy is projected to grow at 6% in 2021, moderating to 4.4% in 2022. Among advanced economies, the United States is expected to surpass its pre-COVID GDP level this year, while many others in the group will return to their pre-COVID levels only in 2022. For emerging and developing market economies, China had already returned to pre-COVID GDP in 2020, whereas many others are not expected to do so until 2023.
- 1.3 For the Indian economy, the year 2020-21 was challenging due to both supply and demand side disruptions, due to the pandemic. The Indian economy entered a technical recession in the first half of FY21 with GDP plunging by 24.4% in Q1 FY21, 7.4% in Q2 FY21. India recognized the disruptive impact of the pandemic and charted its own unique path amidst its huge population, high population density and an overburdened health infrastructure. The intense lockdown implemented at the start of the pandemic characterized India's unique response in several ways. The Government has ramped up its fiscal spending through Atmanirbhar scheme and a favorable monetary policy ensured support for the economy.
- 1.4 Union Budget 2021-22 has further provided a strong fillip to the capex momentum with clear emphasis on infrastructure investment, as a key focus area, to revive demand and overall growth.  
Setting up the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), as the principal Development Financial Institution (DFIs) for infrastructure financing and aiming to achieve lending of Rs.5 lakh crore in 3 years to infrastructure projects, is an important measure. It will also dovetail with the ongoing efforts of the government to enhance capital for implementing infrastructure projects under National Infrastructure Pipeline (NIP). Further, the setting up of an Asset Reconstruction and Asset Management Company (ARC&AMC) to clear off the bad loans, privatization of two PSU banks and the enhancement of FDI limits in insurance from existing 49% to 74% are some of the important reform measures announced by the Government in the Budget.
- 1.5 During the year 2020-21, the RBI undertook several conventional and unconventional measures to ensure ample system-level liquidity as well as targeted liquidity to support vulnerable sectors, institutions and financial instruments. The RBI ensured immediate relief to debtors via temporary loan moratorium, while unclogging monetary policy transmission. Besides this, the regulator has allowed a one-time restructuring scheme to help companies and individuals to manage the financial stress caused by the Covid 19 pandemic.
- 1.6 Prospects for 2021-22 have strengthened with the progress of the vaccination programme. High frequency indicators point to the growth momentum gaining strength, especially in the fourth quarter of FY 2020-21. The GDP shrugged off the contractions in the preceding quarters and moved into expansion zone in the third and fourth quarter of FY 2020-21. However, the recent surge in infections has imparted greater uncertainty to the outlook, especially as localized and regional lockdowns could dampen the improvement in demand conditions and may delay the return of normalcy.

## 2. Bank's Performance

Established in the year 1919, your Bank has 9312 branches and 3 overseas branches, 12957 ATMs across 29 States and 5 Union Territories and 78202 employees as on March 31, 2021.

Key achievements during FY 2020-21:

- Net Interest Income for FY 21 stood at Rs.24,688 crore.
- Operating profit for FY 21 stood at Rs.19,259 crore.
- PCR stood at 81.27% as on March 31, 2021
- Net NPA ratio stood at 4.62% as on March 31, 2021

During FY 2020-21, your Bank has undergone many transformations/ adopted new processes as given below.

## 2.1 Amalgamation:

As a part of mega consolidation of Public Sector Banks, Government of India vide gazette dated March 04, 2020 provided approval for amalgamation of Corporation Bank and Andhra Bank into Union Bank of India (**Anchor Bank**) and announced the said Amalgamation would be effective from April 01, 2020.

The amalgamation has significantly resulted in improving the geographical penetration of Union Bank across the country. With the amalgamation, Union Bank became the 5<sup>th</sup> largest public sector Bank in terms of business with extensive network of offerings.



The bank has recognized amalgamation as an exercise in change management and leveraged this as an opportunity for such transformation. Accordingly, a detailed integration plan was prepared to ensure smooth transition to Amalgamation Effective Date (AED) with minimum customer disturbance and employee grievances.

Dedicated programme management office in the name of Amalgamation Management Office (AMO) was set up for better coordination with various verticals and smooth drive of Amalgamation process. The project under which entire amalgamation related exercise has been carried out in the Bank is named as **“Project Samarth”**.

Programme Management Consultant, M/s Boston Consultancy Group (BCG) was on-boarded for planning, designing, guiding and ensuring the implementation of all aspects required for successful completion of the amalgamation. AMO, in close coordination with BCG, Corporate Verticals and field functionaries has initiated the amalgamation process with following broad objectives:



While initiating amalgamation process, emphasis has been provided mainly on unlocking the multiple levers having multiple inter-linked complexities.



After identification, plan and road map for amalgamation has been defined and strategized. Based on criticality of functions, the amalgamation process was divided into Pre Amalgamation Effective Date (Pre-AED), AED and posts AED phases.

31 functional committees representing the functions of all verticals were created to handle the basic work of harmonization of activities, resolving issues and escalating unresolved issues. Each committee was represented by members of all 3 Banks who met on regular frequency to arrive at a detailed Master Amalgamation Plan (MAP).

3 banks collaborated through functional committees to create detailed amalgamation plan



For ensuring branches are adequately supported in amalgamation process, a peer based program- **Buddy Branch Program**- is launched to handhold branches of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank. This program was intended to build coordination across branches, quicker resolution of queries and people integration.


Creating awareness about the benefits of amalgamation to customers, employees and other stakeholders about the changes was important for the Bank to address the apprehensions. For this a robust communication plan was activated with multiple channels. Stakeholders are categorised into 3 categories i.e. Customers, Employees and other stakeholders.



Along with the above preparedness at corporate level, various long term approaches were also strategized to handhold branches to ensure AED readiness. Communication channels such as Branch Handbooks, Microsite etc. were set up to ensure single source of communication for all amalgamation updates. FAQs and Branch level dos and don'ts created and circulated based on field experience.

With the objective of getting employees to know each other as a team, building a shared understanding and foster culture of one Bank going forward, a series of activities such as leadership summit “**Triveni Sangam**”, People’s survey, value survey, cultural integration summit for all DGMs, AGMs and Branch Managers, has been conducted for culture integration and change management. Sessions of guest speakers has been arranged for change workforce profoundly on mental and emotional aspect.

### Guest Speaker Session



### Triveni Sangam



Training Architecture for the Amalgamated entity was defined and various large scale functional training sessions, Soft skills Training sessions and leadership workshops have been arranged for better understanding and working effectively. Key functional trainings through e-learning portal have also been arranged.

With the above preparedness, the Bank has achieved the AED transition smoothly without disruption to customers as planned. The business was continued as usual.



## AED critical items

- 1) **Equity listing** : De-listing of shares of transferee banks completed on 1<sup>st</sup> April
- 2) **Product harmonization**:
  - 163 products are harmonized in Amalgamated Entity
  - Harmonized liability products launched from 1<sup>st</sup> April
  - Launch of harmonized asset products was taken up on 1<sup>st</sup> May
- 3) **Inter-operability**: Basic services were available for all branches and customers from 1<sup>st</sup> April
- 4) **ATM network** harmonized to the effect that transactions across the network are treated as bank's internal transactions
- 5) **Branding**:
  - Rollout of logos of amalgamated entity initiated from 1<sup>st</sup> April
  - Logos on signages and digital avenues (ATM screen, website, internal banking etc.) were available from 1<sup>st</sup> April
- 6) **Customer service**: Call centers were inter-linked to ensure adequate handholding from AED

However, there are some of the initiatives which were deferred in view of the COVID-19 pandemic, but rolled out all the deferred activities by 30.06.2020.


Post AED, bank has decided to continue with 4 tier Organization structure for effective monitoring and management. Future ready Organization structure for Central Office and field has been designed to ensure high accountability and fulfilling strategic imperatives for the bank.



Field organization structure footprint in the form of 18 FGMO (Field General Manager Office) and 125 RO (Regional Offices), planned to strengthen pan India presence. Structures of RO-FGMO at field are constituted as mirror image of Central Office. RO-FGMO locations evaluated basis a number of dimensions such as Business footprint, Branch spans, Business potential, Geographical layout, Connectivity, Strategic importance including Proximity to service, credit centres, and cost of establishment.

With roll out of field organization structure, various specialized structure has also been rolled out for focussed growth under identified areas.

## Specialized Structure



After process unification, a clear IT integration road map was formed much before AED. It inter alia included provisions of various hardware requirements, on boarding vendors, dependencies, availability of resources, compatibility of systems etc. This advanced planning helped the bank in concluding one of the fastest IT merger in banking history.

Core Banking Solutions (CBS) along with all CBS and non-CBS applications have been integrated in a structured and well defined manner to ensure minimal disruption to the end users. Bank leveraged this opportunity to improve Bank's digital offerings to each segment and ensuring better customer experience useful to lay down the foundation of further growth.

Capturing synergy is one of the key rationale for amalgamation of banks. Multiple synergy opportunities in terms of Revenue expansion, cost reduction, business rationalization, have been planned. The plan has identified both recurring and one-time, across functions with estimated cumulative monetary value in the next 3 years.

## Structured approach used for realizing cost & revenue synergy



Around 70+ initiatives were identified across verticals broadly the following subheads:

- Cost Synergy by way of optimization of physical distribution of network and realization

of resources such as Branch & ATM network rationalization, employee alignment, monetization of real estate assets, Vendor rationalization and integration of IT systems.

- Revenue synergy by way of cross sell & sales acceleration, fee income improvement and harmonization of service & penal charges. Thus, the amalgamation has laid the foundation for the Bank to fulfil the vision of “Future Ready Bank”.

## 2.2 EASE (Enhanced Access and Service Excellence):

Enhanced Access and Service Excellence (EASE) was launched by Government of India in the financial year 2018-19 to increase efficiency of PSBs across every domain and to measure the performance on a common index on quarterly basis.

EASE 3.0, an augmented version of EASE 1.0 and EASE 2.0 set the implementation roadmap for FY 2020-21 with 5 Themes and 27 Action Points. Your bank, with continuous improvement in performance, secured 3rd position in overall ranking for the quarter ended December 2020 as against 8th rank in the baseline quarter ended March 2020. Your bank was among top 3 banks in 4 out of 5 themes.

The Bank has taken several initiatives and implemented measures to improve efficiency under EASE agenda including:

- Implemented digital journey for lead generation through 5 channels (SMS, Missed Call, Internet Banking, Mobile Banking and Call Centre) for 6 Products (Personal Loan, Home Loan, Vehicle Loan, Credit Card, MSME loan and Shishu Mudra).
- Implemented analytical rule based engine to generate offers for Pre-Approved Personal Loans, Housing Loan take over, Housing Loan top-up, and working capital enhancement for MSME with end to end digital journey.
- Launched end-to-end Straight Through Processing for Pre-approved Personal Loans, Shishu Mudra loans and renewal of MSME Loans.
- Implemented lead registration for KCC Loan through Mobile Banking app.
- Re-designed Performance Management System through digital & IT tools with focus on talent management, performance management and Rewards & Recognition.

EASE 4.0 reforms agenda sets implementation roadmap for FY 2021-22 with 6 Themes and 26 Action Points with focus on Technology-Enabled Collaborative & Simplified Banking. Your bank has been fast adopting technology advancements

to benefit its large customer base. Your bank is also contributing in nation building through its improvisation in process and products ranging from financial inclusion to infrastructure lending. Your bank has shown a significant improvement in its performance under EASE 3.0 parameters in FY 2020-21 and will strive to continue its stride in coming days.

**2.3 Online Sales of Union Mutual Fund Schemes-** In order to promote digitization, the bank has been working closely with respective channel partners to develop system capabilities which would enable customers to buy third party products like Insurance and Mutual Fund online using the Bank’s technology interfaces. Facility to buy Union Mutual Fund schemes through Bank’s website and U-Mobile App has been commenced.

## 2.4 New UMobile App based services :

- Option to buy PMJJBY insurance cover through UMobile App has been enabled.
- Mobile Banking services enabled for NRIs.
- Under value added services new features such as Setting of Standing Instructions & Personalize Transaction Limits.
- New Credit Card module providing facility to Make payment, Set PIN.

**2.5 Launched the Treasury- FX Retail,** an electronic trading platform designed by Clearing Corporation of India Ltd which provides for buying/selling of foreign exchange by retail customers of the bank.

During the current FY 2020-21 the Bank has added 88 new clients in this segment.

## 2.6 Specialization in Monitoring and Recovery:

Your Bank has taken many proactive steps for monitoring of loans like;

- Specialized cell for monitoring of accounts in the range of Rs.100.00 crore to Rs.250.00 crore and above, both headed by Senior Executives.
- A system of identifying Early Warning Signals(EWS) has been put in place to proactively identify the signals of Stress/Warnings in the borrowal accounts to facilitate taking timely corrective steps.
- Advanced analytical tools are being utilized to predict Early Stress Signals covering non SMA and non NPA portfolio of the Bank’s advances to facilitate initiating necessary measures to maintain the health of the Loan Book.

2.7 Your Bank is adopting the centralization /automation /integration of internal business processes in order to enhance quality of IT services. It is taking substantial measures in securing the IT assets of the Bank by implementing best-in-class IT Security and Risk Management Framework.

2.8 Your Bank is also thriving to streamline the banking services for customers with cutting edge technology. Door step Banking for Financial and Non-financial services including Jeevan Pramaan facility, Government e-Marketplace for Corporate Customers, FASTag integration for individual and corporate customers, Positive pay facility, Real-time integration with PMSVANidhi portal, GREEN PIN facility for all customers of the Bank at all the ATM terminals, Automated e-stamping and e-signing through NSEL, DIAL-A-LOAN facility for various loan products upto Rs. 5 crore, Straight through processing of online retail and MSME loans, implementation of E2E Digitisation for Shishu Mudra Loans upto Rs.50,000, Current account opening from Ministry of Corporate Affairs (MCA) Portal, Mobile Banking for NRIs, facility to apply for PMJJBY through Mobile Banking, NCMC technology in PoS machines for accepting contactless RuPay debit cards, Deposit calculator for calculating of maturity value of deposit, UToken facility through separate mobile app for generation of OTP in addition to the existing mode of OTP on mobile, Credit card module are some of the major initiatives taken during the FY 2020-21.


During 2020-21, the overall digital transactions grew from 74.43% in Mar'20 to 79.11% in Mar'21 registering a growth of around 5% during the year.

2.9 As a part of business process transformation, your Bank has envisaged technology innovations in providing hassle free services by launching HRMS mobile application on android and iOS platform for its valuable employees for immediate sanctioning and disbursement of perks and allowances. This application is secured with OTP based login authentication mechanism to enable the employees 24\*7 access to carry out their day-to-day HR related activities on the fly. Bank's retired employees can also access this mobile app for pension details and medical insurance scheme.


2.10 **Cyber Security Operation Centre (CSOC):** Bank has implemented cyber security framework and instituted Cyber Security Operation Centre. A dedicated skilled team is deployed to manage the CSOC. The CSOC helps to identify, detect, protect & prevent the cyber threats.

### 3. Business Highlights:


3.1 The global business of the Bank stood at Rs.15,77,490 crore as on March 31, 2021.



3.2 Total Deposits increased to Rs.9,23,805 crore as on March 31, 2021. Out of this CASA share (current account and saving account) stood at 36.33 % as on March 31, 2021.



3.3 Gross Advances stood at Rs. 6,53,684 crore as on March 31, 2021. The RAM (Retail, Agriculture and MSME) sector stood at Rs.3,67,825 crore as on March 31, 2021 compared to Rs. 3,39,318 crore as on March 31, 2020. RAM Sector as a whole grew at an annual rate of 8.40 %.



3.4 Overseas business of the Bank stood at Rs.18,191 crore as on March 31, 2021 compared to Rs.24,345 crore as on March 31, 2020. Your Bank has three overseas branches at Hong Kong, DIFC (Dubai) and Sydney



(Australia). Your Bank also operates in the United Kingdom through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd

#### 4. Income and Expenditure:

Sl.	Parameter	FY 2020-21	FY 2019-20*
1	Interest Earned	68767	37231
2	Other Income	11337	5261
3	Total Income (1+2)	80104	42492
4	Interest Expended	44079	25794
5	Net Interest Income (1-4)	24688	11437
6	Operating Expenses	16766	7516
	w/w Establishment Expenses	9025	3359
7	Total Expenditure	60845	33311
8	Operating Profit (3-7)	19259	9181
9	Provisions	16353	12079
10	Net Profit/Loss	2906	-2898
11	Earnings per share (in Rs.)	4.54	-12.49


\*Figures are related to standalone Union Bank of India financial results for pre amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.

#### 5. Profitability and Efficiency:

5.1 Your Bank reported an Operating Profit of Rs.19,259 crore in FY 2020-21 as compared to Rs.9,181 crore in FY 2019-20.

5.2 Netprofit of the Bank stood at Rs.2,906 crore in FY 2020-21.

5.3 Cost-to-income ratio of your Bank stood at 46.54 % in FY 2020-21



5.4 During FY 2020-21, Return on Average Assets stood at 0.27%, whereas Return on Equity stood at 6.68%.

Parameter (%)	FY 2020-21	FY 2019-20*
Return on Average Assets	0.27	(-) 0.53
Return on Equity	6.68	(-) 12.52

5.5 The following are the key productivity ratios of the Bank for FY 2020-21.


Parameter	FY2020-21	FY2019-20*
Business per Employee (Rs. in crore)	20.17	21.37
Business per Branch (Rs. in crore)	169.35	186.18
Gross Profit per Employee (Rs. in lakh)	24.63	24.60

#### 5.6 Dividend:

Board of the Bank has not recommended any dividend for FY 2020-21.

#### 6. Shareholders' Return:


6.1 The Bank's net worth was Rs. 43,507 crore as on March 31, 2021\*.




\*Figures are related to standalone Union Bank of India financial results for post amalgamation period, hence not comparable with pre amalgamation financial results for the year ended March 31, 2020.

## 7. Asset Quality:

7.1 Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank stood at Rs.89,788 crore as on March 31, 2021. GNPA as per cent to gross advances stood at 13.74 % as on March 31, 2021.



7.2 Net NPA of the Bank stood at Rs.27,281 crore as on March 31, 2021 and the Net NPA ratio stood at 4.62 % as on March 31, 2021.



## 8. Capital Adequacy :

8.1 The Capital Adequacy Ratio as per BASEL III norms stood at 12.56% as on March 31, 2021. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank stood at 9.07% in March 2021.

Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2020 (Pre amalgamation)
Total Risk Weighted Assets		5,51,521	2,94,984
Total Capital Funds	NA	69,262	37,790
CET 1 Capital		50,001	27,714
Tier 1 Capital		57,090	31,714
CRAR (%)	10.875	12.56	12.81
CET 1 (%)	7.375	9.07	9.40
Tier 1 (%)	8.875	10.35	10.75
Tier 2 (%)	NA	2.21	2.06

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 1.875 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

## 8.2 Capital raised by the Bank

The Bank has issued and allotted Basel III compliant Tier 1 Bonds of Rs.1705 crore and Tier II Bonds of Rs.2000 crore during the FY 2020-21.

## 9. Network

Network of your Bank is spread across the country with 9312 branches as on March 31, 2021. The Bank also has three full fledged overseas branches. Out of these 56% of the branches are located in rural and semi-urban centres. The Bank has network of 12957 ATMs as on March 31, 2021.

## 10. Awards & Accolades:

During FY 2020-21, your Bank received various awards for its new initiatives taken in Digitization, Financial Inclusion, HR management, Customer Service etc.

Awarded By	Category	Year
National Feather Award	Hall of Fame Award for MD & CEO	30-Apr-21
	Best Advance in Competency Management	
	Best in Training & Organizational Development	
	CHRO of the year	
Golden Peacock	Golden Peacock HR Excellence Award - 2020	Apr-21
Apex India HR Excellence Awards & Business Excellence Awards	Apex India Best Strategy in HR 2020	Apr-21
	Apex India HR Oriented CEO Award 2020	
Greentech HR Award	Technology Excellence	Feb-2021
	Leading CEO of the year	
Global HR Excellence Award by World HRD Congress	Best Service Provider in HR	Feb-2021
	Award for Excellence in Learning & Development	
	CHRO of the Year	
World CSR Congress	CEO of the Year	Feb-2021
	Best Training solutions during COVID 19 times	
The Future of Tech Congress & Awards presents 'The Internet Entrepreneur Awards	The best Digital Transformation of a training programme in response to Covid 19	Oct-2020
Golden Peacock	Golden Peacock National Training Award 2020	July-2020

## 11. Social Media:

**11.1** Your Bank has expanded the reach across all the major social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and LinkedIn under project Union Connect. Your Bank's official pages are very responsive and reply within minutes.

**11.2** As a part of Digital Marketing, your Bank is also engaged in e-commerce business tie-ups to promote Bank's products & services. Bank conducts campaigns through Google Ads, YouTube and LinkedIn to promote its products and services and get more reach on Corporate Website.

The total followers on official Social Media handles of your Bank as at March 2021 stood at 19.51 lakh.

## 12. Changes in the Directors on the Board of the Bank:

The following changes took place in the Board of directors of your Bank during the financial year 2020-21.

- Shri Nitesh Ranjan has been appointed as an Executive Director in the Board of the Bank on March 10, 2021.
- Shri Birupaksha Mishra has been appointed as an Executive Director in the Board of the Bank on April 01, 2020 and completed his term in the office on January 31, 2021 upon superannuation.
- Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director of the Bank has completed his term in the office on February 5, 2021.
- Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director of the Bank has completed his term in the office on December 26, 2020.
- Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman and Part-Time Non-Official Director of the Bank has completed his term in the office on July 5, 2020.

### 13. Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021:

- The applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- Accounting Policies had been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Account Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of the bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Annual Accounts were prepared on a going concern basis.
- Internal financial controls had been laid down to be followed by the bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Explanation.- For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.
- Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

### 14. Corporate Governance

The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2020-21 has no audit qualifications.

### 15. Corporate Social Responsibility (CSR):

15.1 Union Bank of India has been in the forefront in meeting its CSR commitments. Towards this the Bank has established Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) in the year 2006 as an extended arm for carrying out the CSR

activities of the Bank. The major CSR activities of the Bank are now being carried out through the UBSFT. Its Board is headed by the Bank's Managing Director & CEO with executive directors as Vice Chairman Trustees, other trustees include the Bank's General Managers and one independent trustee. The UBSFT Board provides directions in accordance with the Bank's thrust areas and undertakes review every quarter. The directions of the Board are executed by the Chief Executive of UBSFT. While the Registered office of UBSFT is at Bengaluru, the administrative office is at Mumbai.

Bank has also formed CSR committee of the directors of the Bank to monitor and guide the CSR activity of the bank so also that of UBSFT on quarterly basis. The committee is Headed by MD & CEO, Executive directors and one part time nonofficial Director nominated under 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970 and one Share holder director elected under section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970.

UBSFT has been incorporated aiming to support initiatives towards Social upliftment & improving lives of underprivileged segments.

### 15.2 The CSR activities undertaken by the Bank in 2020-21

UBSFT has approved 6 projects involving an amount of Rs.78.09 lacs during the year 2020-21 under various sectors like Education, Health care, Community Development, Sanitation etc. details of which are given below:

- o Supported Narayana Hrudayalaya, Bengaluru Karnataka for purchase of two ventilators at a cost of Rs. 11.20 lakh for treating COVID 19 patients.
- o Supported Mulki Sunder Ram Shetty Memorial Charitable trust, Mulki, Karnataka for purchasing of one generator set at a cost of Rs. 14.75 lakh for their convention centre.
- o Supported 3 Government schools in Palghar district for construction of toilet blocks at a cost of Rs. 20.32 lakh. Project implemented through Rotary Club of Bombay Queen City Foundation.
- o Supported Municipal Corporation Machilipatanam for construction of one RCC

Bus shelter at a cost of Rs. 2.50 lakh.

- o Supported Bhavita Special school, Machilipatanam for construction of iron compound wall and purchase of physio therapy equipments at a cost of Rs. 3.82 lakh.
- o Approved for setting up of mini science laboratory at a cost of Rs. 25.50 lakh for visually challenged students at NAB Worli centre.

## 16. Acknowledgement:

**16.1** The Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers, Share Transfer Agent and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and support.

**16.2** The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Government of Maharashtra, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission, BSE, NSE, financial institutions, correspondent Banks and Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

**16.3** The Directors place on record their deep appreciation for the dedicated service and valuable contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in the realisation of the corporate goals of the Bank in the years ahead.

**16.4** The Directors express deep condolences and gratitude for the members of the staff who lost their precious lives during COVID-19 Pandemic. The Directors also express that the staff members stay safe, healthy and maintain good health.

**For and on behalf of the Board of Directors**

**(Rajkiran Rai G)**

**Managing Director & CEO**

Place : Mumbai  
Date : 05.07.2021



# MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

## 1 Global Economy

- 1.1 The year 2020 threw at the world a pandemonium of novel COVID-19 virus, threatening all that was taken for granted –mobility, safety, and a normal life itself. This, in turn, posed the most formidable economic challenge to India and to the world in a century. Bereft of a cure or a vaccine, public health policy became central to tackling this all-pervasive crisis.
- 1.2 During mid of 2020, global growth started gradually recovering from the slowdown, but it remains uneven across countries and is supported by ongoing vaccination drives, sustained accommodative monetary policies and further sizeable fiscal stimulus.
- 1.3 In Q1:2021 (January-March), the global economy gradually regained momentum of recovery gathered in Q3:2020, which had encountered headwinds in Q4 (same as Q1:2021) as many advanced economies (AEs) and some emerging market economies (EMEs) had to re-impose restrictions/lockdowns in the wake of second/third wave of infections coupled with the newer and more virulent strains of the virus.
- 1.4 The global financial markets remained buoyant during FY 2020-21, supported by highly accommodative monetary and fiscal policies and vaccine-led recovery optimism. Stock markets reached record highs in a few jurisdictions, despite output being well-below pre-pandemic path, raising concerns of a disconnect between the markets and the real economy and risks of future financial fragility. Among AEs, US equity markets scaled new peaks every month between November 2020 and March 2021. Stock markets in EMEs powered further ahead through Q4:2020 and up to mid Q1:2021, mirroring those in the US and other AEs and supported by burgeoning foreign portfolio flows. With resumption of capital outflows since the latter part of February, EME stock indices have shed gains.
- 1.5 Since mid-February this year, global financial markets have increasingly turned volatile, driven by a surge in sovereign bond yields over inflation concerns stemming from the edging up of international commodity prices as well as expectations of stronger growth. Bond market volatility and strengthening of the US dollar spilled over to emerging markets.
- 1.6 World output is projected by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to reach its pre-pandemic level by mid-2021, though it will be largely contingent on the pace of vaccine

distribution and its efficacy against emerging variants of the virus.

- 1.7 According to IMF, global economy is expected to grow at 6 percent in 2021, moderating to 4.4 percent in 2022. Among advanced economies, the United States is expected to surpass its pre-COVID GDP level this year, while many others in the group will return to their pre-COVID levels only in 2022. For emerging and developing market economies China had already returned to pre-COVID GDP in 2020, whereas many others are not expected to do so until well into 2023. Governments and central banks across the world deployed a range of policy tools to support their economies such as lowering key policy rates, quantitative easing measures, loan guarantees, cash transfers and fiscal stimulus measures.

## 2. Domestic Economy

- 2.1 As per the Provisional Estimate of the National Statistical Office (NSO), India's Gross Domestic Product (GDP) in 2020-21 at with to contracted at -7.3 per cent. Real GDP at Constant Prices (2011-12) in the year FY21 is estimated at Rs 135.13 lakh crore, as against Rs 145.69 lakh crore in 2019-20. GDP at Current Prices in FY21 is estimated at Rs 197.46 lakh crore, as against Rs 203.51 lakh crore in 2019-20. The Indian economy entered a technical recession in the first half of FY21 with GDP plunging by 24.4 per cent in Q1 FY21, 7.4 per cent in Q2 FY21. This sharp fall can be attributed to the nation-wide lockdown announced by the government during April-May 2020 to mitigate the outbreak of coronavirus, which brought economic activity to a halt in the first quarter, severely impacting the growth of industrial and services sector activities. Industry and services sector is estimated to register a contraction of -7.0 per cent & -8.4 per cent, respectively, in 2020-21. The agricultural sector remains a bright spot, supported by a normal monsoon, robust kharif sowing and adequate reservoir levels. Agriculture sector is estimated to see a growth of 3.6 per cent in 2020-21.
- 2.2 GDP shrugged off the contractions of preceding quarters and moved into expansion zone in Q3:2020-21 (+ 0.5 per cent, year-on-year) and further strengthened in Q4:2020-21 (+1.6 per cent, year on year). High frequency indicators point to the growth momentum gaining strength in Q4 although the surge in COVID-19 infections in a few states in March 2021 imparts uncertainty to the assessment.

- 2.3 The International Monetary Fund (IMF), projected



an impressive 12.5 per cent growth rate for India in 2021-22. For 2022-23, IMF projected the Indian economy to grow by 6.9 per cent. Reserve Bank of India (RBI) projected real GDP growth for 2021-22 at 9.5 per cent consisting of 18.5 per cent growth in Q1, 7.9 per cent in Q2, 7.2 per cent in Q3 and 6.6 per cent in Q4.

**2.4** Going forward, the forecast of a normal south-west monsoon, the resilience of agriculture and the farm economy, the adoption of COVID compatible operational models by businesses, and the gathering momentum of global recovery are forces that can provide tailwinds to revival of domestic economic activity when the second wave abates. Moreover, the vaccination process is expected to gather steam in the coming months and that should help to normalise economic activity. The accommodative monetary policy stance and the fiscal stimulus under Atma Nirbhar scheme and increased capital outlays and the investment-enhancing proposals in the Union Budget 2021-22 will likely accelerate public investment and crowd-in private investment.

### **3 Price scenario**

**3.1** In FY21, in major advanced economies, consumer price based inflation (CPI) remained moderate and below target, while for major emerging economies, barring China, Thailand and Indonesia, CPI inflation has mostly picked up, even moving above targets in a few of the countries.

**3.2** In domestic economy, headline inflation, measured by the consumer price index (CPI), had been trailing above target for eight consecutive months in FY 2020-21 to a peak of 7.6 per cent in October 2020, came about from a pick-up in price momentum in food as well as in the core category. However, headline CPI inflation receded into the tolerance band beginning December 2020 and ended up at 5.52% as at March 2021. High inflation was seen as easing with the unlocking of the economy, restoration of supply chains and normalisation of activity. Reflecting broad-based price pressures, the distribution of CPI group/sub-group inflation in 2020-21 was centred at 4.9 per cent.

**3.3** Core inflation had remained sticky and was seen to firm up during the financial year as economic activity normalised and demand picked up. Core inflation (inflation excluding food and fuel) hardened in a sustained manner to 5.96 per cent in March 2021. The surge was due to high industrial raw material prices, record high petroleum product prices and the higher cost of doing business in the post-lockdown period.

## **4. Stock market performance**

**4.1** In FY 2020-21, global financial markets remained largely buoyant, fuelled by optimism around a speedy vaccine-led recovery. Strong rallies in global equity markets on the back of massive fiscal and monetary stimulus in major countries and the measures undertaken in India boosted the domestic market sentiments.

**4.2** In domestic equity market, the BSE Sensex gained 46.5 per cent in H1:2020-21 after hitting a low of 25981 on March 23, 2020. Domestic equities scaled all-time highs in H2:2020-21 on positive global cues, record FPI inflows, revival in economic activity, robust moni earnings, roll-out of COVID-19 vaccine and announcement of a growth-oriented Union Budget 2021-22. The BSE Sensex gained 30.1 per cent in H2:2020-21 to close at 49,509 on March 31, 2021.

## **5 Yield Movement:**

Yield movements remained volatile in the FY 2020-21. The hardening of yields at the beginning of Q1:2020-21 was mitigated by liquidity augmenting measures announced by RBI in the second half of April and May. With the announcement of an enhancement of Central Government market borrowings by about 54 per cent – from Rs.7.8 lakh crore to Rs.12.0 lakh crore – for 2020-21, however, the benchmark yield rose by 20 bps on May 11, 2020. In June, several factors viz., low demand for dated securities; border tensions; rating downgrade by Fitch Ratings; and supply fatigue from increased issuances of T-bills and state development loans (SDL) kept yields firm. Subsequently, however, softening US treasury yields, fall in crude oil futures, and the announcement of special open market operations (OMOs) or “Operation Twist”, by RBI eased pressure on yields by end-June. The Reserve Bank conducted five operation twist auctions during July-September and backed them up with an increase in the limit of SLR securities kept under the held to maturity (HTM) category by 2.5 per cent of NDTL – from 19.5 per cent to 22 per cent. Overall, the 10-year benchmark yield softened by 15 bps in Q1:2020-21. In Q2:2020-21, yields exhibited a hardening bias on a rise in fuel prices and higher inflation prints for June and July. Overall, the 10-year yield (5.79 per cent GS 2030) hardened by 12 bps in Q2, mainly reflecting a 24 bps rise in August. During Q3:2020-21, the yield softened by 15 bps from 6.04 per cent to 5.89 per cent. During Q4, yields remained range bound with an upward bias till the presentation of the Union Budget 2021-22 on February 1, 2021. Average G-sec yield for the

FY 2020-21 was at 5.99%. Corporate bond yields too eased, tracking the movement in G-sec yields. Furthermore, the spread on corporate bonds over corresponding G-secs moderated across issuer categories and ratings spectrum.

## 6 External Sector

- 6.1** India's merchandise exports during FY21 were at \$ 290.6 billion compared with \$ 313.2 billion in FY20. The de-growth of 7.3% in FY21 has been higher than 5.2% de-growth in FY20. Merchandise imports were down to \$ 389.2 billion in FY21 compared with \$ 474.2 billion in the previous year. As a result, the contraction has widened from 7.8% in FY20 to 18% in FY21. Since the de-growth in imports has been higher, trade deficit in FY21 has moderated to \$ 98.6 billion compared with \$ 161 billion in the previous year.
- 6.2** Net capital flows remained robust in 2020-21 supported by foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) on growing optimism about India's growth prospects. The sharp upturn in net purchases by portfolio investors in the equity segment during the second half of FY21 resulted in net FPI inflows at US\$ 37.1 billion during 2020-21 (up to March 30) as against an outflow of US\$ 5.2 billion during the same period last year. Foreign direct investment (FDI) flows into India grew 10% in 2020-21 to touch a record \$81.72 billion, with FDI equity inflows rising 19% to almost \$60 billion.
- 6.3** In the forex market, the Rupee has exhibited two-way movements, reflecting global risk-on risk-off sentiments driven by vacillating views on the spread and containment of Covid-19. The Indian rupee initially came under pressure with the spread of the pandemic, but has subsequently appreciated vis-à-vis the US dollar with the return of investor appetite for EME assets. The Indian Rupee has ended FY21 at 73.20 per dollar as compared to 75.66 per dollar in the corresponding last year.
- 6.4** International crude oil prices plummeted after the imposition of lockdowns globally, pulling down the price of Indian basket of crude oil to around US\$ 16 per barrel on April 21, 2020. Thereafter, the Indian basket crude oil price increased to US\$ 44 per barrel by end-August 2020. In H2:2020-21, crude oil prices (Indian basket) jumped by nearly 50 per cent – from around US\$ 41 per barrel in September 2020 to US\$ 61 per barrel in February 2021. For the fiscal year 2020-21, average annual price of India's Crude Oil Basket (COB) was \$42.72 per barrel.
- 6.5** India's foreign exchange reserves reached \$ 579.28 billion as at the end of March 2021. The reserves surged by \$101.5 billion in the financial year 2020-

21, marking the steepest rise in the forex kitty in any one financial year so far.

## 7 Liquidity conditions:

- 7.1** During FY2020-21, there was surplus liquidity condition in consonance with the accommodative monetary policy stance. Normal liquidity management operations – suspended in April 2020 in the face of COVID-related dislocations – were resumed in January 2021 with the Reserve Bank reiterating the availability of ample liquidity in the system.
- 7.2** Open Market Operations (OMOs) – both purchases and sales – are a key instrument to adjust the durable liquidity in the banking system in sync with the monetary policy stance. In FY21, the RBI undertook OMO purchases of G-Secs to the tune of Rs 5.04 lakh crores and OMO purchases of SDLs amounting to Rs. 30,000 crores. The total OMO sales during the year FY21 (including special OMOs) were Rs 1.84 lakh crores.
- 7.3** Overall, the total liquidity support announced by the Reserve Bank since February 6, 2020 (up to March 31, 2021) amounted to Rs. 13.6 lakh crore, 6.9 per cent of 2020-21 nominal GDP.

## 8 RBI's policy decisions

- 8.1** During FY 2020-21, the RBI has reduced the key policy rate by 40 bps on 22<sup>nd</sup> May 2020 and kept the policy repo rate unchanged during the rest of the financial year. Accordingly, the repo rate and reverse repo rate stands at a near two decadal low at 4.00 percent and 3.35 percent, respectively. The MSF rate and the Bank Rate was reduced to 4.25 per cent from 4.65 per cent, respectively. The Monetary Policy Committee (MPC) decided to continue with the accommodative stance as long as it is necessary to revive growth and mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward.
- 8.2** The RBI undertook several conventional and unconventional measures in the wake of COVID-19. Other than conventional measures of policy rate reduction, the RBI introduced long term repo operations (LTROs) and targeted long-term repo operations (TLTROs) to augment system as well as sector-specific liquidity to meet sectoral credit needs and alleviate stress. Special refinance facilities were provided to select all India financial institutions (AIFIs), while a special liquidity facility for mutual funds (SLF-MF) was introduced to ease redemption pressures. The focus was to foster congenial financing conditions without jeopardising financial stability. Further, forward guidance gained

prominence in the RBI's communication strategy to realise cooperative outcomes. The RBI ensured to support the recovery process through the provision of ample liquidity in the system, while maintaining financial stability.

**8.3** As a consequence interest rates eased across the spectrum, spreads were compressed and conducive financial conditions prevailed. This enabled the normal functioning of financial markets and institutions, an orderly completion of the enhanced government borrowing programme at a 17-year low weighted average cost of borrowings, and a record volume of corporate bond issuances.

**8.4** As normalcy returned, banks were enabled to benefit from the benign interest rate environment by prematurely returning the funds availed earlier under LTRO/ TLTROs. Additionally, Cash Reserve Ratio (CRR) was reduced by 100 bps (from 4.0 per cent to 3.0 per cent). Further, the borrowing limit for banks under the Marginal Standing Facility (MSF), by dipping into their Statutory Liquidity Ratio (SLR), was enhanced to 3 per cent of NDTL from 2 per cent earlier. Pre-emptive regulatory measures were announced to provide relief to the borrowers in the form of moratorium on loan repayments, followed by a comprehensive Resolution Framework 1.0 to enable resolution of viable accounts impacted by the COVID-19.

## 9 Banking environment:

**9.1** The banking sector continued to face the challenges of sluggishness in credit demand and stress on asset book due to Covid led slowdown in the economy.

**9.2** Credit off take during 2020-21 was muted with non-food credit growth decelerating to 5.59 percent as on 26<sup>th</sup> March 2021 from 6.17 per cent as on 27<sup>th</sup> March 2020. The slowdown in Scheduled Commercial Banks' (SCBs') credit growth during 2020-21 has been broad-based across all major sectors, except agriculture. Credit growth to industry decelerated marginally to 0.4% (0.7% a year ago) mainly due to credit to large industries, which contracted by 0.8% in March 2021 (as compared with a growth of 0.6% a year ago). This is primarily on account of large industries obtaining financial resources from non-bank sources, while credit to medium industries registered a robust growth of 28.8% in March 2021 (as compared to contraction of 0.7% a year ago). Slowdown in growth of personal loans continued, as it decelerated to 10.2 per cent in March 2021 from 15.0 per cent a year ago. However, vehicle loans and loans against gold jewellery continued

to perform well during the month, registering accelerated growth.

**9.3** Aggregate deposits of SCBs registered a strong growth during the financial year FY21, in spite of considerable moderation in interest rates, reflecting risk averse behaviour of depositors and lack of lucrative alternative investment avenues. The deposits grew by 11.39 per cent as on 26<sup>th</sup> March 2021 compared 7.90 per cent growth in the corresponding last year (i.e. 26<sup>th</sup> March 2020).

**9.4** Monetary transmission to deposit and lending rates of banks had improved significantly during FY21. The Weighted Average Lending Rate (WALR) on fresh rupee loans declined by 123 bps since March 2020 till March 2021 in response to the reduction of 115 bps in the policy repo rate during this period. At the same time WALR on outstanding rupee loans 90 bps. The Weighted Average Domestic term Deposit Rate (WADTR) declined by 107 bps during the period. During the same period, the 1-year median marginal cost of funds-based lending rate (MCLR) softened cumulatively by 95 bps.

## 10 Resources management:

**10.1** Along with tackling structural and systematic changes, your Bank has added positively to its business growth. Total business of your bank grew to Rs.1577490 crore as on March 31,2021. Total deposits of your Bank stood at Rs.923805 crore as on March 31,2021. Current and Savings deposits (CASA) comprise 36.33% of total deposit in the FY 2020-21. Total advances of your Bank stood at Rs. 6,53,684 Crore as on March 31, 2021.

Table 1: Composition of Deposits		
(Rs.in crore)		
Particulars	31.03.21	31.03.20*
Total Deposits	923805	450668
CASA Deposits	335592	160373
Saving Deposits	271968	133958
Current Deposits	63624	26415

\*Figures are related to standalone Union Bank of India financial results for pre amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31,2021.

## 10.2 New initiatives taken during the year:

✓ As part of customer retention strategy, an analysis was done. 5 lakhs HNI customers with declining SB account balance were identified. To motivate these customers a special campaign named "Union



HNI Connect” was launched from 11.07.2020 to 25.07.2020. The objectives of the campaign was to reach out to these customers, proactive resolution of customer grievances, management of any service related request, convince the customer to deposit fresh fund and increase no. of transaction. Due to the campaign Rs 3850 crores SB balance is added through these accounts.

- ✓ To canvass salary and pension accounts, a campaign was launched from 03.08.2020 to 30.09.2020. During the campaign 15626 salary accounts and 1590 pension accounts were opened.
- ✓ Exclusive campaign “My Bank My CASA” for opening new Saving & Current account launched from 01.10.2020 to 24.12.2020. Total 1727397 Saving accounts and 80688 Current accounts opened during the campaign with Rs 1968.60 crore and Rs 708.21 crore of fresh fund respectively during the campaign period.
- ✓ With an objective to increase business/product per customer, a drive named “Union Vaibhav” launched from 01.01.2021 to 31.01.2021. Branches were given target to call top 100 SB account holders and convince them to do all the financial transactions through our bank so that our bank account will become primary account for them.

### 10.3 New products launched during the year:

- ✓ A new co-branded credit card “UNI CARBON” is launched with HPCL in association with RuPay. By using the cards, customers will enjoy various freebies, rewards/ cash backs.

## 11 Credit Management

### 11.1 Retail:

Bank’s retail lending portfolio grew by 10.49% in the FY 2020-21. The retail loan portfolio grew from Rs.1,13,521 crore as on March 31, 2020 to Rs.1,25,427 crore as on March 31, 2021. Within retail, personal loan segment has made a significant jump in FY 2020-21 with a growth rate of 58.69%. Home loans, having the highest share in retail, grew by 6.06%. Vehicle loan has grown by 27.49% while mortgage loans also improved by 1.12% during the year. The Bank has taken innovative measures to attract new business. Accordingly, it has introduced retail loan products such as home, vehicle and education on psbloanin59minutes portal. Further, to strengthen the business mobilization, Bank has launched product specific campaigns alongwith expansion in tie-ups/partnerships. Bank has been leveraging the technology by data analytics extensively and garnered business to the extent

of Rs.192 crore from potential leads. As a part of digitization of retail products and, bank has launched digitalized personal (PAPL) loan. Bank strives to maximize the processing efficiency through centralized processing centres (ULP) and complete digitization of all retail products by FY 2022.

**Table 2: Product wise Y-o-Y growth under Retail Lending is as under:**

(Rs. in crore)				
Scheme	As of March 31 <sup>st</sup> 2021	As of March 31 <sup>st</sup> 2020	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Union Home	66228	62442	3786	6.06
Union Miles	9456	7417	2039	27.49
Union Education	7159	7271	-112	-1.53
Union Mortgage	11887	11756	131	1.11
Union Personal	5465	3444	2021	58.69
Others	25230	21192	4038	19.06
<b>Total Retail</b>	<b>125427</b>	<b>113521</b>	<b>11906</b>	<b>10.49</b>

### 11.2 Agriculture:

Agriculture lending has always been the priority area for your bank. Agriculture advances constituted 19% of Gross advances of the bank as on 31.03.2021. Against statutory target of 18% under Agriculture Priority as on March 31, 2021 Bank’s performance is 18.69% and also bank able to sell surplus of Rs.3500 Crore under Agriculture in e KUBER portal of RBI. The bank registered a YOY growth of 11.89% in Agriculture for FY 2020-21 with outstanding of Rs.120124 Crore as on 31.03.2021.

Outstanding credit to small and marginal farmers as of March 31, 2021 stood at Rs.76070 crore which constituted 11.74 percent of ANBC against the benchmark of 8.0 percent of ANBC. During FY 2020-21, 2.51 lakh fresh Kisan Credit Cards were issued.

### 11.3 Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

11.3.1 Bank has been focusing on delivering credit to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) sector. Lending to MSMEs stood at Rs.1,22,274 crore as on March 31, 2021 registering an annual growth of 3.24% per cent. Within MSME, MSE lending stood at Rs. 94,484 crore, as on March 31, 2021, registering a growth of 3.29% per cent. Break-up of the MSME portfolio is provided as below:



Rs.50,000/-) through digital journey within a average period of 7-8 minutes. Our Bank is the only bank among peer PSBs to have end-to-end Shishu Mudra loan model upto Disbursement stage. These loans are fully secured with proper documentation (through NeSL) and subsequent CGTMSE coverage.

- MSME STP upto Rs.5 crore (In-principle approval): MSME Loans upto Rs.5 crore are provided seamless in-principal & instant Loan approval. Union Bank of India is the only PSB to have In-House system driven application to process Loan proposal digitally without manual intervention upto the In-principle approval stage. New & Existing Borrowers can apply for Credit facilities upto Rs. 5 crore and can receive In-principle approval within an average time period of 30 minutes. The Business Rule Engine uses sophisticated algorithms to read and analyse data through various integrations. Loan application can be submitted from anywhere & anytime 24\*7.

**11.3.12 Corporate Credit :** As on 31.03.2021, the corporate advances stood at Rs. 2,85,859 crore. Seven Industrial Financial Branches (IFBs) and Thirty Seven Mid Corporate Branches across the country are catering to the needs of corporate clientele. The Bank has made judicious disbursements to investment grade projects of large corporate, thus participating in the growth opportunities in the Indian economy and its global linkages.

#### 11.4 Priority Sector Advances:

**11.4.1**Your Bank remains committed towards extending credit facility to the needy segments of the society. Under priority sector advances, your bank has registered a growth of 5.13 per cent, which stood at Rs. 279576 crore as on March 31, 2021. Against statutory target of 40% under Priority sector advances your bank achieved 42.00 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for Quarter ended March-2021 and growth of 2.42% after excluding the PSLC sales and including the investments in RIDF/ SIDBI/MUDRA/NHB.

(Rs. In crore )					
Particulars (including RIDF)	31.03.21	31.03.20	Y-o-Y (%)	% to ANBC	Benchmark FY 2021 (% of ANBC)
Priority Sector Credit(After Deducting PSLC Rs.18500 Crore)	272203	265769	2.42	42.00	40%
Agriculture Sector(After Deducting PSLC Rs.3500 Crore)	121142	106726	13.51	18.69	18%
Small & Marginal Farmers(After Deducting PSLC Rs.3500 Crore)	76070	62834	21.07	11.74	8%
Credit to Weaker section(After Deducting PSLC Rs.3500 Crore)	88170	82372	7.04	13.60	10%
Credit to Women Beneficiaries	73307	62939	16.47	11.31	5%

#### Specific Lending for Social Upliftment

**11.4.2** Your Bank has continued to keep its focus on social development and equal opportunities for all segments of the society. Accordingly, the Bank extended credit facilities to various weak and unreserved sections of the society specifically women, minority community and self-help group.

**11.4.3 Women Beneficiaries:** With a view to promote entrepreneurs among the women and to make them self-reliant, your Bank encourages credit to women entrepreneurs. During FY 2020-21, Total outstanding loans to women beneficiaries has increased from Rs.62939 crore in March 2020 to Rs. 73307 crore in March 2021 recording growth of 16.47 %. This constituted 11.31 per cent of ANBC against benchmark of 5.0 per cent.

**11.4.4 Minority Communities:**Your Bank is extending finance to the minority communities' viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians, and Jains in line with Government of India directives on welfare of minority communities. As on March 31, 2021 the outstanding credit to minority stood at Rs. 24342 crore, which constitutes 8.66 percent of Priority sector advances.

**11.4.5 Weaker Section:**Your Bank has been actively participating in financing for weaker sections of society. Finances to weaker section net of PSLC-SFMF sales has increased from Rs.82372 crore to Rs.88170 crore, as on March 31, 2021, registering a growth of 7.04 per cent. Outstanding credit stood at 13.60 per cent of ANBC against benchmark of 10 per cent.



#### 11.4.6 Rural Self Employment training Institute (RSETI):

With the aim of mitigating the employment problem among the rural youth, the Bank has established 14 RSETIs in districts where the bank has “Lead Bank Responsibility”. As of March 31, 2021, total number of candidates trained in our RSETIs is 239263, out of which 175358 candidates have been settled.

**11.4.7 Regional Rural Bank (RRB):** Your Bank sponsors Chaitanya Godavari Grameen Bank (CGGB), Guntur, Andhra Pradesh state. It has network of 222 CBS Branches, spread over 3 districts of Andhra Pradesh namely, East Godavari, West Godavari & Guntur. Business of CGGB has increased to Rs.12817.00 crore with a growth of 23.05 per cent during FY 2020-21. Total Deposits stood at Rs6539.67 Crore and Advances at Rs6877.33 Cr with Net profit of Rs101.09 Crore. The Gross NPA is 1.09% and Net NPA is 0% as on 31.03.2021.

#### Key Initiatives to strengthen Priority sector:

**11.4.8 Union Samridhi Kendra (USK):** Union Samridhi Kendra (USK) is a specialized processing hub established by the Bank for processing and sanctioning of RAM proposals sent from RUSU Branches. Its main objective is to strengthen the RAM portfolio of the RUSU Branches and to improve Quality, appraisal and turnaround time of loan proposal. The model was initially piloted in selected Branches of Nasik and Karnal Regions in Nov 2017. As the overall result of the pilot implementation were encouraging, Department has scaled the number of USKs in the phased manner. At present, there are 62 USKs across 52 regions & 16 FGMOs covering 1175 branches. These branches are covering 21.68% of RUSU Branches. Department is proposing to scale up to 40% by establishing more number of USK in untapped Regions. During FY 2020-21, USKs have sanctioned approximately one lakh proposals to the tune of Rs.4025 Crore during the present pandemic situation.

#### 11.4.9 Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY):

Your Bank is implementing PMFBY for the benefit of farmers who faced climatic adversities very often and suffer a lot. All farmers including share cropper and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas covered under PMFBY. A total of 652462 loanee and non-loanee farmers were covered during the financial year 2020-21. Bank has formulated 32 Area Specific Schemes, based on the available potential for the benefit of the farmers in the respective areas to augment lending under agriculture.

#### New initiatives undertaken during the year

- ✓ Bank has taken up the proposal to establish 38 New USKs in the untapped Regions all over India, based on the potentiality of the area.
- ✓ Bank to establish 5 New Union Sampurna in different Regions in India during FY 2021-22.
- ✓ MoU entered with SFAC (Small Farmers Agri Business Consortium) for financing FPOs.
- ✓ MoU entered with NeRL and CCRL for facilitating finance against e NWRs (Negotiable Ware House Receipts).
- ✓ Establishing Union Gold loan Points – 20 UGLPs were established as on 31.03.2021.
- ✓ More thrust is given for Agri Focused branches to improve the credit to Agriculture sector and number is increased of such branches from 765 to 1500.
- ✓ Online application of Agriculture loans and Gold loans through U-Mobile app enabled.
- ✓ MoU entered with MoFPI to act as a Nodal Bank under PM FME scheme.

#### Product launched during the year:

- SOD (Secured over Draft) against Gold ornaments.
- Loans against Sovereign Gold Bonds.
- Kisan Credit Card against security of Gold for limits above Rs1.60 Lakhs.
- Under Atmanirbhar Bharat schemes products like Agri Infrastructure Fund Scheme, Animal Husbandry Infrastructure Development scheme, PM-Formalization of Micro Food Processing Enterprises were launched.

#### Awards received during the year:

The bank had received following awards in Agriculture Credit & Insurance Awards 2021 organised by Agriculture Today Group.

- ✓ Lifetime Achievement Award received by Shri Rajkiran Rai G at Agriculture Credit & Insurance Awards 2021 for exemplary contribution towards the growth and development of agriculture finance in India.
- ✓ The Outstanding Customer Care of the Year Award to Union Bank of India for exemplary contribution towards the growth and development of agriculture finance in India.
- ✓ Outstanding Innovation in Agriculture Finance Category to Union Bank of India.

#### 11.5 Financial Inclusion:

##### 11.5.1 Summary of performance during the FY2020-21.

(Rs in Lakh)

<b>Table 5 : Progress Under Financial Inclusion</b>			
<b>Particulars</b>	<b>March 2020</b>	<b>March 2021</b>	<b>% Growth over March 2020</b>
Total PMJDY A/Cs	173.99	216.73	24.56
Balance in PMJDY A/Cs ( inCrS)	5049	6465	28.04
Rupay Card Issued A/Cs	117.82	115.51	-
Rupay Cards In Operative A/Cs	75.67	79.08	4.51
Aadhaar Seeded A/Cs	138.24	175.04	26.62
Zero Balance A/Cs	34.44	36.39	5.66
Overdraft Sanctioned	3.61	6.22	72.30
APY (Cumulative)	18.03	20.30	12.59

- ✓ During the FY 2020-21, more than 42 Lakhs PMJDY accounts were opened and the balances in PMJDY accounts increased by Rs. 1416 crs.
- ✓ Cumulative enrollments under APY increased by 2.27 lakhs during the year.
- ✓ PMJDY Overdrafts registered growth of 72.3% during the year by sanctioning Overdrafts to all eligible PMJDY account holders.
- ✓ 3595 new Business Correspondents locations (SSA & Non-SSA) were allotted Pan India.
- ✓ 27 services are provided by Business Correspondents at all BC outlets to the Customers.
- ✓ 37 villages in uncovered rural centers and in Aspirational Districts are provided with BC outlets to extend Banking services in these areas.

#### 11.5.2 New Initiatives Taken During FY 2020-21

- ✓ Paid Incentives to all the BCs who have actively provided Banking facilities during April'20, May'20 and June'20 after the outbreak of COVID-19 and during the lock down period last year in our Country.
- ✓ As per the instructions of Department of Financial Services, Ministry of Finance Bank has conducted Handholding and educated the Street Vendors

through our Business Correspondents towards distribution of QR codes to beneficiaries / Borrowers under “PM SVANidhi” scheme.

- ✓ Conducted special campaign in Aspirational Districts in order to augment performance in these districts.
- ✓ Implemented “JeevanPraman” –Life certificate registration through our BC Channels.
- ✓ Conducted APY Campaigns during the year in line with the Campaigns organized by PFRDA and won awards for the months of Sept 2020 and Nov 2020.
- ✓ Implemented Door Step Banking facility for our Customers during the year.
- ✓ BC monitoring App for the purpose of inspecting BC Points and getting the reports digitally is under final phase of testing.
- ✓ The process of making **FISTACK PORTAL** operational for on-boarding of BCs after migration of BC in the amalgamated entity.
- ✓ The process of implementation of opening of PPF (Public Provident Fund) and SSY (Sukanya Samruddhi Yojana) schemes through BC channels.
- ✓ The option to sanction PMJDY OD uptoRs. 2000/- at CO level was enabled on 31<sup>st</sup> March 2021. Around 8000 accounts are sanctioned with PMJDY OD for Rs. 2000/- till 31<sup>st</sup> March 2021.

#### 11.5.3 Awards and Recognition:

- ✓ **APY** :Bank has received award from PFRDA in the various campaigns organized by PFRDA.
- ✓ “**Power to persist**”: Bank was qualified for award for the month of September 2020.
- ✓ “**Warriors of Winning Wednesday**’ - **Monthly**: Bank qualified for the AWARD in the month for November 2020.

#### 11.5.4 Strategies For Business Growth:

- ✓ **Deployment of additional 15000 BC points (Non SSA) during the next FY 2021-22 –**
  - Allotment of Targets to FGMO / ROs /Branches
  - Involving and motivating all stakeholders to source viable locations with business prospects.
- ✓ **Digitization of the process of BC on boarding –**
  - Presently CBCs are approaching Regional Offices with physical applications for mandates and there is no mechanism to track & monitor the pendency of such applications, at Regional Offices which affects the TAT for on-boarding. Therefore, we plan to digitalize entire process

of on-boarding by involving Regional Offices in addition to existing CBCs and FI Team on this Digital Platform which will digitize entire process right from application uploading by CBCs to ROs, Processing & Recommendation by RO to CO and Integration of BC data and its activation at FI Gateway and CBS platform.

- **Deepening Relationship** - Bank has deepened relationship with PMJDY customers and pitch different suitable products of our bank. We are already offering 27 services through our BC Channels including enrolment of PMJDY account holders under Social Security Schemes (PMJ, JBY, PMSBY, APY). We also propose to implement enrolment under PPF and SSS (Sukanya Samriddhi scheme) at BC locations.
- ✓ **APY** : The Bank is actively participating in all campaigns launched by PFRDA and also taken steps to launch incentive campaigns during the year to motivate ROs and Branches for fresh enrolments.
- ✓ The Bank has sensitized ROs and Branches to extend PMJDY overdraft facilities to all eligible PMJDY account holders and ensure availing of Overdraft facility.

#### 11.5.5 Significant measures taken by the Bank on COVID-19 pandemic :

- Created awareness among borrowers on the relief measures, implemented a strict COVID-19 protocol for the safety of the customers and the staff members and encouraged customers to use our digital products and services.
- Moratorium on loan repayment was permitted to all eligible borrowers without formal requests or applications and extended need based emergency credit line to customers including a line of credit to MSMEs i.e., Union Covid Personal Loan Scheme.
- REMOTE AUDIT was implemented across the organization which resulted in significant cost savings for the Bank along with reducing the carbon footprint.
- Bank has waived penalty for non-maintenance of minimum balance and service charges for failure of standing instructions/auto debit towards installment of Term Loan and SIP Mutual fund for the period 01.04.2020 to 30.06.2020.

- Recovery of lien marked service charges suspended/postponed till 30.06.2020, if balance of any saving/current goes below Rs.10,000/-
- Bank has extended relaxations in compliance of Re-KYC to customers like there will be no restrictions on operations in all accounts including PMJDY/Small/BSBDA accounts till December 31, 2021 for the reason of pendency of Re-KYC.
- Bank has initiated Door Step Banking services from September 2020 at 100 locations across the country.

In its endeavor to support the staff members during this time of crisis, the Bank has taken following steps:

- a) Special leave provisions made for employees who are infected/quarantined.
- b) Persons with Disabilities (PWDs) and pregnant ladies exempted from attending office.
- c) Reimbursement of cost of COVID vaccination to employees and their dependents.
- d) Addition of Oxygen concentrator to the permissible items under the scheme of furniture loan to award staff and furniture scheme to Officers.
- e) COVID Special advance to all staff members in the form of one month's gross salary as interest free advance repayable in 24 months.
- f) Scheme for payment of Ex Gratia of lump sum amount of Rs.20 lakhs in case of unfortunate death of an employee due to COVID-19 infection.
- g) Securing debt payable by the staff through Group Insurance Scheme for staff loan accounts.
- h) COVID Action Teams (CATs) have been set up at FGMO/RO level for monitoring & prompt reporting of COVID cases among staff and for providing necessary assistance to affected staff members. Employees can reach out to the CATs for any SOS/assistance/support.
- i) Our Bank emphasizes on the importance of employees getting themselves as well as their family members vaccinated. FGMs / RHs have been advised to contact the Chief Medical Officers & other senior level government officials and arrange for mass vaccination program for the employees.

- j) The Bank has developed a COVID reporting portal for reporting of all COVID cases on a daily basis. The Bank has also developed a COVID vaccination tracking portal to capture details of employees vaccinated on a daily basis.
- k) FGMOs / ROs also advised to explore the use of Holiday Homes and Staff Training Centres as quarantine centres for staff members / dependents who need to isolate as a precautionary measure and present detailed proposals for the same to the controlling office for approval.
- l) Branches / offices advised to put up Posters/ banners highlighting symptoms and preventive measures of the corona virus to educate staff & customers. Customers to be advised to use alternate delivery channels for their banking needs.

#### 11.5.6 RBI/Regulatory/DFS Directions:

Bank noted to follow the directions received from regulatory authorities from time to time.

## 12 International Banking

**12.1** Overseas business of the Bank stood at Rs.18,190.00 Crore as on March 31, 2021 compared to Rs.24,345.00 Crore as on March 31, 2020. Your Bank has three overseas branches at Hong Kong, DIFC Dubai and Sydney (Australia). Your Bank also operates in the United Kingdom through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd. Your Bank also operates in Kuala Lumpur (Malaysia) through its Joint Venture - India International Bank Malaysia Berhad, which is a Joint Venture with Bank of Baroda (40% shareholding) and Indian Overseas Bank (35% shareholding). Your Bank shareholding is 25%.

**12.2** Due to the impact of Covid-19 pandemic across various geographies, the total business of the foreign branches during the FY 2020-21 has contracted by 18.30%. However, the operating profit has increased by 9.60% during the FY 2020-21.

Table 6: Overseas Operations				
(Rs. In crore)				
Particulars	31.03.21	31.03.20	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Overseas Deposits	2178	3649	-1471	-40.31
Overseas Advances	16012	20696	-4684	-22.63
Total Overseas Business	18190	24345	-6155	-25.28

## 13 Treasury Operations:

**13.1** To act as prudent liquidity manager in line with Bank's corporate goal. Treasury aims at generating optimum profit while managing the credit, market and liquidity risks as per policy guideline. Better cash management by different short term money market instruments and forex market. Maintaining a decent SLR & Non-SLR investment book with appropriate M-duration which will help us to enhance our profitability.

**13.2** Conserve bank's capital by reducing high capital intensive instruments and increase the NIM and ROCE by leveraging the less capital intensive instruments.

**13.3** Since the merger of e-Corporation bank and e-Andhra Bank with Union Bank of India on 1<sup>st</sup> April 2020, banks treasury portfolio and human capital has risen in a commendable manner. Because of the synergy which has been strategically and efficiently managed by leaders of the bank, Treasury was able to achieve better profitability for first years of merged operation.

**13.4** During the tiring Covid-time, bank was able to be at the forefront by availing significant quantum of funds under TLTRO and diffusing them to quality issuers.

### 13.5 Summary of performance during 2020-21

- Treasury performance target v/s achievement on major parameters during the FY 2020-21 are as under:-



Table 7: Treasury Performance		
Particulars	Target for 2020-21 (Rs. in Crore)	Actual for FY 2020-21 (Rs. in Crore)
Interest Income	22,000.00	22,584.54
Profit on Sale of Investment	2650.00	3648.64
Exchange Profit (forex)	650.00	481.73
<b>Total Treasury Income</b>	<b>25,300.00</b>	<b>26,714.91</b>

### 13.6 New Initiatives during the year:-

- ✓ **Capability Building:** Our focus is to strengthening manpower by imparting continuous trainings and educations for capability building. Today all of our forex dealers have completed the “FX-Global code of conduct” Certification offered by ACI FINANCIAL MARKET ASSOCIATION, Paris. We conduct regular quizzes on different policies, financial market topics etc. for entire treasury staff.
- ✓ **Treasury Research Group:** A newly formed Treasury Research Group has been providing daily pre and post market reports apart from weekly market update, monthly market update and occasional event based reports to summarize the market movements and give an outlook on the same. This group was able to scale up its operations during Covid times and has been inculcating a knowledge sharing platform. Team also started to organize pre-market open session with dealers on a daily basis, giving an outlook on various markets and on economic outlook for both domestic and global market.
- ✓ **Treasury Sales:** A team of vibrant officers has been set-up for sales of treasury products and handle end-to-end solutions of customers with regard to treasury products.
- ✓ **Dedicated Compliance Desk:** Compliance desk has been made more robust, thus making processes in treasury operations more full-proof which is a commendable step, considering the mammoth size of treasury portfolio.

### 13.7 Treasury Strategy

- Create large investment book during appropriate/conducive interest rate period and maintain M-duration as per approved policy. This will be a source of treasury profit.

- Explore all available arbitrage opportunities in financial market such as forex Vs money market, dated securities vs interest rate future (IRF), Dated securities vs overnight index swap (OIS), Long term treasury liabilities vs structured derivatives etc.
- Strengthening manpower through various in-house and external training

### 13.8 New Initiative Planned in FY 2021-22

- ✓ **Debt Syndication:** Being large PSU bank post amalgamation, Bank is getting wide access to various institutional/Corporate customers. Further, Treasury’s active participation in the Bond Market under TLTRO window has enabled us to interact with more corporate/FIs. Accordingly, Treasury will be strengthening Non-SLR desk for participation in the Bonds/CP/CD markets and more particularly for initiating Bond Syndications. The team will be actively supporting Bank’s Loan Syndication Desk proposed under the Large Corporate Vertical to offer a complete structured lending product mix. Bank will also increase its presence as IPA, thus aiding in branding of bank along with additional revenue source.
- ✓ **Structured Derivatives Desk Setup:** Bank has planned to set-up a dedicated structured derivative desk which will help customers to hedge their risks more efficiently and on real time basis. This has also been helping our credit verticals to reduce the cost of borrowing of customers by structured loan products with the help of structured derivatives.
- ✓ **Expanding Primary Dealership (PD) Business:** Post merger we have received departmental primary dealership (PD) business from e-Corporation bank. Primary Dealership business will give us additional source of income in the form of underwriting commission and trading income. For the FY 2020-21 trading income from PD Business was Rs. 4.82 Cr and underwriting commission was Rs 28.65 Cr.
- ✓ To make sales team even more capable by increasing the size of members and using digital mode to on-board new customers and provide seamless experience to old and new customers of the bank. Exploring possibilities of expanding PD Business through sales team.
- ✓ To strengthen research desk and to expand the research segment to credit research, this will strengthen our Non-SLR desk.
- ✓ Extension of White Label Trading Terminal to customers through RETAD and post implementation of Trade Finance Solution platform, which is being

procured by DFB department which will help in seamless experience for FX customers of bank.

#### 14 Asset quality:

**14.1** During FY 2020-21, your Bank made a cash recovery of Rs. 5191 crore in addition to up gradation of accounts to the tune of Rs 2674 crore. Control over slippages and better reduction was possible through continuous efforts and well designed strategy for NPA management. Movement of NPA for FY 2020-21 is as under:

( Rs. In crore )		
Particulars	FY 2020-21	FY 2019-20*
Gross NPA (Opening)	97193	48729
Additions	17443	14911
Less: Reductions	24849	14555
(I) Upgradations	2674	1871
(II) Recoveries	5191	4267
(III) Write-off	16984	8417
Gross NPAs (Closing)	89788	49085
Net NPAs	27281	17303

#### Measures to improve recovery:

- ✓ Creation of Stressed Asset Management Vertical [SAMV] at major identified centres(Mumbai, New Delhi,Hyderabad, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Chandigarh, Lucknow, Bengaluru) for handling the Large NPA Borrowal accounts having exposure of more than Rs.25 crore and all NCLT admitted accounts (irrespective of exposure).
- ✓ In order to explore the resolution and recovery proceedings for Large Borrowers in a more effective manner, a dedicated team named “Stressed Asset Management Vertical [SAMV]”is formed at various levels (At Central Office, At Zonal Office,At Regional Offices ) duly equipped with Staff having acumen of credit and recovery management for handling such borrowal accounts.
- ✓ A dedicated Litigation Management Team headed by DGM Law is formed at Corporate Office to handle the Legal Issues/matter related to IBC, DRT, SARFAESI etc.
- ✓ Mega E-Auctions being planned at monthly intervals Under SARFAESI .
- ✓ As a part of “EASE” agenda Process to fully Digitized

the Vertical is started. It will cover end to end process of all functions of the Vertical.

- ✓ Launch of online structured One Time Settlement Scheme to empower the field functionary for speeding up the Recovery, The scheme was non-discriminatory & non-discretionary in nature and delegation was given at field level for quick settlement of the eligible NPA accounts.

#### 14.2 Proactive Monitoring:

**14.3 Centralized Call centre:** Your Bank has set up Centralized Call Centre for monitoring of SMA borrowers under Retail and MSME sector within the range of 3.00 lakh to 5.00 Crore. Stressed accounts under credit card portfolio have been also covered by call centres.

**14.4 Specialization in Monitoring and recovery:** Your Bank has taken many proactive steps for monitoring of loans like;

- ✓ Specialized cell for monitoring of accounts in the range of Rs.100.00 crore to Rs.250.00 crore and above, both headed by Senior Executives.
- ✓ A system of identifying Early Warning Signals(EWS) has been put in place to proactively identify the signals of Stress/ Warnings in the borrowal accounts to facilitate taking timely corrective steps.
- ✓ Advanced analytical tools are being utilized to predict Early Stress Signals covering non SMA and non NPA portfolio of the Bank’s advances to facilitate initiating necessary measures to maintain the health of the Loan Book.

#### 15 Relationship banking

**15.1** Your Bank earned income of Rs. 240.57 crore through distribution of third party products, during the year

( Rs.in crore )			
Business Parameter	FY 2020-21	FY 2019-20	% Growth
Life Insurance	142.13	89.95	58.01
Non Life Insurance	48.72	14.43	237.63
Health Insurance	32.38	11.79	174.64
Mutual Fund	17.34	12.63	37.29
<b>Total</b>	<b>240.57</b>	<b>128.80</b>	<b>86.78</b>



## 15.2 Initiatives during the year:

The following new Group Insurance products launched in the Bank network:

- ✓ **COVID Benefit Product for the Customers of the Bank :**  
Insurance cover launched in association with Chola MS GI, which provide lumpsum payment upto Sum Insured on detection of COVID-19
- ✓ **COVID Indemnity Health Cover for the Bank employees:**  
Health Insurance Top-up Plan exclusively for the Bank employees for treatment of COVID-19 launched in association with Care Health Insurance.
- ✓ **COVID Indemnity Health Cover for Bank customers :**  
Health Insurance Top-up Plan exclusively for the Bank customers for treatment of COVID-19, launched in association with Care Health Insurance.
- ✓ **New Sampoorna Loan Suraksha Product :**  
Group Term Life Insurance Plan for Loan Customers of the Bank launched in association with SUD Life Insurance.
- ✓ **Super Top-up Health Insurance Scheme for the Bank customers :**  
Health Insurance Super Top-up Plan exclusively for the Bank customers launched in association with Manipl Cigna Health Insurance.

## 15.3 Digital Initiatives

- ✓ Bank has initiated the facility of buying PMJJBY insurance cover through UMobile App. This facility is already available in Internet Banking. For PMSBY, the enrolment process thru IB / MB is already in place.
- ✓ Bank has also took initiative in exchanging the data on real time basis by doing API integration of the Union Bank of India and SUD Life system, which has enhanced the customer experience and improved the TAT also.
- ✓ Bank has is also in process to launch a new Finacle menu (API Integration with Union AMC) to take online mutual fund applications from the eligible customers without submitting physical application forms in the branch.
- ✓ Bank has increased its footprints in the digital space, as Customers can now buy general insurance products (online) through the Bank's corporate website and UMobile App.

## 15.4 Social Security Schemes:

(fig: in Lakh)

Fresh Enrolments (01.04.2020 to 31.03.2021)				Cumulative Enrolments	
Target Mar 2021		Total till Mar 2021		As of Mar 2021	
PMSBY	PMJJBY	PMSBY	PMJJBY	PMSBY	PMJJBY
40	12	16.79	9.78	147.57	41.19

## Government Businesses:

### 16.1 Resource mobilization through Government

Resource Mobilization through Government Business stood at Rs. 2,58,732 Crore as of March 31, 2021 compared to Rs. 2,03,171 Crore of previous year. Bank has opened 19,022 accounts under National Pension System and recorded 51.96% growth over previous year. Bank has also made considerable progress in opening small savings accounts during FY 2020-21 which grew over by 27.46% over the previous year.

### 16.2 New initiatives to increase Government Business:

- PMCARES collections account
- Signed MoU with Small Farmers Agri business Consortium (SFAC) for Credit Guarantee Scheme & financing FPOs.
- Mobilised Eklavya Model Residential School- ERMS Ministry of Tribal Affairs-National Education Society for Tribal Students (NESTS) account and on-boarded them on PFMS.
- Opened 250 accounts of State, District and School level for Samagra Shiksha under Govt. of NCT of Delhi.
- Provided Payment Gateway facility to Orissa Mining Corporation Ltd. for mining fees collection.
- Provided online ticket collection facility to National Zoological Park, Delhi.
- Opened A/c of NAFED for collection and disbursement of FPO's.
- Opened 7,594 Panchayats Accounts in Uttar Pradesh and Rajasthan under 15th Finance Commission and on-boarded them on PFMS.
- Provided Payment Gateway facility for online collection of penalty Charges to Central Electricity Regulatory Commission (CERC).
- Opened 392 school accounts for collection of Vidyalaya Vikas Nidhi (VVN).
- Provided online fee collection facility to NIFT Srinagar and Gandhinagar.
- Signed MoU with NSFDC & NBCFDC for new interest subvention scheme "VISVAS Yojana" for SC & OBC SHG and Individual Beneficiaries.

**16.3 Human Resource Management :**Your Bank strives to offer the best in class employment experience by investing in its human capital and taking measures to constantly reinvent its people processes. Your Bank has been at the forefront in introducing industry best practices to empower its workforce as well as to meet the corporate objectives. Alongside people development, the focus during FY 2020-21 has been on automation and digitization of processes for seamless functioning. The industry has recognized and lauded your Bank's efforts through numerous awards received during 2020-21, for HR innovation, Leadership & Training.

**16.4 Manpower Strength:**

The main objective of Human Resources Management is to ensure high performance of employees for achievement of organizational goals along with their personal growth. The growth of the Bank depends on the efficiency and effectiveness of its human resources. It has been the endeavor of your Bank that optimum work force is available at all field and functional outlets of the Bank at all times.

The total Manpower of our Bank as on March 31, 2021 stood at 78202.

**Table 10: CATEGORY OF EMPLOYEES**

YEAR	OFFICERS		CLERKS		SUB-STAFF		TOTAL		Total Staff Strength
	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	
2019-20	17398	5671	8050	3045	2668	486	28116	9202	37318
2020-21	31629	11505	17763	8225	6585	2495	55977	22225	78202

Your Bank has been reviewing the requirement of staff in various cadres every year and an analysis of the vacancies in various cadres is being made having regard to growth of business, future branch expansion/ rationalization, attrition on account of resignations, retirements on superannuation/ VRS etc.

The guidelines for reservation in employment for specified categories are strictly followed by your Bank as per Govt. Policy on reservations. Accordingly, the indents are placed with the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), Mumbai. The representation of all reserved categories of employees within the overall staff strength is as

detailed below:

Particulars	Officers		Clerks		Sub-staff		Total	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
<b>Total Employees</b>	<b>43134</b>		<b>25988</b>		<b>9080</b>		<b>78202</b>	
<b>Scheduled Castes (SCs)</b>	7429	17.22	5095	19.61	3208	35.33	15732	20.12
<b>Scheduled Tribes (STs)</b>	3466	8.04	2007	7.72	751	8.27	6224	7.96
<b>Other Backward Classes (OBCs)</b>	12061	27.96	7903	30.41	2867	31.57	22831	29.19
<b>Economically Weaker Section (EWSs)</b>	148	0.34	294	1.13	0	0	442	0.56
<b>Differently Aabled (PWDs)</b>	860	1.99	458	1.76	90	0.99	1408	1.80
<b>EX-Servicemen</b>	843	1.95	3156	12.14	824	9.07	4823	6.17

**16.5 Succession Planning:** Your Bank initiated the process of Succession Planning for all critical roles. Your Bank has formed a Talent Management Committee to identify talent pool and a Senior Management Committee to identify potential successors. Individual Development Plans have been prepared as customized development paths for high potential candidates to enable them to take up the critical roles, a few years from now.

**16.6 Performance Management - Project Prerna:** Your Bank is re-designing the Performance Management System (PMS) by focusing on core values & talent management, performance analysis, system-driven postings and Rewards & Recognition with the help of digital & IT tools and technology architecture under Project Prerna. The new PMS shall measure the effectiveness of the corporate strategy to not only communicate the corporate goals to all stakeholders but also to equip them to realize the collective vision and inculcate performance culture. The revamped system will enable measuring of employee performance more objectively so that course correction measures can be taken on time, training needs can be analysed and deployment decisions can be based on the calibre and potential of employees.

**16.7 Learning & Development: During FY 2020-21** your Bank's Training system explored & redefined the learning solutions amid the challenges of amalgamation and COVID-19 pandemic to keep the learning journey of its workforce uninterrupted by conducting webinars, short duration / long duration programs to bridge the competency gaps. The e-learning modules on various functional aspects of banking were enriched to enhance ease of learning to field users. Need-based virtual class room programs were conducted for the amalgamated workforce.

Your Bank also rolled-out in-house programs catering especially to IT & HR integration which included Cultural Integration program series "We Are Union" for executives & Branch Managers and training on Finacle 10 to more than 20,000 employees of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank. 1345 online classroom programs (long durations) covering 58602 employees were conducted during FY 2020-21. Further, 590 employees were provided trainings to learn the latest developments in the industry at external institutes.

**16.8 New Initiatives / Digital Initiatives of your Bank:**

- **Online Transfer & Deployment Tool:** A tool for recording and processing transfer requests has been developed to enable your Bank to carry out end-to-end deployment, transfer and rotation activities digitally.
- **Grievance Portal for Retirees:** A web based portal has been developed to facilitate retired staff members to lodge grievances related to terminal benefits / medical insurance / other areas. The portal has been specially designed to give a platform to retired staff members to reach out to the Bank for specific queries / issues and act as a one stop shop for grievance resolution.
- **Medical Insurance App:** An application called "Union Bank Healthcare" has been developed for end to end management of medical insurance process. The app is aimed at simplifying the entire claim process for staff members thereby providing them comfort in times of need.
- **Role Clarity Tool:** The tool has been designed for all Officers at branches to assign roles & communicate KRAs (Key Responsibility Areas) to the respective branch officers. The tool aims to ensure growth & empowerment of all officers. Through this tool, all branch roles have been categorized as budgetary / measurable to ensure joint accountability towards achieving the branch targets & to increase individual performance. As per the strategic management

approach the KRAs have been redefined to cover 5 aspects viz. Business Performance, Operational Excellence, Seamless Customer Experience, Job Satisfaction & Individual Development which will benefit all stakeholders in manifold. The performance score of the officer will depend upon the performance of the branch.

- **ER Package:** The existing ER (Employee Relations) package is being modified to accommodate additional details related to ongoing & pending disciplinary cases. An ER dashboard is also designed to give zone-wise / region-wise status report of pending cases which will help keep track of the TAT and facilitate expeditious completion of cases.

**16.9 Official Language:** Your Bank was awarded Rajbhasha Gaurav Puraskar and 4 prestigious Rajbhasha Kirti Puraskar by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Gol:

- Best Bank – First
- Best Magazine – Second
- Best TOLIC – Second
- Best Magazine – Second

During the Financial year 2020-21, your Bank received 51 Awards from different TOLICs (Town Official Language Implementation Committees) for outstanding performance in Official Language Implementation. SMS facility for all customers is now available in 13 languages. Call Centre facility is available in 11 languages. U-Mobile application is available in 13 languages. Your Bank also published a Cartoon Book on 'RTI- Mera Adhikar Meri Takat' during the year.

"Union Dhara", your Bank's quarterly bilingual corporate in-house journal, received 9 prizes from ABCI (Association of Business Communicators of India) and also received the "Champion of Champions" award. "Union Srijan", Bank's quarterly Hindi corporate in-house journal, received the prestigious RajbhashaKirtiPuraskar by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Gol. Special issues of Union Dhara on 'COVID' and 'Aatmanirbhar Bharat' were also published.

## 16.10 Awards & Accolades (FY 2020-21)

Sr	Awarded By	Category
1	National Feather Award	Hall of Fame Award for MD & CEO
		Best Advance in Competency Management
		Best in Training & Organizational Development
		CHRO of the year
2	Golden Peacock	Golden Peacock HR Excellence Award - 2020
3	Apex India HR Excellence Awards & Business Excellence Awards	Apex India Best Strategy in HR 2020
		Apex India HR Oriented CEO Award 2020
4	Greentech HR Award	Technology Excellence
		Leading CEO of the year
5	Global HR Excellence Award by World HRD Congress	Best Service Provider in HR
		Award for Excellence in Learning & Development
		CHRO of the Year
6	World CSR Congress	CEO of the Year
		Best Training solutions during COVID 19 times
7	The Future of Tech Congress & Awards presents 'The Internet Entrepreneur Awards	The best Digital Transformation of a training programme in response to Covid 19
8	Golden Peacock	Golden Peacock National Training Award 2020

## 16.11 Assistance to employees during the COVID-19 pandemic:

Business Continuity Plan (BCP) meetings were conducted at regular intervals to review the COVID situation and its impact on the continuity of services. Your Bank took initiatives for containment of COVID 19 and issued advisories, guidelines and Standard Operating Procedures (SOPs) for the same. Your Bank also encouraged 'Work from Home' during the pandemic with specific preference to physically challenged staff and pregnant women staff. Your Bank permitted reimbursement of vaccination cost to its employees to encourage early vaccination. Provision of Ex-gratia of Rs. 20 lacs was done for the families of those employees who lost their lives due to COVID 19. Efforts were made to increase awareness among employees about the pandemic and various precautionary measures & social protocols to be followed for prevention of the spread of the virus through circulars and other means. COVID Action

Teams (CATs) were set up at zonal & regional level for monitoring & prompt reporting of COVID cases among staff and for providing necessary assistance to affected staff members.

## 17 Branch Network

Branch network of your Bank is widely spread across the country with 9312 branches and 3 overseas branches as on March 31, 2021. Out of these 56 per cent of the branches are located in rural and semi-urban centres.

Table 11: Branches Network As on 31.03.2021

	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Foreign	Total
No of Branches	2557	2724	1966	2065	3	9315
Branches (%)	27	29	21	22	--	--


## 18 Measures to enhance Digital Network

**18.1** Bank has taken initiatives to impart virtual education on digital products to digital ambassadors posted in various Regional & Zonal offices through its innovative concept "DigiBaat". During the year, contact less payments were encouraged by distributing more than 2 lakh UPI QR codes to small street vendors. Bank took active part in the Digital Apnayan campaign (15.08.2020-31.12.2020) launched by Department of financial Services (DFS) and on boarded more than 39 lakh accounts on Digital platform. During the year, Bank laid focus on banking from comfort of home and launched campaign for on boarding of customers on Mobile Banking during last quarter of the Financial Year.

**18.2 Mobile Banking:** UMobile witnessed an incremental growth in terms of number of users as a result of focus on "Banking from home" amidst pandemic and also with the focused campaign on onboarding of customers on UMobile.

**18.3 EASE 3.0 (Enhance, Access & Service Excellence):** Under new Ease 3.0 guidelines, services were added on alternate delivery channel to the ease of customer. Bank's efforts under EASE were also recognized and it was awarded 2<sup>nd</sup> position amongst banks for performance under the theme "Tech Enabled Ease of Banking" for the Dec'20 quarter.





**18.4 Debit Cards:** Bank continued to issue debit cards during the year with focus on NCMC enabled contactless RuPay Debit cards. All debit cards are activated in real time.

**18.5 New Initiatives :**

- **Point of Sale (PoS):** In order to encourage contactless payments, Bank successfully enabled NCMC technology on 46,846 Point of Sale machines till the end of FY 2020-21, thereby allowing existing and new PoS merchant to accept payment through contactless RuPay debit cards.

Growth on Digital Channels (Figures in lakh)				
Channels	31.03.2020	31.03.2021	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Mobile Banking (in lakhs)	82.27	121.92	39.65	48.19
Internet Banking (in lakhs)	63.14	68.30	5.16	8.17
Debit Cards	423	446	23	5.43

- **Mobile Banking:** With emphasis on contactless banking and providing one stop solution for all banking services, many new features were rolled out in UMobile such as:
  - Mobile Banking services for Non Resident Indians
  - Booking of Flight tickets
  - Real Time Google news on Mobile app
  - Set Transaction limits for various types of payments under Value Added Services
  - Credit Card Module providing facility to Make Payment, Set PIN & Convert to EMIs.

**18.6 Internet Banking:**

- The indent of applying for corporate internet banking facility was automated leading to increase in efficiency of processing of applications.
- New mobile app, U-Token was launched to facilitate generation of One Time Password (OTP) for logging into internet banking and also completing transactions.

**18.7 UPI QR Code:** Bank has distributed more than 2 lakh UPI QR codes to small street vendors for accepting small value payments from customers, thereby taking digital penetration to the bottom of the pyramid.

**18.8 Progress under social media:**

- Bank’s official pages were launched in Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and LinkedIn under project Union Connect in 2016.
- With continuous moderation and monitoring of messages, comments and activities, your Bank’s official pages are very responsive replies within minutes, your Bank is maintaining Facebook page rating as “ 94% Responsiveness” and with a response time of “within minutes” and all the official handle are responsive on 24x7 basis.
- The position of followers in comparison with the previous year is as under:

Sl. No.	Name of the Social Medi- al Handle	Followers as at (in lakh)		% Growth in follow- ers on YoY basis
		March 2020	March 2021	
1.	Facebook	14.76	15.53	5.22%
2.	Twitter	1.45	2.05	41.38%
3.	Instagram	0.63	1.09	73.02%
4.	YouTube	0.16	0.32	100.00%
5.	LinkedIn	0.32	0.52	62.50%

- Through Digital Marketing, your Bank is also engaged in e-commerce business tie-ups to promote Bank’s products & services and publicize the same over social media handles and website. Bank conducts campaigns through Google Ads, YouTube and LinkedIn to promote it’s products and services and get more reach on Corporate Website. Your Bank is continuously striving for increasing the share of digital marketing in overall publicity cost.

**19 Risk management – A proactive approach towards identifying and mitigating risk:**

**19.1** Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. Your Bank constantly endeavours to ensure that business function partners with the risk management function to enhance shareholder value and ensure judicious use of available capital.

**19.2** Risk Management is a Board driven function in the bank with the Risk Management Committee (RMC) at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The Board of Directors of the Bank approves the Risk appetite and Risk policies for the Bank. The RMC supervises implementation of the risk strategy and policies, reviews the level and direction of risk, prudential ceilings, portfolio diversification and monitors the risk reporting. The risk strategy and policies are effectively communicated to all branches and offices of the Bank.

**19.3** Your Bank addresses Credit, Market and Operational risk through appropriate policies, organization structure, risk management techniques, adequate systems, procedures, monitoring and reporting mechanisms. It has a well defined risk appetite statement and the independent risk function to ensure that the Bank operates within its risk appetite.

#### **Credit Risk Management:**

**19.4 Credit Risk Management Committee (CRMC):** CRMC oversees the credit risk function in the Bank. In line with its asset quality management objective, Bank strives to maintain a strong asset quality through disciplined credit risk management. Bank has well defined credit appraisal mechanism and risk assessment practices in place for identification, measurement and monitoring. Bank has various instruments for credit risk management, which include credit risk management policies, Credit approval Committee, Prudential exposure limits, Risk Rating system, Risk based pricing and Portfolio Management.

**19.5** Your Bank has well defined and comprehensive internal rating / scoring models for retail and Corporate Credit risk Assessment. Bank has set up a centralized rating pool at Central Office to improve the rating quality, create a robust rating data base for better administration of rating models. For better management of risk assessment, Centralized rating pool is given the final responsibility for finalization of credit rating of the corporate borrowers whose rating process was initiated at the branch level.

Apart from internal credit rating models, Bank has introduced credit risk review framework for large value accounts whereby proposal specific risks are highlighted to the sanctioning authorities.

**19.6** Bank has a standardized and well defined approval process for all advances. It adopts a committee approach for credit sanctions and has approval committees at various levels.

**19.7 RWA computation Methodologies:** Credit RWA for loan & advances is computed under the Standardised Approach prescribed by RBI.

#### **Market Risk Management:**

**19.8** Asset Liability Management Policy, Treasury Policy and Market Risk Policy aid in management and mitigation of market risk in the banking and trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. The ALM Desk and Mid Office of Treasury manage the market risk in the Banking and Trading books respectively.

**19.9** The Asset Liability Committee meets regularly to review and decide on the size, mix, tenor and composition of various assets and liabilities. It primarily does identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. Pricing of asset and liability products is also decided by ALCO.

**19.10** Your Bank ensures proactive liquidity management, develops stress scenarios and also has a contingency liquidity plan in place. Bank has adopted the liquidity risk management guidelines issued by RBI pursuant to the Basel III framework on liquidity standards. These include the intraday liquidity management and the Liquidity Coverage Ratio (LCR). Monitoring of liquidity is proactively done both through stock approach and flow approach.

**19.11** Bank has an independent mid office positioned in Treasury which reports to Risk Management. It ensures compliance in terms of exposure analysis, limit monitoring and calculation of risk sensitive parameters like Value at Risk, PV01, Duration, Defeasance period etc. Market risk capital is computed under the Standardized Measurement Method (SMM).

#### **Operational Risk Management:**

**19.12** The comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as



primary means for managing Operational risk. The bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank of India guidelines. All new products introduced by the bank pass through a Product Evaluation Process to identify and address operational risk issues. Variations in existing products as well as risks in outsourcing activities are also reviewed. The Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last thirteen years and it is analyzed for taking corrective measures so that these losses do not recur. Process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for assessing the residual risks in the processes of the various products of the Bank. Key Risk Indicators have been identified for various processes and the threshold limits have been fixed.

**19.13** Your Bank is currently following the Basic Indicator (BIA) for capital computation under Operational Risk.

**19.14** As a good corporate governance measure, the Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. Recognizing the importance of Business Continuity Planning (BCP), for minimizing the adverse effects of business disruption and system failure, the Bank has also put in place a BCP policy which provides a blueprint detailing a wide range of responses under disruptive environment to protect the interest of its staff, customers and assets of the Bank.

### Group Risk Management

**19.15** Your Bank has participated in diversified financial services like banking, securities and capital markets, insurance and retail asset businesses. Bank has put in place a framework / policy for assessment of risks in its Group entities, internal controls and mitigation measures, and capital assessment, under normal and stressed conditions. The bank through its Group Risk Management Policy, aims to achieve a group-wide approach to ensure that key aspects of risk that have a group-wide impact are considered in its conduct of business.

### Fraud Risk Management

**19.16** Your Bank has a Board approved Fraud Risk Management Policy in place. Bank has Fraud Review Council, Operational Risk Management Committee, Credit Risk Management Committee, Audit Committee of the Board and Special Committee of Board for Monitoring of Fraud Cases to examine the cases of frauds/ attempted frauds and to put in place systems and procedures for prevention of frauds. Apart from reporting all the frauds cases of

Rs. 1.00 lakh & above to the Board, the Bank also reports all the fraud cases of Rs. 1.00 crore & above to the Special Committee of Board for Monitoring of Fraud.

**19.17** Your Bank has implemented Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRM) for proactive fraud detection in transactions through various digital channels.

## 20 Compliance

**20.1** Your Bank has implemented a robust compliance system along with a well documented Compliance policy. The focus of compliance function is adherence to the regulatory compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other prescribed codes, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.

Your Bank conducts regular Compliance Test Checks on Customer Service, KYC-AML checks including B Category branches and Credit Process Audit conducted across the Regions pan India.

**20.2** Your Bank has an in-house Compliance package to monitor, control & follow up communications received from Regulators/ Ministry/IBA/BBB. Periodic compliance test checks put in place for effective implementation of mandatory guidelines. The role & responsibility of compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. Your Bank has a well established reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through self certification process; Compliance certificate is submitted by branches to the respective ROs/ ROs to FGMOs. FGMOs & CO verticals submit the compliance certificate to the Compliance Department every quarter

## 21 Internal Audit System

An effective and efficient internal audit function provides an independent assurance to the Board and senior management on the quality and effectiveness of Bank's internal control, risk management, and governance systems and processes.

**21.1** During the FY2020-21, Bank has conducted 6734 branch audits and 1370 audits for other units.

**21.2** Apart from the above audits, Bank has concurrent audit system covering 61.77% of total deposits and 78.59% of total advances of the Bank which ensures compliance of RBI guidelines and also conducting Management Audit, IS Audit, OTMS Alerts, SWIFT Audit, Bill of Entry Audit, Foreign Branches Audit, Forex Branches Audit and Expenditure Audit for effective follow up and monitoring.

## 22 Cyber Security

**22.1 Cyber Security:** Your Bank has a separate vertical at Central Office for overseeing Cyber Security functions. Bank has implemented Cyber Security Operation Centre (CSOC) and deployed a dedicated skilled team to manage it. The CSOC helps to identify, detect, protect & prevent the cyber threats.

Bank has created Cyber Security Governance structure comprising of Policies, procedures, guidelines and committees at executive & Board level to oversee the development of cyber security posture of the Bank.

**22.2 Comprehensive Cyber Security Awareness Programme (CCSAP):** Your Bank has developed comprehensive Cyber Security Awareness Program (CCSAP) to enhance the level of cyber security awareness among its customers and employees. To aware the customers for cyber security tips Bank is using multiple channels to reach customers viz. social media, corporate website, internet banking login page, ATM, SMS, Emails, Display units in branches etc. This has led to an increase in the overall cyber resilience.

## 23 Information Technology :

Your Bank has undertaken several new IT initiatives in order to provide better customer experience and enhance the services during FY 2020-2021.

**23.1 IT Landscape Integration of e-Corporation Bank and e-Andhra Bank with Union Bank of India** was completed on 30<sup>th</sup> November 2020 and 25<sup>th</sup> January 2021 respectively. IT Amalgamation of both banks was completed in a record time of 11 months amidst the COVID-19 pandemic. During the duration of amalgamation, Bank implemented FinacleMobi-Teller application to facilitate inter-Bank fund transfer among the three amalgamating entities. 9.23 Crore customers and 9.33 Crore accounts were migrated seamlessly with least customer interruption. While e-Corporation Bank Branches/Offices were migrated in four tranches, e-Andhra Bank Branches were migrated in three tranches. Human Resource Management System (HRMS), ATM Switch, NEFT, RTGS, IMPS, Lending Automation System (LAS) and Audit application were successfully migrated for amalgamated entities. Integration of payment applications viz. ATM Switch, Debit Card, NEFT/RTGS Gateway, IMPS Gateway and Doorstep Banking for e-Corporation Bank and e-Andhra Bank were completed prior to the migration of Core applications. Integration of Core applications namely Core Banking System (CBS), Internet Banking (FeBA), Mobile Banking,

Financial Inclusion, Cheque Truncation System (CTS), Government Business Module (GBM), Cash Management System was carried out in a smooth manner and seamless IT integration was achieved with very minimal inconvenience to its valuable customers.

**23.2** The Bank has established Application Programming Integration Management (APIM) to facilitate seamless and secure integration with third parties. Various projects under APIM are:

- Rajasthan State Beverages Corporation (RSBC) - Integration between Bank and Rajasthan State Beverages for challan based payments has been implemented on real-time basis. This has enabled the ease of fund transfer and remittances to the corporate customer on an instant basis.
- Door Step Banking (DSB) - Door Step Banking for financial & non-financial including JeevanPramaan facility has been made available to eligible customers with integration provided by M/s Integra and M/s Atyati.

Financial services include cash withdrawal while non-financial services include cheque book delivery, pensioner life certificate acceptance, account statement delivery.

- Government e-Marketplace (GeM) - Government e-Marketplace, hosted by Directorate General of Supplies & Goods (DGS&D), for challan and nonchallan based payments has been enabled for Corporate customers for real-time usage.
- FASTag Integration – Customer can purchase and recharge FASTags from Bank Branches on the fly. Vehicle Registration Numbers are validated online and FASTags issued over the counter. This facility is available for both individuals and corporate customers.
- Haj Fees Collection Integration - Haj Collection Service has been made available for Challan based payments through Bank Branches.
- Real-Time Debit card ready kit activation – Debit card activation in real-time has been implemented to give the customers the comfort of using the debit card immediately after the activation.
- Automated Account Statement through email - Automated emailing of monthly statement for saving and current accounts which are operational have been implemented.
- Implementation of Positive Pay – Positive Pay facility wherein has been implemented for sharing the customer cheque details to NPCI. Customers can provide the details including cheque number, date,

amount and payee name through e-banking and Branch banking.

- Integration for Shishu Mudra – Online account opening to disbursement of Shishu Mudra Loan facility in 7 easy steps has been made available to eligible customers. Documents execution is through NSEL for tamper proof and reduced cost.
- PMSVANidhi–Real-time integration with PMSVANidhi portal has been enabled for automated account opening to disbursement at Bank Branches.
- Current Account Opening from Ministry of Corporate Affairs (MCA) Portal – MCA portal and Bank has been integrated so that eligible customers can avail real-time current account opening including verification of KYC documents and vaulting of the same for future reference.
- SUD Life Integration – Star Union Dai-Chi Life Insurance products has been expanded and made available in the Core Banking System for easy customer on boarding and instant premium payments from Bank Branches.
- Mutual Fund Integration - Union Asset Management Company has been integrated to provide mutual fund statement in PDF format.
- Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) collection - Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) and the Bank has been integrated for challan based payments. This helps the customers to reduce fraud, and phase out large cash handling.

**23.3 GREEN PIN** – The facility wherein the debit card pin is generated using the debit card, ATM and registered mobile number has been introduced for all the customers of Union Bank at all the ATM terminals.

**23.4 Pre Approved Personal Loan facility** has been introduced through Mobile Banking for eligible customers to avail instant loan facility.

**23.5 Online Personal & MSME Loan account opening** made available to customers wherein customer eligibility ascertained in real-time and in-principle sanction is provided reducing the time it takes for customers to open accounts.

**23.6 India First Life Insurance** – Customers can avail India First Life insurance products through e-banking and Branch banking.

**23.7 Automated E-stamping System (AES) and e-Signing** through NSEL has been made operational. This makes the documents tamper proof, instant execution and also reduces the cost of maintaining the documents.

**23.8 Portal for 'DIAL A LOAN'** – Through 'DIAL-A-LOAN' facility, once a customer dials the specified Bank number, the customer will receive a call from Bank executive through which the customer will be guided to apply to various loan products like Business Loan (upto 5 Crores), Mudra Loan, Home loan, Vehicle Loan, Personal Loan & Credit Card.

## **24 Operations Department :**

The Bank has taken various initiatives and actions taken in respect of Operations during FY 2020-21.

**24.1 Grievance Redressal Mechanism:** The Grievance Redressal Mechanism has been further strengthened to cater to the need of Amalgamated entity. The roles and responsibilities at each level of Grievance Redressal Mechanism has been clearly identified and defined. Mechanism to resolve the complaints and Standard Operating Practices has been defined at all level to speed up the process of grievance redressal.

**24.1.1 Grievance Redressal policy:** The revised policy outlines the frame work for addressing customer grievances; it aims at minimizing instances of customer complaints and grievances through a well-structured escalation matrix and pre-defined TAT's depending upon the nature of complaint. The purpose is to ensure prompt as well as effective redressal of customer complaints.

**24.2 Union Care :** The Bank has launched a handbook by the name of "UNION CARE" which covers the categorization of complaints, probable reasons of complaints and remedial measures, escalation matrix and contact details of officials nominated for resolving customer complaints in the area of ATM, Internet Banking , Pension, mobile Banking, Door Step Banking, NEFT/RTGS, ASBA/DEMAT etc.

The Handbook is helping the Field Functionaries for early resolution of customer complaints in better way.

**24.2.1 Updation of Grievance Redressal Officer Details on Bank's Website:** The Bank has now uploaded the contact and other details of FGRO and RGRO in our website, to enable ease to customer in quick resolution of complaints. We have also issued a detailed action plan, Do's & Don'ts, alternate arrangement during tour / leave of RGROs / FGROs for redressal of grievances posted at RO's/ZO's. Now our website contains the structured Grievance Redressal Mechanism from Chief Grievance Officer level to ZO and RO level.

**24.2.2 Handling of Customer Grievances :**The details of customers complaints received during financial year 2020-21 is given below:

Particulars	Count
Complaints outstanding as on 01 <sup>st</sup> April, 2020	1517
Complaints received during the year	404909
Complaints resolved during the year	396554
Complaints outstanding as on 31 <sup>st</sup> March, 2021	9872

**24.3 Implementation of Positive Pay System:** In line with RBI directives our department has issued Maiden policy on Positive Pay system which involves a process of validating key details of large value cheques.

Under this process, the issuer of the cheque submits electronically, through channels like SMS, Mobile App, Internet Banking, ATM etc. certain minimum details of that cheque (like date, name of the beneficiary/payee, amount etc.) to the drawee Bank, details of which are cross checked with the cheque presented under CTS of Presenting Bank. Any discrepancy is flagged by CTS to the drawee Bank and presenting Bank, who would take redressal measures.

**24.3.1 Threshold Limits under Positive Pay System :**

- a) Availing this facility is at the discretion of the customer.
- b) For cheque/instrument of value Rs.50,000/- and above, enabling of Positive Pay System to all customers, usage will be at the discretion of the customer.
- c) For cheque/instrument of value Rs.5,00,000/- and above, enabling of Positive Pay System to all customers at their discretion. However after opting for Positive Pay System, it will be mandatory for those customers presenting cheque/instrument above Rs. 5,00,000. Making the Positive Pay related threshold limit mandatory, will be implemented in a phased manner.

**24.4 Introduction of Door Step Banking:** Doorstep Banking is one of the key action points under EASE (Enhanced Access and Service Excellence) Agenda of Department of Financial Services, Govt. of India. In accordance with the guidelines of DFS, Bank has launched Doorstep Banking services across at 100 centers across country on 09.09.2020, covering 700 branches for Non-financial/financial transaction. The details are as under :

Particular	Cumulative Count till		
	30.09.2020	31.12.2020	31.03.2021
<b>Total Transactions</b>	<b>303</b>	<b>12256</b>	<b>27459</b>

As per IBA report Bank is at 2nd position after SBI, in the total completed DSB requests (with 17% share), in the Industry.

**24.5 Maiden Policies :**

**24.5.1 Maiden Policy on Death Claim:** The Bank had various guidelines, directives regarding settlement of Death Claim. However, there was no standardized Policy. Now, the Board approved Maiden Policy on Settlement of Death Claim has been put in place including clarity on powers delegated to various authorities.

**24.5.2 Maiden Policy on Staff Deposit and Payment of Additional interest:** Bank has formalized a standardized policy with common standard guidelines post amalgamation for all branches situated domestically to administer the benefits with transparency and equitably.

**24.5.3 Maiden Policy on Positive Pay :**In line with RBI guidelines issued vide letter no.RBI:2020-21:41 DPSS.CO. RPPD.No.309:04.07.005:2020-21 dated 25.09.2020, Bank has issued this policy to safeguard the customers' interest and avoid possible dispute and time taken in settlement of such disputes and to have cross verification system available to the officials to review the information in Positive Pay System to take the decision on behalf of customer.

**24.6 Digital Document Execution:** Bank has tied up with NeSL for execution of loan documents in case of personal and vehicles through digital mode. Product was launched on 11.11.2020 at 7 states namely Rajasthan, Delhi, UP, Tamil Nadu, Karnataka, Jharkhand and Puducherry for digital execution of personal loan and Union Miles loan documents at the convenience of the customer without visiting the branch. So far, 162 documents are executed. Additionally, 3324 documents of Shishu Mudra Loans are also executed through DDE.

The product will go a long way in giving a technological edge to the Bank and establish itself as a pioneer in new age banking.

**24.7 “MY DIARY” (Complete Information on a Single click of Button) portal for Branches/ Offices:** We have developed a new Intra-Net based portal by the name of “MY DIARY” for the use of branches. The portal is implemented in the cloud which will contain many crucial information about the branch including KEY PERFORMANCE INDICATORS



as well as various data related to Operations and Liability products.

We envisage this portal as a single point for all reporting, monitoring and information dissemination needs.

**24.8 Churn Model :** In order to avoid slippage of accounts into dormant/inactive/closed category, churn model has been developed and launched across regions. This model is built on decision tree on identified 19 parameters. This model generates early warning signals for liability products and facilitates branches to take preventive measures accordingly.

**24.9 Account Statement on Email:** More than **two crores** account statements are being sent to customers for schemes such as SB, CD, CC, OD etc. on their registered emails every month since June 2020.

## **25. Vigilance:**

**25.1** Vigilance wing of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO). The CVO is assisted by a team of Functional Vigilance Officers and Field Vigilance Officers stationed at the Central Office and Zonal Vigilance Cells / Regional Vigilance Cells respectively headed by a DGM and 4 AGMs. The vigilance functions in the Bank are primarily in the nature of preventive, detection and participative, rather than taking punitive action. Bank takes many preventive steps to reduce the chances of frauds / malfeasance and strives for zero tolerance against corruption.

**25.2** The Bank has adopted a Whistle Blower Policy pursuant to which employees of the Bank can raise their concerns relating to fraud, malpractice or any other activity or event which is against the interest of the Bank or society as a whole. As per the Whistle Blower Policy, the Executive Director looking after HR is the designated Nodal Officer for all whistle blower complaints. In order to sensitize the staff members and citizens about the importance of PIDPI/ Whistle blower mechanism, an in-house short film, 'PIDPI ka Pravdhan : Satark, Jaagruk Hindustan' was released to educate them to come out and report incidences of fraud/ corruption.

However to safeguard the Bank against internal / external threats like frauds, bribery, corruption, abuse of authority, non-compliance of laid down systems & procedures, constant vigilance at all level is necessary, through a process called 'participative vigilance'. To popularize the scheme, awareness is created during the VAW and during preventive vigilance visits to the branches.

Preventive Vigilance Visits are surprise visits to branches by vigilance officials, the very purpose of

which is to sensitize the staff about the importance of following the laid down rules and procedures by the Bank from time to time. In F.Y. 2020-21, 3890 visits were conducted.

In addition to the PVV, an offsite surveillance system is adopted by the Bank which helps in detection of abnormal transactions irregularities etc. and thereby initiate corrective action. During the year, 3367 alerts were raised under off-site surveillance, which were referred to the controllers for taking appropriate corrective actions.

During the year, 27 systemic improvements have been undertaken by the concerned departments as suggested by the Vigilance Department in order to streamline the processes and systems in the Bank. Control Returns also sent regularly to various statutory and regulatory bodies (CVC, RBI, MOF, CBI etc) as demanded by them to enable them to exercise a general check and supervision over our vigilance cases and anti-corruption work.

In view of CVC directions, the Bank observes the Vigilance Awareness Week every year during October – November by conducting variety of internal and outreach vigilance awareness programmes for the staff members, school-going children, rural strata of the society and all citizens of the country. This year too, despite the stressful outbreak of Covid pandemic, no stone was left unturned for successful execution of this Week and activities were conducted all over the country under the theme, 'Vigilant India, Prosperous India' from 27th October 2020 to 2nd November, 2020.

Events like debates, essay writing, drawing, elocution, tree plantation programmes, quiz, health camps etc. were conducted, mostly using online mode. Webinars by experts were arranged on topics related to different areas of banking viz. financial inclusion, cyber security, behavioral and leadership skills etc. to sensitize the customers, executives, staff members, business correspondents and public at large. A special issue of 'Union Vigil', the quarterly newsletter on vigilance and 'Union Dhara' focusing on the observance of VAW was published.

Coming to the punitive part, as against the total staff strength of 78,202 as of 31st March 2021, the number of pending vigilance cases are 221 i.e. 0.28%. During the year, 531 complaints were received, of which 491 have been disposed off including 15 complaints pertaining to previous year. During the year, investigations were ordered in 90 cases, of which reports have been received in 78 cases which includes 7 investigation reports

pertaining to previous year. Investigation reports in 19 cases are awaited which are less than 3 months old. TAT for completing investigation and submission of Investigation report to Vigilance Department of the Bank has stood at 72 days as against benchmark of 90 days.

## 26 Opportunities

**26.1 Pan India Presence:** The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India has created one of the largest banking behemoth in the country with a business mix of over Rs 15 lakh crore and a network of 9300 plus branches, 12900 plus ATMs, an employee base of over 78,000 and a customer base of over 120 million.

**26.2 Higher Market Share:** The Bank has more than 5% market share in branch network of scheduled commercial banks in more than 15 states. The Bank has more than 5% market share in overall business in 22 States. Higher market share will help the Bank to improve its visibility and reach to grab higher business and an edge over others.

**26.3 Younger Workforce:** The Bank is having one of the youngest workforce with an average age of less than 40 years. Relatively younger workforce will help the Bank for easy transformation towards a digital savvy Bank. A younger work force will also create more aspirations in the Bank and at the same time it has the potential to create a strong leadership team and a strong second line.

## 27 Threats

**27.1 Stiff Competition:** The competition in the Indian banking system has been increasing over the years. There is an urgent need for banks to up their game to overcome tough competition from new players. FinTech is expected to challenge the banking sector with innovations and its exponential growth. Traditional banks must now adopt a digital-first business model in order to compete with these new players.

**27.2 Uncertain Business Environment:** The business environment is highly uncertain. The current pandemic related shock is likely to place greater pressure on the banks. Proactive building of buffers and raising capital will be crucial not only to ensure credit flow but also to build resilience in the financial system - resilience of individual banks and financial entities as well as resilience of the financial sector as a whole.

**27.3 Cyber security:** Enhancing cyber resilience is another important aspect when it comes to digital innovations. As Bank is expanding its operating hours and allowing for increased access and

increased interoperability, there are persisting threats of cyber-attacks to our systems. Experience shows that even the most efficient and protected systems can get compromised which could expose stakeholders to disproportionate risks.

## 28 Outlook

The outlook for the banking sector is mixed with opportunities and uncertainties. The Covid-19 continues to be a challenge. However, the country is vaccinating fast, and it is expected that we will exit the current wave sooner than later.

Once the recovery strengthens, the banking sector is expected to benefit by expanding their business through increased credit deployment. Even during the last financial year, credit growth picked up in sectors like agriculture, medium enterprises, retail sectors, showing a much better growth than the overall credit growth. The banks have also improved their financial position aided by capital raising from the market, and retention of profits. Therefore, going forward, a faster than expected revival in the economic activities may improve the overall performance of the banking sector.

The COVID-19 pandemic has also fast-tracked digital transformation of the payments ecosystem in India. Digital transactions recovered from their lows in the months of the lockdown and gained traction over the rest of the year with a growing preference for contactless transactions and tailored financial offerings to adapt to the needs of end-users. The banks are expected to continue their efforts in this area so as to come out with more and more innovative solutions.

Going forward, the continued policy support by the RBI and the government is an emphasis of an orderly growth of the banking system in the country.

**For and on behalf of the Board of Directors**



**(Rajkiran Rai.G)**

**Managing Director & CEO**

Place : Mumbai  
Date : 05.07.2021



# CORPORATE GOVERNANCE REPORT

## 1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

**1.1** Union Bank of India is committed to good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

**1.2** The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding their wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

**1.3** The Bank firmly believes that the self-discipline and sincerity of the Board and other stakeholders in carrying out their responsibilities provides the bedrock for a clean, transparent and trustworthy Corporate Governance regime which in turn will earn continuous support and trust of stakeholders.

**1.4** The changing landscape on account of the COVID-19 pandemic has posed additional challenges and your Bank has shown the character, maturity and resilience to deal with the situation since March 2020 and would continue to demonstrate the same going forward.

**1.5** To implement the best practices, the Board has framed a Code of Corporate Governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:

- Functioning of Board and its various Committees
- Compliance (Regulatory and Policy)
- Relation with shareholders
- Disclosures by Bank and its Directors
- Corporate Social Responsibility and
- Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct for Directors & Senior Management Personnel, Prohibition of Insider Trading, Related Party Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.

**1.6** The Bank being a listed entity complies with the Corporate Governance provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent that it does not violate statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities applicable to the Bank.

## 2. BOARD OF DIRECTORS

**2.1** The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

**2.2** The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc.

**2.3** The Board has constituted various sub-committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Committees meets at periodical intervals.

**2.4** As on 31<sup>st</sup> March, 2021, the Board comprised of five whole-time Directors viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and four Executive Directors appointed by the Government of India besides five Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.

**2.5** The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year. The positions of CA Director and Part-Time Non official Directors to be nominated by the Central Government were vacant as on 31.03.2021.

**2.6 Composition of the Board of Directors as on 31<sup>st</sup> March, 2021 is as under:**

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
1	Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO (Executive)	01-07-2017	CAC-I CDRCF CESD CSCB CSRC DPPC EDC HRSC ITSC MCB RCNCB&WD REMC RMC SCMF STCB	6725	1	1	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on or after 01.07.2017 i.e. upto 30.06.2020 or until further orders, whichever is earlier. Further, vide notification no. F.No. 4/4/2017 – BO.I dated 30.06.2020, the Central Govt has extended the term beyond 30.06.2020 till the date of superannuation i.e., 31.05.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
2	Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director (Executive)	20-09-2018	CAC-I CDRCF CESD CSCB CSRC HRSC ITSC MCB REMC RMC SRC	6725	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post i.e. upto 19.09.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Cost Accounting, Banking & Finance
3	Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director (Executive)	02-11-2018	CAC-I CDRCF CESD CSCB CSRC HRSC ITSC MCB REMC RMC SRC	6725	2	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post or till attaining the age of Superannuation i.e. upto 30.09.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
4	Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director (Executive)	01-03-2019	CAC-I CDRCF CESD CSCB CSRC HRSC ITSC MCB REMC RMC SRC SCMF	Nil	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post i.e. upto 28.02.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
5	Shri Nitesh Ranjan, Executive Director (Executive)	10-03-2021	CAC-I CDRCF MCB ACB RMC REMC CSCB HRSC SRC ITSC CESD CSRC SCMF	6725	2	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office i.e., from 10.03.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Economics, Finance & Management
6	Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director (Non-Executive)	22-07-2016	ACB BCPE CSCB DPPC EDC HRSC ITSC REMC SCMF	Nil	1	0	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders. Area of Expertise: Management & Finance
7	Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director (Non-Executive)	26-04-2019	ACB DPPC EDC MCB	Nil	1	0	Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders. Area of Expertise: Banking & Finance

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
8	Dr.Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director (Independent Non-Executive)	28-06-2018	BCPE MCB RCNCB&WD RMC SRC STCB HRSC CSCB ITSC CESD	100	1	0	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Information Technology
9	Shri K. Kadiresan, Shareholder Director (Independent Non-Executive)	28-06-2018	CSCB ITSC MCB RMC CSRC HRSC SRC SCMF	200	1	0	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Insurance & Management
10	Dr. Jayadev M., Shareholder Director (Independent Non-Executive)	28-06-2018	CSCB CSRC HRSC MCB RCNCB&WD STCB CESD SRC RMC ITSC ACB SCMF	200	2	2	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Banking & Risk Management

#### § Abbreviations of Committee Names

ACB	-	Audit Committee of the Board
BCPE	-	Board Committee for Performance Evaluation
CAC -I	-	Credit Approval Committee - I
CDRCF	-	Committee of Directors for Raising of Capital Fund
CESD	-	Committee to decide on Election of Shareholders Directors - Voting by PSBs
CSCB	-	Customer Service Committee of the Board
CSRC	-	Corporate Social Responsibility Committee
DPPC	-	Disciplinary Proceedings & Promotion Committee
EDC	-	Election Dispute Committee
HRSC	-	HR Sub-Committee of the Board
ITSC	-	IT Strategy Committee
MCB	-	Management Committee of the Board

## § Abbreviations of Committee Names

NRC	-	Nomination & Remuneration Committee
RCNCB&WD	-	Review Committee for Non Cooperative Borrowers & Willful Defaulters of the Bank
REMC	-	Recovery Management Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
SCMF	-	Special Committee on Monitoring of Frauds of Rs. 1 crore & above
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
STCB	-	Share Transfer Committee of the Board

## 2.7 Appointments/Cessations during the Financial Year 2020-21:

**Appointments:** The following new directors inducted on the Board during the financial year 2020-21:-

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry date of current term	Nature of Expertise	Brief Profile
1	Shri Birupaksha Mishra	59	01.04.2020	Till the date of his superannuation i.e., 31.01.2021 or until further orders, whichever is earlier	Banking & Finance	Shri Mishra is a Post Graduate and CAIIB. He has rich experience of more than 36 years in various administrative and functional capacities at Branches, Regional offices and also at Corporate Office. He worked in various facets of Banking and handled different portfolios like credit, credit monitoring, IT etc.
2	Shri Nitesh Ranjan	44	10.03.2021	09.03.2024 or until further orders, whichever is earlier	Economics, Finance & Management	Shri Ranjan is a Post Graduate in Economics. He has been with Union Bank since 2008. Prior to his elevation as Executive Director of the Bank, he was CGM -Strategy. He also occupied important positions in the Bank namely, Chief Investor Relations Officer, Chief Economist, Head of Balance Sheet Management Group, Head of Treasury operations and Regional Head.

**Cessations:** The following members ceased to be the Directors during the financial year 2020-21:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
1	Shri Birupaksha Mishra	Executive Director	31.01.2021	Superannuation
2	Shri Rajiv Kumar Singh	Chartered Accountant Category Director	05.02.2021	Completion of Tenure.
3	Dr. Madhura Swaminathan	Part-Time Non-Official Director	26.12.2020	Completion of Tenure.
4	Shri Kewal Handa	Non-Executive Chairman and Part-Time Non-Official Director	05.07.2020	Completion of Tenure.

## 2.8 Inter-se relationship of Directors:

There is no inter-se relationship amongst the Directors.

## 2.9 Committee Membership of Directors:

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 Committees or acted as Chairperson of more than 5

Committees across all listed entities/public limited companies in which he was a Director during the year 2020-21.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he was a Director as on 31.03.2021 are given here under:

Sr. No.	Name & Designation of Director	Name of Company	Name of Committee	Member/Chairman
1	Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	United India Insurance Company Ltd	ACB	Chairman
2	Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
3	Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	1. Union Bank of India	SRC	Member
		2. UBI Services Ltd	ACB	Member
4	Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
5	Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	1. Union Bank of India	ACB	Member
		2. Union Bank of India	SRC	Member
6	Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director	Union Bank of India	ACB	Member
7	Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	Union Bank of India	ACB	Member
8	Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	Union Bank of India	SRC	Member
9	Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	Union Bank of India	SRC	Member
10	Dr. Jayadev M, Shareholder Director	1. Union Bank of India	ACB	Chairman
		2. Union Bank of India	SRC	Chairman

**2.10 Details of Familiarization Programmes attended by Directors:** The details of training programmes attended by Directors of the Bank are made available on Bank's website under the following link: <http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx>

**2.11** In terms of requirement of Schedule V of the Listing Regulations, a Practicing Company Secretary has certified that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the SEBI / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

**2.12** The Board of Directors of the Bank confirms that the independent directors of the Bank fulfil the conditions specified in Listing Regulations and are independent of the management.

### 3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Eighteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on **Tuesday, 4<sup>th</sup> August, 2020** through VC/OAVM where the following directors were present:

Sr. no	Name of Directors	Designation
1	Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO
2	Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director
3	Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director
4	Shri Birupaksha Mishra	Executive Director

Sr. no	Name of Directors	Designation
5	Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director
6	Shri Arun Kumar Singh	RBI Nominee Director
7	Shri Rajiv Kumar Singh	Chartered Accountant Category Director, Chair- man of ACB and SRC
8	Dr. Madhura Swaminathan	Part-Time Non-Official Director
9	Dr. Uttam Kumar Sarkar	Shareholder Director
10	Dr. Jayadev M.	Shareholder Director



#### 4. BOARD MEETINGS

##### 4.1 Details of Board Meetings held during the Financial Year 2020-21:

Sr. No.	Date of the Board Meeting	Total No. of Directors on the Board	No. of Directors present in the meeting
1	17-04-2020	13	13
2	18-05-2020	13	13
3	23-06-2020	13	12
4	26-06-2020	13	13
5	24-07-2020	12	12
6	29-07-2020	12	12
7	21-08-2020	12	12
8	28-08-2020	12	10
9	24-09-2020	12	12
10	22-10-2020	12	11
11	06-11-2020	12	12
12	18-11-2020	12	12
13	25-11-2020	12	11
14	23-12-2020	12	9
15	21-01-2021	11	10
16	29-01-2021	11	10
17	03-03-2021	9	7
18	25-03-2021	10	10

##### 4.2 Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as below:

Name of Director	No of Meetings held during their tenure	No of Meetings attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	4	4
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	18	18
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	18	15
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	18	18
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	16	16
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	18	17

Name of Director	No of Meetings held during their tenure	No of Meetings attended
Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	18	17
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	18	18
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	16	16
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	14	12
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	18	18
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	18	13
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	18	18

#### 5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under -

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Risk Management Committee (RMC)
4. Special Committee on monitoring of Frauds of Rs.1.00 crore and above (SCMF)
5. Recovery Management Committee of the Board (ReMC)
6. Customer Service Committee of the Board (CSCB)
7. HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)
8. Stakeholders Relationship Committee (SRC)
9. IT Strategy Committee (ITSC)
10. Nomination & Remuneration Committee (NRC)
11. Disciplinary Proceedings & Promotion Committee (DPPC)

12. Share Transfer Committee of the Board (STCB)
13. Review Committee for Non Cooperative Borrowers & Willful Defaulters of the Bank (RCNCB &WD)
14. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)
15. Credit Approval Committee-I (CAC - I)
16. Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)
17. Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
18. Election Dispute Committee (EDC)
19. Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs (CESD)

## 5.1 Management Committee of the Board (MCB)

### 5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended), the Management Committee of the Board consists of –

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors,
- RBI Nominee Director nominated under section 9(3)(c) and
- Three other Non-Executive Directors under Section 9 (3) (e), (f), (h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.1.2 Functions:

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning/ review of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure beyond the powers of Credit Approval Committee-I, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

### 5.1.3 Attendance of MCB Meetings:

During the year 2020-21, 25 meetings of MCB were held and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	25	25
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	25	24
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	25	25
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	25	23
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	20	19
Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	2	2
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	25	25
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	16	12
Dr. Uttam Kumar Sarkar , Shareholder Director	25	25
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	20	13
Dr. Jayadev M, Shareholder Director	6	6

## 5.2 Audit Committee of the Board (ACB)

### 5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The ACB consists of following members –

- Executive Director in-charge of Internal Inspection and Audit
- Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and
- Two Non Executive Directors of which one should ordinarily be Chartered Accountant Director nominated u/s 9(3)(g).

Other Executive Director/s can be invitee/s to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

Dr. Jayadev M, Shareholder Director is the present Chairman of the Committee.

Company Secretary acts as secretary to the ACB

in terms of Regulation 18(1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

### 5.2.2 Functions:

The ACB reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides directions as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e. the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
  - Inter-branch adjustment accounts
  - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
  - Arrears in balancing of books at various branches
  - Frauds
  - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of guidelines of RBI and SEBI.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
6. In addition to the above, the functions of the Audit Committee include the role of the Audit Committee and review of information by audit committee as defined under Part – C of Schedule II – Corporate Governance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

### 5.2.3 Attendance of ACB Meetings:

The Committee met 10 times during the year 2020-21 on 11.06.2020, 23.06.2020, 29.07.2020, 21.08.2020,

16.09.2020, 06.11.2020, 23.11.2020, 19.01.2021, 29.01.2021 and 23.03.2021. Attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	9	9
Dr. Jayadev M, Shareholder Director	8	8
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	9	9
Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	10	9
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	10	10
Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director	2	2

### 5.3 Risk Management Committee (RMC)

#### 5.3.1 Composition:

The Bank had constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Board of Directors shall constitute a Risk Management Committee (RMC) in top 500 listed entities determined on the basis of market capitalization. Considering the similarity in functions, the Board in its meeting dated 06.12.2019 changed the name of Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM) to Risk Management Committee (RMC).

The Committee consists of the following members:

- Chairman
- Managing Director & CEO,
- Executive Directors and
- Three Non-Executive Directors.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee in terms of Clause 12(6) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

#### 5.3.2 Functions:

The Committee is constituted to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management

in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

### 5.3.3 Attendance of RMC Meeting:

The Committee has held 6 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	6	6
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	6	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	6	6
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	6	6
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	5	5
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	5	5
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	4	4
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	2	2
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	2	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	5	5

### 5.4 Special Committee of the Board of Directors for monitoring of Fraud of Rs.1.00 crore and above (SCMF)

#### 5.4.1 Composition:

Special Committee of the Board of Directors for monitoring of frauds of Rs. 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank

accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow-up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of Rs. 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors:

- Chairman
- Managing Director & CEO
- Two members from the Audit Committee of the Board
- Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee in terms of Clause 12(6) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

#### 5.4.2 Functions:

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of Rs 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae, if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

#### 5.4.3 Attendance of SCMF Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	1	1
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	3	3
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	2
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	1	1
Dr. Madhura Swaminathan Part-Time Non-Official Director	1	1
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	3	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	1	1

## 5.5 Recovery Management Committee of the Board (ReMC)

### 5.5.1 Composition:

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Government of India Nominee Director

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.5.2 Functions:

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

### 5.5.3 Attendance of ReMC Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	4	4
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	3	3
Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	4

## 5.6 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

### 5.6.1 Composition:

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India to look after the customer service in Bank. The Committee Comprises of following members:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Four Non-Executive Directors

In addition, Internal Ombudsman and Two Experts also participate as special invitees in these meetings.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.6.2 Functions:

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestions on improving the quality of customer services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.
- To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.



### 5.6.3 Attendance of CSCB Meetings:

The Committee has held 5 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	5	5
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	5	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	5	5
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	5	5
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	3	3
Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	1	1
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	5	3
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	4	4
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	5	5
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	3	2
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	4	4
Shri S. Ravindranath, Special Invitee	5	3
Shri S. Jagannathan, Special Invitee	5	5

### 5.7 HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)

#### 5.7.1 Composition:

The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and any two Directors nominated by the Board. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

#### 5.7.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

- Overall Strategy for the Bank on HR.
  - Overall manpower plan and skills gap identification.
  - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
  - Succession planning.
- Development of performance management system covering all staff in the Bank
  - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
  - System of providing developmental feedback to all staff.
- Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
  - Reward and incentives
  - Promotions
  - Deployment
- Training
  - Specialist business skills training
  - General retraining / reorientation for all staff
- IT automation of all HR related activities

#### 5.7.3 Attendance of HRSCB Meetings:

The Committee has held 5 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	5	5
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	5	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	5	5
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	5	5
Shri Birupksha Mishra, Executive Director	4	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	5	5
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	1	1



Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	4	4
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	4	3
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	1	1
Shri T. V. Rao, Outside Expert	5	4
Shri R. R. Nair, Outside Expert	5	4

## 5.8 Stakeholders Relationship Committee (SRC)

### 5.8.1 Composition:

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Stakeholders Relationship Committee (SRC) has been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors.

Dr. Jayadev M, Shareholder Director, is the present Chairman of the Committee.

### 5.8.2 Functions:

- Monitoring and resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

### 5.8.3 Attendance of SRC Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2020-21. These were held on 22.05.2020, 30.07.2020, 20.10.2020 and 04.02.2021 and attendance details are as under :

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Jayadev M, Shareholder Director	3	3
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	2	2
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	4	4
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	3	3
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	3
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	2	1
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	1	1

### 5.8.4 Name & Designation of Compliance Officer:

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Mangesh Mandrekar has been appointed as Company Secretary and designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

### 5.8.5 Details of Shareholder Complaints during the year 2020-21:

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2021 vis-à-vis 31.03.2020 is as under:-

Sr. No	Particulars	For F.Y. ended 31.03.21	For F.Y. ended 31.03.20
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	0	0

Sr. No	Particulars	For F.Y. ended 31.03.21	For F.Y. ended 31.03.20
b.	No. of shareholders complaints received during the year	18	106
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	18	106
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	0	0

## 5.9 IT Strategy Committee (ITSC)

### 5.9.1 Composition:

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Three Non-Executive Directors one of whom shall be independent Director
- One Outside IT Expert
- Chief Information Officer (CGM/GM heading the IT function of the Bank)

Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director is the present Chairman of the Committee.

### 5.9.2 Functions:

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.

- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.
- To act as Board level Sub-Committee on Digital Transactions to advice, guide and monitor enhancing digital transactions of the Bank.

### 5.9.3 Attendance of ITSC Meetings:

The Committee has held 5 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	4	4
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Shri Rajkiran Rai. G, Managing Director & CEO	1	1
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	5	5
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	5	5
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	5	3
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	4	4

Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	5	4
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	1	1
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	2	2
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	2	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	3	3
Shri Ishraq Ali Khan, CGM DIT	4	3
Shri G. Shivakumar, Special Invitee	5	5

#### 5.10 Nomination & Remuneration Committee (NRC)

The Bank earlier had two separate Committees viz. Nomination Committee and Remuneration Committee constituted in terms of earlier guidelines issued by RBI and MOF. MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised that in place of separate Nomination Committee of the Board and Remuneration Committee of the Board, the Bank may constitute a single committee named Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions entrusted to the said two committees and having composition as specified vide RBI's communication RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No. 9/29.67.001/2019-20, dated August 2, 2019.

Thus, pursuant to the above mentioned MOF guidelines, the Board of Directors approved the constitution of a single Nomination and Remuneration Committee (NRC) in place of two separate Committees in line with RBI guidelines w.e.f. 06.12.2019.

##### 5.10.1 **Composition:**

Reserve Bank of India vide circular no. RBI/DBR/2019-20/71 dated 02.08.2019 has issued Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019. In terms of Para 4.1 of the said directions, the bank is required to constitute a Nomination and

Remuneration Committee for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Composition of the Committee is as under:

- Non-Executive Director nominated under section 9(3)(g) of the Act
- Three Non-Executive Directors nominated under section 9(3)(h) of the Act

As per the guidelines, the Non-Executive Chairman may also be nominated on the Committee but shall not chair the Committee..

##### 5.10.2 **Functions:**

To undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

No Meeting of Nomination and Remuneration Committee was held during FY 2020-21 as the election of Shareholder Directors' was not due during the Financial Year.

#### 5.11 Disciplinary Proceedings & Promotion Committee (DPPC)

The Bank earlier had two separate Committee viz. Directors Promotion Committee (DPC) and Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/ Non-Vigilance (DPC-V).

MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number.

The Board of Directors with a view to rationalize its Committees and considering the MOF guidelines dated 24.10.1990 and basic composition, decided to merge Directors' Promotion Committee and Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/ Non-Vigilance w.e.f. 06.12.2019.

##### 5.11.1 **Composition:**

The Board of Directors has approved the constitution of the Committee as below –

- Managing Director & CEO
- Government Nominee Director

- RBI Nominee Director

Independent members / Outside experts to be inducted while conducting interview for the promotion process from Scale VI to VII and Scale VII to VIII.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.11.2 Functions:

- To conduct Promotion Process from TEGS VI to TEGS VII and TEGS VII to TEGS VIII,
- consider appeals of Executives in TEGS VI & VII against non-promotions to TEGS VII & VIII respectively,
- to consider promotions to TEGS VII & VIII in cases where Sealed Cover Procedure is adopted
- To review Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.
- To review APAR marks of Top Executives upon their representation within 15 days from the date of disclosure.
- To review the appeal against the Regular Departmental Action for major penalty for General Managers

### 5.11.3 Attendance of DPPC Meetings:

The Committee has held 8 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	8	8
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	8	8
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	8	8

## 5.12 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

### 5.12.1 Composition:

The Committee consists of:

- Managing Director & CEO or in absence, Executive Director in charge of Board Secretariat
- Two Non-Executive Directors

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the STCB.

### 5.12.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

### 5.12.3 Attendance of STCB Meetings:

During the year, the STCB met 4 times and attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc

Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Shri Rajkiran Rai.G, Managing Director & CEO	4	4
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	4	4
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1

### 5.13 Review Committee for Non Cooperative Borrowers and Willful Defaulters (RCNCB&WD)

The Bank earlier had two separate Committee viz. Review Committee for Classification of Non-Cooperative Borrower (RCNCB) and Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB). MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number.

The Board of Directors with a view to rationalize its Committees and based on the composition of

the above two committees, decided to merge the same and to constitute a single Committee for identification of Wilful Defaulters and classification of Non-Cooperative Borrowers namely Review Committee for Non Cooperative Borrowers and Willful Defaulters with the following composition w.e.f. 06.12.2019 –

- Managing Director & CEO
- Any two Independent Directors

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

#### 5.13.1 Functions:

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be non-cooperative. The order shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.
- On a half-yearly basis review the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their return to credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.
- Review & confirm the orders passed by Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Willful Defaulters.
- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.

#### 5.13.2 Attendance of RCNCB & WD Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	2	2
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	2	2
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	2	2
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	2	2

#### 5.14 Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

The objective of the Corporate Social Responsibility Committee shall be to assist the Board and the Bank in fulfilling its Corporate Social Responsibility.

##### 5.14.1 Composition:

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors
- One Part-Time Non-Official Director nominated under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- One Shareholder Director elected under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 .

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

##### 5.14.2 Functions:

1. Formulating and recommending the CSR Policy to the Board of Directors and indicating activities to be undertaken.
2. Approval of projects to be undertaken either through Union Bank Social Foundation Trust or such other entity/organisation as approved by the Committee in terms of CSR Policy.
3. Reviewing usage of delegated authority by GM/ED/MD & CEO on quarterly basis. Reviewing performance of Union Bank Social Foundation Trust on quarterly basis.

##### 5.14.3 Attendance of CSRC Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	4	3
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	3	3
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	2	1



Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	1	1
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	3	1

## 5.15 Credit Approval Committee-I (CAC-I)

### 5.15.1 Composition:

As per the guidelines of Ministry of Finance, Government of India, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 800 crore (in case of A & above externally rated accounts having valid rating) and upto Rs. 600 crore in case of other accounts and group exposure upto Rs. 800 crore and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board.

The composition of CAC-I is as under:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Chief General Manager / General Manager in-charge of the Credit
- Chief General Manager / General Manager in-charge of the Finance/Chief Financial Officer and
- Chief General Manager / General Manager in-charge of the Risk Management

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.15.2 Functions:

All credit related matters including approval/review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, etc. within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

### 5.15.3 Attendance of CAC-I Meetings:

The Committee has held 26 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	26	26
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	26	26
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	26	26
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	26	25
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	22	20
Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	2	2
Chief General Manager / General Manager In-charge of the Credit	26	26
Chief General Manager / General Manager In-charge of the Finance/CFO	26	26
Chief General Manager / General Manager In-charge of the Risk Management	26	26

## 5.16 Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)

### 5.16.1 Composition:

As per the approval given by the Board the committee is constituted to complete the necessary formalities for raising of capital funds. The Committee consists of MD & CEO and Executive Directors.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.16.2 Functions:

The Committee is authorized to complete the necessary formalities for raising of capital funds and to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and/ or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), calling the issue open at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and Gol & RBI approval.



### 5.16.3 Attendance of CDRCF Meetings:

The Committee has held 5 meetings during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	5	5
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	5	5
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	5	5
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	5	5
Shri Birupaksha Mishra, Executive Director	4	3

### 5.17 Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

#### 5.17.1 Composition:

Ministry of Finance vide communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 advised the Bank to constitute a Board Committee for Performance Evaluation of Managing Directors & CEO, Executive Directors in charge of internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of internal control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the bank.

Further as per MOF communication dated 14.11.2019, the Board Committee for Performance Evaluation is to be constituted with the approval of the Board with following members –

1. Non-Executive Chairman (NEC)
  2. Government nominee Director, and
  4. Longest serving Shareholder Director on the Board.
- In case of vacancy in the office of NEC, the Chairman of Audit Committee of the Board shall be a member of the Committee in place of NEC.

#### 5.17.2 Functions:

To appraise, review and accept the Annual Performance Appraisal Reports of the Managing Director and CEOs, Executive Directors and Chief General Managers in charge of Risk, Compliance and Audit.

#### 5.17.3 Attendance of BCPE Meetings:

The Committee has held 2 meeting during the year 2020-21 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	2	2
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Category Director	1	1

### 5.18 Election Dispute Committee (EDC)

#### 5.18.1 Composition:

In terms of Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998, If any doubt or dispute arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Shareholder Director; such doubt or dispute shall be referred for the decision of Election Dispute Committee. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO or in his absence, Executive Director
- Any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

#### 5.18.2 Functions:

The Election Dispute Committee shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

#### 5.18.3 Attendance of EDC Meetings:

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2020-21.

### 5.19 Committee to decide on Election of Shareholders Directors – Voting by Public Sector Banks (CESD)

#### 5.19.1 Composition:

The Public Sector Banks are holding Equity Shares in other Companies including Financial Institutions

and other Public Sector Banks. As per the guidelines of the Government of India, the Public Sector Banks have to constitute a Committee of the Board headed by Managing Director & CEO to take decision on supporting the candidates in the election of the Shareholder Directors of other Companies, Public Sector Banks and Financial Institutions. The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
  - Executive Directors
  - Two other members nominated by the Board
- Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.19.2 Functions:

After considering all factors viz. qualification, experience, profile and background of various candidates, to take a decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

### 5.19.3 Attendance of CESD Meetings:

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2020-21.

## 6. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
Extraordinary General Meeting	16 <sup>th</sup> March, 2018 at 11:00 a.m.	Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021	Issue of 31,28,19,803 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.144.62 including premium of Rs.134.62 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs. 4,524 Crore.
16 <sup>th</sup> Annual General Meeting	27 <sup>th</sup> June, 2018 at 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicpal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/ Rights /QIP/Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.6,850 crore (including premium, if any).
Postal Ballot	14 <sup>th</sup> February, 2019	--	To create, grant offer, issue and allot up to 8,00,00,000 (Eight crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as “Union Bank -ESPS”) in one or more tranches, to eligible employees.
Extraordinary General Meeting	26 <sup>th</sup> March, 2019 at 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicpal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	Issue of 52,15,62,658 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.78.84 including premium of Rs.68.84 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs. 4,112 Crore.

17 <sup>th</sup> Annual General Meeting	28 <sup>th</sup> June, 2019 at 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicpal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/ Rights /QIP/Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.4,900 crore (including premium, if any).
18 <sup>th</sup> Annual General Meeting	4 <sup>th</sup> August, 2020 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	To set off the Bank's accumulated losses of Rs.32758,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two Hundred Sixty Three and Ten Paise only) as at 31st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.
Extraordinary General Meeting	30 <sup>th</sup> December, 2020 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	To raise Capital through FPO/ Rights /QIP/Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.6,800 crore (including premium, if any).

## 7. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/circulars issued by RBI, GoI and SEBI.

As per SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statues, the provisions of corporate governance shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Listing Regulation. Compliance with respect to non-mandatory requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

### 7.1 Remuneration of Directors:

Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed

by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

### Sitting Fees:

The Directors appointed under clause (e), (f), (g), (h) and (i) of sub-section (3) of section (9) of the Banking Companies Act are entitled to sitting fees as mentioned below in accordance with circular F.No.15/1/2011-BO.I dated August 30, 2019 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, in terms of clause 17(1) of the Nationalised Banks Scheme for attending meetings of the Board and meetings of the committees of the Board, along with additional fees for chairing the meeting of the Board and for chairing the meeting of committees of the Board, as decided by the Board of Directors subject to overall ceiling of Rs. 25 lakhs per director per annum.

The Board of Directors in its meeting held on July 29, 2020, approved payment of sitting fees of Rs.55,000 (and Rs.70,000 with effect from

April 1, 2021) as sitting fees for attending per meeting of the Board and Rs.35,000 for attending per meeting of the committees of the Board. Additional fees of Rs.20,000 for chairing per meeting of the Board and Rs.10,000 for chairing per meeting of committees of the Board was also approved.

The above information is also available on Bank's website under following link:

<http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx>

#### **Travelling & Halting Allowance:**

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

#### **7.2 Disclosure on Material Significant Related Party Transactions:**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

#### **7.3 Disclosure of Pecuniary Relationship or Transactions:**

The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal course of banking business and the sitting fees paid to them for attending Board and Committee meetings.

#### **7.4 Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.:**

No proceeds of Equity were raised during the year 2020-21 from Public issues, Rights Issues, Preferential Issues etc.,

**Bonds:** During the year 2020-21, the Bank has issued Basel III Compliant Tier 2 Bonds to the tune of Rs. 2000 crore and Basel III Compliant AT 1 Bonds to the tune of Rs. 1705 crore.

#### **7.5 Penalties or Strictures:**

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

#### **7.6 Whistle Blower Policy:**

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link –

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>.

The Audit Committee of the Board periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee of the Board.

#### **7.7 Policy for determining Material Subsidiary:**

In compliance with Regulation 46(2)(h) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

However as on date there is no material subsidiary of the Bank.

#### **7.8 Related Party Transaction Policy:**

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>.

The Bank didn't have any materially significant related party transactions that had potential conflict with the interest of the Bank at large during the FY 2020-21.

#### **7.9 Dividend Distribution Policy:**

The Bank has formulated Policy for declaration of dividend for the year 2020-21. The said policy can be accessed via following link

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

#### **7.10 Takeover Code:**

The Bank has also complied from time to time with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

#### **7.11 Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:**

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of trading window	Purpose of closure
31 <sup>st</sup> March 2020 to 25 <sup>th</sup> June 2020	Declaration of Financial Results for the year ended 31 <sup>st</sup> March 2020.
30 <sup>th</sup> June 2020 to 23 <sup>rd</sup> August 2020	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June 2020.
30 <sup>th</sup> September 2020 to 8 <sup>th</sup> November 2020	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> September 2020.
31 <sup>st</sup> December 2020 to 31 <sup>st</sup> January 2021	Declaration of Financial Results for the quarter ended 31 <sup>st</sup> December 2020.

#### 7.12 Management Discussion and Analysis:

The same has been given separately in the Annual Report.

#### 7.13 Compliance Reports on Corporate Governance:

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to the BSE & NSE within stipulated timeline.

#### 7.14 Dissemination of Information on Website:

The Bank has disseminated the required information under clauses (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its website [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in).

#### 7.15 Details of Fees paid to Statutory Auditors:

Total fees for all services paid by the Bank and its subsidiaries, on a consolidated basis, to Statutory Auditor during Financial Year 2020-21 is Rs. 79.69 Crore.

#### 7.16 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

- number of complaints filed during the financial year 2020-21 :13 (Thirteen)
- number of complaints disposed of during the financial year 2020-21 :5 (Five)
- number of complaints pending as on end of the financial year 2020-21 : 8 (Eight)


#### 7.17 Branch Network:

- The Bank has well diversified branch network.
- Post amalgamation bank had total 9587 as on 01.04.2020
- During the F.Y. 2020-21 total 277 branches were merged till 31.03.2021
- As on 31.03.2021, the Bank had 9312 domestic branches and 3 overseas branches at Hong Kong, Sydney and Dubai, in addition to

representative office in Abu Dhabi. State wise position of branches in India is shown in the Map.

- The Bank operates in the UK through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd.
- Nearly 59% of the branches are located in rural and semi-urban centres.
- The Bank had 27 extension counters, 59 satellite offices and 48 service branches in addition to its regular bank branches as of 31.03.2021.
- New UT of Leh & Ladakh was carved out from Jammu Kashmir Provinces, as such 1 Authorization for opening of Leh branch was given during F.Y. 2020-21





### 7.18 Credit Rating

List of all credit ratings obtained along with revisions during the financial year 2020-21, for all debt instruments or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad:

Rating Agency	Basel III		Basel II		Outlook
	Additional Tier 1	Tier 2	Lower Tier II	Upper Tier II	
Brickwork	BWR AA	BWR AA+	-		Negative for Tier 1 Bonds and Stable for Tier 2 Bonds
CRISIL	CRISIL AA	CRISIL AA+	CRISIL AA+	CRISIL AA+	Stable
CARE	CARE AA-	CARE AA+	CARE AA+	CARE AA	Negative



<b>India Ratings</b>	IND AA	IND AA+	-	-	Stable
<b>ICRA Ltd</b>	-	ICRA AA+(HYB)	-	-	Negative

#### Moody's - Rating report dated September 09, 2020:

Category	Rating
<b>Union Bank of India</b>	
Outlook	Negative
Counterparty Risk Rating	Ba1/NP
Bank Deposits	Ba1/NP
Baseline Credit Assessment	b1
Adj. Baseline Credit Assessment	b1
Counterparty Risk Assessment	Ba1(cr)/NP (cr)
Senior Unsecured MTN	(P)Ba1
Subordinate MTN	(P)B1
Jr Subordinate MTN	(P)B2
<b>Union Bank of India, Hong Kong Branch</b>	
Outlook	Negative
Counterparty Risk Rating	Ba1/NP
Counterparty Risk Assessment	Ba1 (cr)/NP(cr)
Senior Unsecured	(P)Ba1
Subordinate MTN	(P)B1
Jr Subordinate MTN	(P)B2

#### Standard & Poor's- Rating Date: December 17, 2020

Category	Rating
Issuer Credit Rating (Long term/ Short Term)	BB+/Stable/B
Standalone Credit Profile (SACP)	bb-
Bank's Senior Unsecured Notes (Long term)	BB+
Outlook: Stable	

## 8. MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), The Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in). Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

## 9. SHAREHOLDERS' INFORMATION

### 9.1 Financial Year – 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> March



**9.2 Listing of Equity Shares & Bonds** - The Bank's equity shares are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

<b>BSE Limited (BSE),</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	532477
<b>National Stock Exchange of India Limited (NSE),</b> Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2021-22 has been paid to both the Stock Exchanges before 30<sup>th</sup> April, 2021.

The Bank has issued Unsecured Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2021 are as under:

Sl. No.	ISIN	Series	Amount (Rs. in Crore)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)
1	INE692A09241	Bond Series XVI-B (Lower Tier II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%
2	INE692A09266	Bond Series XVII-A (Basel III Compliant Tier II Bonds)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%
3	INE692A08011	Bond Series XIX (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter till maturity.
4	INE692A08029	Bond Series XX (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1000	15.09.2016	Perpetual	9.50% Call option may be exercised after completion of 10 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
5	INE692A08037	Bond Series XXI (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1000	04.11.2016	Perpetual	9.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
6	INE692A08045	Bond Series XXII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	750	24.11.2016	24.11.2026	7.74%
7	INE692A08052	Bond Series XXIII Tr-1 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	250	29.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.

Sl. No.	ISIN	Series	Amount (Rs. in Crore)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)
8	INE692A08060	(Bond Series XXIII Tr-2 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds))	750	30.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
9	INE692A08078	(Bond Series XXIII Tr-3 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds))	500	31.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
10	INE692A08086	Bond Series XXIV (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	500	03.05.2017	Perpetual	9.08% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
11	INE692A08094	Bond Series XXV (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1,000	16.09.2020	16.09.2030	7.42% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter
12	INE692A08102	Bond Series XXVI (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1,000	26.11.2020	26.11.2035	7.18% Call option after 10 years
13	INE692A08110	Bond Series XXVII (Basel III Compliant Additional Tier I)	500	15.12.2020	Perpetual	8.73% Call option after 5 years
14	INE692A08128	Bond Series XXVIII (Basel III Compliant Additional Tier I)	1,000	11.01.2021	Perpetual	8.64% Call option after 5 Years
15	INE692A08136	Bond Series XXIX (Basel III Compliant Additional Tier I)	205	29.01.2021	Perpetual	8.73% Call option after 5 Years
16	*INE112A08044	Bond Series I (Basel III Compliant Tier II)	500	14.11.2017	14.11.2027	8.02% Call option after 5 Years
17	*INE112A08051	Bond Series II (Basel III Compliant Tier II)	1,000	08.11.2019	08.11.2029	8.93%
18	@INE434A08067	AT-1 Series III (Basel III Compliant Additional Tier I)	900	05.08.2016	Perpetual	10.99% Call option after 5 Years

Sl. No.	ISIN	Series	Amount (Rs. in Crore)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)
19	@INE434A08083	AT-1 Series IV (Basel III Compliant Additional Tier I)	500	31.10.2017	Perpetual	9.20% Call option after 5 Years
20	@INE434A08059	Bond Series C (Basel III Compliant Tier II)	1,000	27.06.2016	27.06.2026	8.65% Call option after 5 Years
21	@INE434A08075	Bond Series D (Basel III Compliant Tier II)	1,000	24.10.2017	24.10.2027	7.98% Call option after 5 Years
22	@INE434A08018	Infra Bond (Listed on BSE Ltd)	500.1	22.08.2014	22.08.2021	9.35%
<b>TOTAL</b>			<b>17655.1</b>			

All these bonds with the exception of Infra Bond are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual Listing Fee upfront for 2021-22 to the Stock Exchange. As regards Infra Bond which is listed on BSE Ltd, the Bank has paid the Annual Listing Fee upfront for 2021-22 to the BSE Ltd.

\* These bonds were issued by the erstwhile Corporation Bank and have been assumed by the Union Bank of India after amalgamation of Corporation Bank into Union Bank w.e.f 01.04.2020.

@ These bonds were issued by the erstwhile Andhra Bank and have been assumed by the Union Bank of India after amalgamation of Andhra Bank into Union Bank w.e.f 01.04.2020.

### 9.3 Dividend:

The Board of Directors has not recommended any dividend for FY 2020-21 to conserve capital to retain their capacity to support the economy.

### 9.4 Particulars of AGM:

Board Meeting for considering Accounts	Monday, 7 <sup>th</sup> June, 2021
Date, Time & Venue of AGM	Tuesday, 10 <sup>th</sup> August, 2021 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting)
Proposed date of posting of Annual Report including Notice of AGM through email	On or before Thursday, 8 <sup>th</sup> July, 2021
Dates of Book Closure	Wednesday, 4 <sup>th</sup> August, 2021 to Tuesday, 10 <sup>th</sup> August, 2021 (both days inclusive)
Opening & Closing of E-Voting	Saturday, 7 <sup>th</sup> August, 2021 (9:00 AM IST) to Monday, 9 <sup>th</sup> August, 2021 (5:00 PM IST)

### 9.5 Financial Calendar:

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2021-22 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2021	By August 10, 2021
For the quarter ending September 30, 2021	By November 10, 2021
For the quarter ending December 31, 2021	By February 10, 2022
For the year ending March 31, 2022	By May 15, 2022

## 9.6 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08.06.2018 & SEBI Press Release dated 03.12.2018, physical transfer of shares is not permitted after 31.03.2019, thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed **Datamatics Business Solutions Limited** as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Central Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaints.

<p><b>Registrar &amp; Share Transfer Agent (RTA)</b>  <b>Datamatics Business Solutions Ltd.</b>  Unit: Union Bank of India  Plot No. B-5, Part B Crosslane,  MIDC Andheri (East),  Mumbai-400 093.  Tel No: 022 - 66712001-6  Email: <a href="mailto:ubiiinvestors@datamaticsbpm.com">ubiiinvestors@datamaticsbpm.com</a></p>	<p><b>Debenture Trustee</b>  <b>IDBI Trusteeship Services Limited</b>  Asian Building, Ground Floor, 17, R.  Kamani Marg, Ballard Estate,  Mumbai – 400001  Tel- (022) 40807001  Email: <a href="mailto:adityakapil@idbitrustee.com">adityakapil@idbitrustee.com</a>  <b>Axis Trustee Services Ltd</b>  Axis House, 2<sup>nd</sup> Floor,  Wadia International Centre,  Pandurang Budhkar Marg, Worli,  Mumbai – 400025  Tel- (022) 24255215/216  Email: <a href="mailto:debenturetrustee@axistrustee.com">debenturetrustee@axistrustee.com</a></p>	<p><b>Company Secretary</b>  <b>Investor Services Division</b>  Union Bank of India  12<sup>th</sup> Floor, Central Office, 239,  Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point,  Mumbai-400 021.  Tel-(022) 2289 6636  E-mail: <a href="mailto:investorservices@unionbankofindia.com">investorservices@unionbankofindia.com</a></p>
---	---	--

## 9.7 Other communications:

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The Bank sent Half-yearly Communication through email to all the shareholders whose email id is registered with the Bank / DP.

## 9.8 Dematerialisation of shares:

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692A01016**.

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments.

**Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2021 are as under:**


Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of shareholding
<b>Physical</b>	85,557	1,63,18,158	0.25
<b>Demat</b>			
NSDL	2,96,347	51,68,81,573	8.07
CDSL	2,65,070	587,36,44,624	91.68
<b>TOTAL</b>	<b>6,46,974</b>	<b>640,68,44,355</b>	<b>100.00</b>

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit, no discrepancy in updation /maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.


The Bank has sent various communications to its shareholders holding shares in physical form to dematerialize the same. As a result, 564 shareholders dematerialized their 1,18,096 shares held in physical form during the year 2020-21.

### 9.9 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges:

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High	Low
Apr-2020	30.45	26.65	14524327	30.4	26.6	71677123	33887.25	27500.79
May-2020	27.25	22.6	15489073	26.75	22.65	63476356	32845.48	29968.45
Jun-2020	36.5	24.05	18678525	36.55	24.00	203244465	35706.55	32348.1
Jul-2020	34	28.8	10508453	34.00	28.80	81023338	38617.03	34927.2
Aug-2020	32.4	28.55	9036161	32.45	28.90	110614439	40010.17	36911.23
Sep-2020	30.6	23.65	8161617	30.40	23.65	68492814	39359.51	36495.98
Oct-2020	25.65	23.1	5390500	25.65	23.10	50121827	41048.05	38410.2
Nov-2020	28.2	23.6	9409350	28.20	23.60	91701521	44825.37	39334.92
Dec-2020	35.3	27.2	22406810	35.30	27.20	248259589	47896.97	44118.1
Jan-2021	33.85	29.35	14822096	33.85	29.20	153964272	50184.01	46160.46
Feb-2021	45.25	31.1	46316018	45.25	31.10	583721970	52516.76	46433.65
Mar-2021	41.45	33.35	18637243	41.45	33.35	183491198	51821.84	48236.35
<b>Closing Price as on 31.03.21</b>	34.05			34.05			-	
<b>Market Capitalization</b>	₹ 21,815.30 crore			₹ 21,815.30 crore			-	







\* Source-BSE Website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com))

#### 9.10 Distribution of Shareholding:

The Government of India is holding 570.66 crores equity shares of Rs.10 each aggregating to ₹ 5706.66 crores in the total issued & subscribed capital of ₹ 6406.84 crores. The distribution of shareholding as of 31.03.2021 vis-a-vis 31.03.2020 is as under:

Shareholding	As of 31.03.2021				As of 31.03.2020			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Upto 500	5,28,933	81.76	6,75,45,606	1.05	2,43,784	79.72	3,49,49,201	1.02
501 to 1000	49,399	7.64	3,75,00,984	0.59	25,786	8.43	1,90,07,210	0.56
1001 to 2000	25,313	3.91	3,83,06,983	0.60	10,372	3.39	1,55,12,686	0.45
2001 to 3000	19,538	3.02	4,89,43,404	0.76	13,821	4.52	3,37,78,233	0.99
3001 to 4000	9,516	1.47	3,29,19,269	0.51	4,580	1.50	1,61,74,126	0.47
4001 to 5000	4,516	0.70	2,09,83,000	0.33	2,501	0.82	1,17,00,838	0.34
5001 to 10000	6,869	1.06	4,72,68,459	0.74	4,033	1.32	2,64,50,108	0.77
10001 & above	2,890	0.45	6,113,376,650	95.42	924	0.30	3,26,52,46,450	95.40
<b>Total</b>	<b>646974</b>	<b>100.00</b>	<b>6406844355</b>	<b>100.00</b>	<b>3,05,801</b>	<b>100.00</b>	<b>3,42,28,18,852</b>	<b>100.00</b>

The face value of Bank's share is Rs.10/-.

### 9.11 Shareholding pattern:

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31.03.2021 vis-a-vis 31.03.2020 is as follows:

Category of shareholder	As of 31.03.2021		As of 31.03.2020	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
<b>Promoter</b>				
Government of India	5,70,66,60,850	89.07	2,96,92,79,777	86.75
<b>Public</b>				
<b>Institutional Investors</b>				
Mutual Funds & UTI	5,64,49,674	0.89	8,20,22,624	2.40
Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions)	2234,23,845	3.49	1360,49,448	3.97
FIs & Foreign Mutual Funds	4,22,69,800	0.66	4,42,41,259	1.29
<b>OTHERS</b>				
Private Corporate Bodies	1,75,23,616	0.27	1,62,77,129	0.48
Indian Public	35,55,71,135	5.55	17,31,41,991	5.06
NRIs/OCBs/Qualified Foreign Investor	49,45,435	0.07	18,06,624	0.05
<b>Total</b>	<b>6,40,68,44,355</b>	<b>100.00</b>	<b>3,42,28,18,852</b>	<b>100.00</b>

### 9.12 List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2021 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	PRESIDENT OF INDIA	5706660850	89.07
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	197923276	3.09
3	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HDFC MID – CAPOPPORTUNITIES FUND	38418436	0.60
4	ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND	12767644	0.19
5	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9436718	0.15
6	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED	7912257	0.12
7	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	7749795	0.12
8	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	7704495	0.12
9	PUNJAB NATIONAL BANK	4365255	0.07
10	DILJIT BROKING & INFRA LLP	3100000	0.05

### 9.13 Unclaimed/Unpaid Dividend:

The amount of dividend that remained unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. The list of dividends declared so far and proposed date of transfer for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Proposed Date of Transfer
Final Dividend 2013-14	13%	05-08-21
Dividend for 2014-15	60%	05-08-22
Dividend for 2015-16	19.50%	08-08-23

The shareholders who have not claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank ([www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)).

#### 9.14 Unclaimed Shares:

##### a) In Physical Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank opened an Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2020 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2020-21	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2020-21	NIL	NIL
Balance as on 31.03.2021 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

##### b) In Demat Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars (UBI-FPO)	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2020 lying in Demat Suspense Account	216	26414
Shareholders approached for transfer during the financial year 2020-21	0	0
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2020-21	0	0
Balance as on 31.03.2021 lying in Demat Suspense Account	216	26,414

The voting rights on above mentioned 26,414 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

Particulars (E-AB and E-CB)	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2020 lying in Demat Suspense Account	175	17,431
Shareholders approached for transfer during the financial year 2020-21	7	4342
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2020-21	7	4342
Balance as on 31.03.2021 lying in Demat Suspense Account	168	13089

The voting rights on above mentioned 13,089 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

## 10. EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS

Sr. No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1	<b>Board</b> A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his /her duties.	The position of Non-Executive Chairman is vacant since 05.07.2020. The same has to be filled up by the Central Government.
2	<b>Shareholder Rights</b> A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Half-yearly communication is sent to all the shareholders.
3	<b>Modified opinion(s) in Audit Report</b> The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There has been no modified opinion in audit report during the year under review.
4	<b>Reporting of Internal Auditor</b> The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	As per the Board approved Risk Based Internal Audit Policy, the Internal Auditors report directly to the Chief General Manager, Audit & Inspection Department. However, details with latest position of Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed before the Audit Committee of the Board.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai  
 Date: 05.07.2021

  
 (Rajkiran Rai G.)  
 Managing Director & CEO

### DECLARATION ON CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Directors and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2020-21.

For Union Bank of India



(Rajkiran Rai G.)  
Managing Director & CEO

Place: Mumbai  
Date: June 30, 2021

# Independent Auditors' Certificate on Corporate Governance

## To The Members of Union Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate governance by Union Bank of India, for the year ended on March 31, 2021, as stipulated in the relevant provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') amended from time to time as referred to in Regulation 15(2) of the Listing Regulations for the year April 01, 2020 to March 31, 2021.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations, as applicable.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

### For M/s B M Chatrath & Co. LLP

Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

#### CA Arindam Ray

Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAABS9627

### For M/s R G N Price & Co.

Chartered Accountants  
FRN 002785S

#### CA P M Veeramani

Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJS3020

### For M/s SARDA & PAREEK LLP

Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

#### CA Niranjn Joshi

Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAS8443

### For M/s C R Sagdeo & Co.

Chartered Accountants  
FRN 108959W

#### CA Sachin V Luthra

Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADN8383

### For M/s P V A R & Associates

Chartered Accountants  
FRN 005223C

#### CA Pradeep Kumar Gupta

Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABR2731

### For M/s Gopal Sharma & Co.

Chartered Accountants  
FRN 002803C

#### CA Vijay Garg

Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAG8342

Place: Mumbai.

Date: 07<sup>th</sup> June, 2021



**FORM NO. MR-3**  
**SECRETARIAL AUDIT REPORT**  
**FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021**

[Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, read with  
SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 Dated February 08, 2019]

To,  
The Members,  
**Union Bank of India**  
**Central Office, Mumbai**

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Union Bank of India** (hereinafter called “the Bank”). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Bank’s books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2021** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on March 31, 2021, according to the provisions of:

- i. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970
- ii. The Nationalised Banks’ (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
- iii. The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time)
- iii. The Reserve Bank of India Act, 1945 and Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time
- iv. The Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998;
- v. The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made there under to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- vi. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (‘SCRA’) and the rules made thereunder;
- vii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- viii. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (‘SEBI Act’):-
  - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
  - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
  - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
  - d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014
  - e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
  - f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
  - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
  - h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

I have also examined compliance with the applicable clauses of ‘the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [“Listing Regulations”]’. The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder subject to my observations in my Secretarial Compliance Report dated 16<sup>th</sup> June, 2021.

 **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** **Union Bank of India**



Annual Report 2020-2021

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above, to the extent applicable.

#### **I further report that –**

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the applicable Acts, Rules and Regulations.

Adequate notice was given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance for meetings and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

During the period under review, decisions were carried through unanimously and no dissenting views were observed, while reviewing the minutes.

I further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period, the Bank has undertaken following events/actions:

- i) The Board of Directors of the Bank at their meeting held on July 29, 2020, approved the capital plan for financial year 2020-21, to raise capital funds upto Rs.10300 crores comprising an amount not exceeding Rs. 6800 crore by way of equity shares and an amount not exceeding Rs. 9400 crore by way Additional Tier-1 (AT-1) and or Tier-2 bonds.
- ii) The Shareholders of the Bank had at their Extraordinary General Meeting held on 30<sup>th</sup> December, 2020, accorded their approval to raise equity share capital upto Rs.6800 crore (including share premium), by way of public issue (follow on public issue) and /or rights issue and /or private placement including Qualified Institution Placement.
- iii) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on December 15, 2020, issued and allotted 5000 Non-Convertible Taxable Unsecured, Subordinated, BASEL III Compliant Perpetual Debt instruments in the nature of Debentures eligible for inclusion in Additional Tier 1 Capital I Bonds, Series XXVII, aggregating to Rs.500 crore, on private placement basis.
- iv) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on January 11, 2021, has issued and allotted 1000 Non-Convertible Taxable Unsecured, Subordinated BASEL III compliant perpetual Debt instruments in the nature of Debentures, eligible for inclusion in Additional Tier 1 Capital Bonds, Series XXVIII, aggregating to Rs.1000 crore, on private placement basis.
- v) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on January 11, 2021, accorded its approval to exercise call option in respect of BASEL III compliant Additional Tier-1 Bonds of Rs.800 crore and Tier 2 Bonds of Rs.1000 crore on their respective due dates on completion of 5 years.
- vi) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on January 11, 2021, has issued and allotted Non-Convertible Taxable Unsecured, Subordinated BASEL III compliant 205 Perpetual Debt instruments in the nature of Debentures eligible for inclusion in Additional Tier 1 Capital Bonds Series XXIX, aggregating to Rs.205 crore, on private placement basis.

Mumbai  
June 16, 2021

B Durgaprasad Rai  
**Company Secretary in Practice**  
ACS No: 10060; C P No. : 4390  
UDIN: A010060C000472918

This report is to be read with my letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

To,  
The Members,  
**Union Bank of India**  
**Central Office, Mumbai**

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2021 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. I believe that the processes and practices, I follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Mumbai  
June 16, 2021

B Durgaprasad Rai  
**Company Secretary in Practice**  
ACS No: 10060; C P No. : 4390  
ICSI UDIN: A010060C000472918

## CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,  
**The Members,  
Union Bank of India**

Central Office, Union Bank Bhavan,  
239, Vidhan Bhavan Marg,  
Nariman Point, Mumbai - 400 021

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Union Bank of India** (hereinafter referred to as "The Bank"), having Central Office at 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021, produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in), wherever applicable), as considered necessary, and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank, as stated below, for the financial year ending on March 31, 2021, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of the Director	Director Identification Number	Date of Appointment in the Bank
1.	Shri Rajkiran Rai G.	07427647	July 01, 2017
2.	Shri Gopal Singh Gusain	03522170	September 20, 2018
3.	Shri Dinesh Kumar Garg	08925290	November 02, 2018
4.	Shri Manas Ranjan Biswal	08162008	March 01, 2019
5.	Shri Nitesh Ranjan	08101030	March 10, 2021
6.	Dr. Madnesh Kumar Mishra	07584386	July 22, 2016
7.	Shri Arun Kumar Singh	N.A.	April 26, 2019
8.	Dr. Uttam Kumar Sarkar	07266221	June 28, 2018
9.	Shri K. Kadiresan	N.A.	June 28, 2018
10.	Dr. Jayadev M.	03574167	June 28, 2018

The Bank, being a nationalised bank, is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, and the Banking Regulation Act, 1949. The provisions of the Companies Act, 2013, do not apply to the Bank. Hence, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN.

Ensuring the eligibility for the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

B Durgaprasad Rai  
**Company Secretary in Practice**  
ACS No: 10060; C P No. : 4390  
ICSI UDIN: A010060C000478627

Place: Mumbai  
Date: 17<sup>th</sup> June, 2021

To,  
The Board of Directors,  
Union Bank of India,  
Mumbai

**CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

This is to certify that to the best of our knowledge and belief,

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
- (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
  - (2) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit committee
- (1) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
  - (2) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
  - (3) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

**For Union Bank of India**



**(Prafulla Kumar Samal)  
(Chief Financial Officer)**

Place: Mumbai  
Date: 7<sup>th</sup> June 2021

**For Union Bank of India**



**(Rajkiran Rai G.)  
Managing Director & CEO**

# Independent Auditors' Report

To

The President of India /The Members of Union Bank of India

Mumbai

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Union Bank of India** ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2021, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of

- i) 20 branches, 1 Treasury Branch audited by us, 18 FGMO Offices audited by us
- ii) 5650 branches audited by statutory branch auditors and
- iii) 3 overseas branches audited by local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (the RBI). Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 4042 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.60 per cent of advances, 19.67 per cent of deposits, 6.14 per cent of interest income and 18.37 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2021;
- b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

## Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Emphasis of the Matter

3. We draw your attention to Note No.1.1 of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements which describes Government approved scheme of amalgamation and basis for preparation of these financial results adopting "Pooling of Interest" method as prescribed under the Accounting Standard – 14 on "Accounting for Amalgamations" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to record amalgamation of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank (amalgamating banks) with the bank with effect from 1<sup>st</sup> April 2020. The financial results for the year are not comparable with corresponding previous period.

We draw your attention to Note No. 1.1 of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements which describes consideration of amalgamation reserve amounting to ₹ 1309.60 crores as a part of CET I Capital for the purpose of calculation of Capital Adequacy Ratio for the quarter / year ended 31<sup>st</sup> March 2021.



Annual Report 2020-2021



We draw your attention to Note No. 1.1 of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements which describes that during the year the bank has set off entire accumulated loss amounting to ₹ 32,758.49 crore (as at 1<sup>st</sup> April 2020) against securities premium account as per the approval received from RBI dated 29<sup>th</sup> October 2020.

We draw your attention to Note No. 1.4.5 of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements which describes uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the management of the bank is evaluating the situation and impact on its business operations.

We draw your attention to Note No. 13 of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements which describes that there is change in the accounting policies/estimates followed during the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 as compared to those followed in the preceding financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 with effect from 1<sup>st</sup> April, 2020,

- a) the income on account of LC/BG commission is recognized as revenue on accrual basis as against receipt basis followed in earlier periods. Impact due to the change in accounting policy has resulted in decrease in other income and net profit (before tax) for the year by ₹ 441.06 Crore.
- b) Pursuant to amalgamation of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank into Union Bank of India, there is a change in method of depreciation on Fixed Assets from Written Down Value to Straight Line Method and change in estimated useful life with respect to some categories of assets. Impact due to the said changes has resulted in increase in depreciation and decrease in net profit (before tax) for the quarter by ₹ 3.24 Crores for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021 and due to harmonization, one time impact on the depreciation amounting to ₹ 180.16 Crores for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

#### Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
1	<b>Accounting for Amalgamation of e-Andhra Bank and e-Corporation Bank</b>	
	<p>The Government of India (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Gazette Notification CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020 approved the scheme of amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (Amalgamating Banks) into Union Bank of India effective from 1st April, 2020</p> <p>The Bank has adopted “Pooling of Interest” method as prescribed under the Accounting Standard 14 on “Accounting for Amalgamations” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to record amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (the amalgamating banks) with the Bank with effect from 1<sup>st</sup>April, 2020. Accordingly, the difference of Rs. 1309.60 Crore between the net assets assets of amalgamating banks and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating banks has been recognized as Amalgamation Reserve in the opening balance sheet as on 1st April, 2020.</p>	<p>Our audit approach for testing of accounting of amalgamation included in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• we evaluated the Scheme of Amalgamation approved by The Government of India (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Gazette Notification CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020</li> <li>• we evaluated appropriateness of the Bank’s selection of amalgamation accounting by Pooling of Interest method in compliance with each of the conditions stipulated in AS 14</li> <li>• we have considered audited balance sheet of amalgamated entity as on 01.04.2020</li> </ul> <p>- Accounting for Amalgamation;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• we evaluated the residual useful life of the acquired assets, focusing on the valuation methodologies and key assumptions applied;</li> <li>• we evaluated the reasonableness of key assumptions based on our knowledge of the business and industry;</li> </ul>

	<p>Due to the complexity of the transaction and the associated significant risk of misstatement involved due to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divergence in accounting policies followed by the amalgamating banks with respect of accounting of certain items of income, providing for depreciation of fixed assets</li> <li>• Application of tax laws especially carry forward and set off of loss of the merging entities.</li> <li>• Ownership and rights over immovable and movable assets of the amalgamating banks, properties held by the amalgamating banks under lease, assets, guarantees and other assurances offered as security for the advances made by the amalgamating banks, cause of action, suits, decrees, recovery certificates, appeal and other proceedings in favour of amalgamating banks and all other acts carried out by the amalgamating banks in the normal course of its banking business</li> </ul> <p>The accounting of amalgamation of banks is considered as a key audit matter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• we evaluated the basis determined by the Management for accounting of Amalgamation Reserve representing difference between value of net assets of amalgamating banks and the number of shares issued to shareholders of the amalgamating banks.</li> <li>• we performed evaluation of tax laws applicable to the Bank and verification of the management's assessment with respect to eligibility of carry forward and set off of losses of the amalgamating banks</li> <li>• we evaluated the terms of amalgamation as approved by the Government of India vide its notification dated 04.03.2020 titled "Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme 2020" with reference to the Ownership and rights over immovable and movable assets of the amalgamating banks, properties held by the amalgamating banks under lease, assets, guarantees and other assurances offered as security for the advances made by the amalgamating banks, cause of action, suits, decrees, recovery certificates, appeal and other proceedings in favour of amalgamating banks and all other acts carried out by the amalgamating banks in the normal course of its banking business</li> </ul>
2	<p><b>Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans &amp; Advances and Investments as per the regulatory requirements</b></p>	
	<p>Loans &amp; Advances and Investments are the largest class of assets forming 84.88% of the total assets as on March 31, 2021. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines). The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses. The Bank has system based identification of non-performing assets in accordance with IRAC Norms</p>	<p>Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions.</p> <p>Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. These included evaluation and understanding of following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments;</li> <li>• System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI);</li> <li>• Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems;</li> <li>• Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments</li> <li>• We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms.</li> <li>• We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor.</li> <li>• We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert.</li> <li>• Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress.</li> <li>• We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same.</li> <li>• Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system.</li> </ul> <p>We have test checked and assessed the efficacy of the system based identification of NPA</p>
3	<b>Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting</b>	
	<p><b>A. On account of amalgamation</b></p> <p>During the year, in view of the amalgamation of erstwhile Andhra Bank (eAB) and erstwhile Corporation Bank (eCB) with Union Bank of India, with effect from April 1, 2020, as stated in note 1 of Schedule 18 of the Financial Statements and until integration into the Union Bank of India platform, the banking operations were carried out in three different software for the respective verticals namely eAB branches, eCB branches and other branches, during the year. In respect of some specific department or specialized software's for business processes the integration process is underway and was not be completed during the year. In view of the above, the IT environment had become complex and pervasive to the operations of the Bank with regards to the financial reporting process since the same was highly dependent on information technology including automated and manual controls and availability of complete and accurate electronic data due to the size and complexity of the operations. Pending the systems integration / migration of the three software, the process of consolidated of data to be reported was manual.</p>	<p>We have obtained understanding of the IT related environment of all the three verticals of the Bank, and had accordingly identified IT applications, databases and operating systems to conduct risk assessment which may impact on the financial reporting. Our audit procedures, with respect to all three verticals in this area included, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.</li> <li>• Assessing whether appropriate restrictions were placed on access to core systems through reviewing the permissions and responsibilities of authorised personnel.</li> <li>• Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidences.</li> <li>• Reviewed the controls with respect to manual processes consolidation of data of all verticals and ensured data integrity with respect to such consolidation.</li> </ul>

<p>Unauthorized or extensive access rights, changes in IT environment, operational controls, lack of segregation of duties which may cause a risk of misstatement of financial information and could have a material consequence on the completeness and accuracy of the financial statements. Due to high level of automation, number of integrated / non – integrated systems used, the manual process used for the consolidation of the three verticals, this is considered a significant matter for our audit.</p> <p><b>B. On normal financial reporting</b></p> <p>Apart from amalgamation which is an exceptional business during the year, in the normal course of its business, the Bank’s financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively. Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.</p> <p>We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines;</li> <li>• Provisioning on the advance portfolio;</li> <li>• Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets;</li> <li>• Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts;</li> <li>• Recording Investment transactions</li> <li>• Interest expense on deposits and other liabilities;</li> </ul>	<p>Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis.</p> <p>Our audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action;</li> <li>• Carrying out independent alternative audit procedures like substantive testing in areas where deficiencies were noticed;</li> <li>• Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis;</li> <li>• Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;</li> <li>• Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.</li> <li>• Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.</li> </ul>
---	---

4	<p><b>Recognition and measurement of Deferred tax</b></p> <p>The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 15,67,24,947 (in '000) as on March 31, 2021. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.</p>	<p>Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income;</li> <li>• Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy</li> <li>• Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.</li> <li>• Evaluation of recognition and measurement of deferred tax assets on accumulated losses of erstwhile Andhra Bank (eAB) and erstwhile Corporation Bank (eCB) on amalgamation with Union Bank of India, with effect from April 1, 2020.</li> </ul>
5	<p><b>COVID-19 Pandemic</b></p> <p>Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak</p> <p>Due to the continuing COVID-19 pandemic, lockdown declared by some of the state governments and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches / Regional &amp; Zonal Offices/ Verticals at the Corporate Office of the bank.</p> <p>As we could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches / Regions &amp; Zones/ Verticals / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter.</p> <p>Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely</p>	<p>Due to the continuing COVID-19 pandemic followed by lockdown declared by some of the state governments and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/ Local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches/Regions/ Zones/ Verticals/ Corporate Offices and carry out the audit processes physically at the respective offices.</p> <p>Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium including the designated audit portal of the bank, emails and remote access to CBS and closing package. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period.</p>



		<p>Accordingly, we modified our audit procedures (based on regulatory and ICAI advisories) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducted verification of necessary records/ documents/CBS/closing package and other application software electronically through remote access/emails/in respect of some of the Branches/ Regions/Zones/Verticals/Corporate Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible.</li> <li>• Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates, returns from branches and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank</li> <li>• Making enquires and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels.</li> <li>• Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face to-face interaction with the designated officials.</li> </ul>
--	--	---

### Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Highlights for the year, Directors' Report including annexures to Directors' Report, key financial ratios, Business responsibility Report and Corporate Governance report in the Annual Report, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

### Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI to the extent applicable, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

### **Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality in the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the

matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 5653 domestic branches and processing centers including 3 foreign branches included in Standalone Financial Results of the Bank whose financial statements/ financial information reflects total assets of ₹ 167,19,29,083.49 (in thousand) at March 31, 2021 and total revenue of ₹ 52,57,33,043.46 (in thousand) for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Results. These branches and processing centers cover 55.91% of advances, 96.80% of deposits and 45.33% of Non-performing assets as on 31<sup>st</sup> March 2021 and 73.10% of revenue for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 and 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
  - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
  - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- (a) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
  - (b) In our opinion there are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
  - (c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
  - (d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
  - (e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank’s internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at 31 March 2021.

11. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAAABQ2179

**For M/s C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADL7290

**For M/s R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJQ1386

**For M/s P V A R & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABP4872

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjn Joshi**  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAQ1134

**For M/s Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAE3168

Place of Signature : Mumbai / Virtual

Date of Report : 07.06.2021

## **ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Referred to in paragraph 10(a) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Union Bank of India (“the Bank”) as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank’s branches.

### **Management’s Responsibility for Internal Financial Controls**

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

### **Auditors’ Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting.

### **Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

A Bank’s internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank’s assets that could have a material effect on the financial statements.

### **Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and

not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”.

### Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 5674 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAAABQ2179

**For M/s R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJQ1386

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjn Joshi**  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAQ1134

**For M/s C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADL7290

**For M/s P V A R & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABP4872

**For M/s Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAE3168

Place of Signature : Mumbai / Virtual

Date of Report : 07.06.2021

# STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

( ₹ in 000' )

Particulars	Schedule Number	As on 31st March 2021	As on 31st March 2020
<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>			
Capital	1	6,40,68,444	3,42,28,189
Reserves and Surplus	2	58,06,98,908	30,36,28,257
Share Application Money		0	0
Deposits	3	9,23,80,53,402	4,50,66,84,524
Borrowings	4	51,83,71,092	52,48,62,533
Other Liabilities and Provisions	5	31,58,66,602	13,74,29,182
<b>TOTAL</b>		<b>10,71,70,58,448</b>	<b>5,50,68,32,685</b>
<b>ASSETS</b>			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	37,88,04,613	20,11,82,983
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	46,52,98,860	34,98,79,210
Investments	8	3,31,51,17,896	1,52,41,38,968
Advances	9	5,90,98,28,759	3,15,04,94,069
Fixed Assets	10	7,34,38,719	4,76,25,172
Other Assets	11	57,45,69,601	23,35,12,283
<b>TOTAL</b>		<b>10,71,70,58,448</b>	<b>5,50,68,32,685</b>
Contingent Liabilities	12	3,70,52,79,658	1,88,20,23,590
Bills for Collection		34,69,48,137	21,68,26,909
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Balance Sheet

(DHIRENDRA JAIN)  
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

For and on behalf of the Board of Directors

(NITESH RANJAN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)  
MANAGING DIRECTOR & CEO

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)  
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)  
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)  
DIRECTOR

(DR. JAYADEV M.)  
DIRECTOR

As per our report of even date attached.

For M/s B M Chatrath & Co. LLP

Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

CA Arindam Ray

Partner  
Membership No.058713  
UDIN:21058713AAAAABQ2179

For M/s C R Sagdeo & Co.

Chartered Accountants  
FRN 108959W

CA Sachin V Luthra

Partner  
Membership No. 109127  
UDIN:21109127AAAAADL7290

For M/s R G N Price & Co.

Chartered Accountants  
FRN 002785S

CA P M Veeramani

Partner  
Membership No.023933  
UDIN:21023933AAAAJQ1386

For M/s P V A R & Associates

Chartered Accountants  
FRN 005223C

CA Pradeep Kumar Gupta

Partner  
Membership No.072933  
UDIN:21072933AAAAABP4872

For M/s SARDA & PAREEK LLP

Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

CA Niranjan Joshi

Partner  
Membership No.102789  
UDIN:21102789AAAAAQ1134

For M/s Gopal Sharma & Co.

Chartered Accountants  
FRN 002803C

CA Vijay Garg

Partner  
Membership No.076387  
UDIN:21076387AAAAAE3168

Place : MUMBAI

Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

 **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** Union Bank of India

Annual Report 2020-2021



# STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

( ₹ in 000' )

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31st March 2021	For the Year Ended 31st March 2020
<b>I. INCOME</b>			
Interest Earned	13	68,76,73,349	37,23,11,238
Other Income	14	11,33,68,535	5,26,07,868
<b>TOTAL</b>		<b>80,10,41,884</b>	<b>42,49,19,106</b>
<b>II. EXPENDITURE</b>			
Interest Expended	15	44,07,89,085	25,79,43,716
Operating Expenses	16	16,76,59,928	7,51,64,147
Provision And Contingencies		16,35,33,220	12,07,89,008
<b>TOTAL</b>		<b>77,19,82,233</b>	<b>45,38,96,871</b>
<b>III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR</b>		<b>2,90,59,651</b>	<b>(2,89,77,765)</b>
ADD : PROFIT/(LOSS) BROUGHT FORWARD		<b>0</b>	<b>(8,40,02,080)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2,90,59,651</b>	<b>(11,29,79,845)</b>
<b>IV. APPROPRIATIONS</b>			
Transfer To Statutory Reserve		72,64,913	-
Transfer To Capital Reserve		90,01,837	37,46,900
Transfer To Investment Fluctuation Reserve		1,27,92,901	-
Balance in Profit and Loss Account		0	(11,67,26,745)
<b>TOTAL</b>		<b>2,90,59,651</b>	<b>(11,29,79,845)</b>
EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (FV ₹ 10)	18	4.54	(12.49)
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Profit and Loss account

(DHIRENDRA JAIN)  
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

For and on behalf of the Board of Directors

(NITESH RANJAN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)

MANAGING DIRECTOR & CEO

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)  
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)  
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)  
DIRECTOR

(DR. JAYADEV M.)  
DIRECTOR

As per our report of even date attached.

For M/s B M Chatrath & Co. LLP  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

CA Arindam Ray  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAAABQ2179

For M/s C R Sagdeo & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

CA Sachin V Luthra  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADL7290

For M/s R G N Price & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

CA P M Veeramani  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJQ1386

For M/s P V A R & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

CA Pradeep Kumar Gupta  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABP4872

For M/s SARDA & PAREEK LLP  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

CA Niranjn Joshi  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAQ1134

For M/s Gopal Sharma & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

CA Vijay Garg  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAE3168

Place : MUMBAI  
Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

 **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** Union Bank of India



Annual Report 2020-2021

# SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

( ₹ in 000' )

As on 31st March 2021

As on 31st March 2020

## SCHEDULE 1 - CAPITAL :

### I. Authorised :

10,00,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each (Previous Year 10,00,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each)	<b>10,00,00,000</b>	10,00,00,000
--	---------------------	--------------

### II. Issued, Subscribed & Paid up :

i. 570,66,60,850 Equity Shares of ₹10 each, held by Central Government (Previous Year 296,92,79,777 Equity Shares)	<b>5,70,66,609</b>	2,96,92,798
ii. 70,01,83,505 Equity Shares of ₹10 each, held by Public (Previous Year 45,35,39,075 Equity Shares)	<b>70,01,835</b>	45,35,391

### TOTAL

**6,40,68,444**

3,42,28,189

## SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :

### I. Statutory Reserve :

As per last balance sheet	<b>12,59,43,749</b>	6,67,06,110
Addition during the year	<b>72,64,913</b>	-
	<b>13,32,08,662</b>	6,67,06,110

### II. Capital Reserve :

As per last balance sheet	<b>3,77,10,327</b>	1,28,49,561
Addition during the year	<b>90,01,837</b>	37,46,900
	<b>4,67,12,164</b>	1,65,96,461

### III. Investment Fluctuation Reserve

As per last balance sheet	<b>0,000</b>	0,000
Addition during the year	<b>1,27,92,901</b>	0,000
	<b>1,27,92,901</b>	0,000

### IV. Revaluation Reserve :

As per last balance sheet	<b>4,99,77,701</b>	2,23,48,100
Addition during the year	<b>40,444</b>	1,04,48,077
Deduction during the year	<b>10,33,367</b>	10,54,713
	<b>4,89,84,778</b>	3,17,41,464

### V. Share Premium :

As per last balance sheet	<b>50,08,54,966</b>	15,12,99,685
Addition during the year	-	10,10,81,975
Deduction during the year	<b>32,75,84,947</b>	1,19,871
	<b>17,32,70,019</b>	25,22,61,789

### VI. Revenue Reserves :

#### i) Revenue and other Reserves :

As per last balance sheet	<b>8,25,61,562</b>	4,80,51,955
Addition during the year	<b>2,64,98,876</b>	22,88,911
Deduction during the year	<b>1,26,05,677</b>	2,64,05,552

### Total

**9,64,54,761**

2,39,35,314

**SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**  
( ₹ in 000')

	As on 31st March 2021		As on 31st March 2020	
ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961				
As per last balance sheet	<b>5,50,78,789</b>		2,87,50,000	
Addition during the year	-		-	
<b>Total</b>	<b>5,50,78,789</b>		<b>2,87,50,000</b>	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last balance sheet	<b>3,63,866</b>		12,36,580	
Addition during the year	<b>6,85,434</b>		4,941	
Deduction during the year	<b>6,930</b>		8,77,657	
<b>Total</b>	<b>10,42,370</b>	<b>15,25,75,920</b>	<b>3,63,864</b>	<b>5,30,49,178</b>
VII Special Reserve Profit on FX Swap		<b>58,485</b>		0,000
VIII Amalgamation Adjustment Reserve		<b>1,30,95,979</b>		0,000
VI Balance in Profit and Loss Account		<b>(0)</b>		<b>(11,67,26,745)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58,06,98,908</b>		<b>30,36,28,257</b>

**SCHEDULE 3 - DEPOSITS :**

A)				
<b>I. Demand Deposits</b>				
i) From Banks	<b>76,23,510</b>		40,29,165	
ii) From Others	<b>62,86,14,209</b>	<b>63,62,37,719</b>	26,01,20,865	26,41,50,030
<b>II. Savings Bank Deposits</b>		<b>2,71,96,80,826</b>		1,33,95,82,532
<b>III. Term Deposits</b>				
i) From Banks	<b>3,16,45,103</b>		5,50,64,197	
ii) From Others	<b>5,85,04,89,754</b>	<b>5,88,21,34,857</b>	2,84,78,87,765	2,90,29,51,962
<b>TOTAL</b>		<b>9,23,80,53,402</b>		<b>4,50,66,84,524</b>
B)				
i). Deposits of branches in India		<b>9,21,62,71,426</b>		4,47,01,90,636
ii). Deposits of branches outside India		<b>2,17,81,976</b>		3,64,93,888
<b>TOTAL</b>		<b>9,23,80,53,402</b>		<b>4,50,66,84,524</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**  
( ₹ in 000' )

	As on 31st March 2021	As on 31st March 2020
<b>SCHEDULE 4 - BORROWINGS :</b>		
<b>A) Borrowings : Capital Instruments</b>		
I. Perpetual Bonds	7,10,50,000	4,00,00,000
II. Upper Tier II Capital	0,000	50,00,000
III. Lower Tier II Capital	10,05,00,000	5,55,00,000
IV. 7 Years Infra Bonds	50,01,000	
<b>B) Borrowings in India</b>		
I. Reserve Bank of India	14,20,90,000	0,000
II. Other Banks	1,40,00,565	2,01,26,890
III. Other Institutions and Agencies	2,74,54,914	18,35,45,479
<b>C) Borrowings Outside India</b>		20,25,29,807
	15,82,74,613	22,26,56,697
<b>TOTAL</b>	<b>51,83,71,092</b>	<b>52,48,62,533</b>
Secured Borrowings included in (B) I above	14,20,90,000	16,98,30,000

**SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :**

I. Bills Payable	2,30,30,334	90,91,800
II. Interest Accrued	3,13,98,586	1,85,18,721
III. Others (Including Provisions)	26,14,37,682	10,98,18,661
<b>TOTAL</b>	<b>31,58,66,602</b>	<b>13,74,29,182</b>

**SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:**

I. Cash in hand (Including Foreign Currency Notes and Gold)	3,78,17,879	2,00,43,578
II. Balances with Reserve Bank of India In Current Account	34,09,86,734	18,11,39,405
<b>TOTAL</b>	<b>37,88,04,613</b>	<b>20,11,82,983</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**  
( ₹ in 000')

	As on 31st March 2021		As on 31st March 2020	
<b>SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :</b>				
<b>I. Balances with banks in India</b>				
a) In Current Accounts	52,33,575		17,58,362	
b) In Other Deposit Accounts	7,02,13,074		8,09,64,725	
ii) Money at Call and short notice				
a) with Banks	-		30,00,000	
b) with Other Institutions	29,55,40,000	37,09,86,649	20,00,00,000	28,57,23,087
<b>II. Outside India</b>				
i) In Current Accounts	22,66,568		27,89,811	
ii) In other Deposit Accounts	9,20,45,643		6,13,66,312	
iii) Money at call & Short Notice	-	9,43,12,211	-	6,41,56,123
<b>TOTAL</b>		<b>46,52,98,860</b>		<b>34,98,79,210</b>
<b>SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :</b>				
<b>I. Investments in India</b>				
i) Government Securities		2,40,25,37,531		1,05,63,08,142
ii) Shares		2,01,62,150		1,11,28,494
iii) Debentures and Bonds		74,40,56,416		34,03,94,322
iv) Subsidiaries and joint ventures		53,76,479		26,73,168
v) Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt etc.)		11,59,47,026		8,44,29,894
<b>TOTAL</b>		<b>3,28,80,79,602</b>		<b>1,49,49,34,020</b>
<b>II. Investments outside India</b>				
i) Govt. Securities (Including Local Authority)		1,48,25,814		1,65,79,156
ii) Shares		9,450		4,032
iii) Other Investments (Bonds)		7,29,870		25,67,460
iv) Subsidiaries and Joint Ventures		1,14,73,160		1,00,54,300
<b>TOTAL</b>		<b>2,70,38,294</b>		<b>2,92,04,948</b>
<b>TOTAL</b>				
		<b>3,31,51,17,896</b>		<b>1,52,41,38,968</b>
<b>III. i) Investments in India</b>				
Gross Value		3,35,03,34,391		1,51,94,38,271
Provision for Depreciation		6,22,54,789		2,45,04,251
Net Value		3,28,80,79,602		1,49,49,34,020
<b>ii) Investments outside India</b>				
Gross Value		2,70,57,741		2,92,19,128
Provision for Depreciation		19,447		14,180
Net Value		2,70,38,294		2,92,04,948
<b>TOTAL</b>		<b>3,31,51,17,896</b>		<b>1,52,41,38,968</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**  
( ₹ in 000' )

As on 31st March 2021      As on 31st March 2020

**SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)**

<b>A.</b>			
i) Bills purchased and discounted	4,11,16,878		2,77,71,181
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	2,66,12,08,397		1,42,93,65,230
iii) Term Loans	3,20,75,03,484		1,69,33,57,658
<b>TOTAL</b>	<b>5,90,98,28,759</b>		<b>3,15,04,94,069</b>
<b>B.</b>			
i) Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	5,07,39,93,631		2,64,30,42,762
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	16,51,79,860		10,75,94,614
iii) Unsecured	67,06,55,268		39,98,56,693
<b>TOTAL</b>	<b>5,90,98,28,759</b>		<b>3,15,04,94,069</b>
<b>C. Sectorial Classification of Advances</b>			
<b>I. Advances in India:</b>			
i) Priority Sector	2,52,92,91,622		1,14,41,37,429
ii) Public Sector	61,06,29,459		46,20,71,183
iii) Banks	3,07,310		3,11,101
iv) Others	2,62,93,66,222		1,34,72,31,537
<b>TOTAL</b>	<b>5,76,95,94,613</b>		<b>2,95,37,51,250</b>
<b>II. Advances Outside India:</b>			
i) Due From Banks	3,41,84,098		5,02,64,366
ii) Due from Others			
a) Bills Purchased and Discounted	0,000		30,46,970
b) Syndicated loans	11,83,093		1,78,35,409
c) Others	10,48,66,955		12,55,96,074
<b>TOTAL</b>	<b>14,02,34,146</b>		<b>19,67,42,819</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,90,98,28,759</b>		<b>3,15,04,94,069</b>

**SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS :**

**A. TANGIBLE ASSETS**

**I Premises**

At cost/valuation as per last balance sheet	8,08,23,818		3,86,62,060
Additions during the year	7,16,224		1,04,97,364
Deduction during the year	3,310		54,782
	8,15,36,732		4,91,04,642
Less: Depreciation till date	2,48,41,708	5,66,95,024	1,24,83,397
			3,66,21,245

**II Capital Work-in-Progress**

At cost as per last balance sheet	5,79,704		4,35,688
Additions during the year	1,57,093		1,33,300
Deductions during the year	1,13,918	6,22,879	35,058
			5,33,930



**SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**  
( ₹ in 000')

	As on 31st March 2021		As on 31st March 2020	
<b>III Land</b>				
At cost as per last balance sheet	12,45,683		6,95,420	
Additions during the year	0,000		72,931	
Deductions during the year	0,000		26,092	
	12,45,683		7,42,259	
Less: Depreciation till date	78,385	11,67,298	69,969	6,72,290
<b>IV Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)</b>				
<b>a) Assets given on lease</b>				
At cost as per last balance sheet	2,65,352		2,65,352	
Less: Depreciation till date	2,65,352	-	2,65,352	-
<b>b) Others</b>				
At cost/valuation as per last balance sheet	6,20,76,819		2,79,07,536	
Additions during the year	34,97,487		28,66,289	
Deductions during the year	9,71,296		4,02,191	
	6,46,03,010		3,03,71,634	
Less: Depreciation till date	5,25,98,644	1,20,04,366	2,12,21,816	91,49,818
<b>B. INTANGIBLE ASSETS</b>				
Computer Software				
At cost as per last balance sheet	85,50,124		25,73,008	
Additions during the year	26,73,629		7,71,877	
Deduction during the Year	1,172		0,000	
	1,12,22,581		33,44,885	
Less: Amortisation till date	82,73,429	29,49,152	26,96,996	6,47,889
<b>TOTAL</b>		<b>7,34,38,719</b>		<b>4,76,25,172</b>

**SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :**

I. Inter-Office Adjustments (Net)	7,34,01,772	1,51,98,653
II. Interest Accrued	6,00,37,714	2,54,32,328
III. Deferred Tax Assets (Net)	15,67,24,947	7,35,68,800
IV. Stationery and stamps	68,176	37,137
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	1238	390
VI. Others	20,61,34,433	10,42,25,545
VII. Tax Paid/ Tax deducted at source (Net of provision)	6,62,28,752	1,50,49,430
VIII. MAT Credit Entitlement	1,19,72,569	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>57,45,69,601</b>	<b>23,35,12,283</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**  
( ₹ in 000')

**SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**

	As on 31st March 2021	As on 31st March 2020
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	3,73,07,180	3,27,49,359
II. Liability for partly paid Investments	5,920	5,920
III. Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	2,28,99,08,209	1,06,54,22,734
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	66,32,75,681	40,28,26,884
b) Outside India	1,34,92,045	84,97,644
V. Acceptances, endorsements and other obligations	52,07,37,119	31,99,80,156
VI. Disputed Tax demands under appeals	15,68,01,095	3,91,43,693
VII. Amout transferred to DEAF Scheme 2014	2,37,52,409	1,33,97,200
<b>TOTAL</b>	<b>3,70,52,79,658</b>	<b>1,88,20,23,590</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDLONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021**  
( ₹ in 000')

	For the Year Ended 31st March 2021	For the Year Ended 31st March 2020
<b>SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :</b>		
I. Interest/Discount on advances/bills	45,76,58,380	25,07,86,979
II. Income on Investments	20,57,37,022	10,57,28,598
III. Interest on balances with Reserve Bank of India & other Inter Bank Funds	2,11,32,184	1,20,02,836
IV. Others	31,45,763	37,92,825
<b>TOTAL</b>	<b>68,76,73,349</b>	<b>37,23,11,238</b>
<b>SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :</b>		
I. Commission, Exchange and Brokerage	73,96,694	56,33,245
II. Profit on sale of investments (Net)	3,65,13,065	1,46,32,588
III. Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets (Net)	76,136	(39,448)
IV. Profit on exchange transactions (Net)	65,81,823	55,70,186
V. Miscellaneous Income	6,28,00,817	2,68,11,297
<b>TOTAL</b>	<b>11,33,68,535</b>	<b>5,26,07,868</b>
<b>SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :</b>		
I. Interest on Deposits	40,80,68,450	24,02,69,067
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	1,49,02,542	83,87,571
III. Others	1,78,18,093	92,87,078
<b>TOTAL</b>	<b>44,07,89,085</b>	<b>25,79,43,716</b>
<b>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :</b>		
I. Payments to and provisions for employees	9,02,48,999	3,35,86,186
II. Rent, Taxes and Lighting	1,36,10,728	61,87,457
III. Printing and Stationery	9,22,049	5,05,737
IV. Advertisement and Publicity	3,11,524	5,86,817
V. Depreciation on Bank's property	89,52,298	41,12,569
VI. Directors' fees, allowances and expenses	13,326	14,204
VII. Remuneration to Managing/Executive Director	14,463	11,410
VIII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	10,55,638	3,98,656
IX. Law Charges	12,47,733	6,05,738
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	23,31,123	15,60,186
XI. Repairs and maintenance	35,60,302	11,94,863
XII. Insurance	1,26,65,917	57,92,455
XIII. Other expenditure	3,27,25,828	2,06,07,869
<b>TOTAL</b>	<b>16,76,59,928</b>	<b>7,51,64,147</b>

# SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2020-2021

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES : SCHEDULE 17

### 1. Basis of Preparation

The financial statements are prepared following the Going Concern Concept, in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

### 2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

### 3. Revenue Recognition

3.1 Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2 Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

3.3 Exchange and Brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, income from Aadhaar Cards etc. are Accounted for on realization basis.

3.4 Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

3.4.1 On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/redemption.

3.4.2 On Zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

3.5 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

3.6 Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.

### 4. Cash Flow Statements:

Cash Flow statement of the Bank is prepared as per AS-3. Cash Flow statement is mainly classified as:

4.1 Cash flow from Operating Activities: This activity includes cash flow generated from Operational activities.

4.2 Cash Flow from Investing Activities: This activity includes cash flow generated by investments.

4.3 Cash Flow from Financials Activities: This activity includes the cash flow generated from financial instruments.

### 5. Investments

5.1. In conformity with the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

- i. Government Securities
- ii. Other Approved Securities
- iii. Shares
- iv. Debentures & Bonds
- v. Investments in Subsidiaries & Joint Ventures and
- vi. Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines contained in Master Circular DBR.No.BP. BC.6/21.04.141 /2015-16 dated 1st July 2015 into three categories viz.,

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Held for Trading (HFT)

5.2. As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

i. Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

5.2.1.1. The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

- 5.2.1.2. Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- 5.2.1.3. Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
- 5.2.1.4. Diminution, other than temporary, in the value of its investment in subsidiaries/joint ventures, which are included in HTM shall be provided for.

ii. Securities held in “AFS” and “HFT” categories

- 5.2.2.1. Securities held in “AFS” and “HFT” categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit & Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

- 5.2.2 .2. Valuation of securities is arrived at as follows:

A	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
B	State Development Loans, Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
C	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, At ₹ 1/- per Company.
D	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
E	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
F	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
G	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost

H	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF
I	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

- 5.3. Interbank/RBI Repo and Interbank/ RBI Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

- 5.4. As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- i. From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

- ii. From HTM category to AFS/HFT category,

- 5.4.2.1. If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost / book value.

- 5.4.2.2. If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

- iii. From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

- 5.5. The non-performing investments are identified and depreciation / provision is made as per the extant RBI guidelines.

- 5.6. Profit / Loss on sale of investments in any category are taken to the Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments in “HTM” category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

- 5.7. Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

- 5.8. As per the extant RBI guidelines, the Bank follows ‘Settlement Date’ for accounting of investments transactions.

5.9. **Derivative Contracts**

- i. The Interest Rate Swap which hedges interest bearing Asset or Liability are

accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.

- ii. Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. Profit if any, is ignored.
- iii. In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

## 6. Advances

6.1. All advances are classified under four categories:

- i. Standard,
- ii. Sub-standard,
- iii. Doubtful and
- iv. Loss assets.

Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of Master Circular DBR.BPBCNo.2/21.04.048/2015-16 dated 01st July 2015.

6.2. Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:

- i. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
- ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period.
- iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons.

- v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- vi. In respect of MSME accounts which restructured in terms of RBI Circular No DOR. No.BPBC.4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 with reference to circular DOR. No.BPBC.34/21.04.048/2019-20 February 11, 2020 and Circular No DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1<sup>st</sup> January, 2019 and kept in standard category, the Bank shall maintain a provision of 5% in addition to the provision already held. Reversal of said provision shall be made in accordance with the said circular.

6.3. NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- i. Sub-standard: A loan asset that has remained non performing for a period less than or equal to 12 months,
- ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months,
- iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

6.4. Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-Standard Assets:	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. A general of 15% of the total outstanding</li> <li>ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio; However,</li> <li>iii. Unsecured Exposure, ab-initio, in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20% (instead of 25% as stated above)</li> </ul>
Doubtful-Secured Portion	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Upto one year – 25%</li> <li>ii. One to three years – 40%</li> <li>iii. More than three years – 100%</li> </ul>
Doubtful-Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

6.5. Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer, Provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered



interest held in Sundry /claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

6.6. In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

6.7. For restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs.

6.8. In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

6.9. Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

6.10. The general provision on Standard Advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

## 7. Property, Plant and Equipment

7.1. Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use less trade discounts and rebates. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from and shall be credited to Revenue Reserves in terms of revised AS-10 on "Property, Plant and Equipment".

7.2. Depreciation on Fixed Assets is provided for on the Straight Line Method at the rates prescribed in Expenditure Policy of the Bank from time to time. The applicable rates of depreciation are as under:

S. No	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
1	Immovable Property- Land	Not stipulated; accordingly, no depreciation	NIL
2	Building with RCC frame structure (Both Residential & Non residential)	60	1.67
3	Furniture	10	10.00
4	Fixtures	10	10.00
5	Air-conditioning plants (Package & water/air cooled ductable)	10	10.00
6	Split & Window Air conditioners	5	20.00
7	Electrical installments and equipments	5	20.00
8	Solar Power Equipment	15	6.67
9	Elevators & Lifts	15	6.67
10	Civil & Flooring work in leased Premises	5	20.00
11	Telephone Equipment	5	20.00
12	Motor Cycles, Scooters & other mopeds	10	10.00
13	Motor Cars, Motor Lorries and Electrically operated vehicles including battery powered or fuel cell powered vehicles	8	12.50
14	Mobile Phones	3	33.33
15	Generators	15	6.67
16	Office Equipment	5	20.00
17	Computers & computer software forming integral part of hardware	3	33.33
18	ATM & allied items	3	33.33
19	UPS & allied items	5	20.00

20	Servers & Networks	6	16.66
21	Computers-End user devices such as desktops, laptops, printer & Scanner etc.	3	33.33

7.3. Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.

7.4. Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

## 8. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS-28 on "Impairment of Assets" issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account. The carrying costs of assets are reviewed at each Balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

## 9. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy of creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter Cyclical Provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

## 10. Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency position and booking Profits / Losses:

10.1. Monetary and Non Monetary Assets and Liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit & Loss Account.

10.2. Income & Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

10.3. Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit & Loss account.

10.4. Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

10.5. Representative Offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

## 11. Accounting for Non-Integral Foreign operations

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI. In terms of AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. Foreign branches are classified as non-integral foreign operations by:

### 11.1. Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

### 11.2. Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines whichever is higher.

### 11.3. Fixed Assets and Depreciation

- Fixed Assets are accounted for at historical cost.
- Depreciation on Fixed Assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

11.4. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as Contingent Liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

11.5. Income & Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.

11.6. All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

## 12. Employee Benefits

### A. Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (eg medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the services are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

### B. Long term Employee Benefits:

#### i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1<sup>st</sup> April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS trust.

#### ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefits plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

## 13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into

- 13.1. Treasury Operations,
- 13.2. Corporate and Wholesale Banking,
- 13.3. Retail Banking Operations and
- 13.4. Other Banking Operations.

## 14. Lease Transactions

Lease payments for Assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight line basis over the lease term.

## 15. Earnings per Share

The Bank reports the basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

## 16. Taxation:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by the ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

## 17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In terms of AS 29-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may not be realized.

## 18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account in terms of Section 52 of the Companies Act, 2013.

## 19. Consolidation of the Accounts:

Bank is having 5 subsidiaries, 4 JVs and 1 associate. The details are as under:-

S. No.	Nature	Entities	Stake
1	Subsidiary	Union Asset Management Co Pvt Ltd	100%
2	Subsidiary	Union Trustee Co Pvt Ltd	100%
3	Subsidiary	Union bank of India (UK) Ltd	100%
4	Subsidiary	Andhra Bank Financial Services Ltd	100%
5	Subsidiary	UBI Services Ltd	100%
6	JV	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd	25.10%
7	JV	ASREC (India) Ltd	26.02%
8	JV	IndiaFirst Life Insurance Co Ltd	30.00%
9	JV	India International Bank (Malaysia) Berhad	25.00%
10	Associate	Chaitanya Godavri Grameena Bank	35%

The consolidated financial statements are prepared on the basis of:

19.1. Audited Accounts of the parent bank (Union Bank of India)

19.2. **Consolidation of Subsidiaries:** Line by Line aggregation of the Income/Expenditure/Assets/Liabilities of the subsidiaries with the respective line item of the parent bank, after eliminating all intra-group transactions, unrealised profits/loss in terms of AS 21 on Consolidated Financial Statements issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

19.3. **Consolidation of Associates:** The Investment in Associate is accounted for consolidation as per Equity Method in terms of AS 23 on Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

19.4. **Consolidation of Joint Ventures:** Line by Line consolidation is done with proportionate share in Joint Venture in terms of AS-27 on Financials Reporting in Interest of Joint Venture issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

## SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS:

### 1. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

#### 1.1 CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2021. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 10.875% with minimum CET I of 7.375% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum Tier I CRAR of 9.50% as at March 31, 2021.

However, RBI vide its circular No. DOR.BP.BC.No.15/21.06.201/2020-21 dated Sep 29, 2020, has extended deferment of last tranche of Capital Conservation Buffer i.e. deferment of implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from September 30, 2020 to 1st April 2021. Further, RBI vide its circular no. DOR.CAP.BC.No.34/21.06.201/2020-21 dated Feb 5, 2021 has extended for achievement of ratios as mentioned above to October 1, 2021.

The Government of India (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Gazette Notification CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020 approved the scheme of amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (Amalgamating Banks) into Union Bank of India effective from 1st April, 2020.

a) The working results for the year ended 31st March, 2021 include operations of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank. Hence the results for the current year are not comparable with corresponding periods of previous year.

b) The Bank has adopted "Pooling of Interest" method as prescribed under the Accounting Standard – 14 on "Accounting for Amalgamations" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to record amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (the amalgamating banks) with the Bank with effect from 1st April, 2020.

Accordingly, the difference of ₹1309.60 Crore between the net assets of amalgamating banks



and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating banks has been recognized as Amalgamation Reserve in the opening balance sheet as on 1st April, 2020. The Bank has considered this amount under CET I for the purpose of calculation of CRAR.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III	9.07	9.40
ii)	Tier I Capital ratio (%) Basel III	10.35	10.75
iii)	Tier II Capital ratio (%) Basel III	2.21	2.06
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III	12.56	12.81
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	89.07	86.75
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	Nil	11,767.99
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	1,705.00	Nil
Vii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	2,000.00	Nil
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	2,000.00	Nil

During the year the Bank has raised Basel III compliant AT-1 and Tier-2 bonds of ₹1,705 Crore and ₹ 2,000 Crore respectively. Also the Bank has exercised call option and has redeemed AT-1 and Tier-2 bonds of ₹ 800 and Rs.3,050 Crore (of which ₹1,050 is Basel II compliant).

In terms of notification no. CG-DL-E-23032020-218862 dated 23rd March, 2020, issued by Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India containing amendment in Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, after obtaining approval

of Shareholders in Annual General Meeting held on 4th August, 2020 and also after the approval of RBI, the Bank has set off accumulated losses of Rs.32,758.49 Crore against securities premium account as it stood on 1st April, 2020.

## 1.2 INVESTMENTS

The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:

(Rs in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
<b>1</b>	<b>Value of Investments</b>		
i)	<b>Gross Value of Investments</b>	3,37,739.21	1,54,865.74
	(a) In India	3,35,033.44	1,51,943.83
	(b) Outside India	2,705.77	2,921.91
ii)	<b>Provisions for Depreciation</b>	6,227.42	2,451.85
	(a) In India	6,225.48	2,450.43
	(b) Outside India	1.94	1.42
iii)	<b>Net Value of Investments</b>	3,31,511.79	1,52,413.89
	(a) In India	3,28,807.96	1,49,493.40
	(b) Outside India	2,703.83	2,920.49
<b>2</b>	<b>Movement of provisions held towards depreciation on investments</b>	-	
i)	Opening balance	6,316.07	2,368.21
ii)	Add: Provisions made during the year	762.72	474.16
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	851.37	390.52
<b>iv)</b>	<b>Closing balance</b>	<b>6,227.42</b>	<b>2,451.85</b>

## 1.2 (A) REPO Transactions (In face value terms)

The following tables set forth for the periods indicated, the details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively including transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

(Rs in crore)

	Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2021
<b>A</b>	<b>Securities sold under Repo</b>				
i)	Government securities	13,874.50	33,559.73	23,798.91	14,209.00
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Securities purchased under Reverse Repo</b>				
i)	Government securities	8,358.11	60,800.00	29,904.90	29,554.00
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-

## 1.2 (B) Non-SLR Investment Portfolio

### i. Issuer composition of Non SLR Investments

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities as on 31.03.2021 is given below:

(Rs in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities	Extent of Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	35,611.24	1,135.01	-	3,392.83	22.83
ii)	FIs	5,283.23	214.36	-	-	-
iii)	Banks	1,938.63	598.43	-	-	-
iv)	Private Corporate	29,878.49	19,378.01	944.62	216.39	33.75
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	1,691.36	1,691.36	-	-	-
vi)	Others	51,899.18	47,277.50	-	-	-
vii)	Provision held towards depreciation	(6,182.71)		-	-	-
	<b>Total</b>	<b>90,119.42</b>	<b>70,294.67</b>	<b>944.62</b>	<b>3,609.22</b>	<b>56.58</b>

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.



Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Shares	2,016.22	1,112.85
Debentures and Bonds	74,822.59	34,039.43
Subsidiaries and Joint Ventures	1,684.96	1,272.74
Others	11,595.65	9,024.64
<b>TOTAL</b>	<b>90,119.42</b>	<b>45,449.66</b>

ii. **Non performing Non-SLR investments**

The movement in gross non performing investments in securities other than government and other approved securities is given below:

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance	4,637.92	2,234.04
Additions during the year	932.60	425.62
Reductions during the year	759.46	432.60
Closing balance	4,811.06	2,227.06
<b>Total provisions held</b>	<b>4,091.41</b>	<b>1,858.95</b>

1.2 (C) **Sale and transfers to/from HTM Category**

The Bank has made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2020 - 21 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. The Market Value of Investment held in HTM category as at March 31, 2021 was ₹ 2,53,814.41 Crore (excluding investment in Subsidiaries / Joint venture). The excess of Book value (excluding investment in Subsidiaries / Joint venture) over market value for which provision was not made was Nil. The 5 per cent threshold to above will exclude:

- The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.
- Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.
- Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

1.3 **DERIVATIVES**

1.3.1 **Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap**

(Rs in crore)

Sr.No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	The notional principal of swap agreements	10,690.00	14,190.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	239.17	352.76
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book*	20.04	8.56

**Note:**

- Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Reciprocal Loan Arrangements.
- The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.
- All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

### 1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	A) Interest Rate Futures		
	Buy	129.98	670.93
	Sell	130.03	660.50
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 <sup>st</sup> March 2021 (instrument-wise)	Nil	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	Nil	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)*	Nil	Nil

\*MTM of IRS deals plus interest accrued on hedging deals.

### 1.3.3 Disclosures on Risk Exposures in Derivatives

#### a) Qualitative disclosure:

The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

- i) Over the Counter Derivatives
- ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

- a) In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

- I) Front Office (Dealing Room) - Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.
- II) Mid-Office - Risk Management, Accounting Policies and Management
- III) Back Office - Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk management

Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

- b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterparty exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

- c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.
- d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to the counterparty Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

**b) Quantitative disclosure:**

**(Rs in crore)**

Quantitative Disclosures					
S No	Particular	31-03-2021		31-03-2020	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i)	<b>Derivatives (Notional Principal Amount)</b>				
	(a) For Hedging	741.97	4,550.00	515.60	5,450.00
	(b) For Trading	3,651.69	6,140.00	1,063.28	8,740.00
(ii)	Mark to Market Position				

	(a) Asset (+)	24.84	104.25	44.16	154.95
	(b) Liability (-)	-14.90	-109.74	-37.60	-159.30
(iii)	Credit Exposure (*)	162.16	325.92	145.87	473.81
(iv)	<b>Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) (in Lacs)</b>				
	(a) On Hedging Derivatives	0.00	5,421.60	0.00	10,075.10
	(b) On Trading Derivatives	0.00	385.98	0.00	297.00
(v)	<b>Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year (in Lacs)</b>				
	<b>I. Maximum</b>				
	(a) On Hedging	0.00	10,201.70	0.00	13,595.57
	(b) On Trading	0.00	581.71	10.56	1,124.30
	<b>II. Minimum</b>				
	(a) On Hedging	0.00	5,409.62	0.00	10,011.88
	(b) On Trading	0.00	3.84	0.00	1.08

\*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

## 1.4 ASSETS QUALITY

### 1.4.1 Non Performing Assets

The details of movement of gross non performing assets (NPAs), net NPAs and provisions are given below:  
(₹ in crore)

S.No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	4.62	5.49
	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance	97,192.54	48,729.15
	(b) Additions(Fresh NPAs) during the year	16,948.97	14,021.70
	(c) Increase in balance of existing NPA	493.71	889.74
	<b>Sub-total (A)</b>	<b>1,14,635.22</b>	<b>63,640.59</b>
ii)	(b)Less:-		
	(i)Up-gradations	2,674.49	1,870.54
	(ii)Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	5,189.88	4,267.27
	(iii)Technical/Prudential Write-offs	14,746.88	7,019.94
	(iv)Write-offs other than (iii) above	2,235.77	1,397.54
	<b>Sub-total (B)</b>	<b>24,847.02</b>	<b>14,555.29</b>
	<b>Closing balance (A-B)</b>	<b>89,788.20</b>	<b>49,085.30</b>
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a)Opening Balance	31,324.63	20,332.42
	(b)Additions during the year	14,406.62	3,097.26
	(c)Reduction during the year	18,450.73	6,126.54
	<b>(d)Closing Balance</b>	<b>27,280.52</b>	<b>17,303.14</b>
iv)	Movement of provisions for NPAs (Excluding provisions on Standard Assets)		
	(a)Opening balance	65,535.77	28,396.73
	(b)Provisions made during the year	13,912.19	11,814.18
	(c)Provision increased in restructured accounts	(-) 5.41	(-) 30.86
	(d)Write-off/write-back of excess Provisions	17,288.40	8,397.88
	<b>(e)Closing balance</b>	<b>62,154.15</b>	<b>31,782.17</b>

1.4.2 Particulars Of Accounts Restructured

(Rs in Crore)

	Asset Classification	Under CDR Mechanism						Under SME Debt Restructuring Mechanism					
		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total		
1	Restructured Accounts as on 01.04.2020	No.of Borrowers	2	0	48	27	77	65,303	7,324	370	58	73,055	
		Amount Outstanding	314.50	0.00	4,690.67	3,350.03	8,355.20	3,203.88	218.67	767.72	383.63	4,573.90	
		Provision thereon	3.69	0.00	0.08	0.00	3.77	39.80	7.77	7.49	0.05	55.12	
2	Fresh Restructuring during the FY-2020-21	No.of Borrowers	0	0	0	0	0	88,507	4,051	117	19	92,694	
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.90	112.47	3.42	0.63	2,539.42	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.38	0.00	0.00	8.95	
3	Upgradations to restructured standard category during the FY-2020-21	No.of Borrowers	0	-	-	-	0	270	-	-	-	270	
		Amount Outstanding	0.00	-	-	-	0.00	59.43	-	-	-	59.43	
		Provision thereon	0.00	-	-	-	0.00	0.67	-	-	-	0.67	
4	Restructured advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY-2020-21 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY-2021-22	No.of Borrowers	0	-	-	-	0	3,279	-	-	-	3,279	
		Amount Outstanding	0.00	-	-	-	0.00	251.27	-	-	-	251.27	
		Provision thereon	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	
5	Downgradations of restructured accounts during the FY-2020-21	No.of Borrowers	-	0	0	0	0	-	12,325	1,057	14	13,396	
		Amount Outstanding	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	657.99	210.69	0.26	88.94	
		Provision thereon	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.75	1.84	0.00	20.59	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY-2020-21	No.of Borrowers	0	0	5	6	11	0	0	0	1	1	
		Amount Outstanding	0.00	0.00	559.76	2,693.52	3,253.28	0.00	0.00	0.00	51.09	51.09	
		No.of Borrowers	1	0	28	28	57	1,25,725	16,410	8,225	103	1,50,463	
7	Restructured Accounts as on 31.03.2021	Amount Outstanding	40.33	0.00	3,711.84	2,674.82	6,426.99	4,535.78	773.31	1,153.31	334.32	6,796.72	
		No.of Borrowers	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	64.25	19.21	12.78	0.00	96.24	
		Provision thereon											

Asset Classification	Others						Total					
	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
1 Restructured Accounts as on 01.04.2020	No. of Borrowers	487	338	2,984	368	4,177	65,792	7,662	3,402	453	77,709	
	Amount Outstanding	1,516.38	418.09	11,668.55	3,125.67	16,728.69	5,034.76	636.76	17,126.94	6,859.33	29,657.79	
	Provision thereon	11.74	0.66	36.35	0.00	48.76	55.23	8.43	43.92	0.05	107.64	
2 Fresh Restructuring during the FY-2020-21	No. of Borrowers	31,587	517	69	6	32,179	1,20,094	4,568	186	25	1,24,873	
	Amount Outstanding	5,178.38	125.58	80.72	1.08	5,385.76	7,601.28	238.05	84.14	1.71	7,925.18	
	Provision thereon	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70	59.27	0.38	0.00	0.00	59.65	
3 Upgradations to restructured standard category during the FY-2020-21	No. of Borrowers	11	-	-	-	11	281	-	-	-	281	
	Amount Outstanding	397.42	-	-	-	397.42	456.85	-	-	-	456.85	
	Provision thereon	0.00	-	-	-	0.00	0.67	-	-	-	0.67	
4 Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY-2020-21 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY-2021-22	No. of Borrowers	76	-	-	-	76	3,355	-	-	-	3,355	
	Amount Outstanding	727.38	-	-	-	727.38	978.65	-	-	-	978.65	
	Provision thereon	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	
5 Downgradations of restructured accounts during the FY-2020-21	No. of Borrowers	-	57	12	0	69	-	12,382	1,069	14	13,465	
	Amount Outstanding	-	34.43	0.55	0.00	34.98	-	692.42	211.24	0.26	903.92	
	Provision thereon	-	0.05	0.01	0.00	0.05	-	18.80	1.85	0.00	20.64	
6 Write-offs of restructured accounts during the FY-2020-21	No. of Borrowers	0	0	14	13	27	0	0	19	20	39	
	Amount Outstanding	0.00	0.00	860.46	1,125.68	1,986.14	0.00	0.00	1,420.22	3,870.29	5,290.51	
	No. of Borrowers	31,365	575	2,849	361	35,150	1,57,091	16,985	11,102	492	1,85,670	
7 Restructured Accounts as on 31.03.2021	Amount Outstanding	6,585.87	160.25	8,339.18	3,517.15	18,602.45	11,161.98	933.56	13,204.33	6,526.29	31,826.16	
	Provision thereon	54.16	0.06	6.26	0.00	60.48	122.10	19.27	19.04	0.00	160.41	



1.4.3 As per RBI Circular No **RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 January 1, 2019**, Banks and NBFCs shall make appropriate disclosures relating to the MSME accounts restructured:

(₹ in crore)

No. of Accounts restructured	Amount	Provision Held (@5%)
52,104	2,876.04	58.67

1.4.4 As per RBI Circular No **RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11/02/2020 & DOR. No.BP.BC.34/21.04.048/2020-21 dated 06/08/2020** actual position of accounts restructured in terms of One time policy on Restructuring of MSME Sector Advance:

(Rs in crore)

No. of Accounts restructured	Amount	Provision Held (@5%)
98,019	2,810.18	93.17

1.4.5 Outbreak of COVID-19 Pandemic has adversely impacted the economic activity across the globe including the Indian economy. To tide over the pandemic, the Government of India has announced series of lock down since March 2020 and subsequent phased unlocking as well. However, the current second wave of Covid-19 pandemic, with increased number of cases, has resulted in re-imposition of lockdown in regionalized manner across the country. Though the situation continues to remain uncertain the Bank is continuously monitoring the situation and taking all possible measures to ensure continuance of full-fledged banking operations. The management believes that there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumptions.

As per RBI Circular No **RBI/2018-19/100 DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 and 23<sup>rd</sup> May 2020**, actual position of relief extended under COVID19 Regulatory Package is as under:

(₹ in crore)

Amount Outstanding in SMA/Overdue Category where Moratorium / Deferment extended	No. of Account	Amount Outstanding in Accounts where Asset classification benefit Extended	Provision Made Q4 FY19-20	Additional Provisions made during the Q1 FY20-21	Total Provision held as on 30th June, 2020	Provision held as on 31st Dec, 2020	Provision Required @ 10% of Total Outstanding (C)	Provision to be reversed as on 31.03.2021
A	B	C	D	E	F	G	H	I
47,762.59	4	177.11	339.42	339.42	682.78	587.94	17.71	570.23

1.4.6 The Bank has made an additional provision in terms of RBI circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7<sup>th</sup> June, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets amounting to Rs 749.94 Crore (PY Rs.386.97 Crore) consisting of 9 NPA accounts..

1.4.7 Details of financial assets sold to Securitization/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

**A) Details of Sales**

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	No. of Accounts	3	4
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC		
	a) NPA Accounts	46.22	37.04
	b) Written-off accounts	0.00	0.00
	c) SMA accounts	NIL	Nil
iii)	Aggregate consideration		
	a) NPA Accounts	153.00	117.29
	b) Written-off accounts	35.46	4.20
	c) SMA accounts	Nil	Nil

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	Nil	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.		
	a) NPA Accounts	106.78	80.25
	b) Written-off accounts	35.46	4.20
	c) SMA accounts	Nil	Nil

#### 1.4.8 1- Book Value of Investments in Security Receipts backed by NPA

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Security Receipts issued within past 5 years	1,916.68	308.21	0.00	0.00	1,916.68	308.21
Security Receipts issued more than 5 years ago but within past 8 years	238.91	242.77	0.00	0.00	238.91	242.77
Security Receipts issued more than 8 years ago	3.23	0	4.85	10.60	8.08	10.60
<b>Total</b>	<b>2,158.82</b>	<b>550.98</b>	<b>4.85</b>	<b>10.60</b>	<b>2,163.67</b>	<b>561.58</b>

#### 2- Book Value of Investments in Security Receipts backed by SMA

(₹ in crore)

Particulars	Backed SMAs sold by the bank as underlying		Backed by SMAs sold by other banks/financial institutions/non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Book Value of Investment in Security Receipts	154.78	155.56	0.00	Nil	154.78	155.56

#### 1.4.9 Details of non performing financial assets purchased /sold (other than ARC)

##### (a) Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

**(b) Details of non performing financial assets sold (Other than ARC's)**

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

**1.4.10 Provision on Standard Assets**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Provision towards Standard Assets	5,119.13	1,943.69

**1.4.11 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in Crore)

No of Accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on 31.03.2021		Amount outstanding as on 31st March 2021 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on 31st March 2021 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA
Classified as	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

**1.4.12 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans**

(₹ in Crore)

Period	No of Borrowers taken up for flexibly Structuring	Amount of Loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring (Yrs)	After applying flexible structuring (Yrs)
2019-20	Nil	Nil	-	Nil	Nil
2020-21	Nil	Nil	-	Nil	Nil

**1.4.13 Disclosures on Change in Ownership outstanding SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in Crore)

No of Accounts where banks have decided to effect change in ownership	Outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / Invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sales of promoters equity	
	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA
Classified as	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

**1.4.14 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in Crore)

No of project loan accounts where Banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31st March 2021		
	Classified as Standard	Classified as Standard Restructured	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil

**1.4.15 Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2021**

(₹ in Crores)

Accounts where S4A has been applied		Aggregate Amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
Asset Classification	Number of Accounts		In Part A	In Part B	
Standard Accounts	1	59.37	56.16	77.99	31.20
NPAs	0	0	0	0	0

**1.4.16 As per RBI Circular No RBI/2020-21 DOR.No.BP.BC.03/21.04.048/2020-21 dated 06/08/2020, Restructuring of Retail and Corporate Loans:**

Type of borrower	(A) Number of accounts (Borrowerwise) where resolution plan has been implemented under this window	(B) exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan #	(C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	(E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan
Personal Loans	31,958	3,394.55	-	-	317.30
Corporate persons*	8	1,969.79	-	-	109.24
Of which, MSMEs	5	206.50	-	-	19.71
Others	-	-	-	-	-
Total	31,966	5,364.34	-	-	426.54

\*As defined in Section 3(7) of the insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

# including exposure under investments & non-fund based facility.

**1.4.17 FITL accounts opened as per RBI Circular No RBI/2020-21 DOR.No.BP.BC.71/21.04.048/2020-21 dated 6/08/2020:**

No. of accounts	Outstanding as on 31.03.2021 (Rs in crore)
5540	314.39

**1.4.18 As per RBI circular No. DBR No. BP. 15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP. 1906/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank has made a total provision of ₹ 14724 (PY ₹6940 Crore) Crore (covering 99.82% of the total outstanding) as on the Balance Sheet date.**

## 1.5 BUSINESS RATIOS

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	6.34	6.82
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.05	0.96
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.78	1.68
iv)	Return on Assets	0.27	(0.53)
v)	Average Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	19.23	20.06
vi)	Net Profit per employee (₹ in crore)	0.04	(0.08)

## 1.6 ASSET LIABILITY MANAGEMENT

The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31<sup>st</sup> March 2021 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioral studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality
- Foreign Currency On-balance sheet Assets & Liabilities

### Current Year 2020-21

(₹ in crore)

MATURITY PATTERN	DEPOSITS	ADVANCES	INVESTMENT/ SECURITIES	BORROWING	FOREIGN CURRENCY ASSETS	FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
NEXT DAY	11,694.42	7,173.12	100,670.43	802.64	3,540.66	2,193.50
2-7 DAYS	18,607.02	11,484.58	11,906.20	636.06	1,084.56	748.75
8-14 DAYS	13,760.66	6,734.08	1,008.94	-	560.53	85.33
15-30 DAYS	23,523.19	16,592.79	2,560.90	1,146.47	2,674.13	1,707.52
31 DAYS - 2 MONTHS	37,021.49	6,417.73	1,178.82	1,932.10	2,100.73	2,406.03
>2 MONTHS - 3 MONTHS	31,306.22	18,817.87	3,305.04	868.80	1,704.15	1,013.28
> 3 MTHS - 6 MONTHS	68,591.32	26,682.54	18,365.60	10,393.24	2,690.29	10,709.85
> 6 MTHS - 1 YEAR	107,186.17	48,794.25	18,003.07	1,283.94	9,436.09	5,877.58
> 1 YEAR - 3 YEARS	108,382.66	277,422.49	36,339.39	18,242.36	9,264.62	3,320.28
> 3 YEARS - 5 YEARS	73,551.34	68,391.66	26,551.54	2,176.49	5,197.94	3,688.13
> 5- YEARS	430,180.85	102,471.75	111,621.87	14,355.00	3,034.17	785.01
<b>TOTAL</b>	<b>923,805.34</b>	<b>590,982.88</b>	<b>331,511.79</b>	<b>51,837.11</b>	<b>41,287.87</b>	<b>32,535.26</b>

Previous Year 2019-20

(₹ in crore)

MATURITY PATTERN	DEPOSITS	ADVANCES	INVESTMENT/ SECURITIES	BORROWING	FOREIGN CURRENCY ASSETS	FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
NEXT DAY	2,684.77	5,206.85	29,337.34	351.85	3,471.89	1,760.66
2-7 DAYS	11,862.50	6,232.11	3,630.41	448.24	987.99	481.01
8-14 DAYS	9,490.51	4,535.93	393.70	1,016.45	1,126.78	377.90
15-30 DAYS	12,365.95	7,424.37	1,367.17	720.67	3,257.45	1,814.17
31 DAYS - 2 MONTHS	13,481.26	2,304.49	4,461.56	688.06	3,469.33	1,773.43
>2 MONTHS - 3 MONTHS	15,861.28	8,525.10	17,458.76	557.47	2,353.64	1,240.03
> 3 MTHS - 6 MONTHS	42,821.54	36,556.79	5,029.33	2,662.39	5,324.97	4,395.36
> 6 MTHS - 1 YEAR	51,922.11	21,829.25	4,365.40	8,664.92	6,006.15	8,669.47
> 1 YEAR - 3 YEARS	55,805.55	1,36,492.92	14,065.90	22,865.18	13,220.98	14,643.41
> 3 YEARS - 5 YEARS	39,816.16	40,058.36	9,328.59	7,261.02	6,704.37	8,239.02
> 5- YEARS	1,94,556.81	45,883.26	62,975.74	7,250.00	2,826.81	259.78
<b>TOTAL</b>	<b>4,50,668.45</b>	<b>3,15,049.41</b>	<b>1,52,413.90</b>	<b>52,486.25</b>	<b>48,750.36</b>	<b>43,654.24</b>

1.7 EXPOSURES

1.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2021	31.03.2020
a)	Direct exposure	92,742.69	39,297.40
i)	Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; -Out of the above individual housing loans up to Rs.20 lakh	78,513.68 38,020.20	29,441.16 12,589.00
ii)	Commercial Real Estate – lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits: (W/w LRD)	12,250.56 (2109.33)	8,153.42 (1,817.94)
iii)	CRE RH	1,978.45	1,702.83
iv)	LRD (Lease Rental Discounting) w/w CRE w/w Other than CRE	3,227.29 (2,109.33) (1,117.96)	2,438.95 (1,817.94) (621.01)
v)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	35,195.26	16,866.09
	<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>1,27,937.95</b>	<b>56,163.50</b>



### 1.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1,284.63	1,028.85
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	6.45	2.90
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	372.31	293.13
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.95	0.55
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	452.23	594.73
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	1,288.69	310.98
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	-	Nil
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	-	Nil
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	-	Nil
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckon for compliance with the capital market exposure.	1,102.54	840.23
	<b>Total exposure to Capital Market</b>	<b>4,507.80</b>	<b>3,071.37</b>

### 1.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Net Exposure 31.03.2021	Provision held 31.03.2021	Net Exposure 31.03.2020	Provision held 31.03.2020
Insignificant	16,661.26	Nil	12,463.67	Nil
Low	9,989.26	Nil	7,570.31	Nil
Moderate	286.23	Nil	220.16	Nil
High	0.65	Nil	9.79	Nil
Very High	0.00	Nil	Nil	Nil
Restricted	0.00	Nil	Nil	Nil
Off-credit	0.00	Nil	1.05	Nil
<b>Total</b>	<b>26,937.40</b>	<b>Nil</b>	<b>20,264.98</b>	<b>Nil</b>

As per Country Risk Policy 2020-21, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more of its total assets.

**1.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.**  
(Capital fund ₹ 55009.39 crore)

(₹ in crore)

Sr. No	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.21	Position as % of Capital Fund
1.	Single Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- ▶ Individual borrower exposure limit is 20% of Tier-I Capital Fund. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- ▶ One single borrower i.e. M/s Food Corporation of India has exceeded the threshold limit of 20% as of March 2021 but the Bank has taken Board approval vide agenda no. A-09 dated 22.10.2020 for the same.
- ▶ Group Exposure Limit – 25% however, RBI has permitted exposure ceiling limit of 30% due to COVID outbreak upto June 2021.

**1.7.5 Unsecured Advances:**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc.	Nil	Nil
Estimated value of such intangible collateral securities	Nil	Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road/Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular No. OD. BP. BC. No. 83/08.12. 014 / 2012-13 dated 18 March 2013.

**1.8 DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI AND OTHER REGULATOR:**

(₹ in Crore)

Name of Regulator	Year ended 31 <sup>st</sup> March 2021		Year ended 31 <sup>st</sup> March 2020	
	No. of Cases	Amount	No. of Cases	Amount
Reserve Bank of India	NIL	NIL	2	1.60
Other Regulators	NIL	NIL	NIL	NIL

## 2. DISCLOSURES AS PER ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### 2.1 REVENUE RECOGNITION (AS 9)

Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis except certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.3 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies which however, is not considered to be material.

### 2.2 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

#### (A) Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

#### (B) Long Term Employee Benefits:

##### i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2020-21, the Bank has contributed Rs 297.92 crore (Previous Year Rs 120.24 crore) to NPS.

##### ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

#### Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2021.

	Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	<b>Table showing change in Defined Benefit Obligation :</b>				
	Liability at the beginning of the year	2,738.03	24,553.31	1,222.64	12,158.43
	Interest Cost	187.28	1,667.17	95.24	945.93
	Current Service Cost	137.71	265.17	59.54	90.78
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
i)	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Benefit paid)	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	Actuarial (Gain)/loss on obligation –due change In the financial assumption	(26.36)	(247.67)	86.88	(578.22)
	Actuarial (Gain) / Loss on obligations	752.31	1,456.27	25.87	938.90
	<b>Liability at the end of the year</b>	<b>3,355.82</b>	<b>26,011.41</b>	<b>1,291.94</b>	<b>12,746.69</b>
	<b>Table of Fair value of Plan Assets:</b>				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	2,671.12	23,145.31	1,202.14	12,308.84
	Expected return on Plan Assets	182.70*	1,571.57*	93.65*	957.63*
	Contributions	291.35	3,605.19	114.25	74.59
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
ii)	(Benefit paid)	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,746.43*	26,720.88*	1,219.01*	12,607.16*
	Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	725.95	1,208.60	112.75	360.68
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
	<b>Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized</b>	<b>691.54</b>	<b>1,126.95</b>	<b>105.55</b>	<b>285.45</b>
	<b>Recognition of Transitional Liability :</b>				
iii)	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	<b>Transitional Liability at end</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>
	<b>Actual return on Plan Assets :</b>				
iv)	Expected Return on Plan Assets	182.70	1,571.57	93.65	957.63
	Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	34.41	81.65	7.20	75.23
	<b>Actual return on Plan Assets</b>	<b>217.11</b>	<b>1,653.22</b>	<b>100.85</b>	<b>1,032.86</b>

	Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	<b>Expenses recognized in the Income Statement:</b>				
	Current Service Cost	137.71	265.17	59.54	90.78
	Interest Cost	4.58	95.60	1.59	(11.70)
	Expected Return on Plan Assets	Nil	Nil	Nil	Nil
v)	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	691.54	1,126.95	105.55	285.45
	Actuarial (Gain) or Loss	833.83	1,487.72	166.68	364.53
	<b>Expenses Recognized in P &amp; L</b>				
	<b>Balance Sheet Reconciliation:</b>				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	66.91	1,408.00	20.50	(150.41)
	Expenses as above	833.83	1,487.72	166.68	364.53
vi)	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net) (Employer Contribution)	(291.35)	(3,605.19)	(114.25)	(74.59)
	<b>Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet</b>	609.39	(709.47)	72.93	139.53
	<b>Other Details :</b>				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%. Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹20,00,000 or as per the Bank scheme.				
vii)	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	78,203	28,235	37,323	13,839
	Salary Per Month	354.09	210.64	193.54	89.29
	<b>Contribution for next year</b>	354.09	-	144.39	213.65
	<b>Category of assets:</b>				
	Government of India Assets	64.56	601.59	64.14	198.34
	Corporate Bonds/FDR	96.29	1029.07	88.78	1,004.11
	Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	State Govt.	125.89	1150.74	161.47	995.87
viii)	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	185.67	1,426.35	35.33	322.26
	Insurer Managed Funds	2,252.98	22,235.49	869.29	10,086.58
	Mutual Fund	21.04	277.64	-	-
	<b>Total</b>	2,746.43	26,720.88	1,219.01	12,607.16

\*Note: Return on investments in LIC & other insurance companies is considered as 7.00% while arriving at the Fair Value of Plan Assets, due to Covid-19 crisis the same is yet to be declared by the Insurance companies for the FY2020-21.

(Rs in crore)

<b>Surplus/Deficit in the Plan:</b>	<b>Gratuity Plan</b>				
<b>Amount recognized in the Balance-Sheet</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.03.20</b>	<b>31.03.19</b>	<b>31.03.18</b>	<b>31.03.17</b>
Liability at the end of the year	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72
Fair value of Plan Assets at the end of the year	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03
Difference	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31

<b>Amount recognized in the Balance-Sheet</b>	<b>Gratuity Plan</b>				
<b>Experience Adjustment</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.03.20</b>	<b>31.03.19</b>	<b>31.03.18</b>	<b>31.03.17</b>
On plan liability (Gain) / Loss	752.31	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)
On plan Assets (Loss) / Gain	34.41	7.20	(13.03)	10.64	42.42

<b>Surplus/Deficit in the Plan:</b>	<b>Pension Plan</b>				
<b>Amount recognized in the Balance-Sheet</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.03.20</b>	<b>31.03.19</b>	<b>31.03.18</b>	<b>31.03.17</b>
Liability at the end of the year	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15
Fair value of Plan Assets at the end of the year	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89
Difference	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)

<b>Amount recognized in the Balance-Sheet</b>	<b>Pension Plan</b>				
<b>Experience Adjustment</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.03.20</b>	<b>31.03.19</b>	<b>31.03.18</b>	<b>31.03.17</b>
On plan liability (Gain) / Loss	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)	793.17
On plan Assets (Loss) / Gain	81.65	75.23	7.18	(21.39)	526.25

	<b>Principal actuarial assumption used (%)</b>	<b>2020-2021</b>		<b>2019-2020</b>	
		<b>Gratuity</b>	<b>Pension</b>	<b>Gratuity</b>	<b>Pension</b>
	Discount Rate Prev.	6.84	6.79	7.79	7.78
	Rate of return on Plan Assets Prev.	6.84	6.79	7.79	7.78
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	6.93	6.91	6.84	6.79
	Rate of Return on Plan Assets Current	6.93	6.91	6.84	6.79
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00



**(C) Other long term Employee Benefits:**

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(Rs in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2021	31.03.2020
	Pension	1,487.72	364.53
	Leave Travel Concession	27.45	(3.44)
	Leave Encashment	102.29	116.76
	Sick Leave	Nil	Nil

**2.3 SEGMENT REPORTING (AS-17)**

(Rs in Crore)

Business Segment		Standalone	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2021	31.03.2020
<b>(a)</b>	<b>Segment Revenue</b>		
1	Treasury Operations	27,382.29	14,211.07
2	Retail Banking Operations	24,817.48	11,272.88
3	Corporate /Wholesale Banking	26,541.51	16,629.02
4	Other Banking Operations	1,371.55	688.87
5	Unallocated	133.91	18.15
	<b>Total Segment Revenue</b>	<b>80,246.74</b>	<b>42,819.99</b>
	<b>Less Inter-segment Revenue</b>	<b>(142.54)</b>	<b>(328.08)</b>
	<b>Income from operations</b>	<b>80,104.20</b>	<b>42,491.91</b>
<b>(b)</b>	<b>Segment Results (i.e. Profit/ (Loss) Before Tax)</b>		
1	Treasury Operations	6,157.83	2,583.12
2	Retail Banking Operations	4,197.57	2,207.06
3	Corporate /Wholesale Banking (before exceptional item)	(8,823.12)	(6,704.72)
4	Add Exceptional Item	-	(2,509.98)
	Corporate /Wholesale Banking (after exceptional item)	(8,823.12)	(9,214.70)
5	Other Banking Operations	733.23	378.74
6	Unallocated	133.91	18.15
	<b>Total Profit Before Tax</b>	<b>2,399.42</b>	<b>(4,027.63)</b>
<b>(c)</b>	Provision for Tax	(506.55)	(1,129.85)
<b>(d)</b>	<b>Net Profit/(Loss) After Tax</b>	<b>2,905.97</b>	<b>(2,897.78)</b>
<b>(e)</b>	<b>Segment Assets</b>		
1	Treasury Operations	427,941.43	1,94,271.84
2	Retail Banking Operations	277,171.79	1,30,909.74
3	Corporate/Wholesale Banking	341,941.30	2,18,860.11
4	Other Banking Operations	-	0.00
5	Unallocated Assets	24,651.32	6,641.58
	<b>Total Assets</b>	<b>10,71,705.84</b>	<b>5,50,683.27</b>

<b>(f)</b>	<b>Segment Liabilities</b>		
1	Treasury Operations	4,19,807.14	1,89,114.93
2	Retail Banking Operations	2,53,344.66	1,20,337.54
3	Corporate /Wholesale Banking	3,10,531.92	2,01,355.86
4	Other Banking Operations	-	0.00
5	Unallocated Liabilities	23,545.40	6,089.29
	<b>Total Liabilities</b>	<b>10,07,229.12</b>	<b>5,16,897.62</b>
1	Treasury Operations	8,134.29	5,156.91
2	Retail Banking Operations	23,827.13	10,572.20
3	Corporate/Wholesale Banking	31,409.38	17,504.25
4	Other Banking Operations	-	0.00
5	Unallocated	1,105.92	552.29
	<b>Total Capital Employed</b>	<b>64,476.72</b>	<b>33,785.65</b>

#### Notes:

- The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
- Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
- There has been change in the methodology of allocation of various items in reportable segments due to which previous periods figures have been regrouped/recasted.

## 2.4 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

### 2.4.1 List of Related Parties

#### a) Subsidiaries

- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Pvt. Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.
- Andhra Bank Financial Services Ltd.
- UBI Services Ltd.

#### b) Joint Venture

- Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
- ASREC (India) Ltd.
- India International Bank (Malaysia) Berhad
- IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.

#### c) Associate

- Chaitanya Godavari Grameena Bank

d) **Key Management Personnel**

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2020-21
Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	N.A.
Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director	N.A.
Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director	N.A.
Shri Birupaksha Mishra	Executive Director	Joining on 01.04.2020 (consequent to amalgamation of Corporation Bank into Union Bank of India), Cessation on 31.01.2021
Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director	N.A.
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director	Joining on 10.03.2021

**Parties with whom transactions were entered into during the year**

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 6 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

**2.4.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.**

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
<b>Managing Director and CEO</b>	0.34	0.33
<b>Executive Directors</b>	1.11	0.81
<b>Total</b>	1.45	1.14

**2.5 “Leases” – Premises taken on Operating Lease (AS 19)**

The data of Liability of Premises taken on Non-Cancellable operating lease is as under:

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Not later than 1 year	28.63	14.87
Later than 1 year and not later than 5 year	234.44	84.59
Later than 5 years	241.70	127.20
<b>Total</b>	<b>504.77</b>	<b>226.66</b>

**2.6 EARNING PER SHARE (AS-20)**

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Number of Equity shares at the beginning of the year	6,40,68,44,355	1,76,30,16,314
Number of Equity shares issued during the year	Nil	1,65,98,02,538
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	6,40,68,44,355	3,42,28,18,852

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	6,40,68,44,355	2,32,08,18,806
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	6,40,68,44,355	2,32,08,18,806
Net Profit/(Loss) Rs in Crore	2905.98	(2897.77)
Basic Earnings per share (Rs)	4.54	(12.49)
Diluted Earnings per share (Rs)	4.54	(12.49)
Nominal Value per share (Rs)	10.00	10.00

## 2.7 PROVISION FOR TAXES:

### 2.7.1 Deferred Tax (AS-22)

(Rs in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
	<b>Deferred Tax Assets</b>		
1	Employee Benefits (Leave Encashment)	457.76	294.57
2	Depreciation on Fixed Assets	299.18	112.05
3	On account of other provisions	18,182.58	9,239.00
4	On account of unabsorbed losses	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>18,939.52</b>	<b>9,645.63</b>
	<b>Deferred Tax Liabilities</b>		
1	Accrued interest on securities	1,104.51	806.32
2	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	1,924.67	1,004.64
3	Depreciation on Investment	237.86	477.79
	<b>Total</b>	<b>3267.04</b>	<b>2,288.75</b>
	<b>Net Deferred Tax Asset</b>	<b>15,672.48</b>	<b>7,356.88</b>
	<b>Net Deferred Tax Liability</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>

### 2.7.2 Direct Tax

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Provision for Income Tax (Including Deferred tax )	(506.55)	(1129.85)

## 2.8 INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS – 27)

Investments include Rs.435.72 Crores (Previous year ₹ 65 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co., ASREC(India) Limited, India First Life Insurance Co., and India International Bank (Malaysia) BHD.

## 2.9 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

## 2.10 CONTINGENT LIABILITIES (AS – 29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

### 3. ADDITIONAL DISCLOSURE

#### 3.1 Provisions and Contingencies

(Rs In crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2021	31.03.2020
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	435.08	372.37
Provision towards NPA	13595.75	9304.20
Provision towards Harmonization (refer note below)	323.86	2509.98
Provision/(Reversal) towards Standard Assets	1245.63	505.74
Net Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax assets (DTA)	(506.55)	(1129.85)
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	124.14	4.16
- Restructured Advances	81.87	(16.76)
- Others	1053.54	529.05
<b>TOTAL</b>	<b>16,353.32</b>	<b>12,078.89</b>

Note - The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India has been effected w.e.f. April 1, 2020 in terms of GOI Notification CG-DL-E-04032020-216535 G.S.R.154 (E) dated March 4, 2020. Accordingly, the Bank, as a prudential measure, has made harmonization provisioning in its Books of Accounts for the position as on 31st March, 2020 with regard to impact of divergence in Asset Classification across Union Bank of India, Andhra Bank and Corporation Bank as per extant IRACP norms. The Bank on standalone basis had made an additional harmonization provision amounting to Rs 2509.98 Crore and the same is included in the total NPA provision. Further, the Bank had made additional harmonization provision of Rs.323.86 Crore during the FY 2020-21.

#### 3.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(Rs in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Opening Balance	306.20	293.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	Nil	Nil
iv)	<b>Closing balance</b>	<b>306.20</b>	<b>293.20</b>

#### 3.3 DRAW DOWN FROM RESERVES:

During the year 2020-21, bank has drawn Rs 937.89 crore from other reserves & Rs 21.37 Crore from share premium account. The detail is as under:

- 1- Unamortized portion of Frauds amounting to Rs.937.89 Crore debited to other reserves.
- 2- ₹ 21.37 Crore for expenditure towards allotment of shares to shareholders of e-AB & e-CB was debited from share premium account.

### 3.4 DISCLOSURE OF COMPLAINTS:

(A)

Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs				
Complaints received by the Bank from its customers				
Sr.No.		Particulars	2020-21	2019-20
1.		Number of complaints pending at beginning of the year (Including BO Complaints)	2872	9713
2.		Number of complaints received during the year (Including BO Complaints)	415035	353549
3.		Number of complaints disposed during the year (Including BO Complaints)	407127	360390
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	1131	790
4.		Number of complaints pending at the end of the year (Including BO Complaints)	10780	2872
Maintainable complaints received by the bank from OBOs				
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	8544	3575
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	6446	3187
	5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by BOs	1182	388
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank.	8	1
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (Other than those appealed)	0	0
Note:-				
1) Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006. However, the above data collated from CMS site also includes those complaints settled by agreement per Clause 11 as well as Rejected Complaints as per Clause 13 of Ombudsman Scheme 2006 which is under correspondence.				

(B)

Top five grounds of complaints received by the Bank from customers (Including BO Complaints)					
Grounds of complaints, (i.e. Complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year (2020-21)					
	01.04.2020	2020-21		31.03.2021	
<b>ATM/Debit Cards</b>	1250	292035	3.30%	4583	2342
<b>Internet/Mobile/Electronic Banking</b>	214	61087	44.16%	344	205
<b>Levy of Charges Without prior Notice/Excessive Charges/Foreclosure Charges</b>	171	8406	37.51%	2389	1746



<b>Cheques/Drafts/Bills</b>	20	5331	129.48%	52	24
<b>Credit Cards</b>	16	3853	146.04%	27	8
<b>Others</b>	1201	44323	146.48%	3385	1847
<b>Total</b>	2872	415035	17.39%	10780	6172
<b>Previous Year (2019-20)</b>					
	01.04.2019	2019-20		31.03.2020	
<b>ATM/Debit Cards</b>	9160	282682	-20.91%	1250	868
<b>Internet/Mobile/Electronic Banking</b>	17	42374	-24.80%	214	54
<b>Levy of Charges Without prior Notice/Excessive Charges/Foreclosure Charges</b>	19	6113	566.63%	171	3
<b>Cheques/Drafts/Bills</b>	11	2323	97.36%	20	0
<b>Loans &amp; Advances</b>	76	2075	35.50%	187	149
<b>Others</b>	430	17982	57.25%	1030	525
<b>Total</b>	9713	353549	-22.17%	2872	1599

**(D) Complaints pertaining to Third Party Products/Business**

Sr. No	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	2	2
(b)	No. of complaints received during the year	45	29
(c)	No. of complaints redressed during the year	36	29
<b>(d)</b>	<b>No. of complaints pending at the end of the year</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

**3.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoC's) issued**

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Letter of Comfort outstanding at beginning of the year	0.00	0.00
Add : Issued during the year	0.00	0.00
Less: Expired during the year.	0.00	0.00
<b>Outstanding at the end of the year</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

In terms of RBI/2017-18/139 A.P. (DIR Series) Circular No. 20 dated March 13, 2018, issuance of Letter of Undertaking (LoUs) and Letters of Comfort (LoCs) for Trade Credits for imports into India has been discontinued.

**3.6 Provision Coverage Ratio (PCR)**

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
<b>Provision Coverage ratio (%)</b>	<b>81.27</b>	<b>73.64</b>

### 3.7 DISCLOSURE OF – BANCASSURANCE BUSINESS:

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below

(Rs in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2021	31.03.2020
1	Life Insurance Policies	142.13	89.95
2	Non Life Insurance Policies	48.72	14.43
3	Health Insurance	32.37	11.79

### 3.8 CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs:

#### 3.8.1 Concentration of Deposits

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Deposits of twenty largest depositors	73,698.36	45,012.97
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	7.98%	9.99%

#### 3.8.2 Concentration of Advances

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Advances of twenty largest borrowers/customers	71,722.59	30,224.02
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	10.83%	9.26%

#### 3.8.3 Concentration of Exposures

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	1,11,126.87	56,458.23
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers	13.09%	9.90%

#### 3.8.4 Concentration of NPAs

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposures to top four NPA accounts	7,864.59	6,522.21

### 3.9 SECTOR-WISE ADVANCES

(Rs in crore)

Sr. No.	Sector	Current Year (FY 2020-21)			Previous Year (FY 2019-20)		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
<b>A</b>	<b>Priority Sector</b>						
1	Agriculture and allied activities	1,16,944.15	14,379.97	12.30	49,609.81	5,880.39	11.85
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	42,785.42	10,124.17	23.66	20,480.16	4,429.81	21.63

3	Services	79,639.65	14,899.51	18.71	49,937.32	8,066.84	16.15
4	Personal loans	40,258.40	2,389.44	5.94	16,848.64	723.53	4.29
	<b>Sub-total (A)</b>	<b>2,79,627.62</b>	<b>41,793.09</b>	<b>14.95</b>	<b>1,36,875.93</b>	<b>19,100.57</b>	<b>13.95</b>
<b>B</b>	<b>Non Priority Sector</b>						
1	Agriculture and allied activities	3193.75	126.81	3.97	0.00	0.00	0.00
2	Industry	1,26,763.50	26,357.31	20.79	58,979.67	15,904.60	26.97
3	Services	1,14,066.55	13,757.81	12.06	99,677.26	12,515.69	12.56
4	Personal loans	1,30,032.91	7,753.18	5.96	51,388.33	1,564.44	3.04
	<b>Sub-total (B)</b>	<b>3,74,056.71</b>	<b>47,995.11</b>	<b>12.83</b>	<b>2,10,045.26</b>	<b>29,984.73</b>	<b>14.28</b>
	<b>Total (A+B)</b>	<b>6,53,684.33</b>	<b>89,788.20</b>	<b>13.74</b>	<b>3,46,921.19</b>	<b>49,085.30</b>	<b>14.15</b>

Note - Previous year figures are regrouped wherever necessary.

### 3.10 TReDS Exposure

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021
TReDS Exposure in terms of DBR.No.FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated 30th July 2015 (Para 8).	391.80

### 3.11 MOVEMENT OF NPA

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Gross NPA (Opening Balance )	<b>97,192.54</b>	<b>48,729.15</b>
Additions ( Fresh NPAs) during the year	16,948.97	14,021.70
Increase in balance of existing NPA	493.71	889.74
<b>Sub-total (A)</b>	<b>1,14,635.22</b>	<b>63,640.59</b>
Less:-		
(i) Up-gradations	2,674.49	1,870.54
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	5,189.88	4,267.27
(iii) Write-Offs	16,982.65	8,417.48
<b>Sub-total (B)</b>	<b>24,847.02</b>	<b>14,555.29</b>
<b>Gross NPA (closing balance) (A-B)</b>	<b>89,788.20</b>	<b>49,085.30</b>

**3.12** In terms of RBI circular DBR.BP.BC.No. 32/21.04.018/2018-19 dated 1st April, 2019, the Bank should disclose the divergence, resulting due to RBI's Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

- The additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and;
- The additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15 percent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

As the divergence are within the prescribed threshold limit, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for the FY 2019-20.

### 3.13 STOCK OF TECHNICAL WRITE-OFFS

(Rs in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	46,139.52	11,496.15
ii)	Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	14,746.88	6,760.22
iii)	Sub-total (A)	60,886.40	18,256.37
iv)	Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	5,008.52	1,705.93
v)	<b>Closing balance (A-B)</b>	<b>55,877.88</b>	<b>16,550.44</b>

3.14 In term In terms of RBI Circular DOR.No.BPBC.62/21.04.048/2019-20 dated 17th April, 2020 on Covid-19 Regulatory Package – Review of Resolution Timelines under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets the Bank has extended Resolution Period in respect of NIL accounts having aggregate exposure NIL.

### 3.15 OVERSEAS ASSETS, NPAS AND REVENUE

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Assets	21,541.36	27,867.10
Total NPAs	2,545.74	2,221.59
Total Revenue	571.47	853.72

3.16 There is no Off – Balance Sheet SPVs sponsored by the Bank.

### 3.17 UNAMORTIZED PENSION AND GRATUITY LIABILITIES

(₹in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
<b>Pension</b>		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil
<b>Gratuity</b>		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil

### 3.18 DISCLOSURES RELATING TO SECURITISATION

As on March 31, 2021 Bank does not have any Special Purpose Vehicles (SPVs) sponsored for securitization transactions.

### 3.19 CREDIT DEFAULT SWAPS:

The Bank has not entered into any Credit Default Swap transactions during the FY 20-21.

### 3.20 INTRA GROUP EXPOSURES

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total amount of Intra group exposure	Nil	Nil
Total amount of Top 20 Intra group exposure	Nil	Nil
Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers	Nil	Nil
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon	Nil	Nil

### 3.21 TRANSFERS TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND (DEAF)

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance amounts transferred to DEAF	1,914.71	1,146.21
Add: Amount transferred to DEAF during the Year	490.35	224.70
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	29.82	31.19
Closing balance of Amount transferred to DEAF	<b>2,375.24</b>	<b>1,339.72</b>

### 3.22 UN-HEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURES

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Policy on Unhedged Foreign Currency Exposure of Clients 2020-21. While framing the policy, Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Total provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 2021 is ₹ 19.09 Crores.

### 3.23 Compliance to the Provision of MSME Development Act, 2006

Bank is complying with the extant provisions of MSME Development Act, 2006 and there has been no reported cases of any delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small and Medium Enterprises.

## 4. LIQUIDITY COVERAGE RATIOS (LCR)

4.1 LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$$\text{LCR} = \frac{\text{HQLA}}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$$

Where Net Cash Outflow = Max ((Cash Outflows-Cash Inflows), 25% of Cash Outflow)

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

#### **HQLA:**

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

HQLA is categorized into two a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are further sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1 assets are stock of HQLA without any haircut. Level 1 Assets mainly comprise Cash including excess CRR (Cash Reserve Ratio), Excess SLR (Statutory Liquidity Ratio) securities, Marginal Standing Facility (3 % of Net demand & time liability) & FALLCR (15.00 % of Net demand & time liability). On account of the ongoing pandemic situation and resultant adverse impact on economic activity, RBI on 17<sup>th</sup> April 2020 has brought down the LCR minimum requirement to 80% till 31<sup>st</sup> December 2020, which is to be gradually restored to 90% from 1<sup>st</sup> October 2020 and 100% from 1<sup>st</sup> April 2021. Other relaxation extended are as under:

- ▶ Enhanced Marginal Standing Facility (MSF) from 2% to 3% of NDTL till 31<sup>st</sup> March 2021.
- ▶ Reduced CRR limit from 4% to 3% for 1 year (till 26<sup>th</sup> March 2021) and restored in phased manner to 3.5% from 27<sup>th</sup> March, 2021 & 4% with effective from 22<sup>nd</sup> May,2021.

A haircut of 15% is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise of securities with 20% risk weight. A 50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B

assets should not be more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%.

### Net Cash Outflows

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows. In order to determine cash outflows, the Bank, in terms of RBI guidelines, segregates its deposits into various customer segments, viz Retail (which include deposits from Natural Persons), Small Business Customers (those with total aggregated funding up to ₹ 5 crore) and deposits from Non-Financial Customers (NFC) and Other Legal Entity Customers (OLE). Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in, up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

### Brief about LCR of the Bank

As per the Government of India order dated 4<sup>th</sup> March 2020 Andhra Bank and Corporation Bank have been merged with Union Bank of India. Since 1<sup>st</sup> April 2020, Liquidity Coverage Ratio (LCR) is being computed on daily basis as per RBI guidelines for amalgamated entity (including UBI, e-Corporation Bank, e-Andhra Bank, Overseas branches located in Dubai, Hong-Kong and Sydney and Subsidiary- Union Bank of India (UK) Limited).

The Bank during the three months ended March 31<sup>st</sup>, 2021 maintained average HQLA of ₹2,60,800 crores. Level 1 assets are the main drivers of HQLA for the bank. They contribute to 94% of the total stock of HQLA. Based on daily averages for the quarter ended 31<sup>st</sup> March 2021, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 53% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 6% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Bank's exposure is mainly in Indian Rupees. Unsecured wholesale funding constitute major portion of total funding sources. Retail deposits and deposits from small business customers contributed around 23% and 5% of the total weighted cash outflows, respectively. Deposits from non-financial corporates contributed around 38% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients. Inflows by various counterparties contribute to around 78% of the total weighted cash inflows.

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2021 quarter. The average of the daily observation of 69 data points is calculated. The average LCR for the quarter ended 31<sup>st</sup> March, 2021 is 181.01%, and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 90% for the Quarter ended March 2021.

### Movement of Average LCR during the F.Y 2020-21:

Quarter	June-2020	Sep-2020	Dec-2020	March-21	F.Y 2020-21
LCR Ratio:	163.84	178.69	183.99	181.01	176.70

## 4.2 Quantitative Disclosure

(Rs in Crore)

Yearly LCR Disclosure - Audited					
	Particulars	FY 2020-21		FY 2019-20	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
<b>High Quality Liquid Assets</b>					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	256,813.63	253,354.91	118142.43	116567.89
<b>Cash Outflows</b>					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	581,259.28	44,262.31	271641.75	23490.24



(i)	Stable deposits	2,77,272.39	13,863.62	73,478.75	3,673.94
(ii)	Less stable deposits	3,03,986.89	30,398.69	1,98,163.00	19,816.30
3	Unsecured wholesale funding, of which:	1,81,425.26	86,783.76	77,683.92	39,110.65
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	1,81,425.26	86,783.76	77,683.92	39,110.65
(iii)	Unsecured debt				
4	Secured wholesale funding	2,688.14	2.47	2,053.63	18.28
5	Additional requirements, of which	1,29,317.22	17,949.89	35,949.66	6,187.03
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	44.26	44.26	0.07	0.07
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	1,29,272.96	17,905.63	35,949.59	6,186.96
6	Other contractual funding obligations	2,763.28	2,763.28	2,302.24	2302.24
7	Other contingent funding obligations	72,934.32	2,234.88	36,172.42	10,85.32
<b>8</b>	<b>TOTAL CASH OUTFLOWS</b>	<b>970,387.59</b>	<b>153,996.68</b>	<b>425803.61</b>	<b>72193.76</b>
<b>Cash Inflows</b>					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	28,397.91	0.00	5,434.75	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	2,971.28	2,971.28	2,731.18	2,731.18
11	Other cash inflows	10,397.38	7,648.06	9,257.43	6,595.25
<b>12</b>	<b>TOTAL CASH INFLOWS</b>	<b>41,766.57</b>	<b>10,619.34</b>	<b>17,423.36</b>	<b>9,326.43</b>
		<b>Total Adjusted Value</b>		<b>Total Adjusted Value</b>	
<b>13</b>	<b>TOTAL HQLA</b>	<b>2,53,354.91</b>		<b>1,16,567.89</b>	
<b>14</b>	<b>TOTAL NET CASH OUTFLOWS</b>	<b>1,43,377.33</b>		<b>62,867.33</b>	
<b>15</b>	<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)</b>	<b>176.70%</b>		<b>185.42%</b>	

## 5. FIXED ASSETS

Documentation formalities are yet to be completed in respect of one( P.Y. two) immovable properties held by the Bank at written down value of Rs 1.82 crore ( P.Y. ₹ 1.98 crore.) in respect of which steps have already been initiated.

## 6. FRAUD CASES DETECTED/REPORTED

(₹ in crore)

Frauds Detected during the Year	No. of cases of Frauds detected	Amount involved in such frauds	Amount outstanding as on 31/03/2021	Provision made as of 31/03/2021	Unamortized provision as of 31/03/2021
<b>Total</b>	579	12,791.43	10,768.67	9,830.78	937.89

## 7. BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS

- Confirmation/ Reconciliation of balance with foreign banks and other banks has been obtained/ carried out.
- Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress.
- Pending final clearance of the (i) and (ii), the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

## 8. ROADMAP FOR IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS)

The RBI vide DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11<sup>th</sup> February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose

the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. Further, in terms of DO.DBR.BP.No.2535 /21.07.001/2017-18 dated 13<sup>th</sup> September 2017, the Bank is submitting Proforma Ind-AS financial statements to the RBI on quarterly basis. Latest Proforma financials for the quarter ended 31<sup>st</sup> December 2020 was submitted to RBI on 26<sup>th</sup> February 2021. However, vide Circular No RBI/2018-19/146 DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22<sup>nd</sup> March, 2019, RBI has deferred Ind-AS implementation till further notice.

## 9. CORPORATE TAXATION:

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred Tax Assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

## 10. INVESTMENTS

- i) Profit of ₹ 1,844.94 crore (previous year ₹ 575.95 crore) on sale of “Held to Maturity” category securities has been taken to profit and loss account initially.
- ii) In respect of “Held to Maturity” category, as stated in Significant Accounting Policy No.4 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 703.10 crore (previous year ₹ 291.33 crore).
- iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 2,387.16 crore (previous year ₹ 1869.08 crore).

## 11. Climate Control

Union Bank of India has a policy in place in name of “Sustainable Development and Business Responsibility Policy” which is reviewed every year and last reviewed by the Board on 25.03.2021. Through this policy, the Bank is committed to make effort to protect and restore the environment. Bank has taken various initiatives like Electricity Conservations, avoid usage of plastic bottles for packaged drinking water etc.

12. During the current year, there is no material prior period item (as per AS 5) and no discontinued operations (as per AS 24).
13. There is change in the accounting policies/estimates followed (with effect from 1st April, 2020) during the year ended 31st March, 2021 as compared to those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2020:
  - a) With effect from 1st April, 2020, the income on account of LC/BG commission is recognized as revenue on accrual basis as against receipt basis followed in earlier periods. Impact due to the change in accounting policy has resulted in decrease in other income and net profit (before tax) for the year by ₹ 441.06 Crore.
  - b) Pursuant to amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India, there is a change in method of depreciation on Fixed Assets from Written Down Value to Straight Line Method and change in estimated useful life with respect to some categories of assets. Impact due to the said changes has resulted in increase in depreciation and decrease in net profit (before tax) of ₹ 3.24 Crore for the year ended 31st March, 2021. However, due to harmonisation, one time impact on the depreciation during the year amounting to ₹ 180.16 Crore.
14. Other income of the Bank inter alia includes commission income of ₹ 24.38 Crore from sale of Priority Sector Lending Certificate. Traded value of PSCL certificate are given below:

Category	Traded Value ( ₹ In Crore)
PSLC-General	15,000.00
PSLC-Small & Marginal Farmer	3,500.00

15. In terms of RBI instructions contained in DOR.STR.REC.4/21.04.048/2021-22 dtd. 7<sup>th</sup> April, 2021 the Bank shall refund/adjust interest on interest charged to all borrowers during the moratorium period i.e. 1<sup>st</sup> March, 2020 to 31<sup>st</sup> August, 2020. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded/adjusted shall be finalised by the Indian Bank Association (IBA) in consultation with other industry participants/bodies, which shall be adopted by the lending institutions. The IBA vide its letter dtd. 19<sup>th</sup> April, 2021 has informed the methodology as per Supreme Court Judgement. Accordingly, the Bank has estimated the liability of ₹127.30 Crore and recognised a charge in its Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021.
16. The figures of the previous year have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

**(DHIRENDRA JAIN)**  
DY. GENERAL MANAGER

**(PRAFULLA KUMAR SAMAL)**  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

**(NITESH RANJAN)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(MANAS RANJAN BISWAL)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(DINESH KUMAR GARG)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(RAJKIRAN RAI G.)**  
MANAGING DIRECTOR & CEO

**(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)**  
DIRECTOR

**(ARUN KUMAR SINGH)**  
DIRECTOR

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**  
DIRECTOR

**(DR. JAYADEV M.)**  
DIRECTOR

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAAABQ2179

**For M/s C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADL7290

**For M/s R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAAJQ1386

**For M/s P V A R & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABP4872

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjan Joshi**  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAQ1134

**For M/s Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAE3168

Place : MUMBAI  
Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

# STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

(₹ in Lakh)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
<b>A</b>	<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>		
	Net Profit Before Tax	2,39,941	(4,02,762)
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	89,523	41,126
	Provision for Investments	55,922	37,653
	Provision for Non Performing Assets (Net)	13,91,961	11,81,418
	Provision for Standard Asset	1,37,517	48,499
	Provision for Staff Related Expenditures	86,605	90,261
	Provision for other items (Net)	13,983	5,805
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	(761)	394
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	1,59,660	58,220
	Dividend received from Investments	(2,016)	-81
	<b>Sub Total</b>	<b>23,35,972</b>	<b>10,60,532</b>
	<b>Adjustments for:</b>		
	Increase / (Decrease) in Deposits	55,17,273	34,75,318
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	481,492	73,449
	(Increase) / Decrease in Investments	(51,75,058)	(26,38,769)
	(Increase) / Decrease in Advances	(5,07,273)	(29,91,467)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(7,04,838)	1,34,860
	Direct taxes paid (Net of Refund)	96,730	1,31,890
	Transfer to/from reserve	1,63,638	0
	<b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)</b>	<b>20,44,299</b>	<b>(7,54,186)</b>
<b>B</b>	<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :</b>		
	Purchase of Fixed Assets	(70,444)	(38,587)
	Proceeds from Sale/Adjustment of Fixed asset	9,739	1,507
	(Increase)/Decrease in Investment in Subsidiary	421	(35,610)
	Dividend received from Investment	2,016	81
	<b>NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)</b>	<b>(58,268)</b>	<b>(72,609)</b>
<b>C</b>	<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :</b>		
	Proceeds from issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)	-	11,75,601
	Proceeds from issue of Capital Instruments	3,70,500	0
	Repayments of Capital Instruments	(385,000)	(1,20,000)
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	(16,93,479)	10,82,243
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(1,59,660)	(1,05,025)
	<b>NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)</b>	<b>(18,67,639)</b>	<b>20,32,819</b>

# STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

( ₹ in Lakh)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	Cash and Cash equivalent received on account of amalgamation [D]	28,12,022	0
	<b>Net Increase (Decrease) in Cash &amp; Cash Equivalent ( A )+( B )+( C )</b>	<b>29,30,413</b>	12,06,025
	<b>Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year</b>	<b>55,10,622</b>	43,04,597
	<b>Cash and Cash Equivalents as at the end of the year</b>	<b>84,41,035</b>	55,10,622
	<b>Components of Cash and Cash equivalents</b>		
<b>D</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>	<b>31.03.2020</b>	31.03.2019
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	20,11,830	20,79,646
	Balances with Banks and Money at call	34,98,792	22,24,951
	<b>Net cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>	<b>55,10,622</b>	43,04,597
<b>E</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>31.03.2021</b>	31.03.2020
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	37,88,046	20,11,830
	Balances with Banks and Money at call	46,52,989	34,98,792
	<b>Net cash and cash equivalents at the end of the year</b>	<b>84,41,035</b>	55,10,622

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the year ended classification/ presentation.

(DHIRENDRA JAIN)  
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

(NITESH RANJAN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)  
MANAGING DIRECTOR & CEO

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)  
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)  
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)  
DIRECTOR

(DR. JAYADEV M.)  
DIRECTOR

## Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Standalone Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2021. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Standalone Profit & Loss Account and the Standalone Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 7th June, 2021 to the members.

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAAAAQ2179

**For M/s C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADL7290

**For M/s R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAAQ1386

**For M/s P V A R & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABP4872

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjan Joshi**  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAQ1134

**For M/s Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAE3168

Place : MUMBAI  
Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

यूनियन बैंक Union Bank  
of India



Annual Report 2020-2021

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To  
The President of India / The Members of Union Bank of India  
Mumbai

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

## Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Union Bank of India (the "Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated –
  - a. Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
  - b. Audited Financial Statements of 4 domestic Subsidiaries, 3 domestic Jointly controlled Entities, 1 Regional Rural Banks (Associate) and 1 foreign subsidiary.
  - c. Unaudited financial statements of 1 Subsidiary and 1 Jointly controlled EntityThe above entities together with the Bank are referred to as the "Group".
2. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the subsidiaries, Jointlycontrolled entities and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
  - a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021;
  - b. true balance of Profit in case of Consolidated Profit & Loss account for the year ended on that date; and
  - c. true and fair view of the cash flows in case of Consolidated Cash Flows Statement for the year ended on that date.

## Basis of Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Emphasis of Matter

4. We draw your attention to Note No. 7.1.A of schedule 18 – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes Government approved scheme of amalgamation and basis for preparation of these financial results adopting "Pooling of Interest" method as prescribed under the Accounting Standard – 14 on "Accounting for Amalgamations" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to record amalgamation of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank (amalgamating banks) with the bank with effect from 1<sup>st</sup> April 2020. The financial results for the current quarter and year are not comparable with corresponding previous period.

We draw your attention to Note No.7.1.A of schedule 18 – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes consideration of amalgamation reserve amounting to ₹ 1309.60 crores as a part of CET I Capital for the purpose of calculation of Capital Adequacy Ratio for the quarter / year ended 31<sup>st</sup> March 2021.

We draw your attention to Note No. 7.1.A of schedule 18 – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes that during the quarter and year the bank has set off entire accumulated loss amounting to ₹32,758.49 crore (as at 1<sup>st</sup> April 2020) against securities premium account as per the approval received from RBI dated 29<sup>th</sup> October 2020.

We draw your attention to Note No. 15 of schedule 18 – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the management of the bank is evaluating the situation and impact on its business operations.

We draw your attention to Note No. 16 of schedule 18 – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes that there is change in the accounting policies/estimates followed during the year ended 31<sup>st</sup> March,



2021 as compared to those followed in the preceding financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 with effect from 1<sup>st</sup> April, 2020,

- a) the income on account of LC/BG commission is recognized as revenue on accrual basis as against receipt basis followed in earlier periods. Impact due to the change in accounting policy has resulted in decrease in other income and net profit (before tax) for the year by ₹ 441.06 Crores.
- b) Pursuant to amalgamation of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank into Union Bank of India, there is a change in method of depreciation on Fixed Assets from Written Down Value to Straight Line Method and change in estimated useful life with respect to some categories of assets. Impact due to the said changes has resulted in increase in depreciation and decrease in net profit (before tax) for the quarter by ₹ 3.24 Crore for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021 and due to harmonization, one time impact on the depreciation amounting to ₹180.16 Crore for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

### Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr.	Key Area Matter	How it was dealt with in our report
<b>Key Audit Matters reported in Standalone Financial Statements of the Bank</b>		
1	<b>Accounting for Amalgamation of e-Andhra Bank and e-Corporation Bank</b>	
	<p>The Government of India (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Gazette Notification CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020 approved the scheme of amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (Amalgamating Banks) into Union Bank of India effective from 1st April, 2020</p> <p>The Bank has adopted "Pooling of Interest" method as prescribed under the Accounting Standard 14 on "Accounting for Amalgamations" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to record amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (the amalgamating banks) with the Bank with effect from 1<sup>st</sup> April, 2020. Accordingly, the difference of ₹ 1309.60 Crore between the net assets of amalgamating banks and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating banks has been recognized as Amalgamation Reserve in the opening balance sheet as on 1st April, 2020.</p> <p>Due to the complexity of the transaction and the associated significant risk of misstatement involved due to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divergence in accounting policies followed by the amalgamating banks with respect of accounting of certain items of income, providing for depreciation of fixed assets</li> <li>• Application of tax laws especially carry forward and set off of loss of the merging entities.</li> <li>• Ownership and rights over immovable and movable assets of the transferor banks, properties held by the amalgamating banks under lease, assets, guarantees and other assurances offered as security for the</li> </ul>	<p>Our audit approach for testing of accounting of amalgamation included in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• we evaluated the Scheme of Amalgamation approved by The Government of India (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Gazette Notification CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020</li> <li>• we evaluated appropriateness of the Bank's selection of amalgamation accounting by Pooling of Interest method against the compliance with each of the conditions stipulated in AS 14</li> <li>- Accounting for Amalgamation;</li> <li>• we evaluated the residual useful life of the acquired assets, focusing on the valuation methodologies and key assumptions applied;</li> <li>• we evaluated the basis determined by the Management for accounting of Amalgamation Reserve representing difference between value of net assets of amalgamating banks and the number of shares issued to shareholders of the amalgamating banks.</li> <li>• we performed evaluation of tax laws applicable to the Bank and verification of the management's assessment with respect to eligibility of carry forward and set off of losses of the amalgamating banks</li> <li>• we evaluated the terms of amalgamation as approved by the Government of India vide its notification dated 04.03.2020 titled "Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme 2020"</li> </ul>

	<p>advances made by the amalgamating banks, cause of action, suits, decrees, recovery certificates, appeal and other proceedings in favour of transferor banks and all other acts carried out by the amalgamating banks in the normal course of its banking business</p> <p>The accounting of amalgamation of banks is considered as a key audit matter</p>	<p>with reference to the Ownership and rights over immovable and movable assets of the amalgamating banks, properties held by the amalgamating banks under lease, assets, guarantees and other assurances offered as security for the advances made by the amalgamating banks, cause of action, suits, decrees, recovery certificates, appeal and other proceedings in favour of amalgamating banks and all other acts carried out by the amalgamating banks in the normal course of its banking business</p>
2	<p><b>Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans &amp; Advances and Investments as per the regulatory requirements</b></p>	
	<p>Loans &amp; Advances and Investments are the largest class of assets forming 86.08% of the total assets as on March 31, 2021. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines). The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses.</p> <p>The Bank has system based identification of non-performing assets in accordance with IRAC Norms</p>	<p>Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions.</p> <p>Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness.</p> <p>These included evaluation and understanding of following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments;</li> <li>• System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI);</li> <li>• Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems;</li> <li>• Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments</li> <li>• We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms.</li> <li>• We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis.</li> <li>• We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600- Using the work of another auditor.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert.</li> <li>• Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress.</li> <li>• We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same.</li> <li>• Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system.</li> </ul> <p>We have test checked and assessed the efficacy of the system based identification of NPA and we recommend that the system to be calibrated further to enhance the vigorousness</p>
3	<b>Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting</b>	
	<p><b>A. On account of amalgamation</b></p> <p>During the year, in view of the amalgamation of erstwhile Andhra Bank (eAB) and erstwhile Corporation Bank (eCB) with Union Bank of India, with effect from April 1, 2020, as stated in note 1 of Schedule 18 of the Financial Statements and until integration into the Union Bank of India platform, the banking operations were carried out in three different software for the respective verticals namely eAB branches, eCB branches and other branches, during the year. In view of the above, the IT environment had become complex and pervasive to the operations of the Bank with regards to the financial reporting process since the same was highly dependent on information technology including automated and manual controls and availability of complete and accurate electronic data due to the size and complexity of the operations. Pending the systems integration / migration of the three software, the process of consolidated of data to be reported was manual. Unauthorized or extensive access rights, changes in IT environment, operational controls, lack of segregation of duties which may cause a risk of misstatement of financial information and could have a material consequence on the completeness and accuracy of the financial statements. Due to high level of automation, number of integrated / non – integrated systems used, the manual process used for the consolidation of the three verticals, this is considered a significant matter for our audit.</p>	<p>We have obtained understanding of the IT related environment of all the three verticals of the Bank, and had accordingly identified IT applications, databases and operating systems to conduct risk assessment which may impact on the financial reporting. Our audit procedures, with respect to all three verticals in this area included, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.</li> <li>• -Assessing whether appropriate restrictions were placed on access to core systems through reviewing the permissions and responsibilities of authorised personnel.</li> <li>• Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidences.</li> <li>• Reviewed the controls with respect to manual processes consolidation of data of all verticals and ensured data integrity with respect to such consolidation.</li> </ul>

<p><b>B. On normal financial reporting</b></p> <p>Apart from amalgamation which is an exceptional business during the year, in the normal course of its business, the Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively.</p> <p>Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.</p> <p>We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines;</li> <li>• Provisioning on the advance portfolio;</li> <li>• Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets;</li> <li>• Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts;</li> <li>• Recording Investment transactions</li> <li>• Interest expense on deposits and other liabilities;</li> </ul>	<p>Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis.</p> <p>Our audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action;</li> <li>• Carrying out independent alternative audit procedures like substantive testing in areas where deficiencies were noticed;</li> <li>• Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis;</li> <li>• Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;</li> <li>• Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.</li> <li>• Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.</li> </ul>
<p><b>4 Recognition and measurement of Deferred tax</b></p>	
<p>The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 15,67,24,947 (in 000') as on March 31, 2021. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.</p>	<p>Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income;</li> <li>• Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy</li> <li>• Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.</li> </ul>

## Other Information

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Highlights for the year, Directors' Report including annexures to Directors' Report, key financial ratios, Business responsibility Report and Corporate Governance report in the Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

### **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

The Bank's Board of Directors are responsible for preparation and presentation of these consolidated Financial Results that give a true and fair view of the consolidated financial position, financial performance and consolidated cash flows and other financial information of the Group including its associate and jointly controlled entity in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", Accounting Standards 23- "Accounting for Investments in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standards 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the relevant provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") and other accounting principles generally accepted in India.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associate and jointly controlled entity are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act/ Banking Regulations Act, 1949 for safeguarding the assets of the Group and preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud and error.

In preparing the consolidated Financial statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associate and jointly controlled entity are responsible for assessing the ability of the group and of its associate and jointly controlled entity to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associate and jointly controlled entity are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associate and jointly controlled entity.

### **Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,



design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality in the magnitude of the misstatements in the Consolidated financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

## Other Matters

8. We did not audit the financial statements of five subsidiaries and four Jointly controlled entities and one associate included in the consolidated financial statements, whose financial statements reflect total assets of ₹ 12,31,13,800 (in thousand) as at March 31, 2021 and total revenues of ₹ 3,20,21,369 (in thousand) for the year ended on that date net Loss after tax amounting to ₹ 4,25,663 (in thousand) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and jointly controlled entities, are based solely on the reports of the other auditors.

The consolidated financial statements also include the unaudited Financial Results of 1 subsidiary and 1 jointly controlled entity whose Financial Statements/Financial Results/ Financial information reflect Group's share of total assets of ₹11,54,776.91 (in thousands) as at 31st March 2021, Group's share of total revenue of ₹ 1,61,101.89 (in thousands) and Group's share of total net profit after tax of ₹ 56,731.85 (in thousands) for the year ended 31st March 2021, as considered in the consolidated Financial Results. These unaudited Financial Statements/Financial Results/ financial information has been furnished to us duly certified by the Bank's management and our opinion on the consolidated Financial Results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and



associates is based solely on such reviewed/unaudited Financial Statements/Financial Results/Financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by Bank's management, these Financial Statements/Financial Results / Financial information are not material to the Group.

The entities of the Group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 Notes to Accounts which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

### **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

9. The Consolidated Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

Subject to limitation of the audit indicated in paragraph 7 and 8 above and also subject to the limitations of disclosure required therein and we report that:

- We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory
- The transactions of Bank, which have come to our notice, have been within the power of Bank, and
- The returns received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of our audit.

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAABR5499

**For M/s C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADM7127

**For M/s R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJR1873

**For M/s P V A R & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN:21072933AAAABQ1754

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjan Joshi**  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAR7423

**For M/s Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN:21076387AAAAAF5420

Place of Signature: Mumbai / Virtual

Date of Report: 07.06.2021

# CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

(Rs in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31st March, 2021	As on 31st March, 2020
<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>			
Capital	1	6,40,68,444	3,42,28,189
Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company	1A	10,40,035	10,40,035
Share Application Money	1B	-	-
Reserves and Surplus	2	58,22,69,299	30,46,25,800
Minority Interest	2A	-	-
Deposits	3	9,25,65,39,262	4,52,43,61,458
Borrowings	4	51,92,22,312	52,71,40,581
Other Liabilities and Provisions	5	40,06,34,595	16,36,94,456
<b>TOTAL</b>		<b>10,82,37,73,947</b>	<b>5,55,50,90,519</b>
<b>ASSETS</b>			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	37,88,57,135	20,11,89,238
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	46,87,76,239	35,12,98,743
Investments	8	3,39,05,85,059	1,54,25,14,860
Advances	9	5,93,32,00,827	3,17,67,74,302
Fixed Assets	10	7,36,64,201	4,77,54,993
Other Assets	11	57,86,90,486	23,55,58,383
<b>TOTAL</b>		<b>10,82,37,73,947</b>	<b>5,55,50,90,519</b>
Contingent Liabilities	12	3,71,78,14,658	1,89,11,29,374
Bills for Collection		34,69,48,137	21,68,26,909
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

(DHIRENDRA JAIN)  
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

For and on behalf of the Board of Directors

(NITESH RANJAN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)  
MANAGING DIRECTOR & CEO

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)  
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)  
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)  
DIRECTOR

(DR. JAYADEV M.)  
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For M/s B M Chatrath & Co. LLP  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

For M/s R G N Price & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

For M/s SARDA & PAREEK LLP  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

CA Arindam Ray  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAAABR5499

CA P M Veeramani  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJR1873

CA Niranjan Joshi  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAR7423

For M/s C R Sagdeo & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

For M/s P V A R & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

For M/s Gopal Sharma & Co.  
Chartered Accountants  
RN 002803C

CA Sachin V Luthra  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADM7127

CA Pradeep Kumar Gupta  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABQ1754

CA Vijay Garg  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAF5420

Place : MUMBAI  
Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



Annual Report 2020-2021

# CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

(₹ in 000)

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31st March, 2021	For the Year Ended 31st March, 2020
<b>I. INCOME</b>			
Interest earned	13	69,31,14,562	37,47,92,188
Other Income	14	13,89,90,826	5,78,92,725
<b>TOTAL</b>		<b>83,21,05,388</b>	<b>43,26,84,913</b>
<b>II. EXPENDITURE</b>			
Interest Expended	15	44,11,23,988	25,83,68,112
Operating Expenses	16	19,75,15,213	8,18,78,753
Provision And Contingencies		16,51,86,002	12,28,46,343
<b>TOTAL</b>		<b>80,38,25,203</b>	<b>46,30,93,208</b>
<b>III. Consolidated Net Profit/(Loss) before Minority Interest and Share of Earnings in Associate</b>		<b>2,82,80,185</b>	<b>(3,04,08,295)</b>
Add:-Share of profit in Associate		3,53,803	(8,00,591)
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minority Interest		2,86,33,987	(3,12,08,886)
(Less):-Minority Interest		-	-
Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year attributable to the group		2,86,33,987	(3,12,08,886)
Add : Profit/(Loss) Brought Forward		35	(8,40,02,080)
<b>Amount Available for Appropriation</b>		<b>2,86,34,022</b>	<b>(11,52,10,966)</b>
<b>IV. Appropriation</b>			
Transfer To Statutory Reserve		73,35,683	-
Transfer To Capital Reserve		90,01,837	37,46,900
Transfer To Capital(Investment Fluctuatuaion Risk) Reserve		1,27,92,901	-
Transfer To Revenue And Other Reserves		(4,96,433)	(22,22,996)
Dividend Tax		-	-
Transfer To Special Reserve [Sec36(l)(viii)] of the Income Tax Act, 1961]		-	-
Balance in Profit and Loss Account		35	(11,67,34,870)
<b>TOTAL</b>		<b>2,86,34,022</b>	<b>(11,52,10,966)</b>
Earnings per share (Basic and Diluted in ₹) of FV of ₹10/- each	18	4.47	(13.45)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss account

(DHIRENDRA JAIN)

DY. GENERAL MANAGER

For and on behalf of the Board of Directors

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)

CHIEF FINANCIAL OFFICER

(NITESH RANJAN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)

MANAGING DIRECTOR & CEO

(DR. MADNESH KUMAR MISHRA)  
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)  
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)  
DIRECTOR

(DR. JAYADEV M.)  
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**

Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner

Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAABR5499

**For M/s C R Sagdeo & Co.**

Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner

Membership No. 109127  
UDIN: 211109127AAAADM7127

**For M/s R G N Price & Co.**

Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner

Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJR1873

**For M/s P V A R & Associates**

Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner

Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABQ1754

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**

Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjan Joshi**  
Partner

Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAR7423

**For M/s Gopal Sharma & Co.**

Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner

Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAF5420

Place : MUMBAI

Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

**यूनियन बैंक** **Union Bank**  
of India



Annual Report 2020-2021

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> March, 2021**

( ₹ in 000' )

	As on 31st March 2021	As on 31st March 2020
<b>SCHEDULE 1 - CAPITAL :</b>		
<b>I. Authorised :</b>		
i. 10,00,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each (P.Y.10,00,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each)	<b>10,00,00,000</b>	10,00,00,000
<b>II. Issued, Subscribed &amp; Paid up :</b>		
i. 570,66,60,850 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government (Previous Year 2,96,92,79,777 Equity Shares)	<b>5,70,66,609</b>	2,96,92,798
ii. 70,01,83,505 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public (Previous Year 4,53,53,90,75 Equity Shares)	<b>70,01,835</b>	45,35,391
<b>TOTAL</b>	<b>6,40,68,444</b>	3,42,28,189
<b>SCHEDULE 1A - PREFERENCE SHARE CAPITAL ISSUED BY SUBSIDIARY COMPANY :</b>		
10,40,03,544 Participatory Non-Redemable Compulsorily convertible Preference Shares of Rs. 10 Each (Issued by Union Asset Management Company Private Limited, a subsidiary company ) to Dai Ichi Life Holdings Inc on May 17, 2018 for a tenure of 20 years)	<b>10,40,035</b>	10,40,035
<b>TOTAL</b>	<b>10,40,035</b>	10,40,035
<b>SCHEDULE 2 - RESERVES &amp; SURPLUS :</b>		
<b>I. Statutory Reserve :</b>		
As per last Balance Sheet	<b>12,62,91,983</b>	6,67,06,110
Addition during the year	<b>73,35,682</b>	13,36,27,665
		-
<b>II. A) Capital Reserve :</b>		
As per last Balance Sheet	<b>3,77,18,727</b>	1,28,49,561
Addition during the year	<b>90,01,837</b>	4,67,20,564
		37,46,900
<b>II. B) Capital Reserve on Consolidation</b>		
As per last Balance Sheet	-	-
Addition during the year	<b>6,63,498</b>	6,63,498
		-
<b>II. C) Amalgamation Reserves</b>		
As per last Balance Sheet	-	-
Addition during the year	<b>1,30,95,979</b>	-
Deduction during the year	-	1,30,95,979
		-
<b>III. Revaluation Reserve :</b>		
As per last Balance Sheet	<b>4,99,77,701</b>	2,23,48,099
Addition during the year	<b>40,444</b>	1,04,48,077
Deduction during the year	<b>10,33,368</b>	4,89,84,777
		10,54,713
		3,17,41,463

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> March, 2021**  
( ₹ in 000')

As on 31st March 2021				
<b>IV. Share Premium :</b>				
As per last Balance Sheet	<b>50,13,70,025</b>		15,18,14,744	
Addition during the year	-		10,10,81,975	
Deduction during the year	<b>32,75,84,947</b>	<b>17,37,85,078</b>	1,19,871	25,27,76,848
<b>V. Revenue Reserves :</b>				
<b>i) Revenue and other Reserves :</b>				
As per last Balance Sheet	<b>8,20,08,797</b>		4,95,62,378	
Addition during the year	<b>2,60,02,442</b>		65,913	
Deduction during the year	<b>1,26,05,677</b>		2,64,07,223	
	<b>9,54,05,562</b>		2,32,21,068	
<b>ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)</b>				
As per last Balance Sheet	<b>5,50,78,789</b>		2,87,50,000	
Addition during the year	-		-	
	<b>5,50,78,789</b>		2,87,50,000	
<b>iii) Foreign Currency Translation Reserve</b>				
As per last Balance Sheet	<b>15,93,516</b>		16,57,508	
Addition during the year	<b>4,29,740</b>		7,88,869	
Deduction during the year	<b>9,044</b>		8,77,657	
	<b>20,14,212</b>		15,68,720	
<b>iv) Special Profit Reserve/ Cash Flow Hedge Reserve</b>				
As per last Balance Sheet	<b>58,485</b>		-	
Addition during the year	<b>454</b>		-	
	<b>58,939</b>	<b>15,25,57,502</b>	-	5,35,39,788
<b>v) Investment Fluctuation Reserves</b>				
As per last Balance Sheet	<b>41,300</b>		-	
Addition during the year	<b>1,27,92,901</b>		-	
Deduction during the year	-	<b>1,28,34,201</b>	-	-
<b>VI. Balance in Profit and Loss Account</b>				
<b>Balance in Profit and Loss Account</b>			<b>35</b>	(11,67,34,870)
<b>TOTAL</b>		<b>58,22,69,299</b>		30,46,25,800
<b>SCHEDULE 2 A Minority Interest</b>				
Opening Balance			-	-
Add/(Less):- Increase/(Decrease) during the year			-	-
Total Minority Interest			-	-

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> March, 2021**

( ₹ in 000' )

	As on 31st March 2021		As on 31st March 2020	
<b>SCHEDULE 3 - DEPOSITS :</b>				
A)				
<b>I. Demand Deposits</b>				
i) From Banks	76,23,510		40,29,164	
ii) From Others	62,94,60,721	63,70,84,231	26,08,99,292	26,49,28,456
<b>II. Savings Bank Deposits</b>		2,71,99,65,042		1,33,97,54,268
<b>III. Term Deposits</b>				
i) From Banks	3,16,45,104		5,50,64,197	
ii) From Others	5,86,78,44,885	5,89,94,89,989	2,86,46,14,537	2,91,96,78,734
<b>TOTAL</b>		<b>9,25,65,39,262</b>		<b>4,52,43,61,458</b>
B)				
i). Deposits of branches in India		9,21,47,62,722		4,46,98,15,910
ii). Deposits of branches outside India		4,17,76,540		5,45,45,548
<b>TOTAL</b>		<b>9,25,65,39,262</b>		<b>4,52,43,61,458</b>
<b>SCHEDULE 4 - BORROWINGS :</b>				
<b>A) Borrowings: Capital Instruments</b>				
I. Perpetual Bonds	7,10,50,000		4,00,00,000	
II. Upper Tier II Bonds	-		50,00,000	
III. Tier II Bonds	10,05,00,000		5,55,00,000	
IV. 7 years infra bonds	50,01,000	17,65,51,000	-	10,05,00,000
<b>B) Borrowings in India</b>				
i. Reserve Bank of India	14,20,90,000		-	
ii. Other Banks	1,40,33,310		2,01,26,890	
iii. Other Institutions and Agencies	2,78,19,964	18,39,43,274	20,25,29,807	22,26,56,697
<b>C) Borrowings Outside India</b>		15,87,28,038		20,39,83,884
<b>TOTAL</b>		<b>51,92,22,312</b>		<b>52,71,40,581</b>
Secured Borrowings included in (B) i above		14,20,90,000		16,98,30,000



**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> March, 2021**  
( ₹ in 000')

As on 31st March 2021      As on 31st March 2020

**SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :**

I. Bills Payable	2,30,30,334	90,91,800
II. Interest Accrued	3,18,07,505	1,87,68,476
III. Others (Including Provisions)	34,57,96,756	13,58,34,180
<b>TOTAL</b>	<b>40,06,34,595</b>	<b>16,36,94,456</b>

**SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:**

I. Cash in hand (Including Foreign Currency Notes and Gold)	3,78,64,974	2,00,49,833
II. Balances with Reserve Bank of India		
Balances with Reserve Bank of India In Current Account	34,09,87,188	18,11,39,405
Balances with Reserve Bank of India In Other Account	4,973	0
<b>TOTAL</b>	<b>37,88,57,135</b>	<b>20,11,89,238</b>

**SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :**

**I. In India**

i) Balances with Banks

a) In Current Accounts	58,71,512	18,05,138
b) In Other Deposit Accounts	7,11,41,687	8,18,56,025

ii) Money at Call & Short notice

a) With Banks	-	30,00,000
b) With Other Institutions	29,55,40,000	20,00,00,000

**37,25,53,199**      **28,66,61,163**

**II. Outside India**

i) In Current Accounts	27,17,626	32,71,268
------------------------	-----------	-----------

ii) In other Deposit Accounts	9,20,46,674	6,13,66,312
-------------------------------	-------------	-------------

iii) Money at call & short notice	14,58,740	-
-----------------------------------	-----------	---

**9,62,23,040**      **6,46,37,580**

**TOTAL**      **46,87,76,239**      **35,12,98,743**

# SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> March, 2021

( ₹ in 000' )

As on 31st March 2021

As on 31st March 2020

## SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :

### I. Investments in India

i) Government Securities	2,42,56,14,461	1,06,39,73,894
ii) Other Approved Securities	1,60,14,875	33,24,311
iii) Shares	3,27,94,407	1,50,40,400
iv) Debentures and Bonds	75,85,84,336	34,96,85,608
v) Subsidiaries and Joint Ventures/Associate	21,20,760	13,33,044
VI) Others ( Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt, Etc.)	13,41,76,368	8,66,98,812
<b>TOTAL</b>	<b>3,36,93,05,207</b>	<b>1,52,00,56,069</b>

### II. Investments outside India

i) Govt Securities (including Local Authorities)	1,87,83,099	1,97,96,374
ii) Shares	9,450	4,032
iii) Other Investments (Bonds)	24,87,303	26,58,385
iv) Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,12,79,852</b>	<b>2,24,58,791</b>

### TOTAL

<b>3,39,05,85,059</b>	<b>1,54,25,14,860</b>
-----------------------	-----------------------

### III. Investments in India

Gross Value	3,43,15,59,994	1,54,45,60,320
Less: Provision for Depreciation	6,22,54,788	2,45,04,251
Net Value of Investment in India	<b>3,36,93,05,206</b>	<b>1,52,00,56,069</b>

### IV. Investments outside India

Gross Value	2,12,99,300	2,24,72,971
Less: Provision for Depreciation	19,447	14,180
Net Value of Investment outside India	<b>2,12,79,853</b>	<b>2,24,58,791</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,39,05,85,059</b>	<b>1,54,25,14,860</b>

## SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)

I i) Bills Purchased and Discounted	4,11,53,857	2,77,71,181
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	2,66,27,05,495	1,43,15,38,030
iii) Term Loans	3,22,93,41,475	1,71,74,65,091
<b>TOTAL</b>	<b>5,93,32,00,827</b>	<b>3,17,67,74,302</b>

II i) Secured by Tangible Assets (includes Advance against Book Debts)	5,09,22,54,335	2,66,12,07,087
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	16,55,89,292	10,79,52,661
iii) Unsecured	67,53,57,201	40,76,14,554
<b>TOTAL</b>	<b>5,93,32,00,828</b>	<b>3,17,67,74,302</b>

### III A. Advances in India

i) Priority Sector	2,52,92,91,622	1,14,41,37,430
ii) Public Sector	61,06,29,459	46,20,71,183
iii) Banks	3,07,310	36,40,361
iv) Others	2,62,94,41,664	1,34,72,57,818
<b>TOTAL</b>	<b>5,76,96,70,055</b>	<b>2,95,71,06,792</b>

### B. Advances Outside India

i) Due From Banks	3,47,68,977	5,02,64,366
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	36,979	30,46,970
b) Syndicated Loans	11,83,093	1,78,35,410
c) Others	12,75,41,723	14,85,20,764
<b>TOTAL</b>	<b>16,35,30,772</b>	<b>21,96,67,510</b>

### TOTAL

<b>5,93,32,00,827</b>	<b>3,17,67,74,302</b>
-----------------------	-----------------------

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> March, 2021**  
( ₹ in 000')

As on 31st March 2021      As on 31st March 2020

<b>SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS :</b>				
<b>A. TANGIBLE ASSETS</b>				
<b>I. Premises</b>				
At cost/valuation as per last balance sheet	8,09,95,477		3,87,33,046	
Additions during the year	7,17,393		1,05,09,663	
Deductions during the year	4,738		54,782	
	<u>8,17,08,132</u>		<u>4,91,87,927</u>	
Less: Depreciation till Date	2,49,42,252	5,67,65,880	1,25,38,799	3,66,49,128
<b>II. Capital Work-in-Progress</b>				
At cost as per last balance sheet	5,96,816		4,41,727	
Additions during the year	2,18,977		1,73,445	
Deductions during the year	1,82,517	6,33,276	72,057	5,43,115
<b>III. Land</b>				
At cost as per last balance sheet	12,45,683		6,95,419	
Additions during the year	-		72,931	
Deductions during the year	-		26,092	
	<u>12,45,683</u>		<u>7,42,258</u>	
Less: Depreciation till Date	78,385	11,67,298	69,969	6,72,289
<b>IV. Other Fixed Assets</b>				
(including Furniture and Fixtures)				
<b>a) Assets given on lease</b>				
At cost as per last balance sheet	2,68,478		2,65,352	
Addition during the year	-		-	
Deductions during the year	-		-	
	<u>2,68,478</u>		<u>2,65,352</u>	
Less: Depreciation till Date	2,68,478	-	2,65,352	-
<b>b) Others</b>				
At cost/valuation as per last balance sheet	6,25,93,795		2,81,49,974	
Additions during the year	35,32,456		28,94,675	
Deductions during the year	9,93,375		4,12,490	
	<u>6,51,32,876</u>		<u>3,06,32,159</u>	
Less: Depreciation till Date	5,30,38,569	1,20,94,307	2,14,26,833	92,05,326
<b>B. INTANGIBLE ASSETS</b>				
<b>(i) Computer Software</b>				
At cost as per last balance sheet	89,51,793		27,87,339	
Additions during the year	27,20,989		8,07,761	
Deductions during the year	9,256		5,312	
	<u>1,16,63,526</u>		<u>35,89,789</u>	
Amortisation till Date	86,60,085	30,03,441	29,04,654	6,85,135
<b>TOTAL</b>		<u><u>7,36,64,301</u></u>		<u><u>4,77,54,993</u></u>

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> March, 2021**  
( ₹ in 000' )

	As on 31st March 2021	As on 31st March 2020
<b>SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :</b>		
I. Inter-Office Adjustments (net)	7,34,01,772	1,51,98,653
II. Interest Accrued	6,16,79,664	2,60,94,473
III. Deferred Tax Assets (Net)	15,67,50,030	7,35,68,800
IV. Stationery and Stamps	68,176	37,137
V. Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	1,238	390
VI. Others	20,84,20,372	10,54,20,089
VII. Tax paid/Tax deducted at source (Net of Provisions)	6,63,96,665	1,51,13,899
VIII. Goodwill on account of consolidation	-	1,24,942
IX. MAT Credit	1,19,72,569	-
<b>TOTAL</b>	<b>57,86,90,486</b>	<b>23,55,58,383</b>
<b>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :</b>		
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	3,73,28,046	3,27,51,216
II. Liability for partly paid Investments	41,578	5,920
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,30,09,22,075	1,07,31,67,076
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	66,32,75,681	40,28,26,884
ii) Outside India	1,35,04,434	85,05,897
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	52,14,77,693	32,11,51,391
VI. Other items of Contingent Liability	3,95,261	20,550
VII. Disputed Tax demands under Appeals	15,71,17,481	3,93,03,240
VIII. Amount transferred to DEAF Scheme 2014	2,37,52,409	1,33,97,200
<b>TOTAL</b>	<b>3,71,78,14,658</b>	<b>1,89,11,29,374</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021**  
( ₹ in 000')

	As on 31st March 2021	As on 31st March 2020
<b>SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :</b>		
I. Interest/Discount on Advances/Bills	45,83,44,668	25,15,29,336
II. Income on Investments	21,03,54,155	10,73,57,712
III. Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds	2,11,89,777	1,20,56,370
IV. Others	32,25,962	38,48,770
<b>TOTAL</b>	<b>69,31,14,562</b>	<b>37,47,92,188</b>
<b>SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :</b>		
I. Commission, Exchange and Brokerage	71,37,775	54,57,357
II. Profit on Sale of Investments - (Net)	4,32,96,427	1,42,00,368
III. Profit/ (Loss) on Fixed Asset - (Net)	2,05,851	(39,448)
IV. Profit on Exchange Transactions - (Net)	65,86,479	55,70,186
V. Miscellaneous Income	8,17,64,294	3,27,04,262
<b>TOTAL</b>	<b>13,89,90,826</b>	<b>5,78,92,725</b>
<b>SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :</b>		
I. Interest on Deposits	40,83,59,049	24,04,91,500
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing	1,49,23,543	84,40,287
III. Others	1,78,41,396	94,36,325
<b>TOTAL</b>	<b>44,11,23,988</b>	<b>25,83,68,112</b>
<b>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :</b>		
I. Payments to and Provisions for Employees	9,23,07,898	3,46,38,509
II. Rent, Taxes and Lighting	1,37,79,004	62,89,256
III. Printing and Stationery	9,30,033	5,11,944
IV. Advertisement and Publicity	7,18,677	6,68,012
V. Depreciation on Bank's Property	90,81,502	41,71,977
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	59,706	46,646
VII. Remuneration to Managing / Executive Director	29,664	11,410
VIII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	10,94,891	4,11,311
IX. Law Charges	13,66,141	6,90,230
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	23,36,294	15,76,962
XI. Repairs and Maintenance	36,62,617	12,68,087
XII. Insurance	1,20,98,687	56,09,563
XIII. Other Expenditure	6,00,50,099	2,59,84,846
<b>TOTAL</b>	<b>19,75,15,213</b>	<b>8,18,78,753</b>

## SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2020-21 (CONSOLIDATED)

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES : SCHEDULE 17

#### 1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated. These are prepared following the Going Concern concept, in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in foreign countries are complied with.

#### 2. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period.

### Significant Accounting Policies

#### 3. Basis of consolidation

a) Bank is having 5 subsidiaries, 4 JVs and 1 associate. The details are as under:-

S. No.	Nature	Entities	Stake
1	Subsidiary	UBI AMC Co. Pvt. Ltd.	100%
2	Subsidiary	Union Trustee Co. Pvt. Ltd.	100%
3	Subsidiary	Union Bank of India (UK) Ltd.	100%
4	Subsidiary	Andhra Bank Financial Services Ltd.	100%
5	Subsidiary	UBI Services Ltd.	100%
6	JV	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.	25.10%
7	JV	ASREC (India) Ltd.	26.02%
8	JV	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	30.00%

9	JV	India International Bank (Malaysia) Berhad	25.00%
10	Associate	Chaitanya Godavari Grameena Bank	35%

The consolidated financial statements are prepared on the basis of:

- 1) Audited Accounts of the parent bank (Union Bank of India)
  - 2) **Consolidation of Subsidiaries:** Line by Line aggregation of the Income/ Expenditure/Assets/Liabilities of the subsidiaries with the respective line item of the parent bank, after eliminating all intra-group transactions, unrealized profits/ loss in terms of AS 21 on Consolidated Financial Statements issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
  - 3) **Consolidation of Associates:** The Investment in Associate is accounted for consolidation as per Equity Method in terms of AS 23 on Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
  - 4) **Consolidation of Joint Ventures:** Line by Line consolidation is done with proportionate share in Joint Venture in terms of AS-27 on Financials Reporting in Interest of Joint Venture issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- b) In case of Domestic Associate/Subsidiaries and Joint Venture, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries and Joint Venture have not been carried out due to practical difficulties on the basis of data provided by associates/ subsidiaries and Joint Venture as the amounts are not material.
- c) The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.
- d) Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:
- i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and
  - ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.



- iii) The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses

#### 4. Revenue Recognition

##### a) Banking entities

- i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI.
- iii) Exchange and Brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, income from Aadhaar Cards etc. are Accounted for on realization basis.
- iv) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:
  - a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.
  - b) On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.
- v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.
- vi) Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.

##### b) Non-Banking entities

##### Life Insurance

##### i. Premium Income

Premium (net of Service Tax/GST) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

##### ii. Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

##### iii. Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

##### iv. Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

##### v. Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

##### vi. Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

#### Asset Management

- i. Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.
- ii. Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.
- iii. Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.
- iv. Dividend income is recognized when right to receive is established.

## 5. Investments

### i) Classification

In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures & Bonds
- e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and
- f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further categorized in accordance with the RBI guidelines into:

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Held for Trading (HFT)

### ii) Basis of Valuation

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

- a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.
- b) Investment in Regional Rural Banks is valued at carrying cost.
- c) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost
- d) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- e) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.
- f) Valuation of other securities is arrived at as follows:

a	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
b	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines

c	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at Rs 1/- per Company.
d	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA Guidelines
e	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
f	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
g	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
h	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Rs 1/- per VCF
l	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

- iii) Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.
- iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:
  - a) From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
  - b) From HTM category to AFS / HFT category,
    - If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
    - If the security is originally placed at a

premium, at an amortized cost.

- c) From AFS to HFT category and vice versa, at book value.
- d) The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.
- v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guideline.
- vi) Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in “HTM” category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.
- vii) Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.
- viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows ‘Settlement Date’ for accounting of investments transactions.

#### 6. Derivative Contracts:

The Interest Rate Swap (IRS) which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

- (i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.
- (ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDA) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

#### 7. Advances

- i) Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- ii) Advances are stated net of specific loan loss

provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

- iii) The general provision on standard advances is held in “Other Liabilities and Provisions” reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

#### 8. Fixed Assets and Depreciation

- i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation as adjusted for impairment, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

Pursuant to revised Accounting Standard 10-Property Plant and Equipment effective from 01.04.2017, depreciation on revalued portion of the fixed assets is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve and not through Profit & Loss Account.

- ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the Straight Line Method at the rates prescribed in Expenditure Policy of the Bank from time to time. The applicable rates of depreciation are as under:

S. No	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
1	Immovable Property-Land	Not stipulated; accordingly, no depreciation	NIL
2	Building with RCC frame structure (Both Residential & Non residential)	60	1.67
3	Furniture	10	10.00
4	Fixtures	10	10.00
5	Air-conditioning plants (Package & water/air cooled ductable)	10	10.00

6	Split & Window Air conditioners	5	20.00
7	Electrical installments and equipments	5	20.00
8	Solar Power Equipment	15	6.67
9	Elevators & Lifts	15	6.67
10	Civil & Flooring work in leased Premises	5	20.00
11	Telephone Equipment	5	20.00
12	Motor Cycles, Scooters & other mopeds	10	10.00
13	Motor Cars, Motor Lorries and Electrically operated vehicles including battery powered or fuel cell powered vehicles	8	12.50
14	Mobile Phones	3	33.33
15	Generators	15	6.67
16	Office Equipment	5	20.00
17	Computers & computer software forming integral part of hardware	3	33.33
18	ATM & allied items	3	33.33
19	UPS & allied items	5	20.00
20	Servers & Networks	6	16.66
21	Computers-End user devices such as desktops, laptops, printer & Scanner etc.	3	33.33

- iii) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.
- iv) Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.
- v) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

## 9. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate

that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

## 10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

## 11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as under

- a) Integral Operations and
- b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

### a) Translation in respect of Integral Operations

- i) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- ii) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- iii) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year
- iv) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.
- v) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for



specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

**b) Translation in respect of Non Integral Operations**

- i) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter
- ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

**12. Employee Benefits**

**A. Short Term Employment Benefits:**

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

**B. Long Term Employee Benefits:**

**i. Defined Contribution Plans:**

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the

consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

**ii. Defined Benefit Plan:**

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

**13. Segment Reporting**

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into:

- 13.1 Treasury Operations,
- 13.2 Corporate and Wholesale Banking,
- 13.3 Retail Banking Operations and
- 13.4 Other Banking Operations

**14. Lease Transactions**

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

**15. Earnings Per Share**

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

**16. Taxation**

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is

provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

**17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

**18. Share Issue Expenses:**

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2020-21 (CONSOLIDATED)**

**SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS**

1 The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2021
Union Asset Management Company Private Limited	India	100%
Union Trustee Company Private Limited	India	100%
Union Bank of India (UK) Limited	United Kingdom	100%
Andhra Bank Financial Services Limited	India	100%
UBI Services Limited	India	100%

2 The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited	India	25.10%
ASREC (India) Ltd.	India	26.02%
IndiaFirst Life Insurance Co Ltd.	India	30.00%
India International Bank (MALAYSIA) Berhad	India	25.00%

3 The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35%

The Value of the investment made by the Bank is Rs 1684.96 Crore as on 31st March 2021 which is treated as long term investment.

4 The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the

consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31<sup>st</sup> March 2021.

5 The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, Union Asset Management Company Private Limited, Union Trustee Company Private Limited, Union Bank of India (UK) Limited, Chaitanya Godavari Grameena Bank, IndiaFirst Life Insurance Co Ltd., India International Bank (Malaysia) Berhad, UBI Services Ltd. and unaudited financials of Andhra Bank Financial Services Ltd. and ASREC(INDIA) Limited for the financial year ended 31.03.2021.

6 Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

**7 DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES**

**7.1. A. Capital**

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2020. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 10.875% with minimum CET I of 7.375% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum Tier I CRAR of 9.50% as at March 31, 2021.

However, RBI vide its circular No. DOR.BP.BC. No.15/21.06.201/2020-21 dated Sep 29, 2020, has extended deferment of last tranche of Capital Conservation Buffer i.e. deferment of implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from September 30, 2020 to 1st April 2021. Further, RBI vide its circular no. DOR.CAP. BC.No.34/21.06.201/2020-21 dated Feb 5, 2021 has extended for achievement of ratios as mentioned above to October 1, 2021.

The Government of India (GOI), Ministry

of Finance, Department of Financial Services vide Gazette Notification CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020 approved the scheme of amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (Amalgamating Banks) into Union Bank of India effective from 1st April, 2020.

- a) The working results for the year ended 31st March, 2021 include operations of erstwhile Andhra Bank and erstwhile Corporation Bank. Hence the results for the current year are not comparable with corresponding periods of previous year.
- b) The Bank has adopted “Pooling of Interest” method as prescribed under the Accounting Standard – 14 on “Accounting for Amalgamations” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to record amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank (the amalgamating banks) with the Bank with effect from 1st April, 2020.

Accordingly, the difference of Rs.1309.60 Crore between the net assets of amalgamating banks and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating banks has been recognized as Amalgamation Reserve in the opening balance sheet as on 1st April, 2020. The Bank has considered this amount under CET I for the purpose of calculation of CRAR.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III	9.04	9.33
ii)	Tier I Capital ratio (%) Basel III	10.32	10.67
iii)	Tier II Capital ratio (%) Basel III	2.20	2.04
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III	12.52	12.71
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	89.07	86.75

Sr. No	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
vi)	Amount of Equity Capital raised : (Rs in crore)	Nil	11767.99
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (Rs in crore)	1705.00	Nil
Viii)	Amount of Tier II Capital raised : (Rs in crore)	2000.00	Nil
	of which Debt capital instruments : (Rs in crore)	2000.00	Nil

During the year the Bank has raised Basel III compliant AT-1 and Tier-2 bonds of Rs.1705 Crore and Rs.2000 Crore respectively. Also the Bank has exercised call option and has redeemed AT-1 and Tier-2 bonds of ₹ 800 and Rs.3050 Crore (of which Rs.1050 is Basel II compliant).

In terms of notification no. CG-DL-E-23032020-218862 dated 23rd March, 2020, issued by Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India containing amendment in Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, after obtaining approval of Shareholders in Annual General Meeting held on 4th August, 2020 and also after the approval of RBI, the Bank has set off accumulated losses of Rs.32,758.49 Crore against securities premium account as it stood on 1st April, 2020.

## 7.2 Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2021	31.03.2020
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	432.09	372.37
Provision towards NPA	13733.74	9462.39
Provision towards Harmonization (refer note below)	323.86	2509.98

<b>Break up of Provision &amp; Contingencies shown under the head in Profit &amp; Loss:</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
Provision(Reversal) towards Standard Assets	<b>1246.34</b>	508.09
Net Provision made towards Income Tax/ Deferred tax	<b>(500.84)</b>	(1110.39)
Other Provision and Contingencies	<b>1283.40</b>	542.19
<b>TOTAL</b>	<b>16518.60</b>	<b>12284.63</b>

Note - The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India has been effected w.e.f. April 1, 2020 in terms of GOI Notification CG-DL-E-04032020-216535 G.S.R.154 (E) dated March 4, 2020. Accordingly, the Bank, as a prudential measure, has made harmonization provisioning in its Books of Accounts for the position as on 31st March, 2020 with regard to impact of divergence in Asset Classification across Union Bank of India, Andhra Bank and Corporation Bank as per extant IRAC norms. The Bank on standalone basis had made an additional harmonization provision amounting to Rs 2509.98 Crore and the same is included in the total NPA provision. Further, the Bank had made additional harmonization provision of Rs.323.86 Crore during the FY 2020.21.

### 7.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ in crore)

<b>Sr. No</b>	<b>Particulars</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
i)	Opening Balance	<b>306.20</b>	293.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	<b>Nil</b>	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	<b>Nil</b>	Nil
iv)	<b>Closing balance</b>	<b>306.20</b>	<b>293.20</b>

### 8 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED) ( Parent Bank)

#### (A) Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of

rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

#### (B) Long Term Employee Benefits:

##### i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2020-21, the Bank has contributed Rs 297.92 crore (Previous Year Rs 120.24 crore) to NPS.

##### ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2021.

	Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	<b>Table showing change in Defined Benefit Obligation :</b>				
	Liability at the beginning of the year	2,738.03	24,553.31	1,222.64	12,158.43
	Interest Cost	187.28	1,667.17	95.24	945.93
	Current Service Cost	137.71	265.17	59.54	90.78
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
i)	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Benefit paid)	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	Actuarial (Gain)/loss on obligation –due change In the financial assumption	(26.36)	(247.67)	(86.88)	(578.22)
	Actuarial (Gain) / Loss on obligations	752.31	1,456.27	25.87	938.90
	<b>Liability at the end of the year</b>	<b>3,355.82</b>	<b>26,011.41</b>	<b>1,291.94</b>	<b>12,746.69</b>
	<b>Table of Fair value of Plan Assets:</b>				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	2,671.12	23,145.31	1,202.14	12,308.84
	Expected return on Plan Assets	182.70*	1,571.57*	93.65*	957.63*
	Contributions	291.35	3,605.19	114.25	74.59
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
ii)	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Benefit paid)	(433.15)	(1,682.84)	(198.23)	(809.13)
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,746.43*	26,720.88*	1,219.01*	12,607.16*
	Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	725.95	1,208.60	112.75	360.68
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(34.41)	(81.65)	(7.20)	(75.23)
	<b>Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized</b>	<b>691.54</b>	<b>1,126.95</b>	<b>105.55</b>	<b>285.45</b>
	<b>Recognition of Transitional Liability :</b>				
iii)	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	<b>Transitional Liability at end</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>
	<b>Actual return on Plan Assets :</b>				
iv)	Expected Return on Plan Assets	182.70	1,571.57	93.65	957.63
	Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	34.41	81.65	7.20	75.23
	<b>Actual return on Plan Assets</b>	<b>217.11</b>	<b>1,653.22</b>	<b>100.85</b>	<b>1,032.86</b>

	Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	<b>Expenses recognized in the Income Statement:</b>				
	Current Service Cost	137.71	265.17	59.54	90.78
	Interest Cost	4.58	95.60	1.59	(11.70)
	Expected Return on Plan Assets	Nil	Nil	Nil	Nil
v)	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial (Gain) or Loss	691.54	1,126.95	105.55	285.45
	<b>Expenses Recognized in P &amp; L</b>	<b>833.83</b>	<b>1,487.72</b>	<b>166.68</b>	<b>364.53</b>
	<b>Balance Sheet Reconciliation:</b>				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	66.91	1,408.00	20.50	(150.41)
	Expenses as above	833.83	1,487.72	166.68	364.53
vi)	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net) (Employer Contribution)	Nil	Nil	Nil	Nil
	<b>Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet</b>	<b>(291.35)</b>	<b>(3,605.19)</b>	<b>(114.25)</b>	<b>(74.59)</b>
		<b>609.39</b>	<b>(709.47)</b>	<b>72.93</b>	<b>139.53</b>
	<b>Other Details :</b>				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹20, 00,000 or as per the Bank scheme.				
vii)	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
		78,203	28,235	37,323	13,839
	No. of Members	354.09	210.64	193.54	89.29
	Salary Per Month	354.09	-	144.39	213.65
	<b>Contribution for next year</b>				
	<b>Category of assets:</b>				
	Government of India Assets	64.56	601.59	64.14	198.34
	Corporate Bonds/FDR	96.29	1029.07	88.78	1,004.11
	Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	State Govt.	125.89	1150.74	161.47	995.87
viii)	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	185.67	1,426.35	35.33	322.26
	Insurer Managed Funds	2,252.98	22,235.49	869.29	10,086.58
	Mutual Fund	21.04	277.64	-	-
	<b>Total</b>	<b>2,746.43</b>	<b>26,720.88</b>	<b>1,219.01</b>	<b>12,607.16</b>

\*Note: Return on investments in LIC & other insurance companies is considered as 7.00% while arriving at the Fair Value of Plan Assets, due to Covid-19 crisis the same is yet to be declared by the Insurance companies for the FY2020-21.

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
Liability at the end of the year	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72
Fair value of Plan Assets at the end of the year	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03
Difference	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
On plan liability (Gain) / Loss	752.31	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)
On plan Assets (Loss) / Gain	34.41	7.20	(13.03)	10.64	42.42

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
Liability at the end of the year	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15
Fair value of Plan Assets at the end of the year	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89
Difference	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	709.47	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension Plan				
Experience Adjustment	31.03.21	31.03.20	31.03.19	31.03.18	31.03.17
On plan liability (Gain) / Loss	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)	793.17
On plan Assets (Loss) / Gain	81.65	75.23	7.18	(21.39)	526.25



	Principal actuarial assumption used (%)	2020-2021		2019-2020	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	Discount Rate Prev.	6.84	6.79	7.79	7.78
	Rate of return on Plan Assets Prev.	6.84	6.79	7.79	7.78
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	6.93	6.91	6.84	6.79
	Rate of Return on Plan Assets Current	6.93	6.91	6.84	6.79
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(C) **Other long term Employee Benefits:**

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2021	31.03.2020
1	Pension	1,487.72	364.53
2	Leave Travel Concession	27.45	(3.44)
3	Leave Encashment	102.29	116.76
4	Sick Leave	Nil	Nil

9 **SEGMENT REPORTING (AS-17)**

**Business Segments:**

(₹ in Crore)

Business Segment		Consolidated	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2021	31.03.2020
<b>(a)</b>	<b>Segment Revenue</b>		
1	Treasury Operations	27,382.29	14,211.07
2	Retail Banking Operations	24,817.48	11,272.88
3	Corporate /Wholesale Banking	26,541.51	16,629.02
4	Other Banking Operations	1,371.54	688.87
5	Unallocated	3,240.26	794.73
	<b>Total Segment Revenue</b>	<b>83,353.08</b>	<b>43,596.57</b>
	Less Inter-segment Revenue	(142.54)	(328.08)
	<b>Income from operations</b>	<b>83,210.54</b>	<b>43,268.49</b>
<b>(b)</b>	<b>Segment Results (i.e. Profit/(Loss) before Tax)</b>		
1	Treasury Operations	6,157.83	2,583.12
2	Retail Banking Operations	4,197.57	2,207.06
3	Corporate /Wholesale Banking (Before Exceptional item)	(8,823.12)	(6,704.72)
	Add: Exceptional item	-	(2,509.98)
	Corporate /Wholesale Banking (After Exceptional item)	(8,823.12)	(9,214.70)
4	Other Banking Operations	733.23	378.74

5	Unallocated	61.67	(105.44)
	<b>Total Profit/(Loss) Before Tax</b>	<b>2,327.18</b>	<b>(4,151.22)</b>
(c)	Provision for Tax	(500.84)	(1,110.39)
(d)	<b>Net Profit/(Loss) After Tax</b>	<b>2,828.02</b>	<b>(3,040.83)</b>
	Add: Share of profit in Associate	35.38	<b>(80.06)</b>
	<b>Consolidated Net Profit/(Loss)</b>	<b>2,863.40</b>	<b>(3,120.89)</b>
(e)	<b>Segment Assets</b>		
1	Treasury Operations	427,941.43	1,94,271.84
2	Retail Banking Operations	277,171.79	1,30,909.73
3	Corporate/Wholesale Banking	341,941.30	2,18,860.11
4	Other Banking Operations	-	-
5	Unallocated Assets	35,322.87	11,467.37
	<b>Total Assets</b>	<b>10,82,377.39</b>	<b>5,55,509.05</b>
(f)	<b>Segment Liabilities</b>		
1	Treasury Operations	4,19,807.14	1,89,114.93
2	Retail Banking Operations	2,53,344.66	1,20,337.54
3	Corporate /Wholesale Banking	3,10,531.92	2,01,355.86
4	Other Banking Operations	-	-
5	Unallocated Liabilities	33,955.90	10,711.31
	<b>Total Liabilities</b>	<b>10,17,639.62</b>	<b>5,21,519.64</b>
(g)	<b>Capital Employed (Segment Assets-Segment Liabilities)</b>		
1	Treasury Operations	8,134.29	5,156.91
2	Retail Banking Operations	23,827.13	10,572.19
3	Corporate /Wholesale Banking	31,409.38	17,504.25
4	Other Banking Operations	-	-
5	Unallocated Liabilities	1,366.97	756.06
	<b>Total Capital Employed</b>	<b>64,737.77</b>	<b>33,989.41</b>

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. There has been change in the methodology of allocation of various items in reportable segments due to which previous periods figures have been regrouped/recasted.

## 10 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

### 10.1 List of Related Parties

#### a) Subsidiaries

- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Pvt. Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.
- Andhra Bank Financial Services Ltd.
- UBI Services Ltd.

**b) Joint Venture**

- Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
- ASREC (India) Ltd.
- India International Bank (Malaysia) Berhad
- IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.

**c) Associate**

- Chaitanya Godavari Grameena Bank

**d) Key Management Personnel**

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2020-21
Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	N.A.
Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director	N.A.
Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director	N.A.
Shri Birupaksha Mishra	Executive Director	Joining on 01.04.2020 (consequent to amalgamation of Corporation Bank into Union Bank of India), Cessation on 31.01.2021
Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director	N.A.
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director	Joining on 10.03.2021

**Parties with whom transactions were entered into during the year**

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

**10.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.****(₹ in crore)**

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
<b>Chairman and Managing Director</b>	<b>0.34</b>	0.33
<b>Executive Directors</b>	<b>1.11</b>	0.81
<b>Total</b>	<b>1.45</b>	<b>1.14</b>

**11 EARNING PER SHARE (AS-20)**

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Number of Equity shares at the beginning of the year	6,40,68,44,355	1,76,30,16,314
Number of Equity shares issued during the year	Nil	1,65,98,02,538
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	6,40,68,44,355	3,42,28,18,852

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	6,40,68,44,355	2,32,08,18,806
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	6,40,68,44,355	2,32,08,18,806
Net Profit/(Loss) ₹ in Crore	2,863.40	(3,120.88)
Basic Earnings per share (₹)	4.47	(13.45)
Diluted Earnings per share (₹)	4.47	(13.45)
Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

## 12 PROVISION FOR TAXES:

### Deferred Tax (as-22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
<b>Deferred Tax Assets</b>			
1	Employee Benefits (Leave Encashment)	457.76	294.57
2	Depreciation on Fixed Assets	298.39	112.05
3	On account of other provisions	18,193.01	9,239.00
4	On account of unabsorbed losses and Tax Credits	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>18,949.17</b>	<b>9,645.63</b>
<b>Deferred Tax Liabilities</b>			
1	Accrued interest on securities	1,104.51	806.32
2	Special Reserves u/s 36(i) (viii)	1,924.67	1,004.64
3	Depreciation on Investment	237.86	477.79
	<b>Total</b>	<b>3,267.04</b>	<b>2,288.75</b>
	<b>Net Deferred Tax Asset</b>	<b>15,682.13</b>	<b>7,356.88</b>
	<b>Net Deferred Tax Liability</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>

## 13 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

- 14 Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.
- 15 Outbreak of COVID-19 Pandemic has adversely impacted the economic activity across the globe including the Indian economy. To tide over the pandemic, the Government of India has announced series of lock down since March 2020 and subsequent phased unlocking as well. However, the current second wave of Covid-19 pandemic, with increased number of cases, has resulted in re-imposition of lockdown in regionalized manner across the

country. Though the situation continues to remain uncertain the Bank is continuously monitoring the situation and taking all possible measures to ensure continuance of full-fledged banking operations. The management believes that there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumptions.

- 16** There is change in the accounting policies/estimates followed (with effect from 1st April, 2020) during the year ended 31st March, 2021 as compared to those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2020:
- With effect from 1st April, 2020, the income on account of LC/BG commission is recognized as revenue on accrual basis as against receipt basis followed in earlier periods. Impact due to the change in accounting policy has resulted in decrease in other income and net profit (before tax) for the year by ₹ 441.06 Crore.
  - Pursuant to amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India, there is a change in method of depreciation on Fixed Assets from Written Down Value to Straight Line Method and change in estimated useful life with respect to some categories of assets. Impact due to the said changes has resulted in increase in depreciation and decrease in net profit (before tax) of ₹ 3.24 Crore for the year ended 31st March, 2021. However, due to harmonisation, one time impact on the depreciation during the year amounting to Rs.180.16 Crore.
- 17** The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.  
Signatories to Schedules 1 to 18

**(DHIRENDRA JAIN)**  
DY. GENERAL MANAGER

**(PRAFULLA KUMAR SAMAL)**  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

**(NITESH RANJAN)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(MANAS RANJAN BISWAL)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(DINESH KUMAR GARG)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**(RAJKIRAN RAI G.)**

MANAGING DIRECTOR & CEO

**(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)**  
DIRECTOR

**(ARUN KUMAR SINGH)**  
DIRECTOR

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**  
DIRECTOR

**(DR. JAYADEV M.)**  
DIRECTOR

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAABR5499

**For M/s C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADM7127

**For M/s R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJR1873

**For M/s P V A R & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABQ1754

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjan Joshi**  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAR7423

**For M/s Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAF5420

Place : MUMBAI  
Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

# CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

( ₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
<b>A</b>	<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>		
	Net Profit Before Tax	2,32,676.72	(4,23,128)
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	90,815	41,720
	Provision for Investments	55,624	37,653
	Provision for Non Performing Assets (Net)	14,05,760	11,97,237
	Provision for Standard Asset	1,37,588	48,735
	Provision for Staff Related Expenditures	86,605	90,261
	Provision for other items (Net)	16,367	8,379
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	(2,059)	394
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	1,59,660	58,220
	Share of Profit in Associate	3,538	8,006
	<b>Sub Total</b>	<b>21,86,576</b>	<b>10,67,475</b>
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	55,20,773	34,93,134
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	6,26,592	97,640
	(Increase) / Decrease in Investments	(53,44,849)	(26,23,681)
	(Increase) / Decrease in Advances	(4,89,586)	(30,69,474)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(5,84,957)	1,34,887
	Direct taxes paid (Net of Refund)	(22,864)	1,31,890
	Transfer to/from reserve	1,61,050	0
	<b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)</b>	<b>20,52,734</b>	<b>(7,68,129)</b>
<b>B</b>	<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :</b>		
	Purchase of Fixed Assets	(71,898)	(39,384)
	Proceeds from Sale/Adjustment of Fixed asset	11,789	1,663
	<b>NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)</b>	<b>(60,109)</b>	<b>(37,721)</b>
<b>C</b>	<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :</b>		
	Proceeds from Issue of Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company Including Share Premium (Net)	0	0
	Proceeds from issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)		11,75,601
	Proceeds from issue of Capital Instruments	3,70,500	0
	Repayments of Capital Instruments	(3,85,000)	(1,19,962)
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	(17,11,906)	10,63,809
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(1,59,660)	(1,05,025)
	<b>NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)</b>	<b>(18,86,066)</b>	<b>20,14,423</b>
	<b>Net Increase (Decrease) in Cash &amp; Cash Equivalent (A)+(B)+(C)</b>	<b>1,06,559</b>	<b>12,08,572</b>
	<b>Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year</b>	<b>55,57,753</b>	<b>43,16,308</b>
	<b>Cash and Cash equivalent received on account of amalgamation</b>	<b>28,12,022</b>	<b>0</b>
	<b>Cash and Cash Equivalents as at the end of the year</b>	<b>84,76,334</b>	<b>55,24,880</b>



# CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

( ₹ in Lakh)

Components of Cash and Cash equivalents			
S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
<b>D</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>	<b>01.04.2020</b>	<b>01.04.2019</b>
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	20,11,892	20,80,040
	Balances with Banks and Money at call	35,12,987	22,36,268
	<b>Net cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>	<b>55,24,880</b>	<b>43,16,308</b>
<b>E</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	37,88,571	20,11,892
	Balances with Banks and Money at call	46,87,762	35,12,987
	<b>Net cash and cash equivalents at the end of the year</b>	<b>84,76,334</b>	<b>55,24,880</b>

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the year ended classification/ presentation.

(DHIRENDRA JAIN)  
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

(NITESH RANJAN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)  
MANAGING DIRECTOR & CEO

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)  
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)  
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)  
DIRECTOR

(DR. JAYADEV M.)  
DIRECTOR

#### Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2021. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 7th June, 2021 to the members.

**For M/s B M Chatrath & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 301011E/E300025

**CA Arindam Ray**  
Partner  
Membership No.058713  
UDIN: 21058713AAABR5499

**For M/s C R Sagdeo & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 108959W

**CA Sachin V Luthra**  
Partner  
Membership No. 109127  
UDIN: 21109127AAAADM7127

**For M/s R G N Price & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002785S

**CA P M Veeramani**  
Partner  
Membership No.023933  
UDIN: 21023933AAAAJR1873

**For M/s P V A R & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 005223C

**CA Pradeep Kumar Gupta**  
Partner  
Membership No.072933  
UDIN: 21072933AAAABQ1754

**For M/s SARDA & PAREEK LLP**  
Chartered Accountants  
FRN 109262W/W100673

**CA Niranjan Joshi**  
Partner  
Membership No.102789  
UDIN: 21102789AAAAAR7423

**For M/s Gopal Sharma & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002803C

**CA Vijay Garg**  
Partner  
Membership No.076387  
UDIN: 21076387AAAAAF5420

Place : MUMBAI  
Date : 07<sup>th</sup> June, 2021

## Disclosures under Basel III Capital Regulations

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link:

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx>

## Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank that is [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) Any member interested in obtaining physical copy of the same may write to Company Secretary of the Bank.



केंद्रीय कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

### लाभांश अधिदेश फार्म

{यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो पंजीयक को प्रस्तुत करें और यदि शेयर डीमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट (डीपी) को प्रस्तुत करें}

प्रिय महोदय,

विषय: बैंक खाता विवरण अद्यतन करने हेतु निर्देश

1	प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम	
2	फोलिओ क्र. (यदि शेयर डिमैटैरियलाइज्ड नहीं किए गए हैं)	
3	डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि शेयर डिमैटैरियलाइज्ड किए गए हैं)	
4	बैंक खाते का विवरण	
4.1	बैंक का नाम	
4.2	शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	
4.3	पूर्ण अंको सहित खाता क्र. (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.4	खाते का प्रकार (एसबी / सीडी / सीसी)	
4.5	आईएफएससी (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.6	एमआईसीआर कूट क्र. (9 अंक) (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	

#### घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है. यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण संव्यवहार में विलंब होता है अथवा संव्यवहार नहीं होता है तो मैं उपयोगकर्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा. मैं समझता हूँ/ समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को भौतिक रूप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

(\_\_\_\_\_)

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

संलग्न :

1. पैन् की स्वतः अनुप्रमाणित प्रति और

2. मूल निरस्त चेक का पन्ना या खाताधारक का नाम दर्शाता सक्रिय बैंक खाते का अनुप्रमाणित बैंक का पासबुक

पंजीयक का पता : डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.

यूनित: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, कॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल,

अंधेरी (पूर्व). मुंबई-400 093.

दूरभाष क्र. : 022-66712001-6

ई-मेल आईडी : [ubiinvestors@datamaticsbpm.com](mailto:ubiinvestors@datamaticsbpm.com)



Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

## Dividend Mandate Form

{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/electronic form}.

Dear Sirs,

**Subject: Instruction to update the Bank Account Details**

1	First/Sole Shareholder's Name	
2	Folio No. (If shares are not dematerialized)	
3	DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
4	Particulars of Bank Account	
4.1	Bank Name	
4.2	Branch Name & Address with City PIN Code	
4.3	Complete Account No. (as appearing on the Cheque Book)	
4.4	Account Type (Saving/Current/Cash Credit)	
4.5	IFSC (as appearing on the Cheque Book)	
4.6	MICR Code (9 digit) (as appearing on the Cheque Book)	

### DECLARATION

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through electronic means.

Yours Faithfully,

(  
Signature of the First/Sole Shareholder

Place :

Date :

Encl.:

1. Self attested copy of PAN and
2. A original cancelled cheque leaf or attested Bank passbook of an active bank account showing name of account holder

Address of the Registrar:

Datamatics Business Solutions Ltd.  
Unit : Union Bank of India,  
Plot No. B-5, Part B,Crosslane,  
MIDC, Andheri (East),  
Mumbai-400 093.  
Tel. No.:022-66712001- 6  
E-mail Id: [ubiinvestors@datamaticsbpm.com](mailto:ubiinvestors@datamaticsbpm.com)

## हरित पहल शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा  
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

डिमेंट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेंट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज कारवाएं.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

वे अपनी सहमती इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भिजवा दें :

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.

यूनिट: यूनिन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,

एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.

दूरभाष क्र.: 022-66712001-6

ई-मेल आईडी: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

## GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &  
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

**Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to :** Register an email ID their Demat A/c.

**Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:**

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.

Unit : Union Bank of India,

Plot No.B-5, Part B, Crosslane,

MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.

Tel. No.:022-66712001- 6

E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

## यूनिन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

Date :

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.

यूनिट: यूनिन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.

दूरभाष क्र.: 022-66712001-6

ईमेल आईडी: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/ हम \_\_\_\_\_ यूनिन बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अधीन हरित पहल उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनिन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने निम्नलिखित ई मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता/ चाहती हूँ/ चाहते हैं. मेरे/ हमारे पास यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के \_\_\_\_\_ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नंबर \_\_\_\_\_

ईमेल आईडी \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

मोबाईल नं. \_\_\_\_\_

मैं/ हम इस आशय से वचन देता/ देती हूँ/ देते हैं कि मेरे/ हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनिन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं/ हम यह भी वचन देता/ देती हूँ/ देते हैं कि यदि किसी तकनीकी/ अन्य कारणों से मेरे/ हमारे ई-मेल आईडी हमें सही रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनिन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेगे.

प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर.

## GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

Datamatics Business Solutions Ltd.

Unit : Union Bank of India,

Plot No.B-5, Part B, Crosslane,

MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.

Tel. No.:022-66712001- 6

E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We \_\_\_\_\_ holding \_\_\_\_\_ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number: \_\_\_\_\_

Email ID \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Mobile No. \_\_\_\_\_

I/We also undertake that the communication received through my/ our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/ other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder



This page is intentionally left blank.

नामांकन पत्र  
(विनियमनों का 65 (डी) नियमन संदर्भित)

प्रति  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 021

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके नोटिस दिनांक 05 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, मैं \_\_\_\_\_ यूनियन बैंक का अंशधारक, \_\_\_\_\_ समता अंशों, ₹ 10/- प्रति (पूर्ण चुकता) यथा 12 जुलाई, 2021 का धारक (चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित तारीख होने के कारण) एतद्वारा श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_, श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ के पुत्र/पुत्री/ पत्नी, निवासी \_\_\_\_\_ को बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 3(i) के प्रावधानों के अनुसार 10 अगस्त, 2021 को अंश धारकों हेतु आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में बैंक के अंश धारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनियन बैंक के निदेशक के रूप में चयनित करने हेतु नामित करता हूँ.

हस्ताक्षर .....

नाम .....

शेयरों की संख्या .....

पंजीकृत फोलियो की संख्या .....

(यदि डिमेटेरियलाइज्ड नहीं हैं)

डीपी आईडी संख्या .....

ग्राहक आईडी संख्या .....

(यदि डिमेटेरियलाइज्ड हैं)

स्थान :

दिनांक :

नोट :

1. यदि नामांकन निकाय कॉर्पोरेट द्वारा किया जा रहा है तो नामांकन पत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा लाये गए संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति होनी चाहिए जिस पर बैठक, जहां इसे लाया गया है, के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.
2. उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयर धारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूने के हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए.
3. यदि उपरोक्त में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन निरस्त किया जा सकता है.



**NOMINATION FORM**

(Refer Regulation 65(d) of the Regulations)

To  
The Managing Director & CEO  
Union Bank of India  
Central Office, Mumbai-400021  
Dear Sir,

**Election of a Director**

With reference to your Notice dated July 5, 2021, I \_\_\_\_\_ a shareholder of Union Bank of India, holding \_\_\_\_\_ equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on July 12, 2021 (being the cut-off date for participating in the election) do here by nominate Shri/Smt. \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Shri/Smt. \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ for being elected as a Director of Union Bank of India representing the share holders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on August 10, 2021.

Signature.....

Name.....

No. of Shares.....

Regd. Folio No.....

(If not Dematerialised)

DP. ID. No.....

Client ID. No.....

(If Dematerialised)

Place:

Date:

Notes:

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with ShareTransferAgent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

**घोषणा पत्र**

**(विनियमनों का 65 नियमन संदर्भित)**

मैं, \_\_\_\_\_ श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, \_\_\_\_\_ का निवासी, फोलियो क्रमांक \_\_\_\_\_/डीपी आईडी क्रमांक \_\_\_\_\_/ग्राहक संख्या \_\_\_\_\_ के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के \_\_\_\_\_ समता अंश, प्रति अंश ₹ 10/- (पूर्ण चुकता) यथा **12 जुलाई, 2021** अर्थात् चुनाव में सहभागिता के लिए निर्धारित तारीख एवं विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव रखते हुए :\*

- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
  - ii) बैंकिंग
  - iii) सहकारिता
  - iv) अर्थशास्त्र
  - v) वित्त
  - vi) विधि
  - vii) लघु उद्योग
  - viii) किसी अन्य मामले में व्यवसाय प्रबंधन/ जोखिम प्रबंधन/ वित्त/ मानव संसाधन/ आईटी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ आदि की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की राय बैंक अथवा जमाकर्ताओं और/ अथवा किसानों, कारीगर एवं दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए, बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा 3ए (और एक साक्ष्य के रूप में मैं एतद्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ) के संदर्भ में उपयोगी होगी, मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि :
    - ए) मैं नामांकन क्रमांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_, स्वीकार करता हूँ और
    - बी) मैं यूनियन बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और
    - सी) मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) नियमन 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हूँ और
    - डी) मैं न तो किसी कार्यालय में लाभ के पद पर हूँ और न ही यूनियन बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में सब्सिडियरी के रूप में वर्णित बैंक का कर्मचारी हूँ और
2. मैं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार उपयुक्त एवं उचित स्तर पाये जाने हेतु विचारार्थ, घोषणा एवं वचन (पीडीयू रूप में), अलग से व्यक्तिगत जानकारी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ.

हस्ताक्षर .....

नाम .....

स्थान:

दिनांक :

संलग्नक : उपर्युक्त

उपरोक्त घोषणा पत्र में श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ द्वारा मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए हैं

हस्ताक्षर सील एवं

सत्यापित करने वाले अधिकारी के नाम सहित

नोट : नामांकी द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एसयूरेन्स के पंजीयक/ उप-पंजीयक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने किए जाने चाहिए.

\* जो लागू न हो उसे काट दें.

**DECLARATION**

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Shri/Smt. \_\_\_\_\_, a resident of \_\_\_\_\_ holding \_\_\_\_\_ equity shares of Rs.10/- each (fully paid up) in UNION BANK of INDIA under Folio No. \_\_\_\_\_/DPID No. \_\_\_\_\_/ClientID No. \_\_\_\_\_ as on July 12, 2021 i.e. the cut-off date for participating in the election and having special knowledge or practical experience in:\*

- i) Agriculture and Rural Economy
- ii) Banking
- iii) Co-operation
- iv) Economics
- v) Finance
- vi) Law
- vii) Small Scale Industry
- viii) Any other matter the special knowledge of Business Management/RiskManagement/Finance/Human Resources/IT /Payment and Settlement Systems/etc. And practical experience in which would in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the bank or representing the interest of Depositors and/or Farmers, Workers and Artisans, in terms of Sub Section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (and as an evidence thereof I submit herewith ther relevant testimonials) hereby declare that
  - a) I accept the nominations numbered from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_, and
  - b) I am willing to stand for the election as Director of Union Bank of India and
  - c) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and
  - d) I neither hold any office of profit nor an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and

2. I also submit a separate Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form ) as per Reserve Bank of India directives to consider for fit and proper status.

Signature.....

Name.....

Place:

Date:

Encl:as above


The above declaration was signed before me by Shri/Smt. \_\_\_\_\_

Signature with Seal and  
Name of the attesting official

Note: The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

\*Delete whichever is not applicable.

उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन पत्र  
(उचित अनुलग्नकों सहित)



क्र. सं.	विवरण	दी जा रही सूचना								
<b>I. व्यक्तिगत विवरण</b>										
1.	पूरा नाम	<table border="1"> <thead> <tr> <th>पहला नाम</th> <th>मध्य नाम</th> <th>अंत का नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पहला नाम	मध्य नाम	अंत का नाम					
पहला नाम	मध्य नाम	अंत का नाम								
2.	पिता का नाम									
3.	लिंग (पु/स्त्री/अन्य)									
4.	वर्तमान पता									
5.	ई-मेल और वैकल्पिक ई-मेल :									
	दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित :									
	मोबाईल नंबर :									
6.	राष्ट्रीयता									
7.	जन्मतिथि (दि/माह/वर्ष) और आयु	-- / -- / ----- आयु : -- वर्ष -- महिना								
8.	शैक्षणिक योग्यता									
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)									
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)									
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पीएएन)  (बी) चार्ज जहां प्रस्तावित निदेशक का कर निर्धारित किया जाता है (आय कर क्षेत्राधिकार)/आय कर सर्कल/वार्ड का नाम एवं पता	<table border="1"> <thead> <tr> <th>भरने की तारीख</th> <th>भुगतान की गई कर राशि (आईएनआर)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	भरने की तारीख	भुगतान की गई कर राशि (आईएनआर)						
भरने की तारीख	भुगतान की गई कर राशि (आईएनआर)									
	(सी) भरी गई विवरणी(णियों) एवं विगत 3 वर्षों में भुगतान किया गए कर विवरण									
12.	स्थायी पता									
13.	संबन्धित ज्ञान एवं अनुभव पर संक्षिप्त राइट अप के रूप में विवरण देते हुए लेखांकन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे किसी एक या अधिक मामलों में संबंधित ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा.									





14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव की संक्षिप्त जानकारी)									
15.	विगत व्यवसाय के कम से कम विगत दस वर्ष की अवधि में पूर्व में किए गए व्यवसाय, जहां कार्य किया हो उन संगठन(नों) का पूरा पता, कार्य ग्रहण की तारीख, कार्यमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम, आदि सहित.									
16.	चार्टर्ड एकाउंटेंट के मामले में, निम्नलिखित जानकारी दें:									
	(ए) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या:									
	(बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तारीख:									
	(सी) पंजीकृत फर्म का नाम और पता:									
	(डी) लेखापरीक्षा का विवरण : वर्तमान में फर्म द्वारा या आपके द्वारा किया जा रहा है :									
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत/ चालू/ ऋण खातों) के सहित बैंकर(रों) जहां आप प्रमुख खाता धारक हैं :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक नाम</th> <th>शाखा</th> <th>खाता का प्रकार</th> <th>खाता संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बैंक नाम	शाखा	खाता का प्रकार	खाता संख्या				
बैंक नाम	शाखा	खाता का प्रकार	खाता संख्या							
18.	अंशधारिता का विवरण, यदि किसी संस्था में, आपके या पति / पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा भौतिक या डिमेटेरियलाइज्ड रूप में आयोजित किया गया हो. (डीमेट / अंशधारिता का प्रमाणपत्र संलग्न करें)									
19.	बैंक के निदेशकशिप के लिए अन्य कोई वांछित जानकारी :									
II.	प्रस्तावित निदेशक के संगत संबंध									
20.	रिश्तेदारों की सूची, कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 2 (77) और कंपनियों के नियम 4 (परिभाषा की परिभाषा) नियम, 2014 का संदर्भ लें, यदि कोई हो, जो किसी बैंक से जुड़े हों:									
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें:									
	(ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें.									
	(बी) लाभकारी स्वामित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 एवं लागू एमसीए के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम का संदर्भ लें :									
	(सी) ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):									

22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अर्थ में पर्याप्त हित हैं.	कंपनी/ फ़र्म का नाम	
		निगमन का देश	
		अंशों की संख्या	
		प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य	
		अंशधारिता का कुल अंकित मूल्य	
		कुल चुकता पूंजी के % के रूप में अंशधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य एवं % के रूप में)	
		क्या यह संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 8 कंपनी है	
23.	विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं की होल्डिंग का विवरण.		
24.	बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान या पूर्व में बोर्ड / सलाहकार आदि का सदस्य है. (उस अवधि का ब्यौरा जिस दौरान ऐसे कार्यालय में हो/ रहा था)		
25.	अगर किसी भी संस्था के साथ किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैसा बैंकिंग गतिविधियों (उल्लेख किए जाने वाले एसोसिएशन की प्रकृति) के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण.		
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों से जुड़ी किसी भी इकाई से जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण.		
27.	निधि एवं गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं का विवरण, यदि कोई है, वर्तमान में व्यक्तिगत और/ अथवा उपरोक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की जा रही हों.		
28.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां एक व्यक्ति के रूप में या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाएं, पूर्व में बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य उधार देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता अथवा जानबूझ कर चूक करने वाली घोषित की गई हों.		
<b>III. पेशेवर उपलब्धियों का रिकॉर्ड</b>			
29.	निदेशकशिप के लिए आवश्यक व्यावसायिक उपलब्धियाँ.		
<b>IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध हुई कार्यवाही, यदि कोई हो</b>			
30.	(ए) एक पेशेवर संघ / निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण, यदि कोई है, तो लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया है या किसी भी समय किसी भी पेशे / व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.		
	(बी) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण.		
31.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं को दोषी ठहराया गया हो.		
32.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या प्रारम्भ हुआ हो या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो.		




33.	यदि एमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त रहा हो, तो उसका विवरण.	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित किसी भी अयोग्यता पाई जाती है, तो उसका विवरण.	
35.	यदि दिवालिया घोषित किया गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण.	
36.	यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का पाया जाता है और ऐसा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण.	
37.	(ए) यदि किसी अपराध के संबंध में किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक कूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण. (बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो उसका विवरण.	
38.	पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन किसी भी कार्यालय में लाभकारी पद पर कार्य कर रहा है तो उसका विवरण.	
39.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर (21) से (26) में उल्लिखित किसी भी संस्था के रूप में किसी पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी द्वारा मामलों के अधीन जांच / सतर्कता / पूछताछ की गई है, तो उसका विवरण.	
40.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण.	
41.	यदि किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा पेशेवर आदेशों या गतिविधियों के कारण अदालत द्वारा फटकार लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित, स्थगित, रोक दी गई, या अन्यथा मंजूरी दे दी गई है, तो उसका विवरण. (तथापि प्रत्याशी के लिए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में उलट दिए गए हैं/पूर्णतः रद्द कर दिया गए हैं, ऐसे मामलों में जहां अधिकार क्षेत्र की सीमा में कमी जैसे तकनीकी कारण हों, न कि योग्यता, निर्णय उलट/रद्द कर दिए गए हैं, तो उनका उल्लेख करना आवश्यक होगा. यदि अस्थायी आदेश हैं और अपीलीय/अदालत की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए).	
<b>V. सामान्य जानकारी</b>		
42.	यदि सनदी लेखाकार, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर हैं और वर्तमान में किसी बैंक में किसी भी पेशेवर के रूप में काम कर रहे हैं/किया हो, तो बैंक के नाम और बैंक के साथ कार्य करने की अवधि सहित विवरण दें .	
43.	यदि कोई सांसद/एमएलए/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद पर है, तो उसका विवरण दें .	

<b>VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, "उपयुक्त और उचित" का आकलन करने हेतु कोई अन्य संबन्धित जानकारी हो तो इसका विवरण दें .</b>	
<b>वचन पत्र</b> मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है. मैं अपनी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं, जो उपरोक्त के संबंध में वांछनीय हों, के संबंध में, जितनी जल्दी हो सके, बैंक को पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूँ.	
मैं बैंक के साथ निष्पादन हेतु लिए आवश्यक "अनुबंध पत्र" भी निष्पादित करने का वचन देता हूँ. <b>स्थान :</b> <b>दिनांक :</b>	<b>उम्मीदवार के हस्ताक्षर</b>
<b>संलग्नक :</b> <b>नोट :</b> 1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया कालानुक्रमिक क्रम में और उपयुक्त संदर्भ के साथ जानकारी संलग्न करें 2. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नक सहित) हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है.	
नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ बोर्ड द्वारा स्वयं को संतुष्ट होने की टिप्पणी की उपरोक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है.	
<b>स्थान :</b> <b>दिनांक :</b>	<b>अध्यक्ष के हस्ताक्षर</b>

\*\*\*\*\*

**Personal Information, Declaration and Undertaking by the Candidate  
(with appropriate enclosures)**



Sr. No.	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details				
1.	Name in Full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's Name			
3.	Gender (M/F/Others)			
4.	Present Address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address:			
	Telephone Number with STD code:			
	Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	-- / -- /----	Age : --	years -- months
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward	Date of filing	Amount of tax paid (INR)	
	(c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years			

12.	Permanent address									
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company									
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)									
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.									
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following:									
	(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):									
	(b) Date of registration with the ICAI:									
	(c) Name and Address of the registered firm/s:									
	(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:									
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bank Name</th> <th>Branch</th> <th>Type of A/c</th> <th>A/c Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number				
Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number							
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)									
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:									
II. Relevant Relationships of proposed director										
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:									
21.	List of entities in which:									
	(a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]:									
	(b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:									



	(c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):																	
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	<table border="1"> <tr> <td>Name of the company / firm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Country of incorporation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Number of shares</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Face Value of each share</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td> <td></td> </tr> </table>	Name of the company / firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Shareholding as % of total Paid up Capital		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																		
Country of incorporation																		
Number of shares																		
Face Value of each share																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total Paid up Capital																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																		
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.																	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).																	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.																	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.																	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.																	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.																	
<b>III. Records of professional achievements</b>																		
29.	Professional achievements relevant for the directorship.																	
<b>IV. Proceedings, if any, against the proposed director</b>																		
30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.																	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.																	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.																	

32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
<b>v. General Information</b>		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	



VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	
<p><b>Undertaking</b></p> <p>I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.</p>	
<p>I also undertake to execute a 'Deed of Covenants' as required to be executed with the bank.</p> <p><b>Place :</b></p> <p><b>Date :</b> <span style="float: right;"><b>Signature of Candidate</b></span></p>	
<p><b>Enclosures :</b></p> <p><b>Note :</b></p> <p>1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference</p> <p>2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.</p>	
<p>Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.</p>	
<p><b>Place :</b></p> <p><b>Date :</b> <span style="float: right;"><b>Signature of the Chair</b></span></p>	



# Quick and Convenient Way to Loan Application

Missed Call: **9619333333** SMS <ULOAN> To 56161



Innovative and hassle free way to  
access our range of Loan Products

- Access to information at your fingertips
- Get product details, eligibility, documents required and more
- Apply for Home Loan, Vehicle Loan, Personal Loan, MUDRA Loan, Business Loan and Credit Card
- Quick turnaround time
- Ensures customer safety
- Online application assistance

**यूनियन बैंक**  **Union Bank**  
ऑफ इंडिया *of India*

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking



Toll free No. 1800 22 2244 | [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking



Helpline Nos.: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)

 @unionbankofindia  @UnionBankTweets  UnionBankInsta  YouTube UnionBankofIndiaUtube  @unionbankofindia